"मो'मिन" की

नमाज़

लेखक

मुनाज़िरे अहले सुन्नत

अल्लामा अब्दुस्सत्तार हमदानी

मस्रूफ़ बरकाती-नूरी

मरकज़े एहले सुन्नत बरकाते रज़ा

इमाम अहमदरज़ा रोड, मेमनवाड, पोरबन्दर, गुजरात

www.Markazahlesunnat.com

“قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ”

“बेशक ! मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ में गिड़गिड़ाते हैं.” (कन्ज़ुल ईमान)

मो'मिन की नमाज़

:: लेखक ::

अल्लामा अब्दुस्सत्तार हमदानी “मसरूफ”

(बरकाती - नूरी)

:: प्रकाशक ::

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा

इमाम अहमद रज़ा रोड, मेमनवाड,

पोरबंदर-गुजरात-भारत

प्रकाशन के सर्व अधिकार प्रकाशक को आधीन हैं

पुस्तक का नाम	:	मो'मिन की नमाज़
लेखक / संपादक	:	अल्लामा अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ' बरकाती–नूरी
कम्पोझिंग	:	समीना मोहंमदअशफ़ाक़ शेख – अहमदआबाद
प्रूफ रीडींग	:	लेखक (स्वयं)
अनूमोदन	:	हज़रत मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, ओझा गंज (बस्ती–यू.पी.)
समर्थक अभिप्राय	:	हज़रत मुफ़्ती मुजीब अशरफ़ साहब नागपुर (महाराष्ट्र)
प्रकाशक	:	मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा पोरबंदर (गुजरात)
प्रिन्टींग	:	भारत ओफसेट, दिल्ली
प्रिन्टींग व्यवस्था	:	कुतुब ख़ाना अमजदिया, दिल्ली.
प्रकाशन तिथि	:	शव्वाल –१४२४ (डिसेम्बर – २००२)
आवृति	:	प्रथम (२)
प्रत:	:	५,००० (पांच हज़ार)
मुल्य	:	रू. ....

मिलने के पते

1. **Kutub khana Amjadia, 425, Matia Mahal, Delhi - 6.**
2. **Farooqia Book Depot, 422/C, Matia Mahal, Delhi - 6.**
3. **Maktabatul Madina, 19/20, Mohammed Ali Building, Mohammad Ali Road, Opp. Mandvi Post Off.,Mumbai-3.**
4. **Darool Uloom Gause-Aazam, Memonwad, Porbandar.**

अर्ज़े नाशिर

नहमदोहु-व-नुसल्लि अ़ला रसूलिहिल करीम

काम वोह ले लिजीए तुम को जो राज़ी करे

ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ो दुरूद

अल-हम्दो लिल्लाह !

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा पोरबंदर बहुत क़लील अर्से में इशाअते कुतुब के सिलसिले में एक मिसाली कारनामा अन्जाम दे कर ओलोमा-ए-अहले सुन्नत व अवामे अहले सुन्नत से दादो तेहसीन हासिल कर चुका है. अइम्म-ए-दीन और ओलोमा-ए-अहले सुन्नत और खुसूसन आ़ला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा मोहक़्क़िक़े बरेल्वी (अलैहिर्रहमतो व रिदवान) कि तसानिफे जलीला मन्ज़रे आम पर लाने के सिलसिले में हमारा मुस्तक्बिल का प्रोग्राम अज़ीम पैमाने पर कार बन्द होगा.

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा सिर्फ छे माह के कलील अर्से में हस्बे ज़ैल कुतुब शाएअ कर चुका है.

अरबी किताबें

(१) अलमोवाहिबुल्लदुन्या (चार जिल्दों में)
(२) खसाइसे कुब्रा (दो जिल्दों में)
(३) वफाउल वफा (दो जिल्दों में)
(४) अश्शिफ़ा बे तारीफे हुकूकिल मुस्तफा
(५) नसीमुर्रियाज़ (चार जिल्दों में)
(६) हुज्जतुल्लाहे अलल आलमीन
(७) अल मुबीन खत्मन्नबियीन

(८) कहरुद दइयान अला मुरतद बे कादयान
(९) अलजुराज़ुद-दइयानी अला मुरतदिल कादयानी
(१०) इम्बाउल अज़्किया फी हयातिल-अम्बिया
(११) एअलामुल आलाम बे अन्ना हिन्दुस्तान दारूल इस्लाम
(१२) मसालिकुल-होनफा फी अबवयल मुस्तफा
(१३) हुक़्क़ुल मरजान लेमोहिमे हुक्मिद्दुखान
(१४) अल-मदहुन्नबवी बैनल गुलूवे वल इन्साफ
(१५) जवाहिरुल बेहार फी फज़ाइलिन्नबीयील मुख्तार (४ जिल्दें)
(१६) अल-मन्ज़ूमतुस्सलामिया
(१७) कसीदा बुर्दा शरीफ
(१८) कसीदा अल-हमज़िया
(१९) अश्शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी
(२०) जामेअ करामातिल अवलिया (दो जिल्दों में)
(२१) किताबुल फजरुल-मुनीर
(२२) अल-इन्सानुल कामिल
(२३) इज़ाहतुल ऐब बे सैफिल गैब
(२४) अजूज़ुबदतुज़ज़किय्या-ले-तेहरिमे-सुजुदित-तहिय्या
(२५) अस्सुओ-वल-इ़ाब-अला-मसिहिल-कज्ज़ाब
(२६) अआलिल-इफादा-फि-तअज़ियतिल-हिन्दे-वश-शहादा

उर्दू किताबें

(२७) इमाम अहमद रज़ा एक मज़्लूम मुफक्किर
(२८) अल-कौलुल अज़हर फील इक़्तेदाए बे लाउड स्पीकर
(२९) सियानतुस्सलात अन हीलिल बिदआत
(३०) अत्तफसीलुल अनवर फी हुक्मे लाउड स्पीकर
(३१) उमूरे इशरीन दर इम्तेयाज़े सुन्नीयीन
(३२) सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब (दो जिल्दों में)
(३३) इज़ाहतुल ऐब बे-सैफिल ग़ैब

(३४) मदारिजुन्नबुव्वत (फारसी) (दो जिल्दों में)

(३५) मो'मिन की नमाज़

(३६) जामेउल अहादिष (६- जिल्दों में)

(३७) कही - अन - कही

हिन्दी किताबें

(३८) मो'मिन की नमाज़

ज़ैरे तबाअत किताबें

मरकज़े अहले सुन्नत के बानी हज़रत अल्लामा अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ' की निम्न लिखित किताबें छप रही हैं और वह किताबें बहुत ज़ल्द वांचक मित्रो के हाथों में आ जाऐंगी.

- फन्ने शायरी और हस्सानुल हिन्द
- खैरे बशर की नूरी बशरियत
- मोमिन की नमाज़ (अंग्रेजी)
- खज़ीनतुल इल्म की तसानीफे मुजद्दिदे आज़म
- आ'ला हज़रत और मोर्डन टेक्नोलोजी
- बिदअत और बरेली (गुजराती)
- धमाका (दो हज़ार सफहात में)
- अहसनुत्तकवीम (अंग्रेजी)
- कलामे रज़ा (गुजराती)

अन्य किताबें

बहुत जल्द ही हम पचास किताबें प्रगट करनेवाले हैं. उनमें से बीस किताबें इमामे अहले सुन्नत आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मोहक़्क़िबरेल्वी (रदीयल्लाहो अन्हो) की उर्दु किताबों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है. इसके इलावा

मिल्लते इस्लामिया के महान इमामों और चिंतकों की अप्राप्य अरबी, फारसी और उर्दू किताबें इस्लामी साहित्य के क्षितिज में प्रकाशित तारों की हैसियत से अपना इमानी प्रकाश फैलायेंगी और मुस्लिम समुदाय जिसके द्वारा लाभदायी होगा.

इस वक्त आप के हाथ में किताब 'मो'मिन की नमाज़' है. इसका गहरी दृष्टि से वांचन करने से आप विश्वास की कक्षा में स्वीकार करेंगें कि नमाज़ के विषय पर वांचक मित्रो को प्रथम पृष्ट से अंतिम पृष्ट तक दिलचश्पी से वांचन करने पर मजबूर करनेवाली अपनी श्रेणी की येह अद्वीतीय किताब है. अकीदे और अमल के सुधार पर विस्तृत संख्या में पुस्तकें प्रकाशन करके और इस द्वारा मस्लके आ'ला हज़रत के सहीह अनुमोदक की हैसियत से 'मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा' पोरबंदर के बुलन्द पाये होस्ले और द्रढ विश्वास से काम करनेकी गतिसे येह अपेक्षा है कि येह इदारा बहुत जल्द मिल्लते इस्लामिया के हर वर्ग के लोगों की दृष्टि में प्रिय बन जाएगा.

अल्लाह तबारक-व-तआला अपने हबीबे अकरम और महबूबे आज़म सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम के सदके व तुफैल में मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा का पुस्तक प्रकाशन का सिलसिला जारी रखे और उसे कुबूलियते खासो आम बना कर इसके नफा बख्श फवाइद को आलमी पैमाने पर फैलाए और इस इदारा की नि:स्वार्थ भव्य सेवाओंको कुबूल फरमाए.

आमीन.

बेजाहे सय्येदिल मुर्सलीन अलैहे अफ़ज़लुस्सलाते वत्तसलीम.

सगे दरबारे नूरी
अरशद अली जीलानी बरकाती
''जान जबलपुरी''
खादीम : मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा,
पोरबंदर, गुजरात (भारत)
११ रबीउल आखर, स. हि. १४२३
२३ जुन - २००२, इत्वार

अनुमोदन (तकरीज़)

अज़ : फकीहे मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
स्थापक तथा व्यवस्थापक : मरकज़े इफता, ओझा गंज, ज़िल्ला बस्ती (उ.प्र.)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

"अल्हम्दो लिल्लाहे तआला-वस्सलातो-वस्सलामो अला रसूलेहिल आ'ला"

नमाज़ हर मुसलमान आकिल बालिग़ (पुख्त व्यसक) मर्द व औरत पर फर्ज़ है और सारी इबादतें जो मुसलमानों के लिये ज़रूरी करार दी गइ हैं, उन में सब से ज़्यादा अहम है. लैकिन बहुत से मुसलमान नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर उस के हुकुक की रिआयत नहीं करते, जिस के सबब कभी ऐसा होता है कि नमाज़ कामिल तौर पर अदा नहीं होती और सवाब कम हो जाता है और कभी नमाज़ ऐसी होती है कि उसका दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है और ऐसी नमाज़ अगर फिर से न पढ़ी तो नमाज़ी गुनेहगार होता है. और कभी अपनी ला-इल्मी या ला-परवाही से इस तरह नमाज़ पढ़ता रहेता है कि जिस के सबब फ़ासिक और मरदू-दुश्शहादा हो जाता है, हालांकि वो अपने आप को नेक गुमान करता है और कभी ऐसा होता है कि नमाज़ के सारे शराएत वुज़ू और गुस्ल वगैरा पुरे तौर पर सहीह होते हैं और नमाज़ के तमाम अरकान भी अदा होते हैं लैकिन नमाज़ी इस में कोइ ऐसी बात कर बैठता है कि जिस के सबब उसकी नमाज़ बिल्कुल नहीं होती और उस का अज़-सरे-नौ(फिरसे) पढ़ना उस पर फ़र्ज़ होता है, मगर इस की तरफ नमाज़ी की तवज्जोह नहीं होती, तो सारी महेनत उस की बरबाद हो जाती है और फर्ज़ उस पर बाक़ी रहे जाता है. जनाब मौलाना अब्दुस्सत्तार साहिब हमदानी बरकाती रज़्वी नूरी (ज़ीदत महासेनोहुम) लाइके सद मुबारक बाद और काबिले हज़ार तहसीन हैं, कि उन्होंने ज़ेरे नज़र किताब

'मो'मिन की नमाज़' बिल्कुल नये अन्दाज से ऐसे तरीके पर मुरत्तब की है कि थोड़ी सी तवज्जोह से हर मुसलमान आसानी के साथ जान सकता है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि वो सब की सब छूट जाऐं फिर भी नमाज़ हो जाती हैं, सिर्फ सवाब कम होता है और वो कौन से काम हैं कि जिन में से किसी के भी कस्दन छोड़ने से नमाज़ का दोबारह पढ़ना वाजिब होता है. और भूल कर छूट जाने से सज्द-ए-सहव वाजिब होता है. और नमाज़ की वो कौन सी बातें हैं कि जिन में से अगर एक भूल कर भी छूट जाए तो नमाज़ बिल्कुल नहीं होती और उस का अज़-सरे-नो पढ़ना फ़र्ज़ होता है.

मौलाना हमदानी ने इस किताब में बहुत से मुश्किल मसाइल को मिसाल के साथ लिख कर इस का समझना भी बहुत आसान कर दिया है, जिन से ज़ाहिर होता है कि तफ़हीम पर उन को पुरी कुदरत हासिल है. ज़हव-ए-कुब्रा, साय-ए-अस्ली और निस्फुन्नहार-ए-शरइ, व उर्फी, किसे कहते हैं ? मिसाल से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और नक्शा के साथ उन को इस तरह समझाया है कि बहुत से आलिम और फाज़िल कि सनद रखनेवाले, जो अब तक इन चीज़ों को नही समझ सके हैं, वो इस किताब की मदद से समझ सकते हैं और मौलाना हम्दानी ने शुरू मे हल्ले लुगात और शरई इस्लेताहात को भी तहरीर कर दिया है, जिस से मसाइल के समझने में लोगों को बड़ी सहूलत होगी. लेहाज़ा येह कहना गलत न होगा कि नमाज़ के मसाइल की उर्दु की मुस्तनद किताबों में येह एक एसा बेश-बहा(मुल्यवान) इज़ाफा है, जिस की हमारे यहां मिसाल नहीं. इस किताब को पढ़ने से ज़ाहिर हुवा कि मौलाना हम्दानी साहिब को नमाज़ के मसाइल में भी अच्छी ख़ासी बसीरत हासिल है.

आलिम बनाने वाली किताब ''बहारे शरीअत'' और आलिम को मुफ्ती बनाने वाली किताब ''फतावा रज़विया'' का उन्होंने बड़ी गहरी नज़र से मुतअला किया है. इस के इलावा मौलाना मौसूफ में और भी बहुत सी खुबियां पाइ जाती हैं, जिन में से एक ये है कि वो ताजिर (व्यापारी) होने के साथ बहुत

बडे मुसन्निफ भी हैं कि अब तक एक सौ (१००) से ज़ाइद किताबें लिख चुके हैं और हुनुज़ येह सिलसिला जारी है.

मौलाना हमदानी साहब अब अपनी उमर के उस हिस्से को तय कर रहे हैं कि जहां पहूँच कर आम तौर पर लोगों को माल की लालच बढ़ जाती है, लैकिन अल्लाह तआ़ला का उन पर ख़ास फज़्लो करम है कि उस ने माल की मोहब्बत उनके दिल से निकाल दी है. इस्लामो सुन्नियत और मस्लके आ़ला हज़रत की तबलीग़ो इशाअ़त के लिये दिल खोल कर अपना माल ख़र्च कर रहे हैं कि अ़क़ाइदे अहले सुन्नत की ताइद करनेवाली पुरानी अहम अरबी किताबें अपने ख़र्च से छपवा कर अरब शुयुख़ को मुफ़्त पहूँचा रहे हैं और हिन्दुस्तान के मख़्सूस ओलमा-ए-केराम को भी बतौरे नज़्र पेश कर रहे है.

दुआ है कि खुदा-ए-अजूज़ो जल बतुफैले हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम उन के माल और अहलो अयाल में बेश अज़ बेश ख़ैरो बरकत अता फरमाए, उन की सारी दीनी ख़िदमतों को शर्फे कुबूलियत (स्वीकृती) से नवाज़े और उन्हे अज्रे जज़ील व जज़ाए जलील बे मसील से सरफराज़ फरमाए, आमीन. बे हुरमते नबिय्येहिल करीम अलैहे व अ़ला आलिहि अफ़ज़लुस्सलाते व अकमलुत्तसलीम.

जलालुद्दीन अहमद अमजदी

२६, जमादिउल उला, १४२२ हिजरी

१७, अगस्त, २००१ इस्वी

एक नज़र इधर भी ...

हज़रत फकीहे मिल्लत, आबरु-ए-सुन्नियत, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी (रहमतुल्लाहे तआला अलयहे) का शुमार अहले सुन्नत के महा विद्वान तथा भव्य आलिमों में होता है. वो अपनी ज्ञान क्षमता तथा विशाल वांचन गुण के कारण अद्वीतीय थे. अनेक प्रखर आलिम आपकी छत्रछाया में रेह कर इफ्ता (मुफ्ती बनने का) शिक्षण प्राप्त कर रहे थे. हज़रत के ज्ञान की भव्यता वर्तमान युग के प्रमाणित आलिमों के नजदीक स्वीकृत थी. आपने अपने जीवनकाल दरमियान अनेक इस्लामिक पुस्तकें तथा फत्वे लिखकर मुस्लिम संप्रदायकी महान सेवा अन्जाम दी है.

'मो'मीन की नमाज़' किताब का हज़रतने अनूमोदन करके किताब की विश्वस्नीयता तथा आधार भूतता को प्रमाणित किया है. हज़रत की येह तकरीज़ (अनूमोदन) हज़रत के जीवनकाल का अन्तिम आलेखन है, क्युंकि वर्णनीय अनूमोदन के आलेखन के शीघ्र बाद आप ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह कर स्वर्ग की तरफ प्रयाण किया. हज़रत के सुपुत्र आदरणीय मौलाना अनवार अहमद साहिब के कथन अनूसार हज़रत के जीवन का येह अंतीम लेखन है क्युंकि इसके बाद हज़रत द्वारा किसी भी प्रकारकी लेखन क्रिया अस्तित्व रूप में नहीं आइ. इस लिये इस किताब ''मो'मिन की नमाज़'' पर हज़रत की येह तकरीज़ ऐतिहासिक अनूमोदन है.

परन्तु अफसोस.... !

हज़रत फकीहे मिल्लत की अचानक विदाय की घटना इस्लामी संप्रदाय के लिये अत्यंत आघातजनक तथा असह्य दु:खद घटना है. इल्म और फज़ूल के आकाश से एक अत्यंत चमक्ता और दमक्ता सूर्य अचानक अस्त हो गया. और चारों तरफ दु:ख के दर्दभरे बादल छा गए.

अल्लाह तबारक व तआला हज़रत फकीहे मिल्लत की कब्रे शरीफ पर अपनी रहेमत के असंख्य फूलोंकी बारिश नाज़िल फरमाए और मिल्लते इस्लामिया को हज़रत का विकल्प और सच्चा जानशीन (पदग्रहक) अर्पण करे. आमीन.

(दुआगो)

अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ'

-: लेखक :-

- अर्ज़े नाशिर ०३
- अनूमोदन; मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ०७
- इन्तिसाब (अर्पण) १९
- हवालों में प्रस्तुत किताबें (मआख़ज़-व-मराजे') २३
- अभिप्राय (हज़रत मुफ्ती मुजीब अशरफ) ३०
- प्रस्तावना (मुकद्दमा) ३५
- हल्ले लुगत (शब्द कोष) ४६
- नमाज़े पंज वक्त ५५

प्रकरण - १ ''शरई व फिक़ही इस्तेलाहात''

- ग्यारह (११) इस्तेलाहात और उनकी वज़ाहत ५८

प्रकरण - २ ''नमाज़ की शर्तो का बयान''

- नमाज़ की छेः शर्ते और तफ्सीली अहकाम ६४
- नमाज़ की पहली (१) शर्त : ''तहारत और उसके तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल'' ६४
- नमाज़ की दूसरी (२) शर्त : ''सतरे-औरत और उसके कुछ अहम मसाइल'' ६७
- नमाज़ की तीसरी (३) शर्त : ''इस्तिक़बाले-क़िब्ला और उसके मसाइल'' ७१
- नमाज़ की चौथी (४) शर्त : ''वक्त''; हर वक्त की नमाज़ के मसाइल में देखें'' ७४
- नमाज़ की पांचवी शर्त (५) : ''निय्यत आर उसके ज़रूरी मसाइल'' ७५
- नमाज़ की छठ्ठी (६) शर्त :''तकबीरे-तहरीमा'' (प्रकरण ३ में मसाइल देखें) ७९

प्रकरण - ३ ''नमाज़ के फराइज़''

- नमाज़ के सात (७) फराइज़ और उनके अहेकाम ८०

- नमाज़ का पहला(१)फर्ज़:तकबीरे-तहरीमा और उसके मसाइल ८०
- नमाज़ का दूसरा (२) फर्ज़ : क़याम और उसके तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल ८५
- नमाज़ का तीसरा(३)फर्ज़ क़िरअत और उसके ज़रूरी मसाइल ९०
- नमाज़ का चौथा (४) फर्ज़ : रूकूअ़ और उसके मसाइल १०६
- नमाज़ का पांचवा (५) फर्ज़ : सजदा और सजदा के मुफ़स्सल मसाइल १११
- नमाज़ का छठ्ठा (६) फर्ज़ : क़ा'द-ए-आख़िरा ११७
- नमाज़ का सातवाँ (७) फर्ज़ : खुरूज-बे-सुन्नेहि १२५

प्रकरण - ४ : ''नमाज़ के वाजिबात''

- नमाज़ के वाजिबात की फेहरिस्त (सूची) १३०

प्रकरण - ५ : ''नमाज़ की सुन्नतें''

- नमाज़ की सुन्नतों की फेहरिस्त (सूची) १३५

प्रकरण - ६ : ''नमाज़ के मुस्तहब्बात''

- नमाज़ के मुस्तहब कामों की फेहरिस्त (सूची) १४४

प्रकरण - ७ : ''नमाज़े - पंज वक्त''

- नमाज़े फज्र की फज़ीलत , रकअ़तों की संख्या और साल का वक्त १५१
- नमाज़े फज्र के मुतअल्लिक अहम मसाइल १५३
- नमाज़े ज़ोहर की फज़ीलत, रकअ़तें और वक्त १६०
- ज़वाल के मुतअल्लिक अवाम की ग़लतफहमी का इज़ाला (निराकरण) १६१
- नहारे-शरई और नहारे-उरफी की मुदल्लल चर्चा............ १६३

- नहारे शरई और नहारे उरफी की वज़ाहत और निस्फुन्नहार ... मालूम कैसे हो ? १६५
- ज़हव-ए-कुब्रा, इस्तवा-ए-हकीकी और ज़वाल का नक्शा (रूड्ढा). १६९
- वक्ते ज़ोहर कब तक रहेता है ? और साया-ए-असली मा'लूम करने का तरीका १७१
- नमाज़े ज़ोहर के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल १७६
- नमाज़े अस्र की फज़ीलत, रकअतें और सालभर के वक्त की मात्रा १८१
- नमाज़े अस्र के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल १८३
- नमाज़े मग़रिब की फज़ीलत,रकअतें और समय १८९
- नमाज़े मग़रिब के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल १९१
- नमाज़े इशा की फज़ीलत, रकअतें और समय १९५
- नमाज़े इशा के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल १९७
- नमाज़े वित्र की फज़ीलत, अहेकाम और मसाइल १९८

प्रकरण - ८ : ''नमाज़े जुम्आ''

- नमाज़े जुम्आ की फज़ीलत, रकअतें और समय २०३
- नमाज़े-जुम्आ के मसाइल और नमाज़े-जुम्आ क़ाइम करने के सात (७) शराइत २०५
- जुम्आ की पहली (१) शर्त : शहर होना और शहर के मुतअल्लिक मसाइल २०७
- जुम्आ की दूसरी (२) शर्त : सुल्ताने-इस्लाम २१०
- जुम्आ की तीसरी (३) शर्त : वक्ते ज़ोहर २११
- जुम्आ की चौथी (४) शर्त : खुत्बा और उसके ज़रूरी मसाइल २१२

- खुत्बा सुनने के अहेकाम और ज़रूरी मसाइल २१७
- जुम्आ की पांचवीं (५) शर्त : नमाज़ से पहले खुत्बा होना २२४
- जुम्आकी छठ्ठी (६) शर्त : जमाअत और उसके ज़रूरी मसाइल २२४
- जुम्आ की सातवीं (७) शर्त : इज़्ने-आम और उसकी शरई वज़ाहत २२८
- जुम्आ की नमाज़ किन पर फर्ज़ है ? फर्ज़ होने की सात (७) शर्तें २३२
- जुम्आ फर्ज़ होने की सातों शर्तों की वज़ाहत और अहेकाम २३२
- किन लोगों पर जुम्आ फर्ज़ नहीं ? २३७
- जुम्आ के खुत्बे की अज़ान ज़माना-ए-अक़दस में कहां दी जाती थी ? २३८
- इस बात का सुबूत कि अज़ाने-खुत्बा ख़ारिजे मस्जिद दी जाए २३८
- येह अज़ान दाख़िले-मस्जिद देने की बिदअत किसने शुरू की ? २४७

प्रकरण - ९ : ''नमाज़ तोड़ने वाली बातें''

- किन बातों से नमाज़ टूट जाती है ?
- मुफसिदाते-नमाज़ के मसाइल २५०

प्रकरण - १० : ''नमाज़ के मकरुहाते-तहरीमी''

- मकरूहे-तहरीमी होने वाली नमाज़ वाजेबुल-एआदा होती है २६५
- कराहते-तहरीमी सजद-ए-सह्व से भी दूर नहीं होती २६५
- उन कामों की तफसील जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है २६६

प्रकरण - ११ : ''नमाज़ के मकरूहाते-तन्ज़ीही''

- मकरूहे-तन्ज़ीही की शरई वज़ाहत २७९
- उन कामों की तफसील जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही होती है २७९
- पाजामा और पतलून के पाइचे मोड़ने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है................................ २८२
- एक अहम नुक्ता २९६

प्रकरण-१२ ''नमाज़े-बा-जमाअ़त''

- जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने की अहमियत और फज़ीलत ३०५
- नमाज़े-बा-जमाअ़त हदीसों की रोशनी में........................ ३०६
- जमाअ़त के मुतअल्लिक़ ज़रूरी मसाइल ३०७
- सफ के मुतअल्लिक शरई अहकाम और मसाइल............... ३१५

प्रकरण - १३ ''इमामत के मसाइल''

- इमामत के प्रकार और इमामत की शरई वज़ाहत और अहेकाम................................ ३२५
- इमामत के मुतअल्लिक़ अहादीसे नबवी........................ ३२६
- एक इबरतनाक और अजीब वाकेआ़ ३२९
- इमामत के अहम और ज़रूरी मसाइल ३३०
- अफआ़ले-क़बीहा (धृणास्पद कार्य) करने वाले की इमामत का शरई हुक्म ३३५
- मा'ज़ूर (अपंग) और मुबतला-ए-मरज़ (रोगी) की इमामत का हुक्म................................ ३३८
- जिसकी बीवी बेपर्दा निकलती हो उस इमाम की इमामत का हुक्म................................ ३४१
- इमामत के तअ़ल्लुक से चंद मुतफर्रिक (विविध) मसाइल ३४३

प्रकरण - १४ ''मुक्तदी के प्रकार व अहेकाम''

- मुक्तदी के प्रकार और हर प्रकार के मुक्तदी की शरई हैसियत और अहेकाम ३४५
- ''लाहिक'' मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल ३४५
- ''मसबूक'' मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल................. ३४६
- ''लाहिक-मस्बूक'' मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल ३४७
- एक बहुत ही ज़रूरी मस्अले की वज़ाहत........................ ३५४
- तमाम प्रकार के मुक्तदीयों के मुतअल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल ३५७

प्रकरण - १५ ''सजदा-ए-सह्व का बयान''

- सजदा-ए-सह्व वाजिब होने के मुतअल्लिक शरई अहेकाम .. ३६२
- सजदा-ए-सह्व करने का तारीक़ा................................ ३६३
- सजदा-ए-सह्व के मुतअल्लिक अहम और ज़रूरी मसाइल .. ३६४
- क़िरअत की वो ग़लतियां जिनके कारण सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३६८
- ख़िलाफे-तरतीब काम अदा करने से सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३७३
- रूकूअ़ और सुजूद की ग़लतियां और सजदा-ए-सह्व वाजिब होना ३७५
- क़ा'दा की वो ग़लतियां जिन के कारण सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३७६

प्रकरण - १६ ''मुसाफिर की नमाज़ का बयान''

- शरई सफर का अंतर और हालते - सफर में नमाज़ क़स्र करने का हुक्म................................ ३८२

- मुसाफिर की नमाज़ के मुतअल्लिक अहादीसे-करीमा ३८३
- सफर की नमाज़ के चंद ज़रूरी मसाइल.......................... ३८४
- वतन के प्रकार और अहेकाम ३९१
- दरियाई, हवाई, ट्रेन, बस तथा अन्य सवारियों में नमाज़ पढ़ने के अहेकाम ३९५
- चलती और उड़ती हुई सवारी पर नमाज़ पढ़ने के ज़रूरी मसाइल ३९६
- मुक़ीम इमाम और मुसाफिर मुक़्तदी तथा मुसाफिर इमाम और मुक़ीम मुक़्तदी ४०३

प्रकरण - १७ ''मस्जिद के अहकाम''

- कुरआन और हदीस में मस्जिद ता'मीर करने की फज़ीलत ४०६
- मस्जिद के मुतअल्लिक चंद अहादिसे - करीमा ४०७
- मस्जिद के अदबो एहतेराम के ज़रूरी मसाइल ४१०
- तबलीग़ी जमाअत वालों ने मस्जिद को चौपाल बना दिया है .. ४१३
- मस्जिद के एहतेराम के मसाइल से तबलीग़ी जमाअत की असलियत को पहाचानो ४१६
- मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के हुक्म में है ४१९
- मस्जिद के सेहन के मुतअल्लिक़ फ़िक़्ही मसाइल ४२८
- मस्जिद के अदब और एहतेराम के कुछ विशेष शरई अहेकाम ४२९
- मस्जिद की दिवारे-क़िब्ला में तुग़रे वग़ैरह लगाना.............. ४३४
- किसको मस्जिद में आने से रोका और निकाला जाएगा ?...... ४३६
- मस्जिद की जायदाद, माल सामान और आमदनी के शरई अहेकाम ४३७
- अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलने के ज़रूरी मसाइल ४३९

- मस्जिद में सोया था और एहतेलाम (स्वप्न दोष) हो गया, तो क्या करे ? ४४१
- सुन्नत और नफ्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफज़ल है या मस्जिद में ? ४४२

प्रकरण - १८ ''मर्द और औरत की नमाज़ का फर्क़''

- मर्द और औरत की नमाज़ के फर्क का तक़ाबुली जाएज़ा....... ४४५
- ज़रूरी तम्बीह (चेतावनी) और ज़रूरी मसाइल औरतों की नमाज़ के संदर्भ में.. ४४९

प्रकरण - १९ ''विविध चंद ज़रूरी मसाइल''

- नामे - अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना, तिलावते - कुरआन, इमामत, नमाज़े - तहज्जुद, आशूरा के दिन की प्रचलित नमाज़ वगैरह ४५१
- नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मनाई के मसाइल और हदीसें........ ४५५
- अज़ान में नामे - अक़दस सुनकर अंगूठे चुमने के सुबूत और दलीलें ४६१
- एक ज़रूरी बात ४७२
- लमहा - ए - फिक्रिया (ज़रा सोचो) ४७५

"शरफ़े इन्तिसाब"

(अर्पण)

उस मर्दे हक और आशिके़ रसूल इमाम अहमद रज़ा मुहक्क़िके बरेल्वी (रदीयल्लाहो अन्हो) के नाम जिसने अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा इज्ज़ते नामूसे रिसालत के लिये वक़्फ कर दिया था. जिस ने तने तन्हा मस्लके हक़ और नसीहते मुस्लेमीन का अलम बुलन्द किया. और इश्को-इरफ़ान, तअज़ीमे-रसूल, मोहब्बते सहाब-ए-केराम, अज़्मते एहले बैते अत्हार और अक़ीदते औलिया-ए-केराम (रिद्वानुल्लाहे तआला अन्हुम अजमईन) का दर्स दिया. जिस पर अल्लाह तबारका व तअला का फज़्ले अज़ीम था. जो कसीर उलूमो फुनून का माहिर था. उन में से एक फन इल्मे फ़िक्ह भी है. इमाम अहमद रज़ा के इल्मे फ़िक्ह के बारे में सिर्फ इतना कहना ही काफी है, जैसा कि अल्लामा डाक्टर इक़्बाल ने फरमाया 'वोह अपने वक्त के इमामे आज़म अबू हनीफा थे.' इमामे आज़म के उस सच्चे नाइब की बारगाह में ख़िराजे अक़ीदत पैश करते हुए अपनी इस काविश को उन के नाम से मन्सूब करने की सआदत हासिल करता हुँ.

खानकाहे आलिया बरकातिया मारेहरा मुक़द्दसा और
ख़ानकाहे रज़्विया नूरीया बरैलीका अदना सवाली
अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ' (बरकाती नूरी)

"शुक्रिया" (आभार)

मो'मिन की नमाज़ किताब उर्दू मे लिखने के बाद इस को हिन्दी में लिखने की फरमाइश कुछ मित्रो ने अति आग्रह के साथ की और मो'मिन की नमाज़ हिन्दी स्वरुप में अस्तित्व में आई. हिन्दी कम्पोज़िंग का प्रुफ रिडींग मैं ने स्वयं अपने ज़िम्मे रखा था. और कुछ पृष्ठो का प्रूफ रिडींग भी कर लिया था कि एक दिन मेरे मुरशिदे इजाज़त, आक़ा-ए-नेअ़मत, अमीने मिल्लत, हुज़ूर किब्ला डॉ. सैयद अमीनमियाँ साहब सज्जादानशीं ख़ानकाहे आलिया क़ादरीया बरकातिया मारेहरा मुक़द्दसा का टेलीफोन आया और आपने बात चीत के दौरान पूछा कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो ? मैं ने अर्ज़ किया कि मो'मिन की नमाज़ किताब (हिन्दी) का प्रूफ रिडींग कर रहा हूँ. मेरा प्रत्युत्तर सुनकर आपने नाराजगी व्यक्त करते हुए फ़रमाया कि अगर आप प्रूफ रिडींग करेंगे तो किताबें कौन लिखेगा ? आपका काम किताब लिखना है, प्रूफ रिडींग करना नहीं है. मैं ने अर्ज़ किया कि अगर मैं नहीं करुंगा तो कौन करेगा ? आपने फरमाया आप येह किताब फौरन कानपूर मोहतरम जनाब अतीकभाई बरकाती को भेज दें. वो हिन्दी भाषा के प्रखर विद्वान और प्रकाशन क्षेत्र के अनुभवी महानुभाव हैं.

सरकार अमीने मिल्लत का उपरोक्त आदेश मिलते ही मैं ने मो'मिन की नमाज़ हिन्दी का समग्र साहित्य शीघ्र ही जनाब अतीकभाई बरकाती साहब को कानपुर भेज दिया. जनाब अतीकभाई ने प्रूफ रिडींग करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य येह किया कि किताब में जहाँ जहाँ भी भाषादोष तथा व्याकरण क्षति थी, उस को संपूर्ण नष्ट करके किताब को शुद्ध व्याकरण के आभूषणों से शृंगारित करके उसके सौंदर्य में अभिवृध्धी कर दी. और किताब

को अज़्-सरे-नौ (फिर से) कम्पोज़ींग करा के नये तरीक़े से किताब को इस तरह सेटिंग कर दिया कि जिसकी प्रशंसा के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं.

विशेष में जनाब अतीक भाई ने एक उपकार येह भी क़िया कि जब उन्हों ने क़िताब मुज़े वापस भेजी और मैं ने दूरवाणी माध्यम द्वारा उनका संपर्क कर के कम्पोज़ींग का कितना खर्च हुआ ? येह पूछा तो उन्हों ने विनम्रता के साथ येह उत्तर दिया कि हम को सवाब से क्यूँ वंचित करना चाहते हो, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आप कृप्या कोई रक़म भेजनेका कष्ट न करें.

जनाब अतीक़ भाई बरकाती का और सरकार अमीने मिल्लत तथा सरकार नजीब हैदर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन की कृपा द्रष्टी तथा सहकार की निःस्वार्थ उच्च भावना के परिणाम स्वरूप येह किताब इस वक्त वांचक मित्रों के हाथों में है. हम अपने इन तमाम उपकारकों का विशेष हार्दिक आभार व्यक्त करे हैं.

अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम के सदके में इनको जज़ा-ए-खैर अता फ़रमाए और इनकी छत्रछाया हमारे सरों पर बहुत लम्बे काल तक स्थापित रखे और हमें इन की कृपाद्रष्टी से लाभदायी बनाए. आमीन.

शुभचिंतक

= लेखक =

"महेशर का पहला सवाल"

(अज़् : अल्लामा अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ')

देना हिसाब हम को हर एक फ़ेलो साज़ का,
पहला सवाल हश्र में होगा नमाज़ का.

लोगो ! नबी की आँखों की ठंडक नमाज़ है,
फिर क्यूं न हम भी लूटें येह मौका नियाज़ का.

मे'राज में बुलाया, दिया अपना कुर्बे ख़ास,
रब ने नबी को तोहफ़ा दिया है नमाज़ का.

नेअमत हज़ारों मिलती हैं हर एक नमाज़ी को,
मुल्के अजम का हो, या हो मुल्के हिजाज़ का.

सज्दे के नूर से हुई पैशानी ताबनाक,
महेशर के रोज़ राज़ खुलेगा नमाज़ का.

रोका नहीं हुसैन को तेग़े यज़ीद ने,
सज्दा वो कर्बला में हुआ इम्तेयाज़ का.

आफ़त हज़ारों टलती हैं सदके नमाज़ के,
एहसान हम पे कितना है, येह कारसाज़ का.

हुब्बे नबी जो दिल में तेरे है, तो पढ़ नमाज़,
सच्चा अमल यही है मुहब्बत नियाज़ का.

आक़ा गुलाम एक ही सफ़ में खड़े रहें,
महमूद के मसावी है रुतबा अयाज़ का.

'मस्रूफ़' रहो हमेशा इबादत में रब की तुम,
मो'मिन वोह सच्चा है जो हे आदी नमाज़ का.

हवालों में प्रस्तुत किताबें

(मआख़ज़ - व मराजेअ)

१. कन्जुल ईमान फी तरजुमतिल कुरआन
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२. तफ्सीर ख़ज़ाइनुल इरफान
अ़ल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी

३. बुख़ारी शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी

४. मुस्लिम शरीफ
इमाम मुस्लिम बिन हिजाज़ क़र्शी

५. तिरमिज़ी शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन इसा तिरमिज़ी

६. अबू दाउद शरीफ
इमाम अबू दाउद सुलेमान बिन अशअ़स

७. इब्ने माजा शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन यज़ीद बिन माजा

८. नसाई शरीफ
इमाम अहमद बिन शोए़ब नसाई

९. मिरक़ात शरहे मिश्कात
अल्लामा अ़ली इब्ने सुलतान हरवी क़ारी मक्की (मुल्ला अली क़ारी)

१०. शोअबुल ईमान
इमाम अबूबकर इब्ने हुसेन बयहक़ी

११. दुर्रे मुख़्तार
इमाम मुहम्मद बिन अ़ली दमिश्की हस्कफ़ी

१२. हाशिया दुर्रे मुख़्तार
इमाम अहमद मिसरी त़हतावी हनफी

१३. मवाहेबुल लदुन्नियां
इमाम अहमद बिन मुहम्मद कुस्त़लानी

१४. फतावा रज़वीया जिल्द नं. १
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

१५. तन्वीरूल अबसार
अ़ल्लामा मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह तमरताशी

१६. फत्हुल क़दीर शरहे हिदाया
मुहक़्क़िक़ कमालुद्दीन मुहम्मद बिन हुमाम

१७. अवफ़िल लुम्आ़ फी अज़ाने यवमिल जुम्आ़
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

१८. रद्दुल मोहतार (फतावा - शामी)
मुहक़्क़िक़ मुहम्मद इब्ने आ़बेदीन शामी

१९. तीयजानुस सवाब फी क़यामिल इमामे फ़िल मेहराब
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२०. तबय्यनुल हक़ाइक़ शरहे कन्जुद दक़ाइक़
इमाम फख़रूद्दीन उस्मान बिन अ़ली ज़यली

२१. फतावा रज़विया जिल्द नं. २
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी

२२. सहीह इब्ने हब्बान
इमाम मुहम्मद बिन हब्बान

२३. बदाएउस सनाएअ़
इमाम अबूबकर काशाफ़ी मलेकुल ओ़लोमा

२४. अन नहील अक़ीद
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२५. गुन्यतुल मुस्तली शरहे मुन्यतुल मुसल्ली
इमाम अ़ल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी

२६. फतावा रज़वीया जिल्द - ३
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२७. फतावा ख़ेरीया
इमाम ख़यरूद्दीन रमली

२८. अल कुतूफुद्दानीया लेमन....
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२९. **वस्साफ़ुर रजीह फ़ी बिस्मिलतित तरावीह**
इमाम अहमदरज़ा मुहद्दिस बरेलवी

३०. **अत्तबसीरूल मुन्जिद....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

३१. **इनाया शरहे हिदाया**
इमाम अकमलुद्दीन मुहम्मद बाबरती

३२. **अस्सुन्नियतुल अनीक़ा फ़ी फ़तावा अफ़्रीक़ा**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

३३. **मिन्हाजुल आ़बेदीन**
अबू हामिद इमाम गज़ाली

३४. **फ़तावा क़ाज़ी खान**
इमाम क़ाज़ी फख़रूद्दीन हसन बिन मन्सूर

३५. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ४**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

३६. **बहरूर राइक़**
इमाम जैनुद्दीन बिन नजीम मिसरी

३७. **खुलासतुल फ़तावा**
इमाम ताहिर इब्ने अब्दुर्रशीद बुख़ारी

३८. **हिदायतुल मुतआ़ल फ़ी हददिल इस्तेक़्बाल**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

३९. **तहतावी अ़लल मुराक़ीयुल फ़लाह**
इमाम सैयद अहमद मिसरी तह़तावी

४०. **नुरूल ईज़ा**
इमाम हसन बिन अली शरनबलानी

४१. **अज़ानुम मिनल्लाहे ले क़ियामे....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

४२. **ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन**
अल्लामा हुसैन बिन मुहम्मद समआ़नी

४३. **हाशिया मुराक़ीयुल फ़लाह**
इमाम सैयद अहमद मिस्री तह़तावी

४४. **हुल्या शरहे मुन्या**
अ़ल्लामा मुहक़्क़िक़ मुहम्मद बिन अमीरूल हाज हलबी

४५. **सलामतुल ले अहलिस्सुन्नत....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

४६. **मजमअ़ल अन्हर शरहे मुलतक़ील अबहर**
इमाम अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद रूमी

४७. **हिदाया**
इमाम अ़ली बिन अबी बकर मरग़ीनानी

४८. **फ़तावा ज़हीरिया**
इमाम ज़हीरूद्दीन मरग़ीनानी

४९. **मुराक़ीयुल फ़लाह शरहे नूरूल ईज़ा**
अ़ल्लामा अबुल इख़लास इब्ने अम्मार मिसरी

५०. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ६**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५१. **अहकामे शरीअ़त हिस्सा नं. १,२,३**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५२. **शरहे सग़ीर मुन्या**
इमाम इब्राहीम बिन मुहम्मद हलबी

५३. **काफ़ी शरहे वाफ़ी**
इमाम हाफ़िज़ुद्दीन नसफ़ी

५४. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ९**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५५. **ज़ख़ीरतुल उक़्बा फ़ी शरहे सदरूश्शरीआ़**
मरजेउल ओलोमा इमामे जलील अ़ल्लामा युसूफ चलपी

५६. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. १२**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५७. **मदख़ल**
इमाम मुहक़्क़िक़ इबनुल हाज मक्की

५८. **अज़्ज़ुब-दतुज़-ज़किय्या....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५९. **मुनीरूलअय़ने फी तक़बीलुल इब्हामैन**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६०. **नह्ज़ुस्सलामा फ़ी तह़लीले....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६१. **हाजेज़ुल बहरयनिल वाक़िअ...**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६२. **बहारे-शरीअ़त**
सदरूश्शरीअ़ा अल्लामा अमजद अ़ली आज़मी
६३. **फीरोज़ुल लुग़ात**
अल्हाज मोलवी फीरोज़ुद्दीन
64. **The New Royal Persian English Dictionary**
Mr. S. C. Paul, (Ph.D.)
६५. **फतावा हिन्दीया (फतावा आलमगीरी)**
तरतीब अज़ः ५०० हनफी ओ़लोमा ब हुक्मे सुलतान औरंगज़ेब
६६. **मआ़निल आसार**
इमाम अबू जाफर अहमद बिन सलामा त़हावी
६७. **बरजन्दी**
अ़ल्लामा अ़ब्दुल अ़ली ह़रवी बरजन्दी
६८. **फतावा ख़ानिया**
इमाम फखरूद्दीन अवज़जन्दी
६९. **सिराजुल वहहाज**
इमामे अजल अ़ल्लामा बरकली
७०. **मुन्यतुल मुसल्ली**
इमाम सदीदुद्दीन मोहंमद इब्ने मोहंमद काशगरी
७१. **सग़ीरी शरहे मुन्यतुल मुसल्ली**
अ़ल्लामा अब्दुल अ़ली बरजन्दी ह़रवी
७२. **मुहीत**
इमाम मुहक्क़िक़ रदीयुद्दीन सरख़सी
७३. **शरहे वक़ाया**
इमाम उबैदुल्लाह बिन मसउद महबूबी

७४. **शरहे नक़ाया**
इमाम अ़ब्दुल अ़ली बरजन्दी
७५. **शरहे दुरर व गुरर**
इमाम इस्माईल बिन अ़ब्दुल ग़नी नाबल्सी
७६. **हुदैका नदीय्या शरहे तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया**
अ़ल्लामा अब्दुल ग़नी बिन इस्माईल नाबल्सी
७७. **मिन्हतुल ख़ालिक़ हाशिया बहरूरराइक़**
अल्लामा सैयद मुहम्मद आफ़न्दी शामी
७८. **अल अश्बाह वन्नज़ाइर**
अ़ल्लामा शैख़ जैनुद्दीन नजीम मिसरी
७९. **उम्दतुल क़ारी शरहे सहीह बुख़ारी**
इमाम बदर महमूद अ़यनी हन्फी
८०. **मौजिबातुर रहमते व अज़ायमुल मग़फ़िरते**
इमाम अहमद बिन अबी बकर रवाद यमनी
८१. **जामेउल मुज़मेरात शरहे कुदूरी**
इमाम अ़ल्लामा युसूफ़ बिन उमर
८२. **ग़मज़ुल उयून वल बसाइर शरहे इश्बाह वन्नज़ाइर**
अ़ल्लामा इमाम मुहम्मद बिन अहमद हमवी
८३. **निहाया शरहे हिदाया**
इमाम हुस्सामुद्दीन सग़नाफी
८४. **किताबुत्तजनीस वल मजीद**
इमाम बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी साहिबे हिदाया
८५. **मक़ासिदे हसना**
इमाम शम्सुद्दीन सख़ावी
८६. **फतावा सुफिया**
इमाम फज़्लुल्लाह मुहम्मद सुह्रवर्दी
८७. **मुख़्तसरूल वक़ाया**
इमाम सदरूश्शरिय्या उबैदुल्लाह इब्ने मस्उद
८८. **कन्ज़ुल इबाद**
इमाम अबूल बरकात अब्दुल्लाह सअ़दी

८९. **मुन्सिफ मुतवस्सित**

अ़ल्लामा रहमतुल्लाह सिन्धी

९०. **नुज़हतुल क़ारी शरहे सहीहुल बुख़ारी**

फ़कीहुल हिन्द मुफ्ती शरीकुल हक़ अमजदी

९१. **अलमलफ़ुज़**

मुफ्ती-ए-आज़मे हिन्द मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा बरेल्वी

९२. **फतावा मुस्तफवीया**

मुफ्ती-ए-आज़मे हिन्द मौलाना मुस्तफा रज़ा बरेल्वी

"व-अम्मा-बे-नेअ्मते-रब्बेका-फ-हद्दिस"

अनुवाद : और अपने रब की नेअ्मत का खूब चर्चा करो.

"कन्जुल ईमान"

अल्हम्दो लिल्लाह !

मो'मिन की नमाज़ किताब में फिकह की आधारभूत, विश्वस्नीय तथा प्रमाणित पुस्तकों के हवालों और संदर्भो से नमाज़ के मसाइल ग्रहण किये गए हैं. संदर्भ पुस्तकों की अनुक्नमिका में प्रस्तृत नामावली इस वास्तविक्ता का निर्देश करती है कि किसी भी अविश्वस्नीय पुस्तक से कोई भी मस्अला ग्रहण नहीं किया गया.

अल्लाह तआ़ला की असीम कृपा से संदर्भ पुस्तकों की संख्या बानवे (९२) तक पहुंची है. सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के पवित्र नाम "मुहम्मद" (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) के अंक (अ़दद) भी बानवे (९२) होते हैं.

अल्लाह तआ़ला अपने प्रिय महबूब के पवित्र नाम के अंक बानवे (९२) के सदके में ९२ किताबों के संदर्भ से लिखी गई इस किताब को स्वीकृत करे और समग्र मुस्लिम संप्रदाय को लाभदायी बनायेह और मुझे इसका पुण्य अर्पण करे.

आमीन.

आशीर्वाद इच्छुक

= लेखक =

हज़रत मुफ्ती-ए-आज़मे हिन्द के ख़लीफ़ा

अ़ल्लामा मुजीब अशरफ साहब का

अभिप्राय

'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

'नहमदोहु-व-नुसल्ली-अला-रसूलेहिल-करीम'

मेरे बिरादरे-तरीक़त, अ़ल्लामा अल्हाज अ़ब्दुस्सत्तार हमदानी (बरकाती, रज़वी, नूरी) जो गुजरात के मशहूर शहर पोरबंदर के रहनेवाले और मुर्शिदे-बरहक़ हुज़ूर सैयेदी सरकार मुफ़्ती-ए-आज़मे-आलम, अश्शैख़, मुस्तफा रज़ा किबला अ़लैहे रहमतुंव-वर-रिदवान के ख़ास मुरीदों में से हैं. जनाब हम्दानी साहब अहले-ज़माना की सितम ज़रीफियों का शिकार होकर आजकल 'क़ैदो-बन्द' की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. या यूं कहिए कि अमीनुल उम्मत, सैयदुना इमामे-आज़म अबू हनीफा, मुजद्दिदे-मिल्लत सैयदुना इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमामे-रब्बानी सैयदुना शैख़ अहमद फारुक़ी मुजद्दिद अल्फ़े-सानी और इमामुल ओ़लोमा सैयदुना यूसुफ नबहानी वग़ैरहुम अस्लाफ़े-किराम रिदवानुल्लाहे तआ़ला अलैहिम अजमईन की सुन्नत का इनको सदक़ा अता हुआ है. इसी सुन्नत की ये बरकत है कि हम्दानी साहब क़ैदो-बन्द की कर्बनाक हालत में भी दीन, सुन्नीयत और मस्लको-मज़हब की ख़िदमत में शबो-रोज़ मसरूफ हैं और अल्लाह तआला इनसे वो ख़िदमत ले रहा है, जो आज़ादी में लोग नहीं कर पाते. 'ज़ालेका फ़दलुल्लाहे-युअ्तिहे-मंय-यशाओ'. आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेलवी का ये शे'र हम्दानी साहब के हस्बे-हाल है :-

'मनम-व-कन्ज-ख़मूली-के-न-गन्दज-दर-वे
ज़ुज़-मन-व-चंद-किताबे-व-दवातो-क़लमे'

हम्दानी साहब का जेल में रहेना अपने अज़ीज़ो-अकरबा और अहलो-अ़याल से दूरी का सबब ज़रूर है, मगर मेरा वजदान ये कहता है कि यही दूरी और यही मजबूरी अल्लाहो-रसूल की बारगाह से कुर्बतो-नज़दीकी का एक मुकद्दस ज़रीआ है. कुरआने मजीद का इरशाद है कि. 'और क़रीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बहेतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते' (कन्जुल-ईमान, पारा-२, सुर-ए-बक़र, आयत नं. २१६) मौसूफ ने अपनी आज़ादी के ज़माने में दीनो-मसलक की जो ज़ुबानी और क़लमी ख़िदमात अंजाम दी हैं, वो आपकी ज़िंदगी का अज़ीम कारनामा है. पूरी क़ौम पर आपका मिल्ली एहसान है. मगर क़ैदो-बन्द की कर्बनाक जिंदगी और ना-मानूस माहौलो-फ़िज़ा में जहां क़लबी हैजान और ज़हनी इन्तेशार नागुज़ीर है, एसे आलम में तस्नीफो-तालीफ का एक इल्मी ज़ख़ीरा तैयार कर लेना महज़ फज़ले-रब्बानी और बुर्ज़ुगों की ग़ैबी नवाज़िशात का नतीजा है और ये इल्मी ज़खीरा इन्शाअल्लाह तआ़ला मौसूफ के लिये ज़खीरा-ए-आख़ेरत साबित होगा.

हमदानी साब ने जेल में रहेकर सिर्फ दो (२) साल के क़लील अर्से में कइ उलूमो-फुनून पर, कई ज़ख़ीम मुजल्लिदात की शक्ल में इल्मी सरमाया क़ौम के हवाले फरमाया है. जिसमें 'इरफाने-रज़ा दर मदहे मुस्तफा', दो ज़ख़ीम जिल्दों में और 'सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब' तारीखे़ इस्लाम दो (२) ज़ख़ीम जिल्दों में आपकी तहरीरी काविशों का क़ीमती सरमाया अहेले-इल्म के हाथों में मौजूद है. इसी में से एक कल्मी काविश का नतीजा बनाम 'मो'मिन की नमाज़' इस वक़्त आपके हाथों में मौजूद है. इसको पढिये और खुद फैसला कीजिये कि हम्दानी साहब ने नमाज़ जैसे उन्वान (विषय) को तहरीरो-तफहीम के ए'तबार से कितना दिलकश और मुफीद बना दिया है. जिद्दत तराज़ी

(अनोखापन) हम्दानी साब का ख़ास वस्फ है, जो उनकी हर तहेरीर में नुमायां होता है.

ज़ैरे-मुतालेआ़ किताब 'मो'मिन की नमाज़' में भी हम्दानी साहब का ये रंग पूरी तरह पाया जाता है. नमाज़ के मसाइल की तफहीम में जो तरीक़ा आपने इख़्तियार किया है, वो आ़म लोगों के लिये इन्तेहाई मुफीद और सहलुल हुसूल है. ख़ास तौर पर ह्व फराइज़ ह्व वाजेबात ह्व सुनन ह्वमुस्तहब्बात ह्व मोहरिमात ह्व मकरुहात ह्व मुबाहात वग़ैरह की फेहरिस्त मौक़ा व महल की मुनासिबत से जो पेश फरमाई है, यूंही ह्व नमाज़ के अवक़ात ह्व तुलूअ़ ह्व गुरुब ह्व ज़वाल ह्व निस्फुन्नहार शरई ह्वनिस्फुन्नहार हक़ीक़ी ह्व मिस्ले-अव्वल ह्व मिस्ले-दोम और ह्व साया-ए-असली वग़ैरह की शनाख़्त के लिये जो नक़्शे (Maps) पेश फरमाए हैं, वो आम लोगों के लिये बड़े ही कार आमद हैं.

नमाज़ फरीज़-ए-इलाहिया है. नमाज़ सैयदे आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अ़लैहे व आलेहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है. नमाज़ अदा-ए-महबूबे-रब्बुल आलमीन का नाम है. नमाज़ मो'मिन की अहम ज़िम्मदारियों में से है. नमाज़ बरकतों का ख़ज़ाना है. नमाज़ परेशानियों को दूर करने का रुहानी ज़रीआ़ है. नमाज़ तमानियते-क़ल्ब का नुस्ख़-ए-कीमिया है. नमाज़ बुराइयों से बचा कर नेकियों से हम किनार करने का मज़बूत वसीला है. नमाज़ ईमान की जिला और रुह की ग़िज़ा है. नमाज़ कब्र में रफीक है. नमाज़ हश्र में मो'मिन का नूर है. ग़र्ज़ कि नमाज़ मजमूअ-ए-हसनातो-बरकात है. नमाज़ दीनी, दुनयवी और उख़रवी भलाइयों का वसीला है. जो लोग नमाज़ के हुक़ूक की रिआ़यत करते हुए नमाज़ को अदा करते हैं, वो दुनिया व आख़ेरत में कामयाबो-कामराँ हैं. यही वो लोग हैं, जो अपने रब से क़रीब हैं. यही कुर्बत (नज़दीकी) मो'मिन को मे'राज का शरफ अता करती है. 'अस्सलातो मे'राजुल-मो-मेनीन' ये नमाज़ मोमिन के लिये बारगाहे-ख़ुदावन्दी का एक क़ीमती तोहफा है. जो सैयदे-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अ़लैहे वसल्लम की मे'राजे-

मुकद्दस के तुफैल मुसलमानों को अ़ता किया गया है. काश ! अगर मो'मिन इस अ़ज़ीम तोहफ-ए-रब्बानी की दिलो-जान से क़द्र करते और नमाज़ की अदायगी में पूरी-पूरी कोशिश करते, तो आज बदहाली, ज़िल्लत और रुसवाई का मुँह न देखते.

रब्बुल आ़लमीन अपने हबीब-पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहो तआ़ला अ़लैहे व आलेहि वसल्लम के सदके़ व तुफैल में कौमे-मुस्लिम को हिदायते-कामिला की रविश पर चलने की तौफीके़-रफीक़ अ़ता फरमाए. आमीन.

इस किताब 'मो'मिन की नमाज़' को पढ़ने के बाद हम्दानी साहब की फिक़ही बसी़रत का भी अंदाज़ा होता है. मसाइल के जमअ़ और तरतीब में जनाब हम्दानी साहब ने जो कोशिश की है, उस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही बाब (प्रकरण) के मसाइल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. फिक़ह की किताबों में सारे मसाइल एक ही बाब में आपको दस्तयाब (उपलब्ध) न होंगे, बल्कि एक बाब के मसाइल अपने उन्वान (विषय) के तहत (नीचे) बयान करने के बजाए दूसरे बाब की मुनासेबत से वहां बयान कर दिये जाते हैं. जैसे 'सजदा-ए-सह्व' के बाब में बहुत से जुज़यात वाजेबात के बाब में मज़कूर (वर्णन) हुए हैं. बहुत से मुस्तहब्बात सुन्नते-मोअक्कदा या सुन्नते-गै़र मोअक्कदा के ज़िम्न में (अनुसंधान में) आ गए हैं.

हम्दानी साहब ने ये कोशिश की है कि एक बाब के तमाम जुज़इयात को दूसरे अबवाब से छांट कर उसी बाब में दर्ज कर दिया जाए, जिस बाब का वो जुज़इया है. इस तरकीब (पद्धति) से मसाइल की तलाश में बड़ी आसानी हो गई है. ग़रज़ कि ये किताब मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में इफादियत (लाभ ग्रहण) के एतबार से एक मुन्फरिद (अद्वितीय) तालीफ (संपादन) है.

रब्बे-क़रीम हम्दानी साहब की इस मुक़द्दस काविश (प्रयत्न) को शरफे-कुबूलियत से नवाजे़ और मुसलमानों को इस से फायदा पहुँचाने के अस्बाब

पैदा फरमा कर इस किताब को मक़बूले-आ़म बनाए और जनाब हम्दानी साहब को दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद (ईर्ष्या) और शरीरों के शर से महेफूज़ और मामून फरमाए.

आमीन. सुम्मा आमीन. ब जाहि-नबीय्यील-करीम-अलैहेत्तहय्यतो-वत-तसलीम.

फक़्त

गदा-ए-बारगाहे-रज़ा-व-नूरी

मुहम्मद मुजीब अशरफ रज़वी

(गोफेरा-लहू)

स्थापक तथा संचालक

अल-जामेअ़तुल रज़वीया

दारूल उलूम अमजदीया - नागपूर

दिनाँक १० रबीउल आख़िर शरीफ सन् १४२० हिजरी

२४ जुलाई सन् १९९९ ई. रोजे़ शम्बा (सनीचर)

नज़ील (आगमनित) पोरबंदर (गुजरात)

प्रस्तावना (मुक़द्दमा)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

'नहमदोहू-व-नुसल्ली-अला-रसूलेहिल-करीम'

अल्लाहो-रब्बो मुहम्मदिन सल्ला अलैहे वसल्लमा

नहनो-इबादो मुहम्मदिन सल्ला अलैहे वसल्लमा

नमाज़ इस्लाम का महत्वपूर्ण रुक्न है. नमाज़ सब इबादतों से अफज़ल है. नमाज़ मे'राज का तोहफा है. नमाज़ हर बुराई से रोकती है. नमाज़ मो'मिन की मे'राज है. बल्कि ईमान के बाद पहली शरीअ़त नमाज़ है. 'हुज़ूरे अक़दस, सय्यदे आ़लम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर पहली मरतबा जिस वक़्त 'वही' उतरी और नबूव्वते करीमा ज़ाहिर हुई, उसी वक़्त हुज़ूर ने बः ता'लीमे जिब्रीले अमीन अ़लैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज़ पढ़ी और उसी दिन बः ता'लीमे अक़दस हज़रत उम्मुल मोअ़मेनीन ख़दीजतुल कुबरा रदीअल्लाहो अ़न्हा ने पढ़ी. दूसरे दिन अमीरुल मो'मिनीन अ़ली मुरतज़ा करमल्लाहो वजहु ने हुज़ूर के साथ पढ़ी, कि अभी सूरए 'मुज़ूज़म्मिल' भी नाज़िल न हुई थी, तो ईमान के बाद पहली शरीअ़त नमाज़ है. (फतावा रज़वीया, जिल्द-२, सफहा २८०)

नमाज़ पढने से बेशुमार फज़ीलत हासिल होती है, जिसका शुमार हम से ना-मुम्किन है. हदीस की किताबों में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत इत्नी तफसील से बयान फरमाई गई है कि अगर सिर्फ उन फज़ाइल ही का वर्णन किया जाए तो एक अलग किताब तैयार हो जाए. अब सवाल ये है कि नमाज़ की फज़ीलत कब हासिल होगी ? जवाब साफ है कि नमाज़ को सहीह तरीक़े से अदा करने से. अगर नमाज़ के लवाज़िमात (नियमों) का लिहाज़ नहीं किया गया और अधूरी नमाज़ पढी गई, तो नमाज़ पढने की फज़ीलत हासिल नहीं होगी. लैकिन

अफसोस कि बहुत से मो'मिन भाई नमाज़ के मसाइल से नावाक़िफ (अजाण) होने के कारण नमाज़ के अरकान (काम) सहीह तौर से अदा नहीं करते, नतीजा ये होता है कि उनकी नमाज़ नाक़िस (अधूरी) रहेती है, बल्कि कुछ सूरतों में तो उनकी नमाज़ फासिद (टूट जाना) हो जाती है. ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ की फज़ीलत से महरुम (वंचित) रहेता है.

मो'मिन भी नमाज़ पढ़ता है और मुनाफिक़ भी नमाज़ पढ़ता है, लैकिन मो'मिन की नमाज़ और मुनाफिक की नमाज़ में ज़मीन आसमान से भी ज़ियादा फर्क़ होता है. कुरआने मजीद में मो'मिन और मुनाफिक़ दोनों की नमाज़ का ज़िक्र फरमाया गया है.

⁕ मो'मिन की नमाज़ का कुरआने मजीद में ईस तरह वर्णन है कि,

"قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ"

'क़द-अफलह-मोअमेनूनल-लज़ीना-हुम-फी सलातेहिम-ख़ाशिउन'

(पारा-१८, रुकूअ-१, सुरए मो'मेनून, आयत नं. १,२)

:: अनुवाद ::

'बेशक ! मुराद को पुंहचे ईमानवाले जो अपनी नमाज़ में गिडगिडाते हैं.' (कन्ज़ुल ईमान)

:: तफसीर ::

'या'नी इनके दिलों में ख़ुदा का ख़ौफ होता है और इनके आ़ज़ा (अंग) साकिन होते हैं. बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नमाज़ में ख़ुशूअ़ ये है कि उस में दिल लगा हो और दुनिया से तवज्जोह हटी हुई हो और नज़र जा-ए-नमाज़ से बाहर न जाए और गोश-ए-चश्म से किसी तरफ न देखे और कोई अ़बस

काम न करे और कोई कपडा शानों पर न लटकाए. इस तरह कि उसके दोनों किनारे लटके हों और आपस में मिले न हों. और ऊंगलियां न चटखाए और इस क़िस्म की हरकत से बाज़ रहे. बा'ज़ ने फरमाया कि ख़ुशूअ़ ये है कि आसमान की तरफ नज़र न उठाए.'

(तफसीर खज़ाइनुल इरफान, सफहा नं. ६१५)

उपरोक्त आयत की तफ्सीर में नमाज़ को सहीह तरीके से अदा करने और नमाज़ में व्यर्थ हरकतों से दूर रहने की ताकीद फरमाई गई है. और मो'मिन की शान ये बयान फरमाई गई है कि मो'मिन जब नमाज़ पढ़ता है तब खुशूअ और खुजूअ (एकाग्रता) से नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ में किसी प्रकारकी अयोग्य हरकत नहीं करता बल्कि अपने अंगों को साकिन (स्थिर) रखकर कामिल तौर पर नमाज़ पढ़ता है.

द्ध मुनाफिक की नमाज़ का कुरआने-मजीद में इस तरह वर्णन है कि,

"فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡن ۝ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۝ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ"

-: लिपियांतर :-

'फ-वयलुल-लिल-मुसल्लीनल-लज़ीना-हुम-अ़न-सलातिहिम-साहूनल-लज़ीना-हुम-युराउना'

(हवाला, संदर्भ)

पारा-३०, रुकुअ-३२, सूरा-ए-अल माउन, आयत नं. ४,५,६

:: अनुवाद ::

'तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं, वो जो दिखावा करते हैं' (कन्ज़ुल ईमान)

:: तफ़सीर ::

'मुराद इससे मुनाफ़ेक़ीन हैं, जो तन्हाई में नमाज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इस के मो'तक़िद नहीं, और लोगों के सामने नमाज़ी बनते हैं और अपने को नमाज़ी

ज़ाहिर करते हैं और दिखाने के लिये उठ बैठ लेते हैं और हक़ीक़त में नमाज़ से ग़ाफ़िल हैं.'(तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान' सफहा नं. १०८४)

नमाज़ को सहीह तरीके से अदा करने की हदीसों में बहुत ताकीद की गई है. उन में से कुछ हदीसें वाचक वर्ग (कारेईन) की सेवा (ख़िदमत) में प्रस्तुत हैं.

हदीस

'इमाम अहमद ब:अस्नाद हसन व अबू या'ला रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो तआ़ला अ़न्हो कहते हैं कि मेरे ख़लील सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लमने नमाज़ में तीन (३) बातों से मना फ़रमाया, (१) मुर्ग़ की तरह ठोंग मारने से (२) कुत्ते की तरह बैठने से और (३) लोमड़ी की तरह इधर उधर देखने से'

हदीस

'बुखारी ने तारीख़ में और इब्ने हुज़यमा वग़ैरह ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद और हज़रत अ़म्र बिन आ़स और हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान और हज़रत शुरहबील बिन हसना रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुम अजमईन से रिवायत फ़रमाई है कि;

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते मुलाहिज़ा फ़रमाया कि रुकुअ और सुजूद पुरा नहीं करता और सजदा में ठोंग मारता है. हुक्म फ़रमाया कि पूरा रुकूअ़ करे और इरशाद फ़रामया कि अगर ये इसी हालत में मरा, तो मिल्लते मुहम्मद सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा. फिर इरशाद फ़रमाया कि 'जो रुकूअ पूरा नहीं करता और सजदा में ठोंग मारता है उसकी मिसाल उसी भूखे की है कि एक-दो खजूर खा लेता है, जो कुछ काम नहीं देती.'

हदीस

'इमाम अहमद हज़रत अबू क़तादा रदीयल्लाहो तआ़ला अ़न्हो से रावी हैं कि हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने फ़रमाया; 'सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज़ से चुराता है.' सहाबा-ए-किराम रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुम ने अ़र्ज़ की, या रसूलल्लाह ! नमाज़ से कैसे चुराता है ? 'फरमाया कि रुकुअ और सुजूद पूरा नहीं करता.'

हदीस

'इमाम मालिक और इमाम अहमद ने हज़रत नो'मान बिन मुर्रा रदीयल्लाहो अन्हो से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने हुदूद नाज़िल होने से पहले (या'नी सज़ाएं मुक़र्रर होने से पहले) सहाबा-ए-किराम से फ़रमाया कि शराबी और ज़ानी (व्याभिचारी) और चोर के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है ? सब ने अ़र्ज़ की अल्लाह व रसूल ख़ूब जानते हैं ? फ़रमाया ये बहुत बुरी बाते हैं और इनमें सज़ा है. और सबसे बुरी चोरी वो है कि आदमी अपनी नमाज़ से चुराए. अ़र्ज़ की, या रसूलुल्लाह ! नमाज़ से कैसे चुराएगा ? फ़रमाया, ''यूँ कि रुकूअ और सुजूद पुरा न करे.''

हदीस

'सहीह बुख़ारी में हज़रत शफ़ीक़ से मरवी है कि हज़रत हुज़यफ़ा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो ने एक शख़्स को देखा कि रुकूअ और सुजूद पूरा नहीं करता. जब उसने नमाज़ पढ ली तो बुलाया और कहा तेरी नमाज़ न हुई. रावी कहते हैं कि मेरा ये गुमान है कि ये भी कहा कि अगर तू मरा तो फ़ित्रते मुहम्मद सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा.'

हदीस

'इमाम अहमद ने हज़रत मुत्लक बिन अ़ली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ तवज्जोह नहीं फ़रमाता जिसमें रुकूअ और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे.

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी ब: अस्नाद हसन रिवायत करते हैं कि हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने हज़रत अनस बिन मालिक रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से फरमाया, 'ए लडके ! नमाज़ में इल्तेफ़ात (इधर-उधर देखने) से बच, कि नमाज़ में इल्तेफ़ात हलाकत(विनाश)है.'

हदीस

'बुख़ारी, अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा हज़रत अनस बिन मालिक रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि 'क्या हाल है उन लोगों का जो आसमान की तरफ़ आंखें उठाते हैं. इससे बाज़ आएं या उनकी आंखें उचक ली जाएंगीं.'

हदीस

'दारमी हज़रत का'ब बिन अ़ज्रह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्होसे रावी कि हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम अपने रब्बे जल्ला व अला से रिवायत फ़रमाते हैं, वो इरशाद फ़रमाता है कि;

'जो नमाज़ को उसके वक़्त में ठीक-ठीक अदा करे, उसके लिए मुझ पर अ़हद (वचन) है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाऊं और जो वक़्त में न पढे और ठीक अदा न करे उसके लिये मेरे पास कोई अ़हद नहीं. चाहूं तो उसे जन्नत में ले जाऊं और चाहूं तो दोज़ख में ले जाऊं.

(ब-हवाला : फ़तावा रज़वीया, जिल्द - २, सफ़ा - ३१४)

हमारे बहुत से मो'मिन भाई पाबन्दी से नमाज़ तो पढ़ते हैं लैकिन नमाज़ के मसाइल से बिल्कुल वाक़फ़ीयत नहीं रखते. नमाज़ के शराइत, फ़राइज़, वाजेबात, सुनन और मुस्तहब्बात क्या हैं ? किन बातों से नमाज़ फ़ासिद होती है ? सजद-ए-सह्व करना कब लाज़मी है ? नमाज़ किन बातों से मकरुहे - तहरीमी वाजेबुल - एआदा होती है ? विविध ज़रूरी मसाइल और आवश्यक अहेकाम से बिल्कुल ग़ाफ़िल और बे-ख़बर होते हैं और अपने तौर-त़रीके से नाक़िस (अधूरी) नमाज़ पढते हैं. कुछ लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, तब जल्दी-जल्दी में रुकूअ और सुजूद इस त़रह करते हैं कि नमाज़ के अरकान ही अदा नहीं होते, लैकिन वो अपनी इस कमी की तरफ़ मुत्लक़ तवज्जोह नहीं देते और इस वह्म और गुमान में होते हैं कि हम नमाज़ सहीह पढ़ते हैं और हम को नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत हासिल होगी, लैकिन ह़क़ीक़त ये है कि इस त़रह पढ़ी जानेवाली नमाज़ नाक़िस, अधूरी और ना-क़ाबिले तवज्जोह है. इस त़रह पढी़ जानेवाली नमाज़ से कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं होती. लिहाज़ा, हम पर लाज़िम है कि हम सहीह त़रीक़े से नमाज़ अदा करें और नमाज़ सहीह त़रीक़े से तब ही अदा की जा सकेगी, जब कि नमाज़ के मसाइल की जानकारी होगी.

बहुत से ऐसे नमाज़ी भाईयों को भी देखा गया है कि वो सिर्फ़ नमाज़ की फ़ज़ीलत की त़रफ़ ही ध्यान देते हैं और नमाज़ के मसाइल की त़रफ़ ज़रा भी तवज्जोह नहीं देते, बल्कि बिल्कुल ग़लत तरीक़से नमाज़ पढते हैं और फ़ज़ीलत हासिल होने के आशावादी होते हैं. जब इन लोगों से नम्रतापूर्वक कहा जाता है

कि जनाबे-आ़ली ! इस त़रह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ अदा होती ही नहीं, तब वो लापरवाही से उड़ाउ जवाब देते हैं कि; 'हम फ़ज़ाइल वाले हैं, मसाइल वाले नहीं हैं. हमको नमाज़ की फ़ज़ीलत से मतलब है, मसाइल से कोई काम और मक़सद नहीं.' इस त़रह़ के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना जवाब देकर नमाज़ के मसाइल की जानकारी हासिल करने से जान-बूज़कर मुँह मोड़ते हैं.

बेशक ! हम इस बात को दिलो-जान से स्वीकार करते हैं कि नमाज़ पढ़ने से बेशुमार फ़ज़ीलतें हासिल होती हैं, लैकिन वो फ़ज़ाइल तब ही हासिल हो सकते हैं, जबकि नमाज़ के मसाइल की रिआ़यत और लिहाज़ करके नमाज़ के तमाम अरकान सहीह तौ़र पर अदा किये जाअें. मसाइल से मुँह मोड़ कर सिर्फ़, 'फ़ज़ाइल-फज़ाइल' की रट लगाना बेसूद और व्यर्थ है. फ़ज़ाइल की प्राप्ति का समग्र आधार मसाइल की अदायगी पर है. ज़रूरी और लाज़मी बातों को छोड़ कर सिर्फ़ मुस्तहब्बात पर अमल करके फ़ज़ीलत और सवाब हासिल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. मिसाल के तौ़र पर नमाज़ में 'अमामा' बांधने से बेशुमार सवाब मिलता है और बहुत ही फ़ज़ीलत हासिल होती है. हदीस शरीफ में है कि 'अ़मामा के साथ पढी गई नमाज़ की दो (२) रक्अ़तें बग़ैर अ़मामा के पढी गई सत्तर (७०) रक्अतों से अफ़ज़ल हैं.' अब अगर कोई शख़्स नमाज़ की फज़ीलत हासिल करने के लिये 'अ़मामा शरीफ' तो सर पर बांधे, लैकिन पाजामा या लुंगी के बजाए ऐसी हाफ़ पेन्ट या'नी चड्डी पहने कि उसके दोनों घुटने नज़र आते हों, तो उस शख़्स को नमाज़ में अ़मामा शरीफ़ बाँधने की कुछ भी फ़ज़ीलत हासिल नहीं होगी, क्योंकि पांव के दोनों घुटने शरअ़न 'औरत' हैं या'नी शरीर का वो अंग हैं जीनको छुपाना नमाज़की शर्तों से है. जिसके दोनों घुटने खुले हुए हों उसकी नमाज़ ही नहीं होगी. तो सिरे से ही जो नमाज़ होगी ही नहीं, नमाज़ की फज़ीलत हासिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. शरीर के नीचे के अंग को खुला रखने की ग़लती करने के साथ आप सर पर 'अमामा शरीफ़' बांधना कुछ भी फायदेमंद नहीं है.

ये बात अच्छी तरह दिमाग़ में सुरक्षित रखें कि मसाइल की अदायगी के बग़ैर फ़ज़ाइल का हासिल होना ना-मुम्किन है. सिर्फ़ फ़ज़ाइल के पीछे दौड़ना और मसाइल की परवाह न करना ये किसी अक्लमंद का काम नहीं है, लैकिन बड़े दुःख की बात है कि वर्तमान युग में एक ऐसी हवा चली है कि लोग सिर्फ़ फ़ज़ाइल पर ही नज़र रखते हैं और फ़ज़ाइल का जिन पर दारो-मदार है, उनको बिल्कुल अहमियत नहीं देते बल्कि तवज्जोह देने तक की भी ज़रूरत नहीं समज़ते.

लिहाज़ा हमने इस किताब में नमाज़ के सिर्फ़ मसाइल ही बयान करना मुख्य ध्यैय बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल ही बयान करने का प्रयत्न किया है. नमाज़ के फ़ज़ाइल पर आधारित किताबें तो मार्केट में काफ़ी ता'दाद में मिलती हैं, लिहाज़ा उन फ़ज़ाइल का इस किताब में एआदा (पुनरावर्तन) न करते हुए, नमाज़ के अरकान और उससे सम्बन्धित मसाइल विस्तार पूर्वक बयान कर दिये हैं, ताकि हमारे मो'मिन भाई नमाज़ के ज़रूरी और लाज़मी मसाइल का इल्म हासिल करें और उन मसाइल पर अ़मल करें और नमाज़ के तमाम अरकान सहीह त़रीक़े से अदा करके अपनी नमाज़ को वास्तव में 'मो'मिन की नमाज़' बनाकर नमाज़ जैसी महत्वपूर्ण इबादत अदा करने के साथ-साथ नमाज़ की बेशुमार फ़ज़ीलतें और बरकतें हासिल करें.

एक ज़रुरी बात हंमेशा याद रखें कि हर शख़्स अपने गुमान में अपनी नमाज़ को सहीह तौर पर और ठीक अदा करता है लैकिन कया वाकई (सचमुच) उसकी नमाज़ सहीह त़ौर पर और ठीक अदा होती है ? इसका फैसला इस किताब के मुतालेआ (वाचन) के बाद हर शख़्स अपने त़ौर पर या'नी शरीअ़त के क़ानून के तराज़ु (कांटे) में अपनी नमाज़ को तौल कर कर ले.

इमामे अजल, हादी-ए-मिल्लत, शैख़ुल इस्लाम और हुज्जतुल इस्लाम, अबू हामिद, हज़रत मुहम्मद बिन मुहम्मद तूसी इमाम ग़ज़ाली रदीय्यल्लाहो

तआ़ला अन्हो ने एक अजीब मिसाल पैश फ़रमा कर हमें ग़फ़लत की नींद से जगाने की कोशिश फरमाई है.

'हज़रत अ़ता सल्मी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अ़न्हो ने एक कपड़ा निहायत ही अच्छा बुनकर तैयार किया. बड़ा ही सुन्दर और आकर्षक कपड़ा तैयार हुआ. आप उस कपड़े को लेकर फ़रोख़्त करने के लिये बाज़ार में आए और एक बज़ाज़ या'नी कपड़े के व्यापारी के पास गए और अपना तैयार किया हुआ कपड़ा उसे दिखाया. बज़ाज़ ने कपड़ा देखने के बाद कपड़े की कीमत बहुत ही कम बताई और कहा कि इस कपड़े में फ़लाँ फ़लाँ नुक़्स (क्षति) हैं. लिहाज़ा इस कपड़े के दाम पूरे नहीं मिल सकते. हज़रत अ़ता सल्मी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्होने बज़ाज़ से अपना कपड़ा वापस ले लिया और रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए. बज़ाज़ को आपके इस क़दर ज़्यादा रोने पर निदामत (शर्म) हुई और वो मा'ज़िरत(दिलगीरी) ज़ाहिर करने लगा और कपड़े की मुँह मांगी क़ीमत देने पर रज़ामन्द हो गया.

इस पर हज़रत अ़ता सल्मी ने बज़ाज़ से फरमाया कि मैं कपड़े की क़ीमत कम तय (**Fixed**) होने पर नहीं रोता बल्कि मेरे रोने की वजह ये है कि मैं कपड़ा बुनने का हुनर जानता हूँ और इस कपड़े की मज़बूती, दुरूस्ती और ख़ूबसूरती में बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी दानिस्त में इस कपड़े में कोई ऐब न था, लैकिन ये कपड़ा जब माहिर के सामने पैश किया गया तो उसने कपड़े के कई उन ऐबों और ख़ामियों को ज़ाहिर कर दिया जिन से मैं बे-ख़बर था. फिर हमारे उन आ'माल का क्या हाल होगा जब वो कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक-व-तआला के हुज़ूर पेश किये जाऐंगे ? मालूम नहीं हमारे उन आ'माल में कित्ने उयूब और नूक़सान ज़ाहिर होंगे जिन से आज हम बे-ख़बर हैं.'

(संदर्भ : 'मिन्हाजुल-आबिदीन', उर्दू अनुवाद, सफ़्हा नं. २८७)

प्यारे भाईयो ! मज़्कूरा (वर्णनीय) वाकेआ पर गहेरी सोच और फिक्र करें और तन्हाई में सुकून से बैठकर सोचिये कि हमारे गुमान में हमारे जिन अमलों को हम सहीह और दुरूस्त समज़ रहे हैं, उन में ऐब और नुक़्श का ईम्कान मुम्किन है. लिहाज़ा हम पूरी कोशिश करें कि नमाज़ के ज़रूरी मसाइल की जानकारी हासिल करें और उस जानकारी के ज़रीए हम अपनी नमाज़ें सहीह और ठीक अदा करें. नमाज़ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को ठीक-ठीक अदा करना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमें बरकतों के ख़ज़ाने और फ़ज़ीलतों के तोहफें हासिल हों और हमें दुनिया व आख़िरत में काम्याबी और कामरानी हासिल हो.

अल्लाह तआ़ला अपने महबूबे-अकरम, साहिबे-मे'राज सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के सदके़ और तुफ़ैल में हर सुन्नी मो'मिन को हमेंशा 'ईमान' की सलामती और दुरुस्ती के साथ पाबन्दी से सहीह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीके़-रफ़ीक अ़ता फरमाए. आमीन.

:: तालिबे दुआ ::

ख़ानकाहे-बरकातिया, मारेहरा मुक़द्दसा और ख़ानकाहे-रज़्वीया,

बरैली शरीफ़का अदना भिखारी

अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मसरुफ'

पोरबंदरी, बरकाती, रज़्वी, नूरी

बंदीवान : ख़ास जेल, पोरबंदर (गुजरात)

मुश्किल अलफ़ाज़ और ईस्तेलाहात के मा'ना
(Meaning)

१.	इरतिकाब	अमल करना, जुर्म करना, काम करना Perpetration
२.	एआ़दा	लौटाना, दोहराना, बार-बार करना, फेर कर लौटाना, Repetation
३.	इन्हेराफ	फिर जाना, मुकर जाना, घूम जाना Deflection
४.	ए'राज़	मुंह फेरना, रू-गरदानी, Aversion
५.	अहवत	एहतियात के तौर पर, ख़बरदारी से, Scrupulous
६.	असहह	दुरूस्त तरीन, ज़ियादा सहीह, विशेष सत्य Quite Correct
७.	अश्ग़ाल	काम, मश्ग़ले, कार्य, प्रवृत्ति Occupation
८.	इज़्देहाम	भीड़, मजमअ़, अम्बोह Concoures, Crowd
९.	इक़्तेदा	पैरवी करना, अनुकरण करना, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना, Imitator
१०.	इत्तेसाल	मिला हुआ होना, लगातार होना, संलग्न, नज़्दीकी, Contiguity
११.	इल्तेफ़ात	तवज्जोह करना, लक्ष देना, ध्यान करना, रग़बत Attention
१२.	इस्तेलाहात	मुरादी अर्थ, किसी शब्द के प्रचलित अर्थ के इलावा कोई ख़ास मफ़हूम मुक़र्रर करना
१३.	इख़्तिसार	कमी, कोताही, छोटापन, खुलासा, Abridgment

१४.	उचक लेजाना	उडा ले जाना, छीन लेना
१५.	अकद	ज़ियादा ताकीद किया हुआ, ज़ियादा इसरार या तकाज़ा किया हुआ
१६.	अल्ज़म	ज़ियादा ज़रूरी, ज़ियादा मिला हुआ, बहुत ही लाज़िम, ज़ियादा वाबस्ता
१७.	अरजह	ज़ियादा बेहतर, अति उत्तम, ज़ियादा ग़ालिब, ज़ियादा पसन्दीदा, विशेष प्रिय
१८.	अक़वा	ज़ियादा मज़बूत, ज़ियादा ज़ोरआवर, विशेष शक्तिशाळी
१९.	अकमल	बड़ा कामिल, निहायत माहिरे-फन, निपूर्ण Entire, Very Complete
२०.	बक़ा	बाक़ी रहेना, ज़िन्दा रहेना, हमेशगी, अस्तित्व Everlasting
२१.	बिना	जड़, बुनियाद, अस्ल, बाइस, सबब, Foundation, Base
२२.	बरअक्स	उलटा, ख़िलाफ, मुख़्तलिफ, विरोधी Contrary, Nevertheless
२३.	बरीयुज़्ज़िम्मा	ज़िम्मेदारी से छुटा हुआ, जवाब देने से मुक्त Acquitted
२४.	बअ्दीया	बाद वाला, पिछला, बाद में होने वाला Posterior
२५.	पै दर पै	एक के बाद एक, लगातार, सिलसिलावार Succcessively
२६.	तस्हीह	सहीह करना, दुरूस्त करना, सुधारना Correction, Rectification
२७.	तस्बीहात	तस्बीह का बहुवचन (तस्बीह की जमा) सुब्हानल्लाह कहना, तस्बीह करना
२८.	तरतीब	दर्जा-ब-दर्जा रखना, ठिकाने से रखना, तरीक़ा, ढंग

२९.	तकरार करना	बार-बार कहना, दोहराना Repeatation
३०.	तकबीराते-इन्तेक़ाल	नमाज़ में एक हालत से दूसरी हालत में जाने के लिये अल्लाहो अकबर कहना
३१.	तअम्मुल	देर करना, विलम्ब करना, सोच विचार करना, वक़्फा, Delay in Decision
३२.	ताबेअ्	मातेहत, आधारित, फरमाबरदार, आज्ञाकारी Obedient, Dependent
३३.	तआरुज़	एक दूसरे के मुक़ाबिल, आपसे में विरोध Oppose
३४.	तस्मीयह	"बिस्मिल्लाह-हिर्रहमा-निर्रहीम" कहना
३५.	तअव्वुज़	"अउज़ो-बिल्लाहे-मिनश्शयतार्निरजीम" कहना
३६.	तशहहुद	"अत्तहिय्यात" पढ़ना
३७.	बईद	दूर, फ़ासला पर, अलग, अंतर पर Remote, Distance
३८.	तलफ्फुज़	शब्द का मुंह से निकालना, लेहजा, पठन Pronounciation
३९.	तअय्युन	मुक़र्रर करना, मख़सूस करना, नियुक्त करना Appointment, Fixing
४०.	ता'दीले-अरकान	नमाज़ के अरकान को आहिस्ता आहिस्ता ठीक तौर से अदा करना
४१.	ठोंग मारना	चोंच मारना, पक्षी की तरह चोंच मारना
४२.	तरजीह	फौकियत, बरतरी, अग्रता, फज़ीलत, Preference
४३.	सक़्लेसमाअत	बहेरापन, उंचा सुनने की बीमारी, Deafness
४४.	जब्रन	ज़बरदस्ती, मजबूर करके, स्रूह्ष्ढ्ढ्द्यत
४५.	जहरी	वो नमाज़ जिसमें ऊंची/बुलन्द आवाज़ से क़िरअ़त की जाए

४६.	जलसा	दोनों सजदों के दरमियान बैठना
४७.	जहत	सम्त, दिशा, तरफ, प्रति, जानिब, सबब Side, Direction
४८.	हुरमत	इज़्ज़त, आबरू, अज़्मत, बड़ाई, मज़्हब में हराम होना, Dignity
४९.	हाइल	बीच में आने वाला, पर्दा, आड़, रोक, अवरोध Intervening, Hindering
५०.	हदसे-असग़र	वुज़ू टूटना, वुज़ू की ज़रूरत होना
५१.	हदसे-अकबर	गुस्ल (स्नान) की हाजत होना, गुस्ल टूटना, जनाबत की हालत में होना
५२.	हश्फ़ा	आल-ए-तनासुल या'नी लिंग की सुपारी Glance Penis
५३.	ख़वास	ख़ास की जमा (बहुवचन), ख़ास लोग, बड़े लोग Grandee
५४.	ख़ुशूअ़	आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, विनम्रता, Fear, Humility
५५.	ख़ुदूअ़	गिड़गिड़ाना, आजिज़ी, डर, ख़ौफ Imploration, Begging
५६.	दलीले-क़तई	यक़ीनी हुज्जत, कामिल सुबूत, सम्पूर्ण, पुरावा. Solid Evidence
५७.	दलीले-ज़न्नी	क़यासी सुबूत, गुमान युक्त पुरावा Suspicious evidence
५८.	दय्यूस	बेशर्म मर्द, भड़वा, व्यभिचार का दलाल, बेहया, बेग़ैरत, Pimp
५९.	रुक्न	ज़रूरी हिस्सा, अनिवार्य भाग, सुतून Grandee, Aid
६०.	रफ़अ़ करना	छोड़ना, उठाना, बाज़ रहेना, Repelling
६१.	साक	पिंडली, घुटने के नीचे का पग का भाग, ष्टड्ढ्यळ

६२.	ज़वाल	सूरज का निस्फ़ुन्नहार (मध्यांहन) से नीचे ढलना Decline
६३.	ज़ाइद	ज़ियादा, फुज़ूल, फ़ालतू, बचा हुआ, अधिक Redundant
६४.	ज़ाइल करना	दूर करना, कम करना, नष्ट करना Perishing, Vanishing
६५.	सह्व	भूल, भूल चूक, ग़लती, ग़फ़्लत, क्षति Mistake, Error
६६.	सह्वन	भूल से, ग़फ़्लत में, ग़लती से, बिना इरादा Erroneously
६७.	सिर्री	वो नमाज़ जिस में आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत की जाए
६८.	सुरीन	चूतर, बैठक का भाग, कुल्ला, पूठ Buttocks, Rump
६९.	सक़्फ़	छत, शामियाना, छप्पर Roof, Ceilling, Canopy
७०.	सहूलत	आसानी, नरमी, आहिस्तगी, सग़वड Facility, Smoothness
७१.	शनाख़्त	पहचान, तमीज़, वाक़फ़ीयत, जानकारी Introduce
७२.	उजलत	जल्दी, शताबी, शीघ्रता, उतावळ, Haste
७३.	ईदैन	दोनों ईदें या'नी ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़्हा
७४.	अ़सा	लकड़ी, लाठी, डंडा, बल्लम, सोंटा Stick, Club
७५.	इताब	गुस्सा, मलामत, क्रोध, नाराज़गी, क़हर Displeasure
७६.	उर्फ़	पहचान, आम-नाम, अवामी पहचान परिचितता, Recongition

७७.	अ़मदन	जानबूझ कर, इरादे से, दानिस्ता, Purposely
७८.	अ़दम-मौजूदगी	ग़ैर हाज़री, अनउपस्थिति, मौजूद न होना, पाया न जाना , Absence
७९.	फ़वाहिश	बुरे काम, बदकार, पाप के कृत्य. Sins, Prostitutes
८०.	फ़ासिद होना	ख़राब होना, बरबाद होना, टूटना, बिगड़ना, Ruind
८१.	फासिल	जुदा करने वाला, फ़र्क़ करने वाला, फ़ासला/ अंतर डालने वाला, Separator
८२.	फ़स्ल	जुदाई, फ़र्क, अलाहिदगी, पर्दा, हिजाब. Separate
८३.	फ़सील	दीवार, चार दीवारी, किल्ए की दीवार, शहर पनाह, Fortification
८४.	क़बाहत	बुराई, ख़राबी, नुक़्स, खोट, धृणास्पद. Evil, Deformity
८५.	क़स्दन	इरादा से, जान बूज़ कर, दीदा व दानिस्ता, ध्येय युक्त, Desired
८६.	क़िब्ला-रू	क़िब्ला की सम्त, वो चीज़ या शख़्स जो क़िब्ला की तरफ मुंह किए हो.
८७.	क़ा'दा	बैठना, नमाज़ में अत्तहिय्यात पढ़ते वक़्त बैठना.
८८.	क़ौमा	नमाज़ में रूकूअ के बाद खड़े होना.
८९.	कुल्फा	आल-ए-तनासुल या'नी लिंग का बग़ैर ख़त्ना वाला भाग, लिंग की लटकती हुई चमड़ी.
९०.	मुसाफत	दूरी, फासला, अ़र्सा, सफर, प्रवास, अंतर सफर की थकान, Deustabce Space

९१.	मुनक़्क़श	नक़्श किया हुआ, बेल-बुटे दार, नकशीदार Painted, Embroidered
९२.	मासूरा	नक़्ल किया हुआ, वर्णन किया हुआ, असर कुबूल किया हुआ, Transcribed
९३.	मानेअ़	मना करने वाला, रोकने वाला, रोक, मुमानेअ़त, अटकाव, अवरोधक, Obstacle
९४.	मुताबेअ़त	पैरवी, अनुकरण, इताअ़त, फरमाबरदारी, आज्ञा पालन, Following
९५.	मुत्तसिल	मिला हुआ, लगा हुआ, संलग्न, क़रीब,नज़दीक, स्त्रद्धद्बद्वद्बद्वद
९६.	मुतअ़य्यन	मुक़र्रर किया हुआ, नियुक्त किया गया, काम पर लगाना, Determine
९७.	मिस्ले-साबिक़	पहले की तरह, Similiar to former
९८.	महाजात	मुक़ाबिल होना, आमना सामना, रूबरू,बराबर, Opposite
९९.	महल	मौक़ा, वक़्त, मन्ज़िल, मकान, मक़ाम, Oppurnity, Place
१००.	मख़ारिज	मख़रज का बहुवचन, निकलने का मक़ाम, अस्ल, जड़, माद्दा, मम्बअ़, शब्द की व्युत्पति
१०१.	मुदावेमत	हमेंशगी, दवाम, सबात, Perpetuity
१०२.	मुरतकिब	किसी काम का करने वाला, मुजरिम, कुसूरवार, कर्ता Guilty
१०३.	मुस्तहिक़	हक़दार, लायक, क़ाबिल, सज़ावार, Worthy
१०४.	मुस्तक़िल	अटल, बरक़रार, पायेदार, पक्का, Stable, Durable
१०५.	मुस्तहसन	पसन्दीदा, प्रिय, नेक, ख़ूब, बेहतर, उत्तम, मुस्तहब, Virtuous
१०६.	मस्नून	वो काम जिसका करना सुन्नत है, सुन्नत की गई

१०७.	मस्बूक	वो शख़्स जो एक या ज़ियादा रकअ़तें छूटने के बाद जमाअ़त में शरीक हो.
१०८.	मश्रूइयत	शरीअ़त के मुताबिक होना, जाइज़ किया गया, Prescribed by law
१०९.	मुत्लकन	बिल्कुल, यक़ीनी, क़तई. Absolutely, Certainly
११०.	मत्लूब	तलब किया गया, पसन्द किया गया, चाहा गया Demanded
१११.	मा'यूब	ऐबदार, क्षति युक्त, बुरा, क़ाबिले-शर्म, Defective
११२.	मा'हुद	अ़हद किया गया, मशहूर, नामवर, नामांकित, चयनीय, Premised
११३.	मफ़कूद	खोया हुआ, गुम, ग़ाइब, नापैद, नदारद. Missing, Lost
११४.	मुफसिद	फसाद करने वाला, तोड़ने वाला, तबाह करने वाला Saditious
११५.	मुक्तदी	पैरवी करने वाला, इमाम के पीछे खड़ा होने वाला नमाज़ी, अनुयायी.
११६.	मिक़दार	अंदाज़ा, शुमार, मात्रा, प्रमाण, माप, जथ्थो. Quantity
११७.	मुकर्रर	दोबारा, फिर से, दूसरी दफा, बार-बार, पुनरावर्तन Repeated
११८.	मुन्अकिद	नियुक्त होने वाला, ठहरने वाला, मुकर्रर होने वाला Appointed
११९.	मुन्फरिद	तन्हा, अकेला, यगाना, यकता, अलिप्त. Sigle, Solitary
१२०.	मन्कूल	नक़्ल किया गया, बयान किया गया, लिखा गया, Narrated Copied

१२१.	मूज़ी	तकलीफ पहुंचाने वाला, शरारत वाला, ज़ालिम, हानिकारक, दुष्ट, pernicious
१२२.	मुअ़लिन	अलल ऐलान करने वाला, ज़ाहिर में करने वाला, खुल्लम-खुल्ला करने वाला.
१२३.	निस्फुन्नहार	दिन का आधा, दिन का निस्फ़, दोपहर का समय, मध्याहन, Noon
१२४.	वुसूक	भरोसा, ए'तबार, विश्वास, मज़बूती Firmness, Confidence
१२५.	वाजेबुत्तमबीह	ताकीद करना ज़रूरी, अनिवार्य चेतवणी. Necessary Instruction
१२६.	वईद	सज़ा देने की धमकी, सज़ा करने का वचन Threatering
१२७.	वुकूफ करना	ठहेरना, रूकना, अटकना, Refraining
१२८.	याबिस	खुश्क, सुखा हुआ, खुश्की करने वाला, सुकुं Dry, Driest

आपकी आसानी के लिये

ज़रूरी ! ! !

इस वक्त आप जिस किताब मो'मिन की नमाज़ का वांचन कर रहे हैं वो किताब आप इन्टरनेट पर भी देख सकते हैं. हमारे आदरणीय वांचक मित्रों की सुविधा के लिये मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा ने अपनी (Web site) का प्रारम्भ कर दिया है.

अपने कम्प्युटर पे बिराजमान हो कर निम्न लिखित अंक डाइल करने का कष्ट करें. धन्यवाद :-

www.muftiazam.com

नमाज़े पंज वक़्त

या'नी
पांच वक्तकी नमाज़

”فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِيۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَحِيۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ
وَلَهُ الۡحَمۡدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَعَشِيًّا وَّحِيۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ“

फ़सुब्हानल्लाहे-हीना-तुमसूना-व-हीना-तुस्बेहूना
-व-लहुल-हम्दो-फ़िस्समावाते-वल-अर्दे-
-व-अशियंव-व-हीना-तुज़हेरुना'
(पारा-२१, रुकुअ्-५, सूरा-ए-रुम, आयत नं. १७,१८)

'तो अल्लाह की पाकी बोलो जब शाम करो और जब सुब्ह हो और उसी की ता'रीफ़ है आसमानो और ज़मीन में और कुछ दिन रहे और जब दोपह्र हो'
(कन्जुल ईमान)

:: अल हदीस ::

'अस्सलातो-मे'राजुल-मो'मेनीन'

अनुवाद : 'नमाज़ मो'मिन की मे'राज है' (बुखारी)

हदीस

तिब्रानी मोअ्जमे-अवसत में हज़रत अनस बिन मालिक रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि 'जो पांचों नमाज़ें अपने-अपने वक्तों पर पढ़े और उनका वुज़ू व क़ियाम व खुशुअ् व सुजूद पूरा करे, वोह नमाज़ सफ़ेद रोशन होकर येह कहती निकले कि अल्लाह तेरी निगेहबानी फ़रमाए जिस तरह तूंने मेरी हिफ़ाज़त की और जो गै़र वक्त पर पढ़े और वुजु व क़ियाम व खुशूअ व रुकूअ् व सुजूद पूरा न करे, वोह नमाज़ तारीक होकर येह कहती निकले कि अल्लाह तुजे ज़ाएअ् करे, जिस तरह तूने मुजे ज़ाएअ् किया. यहां तक कि जब उस मक़ाम पर पहुँचे जहाँ अल्लाह चाहे, पुराने चिथड़े की तरह लपेट कर उसके मुँह पर मारी जाए.

(ब-हवाला : फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़ा नं. ३१५)

:: अ्ल-हदीस ::

'हुज़ूरे-अ्कदस सल्लल्लाहो अ्लैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि जान बूज़कर नमाज़ मत छोड़ो कि जो जान बूज़कर नमाज़ छोड़ता है अल्लाह व रसूल उससे बरीयुज़िज़्म्मा हैं.' (मिश्कात शरीफ़ सफ़ा नं. ५८)

प्रकरण (१) शरई व फ़िक़ही इस्तेलाहात

शरीअ़त में हर क़िस्म के अच्छे और बुरे कामों के लिये कानून मुक़र्रर किए गये हैं और उन कामों की इस्तेलाहत तय की गई हैं. हर काम के दरजात (कक्षा) तय करने की वजह येह है कि हर तरह के कामों की अहमियत ज़ाहिर हो. जिस तरह कोई अच्छा काम बहुत अच्छा होता है उसी तरह कोई बुरा काम ज़्यादा बुरा भी होता है. लिहाज़ा हर अच्छे काम के मुक़ाबले में बुरा काम रखा गया है. उन अच्छे और बुरे कामों को और उनके दरजात को समज़ने में आसानी हो, इस लिये हम ने यहां इस का क़ौसैन (कोष्ठक) पेश किया है.

अच्छे और बुरे कामों की तशरीह (व्याख्या) अच्छी तरह याद रखें कि;

❁ अच्छे काम : जिनका करना ज़रूरी है या जिन कामों को करने को शरीअ़त में पसन्द किया गया हो और उन कामों के करने पर अज्र और सवाब मिलता है.

❁ बुरे काम : जिनसे बचना जरूरी है या जिन कामों को करने को शरीअ़त में पसन्द नहीं किया गया और जिन कामों के करने पर अज़ाब (शिक्षा) और इताब (गुस्सा/ग़ज़ब) होगा.

	अच्छे काम	V/S		बुरे काम
१	फ़र्ज	⟷	७	हराम
२	वाजिब	⟷	८	मकरूहे तहरीमी
३	सुन्नते मोअक्केदा	⟷	९	इसाअत
४	सुन्नते गैर मोअक्केदा	⟷	१०	मकरूहे-तन्ज़ीही
५	मुस्तहब	६ मुबाह	११	खिलाफ़े-अवला

वर्णनीय ग्यारह (११) इस्तेलाही कामों की विस्तृत जानकारी (माहिती), इन कामों की अहमियत, इन कामों के लिये शरीअ़त में क्या हुक्म है ? इन कामों के करने और न करने पर सवाब (पुण्य) और अ़ज़ाब (पाप की शिक्षा), इन कामों के करने और न करनेवालों का वर्गीकरण और उनके मुतअल्लिक इस्लामी शरीअ़त के आदेश वगैरा की विस्तृत (जानकारी) माहिती निम्न (ज़ैल) में प्रस्तुत है.

क़ारेईन (वांचक मित्रों) से नम्र विनंती है कि इन ग्यारह (११) इस्तेलाहात को अच्छी तरह याद कर लें, ताकि इस किताब में बयान किये जानेवाले मसाइल को समज़ने में आसानी हो तथा कौन सा काम करना ज़रूरी है और किस काम से बचना और दूर रहेना लाज़मी है, इसकी जानकारी प्राप्त हो और अच्छे काम करने की रग़बत (प्रेरणा) हो और बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ (सद बुद्धि) हासिल हो.

निम्न में क्रमवार तमाम इस्तेलाहात की विस्तृत जानकारी (माहिती) पेश (प्रदान) है;

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
१.	फ़र्ज़	◆ इस का करना निहायत निहायत (अत्यन्त) ज़रूरी है. ◆ जो शरई क़तई दलीलों से साबित हो. ◆ इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करनेवाला काफ़िर है. ◆ बिना उज़्रे-शरई इसको तर्क करनेवाला फ़ासिक़, गुनाहे - कबीरा का मुरतकिब (अपराधी) और जहन्नम के अ़ज़ाब का हक़दार है.

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
		◆ जो एक वक़्त की भी फर्ज़ नमाज़ दीदा व दानिस्ता (जान बूज़कर) और क़स्दन क़ज़ा करे वोह फ़ासिक़, व मुरतकिबे-कबीरा या मुस्तहिक्क़े-जहन्नम है.' (फ़तावा रज़विया, जिल्द-२, सफ्हा नं. १८४)
२.	वाजिब	◆ इसका करना निहायत ज़रूरी है. ◆ जो दलाइले-ज़न्नी शरइया से साबित हो ◆ इसका इन्कार करनेवाला गुमराह और बद-मज़हब है. ◆ बग़ैर किसी उज़्रे-शरई इसको छोड़नेवाला फ़ासिक़ और अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक है. ◆ किसी वाजिब को क़स्दन(जान बुझकर) एक मरतबा छोड़ना गुनाहे सग़ीरा है और चन्द बार तर्क करना गुनाहे-कबीरा है.
३.	सुन्नते मोअक्केदा ईस सुन्नत को सुन्नते-हुदा भी कहते हैं	◆ जिसका करना भी जरुरी है ◆ जिसको हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लमने हमेंशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क भी किया हो. ◆ इत्तेफाक़िया (आकस्मिक) तौर पर कभी छोड़ देने पर भी अल्लाह व रसूल का इताब होगा और इसको हमेंशा छोड़ने

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
		की आदत डालनेवाला जहन्नम के अ़ज़ाब का हक़दार होगा. ◆ 'सुन्नते-मोअक्केदा हुक्म में वाजिब के क़रीब है. (फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़्हा नं. २७९)
४.	सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा ईस सुन्नत को सुन्नते-ज़वाईद भी कहते हैं	◆ जिसका करना अच्छा है और करनेवाला सवाब पाएगा. ◆ जिसको हुज़ूरे-अकदस सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लमने किया हो और बग़ैर किसी उज़्रके कभी कभी तर्क भी किया हो. ◆ येह सुन्नत शरीअ़त की नज़र (द्रष्टि) में एसी मत्लूब (प्रिय) है कि इसको छोड़ना ना-पसन्द किया गया है, लैकिन इसके न करने (छोड़ने) पर किसी भी प्रकार का अ़ज़ाब या इताब नहीं.
५.	मुस्तहब	◆ हर वो काम जो शरीअ़त की नज़र में पसंदीदा हो और उसके छोड़ने पर किसी तरह की नापसन्दीदगी भी न हो. ◆ इस काम को ख़्वाह (either) हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लमने किया हो या उसकी तरग़ीब (प्रोत्साहन) दी हो, या अकाबिर ओलोमा-ए-मिल्लते-इस्लामिया ने इसे पसन्द

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
		फ़रमाया हो, अगरचे हदीसों में इसका ज़िक्र (वर्णन) न आया हो. ◆ इसका करना सवाब है और न करने और छोड़ने पर अज़ाब व इताब मुत्लकन कुछ भी नहीं.
६.	मुबाह	◆ वोह काम जिसका करना और छोड़ना दोनों यकसाँ (समान) हो, या'नी जिस के करने में न कोई सवाब हो और जिसके छोड़ देने में कोई अज़ाब व इताब भी नहीं.
७.	हराम	◆ जिसको छोड़ना और जिससे बचना निहायत निहायत ज़रूरी है. ◆ जिसके हराम होने का सुबूत क़तई शरई दलीलों से साबित हो. ◆ जिसके हराम होने का इन्कार करनेवाला काफ़िर है. ◆ जिसका एक मरतबा भी क़स्दन (जान बुझकर) करनेवाला फ़ासिक़, गुनाहे-कबीरा का मुरतकिब (अपराधी) और जहन्नम के अज़ाब का हक़दार है. ◆ जिस को छोड़ना और जिससे बचना बाइसे सवाब है. ◆ हराम काम मुक़ाबिल (V/s) होता है फ़र्ज़ काम का.

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
८.	मकरूहे तहरीमी	◆ जिसको छोडना और जिससे बचना निहायत ज़रूरी है. ◆ जिसका गुनाह और शरीअ़त के ख़िलाफ़ होना शरई ज़न्नी दलीलों से साबित हो. ◆ जिसका करना अगरचे गुनाहे-कबीरा और हराम के दर्जे (कक्षा) से कम है. लेकिन चंद मरतबा करने और इस पर हमेंशगी करने से येह काम भी गुनाहे-कबीरा में शुमार होगा. ◆ इस काम का करनेवाला फ़ासिक और अज़ाब का हक़दार है और इस काम से बचना सवाब है. ◆ मकरुहे-तहरीमी काम मुक़ाबिल (V/s) होता है वाजिब काम का.
९.	इसाअत	◆ जिसको छोड़ना और जिससे बचना ज़रूरी है. ◆ जिसका करना बुरा और जिससे बचना सवाब है. ◆ कभी कभार करनेवाला भी इताब (धमका देने) के लाइक़ है और हमेशां येह काम करनेवाला और इस काम के करनेकी आदत डालनेवाला अज़ाब का हक़दार है. ◆ फ़े'ले इसाअत मुक़ाबिल (V/s) होता है सुन्नते-मोअक्केदा काम का.

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़े'ल(काम) की विगत और हुक्म
१०.	मकरुहे तन्ज़ीही	◆ जिस का का क़रना शरीअ़त में पसन्दीदा नहीं. ◆ जिसके करने पर किसी भी प्रकार का गुनाह या अ़ज़ाब नहीं, लैकिन इस काम की आ़दत डालना बुरा है. ◆ इस काम से बचने में भी अज्रो-सवाब है. ◆ मकरुहे तन्ज़ीही काम मुक़ाबिल (V/s) होता है सुन्नते ग़ैर मोअक्केदा काम का.
११.	खिलाफे अवला	◆ उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ना और उससे बचना बेहतर था लैकिन अगर कर लिया तो मुज़ाइका (हर्ज़, अपराध) भी नहीं. ◆ ख़िलाफ़े अवला काम मुक़ाबिल (V/s) होता है मुस्तहब काम का.

मज़्कूरा (वर्णनीय) ग्यारह (११) इस्तेलाहात की तहक़ीक़ (अनुसंधान) में कुछ हवाले (संदर्भ) पैश (प्रस्तुत) हैं.

◆ 'सुन्नते-हुदा : येह सुन्नते-मोअक्केदा का नाम है और सुन्नते-ज़ाइदा येह सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा का नाम है .'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफ़्हा नं. १७४)

◆ 'इरतेकाबे-मकरुहे-तन्ज़ीही मा'सियत (गुनाह) नहीं.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ५, सफ़्हा नं. १३६)

प्रकरण (२) नमाज़ की शर्तों का ब्यान

◆ इन शराइत में से किसी एक शर्त की अ़दम-मौजूदगी (ग़ैर हाज़री) में नमाज़ क़ाइम ही न हो सकेगी.

◆ येह वोह फ़राइज़ (फर्ज़ काम) हैं जो ख़ारिजे-नमाज़ होने की वजह से ख़ारजी फ़राइज़ हैं और इनको शराइते-नमाज़ की हैसियत दी गई है.

◆ इन तमाम शराइत का नमाज़ शुरु करने से पहले होना ज़रूरी और लाज़मी है.

◆ इन शराइत में से अगर एक शर्त भी न पाई गई या दौराने नमाज़ इन शर्तों में से कोई एक शर्त ज़ाइल (नष्ट) हो गई तो नमाज़ न होगी.

◆ नमाज़ की छे (६) शर्तें है और वोह मुन्दरजा ज़ैल (निम्न लिखित) हैं.

शराइते नमाज़ ➔

१.	तहारत
२.	सतरे-औरत
३.	इस्तिक़बाले-क़िब्ला
४.	वक़्त
५.	निय्यत
६.	तहरीमा (तकबीर)

नमाज़ की शर्तों की तफ़सील और अहेकाम

अब नमाज़ की छ(६)शर्तें और तमाम शर्तों की तफ़सील (विगत) और शर्तों के तअ़ल्लुकसे शरई अहेकाम और मसाइल ख़िदमत में पैश हैं.

नमाज़ की पहली शर्त 'तहारत'

नमाज़ी का बदन (शरीर) 'हदसे-अकबर' से पाक हो. या'नी जनाबत, हैज़ वग़ैरह से पाक होने के लिये 'गुस्ल' वाजिब न हो.

- नमाज़ी का बदन 'हदसे-असग़र' से पाक हो या'नी बे-वुज़ू न हो.
- नमाज़ी का बदन नजासते-ग़लीज़ा और नजासते-ख़फ़ीफ़ा से ब-कद्रे-मानेअ़ (प्रतिबन्धित मात्रा) से पाक हो, या'नी नजासते ग़लीज़ा (Thick Fith) दिरहम की मिक़दार (मात्रा) से अधिक लगी हुई न हो और नजासते-ख़फ़ीफ़ा (Thin Fith) कपड़े या बदन के जिस हिस्से पर लगी हो, उस हिस्सा या उज़्व (अंग) की चौथाई (१/४) से ज़्यादा लगी हुई न हो.
- नमाज़ी के कपड़े (वस्त्र) नजासते-ग़लीज़ा और ख़फ़ीफ़ासे ब-कद्रे-मानेअ़ से पाक हों.
- जिस जगह पर नमाज़ पढ़ता हो, वोह जगह पाक हो. अगर ज़मीन पर नमाज़ पढ़ता हो, तो ज़मीन और ज़मीन पर कपड़ा या मुसल्ला बिछा कर उस पर नमाज़ पढ़ता हो, तो वोह पाक हो.

:: तहारत के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल ::

मस्अला

'जिस जगह (स्थान) नमाज़ पढ़ता हो उसके पाक होने से मुराद येह है कि क़दम (पाव) की जगह और मवद-ए-सजदा या'नी सजदा करते वक़्त बदन के जो अंग ज़मीन से लगते हों, उन अंगों के ज़मीन से लगने की जगह पाक होना है' (दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'नमाज़ पढ़नेवाले के एक क़दम (पाव) के नीचे दिरहम के मात्रा से ज़्यादा नजासत (नापाकी) है, तो नमाज़ न होगी. यूँही दोनों क़दम के नीचे थोड़ी-थोड़ी नजासत है और उनको मिलाने (जोड़ने) से एक दिरहम की मिक़दार (मात्रा) हो जाएगी, तो भी नमाज़ न होगी.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'पैशानी (ललाट) पाक जगह पर है और नाक नजिस जगह पर है, तो नमाज़ हो जाएगी क्योंकि नाक दिरहम की मिक़दार से कम जगह पर लगती है और बिला ज़रुरत और बिला मजबूरी येह भी मकरुह है.' (रद्दुल-मोहतार)

मस्अला

'अगर सजदा करने में कुर्ता या क़मीज़ (शर्ट) का दामन वग़ैरह नजिस जगह पर पड़ते हों तो हर्ज नहीं. (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

अगर नजिस जगह पर ऐसा बारीक कपडा बिछा कर नमाज़ पढ़ी कि वोह कपड़ा सतर (अंग) ढांपने के काम में नहीं आ सकता या'नी उसके नीचे की चीज़ ज़लकती हो तो नमाज़ न होगी. और शीशा (कांच/Glass) पर नमाज़ पढ़ी और उसके नीचे नजासत है, अगरचे नुमाया (स्पष्ट) हो, तो भी नमाज़ हो जाएगी. (रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअत)

मस्अला

'अगर मौटा (Thick) कपड़ा नजिस जगह पर बिछाकर नमाज़ पढ़ी और नजासत खुश्क (सुखी हुई) है कि कपड़े में जज़्ब (शोषण) नहीं होती और नजासत की रंगत और बदबू (दुर्गन्ध) महेसुस नहीं होती तो नमाज़ हो जाएगी कि येह कपड़ा नजासत और नमाज़ी के दरमियान फ़ासिल हो जाएगा.' (बहारे शरीअ़त)

नोट :-

अगर पाक और साफ़ जगह मयस्सर (उपलब्ध) है तो नजिस जगह पर कपड़ा बिछाकर नमाज़ न पढ़े. मज़कूरा (वर्णनीय) मस्अला मजबूरी की सूरत का है.

नमाज़ की दूसरी शर्त : 'सतरे औरत'

प्रथम हम 'सतरे औरत' का अर्थ समजें. 'सतर' या'नी छुपाना या'नी मर्द और औरत (स्त्री) के बदन का वोह हिस्सा जिस को खोलना या खुला रखना मा'यूब (ऐबदार/Vacious) है और उस हिस्से को छुपाना लाज़मी और जरूरी है. लिहाज़ा अब 'सतरे-औरत' का अर्थ येह हुआ कि पुरूष और स्त्री के शरीर का वोह भाग कि जिस पर पर्दा वाजिब है. और जिसको खोलना या खुला रखना ऐब और शर्म का बाइस (कारण) है. औरत (स्त्री/Ladies) को औरत (छुपाने की चीज़) इस लिये कहते हैं कि वोह वाक़ई (वास्तव में) छुपाने की चीज़ है. या'नी औरत औरत है.

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदीयल्लाहो तआ़ाला अन्हो से रिवायत की कि,हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि; 'औरत औरत है, या'नी छुपाने की चीज़ है. जब वोह निकलती है तब शैतान उसकी तरफ़ ज़ांकता (देखता) है.'

◆ बदन का वोह हिस्सा, जिसका छुपाना फर्ज़ है, उस हिस्से का नमाज़ की हालत में छुपा होना शर्त है.

सतरे औरत के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'सतरे-औरत हर हाल में वाजिब है. चाहे नमाज़ में हो या न हो, या तन्हा हो. किसी के सामने बिला शरई उज्र (कारण) के बल्कि तन्हाई (एकान्त) में भी अपना हिस्सा-ए-सतर खोलना जाइज़ नहीं. लोगों के सामने या नमाज़ में सतरे-औरत बिल इजमाअ् (तमाम उम्मत के एक मत से) फ़र्ज़ है.'

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल-मोहतार)

मस्अला

'इतना बारीक कपड़ा कि जिस से बदन चमकता हो (या'नी बदन नज़र आता हो) सतर के लिये काफ़ी नहीं. इससे अगर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी.' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १)

मस्अला

मर्द के लिये 'नाफ़' (डुंटी/Nevel) के नीचे से घुटनों के नीचे तक का बदन औरत है या'नी उसका छुपाना लाज़मी है बल्कि फ़र्ज़ है. नाफ़ उसमें दाखिल (गिनती में) नहीं, और घुटने उसमे दाख़िल हैं. (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'औरत (स्त्री) के लिये पूरा बदन औरत है या'नी उसका छुपाना फ़र्ज़ है, लैकिन मुँह की टकली या'नी चेहरा, दोनों हाथकी हथेलियाँ और दोनों पांव के तल्वे औरत नहीं या'नी हालते-नमाज़ में औरत का चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तल्वे खुले होंगे तो नमाज़ हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मस्अला

'मर्द के जिस्म का जो हिस्सा शरअ़न औरत है, उस हिस्सा-ए-बदन को आठ (८) हिस्सों में तक़सीम (विभाजित) किया गया है और हर हिस्सा अलग-अलग उज़्व (अंग) में शुमार किया जाएगा और उनमें से किसी एक उज़्व की चौथाई (१/४) जितना हिस्सा खुल गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २)

मस्अला

मर्द के बदन के हिस्सा-ए-सतरे औरत के जो आठ (८) आ'ज़ा (अंग) हैं वोह हस्बे-ज़ेल हैं.

(१) ज़कर या'नी आला-ए-तनासुल (लिंग-Penis) अपने तमाम आ'ज़ा (अंग-क्षुहहह्य) या'ने हश्फ़ा और कुल्फ़ा के साथ मिल कर एक उज़्व है. (२) उनसयैन या'नी दोनों खुस्ये (कपूरे, वृषण / Testicle) मिलकर एक उज़्व है. (३) दुबुर या'नी पाख़ाना की जगह (Anus) (४) व (५) हर एक सुरीन (कुल्ला-Buttocks) (६) व (७) दोनों रानें अपने जड़ से घुटने के नीचे तक अलग-अलग उज़्व हैं और घुटना अपनी रान का ताबेअ़ है. (८) कमर बांधने की जगह या'नी नाफ़ के नीचे के किनारे से उज़्वे-तनासुल की जड़ तक और उसकी सीध (क़तार-Line) में आगे पीछे और दानों करवटों की जानिब सब मिलकर एक उज़्व है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़ा नं. २)

मस्अला

'औरत (स्त्री) के बदन से चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तल्वों के इलावा पूरा का पूरा बदन औरत है. या'नी उसका छुपाना फ़र्ज़ है. औरत (स्त्री) के बदन के 'हिस्सा-ए-सतरे-औरत' को छब्बीस (२६) हिस्सों में हस्बे-ज़ेल तक़्सीम किया गया है;

(१) सर जहाँ आदतन बाल उगते हैं. (२) बाल जो लटके हुए हों. (३) व (४) दोनों कान (५) गरदन जिसमें गला भी शामिल है. (६) व (७) दोनों शाने या'नी दोनों कन्धे (Shoulders) (८) व (९) दोनों बाज़ू (Arms) (१०) व. (११) दोनों कलाइयाँ (१२) सीना या'नी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान, (स्तन-Breast) के नीचे तक (१३) व (१४) दोनों पिस्तान (१५) पट्टे या'नी पिस्तान के नीचे की हद से नाफ़ के नीचेवाले किनारे तक. (१६)

पीठ या'नी पेट के मुक़ाबिल पुश्त की जानिब सीध में सीने के नीचे से शुरु कमर तक जित्नी जगह है. (१७) दोनों शानों के दरमियान की जगह. (१८) व. (१९) दोनों सुरींन (२०) फ़र्ज या'नी आगे की शर्मगाह (योनि-Vagina) (२१) दुबुर या'नी पाख़ाना की जगह (२२) व (२३) दोनों रानें, घुटने भी उसमें शामिल हैं. (२४) नाफ़ के नीचे पेडू की जगह और उसकी सीध में पुश्त की जगह (२५) व (२६) दोनों पिंडलियाँ.'

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. २, सफ़ा नं. ६ से ८ तक)

मस्अला

मर्द और औरत के वर्णनीय अंग जो सतरे-औरत हैं, इनमें से किसी एक अंग की चौथाई (१/४) जितना हिस्सा हालते-नमाज़ में एक रुक्न तक या'नी तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़्दार (मात्रा) तक खुला रहा, तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.'

(आलमगीर, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अगर नमाज़ीने मज़्कूरा अंगों में से किसी एक अंग की चौथाई जान बूज़कर खोली, अगरचे फ़ौरन छुपा लिया और तीन मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़्दार तक खुला न रहेने दिया, तब भी उसकी नमाज़ अंग के चौथाई (१/४) हिस्से के खुलने के वक़्त ही फ़ौरन फ़ासिद हो गई.

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १)

मस्अला

'अगर नमाज़ शुरु करते वक़्त वर्णनीय अंगों में से किसी अंग की चौथाई खुली है या'नी इसी हालत में 'तकबीरे-तहरीमा' (अल्लाहो अकबर) कही तो उसकी नमाज़ मुनअ़क़िद (कायम) ही न हुई.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'औरत का वोह दुपट्टा के जिससे बालों की सियाही चमके (दिखाई दे) मुफ़सिदे-नमाज़ है. (फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. २, सफ़ा नं. १)

मस्अला

'औरत (स्त्री) का चेहरा अगरचे औरत नहीं है लैकिन ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोलना मना है और उसके चेहरे की तरफ़ नज़र करना और देखना ग़ैर महरम मर्द के लिये जाइज़ नहीं.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'सतरे-औरत का अर्थ येह है कि नमाज़ी अपने सतर को दूसरे लोगों से इस तरह छुपाए कि उसके जिस्म की तरफ़ आमतौर (सामान्यता) से नज़र करने से उसका 'सतर' ज़ाहिर न हो. तो मआज़ल्लाह अगर किसी लुच्चे (नालायक) ने किसी नमाज़ी का सतर झुक कर देख लिया तो नमाज़ी की नमाज़ हो जाएगी, नमाज़ में कुछ फ़र्क़ नहीं आएगा, अलबत्ता झुक कर देखने वाला शरारती शख़्स सख़्त गुनाहगार होगा.' (आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

नोट :

आजकल लोगों में एक ग़लत मस्अला येह राइज (प्रचलित) है कि अगर 'तहबन्द' (लुंगी) के नीचे चड्डी या जांधिया (अंडर वियर) नहीं पहना तो नमाज़ नहीं होती. येह बात बिल्कुल ग़लत है, नमाज़ हो जाती है.

नमाज़ की तिसरी शर्त : 'इस्तिक़बाले क़िब्ला'

- इस्तिक़बाले-क़िब्ला या'नी नमाज़ में क़िब्ला (ख़ाना-ए-का'बा) की तरफ़ मुंह करना.
- का'बा की तरफ़ मुंह होने का अर्थ येह है कि चेहरे की सतह (सपाटी) का कोई जुज़ (अंश) का'बा की दिशा में वाकेअ़ हो.

- अगर नमाज़ी का चेहरा का'बे की सम्त (दिशा) से थोड़ा हटा हुआ है लैकिन उसके चेहरे का कोई जुज़ का'बा की तरफ़ है तो उसकी नमाज़ हो जाएगी और उसकी मिक़्दार ४५, दर्जा (डीग्री-Degree) नियुक्त की गई है या'नी ४५, दर्जा से कम इन्हेराफ़ (फिरना, घूमना) है तो नमाज़ हो जाएगी और ४५ दर्जा से ज़्यादा इन्हेराफ़ है, तो नमाज़ नहीं होगी.

(दुर्रे मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२)

- ख़ाना-ए-का'बा से ४५ दर्जा से कम इन्हेराफ़ की सूरत (परिस्थिति) में नमाज़ हो जाएगी, इस को आसानी से समज़ने के लिये नीचे दिये गये नक़्शे (Diagram) को मुलाहिज़ा फ़रमाए.

नक़्शे की समझ :

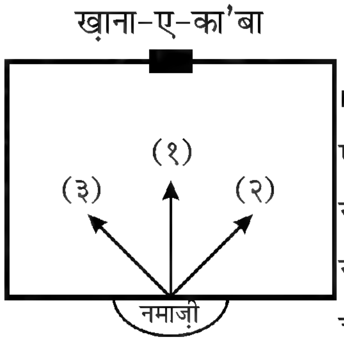

'अगर नमाज़ी का चेहरा तीर (Arrow) नं. १ की सम्त में है तो ऐन ख़ान-ए-का'बा की तरफ़ उसका मुंह है. दायें तीर नं. २ और बायें तीर नं. ३ की तरफ़ अगर नमाज़ी झुका या घूमा, तो जब तक उसका चेहरा तीर नं. २ और तीर नं. ३ के दरमियान है, वोह जहते-का'बा में है, उसकी नमाज़ होगी और अगर वोह ज़ियादा घूमा, यहाँ तक कि उसका चेहरा तीर नं. २ और तीर नं. ३ से बढ़ गया, या'नी ४५ दर्जा (45 Degree) से बढ़ गया, तो अब वोह का'बे की जहत (दिशा) से बाहर निकल गया और उसकी नमाज़ न होगी.

(दुर्रे मुख़्तार और बहारे शरीअत)

मस्अला

'हमारा क़िब्ला ख़ान-ए-का'बा है. ख़ान-ए-का'बा के क़िब्ला होने से मुराद सिर्फ बिना-ए-का'बा या'नी का'बा शरीफ की सिर्फ इमारत का ही नाम

नहीं बल्कि वोह फिज़ा है जो उस बिना (इमारत) की महाज़ात में सातवीं ज़मीन से अर्श तक का जो विस्तार (Area) है, वोह क़िब्ला ही हैं.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

मस्अला

'अगर किसी ने बुलन्द पहाड़ पर या गहरे कुवें में नमाज़ पढ़ी और का'बे की दिशा में मुंह किया, तो उसकी नमाज़ हो जायेगी, हालांकि का'बे की इमारत की तरफ़ तवज्जोह न हुई लैकिन फ़िज़ा की तरफ़ पाई गई.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अगर कोई शख़्स ऐसी जगह पर है कि वहां क़िब्ला की शनाख़्त (पहचान) न हो, न वहां कोई ऐसा मुसलमान है जो उसे क़िब्ला की दिशा बता दे, न वहां मस्जिदें मेहराबें हैं, न चांद-सूरज-सितारे निकले हुए हों या निकले हुए तो हों मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उनसे सहीह दिशा मा'लूम कर सके, तो ऐसे शख़्स के लिये हुक्म है कि वोह 'तहर्री' करे या'नी अच्छी तरह सोचे और जिधर क़िब्ला होने पर दिल जमे, उधर ही मुंह करके नमाज़ पढ ले. उसके हक़ में वही क़िब्ला है.' (बहारे-शरीअत)

मस्अला

'तहरी करके (सोचकर) क़िब्ला तय करके नमाज़ पढ़ी. नमाज़ पढ़ने के बाद मा'लूम हुआ कि किब्ला की तरफ़ नमाज़ नहीं पढी थी, तो अब दोबारा पढ़ने की ज़रुरत नहीं, नमाज़ हो गई.'

(तन्वीरुल अब्सार, फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. १, सफ़ा-६६१)

मस्अला

'अगर वहाँ कोई शख़्स क़िब्ला की दिशा जाननेवाला था लैकिन इसने उससे दरयाफ़्त नहीं किया और खुद ग़ौर करके किसी एक तरफ़ मुंह करके नमाज़

पढ़ ली, तो अगर क़िब्ला की तरफ़ मुंह था तो नमाज़ हो गई वर्ना नहीं.'

(रद्दुल मुहतार, बहारे-शरीअत)

मस्अला

'अगर नमाज़ी ने बिला उज्र क़िब्ला से क़स्दन (इरादे) से सीना फैर दिया अगरचे फ़ौरन ही फीर क़िब्ला की तरफ़ हो गया, उसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिना इरादे के फिर गया, और तीन तस्बीह पढ़ने के वक़्त की मिक़दार तक उस का सीना क़िब्ला से फिरा हुआ रहा, तो भी उसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई. (मुन्यतुल मुसल्ली, बहरुर राइक)

मस्अला

'अगर नमाज़ी से क़िब्ला ने सीना नहीं फैरा बल्कि सिर्फ़ चेहरा फेरा, तो उस पर वाजिब है कि अपना चेहरा फ़ौरन क़िब्ला की तरफ़ कर ले. इस सूरत में उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी बल्कि हो जाएगी लैकिन बिला उज्र ऐसा करना मकरुह है.' (मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे-शरीअत)

नमाज़ की चौथी शर्त : 'वक़्त'

- जिस वक़्त की नमाज़ पढी जाए उस नमाज़ का वक़्त होना.
- फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त तुलूए-फ़ज्र या'नी सुब्हे-सादिक (Dawn of Day) से तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) तक है.
- ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त आफ़ताब का निस्फ़ुन्नहार (मध्यान्ह) से ढलने से शुरु होता है और उस वक़्त तक रहेता है कि हर चीज़ का साया (परछाई-Shadow) उसके साय-ए-असली से दोचंद (दोगुना-Double) हो जाए.
- नमाज़े-अस्र का वक़्त,ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त ख़त्म होते ही शुरुहोता है और आफ़ताब गुरुब (सूर्यास्त-Sunset) होने तक रहेता है.
- मग़रिब की नमाज़ का वक़्त गुरुब आफ़ताब से लेकर गुरुबे शफ़क़ (Twi-light) तक रहेता है.

◆ इशा की नमाज़ का वक़्त गुरुबे-शफ़क़ से तुलू-ए-फ़ज्र तक रहता है.

नोट : हर वक़्त की नमाज़ के बयान में वक़्त के तअल्लुक से मुफ़स्सल (विस्तृत) मसाइल बयान किए जाएंगे. अगले पृष्ठों में देखें.

नमाज़ की पांचवी शर्त : 'निय्यत'

◆ या'नी नमाज़ पढ़ने की निय्यत होनी चाहीए.

हदीस

'बुख़ारी और मुस्लिम ने अमीरुल मो'मेनीन सय्येदुना फ़ारूक़े-आज़म रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस, रहमते-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि;

'इन्नमल-आ'मालो-बिन-निय्यात-व-ले-कुल्ले-अम्रइम-मा-नवा'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'अ़मलों का मदार (आधार) निय्यत पर है, और हर शख़्स के लिये वोह है जो उसने निय्यत की.'

निय्यत के तअ़ल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'निय्यत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, महज़ (सिर्फ़) जानना निय्यत नहीं, जब तक कि इरादा न हो.' (तनवीरुल अबसार)

मस्अला

'ज़बान से निय्यत करना मुस्तहब है. नमाज़ की निय्यत के लिये अ़रबी भाषा में निय्यत की तख़सीस (विशिष्टता) नहीं, किसी भी भाषा में निय्यत कर सकता है, अलबत्ता अरबी ज़बान (भाषा) में निय्यत करना अफ़ज़ल है.'

(दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'अहवत् येह है कि तकबीरे-तहरीमा (अल्लाहो अकबर) कहते वक़्त निय्यत हाज़िर हो. (मुन्यतुल-मुसल्ली)

मस्अला

'निय्यत में ज़बान का ए'तबार नहीं बल्कि दिल के इरादे का ही ए'तबार (महत्व) है. मस्लन ज़ोहर की नमाज़ का क़स्द (इरादा) किया और ज़बान से अस्र का लफ़्ज़ निकला, तो भी ज़ोहर की ही नमाज़ अदा होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'निय्यत का अदना दर्जा येह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ता है ? तो फ़ौरन बिला तअम्मुल (विलम्ब) बता सके कि फ़लाँ वक़्त की फ़लाँ नमाज़ पढता हूँ और अगर ऐसा जवाब दे कि सोच कर बताऊंगा तो नमाज़ न हुई.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'नफ़्ल नमाज़ के लिये मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफ़ी है, अगरचे नफ़्ल निय्यत में न कह.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'फ़र्ज़ नमाज़ में निय्यते-फ़र्ज़ ज़रूरी है, मुत़लक़ नमाज़ की निय्यत काफ़ी नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'फ़र्ज़ नमाज़ में येह भी ज़रुरी है कि उस ख़ास नमाज़ की निय्यत करे मस्ल़न आज की ज़ोहर की या फलाँ वक़्त की फर्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ.

(तन्वीरुल अबसार)

मस्अला

'फर्ज़ नमाज़ में सिर्फ इत्नी निय्यत करना कि आज की फर्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ काफी नहीं बल्कि नमाज़ को मुतअय्यन (निश्चित-स्नद्वग्द्वस्त्र) करना होगा कि आज की ज़ोह्र या आज की इशा की फर्ज़ नमाज़ पढता हूँ वग़ैरह.'

(रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'वाजिब नमाज़ में 'वाजिब' की निय्यत करे और उसे मुतअय्यन भी करे, मस्लन नमाज़े-ईदुल फित्र, ईदुद-दुहा, वित्र, नज़र, नमाज़े-बादे-तवाफ वगैरह.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'सुन्नत, नफ़्ल और तरावीह में असह येह है कि मुत्लक नमाज़ की निय्यत करे, लैकिन एहतियात येह है कि तरावीह में तरावीह की या सुन्नते-वक़्त की या क़यामुल लैल की निय्यत करे. तरावीह के इलावा बाक़ी सुन्नतों में भी सुन्नत की या नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की मुताबेअ़त की निय्यत करे.

(मुन्यतुल मुसल्ली)

मस्अला

'निय्यत में रकअ़त की तादाद (संख्या) की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफज़ल है. अगर ता'दादे-रकअ़त में ग़लती वाकेअ हुई मस्लन तीन रकअ़त फर्ज़ ज़ोह्र की या चार (४) रकअ़त फर्ज़ मग़रिब की निय्यत की और ज़ोह्र की चार रकअ़तें पढ़ीं और मग़रिब की तीन रकअ़तें पढीं तो नमाज़ हो गई.'

(रद्दुल मोहतार, दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'येह निय्यत करना कि 'मुंह मेरा क़िब्ला की तरफ है' शर्त नहीं, अलबत्ता

येह ज़रूरी है कि क़िब्ला से इन्हेराफ़ और ए'राज़ की निय्यत न हो.'

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'मुक़्तदी को इमाम की इक़्तेदा की निय्यत भी ज़रुरी है.' (आलमगीरी)

मस्अला

'मुक़्तदी ने इक़्तेदा करने की निय्यत से येह निय्यत की कि जो इमाम की नमाज़ है वही मेरी नमाज़, तो जाइज़ है.' (आलमगीरी)

मस्अला

'मुक़्तदी ने अगर सिर्फ नमाज़े-इमाम या फर्ज़े इमाम की निय्यत की लैकिन इमाम की इक़्तेदा का क़स्द (इरादा) न किया तो उसकी नमाज़ न हुई.

(आलमगीरी)

मस्अला

'इमाम की इक़्तेदा की निय्यत में येह इल्म (मा'लूम) होना ज़रूरी नहीं कि इमाम कौन है ? ज़ैद है या अम्र है ? सिर्फ येह निय्यत काफी है कि इस इमाम के पीछे.' (गुन्यतुल मुस्तली शरहे-मुन्यतुल मुसल्ली)

मस्अला

'अगर मुक़्तदी ने येह निय्यत की कि ज़ैद की इक़्तेदा करता हूँ और बा'द में मा'लूम हुआ कि इमाम ज़ैद नहीं बल्कि अम्र है, तो इक़्तेदा सहीह नहीं.'

(आलमगीरी, गुन्या)

मस्अला

'इमाम को मुक़्तदी की इमामत करने की निय्यत करना ज़रुरी नहीं, यहाँ तक कि अगर इमाम ने येह क़स्द किया कि मैं फलाँ शख़्स का इमाम नहीं हूं

और उस शख़्सने इस इमाम की इक़्तेदा की तो नमाज़ हो जाएगी.'

(दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'अगर किसी की फर्ज़ नमाज़ कज़ा हो गई हो और वोह नमाज़ की कज़ा पढ़ता हो, तो कज़ा नमाज़ पढ़ते वक़्त दिन और नमाज़ का तअय्युन करना ज़रूरी है, मस्लन 'फलां दिन की फलां नमाज़ की कज़ा' इस तरह निय्यत होना ज़रूरी है. अगर मुत्लकन किसी वक़्त की कज़ा नमाज़ की निय्यत की और दिन का तअय्युन न किया या सिर्फ मुत़लक़न क़ज़ा नमाज़ की निय्यत की, तो काफी नही.'

(दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें बाक़ी हैं और दिन तथा दिनांक (छ्हुह्द) भी याद न हो और उन नमाज़ो की क़ज़ा पढ़नी है, तो उसके लिये निय्यत का आसान त़रीक़ा येह है कि 'सब में पहली या सब में पिछली फलां नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है, उसकी कज़ा पढ़ता हूं.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६२४)

नमाज़ की छठ्ठी शर्त : 'तकबीरे-तहरीमा'

- या'नी 'अल्लाहो-अकबर' कहकर नमाज़ शुरु करना.
- नमाज़े-जनाज़ा में तकबीरे-तहरीमा रुकन है, बाक़ी नमाज़ों में शर्त है.

(दुर्रे मुख्तार)

नोट : तकबीरे तहरीमा के तअ़ल्लुक से तफसीली मसाइल इस किताब के प्रकरण नं. ३ 'नमाज़ के फराइज़' में देखें.

प्रकरण (३) नमाज़ के फर्ज़ों का ब्यान

- येह वोह फराइज़ है जो नमाज़ के अन्दर किये जाने की वजह से दाख़ली फराइज़ हैं.
- इन फराइज़ को अदा किये बग़ैर नमाज़ होगी ही नहीं.
- अगर इन में से एक काम भी क़स्दन (जानबूज़ कर) या सहवन (भूलकर) छूट जाए, तो सजद-ए-सह्व करने से भी नमाज़ न होगी बल्कि अज़ सरे नौ (फिर से) नमाज़ पढ़ना जरूरी है. (बहारे शरीअत)
- नमाज़ के कुल मिलाकर सात (७) फराइज़ हस्बे-ज़ेल हैं;

फराइज़े नमाज़ →

१.	तकबीरे तहरीमा
२.	क़याम (खडा होना)
३.	क़िरअ़त
४.	रुकूअ़
५.	सजदा
६.	क़ा'द-ए-आख़िरा
७.	खुरुज-बे-सुन्एहि

अब नमाज़ के सात (७) फराइज़ की क्रमवार तफसील और इन फराइज़ के तअ़ल्लुक से शरई मसाइल और अहेकाम पैशे-ख़िदमत हैं.

नमाज़ का पहला फर्ज़ : 'तकबीरे तहरीमा'

- हक़ीकतन येह फर्ज़ नमाज़ के शराइत से है, मगर चूंकि नमाज़ के अफआ़ल (कामों) से इसको बहुत ज़यादा इत्तेसाल (जोडाण) है, इस वजह से इसका शुमार नमाज़ के फराइज़ में भी हुआ है.

- तकबीरे-तहरीमा या'नी 'अल्लाहो अकबर' कहकर नमाज़ शुरु करना. हालांकि नमाज़ के दीगर (अन्य) अरकान की अदायगी और इन्तेकाल या'नी एक रुकन से दूसरे रूकन में जाते वक़्त भी 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, लैकिन सिर्फ नमाज़ शुरु करने के वक़्त जो 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, वही तकबीरे-तहरीमा है और वोह फर्ज़ है. इसको छोड़ने से नमाज़ नहीं होगी.
- नमाज़ के दीगर अरकान की अदायगी के वक़्त जो 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, उसे 'तकबीरे-इन्तिकाल' कहा जाता है.
- नमाज़ के तमाम शराइत या'नी तहारत, सतरे-औरत, इस्तिक़बाले-क़िब्ला, वक़्त और निय्यत का तकबीरे-तहरीमा कहने के पहले पाया जाना ज़रूरी है. अगर 'अल्लाहो अकबर' कह चुका और कोई शर्त मफ्कूद (गाइब) है, तो नमाज़ क़ाइम ही न हुई.

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

तकबीरे तहरीमा के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'जिन नमाज़ों में क़याम (खड़ा होना) फर्ज़ है, उनमें तकबीरे-तहरीमा के लिये भी क़याम फर्ज़ है. अगर किसी ने बैठकर 'अल्लाहो अकबर' कहा, फिर खड़ा हो गया, तो उसकी नमाज़ शुरु ही न हुई.' (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मस्अला

'इमाम को रुकूअ़ में पाया और मुक़तदी तकबीरे तहरीमा कहता हुआ रुकूअ़ में गया और तकबीरे-तहरीमा उस वक़्त ख़त्म की कि अगर हाथ बढ़ाए (लम्बा करे) तो घुटने तक पहुँच जाए, तो उसकी नमाज़ न हुई. (रद्दुल मोहतार)

मो'मिन की नमाज़

मस्अला

'बा'ज़ (कुछ) लोग इमाम को रुकूअ़ में पा लेने की ग़रज़ से जल्दी जल्दी रुकूअ़ में जाते हुए तकबीरे-तहरीमा कहते हैं और ज़ुकने की हालत में तकबीरे-तहरीमा कहते हैं. उनकी नमाज़ नहीं होती. उनको अपनी नमाज़ फिर से दोबारा पढ़नी चाहिये. (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९३)

मस्अला

'नफ्ल नमाज़ के लिये तकबीरे-तहरीमा रुकूअ़ में कही तो नमाज़ न हुई और अगर बैठ कर कही तो हो गई.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'जो शख़्स तकबीर के तलफ़्फ़ुज़ पर क़ादिर न हो, मस्लन गूंगा (मूंगा-Dumb) हो या किसी वजह से ज़ुबान बंध हो गई हो, उस पर तलफ़्फ़ुज़ या'नी मुंह से बोलना वाजिब नहीं. दिल में इरादा काफी है, या'नी दिल में कह ले. (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

पहली रकअ़त का रुकूअ़ मिल गया तो तकबीरे-उला या'नी तकबीरे-तहरीमा की फज़ीलत मिल गई. (आलमगीरी, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तकबीरे-तहरीमा में अल्लाहो अकबर का जुमला (वाक्य) कहना वाजिब है. (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तकबीरे तहरीमा के लिये दोनों हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तकबीरे-तहरीमा में हाथ उठाते वक़्त ऊंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिये या'नी ऊंगलियों को बिल्कुल मिलाना भी न चाहिये और ब:तकल्लुफ (तकलीफ उठाकर-Inconvenient) कुशादा (खुली-Opened) भी न रखना चाहिये और येह सुन्नत तरीक़ा है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तकबीरे-तहरीमा कहते वक़्त हथेलियों और ऊंगलियों के पेट क़िब्ला रु होना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'दोनों हाथों को तक्बीर कहने से पहले उठाना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तकबीरे तहरीमा के वक़्त सर न झुकाना बल्कि सीधा रखना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'औरत के लिये सुन्नत येह है कि तकबीरे-तहरीमा में हाथ सिर्फ मूढों (कंधों) तक उठाए.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'तकबरे तहरीमा के बाद फौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है. हाथ को लटकाना नहीं चाहिये बल्कि तकबीरे तहरीमा कहने के फौरन बाद दोनों हाथों को कान से हटा कर नाफ (डुंटी) के नीचे बांध लेना चाहिये.' (बहारे शरीअ़त)

नोट :

बा'ज़ लोग तकबीरे तहरीमा कहने के बाद हाथों को सीधा कर के लटकाते हैं फिर हाथ बांधतें हैं एसा नहीं करना चाहिये.

मस्अला

'इमाम का तकबीरे-तहरीमा और तकबीरे-इन्तिक़ाल बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अगर कोई शख़्स किसी उज़्र की वजह से सिर्फ एक हाथ ही कान तक उठा सकता है, तो एक ही हाथ कान तक उठाए.' (आ़लमगीरी)

मस्अला

'मुक़्तदी और अकैले नमाज़ पढ़ने वाले को तकबीरे-तहरीमा जह्र (बुलन्द आवाज) से कहने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ इत्नी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुने.' (बहरूर राइक़, दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'तकबीरे-तहरीमा के वक़्त हाथ उठाना सुन्नते-मोअक्केदा है. हाथ उठाना तर्क करने (छोड़ देने) की आदत से गुनाहगार होगा. तकबीरे-तहरीमा में हाथ न उठाने से नमाज़ मकरूह होगी.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १७६)

मस्अला

'अगर इमाम तकबीरे-इन्तेक़ाल या'ने 'अल्लाहो अकबर' बुलन्द आवाज़ से कहना भूल गया और आहिस्ता कहा तो सुन्नत तर्क हुई, क्योंकि 'अल्लाहो अकबर' पूरी बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है. नमाज़ में कराहते तन्ज़ीही आई, मगर नमाज़ हो गई.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १४७)

नमाज़ का दूसरा फर्ज़ : 'क़याम'

या'नी नमाज़ में खड़ा होना और क़याम की कमी की जानीब (लघुत्तम/ Minimum) हद येह है कि अगर हाथ फेलाए (लम्बा करे) तो घुटनों तक हाथ न पहुंचे और पूरा कयाम येह है कि सीधा खड़ा हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

क़याम की मिक़दार (मात्रा) इत्नी देर तक है जितनी देर तक क़िरअत है. या'नी जित्नी देर क़िरअत फर्ज़ है, इत्नी देर के लिये क़याम भी फर्ज़ है. इसी तरह जित्नी दैर क़िरअत वाजिब है, इत्नी दैर के लिये क़याम वाजिब है और जित्नी दैर किरअत सुन्नत है इत्नी दैर की लिये क़याम सुन्नत है.'

(दुर्रे मुख़्तार)

मज़कूरा (वर्णनीय) हुक्म पहली रकअ़त के सिवा अन्य रकअ़तों का है. पहली रकअ़त में फर्ज़ क़याम में तकबीरे-तहरीमा की मिक़दार भी शामिल हो गई और सुन्नत क़याम में सना, तअव्वुज और तसमिया की मिक़दार शामिल हो गई.' (बहारे शरीअ़त)

क़याम के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'फर्ज़, वित्र, ईदैन और फज्र की सुन्नत, इन तमाम नमाज़ों में क़याम फर्ज़ है. अगर बिला उज़्रे-सहीह येह नमाज़ें बैठकर पढ़ेगा तो नमाज़ न होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'एक पांव पर खड़ा होना या'नी दूसरे पांव (Leg) को ज़मीन से उठा हुआ रखकर क़याम करना मकरुहे-तहरीमी है और अगर किसी उज़्र (मजबूरी) की वजह से ऐसा किया तो हर्ज नहीं.' (आलमगीरी)

मस्अला

'अगर कुछ दैर के लिये भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर 'अल्लाहो अकबर' कह ले तो फर्ज़ है कि खड़ा होकर इतना ही कह ले, फिर बैठ जाए.' (गुन्या, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५२)

मस्अला

'आजकल उमूमन (सामान्यता) येह बात देखी जाती है कि ज़रा सी कमज़ोरी या मामूली बीमारी या बुढ़ापा (वृद्धावस्था) की वजह से सिरे से बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं. हालांकि उन बैठकर नमाज़ पढ़नेवालों में से बहुत से ऐसे भी होते हैं कि हिम्मत करें तो पूरी फर्ज़ नमाज़ खड़े होकर अदा कर सकते हैं और इस अदा से न इनका मरज़ (बिमारी) बढ़े, न कोई नया मरज लाहिक (लागू) हो और न ही गिर पड़ने की हालत हो. बारहा का मुशाहेदा (अनुभव) है कि कमज़ोरी और बीमारी के बहाने बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़नेवाले खड़े रहेकर काफी दैर तक इधर-उधर की बातें करते होते है. ऐसे लागों को बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि इन पर फर्ज़ है कि खड़े होकर नमाज़ अदा करें.' (फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५३ और ४२४)

मस्अला

'अगर कोई शख़्स कमज़ोर या बीमार है लैकिन असा (लकड़ी) या ख़ादिम या दिवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो उस पर फर्ज़ है कि उन पर टेक लगा कर खड़ा होकर नमाज़ पढ़े.'

(गुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४३)

मस्अला

'कश्ती पर सवार है और वोह चल रही है तो बैठकर चलती हुई कश्ती में नमाज़ पढ़ सकता है.' (गुन्या)

'या'नी जबकि चक्कर आने का गुमाने-ग़ालिब हो. इसी तरह चलती ट्रेन, बस और अन्य सवारियों में अगर खड़ा रहेना मुम्किन नहीं तो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है लैकिन बाद मे एआदा करे. (यानी फिर से नमाज़ पढ़े)'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-६२७)

मस्अला

'क़याम की हालत में दोनों पांव के दरमियान चार (४) ऊंगल का फासला (अंतर) रखना सुन्नत है और यही हमारे इमामे-आ'ज़म से मन्कूल है.'

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५१)

मस्अला

'क़याम में 'तरावोह-बयनल-क़दमैने' या'नी थोडी़ दैर एक पांव पर ज़ोर (वज़न) रखना फिर थोडी़ दैर दूसरे पांव पर ज़ोर रखना सुन्नत है.

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४४९)

मस्अला

'नमाज़ी के लिये मुस्तहब है कि हालते-क़याम में अपनी नज़र सजदा करने की जगह पर रखे.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'क़याम में मर्द हाथ यूं बांधे कि नाफ के नीचे, दायें (Right) हाथ की हथेली बायें (Left) हाथ की कलाई के जोड़ पर रखे और छिन्गलियां (सबसे छोटी ऊंगली/टचली आंगळी) तथा अंगूठा कलाई के इर्द-गिर्द हल्का (Round) की शक्ल में रखे और बीच की तीनों उंगलियों को बायें हाथ की कलाई की पुश्त पर बिछा दे.

औरत बायीं हथेली सीना पर पिस्तान (स्तन-Breast) के नीचे रखकर उस की पुश्त (पीठ-Back) पर दायीं हथेली रखे.'

(गुन्या, फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४६)

मस्अला

'खडे़ होकर पढ़ने की क़ुदरत हो तो भी नमाज़े-नफ़्ल बैठकर पढ़ सकते हैं मगर खडे़ होकर पढ़ना अफज़ल है. हदीस शरीफ में है कि बैठकर पढने वाले की नमाज़ खडे़ होकर पढने वाले की निस्फ (आधी) है और अगर किसी उज्र की वजह से बैठकर पढ़ी तो सवाब में कमी न होगी. आजकल अ़वाम में रिवाज पड़ गया है कि नफ्ल नमाज़ बैठ कर पढ़नी चाहिये. और शायद नफ़्ल नमाज़ बैठकर पढ़ना अफज़ल गुमान करते हैं लैकिन येह ख़याल ग़लत है. नफ़्ल नमाज़ भी खडे़ होकर पढ़ना अफज़ल है और खडे़ होकर पढ़ने में दूगना (Double) सवाब है. अलबत्ता अगर बग़ैर किसी उज्र भी नफ्ल नमाज़ बैठकर पढ़ी तो भी नमाज़ बिला कीसी क़िस्म (प्रकार) की कराहत के हो जाएगी मगर सवाब आधा हासिल होगा.'

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त हिस्सा-४, सफहा १७)

मस्अला

'हुजूर पुर नूर, रहमते-आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने नफ़्ल नमाज़ बैठकर अदा फ़रमाई लैकिन साथ में येह भी फरमाया कि मैं तुम्हारी मिस्ल (समान) या'नी तुम जैसा नहीं हूं. मेरा सवाब खडे़ होकर और बैठकर पढ़ने में दानों में यकसां (बराबर) है. तो उम्मत के लिये खडे़ होकर पढ़ना अफज़ल और दूना सवाब है और बैठकर पढ़ने में भी कोई ए'तराज़ (दोष-Critism) नहीं.' (फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४६१)

मस्अला

'बैठकर नफ्ल नमाज़ अदा करने में रुकूअ इस तरह करना चाहिये कि पैशानी झुक कर घुटनों के मक़ाबिल (सामने) आ जाए और रुकूअ़ करने में सुरीन (कुल्ला-Buttock) उठाने की हाजत नहीं. बैठकर नमाज़ पढने में रुकूअ करते वक़्त सुरीन उठाना मकरुहे-तन्ज़ीही है.'

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५१ और ६९)

मस्अला

'हालते-क़याम में दायें-बायें जूमना मकरुहे-तन्ज़ीही है.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ्हा नं. १७३)

मस्अला

'अगर क़याम पर क़ादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता या सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से ज़ख़्म बहेता है, तो उसके लिये बेहतर है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी इशारे से पढ़ सकता है.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ्हा नं. ६८)

मस्अला

'अगर कोई शख़्स इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमाअ़त के लिये जाने के बाद खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा और अगर घर में पढ़ता है तो खड़े होकर पढ़ सता है, तो उसे चाहिये कि घर पर नमाज़ पढ़े. अगर घर में जमाअ़त मयस्सर (प्राप्त) हो तो बेहतर है, वर्ना तन्हा खड़े होकर घर में ही पढ़ लें.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत हिस्सा ३, सफ्हा नं. ६९)

मस्अला

'जिस शख़्स को खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने से पैशाब का क़तरा (बूंद) टपकता हो लैकिन बैठकर नमाज़ पढ़ने से कतरा नहीं आता, तो उस पर फर्ज़ है कि बैठकर पढ़े, लैकिन शर्त येह है कि पेशाब का क़तरा टपकने का आरज़ा (बीमारी) और किसे त़रीके से रोक न सके.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा नं. ६९)

नमाज़ का तीसरा फर्ज़ : 'क़िरअ़त'

◆ 'या'नी कुरआने-मजीद का इस त़रह पढ़ना कि तमाम हुरुफ (अक्षर) अपने मख़रज से सहीह त़ौर पर अदा किये जाअें कि हर हर्फ अपने ग़ैर से सहीह त़ौर से मुम्ताज़ (अलग) हो जाए. मस्लन हर्फ, 'जीम' (ج), 'ज़ाल' (ذ), 'ज़े' (ز), 'दुवाद' (ض) और 'ज़ोय' (ظ) अपने-अपने मख़रज (व्युत्पत्ति) से इस तरह सहीह अदा हों कि सुनने वाला इम्तियाज़ (तफ़ावुत) कर सके कि कौन सा हर्फ पढ़ा गया.'

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १०४ और १११)

◆ 'आहिस्ता पढ़ने में ज़रूरी है कि इत्नी आवाज़ से पढ़े कि खूद को सुनने में आए. अगर कोई मानेअ़ (अवरोध) या'नी क़रीब में किसी तरह (प्रकार) का कोई शोरो-गुल नहीं या उसे सक़्ले-समाअ़त (बहेरा होना) नहीं और इत्नी धीमी आवाज़ से क़िरअ़त की कि खूद को भी सुनने में न आया, तो उसकी नमाज़ न हूई.' (आलमगीरी)

◆ 'किरअ़त फर्ज़ होने से मुराद मुत्लक़न एक आयत पढ़ना फर्ज़ नमाज़ की दो (२) रकअ़तों में तथा वित्र, सुन्नत और नफल नमाज़ की हर (प्रत्येक) रकअ़त में इमाम और मुन्फरिद पर फर्ज़ है.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२२/१२३)

◆ 'एक छोटी आयत जिसमें दो (२) या दो (२) से ज़्यादा कलेमात हों, पढ़ लेने से फर्ज़ अदा हो जाएगा और अगर एक ही हर्फ की आयत हो जैसे 'सुवाद' (صٓ) या 'नून' (نٓ) या 'क़ाफ' (قٓ) तो उसके पढ़ने से फर्ज़ अदा न होगा, अगरचे उसको बार-बार पढे.'

(आलमगीरी, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १३१)

◆ कुरआन शरीफ पढ़ने में तजवीद ज़रूरी है और इत्नी तजवीद कम से कम कि हुरूफ सहीह अदा हों और ग़लत पढ़ने से बचे, फर्ज़े-ऐन है.

(बज़ाज़िया, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १३०)

नोट :

तजवीद = कुरआन शरीफ पढ़ने का फन (विद्या)

(फीरोजुल्लुग़ात, सफहा नं. ३४६)

◆ 'नमाज़ के सहीह होने के लिये फन्ने तजवीद जानना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता हुरूफ सहीह अदा होना ज़रूरी है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सुन-सुन कर सहीह पढ़ते हैं, अगर उनसे हुरुफ के मख़रज के मुतअल्लिक पूछा जाए तो मख़रज नहीं बता सकते, हालांकि वोह सहीह तौर पर कुरआन शरीफ पढ़ते हैं.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२८)

◆ 'फर्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअ़तों में और वित्र, सुन्नत व नफ़्ल नमाज़ की हर रकअ़त में मुत्लक़न एक आयत का पढ़ना इमाम और मुन्फ़रिद पर फर्ज़ है.' (बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ७१)

◆ 'फर्ज़ की किसी रकअ़त में क़िरअ़त न की, या सिर्फ एक ही रकअ़त में क़िरअ़त की तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअ़त हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ७०)

क़िरअ़त के तअल्लुक से ज़रुरी मसाइल

मस्अला

'सूरते फातेहा (अल-हम्दो शरीफ) पूरी पढ़ना या'नी सातों (७) आयतें मुस्तक़िल (द्रढ़ और संपूर्ण) पढ़ना वाजिब है. सूरअ-ए-फातेहा में से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ (शब्द) को छोड़ना तर्के-वाजिब है.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'सूरते-फातेहा पढ़ने में अगर एक लफ्ज़ भी भूले से रहे जाए तो सज्द-ए-सहव करे.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'सूर-ए-फातेहा' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है. या'नी एक छोटी सी सूरत या तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो.

(बहारे शरीअ़त, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२३/१३४)

मस्अला

'अल-हम्दो शरीफ तमाम व कमाल पढ़ना वाजिब है और उसके साथ किसी दूसरी सूरत से एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें पढ़ना भी वाजिब है.' (फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२३)

मस्अला

फर्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअ़तों में 'अल-हम्दो शरीफ' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'वित्र, सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की हर रकअ़त में 'अल-हम्दो शरीफ' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर कोई शख़्स सूर-ए-फातेहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया या सूर-ए-फातेहा पढ़ना भूल गया और सूर-ए-फातेहा पढ़े बग़ैर सूरत पढ़ी तो सजद-ए-सहव करने से नमाज़ हो जाएगी.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२५)

मस्अला

'सूर-ए-फातेहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो शरीफ) सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ना वाजिब है. ज़्यादा मरतबा पढ़ना तर्के-वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अल-हम्दो शरीफ और सूरत के दरमियान फस्ल (वक़्फ़ा) न हो या'नी अल-हम्दो शरीफ के बाद फौरन सूरत का पढ़ना और दोनों के दरमियान किसी भी अजनबी का फासिल न होना वाजिब है. 'आमीन' सूर-ए-फातेहा के ताबेअ् और 'बिस्मिल्लाह' सूरत के ताबेअ् होने की वजह से फासिल नहीं.' (बहारे शरीअत)

मस्अला

'सूरत पहले पढ़ी और अल-हम्दो शरीफ बाद में पढ़ी या अल-हम्दो शरीफ के बाद सूरत पढ़ने में देर की या'नी तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने में जितना वक़्त लगता है, इत्नी देर चुप रहा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'सूरतों के शुरु में 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' एक पूरी आयत है, मगर सिर्फ इसको पढ़ने से किरअ़त का फर्ज़ अदा न होगा. (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ी या'नी मुक़्तदी को नमाज़ में क़िरअ़त करना जाइज़ नहीं. न सूर-ए-फातेहा पढ़े, न ही कोई दूसरी सूरत या आयत पढ़े,, यहां तक कि ज़ोह्र और अस्र की नमाज़ की सब रकअ़तों में और मग़रिब व इशा की नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में जब इमाम आहिस्ता से किरअ़त पढ़ता है, उन तमाम रकअ़तों में और जह्र से या'नी बुलन्द आवाज़

से पढ़ी जानेवाली रकअ़तों में भी मुक़्तदी को किरअ़त पढ़ना जाइज़ नहीं. इमाम की किरअ़त मुक़्तदी के लिये काफी है.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ६२, ८८)

मस्अला

'नमाज़ में तअव्वुज़ और तस्मिया क़िरअ़त के ताबेअ़ हैं और मुक़्तदी पर क़िरअ़त नहीं, लेहाज़ा तअव्वुज़ और तस्मिया भी मुक़्तदी के लिये मसनून नहीं लैकिन जिस मुक़्तदी की कोई रकअ़त छूट गई हो, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वोह अपनी बाक़ी रकअ़त पढ़े, उस वक़्त इन दोनों को पढ़े.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'इमाम ने जह्री नमाज़ में किरअ़त शुरु कर दी हो तो मुक़्तदी 'सना' न पढ़ें बल्कि ख़ामोश रहेकर किरअ़त सुने, क्योंकि क़िरअ़त का सुनना फर्ज़ है.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ६१)

◆ इमाम के पीछे मुक़्तदी को क़िरअ़त पढ़ना सख़्त मना है. अहादीसे-करीमा में इस के तअल्लुक से सख़्त मुमानेअ़त और वईद हैं. चंद अहादीसे-करीमा पैशे ख़िदमत हैं.

हदीस

तिरमिज़ी, हाकिम और मुस्लिमने हज़रत जाबिर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते है कि; 'जो शख़्स इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िरअ़त उसकी क़िरअ़त है.'

हदीस

'हज़रत सा'द बिन अबी वक़ास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने फरमाया कि मैं दोस्त रखता हूं (पसन्द करता हूं) कि जो इमाम के पीछे क़िरअ़त करे

उसके मुंह में अंगारा हो,'

हदीस

'अमीरुल मो'मिनीन, हज़रत उमर फारूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो फरमाते है कि जो इमाम के पीछे क़िरअत करता है, काश ! उसके मुंह में पत्थर हो.'

हदीस

'हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद इब्ने साबित और हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हुमा से सवाल हुआ. उन्हों ने फरमाया कि इमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़िरअत न करे.'

हदीस

'अमीरुल मो'मिनीन, हज़रत सय्येदुना मौला अली मुर्तज़ा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से मन्कूल है कि फरमाया; ' जिसने इमाम के पीछे किरअत की उसने फित्रत से ख़ता की.'

मस्अला

'क़िरअत ख़्वाह सिर्री हो ख़्वाह जह्री हो, बिस्मिल्लाह हर हाल में आहिस्ता पढ़ी जाएगी.' (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५६१/५६५)

मस्अला

'अगर सूर-ए-फातेहा के बाद किसी सूरत को अव्वल से शुरु करे तो सूर-ए-फातेहा के बाद भी सूरत पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'तअव्वुज़ पहली रकअत में है और तसमीया हर रकअत के शुरु में मसनून है.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'मग़रिब और इशा की पहली दो (२) रकअतों में और फज्र, जुम्आ, ईदैन, तरावीह और रमज़ान के वित्र की सब रकअतों में इमाम पर जह्र या'नी बुलन्द आवाज़ से क़िरअत पढ़ना वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'मग़रिब की तीसरी रकअत, इशा की आख़री दो रकअत और ज़ोहर व अस्र की तमाम रकअतों में इमाम को आहिस्ता क़िरअत पढ़ना वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९३)

मस्अला

'जह्र येह है कि दूसरे लोग या'नी कम-अज़-कम वोह लोग जो पहली सफ में हैं, वोह सुन सकें, येह अदना दर्जा जह्र से क़िरअत करने का है और आला दर्जा के लिये कोई हद मुक़र्रर नहीं और आहिस्ता क़िरअत करने के मा'नी येह हैं कि खूद सुन सके.' (आम्म-ए-कुतुबे-फिक़ह)

मस्अला

'इस तरह पढ़ना कि फक्त एक दो आदमी जो इमाम के क़रीब हैं, वही सुन सकें तो इस तरह पढ़ना जह्र नहीं बल्कि आहिस्ता है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'ज़रूरत से ज़्यादा इस क़दर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरों के लिये तकलिफ का बाइस (कारण) हो, मकरुह है.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'नमाज़ में 'आमीन' बुलन्द आवाज़ से कहना मकरुह और खिलाफे सुन्नत है.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३)

मस्अला

'रात में जमाअ़त से नफ्ल नमाज़ पढ़ने में इमाम पर जह्रसे किरअ़त पढ़ना वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'दिन में जमाअ़त से नफ्ल नमाज़ पढ़ने में इमाम पर आहिस्ता क़िरअ़त पढ़ना वाजिब है. अगर दिन में अकैला नफल पढ़ता हो, तब भी आहिस्ता पढ़े. रात में अगर अकैला नवाफिल पढता है, तो इख़्तियार है कि चाहे आहिस्ता पढ़े या जह्र से (बुलन्द आवाज़ से) पढ़े.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मुन्फरिद या'नी अकैला नमाज़े-फर्ज़ पढ़ने वाले को जह्र नमाज़ या'नी फजर, मग़रिब और इशा की नमाज़ में इख़्तियार है, चाहे तो आहिस्ता क़िरअ़त पढ़े और चाहे तो बुलन्द आवाज़ से पढ़े और अफज़ल येह है कि बुलन्द आवाज़ (जह्र) से पढ़े, जब कि अदा पढ़ता हो और अगर क़ज़ा पढ़ता हो तो आहिस्ता क़िरअत पढ़ना ही वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मस्अला

'बेहतर येह है कि पहली रकअ़त की क़िरअ़त दूसरी रकअ़त की क़िरअ़त से क़दरे (थोडी) ज़्यादा हो. यही हुक्म जुम्आ़ और दोनों ईदों की नमाज़ में भी है.' (आलमगीरी, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

दूसरी रकअ़त की क़िरअ़त पहली रकअ़त की क़िरअ़त से तवील (लंबी) करना मकरुहे-तन्ज़ीही है, जब कि फर्क़ (तफावत) साफ तौर पर ज़ाहिर और मा'लूम हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १००)

मस्अला

'इमाम के लिये ज़रूरी है कि बीमार, ज़ईफ, बुढ्ढे और काम पर जाने वाले ज़रूरतमंद मुक़्तदीयों का लिहाज़ (ख़्याल) करते हुए तवील किरअ़त न करे कि उनको तकलीफ पहुंचे, बल्कि इख़्तिसार करे.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२०)

मस्अला

बेहतर येह है कि सुनन और नवाफील की दानों रकअ़तों में बराबर की सूरत पढे.' (मुन्युतल मुसल्ली)

मस्अला

'फर्ज़ नमाज़ में ठहेर-ठहेर कर क़िरअ़त करना चाहिये और तरावीह में मुतवस्सित (दरमियानी) अन्दाज़ में और नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर जल्दी में भी इस तरह पढ़ना चाहिये कि समज़ में आ सके या'नी कम अज़ कम 'मद' का जो दर्जा क़ारियों (किरअ़त के जानकारों) ने रखा है उसको अदा करे, वर्ना हराम है क्योंकि कुरआ़ने मजीद को तरतील (Recital-साफ आवाज़ से, आहिस्ता और ठहेर ठहेर कर) पढ़ने का हुक्म है.'

(रद्दे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'आजकल रमज़ान में अकसर हाफिज़ लोग तरावीह में कुरआ़ने-मजीद इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ते है कि 'मद' का अदा होना तो बड़ी बात है, एसा तेज़ रफ्तारी (गति) से पढ़तें हैं कि ''या'लमून-ता'लमून'' के सिवा किसी लफ्ज़ की शनाख्त नहीं होती. किसी भी हर्फ की तसहीह नहीं होती बल्कि जल्दी जल्दी में लफ्ज़ का लफ्ज़ खा जाते हैं (ग़ायब कर देते हैं) और इस तरह ग़लत पढ़ने पर फख्र किया जाता है कि फलां हाफिज़ इस क़दर जल्द पढता है. हालांकि इस तरह कुरआ़न मजीद पढ़ना हराम और सख़्त हराम है.

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'कुरआने-मजीद उल्टा पढ़ना या'नी पहली रकअ़त में बाद वाली सूरत पढ़ना और दूसरी रकअ़त में उसके उपरवाली सूरत पढ़ना सख़्त गुनाह है. मस्लन पहली रकअ़त में 'सूर-ए-काफेरुन' (कुल-या-अय्युहल-काफेरुन) और दूसरी रकअ़त में 'सूर-ए-फील' (अलम-तरा-क्यफ़) पढ़ना.

(दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

उल्टा कुरआ़न शरीफ पढ़ने के लिये सख़्त वईद आई है. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्उद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो फरमाते हैं 'जो कुरआ़न को उलट कर पढ़ता है वोह क्या ख़ौफ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर भूलकर ख़िलाफे-तरतीब (उल्टा) कुरआ़न पढ़ा तो न गुनाह है और न सज्द-ए-सह्व है.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर इमाम ने भूल कर पहली रकअ़त में 'सूर-ए-नास' (कुल-अउज़ो बे रब्बिननासे) और दूसरी रकअ़त में 'सूर-ए-फलक' (कुल-अउज़ो-बे-रब्बिल-फलके) पढ़ी, तो भूल कर ऐसा करने से नमाज़ में हर्ज नहीं और सजद-ए-सह्व की भी ज़रूरत नहीं और अगर क़सदन (जानबूज़ कर) ऐसा किया तो गुनाहगार होगा लैकिन नमाज़ हो जाएगी. सजद-ए-सह्व अब भी ज़रूरी नहीं. तौबा करे और आइन्दा ऐसा करने से इजतिनाब (परहेज़) करे.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३२)

मस्अला

'पहली रकअ़त में बड़ी सूरत पढ़ना और दूसरी रकअ़त में पहली रकअ़त वाली सूरत के बाद वाली छोटी सूरत को छोड़ कर उस छोटी सूरत के बाद वाली बड़ी सूरत पढ़ना मकरुह है. मस्लन पहली रकअ़त में 'कुल-या-अय्युहल काफेरूना' पढना और दूसरी रकअ़त में 'तब्बत-यदा-अबीलहब' पढ़ना और 'इज़ा-जाआ-नस्रूल्लाह' छोड़ देना.'

(दुर्रे मुख़्तार,फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३६)

मस्अला

'दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत की तकरार (पूनरावर्तन) करना मकरुहे-तन्ज़ीही है, जबकि कोई मजबूरी न हो, और अगर मजबूरी है तो बिल्कुल कराहत नहीं. मस्लन पहली रकअ़त में पूरी 'सूर-ए-नास' (कुल अउज़ो-बे-रब्बिनास) पढ़ी तो अब दूसरी सूरत में भी यही पढ़े या दूसरी रकअ़त में भी बिला क़स्द (इरादा) पहली रकअ़तवाली सूरत पढ़ना शुरू कर दी, या उसको सिर्फ एक ही सूरत याद है, तो इन तमाम हालतों में एक ही सूरत की दोनों रकअ़तों में तकरार जाइज़ है.'

(रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९९)

मस्अला

'नवाफिल की दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत को मुकर्रर पढ़ना या एक ही रकअ़त में उसी सूरत को बार-बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है.'

(गुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९८-९९)

मस्अला

'क़िरअ़त में आयते-सज्दा पढ़ी तो चाहे तरावीह की नमाज़ हो, चाहे फर्ज़ या और कोई नमाज़ हो, अकेला पढ़ता हो या जमाअत से पढ़ता हो, अगर नमाज़ में आयते-सजदा पढी़ तो फौरन सजदा करे. तीन आयते पढ़ने के वक़्त

की मिक़्दार से ज़्यादा दैर लगाना गुनाह है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६५५)

मस्अला

'सूर-ए-फातेहा के बाद सूरत सोचने में इत्नी दैर लगाई कि तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कह लिया जाए, तो क़िरअत् में ताख़ीर (दैर) होने की वजह से तर्के-वाजिब हुआ, लिहाज़ा सजद-ए-सहव करना वाजिब है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २७९, ६३०)

मस्अला

'नमाज़ में क़ुरआन शरीफ से देखकर क़िरअ्त पढ़ने से नमाज़ फासिद हो जाएगी. यूंही अगर मेहराब वग़ैरह में लिखा हुआ है, तो उसे देखकर पढ़ने से नमाज़ फासिद या'ने टूट जाएगी.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अगर सना, तअव्वुज़ और तसमीया पढ़ना भूल गया और क़िरअ्त शुरू कर दी, तो ए'आदा न करे कि उनका महल (स्थान) फौत हो गया. यूंही अगर सना पढ़ना भूल गया और तअ्व्वुज़ शुरु कर दिया, तो अब सना का एआदा न करे.' (रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअ्त)

मस्अला

'इमाम ने जहर (बुलन्द आवाज़) से क़िरअ्त शुरू कर दी तो मुक़्तदी सना न पढ़े, अगरचे दूर वाले सफ में होने या बहेरा (बधिर) होने की वजह से इमाम की आवाज़ न सुनता हो, जैसे जुम्आ और ईदैन में पिछली सफ के मुक़्तदी दूर होने की वजह से (के कारण) क़िरअ्त नहीं सुन पाते और अगर इमाम क़िरअ्त 'बिस-सिर्र' या'नी आहिस्ता पढ़ता हो, मस्लन ज़ोहर या अस्र की नमाज़ में, तो मुक़्तदी सना पढ़ सकता है.' (आलमगीरी, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'क़िरअ्त ख़त्म होते ही मुत्तसेलन (संलग्न-Adjoining) रूकूअ् करना वाजिब है.' (बहारे शरीअ्त)

मस्अला

रूकूअ् में जाने के लिये तकबीर कही मगर अभी रूकूअ् में न गया था या'नी घुटनों तक हाथ पहुंचने के क़ाबिल न झुका था कि और ज़्यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है, कुछ हर्ज् नहीं.' (आलमगीरी)

मस्अला

'नमाज़ में 'अल-हम्दो' शरीफ के बाद सहवन (भूलकर) सूरत मिलाना भूल गया, तो अगर रूकूअ् में याद आ जाए तो फौरन खड़ा होकर सूरत पढे, फिर दोबारा रूकूअ् करे और नमाज़ तमाम करके आख़िर में सजद-ए-सहव कर ले, नमाज़ हो जाएगी. नमाज़ दोबारा पढने की ज़रूरत नहीं.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३९)

मस्अला

'नमाज़ में आयते-सजदा पढ़ी और सजदा करने में सहवन तीन आयत पढ़ने के वक़्त जित्नी या ज़्यादा की दैर हो गई तो सजद-ए-सहव करे.' (गुन्या)

मस्अला

'अगर सिर्री नमाज़ में इमाम ने भूलकर एक आयत भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ दी, तो सजद-ए-सहव वाजिब होगा. अगर सजद-ए-सहव न किया या क़सदन बुलन्द आवाज़ से पढा, तो नमाज़ का ए'आदा (फेरना) वाजिब है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९३)

मस्अला

'क़ुरआन की हर आयत पर वक़्फ (ठहरना) मुत्लकन बिला कराहत जाइज़

बल्कि सुन्नत से मर्वी (वर्णन) है. बल्कि जिस आयत पर 'ला' की अ़लामत (चिन्ह) हो, उस पर वक़्फ़ करके रुकूअ़ कर दिया, तो भी नमाज़ हो जाएगी.

[(१) फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३२, (२) अहकामे शरीअत, हिस्सा-२, सफहा ३२, (३) फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १२, सफहा नं. ११३]

मस्अला

'सूर-ए-फातेहा की इब्तिदा में तस्मीया पढ़ना सुन्नत है और सूर-ए-फातेहा के बाद अगर कोई सुरत या किसी सूरत की इब्तिदाई (प्रारम्भिक) आयतें पढे तो उनसे पहले तस्मीया पढ़ना मुस्तहब है. पढ़े तो अच्छाऔर अगर न पढ़े तो हर्ज़ नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७)

मस्अला

'नमाज़ की हर रकअ़त में इमाम और मुन्फरिद (अकैला नमाज़ पढ़नेवाला) को सूर-ए-फातेहा में 'व-लद-दाल्लीन' के बाद 'आमीन' कहना सुन्नत है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२)

मस्अला

'इमाम की अवाज़ किसी मुक़्तदी तक न पहुंची मगर उस मुक़्तदी के बराबर (नज़दीक) वाले मुक़्तदी ने 'आमीन' कही और उस ने 'आमीन' की आवाज़ सुन ली, अगरचे उस मुक्तदी ने 'आमीन' आहीस्ता कही है, तो येह सुनने वाला भी 'आमीन' कह. गर्ज़ येह कि इमाम का 'व-लद-दाल्लीन'. कहना मा'लूम हुआ तो 'आमीन' कहना सुन्नत हो जाएगा. फिर चाहे इमाम की आवाज़ सुनने से मा'लूम हो या किसी मुक़्तदी के 'आमीन' कहने से मा'लूम हो.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'सिर्री नमाज़ में इमाम ने 'आमीन' कही और मुक़्तदी उसके क़रीब था और मुक़्तदी ने इमाम की 'आमीन' कहने की आवाज़ सुन ली, तो मुक़्तदी भी 'आमीन' कह.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'अगर किसी ने फर्ज़ नमाज़ की पिछली दो रकअ़त में सहवन (भूलकर) या कसदन (जान बूज़कर) 'अल-हम्दो' शरीफ के बाद कोई एक सूरत मिलाई या कुछ आयतें पढ़ी, तो मुज़ाएका नहीं. उसकी नमाज़ में कुछ ख़लल न आया और उसको सजद-ए-सह्व करने की भी ज़रूरत नहीं.
(अहक़ामे शरीअ़त, हिस्सा नं. १, सफ़ा नं. १० और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३७)

मस्अला

'तअव्वुज़ सिर्फ पहली रकअ़त में है, हर रकअत के शुरू में 'बिस्मिल्लाहहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़ना मसनून है.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

क़याम के सिवा रुकूअ़, सुजूद और क़उद में किसी जगह 'बिस्मिल्लाह-हिर्रहमा-निर्रहीम' पढ़ना जाइज़ नहीं कि वोह कुरआन की आयत है और नमाज़ में क़याम के सिवा और जगह कुरआ़न की आयत पढ़नी ममनूअ़ है. अगर पढ़ी तो सजद-ए-सह्व वाजिब है. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३४ और अल मल्फ़ूज़ हिस्सा - ३, सफहा नं. ४३)

मस्अला

'ज़बान से जिस सूरत का एक लफ्ज़ निकल जाए उसी का पढ़ना लाज़िम है. ख़्वाह वोह सूरत क़ब्ल की हो या बाद की, ख़्वाह मुकर्रर पढ़ता हो, हर हाल में उसी सूरत को पढ़ना लाज़िम है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३५/१३६)

मस्अला

'नमाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ बुलन्द अवाज़ से पढ़ना मना है. सिर्फ तरावीह में जब कलाम-मजीद ख़त्म किया जाए तो 'सूर-ए-बकरा' से 'सूर-ए-नास' तक में किसी एक सूरत पर बिस्मिल्लाह शरीफ आवाज़े-बुलन्द से पढ़ ली जाए कि ख़त्म पूरा हो. और हर सूरत पर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ममनूअ़ और मज़हबे-हनफी के ख़िलाफ है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८४)

मस्अला

'मुस्तहब तरीक़ा येह है कि अगर सूरत के आख़िर में नामे-इलाही है, मस्लन 'सूर-ए-नस्र' (इज़ा-जाआ-नस्रूल्लाहो) के आख़िर में 'इन्ननूह-काना-तव्वाबन' पर न ठहेरे बल्कि रूकूअ की तकबीर 'अल्लाहो-अकबर' से वस्ल करे या'नी मिलाकर 'तव्वाबनिल्लाहो-अकबर' पढ़े. इसी तरह सूर-ए-वत्तीन में 'अहकमिल-हाकेमीना' के 'नून' को ज़ैर देकर (या'नी ज़ेर की संज्ञा-Vowel) 'अल्लाहो अकबर' के लाम में मिला दे (या'नी 'हाकेमीनिल्लाहो-अकबर' पढ़े).

और जिस सूरत के आख़िर में नामे इलाही न हो और कोई लफ्ज़ नामे इलाही के तौर पर न हो, वहां इख़्तियार है कि वस्ल करे या'नी मिलाए या न मिलाए, मस्लन 'सूर-ए-अलम-नशरह' में 'फर-ग़ब' पर ठहेर भी सकता है और 'फर-ग़ब' को 'अल्लाहो अकबर' के साथ मिला भी सकता है.

और जिस सूरत के आख़िर में कोई लफ्ज़ नामे-इलाही के लिये नामुनासिब (अयोग्य) हो, वहां हरगिज़ वस्ल न करे या'नी न मिलाए बल्कि फस्ल करे या'ने ठहरे. मस्लन 'सूर-ए-कौसर' के आख़िर में 'हुवल-अबतर' में फस्ल करे या'ने ठहरे और वस्ल न करे या'नी न मिलाए.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२६)

नमाज़ का चौथा फर्ज़ : 'रुकूअ'

- या'नी इतना झुकना कि हाथ बढाए तो हाथ घुटने को पहुंच जाऐं. येह रूकूअ़ का अदना दर्जा है. (दुर्रे-मुख़्तार)
- रूकूअ़ का कामिल दर्जा येह है कि पीठ सीधी बिछा दे. (बहारे शरीअ़त)
- रूकूअ़ हमारे नबी सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और आपकी उम्मते-मरहूमा के ख़साइस (विशिष्टता) से है. रूकूअ़ 'इस्रा' (मे'राज) के बाद अ़ता हुआ बल्कि मे'राज की सुब्ह को जो नमाज़े-ज़ोहर पढ़ी गई, तब तक रूकूअ़ न था. इस के बाद अस्र की नमाज़ में इसका हुक्म आया और हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और सहाबा-ए-किराम (रिदवानुल्लाहे तआला अलैहिम) ने अदा फरमाया. अगली शरीअ़तों में से किसी भी शरीअ़त में रूकूअ़ न था.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. १८२)

रूकूअ़ के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'हर रकअ़त में सिर्फ एक ही रूकूअ़ करे. अगर भूलकर दो रूकूअ़ किए तो सजद-ए-सह्व वाजिब है. (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'रूकूअ़ में कम से एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़दार तक ठहेरना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'रूकूअ़ में तीन (३) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहना सुन्नत है. तीन मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी और पांच मरतबा कहना

मुस्तहब है.' (फत्हुल क़दीर)

मस्अला

'रूकूअ़ में 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहते वक़्त 'अज़ीम' की 'ज़ोय' को खूब एहतियात (सावधानी) से अदा करें. कुछ लोग 'ज़ोय' के बदले 'जीम' अदा करते हैं. या'ने 'अज़ीम' के बदले 'अजीम' पढ़ते है और येह सख़्त गुनाह है, क्योंकि, 'अज़ीम' और 'अजीम' के मा'नों (अर्थ) में बहुत बडा फर्क़ है. इस फर्क को समजें :

- 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम'=पाक है मेरा रब जो बुज़ुर्ग(महान) है.
- अज़ीम = बड़ा, बुज़ुर्ग, अ़ज़मत वाला, कलां वग़ैरह होते है.
- अजीम के मा'ना 'गूंगा' (जो बोल न सके) होते है.

लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला के लिये 'अजीम' लफ्ज़ (शब्द) की निस्बत करना सख़्त मना है.

मस्अला

'अगर कोई शख़्स हर्फे 'ज़ोय' अदा न कर सके,वोह 'सुब्हाना-रब्बीयल-अ़ज़ीम' की जगह 'सुब्हाना-रब्बीयल-करीम' कह. (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'रूकूअ़ में जाने के लिये 'अल्लाहो अकबर' कहना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मर्दो के लिये सुन्नत है कि रूकूअ़ में घुटनों को हाथों से पकड़े और हाथ की ऊंगलियां खूब खुली (चौड़ी) रखें. (बहारे -शरीअ़त)

मस्अला

'औरतों के लिये सुन्नत येह है कि रूकूअ़ में घुटनों को हाथ से न पकड़े बल्कि घुटनों पर हाथ रखें और हाथ की ऊंगलियां कुशादा (चौड़ी) न करें. (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मर्दो के लिये सुन्नत है कि हालते-रूकूअ़ में टांगे सीधी रखें. अकसर लोग रूकूअ़ में टांगें कमान की तरह टेढ़ी कर देते हैं. येह मक्रूह है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मर्दो के लिये सुन्नत है कि रूकूअ़ मे पीठ खूब बिछी हुई रखें. यहां तक कि अगर पानी का प्याला पीठ पर रख दिया जाए, तो ठहेर जाए. (फत्हुल क़दीर)

हदीस

'अबू दाउद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने-माजा और दारमी ने हज़रत अबू मसउद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि;'उस शख़्स की नमाज़ ना-काफी है (या'ने कामिल नहीं) जो रुकूअ़ व सुजूद में पीठ सीधी न करे.'

मस्अला

'मर्दो के लिये सुन्नत है कि रूकूअ़ में सर न झुकाअें और न उंचा रखें बल्कि पीठ के बराबर हो.' (हिदाया, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'औरतो के लिये सुन्नत है कि रूकूअ़ में थोड़ा जुके या'नी सिर्फ इतना कि हाथ घुटने तक पहुंच जाअें और पीठ भी सीधी न करें और घुटनों पर ज़ोर (वज़न) न दें

बल्कि महज़ हाथ रख दें और हाथों की ऊंगलियां मिली हुई रखें. और पांऊ भी झुके हुए रखे, मर्दो की तरह टांगें खूब सीधी न करें.' (आलमगीरी)

मस्अला

'रूकूअ़ से उठते वक़्त हाथ न बांधना बल्कि लटके हुए छोड़ देना सुन्नत है.' (आलमगीरी, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

रूकूअ़ से उठते वक़्त इमाम का 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहना और मुक़्तदी का 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना और मुन्फ़रिद (अकेला पढ़नेवाला) के लिये दोनों कहना सुन्नत है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'मुन्फ़रिद 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहता हुआ रूकूअ़ से उठे और सीधा खड़ा होकर 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कह.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की 'हे' को साकिन पढ़े या'नी 'हमेदहू' न पढ़े बल्कि 'हमेदह' पढ़े और 'दाल' को भी खींच कर न बढ़ाए. इस तरह पढ़ना सुन्नत है.' (आलमगीरी)

मस्अला

'सिर्फ 'रब्बना-लकल-हम्द' कहने से भी सुन्नत अदा हो जाएगी मगर 'वाव' या'नी 'व' मिलाना बेहतर है या'नी 'रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना और शुरू में 'अल्लाहुम्मा' कहना ज़यादा बेहतर है.' (दुर्रे मुख़्तार)

हदीस

'बुखारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से

रिवायत की कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'जब इमाम 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कह तो 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहो कि जिस का क़ौल फरिश्तों के कौल के मुवाफिक हुआ उसके अगले गुनाहों की मग़फिरत हो जाएगी.

मस्अला

'हालते रूकूअ़ में पुश्ते-क़दम की त़रफ नज़र करना मुस्तहब है.'
(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२)

मस्अला

'इमाम ने रूकूअ़ से खड़े होते वक़्त भूल कर 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की जगह (बदले) 'अल्लाहो-अकबर' कहा, तो नमाज़ हो जाएगी. सजद-ए-सहव की अस्लन हाजत नहीं.'
(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४७)

मस्अला

'सुन्नत येह है कि 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की 'सीन' को रूकूअ़ से सर उठाने के साथ कह और 'हमेदह' की 'ह' को सीधा खड़ा होने के साथ ख़त्म करे.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६५)

मस्अला

'रूकूअ़ से जब उठे, तो हाथ लटके हुए छोड़ देना सुन्नत है. हाथ बांधना न चाहिये. (आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'रूकूअ़ से फारिग़ होकर सजदा में जाने से पहले कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़दार खड़ा रहेना या'नी 'कौमा' में खड़ा रहेना वाजिब है.' (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'अगर किसीने सहवन रूकूअ़ में ''सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला'' या सजदा में 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' पढ़ा तो सजद-ए-सह्व की ज़रूरत नहीं. नमाज़ हो जाएगी.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४७)

नमाज़ का पांचवा फर्ज़ : सजदा

- या'नी (१) पेशानी (२) नाक (३/४) दोनों हाथों की हथेलियां (५/६) दोनों घुटने और (७/८) दोनों पांव की ऊंगलियां, कुल आठ आज़ा-ए-जिस्म (अवयव) ज़मीन से लगना.
- पेशानी का ज़मीन पर जमना (लगना) सजदा की हक़ीक़त है.

हदीस

इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआ़ाला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'बन्दे को खुदा से सब से ज़्यादा कुर्ब (नज़्दीकी) हालते-सजदा में हासिल होती है.'

'खुदा-ए-तआ़ाला के सिवा किसी को भी सजदा करना जाइज़ नहीं. ग़ैरे खुदा को इबादत का सजदा करना 'शिर्क' है और ता'ज़ीम का सजदा करना हराम है.'

(हवाला : अज़ूज़ुबदतुज़्-ज़कीया-ले-तहरीमे-सुजूदित-तहीया, लेखक : इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी)

सजदा के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'पांव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना शर्त (फर्ज़) है. अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव ज़मीन से उठे रहे, तो नमाज़ न होगी. बल्कि अगर सिर्फ उंगलियों की नोक (अनी) ज़मीन से लगी, तो भी नमाज़ न हुई. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ५५६)

मस्अला

'सजदा में दोनों पांव की दसों ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगना सुन्नत है और हर पांव की तीन-तीन ऊंगलियां ज़मीन पर लगना वाजिब है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ५५६)

मस्अला

'सजदा में दसों ऊंगलियों का क़िब्ला-रू होना भी सुन्नत है.'

(बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

हर रकअ़त में दो (२) मरतबा सजदा करना फर्ज़ है.'

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५७)

मस्अला

'एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा करना वाजिब है या'नी दोनों सजदों के दरमियान कोई रूक्न फासिल न हो.'

(बहारे शरीअ़त, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५९)

मस्अला

एक रकअ़त में दो (२) ही सजदे करना और दो (२) से ज़ियादा सजदे न करना वाजिब है.' (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सजदा में कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़्दार तक ठहेरना वाजिब है.' (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सजदा में तीन (३) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला' कहना सुन्नत है. तीन मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी और पांच (५) मरतबा कहना मुस्तहब है.' (फत्हुल क़दीर)

मस्अला

'दोनों सजदों के दरमियान 'जलसा' करना या'नी बैठना वाजिब है.'

(बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जलसा में कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़्दार तक ठहेरना वाजिब है.' (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'दोनों सजदों के दरमियान या'ने जलसा में 'अल्लाहुम्मग्फिरली' कहना इमाम और मुक़्तदी दानों के लिये मुस्तहब है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२)

मस्अला

'सजदा में जाने के लिये और सजदा से उठने के लिये 'अल्लाहो-अकबर' कहना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मर्द के लिये जलसा का सुन्नत तरीक़ा येह है कि बायां (Left) कदम बिछाकर उस पर बैठे और दायां (Right) पांव खड़ा रखे और पांव की ऊंगलियां क़िब्ला-रु हों और दोनों हथेलियों को रानों पर रखे और ऊंगलियों

को अपनी हालत (Normal Position) पर छोड़ दे या'नी हाथ की ऊंगलियां न खुली रखे और न मिली हुई रखे और घुटनों को हाथ की ऊंगलियों से न पकडे. (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सजदा में दोनों हाथों की ऊंगलियां मिली हुई और क़िब्ला-रु रखना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'औरत के लिये जलसा का सुन्नत तरीक़ा येह है कि दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायें सुरीन (Buttock) के बल ज़मीन पर बैठे.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'सजदा में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी रखना और सजदा से उठते वक्त इसके बरअक्स (उलटा) करना या'नी पहले पैशानी उठाना, फिर नाक, फिर हाथ और आख़िर में घुटने उठाना सुन्नत तरीक़ा है.' (आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'मर्द के लिये सुन्नत है कि सजदा में बाज़ू को करवटों से जुदा रखे और पेट रानों से जुदा रखे. इलावा अर्ज़ी सजदा में कलाइयां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियोंको ज़मीन पर रखकर कोहनियां उपर उठाए रखे.'

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'औरत के लिये सुन्नत येह है कि वोह सिमट कर सजदा करे या'नी बाज़ू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दे. कोहनियां और कलाइयां ज़मीन पर बिछा दे.' (आलमगीरी)

मस्अला

'दूसरी रकअ़त के लिये सजदा से उठते वक़्त पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है लैकिन अगर कोई कमज़ोरी वग़ैरह कोई उज़्र की वजह से ज़मीन पर हाथ रखकर उठे तो हर्ज़ नहीं.'

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'सजदा में नज़र (द्रष्टि) नाक की तरफ करना मुस्तहब है.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर सजदा में पैशानी ख़ूब न दबी तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी बल्कि नाक ज़मीन पर सिर्फ मस (स्पर्श-Touch) हुई, तो नमाज़ मकरुहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा (फिर से पढ़ना वाजिब) हुई.'

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर किसी नर्म चीज़ मस्लन घास, रूई(Cotton), कालीन वग़ैरह पर सजदा किया, तो अगर पैशानी जम (Set) गई या'नी इत्नी दबी कि अब दबाने से विशेष न दबे, तो जाइज़ है, वर्ना नहीं.' (आलमगीरी)

मस्अला

'कमानीदार (स्प्रिंगवाले) गद्दे (Cushion) पर पैशानी ख़ूब नहीं दबती लिहाज़ा उस पर नमाज़ न होगी.' (बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जुवार, बाजरा, गेहूं , चावल वग़ैरह दानों पर जिन पर पेशानी न जमे सजदा न होगा. अलबत्ता बोरी में अगर खूब कस कर भर दिये गए कि उस पर पेशानी अच्छी तरह जम जाए, तो नमाज़ हो जाएगी.' (आलमगीरी)

मस्अला

'गुलूबंद, पगड़ी, टोपी या रुमाल से पैशानी छुपी हुई है, तो सजदा दुरस्त है लैकिन नमाज़ मकरुह होगी.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१९)

मस्अला

'अगर एसी जगह सजदा किया कि सजदा की जगह क़दम की जगह से बारह (१२) ऊंगल से ज़्यादा ऊंची है, तो सजदा न हुआ.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'सजदा ज़मीन पर बिला हाइल करना मुस्तहब है. या'नी मुसल्ला या कपड़े पर नमाज़ पढ़ने से ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब और अफज़ल है.'

(बहारे शरीअ़त, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २०३)

मस्अला

'अगर किसी उज़्र के सबब से पेशानी ज़मीन से नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक पर सजदा करे लैकिन इस हालत (परिस्थिति) में सिर्फ नाक की नोक (अनी-अणी) ज़मीन से मस करना काफी नहीं बल्कि नाक की हड्डी का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है.' (रद्दुल मोहतार, आलमगीरी)

मस्अला

'इज़्देहाम की वजह से (भीड़ के कारण) दूसरे की पीठ पर सजदा किया और जिस की पीठ पर सजदा किया गया है वोह शख़्स इस सजदा करने वाले की नमाज़ में शरीक है या'नी दोनों एक ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो सजदा करना जाइज़ है और जिसकी पीठ पर सजदा किया गया है वोह शख़्स अगर नमाज़ में नहीं, या नमाज़ में तो है लैकिन अलग नमाज़ पढ़ रहा है और सजदा करनेवाले की नमाज़ में शरीक नहीं या'नी दोनों अलग-अलग और अपनी-अपनी नमाज़ पढ़ते हों तो सजदा न हुवा.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'किसी ने दो (२) के बदले तीन (३) सजदे किए, अगर सलाम फैरने से पहले याद आ जाए, तो सजद-ए-सह्व करे क्योंकि वाजिब तर्क हुआ, फर्ज़ अदा हो गया, सजद-ए-सह्व लाज़िम है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४६)

मस्अला

'अगर सलाम फैरने के बाद याद आया कि तीन (३) सजदे किए हैं, तो नमाज़ का ए'आदा करे.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४६)

मस्अला

'सजदा में जाते वक्त दाहनी तरफ ज़ोर देना और सजदा से उठते वक्त बायीं बाज़ू पर ज़ोर देना मुस्तहब है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७३)

नमाज़ का छठ्ठा फर्ज़ : "क़ा'द-ए-आख़िरा"

- या'नी आख़री क़ा'दा कि जिसके बाद सलाम फैर कर नमाज़ पूरी की जाती है.
- या'नी नमाज़ की रकअ़तें पूरी करके क़ा'दाए आखिरा में इत्नी दैर बैठना फर्ज़ है कि जित्नी देर में पूरी 'अत्तहिय्यात' पढ़ ली जाए. या'नी लफ्ज़े 'अत्तहियात' से लेकर लफ्ज़े 'रसूलोहु' पढ़ लिया जाये.'

(बहाए शरीअ़त)

- क़ा'द-ए-आख़िरा में पूरा 'तशहहुद'(अत्तहिय्यात)पढ़ना वाजिब है.
- तशहहुद पढ़ते वक्त उसके मा'ना (अर्थ) का क़स्द (इरादा) ज़रूरी है. या'नी तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ते वक्त येह क़स्द करे कि मैं अल्लाह तआ़ला की हम्द (ता'रीफ) करता हूं और अल्लाह के महबूबे-आज़म सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की बारगाह में सलाम अ़र्ज़ करता हूं और साथ में अपने उपर और अल्लाह के नेक बन्दों (औलिया अल्लाह) पर सलाम भेजता हूं और तशहहुद पढ़ते वक्त मे'राज का वाकेआ (घटना) की हिकायत मद्दे-नज़र न हो.

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

- अत्तहिय्यात पढ़ते वक्त हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की सूरते-मुबारका को अपने दिल में हाज़िर जाने और हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का तसव्वुर (ख़्याल) अपने दिल में जमा कर 'अस्सलामो-अलैका-अय्योहन-नबीय्यो' अ़र्ज़ करे और यक़ीन करे कि मेरा येह सलाम हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम को पहुंचता है और हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम मेरे सलाम का जवाब अपनी शाने-करम के लायक अ़ता फरमाते है.'

(हवाला : 'अहयाउल-उलूम' (अरबी) लेखक : हुज्जतुल इस्लामे-मुहियुस्सुन्नते, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नं. १, सफहा नं. १०७)

क़ा'द-ए-आख़िरा के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'क़ा'द-ए-आख़िरा में तशहहुद के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढना सुन्नत है.'(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अफज़ल येह है कि दरूद शरीफ में 'दरूदे इब्राहीम' पढ़े.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'दरूद शरीफ के बाद दुआ-ए-मासूरा अरबी में पढ़े. अरबी के इलावा दूसरी किसी ज़बान (भाषा) में पढ़ना मकरूह है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'क़ा'दा में हाथ की ऊंगलियों को अपनी हालत पे छोड़ना या'नी ऊंगलियां न खुली हुई हों और न मिली हुई हों. क़ा'दा में ऊंगलियों से घुटने पकड़ना नहीं चाहिये बल्कि ऊंगलियां रान पर घुटनों के क़रीब रखना चाहिये.'

(बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'अत्तहिय्यात पढ़ते वक़्त जब 'अश्हदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो' पढ़े तब दाहने (Right) हाथ की छिन्गलिया (छोटी उंगली) और उसके पासवाली उंगली को लफ़्ज़े 'ला' पर बंध करे और बीच की ऊंगली का अंगूठे के साथ हलक़ा (Round) बांधकर शहादत की ऊंगली (पहली ऊंगल) को उठाए और जब लफ़्ज़े 'इल्ला' पढ़े तब शहादत की ऊंगली नीचे कर ले और हाथ की हथेली मिसले-साबिक (पहले की तरह) फौरन सीधी कर ले.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७)

ज़रूरी नोट :

कुछ लोग लफ़्ज़े 'इल्ला' पढ़ने के बाद शहादत की ऊंगली को नीचे कर लेते हैं, मगर मुठ्ठी बंध रखते हैं और हथेली सीधी नहीं करते, येह तरीका गलत है. मुठ्ठी खोलकर ऊंगलियां क़िब्ला-रु कर देना चाहिये.

◆ अत्तहिय्यात में मज़कूरा तरीक़े पर शहादत की ऊंगली उठाने की अहादीसे करीमा में बहुत फज़ीलत आई है.

ह़दीस़

'हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'ऊंगली से इशारा करना शैतान पर धारादार हथियार से ज़्यादा सख़्त है.'

ह़दीस़

'हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'वोह शेतान के दिल में ख़ौफ डालनेवाला है.'

(ब हवाला : फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८)

मस्अला

'दरूद शरीफ (दरूदे इब्राहीम) में हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और हज़रत सय्येदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातो-वस्सलाम के अस्मा-ए-तैय्येबा (मुबारक नामों) के साथ लफ्ज़ 'सय्येदेना' कहना अफज़ल है.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

फर्ज़ नमाज़ में क़ाद'-ए-आख़िरा के सिवा दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मस्बूक़ या'नी वोह मुक्तदी जिस की कुछ रकअ़तें छूट गई हों, वोह क़ाद'-ए-आख़िरा में सिर्फ तशहहुद ही पढ़े और तशहहुद (अत्तहिय्यात) को ठहेर-ठहेर कर पढ़े ताकि इमाम के सलाम फेरने के वक़्त तशहहुद से फारिग़ हो और अगर सलाम से पहले तशहहुद पढ़ने से फारिग़ हो गया, तो कल्म-ए-शहादत की तकरार करे. या'नी 'अश्हदो' से 'रसूलोहू' का जुमला बार-बार (Repeat) पढ़ता रहे.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९)

मस्अला

'किसी भी का'दा में तशहहुद का कोई हिस्सा पढ़ना भूल जाए तो सज्द-ए-सह्व वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मुक़्तदी अभी 'अत्तहिय्यात' पूरी करने न पाया था कि इमाम तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो गया या सलाम फैर दिया, तो मुक़्तदी हर हाल में अत्तहिय्यात पूरा करे, अगरचे उसमें कित्नी ही दैर (विलम्ब) हो जाए.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३१९)

मस्अला

'एक शख़्स नमाज़ के क़ा'दा' में 'अत्तहिय्यात' पढ़ रहा था, जब वोह कल्म-ए-तशहहुद (शहादत का कलमा) के क़रीब पहुंचा तब मुअ़ज़्ज़िन ने अज़ान में 'शहादतैन' कहीं, उस नमाज़ीने अत्तहिय्यात पढ़ने के बदले अज़ान का जवाब देने की निय्यत से 'अश्हदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो-व-अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दुहू-व-रसूलुहू' कहा तो उसकी नमाज़ जाती रही. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४०६)

मस्अला

'क़ादा में नज़र गोद की तरफ करना मुस्तहब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर सजद-ए-सहव वाजिब हुआ तो क़ा'द-ए-आख़िरा में 'अत्तहिय्यात' के बाद एक सलाम फैरने के बाद सजद-ए-सहव करना चाहिये, दूसरा सलाम फैरना मना है. अगर कसदन दानों सलाम फैर दिये तो अब सजद-ए-सहव् न हो सकेगा और नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३८)

क़ा'द-ए-उला के ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'क़ा'द-ए-उला वाजिब है, अगरचे नफ़्ल नमाज़ हो.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'फर्ज़, वित्र और सुन्नते-मुअक्केदा के क़ा'द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद कुछ भी न पढ़ना वाजिब है. हुक्म येह है कि अत्तहिय्यात पूरी करने के बाद फौरन तीसरी रकअ़त के लिये ख़डा हो जाए.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'दूसरी रकअ़त के पहले क़ा'दा न करना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'चार रकअ़त वाली नमाज़ में तीसरी रकअ़त पर क़ा'दा न करना वाजिब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मुक़्तदी क़ा'द-ए-उला में इमाम से पहले अत्तहिय्यात पढ़ चुका तो सुकूत करे (ख़ामोश रहे) दरूद और दुआ कुछ न पढे.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'नवाफिल और सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा में क़ा'द-ए-उला में भी अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ना मस्नून है.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६९)

मस्अला

'फर्ज़, वित्र और सुन्नते मोअक्केदा के क़ाद-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद इतना कह लिया कि 'अल्लाहुम्मा-सल्ले-अ़ला-मुहम्मदिन' या 'अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-सय्येदेना' तो अगर सहवन (भूलकर) है तो सजद-ए-सहव करे और अगर अ़मदन (जान बूझकर) है, तो नमाज़ का ए'आदा करे, या'नी फिर से पढे.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२६)

मस्अला

'उपर वाले मस्अले में जो हुक्म बयान किया गया है, वोह इस वजह से नहीं की दरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इस वजह से है कि तीसरी रकअ़त का कयाम जो फर्ज़ है, उसमें ताख़ीर (विलम्ब) हुई और फर्ज़ में ताख़ीर होने की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़िम होता है, लिहाज़ा अगर किसी ने 'अत्तहिय्यात' के बाद कुछ भी नहीं पढा, बल्कि ' अल्लाहुम्मा-सल्ले-अ़ला-मुहम्मदिन' पढ़ने के वक्त की मिक़दार तक चुप बैठा रहा, तो भी सजद-ए-सह्व वाजिब है.'

(रदुल मोहतार, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा नं. ५३, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३६)

मस्अला

'क़ा'द-ए-उला में भी पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना वाजिब है. अगर एक लफ्ज़ (शब्द) भी छूटेगा तो तर्के वाजिब होगा और सज्द-ए-सह्व करना होगा.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'फर्ज़ नमाज़ में इमाम क़ाद-ए-उला भूल गया और अल्लाहो-अकबर कहकर खड़ा हो गया. इस सूरत (परिस्थिति) में अगर इमाम पूरा खड़ा हो गया था, इसके बाद मुक्तदी ने बताया (लुक़मा दिया) तो बतानेवाले (लुक़मा देनेवाले) मुक्तदी की नमाज़ तो लुकमा देने के वक्त ही जाती रही और मुक्तदी के इस तरह का लुकमा देने से इमाम पूरा खड़ा होने के बाद वापस लौटा तो इमाम की भी नमाज़ गई और तमाम मुक्तदीयों की भी नमाज़ गई. लिहाज़ा नमाज़ को अज़ सरे नौ (फिर से) पढ़ें.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४५)

मस्अला

'क़ा'द-ए-उला के बाद तीसरी रकअ़त के लिये उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे, बल्कि घुटनों पर ज़ोर (वजन) देकर उठे और अगर किसी तरह का मरज़ (बिमारी) या उज़्र (तकलीफ) है तो हर्ज़ नहीं.'

(गुन्या, शरहे-मुन्या, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'इमाम पहला क़ा'दा भूल कर खड़ा होने के लिये उठ रहा है और अभी सीधा खड़ा न हुआ था, तो मुक्तदी के बताने (लुक़मा देने) में कोई हर्ज़ नहीं बल्कि बताना ही चाहिये. हां, अगर पहला क़ा'दा छोड़ कर इमाम पूरा खड़ा हो जाए तो इमाम के पूरा या'नी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाने के बाद उसे बताना (लुक़मा देना) जाइज़ नहीं, अगर तब मुक्तदी बताएगा तो उस मुक्तदी की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम का उस मुक्तदी के बताने पर अमल करके सीधा हो जाने के बाद क़ा'द-ए-उला के लिये लौटना हराम है. तो अब मुक्तदी का बताना महज़ बेजा (व्यर्थ) बल्कि हराम की तरफ बुलाना और बिला ज़रूरत कलाम हुआ और मुफ़सिदे-नमाज़ है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२३)

मस्अला

'बः क़द्रे-तशहहुद या'नी अत्तहिय्यात पढ़ने के वक्त की मिक़दार बैठने के बाद याद आया कि नमाज़ का या तिलावत का कोई सजदा करना बाक़ी रहे गया है और उसने अत्तहिय्यात पढ़ने के बाद सजदा किया, तो फर्ज़ है कि सजदा के बाद फिर क़ा'दा में बःक़द्रे-तशहहुद पढ़ने को बैठे, क्योंकि पहला क़ा'दा सजदा करने की वजह से जाता रहा. अज़्-सरे-नौ (फिरसे) क़ा'दा करना पड़ेगा, अगर क़ा'दा न किया तो नमाज़ न होगी.'

(मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ७३)

नमाज़ का सातवां फर्ज़
"खुरूज-बे-सुन्एहि"

◆ 'या'नी अपने इरादे से नमाज़ से बाहर आना (नमाज़ पूरी करना).'

◆ 'या'नी क़ा'द-ए-आख़िरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैरह कोई ऐसा काम करना जो नमाज़ में मना हो, लैकिन सलाम के इलावा कोई दूसरा मनाफी-ए-फे'ले नमाज़ (वोह काम जो नमाज़ में करना मना है) क़सदन करने से नमाज़ वाजेबुल ए'आदा होगी या'नी नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा.'

◆ 'पहली मरतबा लफ्ज़ 'अस्सलामो' कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगरचे 'अलैकुम' न कहा हो. उस वक़्त अगर कोई जमाअ़त में शामिल हुआ तो इक़्तेदा सहीह न हुई.' (रद्दुल मोहतार)

◆ 'फक़्त 'अस्सलामो' कहना तहरीम-ए-नमाज़ से बाहर कर देता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३४४)

◆ दोनों सलाम में लफ्ज़ 'अस्सलामो' कहना वाजिब है, 'अलैकुम' कहना वाजिब नहीं.' (बहारे शरीअ़त)

खुरूज-बे-सुन्एहि के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल :

मस्अला

'नमाज़ पूरी करने के लिये 'अस्सलामो-अलैकुम-व-रहमतुल्लाहे' कहना सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अलैकुमुस्सलाम' कहना मकरूह है और आख़िर में 'व-बरकातूहु' भी न मिलाना चाहिये.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'नमाज़ पूरी करने के लिये दो (२) मरतबा 'अस्सलामो-अलैकुम-व-रहमतुल्लाह' कहना सुन्नत है. पहले दायीं (Right) तरफ फिर बायीं (Left) तरफ सलाम फैरना येह भी सुन्नत है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'सुन्नत येह है कि इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कह, लैकिन दूसरा सलाम पहले सलाम की निस्बत कम आवाज़ से हो.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'दाहनी (Right) तरफ सलाम फैरने में चेहरा इतना फिराना (घूमाना) चाहिये कि पीछे वालों को दायां रूख़्सार (ग़ाल-Chick) नज़र आए और बायें (Left) तरफ के सलाम में बायां रूख़्सार नज़र आए.'

(आलमगीरी)

मस्अला

'इमाम के सलाम फैर देने से मुक़्तदी नमाज़ से बाहर (Exit) न हुआ जब तक कि मुक़्तदी खूद सलाम न फैरे.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मुक़्तदी को इमाम से पहले सलाम फैरना जाइज़ नहीं.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'जब इमाम सलाम फैर दे तो मुक़्तदी भी सलाम फैर दे लैकिन अगर मुक़्तदी ने 'तशहहुद' (अत्तहिय्यात) पूरा न किया था कि इमाम ने सलाम फैर दिया, तो मुक़्तदी इमाम का साथ न दे, बल्कि वाजिब है कि वोह तशहहुद पूरा करके ही सलाम फैरे.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'इमाम सलाम फैरने में दायीं तरफ सलाम फैरते वक़्त उन मुक़्तदीयों से ख़िताब (संबोधन) की निय्यत करे जो दायीं तरफ हैं और बायीं तरफ सलाम फैरते वक़्त बायीं तरफवाले मुक़्तदीयों की निय्यत करे. ख़ास तौर से (विशेष में) दोनों सलामों में 'किरामन-कातेबीन' (इन्सान के अमलों को लिखनेवाले फरिश्ते) और उन फरिश्तों की निय्यत करे जिनको अल्लाह तआ़ला ने हिफाज़त के लिये मुकर्रर किया है और निय्यत में कोई ता'दाद (संख्या) मुतअय्यन (निश्चित) न करे.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'मुक़्तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफवाले मुक़्तदीयों और फरिश्तों की निय्यत करे, नीज़ जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी निय्यत करे और अगर इमाम इसके महाज़ी (सामने) हो तो दोनों सलामों में इमाम की निय्यत करे.'

(दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

मुन्फरिद या'नी अकेला नमाज़ पढ़नेवाला दोनों सलामों में सिर्फ फरिश्तों की निय्यत करे.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'सलाम के बाद सुन्नत येह है कि इमाम दायीं या बायीं तरफ को इन्हेराफ करे, लैकिन दायीं तरफ इन्हेराफ करना (घूमना) अफज़ल है. और इमाम धूम कर मुक़्तदियों की तरफ मुंह करके बैठ सकता है, जबकि कोई मुक़्तदी उस्के सामने नमाज़ में न हो, अगरचे पिछली सफ में वोह नमाज़ पढ़ता हो.'

(हुल्या, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ६६)

मस्अला

'सलाम फैरने के बाद इमाम का क़िब्ला की तरफ मुंह करके बैठा रहना हर नमाज़ में मकरूह है. शिमाल या जुनूब (उत्तर या दक्षिण) दिशा की तरफ या मुक़्तदीयों की तरफ मुंह करे और अगर कोई मस्बूक़ मुक़्तदी उसके सामने नमाज़ पढ़ रहा हो, अगरचे आख़िरी सफ में हो, तो सलाम के बाद इमाम मश्रिक (पूर्व) दिशा या'नी मुक़्तदीयों की तरफ मुंह न करे. बहर हाल सलाम के बाद इमाम का फिरना मत़्लूब (अपेक्षित) है. अगर न फिरा ऐर क़िब्ला-रु बैठा रहा तो सुन्नत का तर्क किया और कराहत में मुब्तेला (Involved) हुआ.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ७४)

मस्अला

'पहले सलाम में दायें शाना (कंधा-Shoulder) और दूसरे सलाम में बायें शाने की तरफ नज़र करना मुस्तहब है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'मुन्फ़रिद बग़ैर इन्हेराफ़ उसी जगह बैठ कर दुआ़ मांगे तो जाइज़ है.'

(आ़लमगीरी)

मस्अला

'ज़ोहर, मग़रिब और इशा के फर्ज़ के बाद मुख़्तसर (अल्प) दुआओं पर इक्तिफा करके (संतुष्टि हो कर) सुन्नत नमाज़ पढ़े और ज़्यादा तवील (लम्बी) दुआओं में मशगुल न हो.'

(आलगमीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ८६)

मस्अला

'जिन फर्ज़ नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं, उनमें फर्ज़ नमाज़ के बाद कलाम (बातचीत) न करना चाहिये, अगरचे सुन्नतें हो जाऐंगीं मगर सवाब कम हो जाएगा और सुन्नतें पढ़ने में ताख़ीर (दैर) करना मकरुह है. फर्ज़ और सुन्नतों

के दरमियान बड़े-बड़े (लम्बे) विर्द और वज़ाइफ की भी इजाज़त नहीं.'

(गुन्या, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अफज़ल येह है कि जहां फर्ज़ नमाज़ पढ़ी हो वहीं सुन्नते न पढ़े, बल्कि दायें बायें या आगे पीछे हट कर या घर जाकर पढ़े.'

(आलमगीरी, दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'अफज़ल येह है कि फज्र की नमाज़ के बाद वहीं बैठा रहे और तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) तक ज़िक्रो-अज़्कार और तिलावते-कुरआन शरीफ में मश्गूल रहे.' (आलमगीरी)

मस्अला

'नमाज़ के बाद दुआ़ मांगना सुन्नत है. हाथ उठाकर दुआ़ मांगना और दुआ़ के बाद मुंह पर हाथ फैरना येह भी सुन्नत से साबित है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२/८३)

मस्अला

'हाथ उठाकर दुआ़ मांगते वक्त दोनो हाथों में कुछ फासला (अंतर) हो, बिल्कुल मिला नहीं देना चाहिये.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२१)

प्रकरण (४) "नमाज़ के वाजिबात"

- या'नी जिन का करना नमाज़ की सेहत (सहीह होने) के लिये ज़रूरी है.
- अगर इन वाजिबों में से कोई एक वाजिब सह्वन (भूलकर) छूट जाए तो सजद-ए-सह्व करना वाजिब होगा और सजद्-ए-सह्व करने से नमाज़ दुरूस्त हो जाएगी.
- अगर किसी एक वाजिब को कस्दन (जान बूज़कर) छोड़ दिया, तो सजद-ए-सह्व करने से भी नमाज़ सहीह न होगी. नमाज़ का ए'आ़दा या'नी नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है.
- नमाज़ में हस्बे-ज़ेल (निम्नलिखित) वाजिब हैं :-

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
१.	तकबीरे-तहरीमा में लफ्ज़ 'अल्लाहो-अकबर' कहना	दुर्रे मुख़्तार
२.	सुर-ए-फातेहा पूरी पढ़ना, या'नी पूरी सूरत से एक लफ्ज़ भी न छूटे	फतावा रज़वीया
३.	सूर-ए-फातेहा के साथ सूरत मिलाना, या एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें मिलाना.	बहारे शरीअ़त
४.	फर्ज़ नमाज़ की पहली दो रकअ़तों में अल-हम्दो के साथ सूरत मिलाना.	बहारे शरीअ़त
५.	नफ्ल, सुन्नत और वित्र नमाज़ की हर (प्रत्येक) रकअ़त में अल-हम्दो के साथ सूरत मिलाना	बहारे शरीअ़त

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
६.	सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो) का सूरत से पहले होना.	बहारे शरीअत
७.	सूरत से पहले सिर्फ एक ही मरतबा अल-हम्दो शरीफ पढ़ना.	बहारे शरीअत
८.	अल-हम्दो शरीफ और सूरत के दरमियान, फस्ल (वक्फा-Gap) न करे या'नी आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ भी न पढ़े.	बहारे शरीअत
९.	किरअत के बाद फौरन रूकूअ् करना	रद्दुल मोहतार
१०.	क़ौमा या'नी रूकूअ् के बाद सीधा खड़ा होना	बहारे शरीअत
११.	हर एक रकअत में सिर्फ एक ही रूकूअ् करना.	दुर्रे मुख्तार
१२.	एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा करना कि दोनों सजदों के दरमियान कोई रूक्न फासिल न हो.	बहारे शरीअत
१३.	सजदा में दोनों पांव की तीन तीन ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगना.	फतावा रज़वीया
१४.	जल्सा या'नी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना.	बहारे शरीअत

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
१५.	हर रकअत में दो (२) मरतबा सजदा करना. दो से ज़यादा सजदे न करना	फतावा रज़वीया
१६.	ता'दीले-अरकान या'नी रूकूअ्, सुजूद, क़ौमा और जल्सा में कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक्त की मिक़दार (मात्रा) ठहेरना.	आम-कुतुब
१७.	दूसरी रकअत से पहले क़ा'दा न करना. या'नी एक रकअत के बाद क़ा'दा न करना और खड़ा होना.	बहारे शरीअत
१८.	का'द-ए-उला अगरचे नफल नमाज़ में हो. या'नी दो रकअत के बाद क़ादा करना.	मुन्यतुल मुसल्ली
१९.	क़ाद'ए-उला और क़ाद-ए-आख़िरा में पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना. इस तरह कि एक लफज़ भी न छूटे.	दुर्रे-मुख़्तार
२०.	फर्ज़, वित्र और सुन्नते-मुअक्केदा के क़ाद'-ए-उला में तशहहुद के बाद कुछ भी न पढ़ना.	फतावा रज़वीया
२१.	चार (४) रकअत वाली नमाज़ में तीसरी रकअत पर क़ा'दा न करना और चौथी रकअत के लिये खड़ा हो जाना	रद्दुल मोहतार

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
२२.	हर जहरी नमाज़ में इमाम का जह्र (बुलन्द) आवाज़ से क़िरअत करना.	दुर्रे मुख़्तार
२३.	हर सिर्री नमाज़ में इमाम का आहिस्ता क़िरअत करना.	फतावा रज़वीया
२४.	वित्र नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत की तकबीर या'नी 'अल्लाहो-अकबर' कहना	आ़लमगीरी
२५.	वित्र में दुआ़-ए-कुनूत पढ़ना.	फतावा रज़वीया
२६.	ईद की नमाज़ में छे (६) ज़ाइद (विशेष-Extra) तकबीरें कहना.	बहारे शरीअ़त
२७.	ईद की नमाज़ में दूसरी रकअ़त के रूकूअ़ में जाने के लिये 'अल्लाहो अकबर' (तकबीर) कहना.	बहारे शरीअ़त
२८.	आयते-सजदा पढ़ी हो तो सजद-ए-तिलावत करना.	फतावा रज़वीया
२९.	सह्व (ग़लती) हुआ तो सजद-ए-सह्व करना.	दुर्रे मुख़्तार
३०.	हर फर्ज़ और हर वाजिब का उसकी जगह (स्थान) पर होना.	रद्दुल मोहतार

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
३१.	दो (२) फर्ज़ या दो (२) वाजिब अथवा किसी फर्ज़ या वाजिब के दरमियान ती़न (३) तस्बीह 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) जितना वक़्फ़ा न होना.	आ़लमगीरी
३२.	जब इमाम किरअ़त पढ़े, चाहे जह्र (बुलन्द आवाज़) से पढ़े, चाहे आहिस्ता आवाज़ से पढ़े, तब मुक़्तदी का चुप रहेना और कुछ भी न पढ़ना.	फतावा रज़वीया
३३.	क़िरअ़त के इलावा तमाम वाजिबात या'नी वाजिब कामों में मुक़्तदी का इमाम की मुताबेअ़त (अनुकरण) करना.	
३४.	दोनों सलाम में लफ्ज़ 'अस्सलाम' कहना और 'अ़लैकुम' कहना वाजिब नहीं.	फतावा रज़वीया

प्रकरण (९) नमाज़ की सुन्नतें

- जिस का करना ज़रूरी और आवश्यक है और करनेवाला अज्रो सवाब पाएगा.
- सुन्नतें अदा किए बगै़र नमाज़ कामिल (संपूर्ण) नहीं होगी बल्कि नाकि़स (अधूरी) रहेगी ऐर नमाज़ का सवाब कम हो जाएगा.
- सुन्नत को क़सदन (जान बूझकर) तर्क करना (छोड़ना) शरीअ़त की नज़र में बुरा है.
- सुन्नत को हमेंशा तर्क (छोडना) करने की आदत डालनेवाला इताब और अज़ाब का हक़दार है.
- नमाज़ में हस्बे-ज़ेल सुन्नतें है :-

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१.	तकबीरे-तहरीमा के लिये दोनों हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
२.	तकबीर से पहले कान तक हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
३.	तकबीर के वक़्त सर न झुकाना बल्कि सीधा रखना.	तकबीरे तहरीमा
४.	हथेलियों और ऊंगलियों के पेट कि़ब्ला-रू होना.	तकबीरे तहरीमा
५.	हाथों की ऊंगलियां अपने हाल पर छोड़ना या'नी ऊंगलिया न कुशादा (चौड़ी)करना और न मिलाई हुई रखना.	तकबीरे तहरीमा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
६.	औरत के लिए सुन्नत है कि मूंढों (कंधों) तक दोनों हाथ उठाए.	तकबीरे तहरीमा
७.	वित्र नमाज़ में तक्बीरे-कुनूत से पहले कान तक दोनों हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
८.	ईद की नमाज़ में ज़ाइद (विशेष-Extra) तकबीरों से पहले कान तक दोनों हाथों को उठाना.	तकबीरे तहरीमा
९.	हर तकबीर में लफ्ज़े 'अल्लाहो-अकबर' की 'रे' का जज़्म पढ़ना. या'नी 'अल्लाहो-अकबरो' न कहना और 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	तकबीरे-मुत्लक
१०.	हर तकबीरे-इन्तिक़ाल के वक़्त एक फै'ल (काम) से दूसरे फे'ल को जाने की इब्तिदा (शुरूआ़त) के साथ ही लफ्ज़े 'अल्लाह' की 'अलिफ' शुरू करना और फै'ल के ख़त्म होने के साथ ही लफ्ज़े 'अकबर' की 'रे' को ख़त्म करना.	तकबीरे-इन्तिक़ाल
११.	इमाम का बुलन्द आवाज़ से 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	तकबीरात
१२.	इमाम की तकबीरात की आवाज़ मुक्तदीयों तक पहुंचाने के लिये 'मुकब्बिर' (आवाज़ पहुंचाने वाला मुक़्तदी) मुक़र्रर (नियुक्त) करना.	तकबीरात

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१३.	तकबीरे-तहरीमा के बाद हाथ न लटकाना और फौरन बांध लेना. मर्द नाफ पर, और औरत सीना पर बांधे.	क़याम
१४.	क़याम में दोनों पांव के पंजों के दरमियान चार(४)ऊंगुल का फासला(अंतर) रखना.	क़याम
१५.	क़याम में थोड़ी देर तक एक पांव पर ज़ोर (वजन) देना, फिर थोड़ी देर दूसरे पांव पर ज़ोर देना.	कयाम
१६.	सना, तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना, और सबको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना.	क़िरअ़त
१७.	पहले सना पढ़ना, बाद में तअव्वुज़ और उसके बाद तस्मीया पढ़ना और हर एक का एक के बाद दूसरे को फौरन पढ़ना और वक़्फ़ा न करना.	क़िरअ़त
१८.	ईदैन (दोनों ईदों) की नमाज़ में तकबीरे-तहरीमा के बाद सना पढ़ना और तकबीराते-वाजेबात या'नी चौथी तकबीर के बाद तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना.	क़िरअ़त
१९.	सूर-ए-फातेहा के ख़त्म होने पर आमीन कहना और 'आमीन' को आहिस्ता आवाज़ से कहना.	क़िरअ़त
२०.	पहली रकअ़त के बाद हर रकअ़त के शुरू में तस्मीया पढ़ना.	क़िरअ़त

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
२१.	रूकूअ़ में जाने के लिये 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	रूकूअ़
२२.	रूकूअ़ में कम से कम तीन मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहना.	रूकूअ़
२३.	मर्द के लिये रूकूअ़ में घुटनों को हाथ से पकड़ना और हाथ की ऊंगलियां खूब खुली हूई रखना.	रूकूअ़
२४.	औरत के लिये रूकूअ़ में घुटनों पर सिर्फ हाथ रखना और घुटनों को नहीं पकड़ना और हाथ की ऊंगलियां कुशादा न करना बल्कि मिली हूई रखना.	रूकूअ़
२५.	मर्द रूकूअ़ में खूब जुके कि उसकी पीठ सीधी हो जाए.	रूकूअ़
२६.	औरत रूकूअ़ में सिर्फ इतना जुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए.	रूकूअ़
२७.	मर्द रूकूअ़ में सर को न जुकाए और न ही ऊंचा रखे बल्कि पीठ के बराबर (महाज़-समांतर-Paraller) में रखे.	रूकूअ़
२८.	औरत रूकूअ़ में सर को पीठ की महाज़ से ऊंचा रखे.	रूकूअ़
२९.	मर्द रूकूअ़ में अपनी टांगे (पग-Legs) बिल्कुल न झुकाए बल्कि बिल्कुल सीधी रखे.	रूकूअ़
३०.	औरत रूकूअ़ में टांगे झुकी हुई रखे, मर्दो कीतरह सीधी न रखे.	रूकूअ़
३१.	इमाम का रूकूअ़ से खड़ा होने के लिये बुलन्द आवाज़ से	रूकूअ़

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
	'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहना.	
३२.	मुक्तदी का रूकूअ़ से खड़ा होने के लिये 'अल्लाहुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना. मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहे.	रूकूअ़
३३.	मुन्फरिद का रूकूअ़ से खड़ा होने के लिये दोनों कहना.	रूकूअ़
३४.	'समिअल्लाहो-ले-मन-हमदह' की 'हे' को साकिन पढ़ना और 'दाल' को खींच कर न पढ़ना.	रूकूअ़
३५.	'समिअल्लाहो' की 'सीन' को रूकूअ़ से सर उठाने के साथ शुरू करना ओर 'हमेदह' की 'हे' को सीधा खड़ा होने के साथ ख़त्म करना.	रूकूअ़
३६.	रूकूअ़ से खड़ा होते वक़्त और खड़ा होने के बाद क़ौमा में हाथ न बांधना और हाथ को लटके हुए छोड़ना.	क़ौमा
३७.	सजदा में जाने के लिये और सजदा से उठने के लिये 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	सजदा
३८.	रूकूअ़ के बाद क़ौमा से सजदा में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले दोनों घुटनों को रखना, फिर दानों हाथ, फिर नाक और फिर पैशानी रखना.	सजदा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
३९.	दोनों सजदों के बाद क़याम में खड़ा होने के लिये उठते वक़्त पहले पैशानी को उठाना फिर नाक उठाना, फिर दोनों हाथ और फिर दोनों घुटने उठाना.	सजदा
४०.	सजदा में कम से कम तीन (३) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला' कहना.	सजदा
४१.	सजदा मे दोनों पांव की दसों (१०) ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगना और ऊंगलियों के सर (नोक) क़िब्ला-रू होना.	सजदा
४२.	सजदा में दोनों हाथ की ऊंगलियां मिली हुई और किबला-रू होना.	सजदा
४३.	मर्द सजदा में बाज़ू को करवट से और पेट को रान से जुदा रखे.	सजदा
४४.	औरत सिमट कर सजदा करे या'नी बाज़ू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिन्डलियों से, और पिंडलियों को ज़मीन से मिला दे.	सजदा
४५.	मर्द सजदा में कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियां ज़मीन पर रखकर कोहनियों को उपर उठाए रखे.	सजदा
४६.	औरत सजदा में कलाइयां और कोहनियां बिछाए या'नी ज़मीन से लगाए.	सजदा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त–अल्लुक है.
४७.	दोनों सजदों के दरमियान जल्सा में मर्द इस तरह बैठे कि बायां (Left) क़दम बिछाकर उस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि पांव की ऊंगलियां किबला–रू हों.	जल्सा
४८.	औरत जल्सा में दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायीं सुरीन (नितम्ब -Buttock) के सहारे ज़मीन पर बैठे.	जल्सा
४९.	दोनों सजदों के बाद क़याम के लिये खड़ा होते वक्त पंजो के बल घुंटनो पर दोनों हाथ रखकर खड़ा होना.	ता'दीले–अरकान
५०.	का'दा में मर्द उसी तरह बैठे जैसे दोनों सजदों के दरमियान जल्सा में बैठता है. या'नी बायां पांव बिछा कर उस पर बैठे और दायां पांव खडा रखे.	मुत्लक का'दा
५१.	औरत क़ा'दा में जल्सा की हालत में जिस तरह बैठती है उसी तरह बैठे.	मुत्लक़ का'दा
५२.	क़ा'द–ए–उला के बाद तीसरी रकअ़त के लिये उठते वक़्त ज़मीन पर हाथ रख कर न उठना, बल्कि दोनों हथेलियां घुटनों पर रख कर, घुटनों पर ज़ोर (वज़न) देकर खड़ा होना.	ता'दीले–अरकान
५३.	क़ा'दा में दायां हाथ दायीं रान पर और बायां हाथ बायीं रान पर	मुत्लक़ क़ा'दा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त–अल्लुक है.
	रखना. इस तरह कि ऊंगलियों के सिरे (अंत भाग) घुटनों के क़रीब हों और तमाम ऊंगलियां क़िब्ला–रू हो.	
५४.	क़ा'दा में हाथ की ऊंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना. या'नी हाथ की ऊंगलियों को न कुशादा रखना और न मिली हुई रखना बल्कि ऊंगलियों को अपने हाल (सामान्य स्थिति)में रखना.	मुतलक़ क़ा'दा
५५.	नवाफिल और सुन्नते–गैर मुअक्केदा के क़ा'दा–ए–उला में 'अत्तहिय्यात' के बाद 'दरूद शरीफ' और 'दुआ़– ए–मासूरा' पढ़ना. 'दरूदे इब्राहीम'पढ़ना अफज़ल है.	क़ाद'ए–उला
५६.	हर नमाज़ के क़ाद'ए–आख़िरा में 'अत्तहिय्यात' के बाद दरूद शरीफ और दुआ़–ए–मासूरा पढना	क़ाद–ए–आख़िरा
५७.	दुआ़–ए–मासूरा को अरबी ज़बान (भाषा) में पढ़ना.	मु. क़ा'दा
५८.	अत्तहिय्यात में 'अश्हदो–अल–ला इलाहा–इल्लल्लाहो' पढ़ते वक्त लफज़े 'ला' पर दायें (Right) हाथ की छिंगलिया या'नी आख़िरी छोटी ऊंगली और उस के पास वाली ऊंगली को बन्द करना और बीच (Centre) की ऊंगली का अंगूठे के साथ हलक़ा (वर्तुल-Round) बांधकर शहादत की पहली ऊंगली उठाना	मु. क़ा'दा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
	और जब लफ्ज़े 'इल्ला' पढ़े, तब शहादत की ऊंगली जो उठी हुई थी उसको नीचे कर लेना और हाथ की हथेली मिस्ले-साबिक़ (पहले की तरह) सीधी कर लेना.	
५९.	नमाज़ पूरी करने के लिये 'अस्सलामो -अलैकुम-व-रहमतुल्लाह' कहना.	खुरूजे-बे-सुन्एही
६०.	सलाम दो (२) मरतबा कहना. पहले दायीं तरफ और फिर बायीं तरफ मुंह करके कहना.	खुरूजे-बे-सुन्एही
६१.	इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कहे लैकिन दूसरा सलाम पहले सलाम की ब:निस्बत कम अवाज़ से हो.	खुरूजे-बे-सुन्एही
६२.	सलाम फैरने में चेहरा इतना फिराना (घुमाना) कि दायीं तरफ सलाम फेरने में पीछे वालों को दायां रूख़्सार (गाल-Cheek)नज़र आए. और बायीं तरफ सलाम फैरने में पीछे वालों को बायां रूख़्सार नज़र आए.	खुरूजे-बे-सुन्एही
६३.	सलाम के बाद इमाम का दायें, बायें या मुक़्तदियों की तरफ इन्हेराफ कर के (घूमकर) दुआ मांगना और दायीं तरफ इन्हेराफ करना अफज़ल है.	ख़ारिजे-नमाज़
६४.	सलाम के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना और दुआ पूरी कर के मुंह पर हाथ फेरना.	ख़ारिजे-नमाज़

प्रकरण (६) नमाज़ के मुस्तहब्बात

- जिस का करना बहुत ही अच्छा है और करनेवाला सवाब पाएगा.
- मुस्तहब्बात (मुस्तहब कामों) को अदा करने से नमाज़ अकमल और मक्बूल होगी.
- मुस्तहब को तर्क करने (छोड़ने) से किसी तरह (प्रकार) का गुनाह तथा किसी क़िस्म का कोई अज़ाब और इताब मुत्लक (ज़रा भी) नहीं लैकिन फिर भी हत्तुल इम्कान (यथा शक्ति) उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिये, ताकि नमाज़ के सवाब में इज़ाफा (वृद्धि) हो.
- नमाज़ में हस्बे-ज़ैल मुस्तहब्बात हैं :-

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१.	अरबी ज़बान (भाषा) में निय्यत करना.	निय्यत
२.	मर्द तकबीरे-तहरीमा के वक़्त हाथ कपडे़ से बाहर निकाले. औरत हाथ बाहर न निकाले.	तकबीरे-तहरीमा
३.	बिला हाइल ज़मीन पर सजदा करना. या'नी मुसल्ला या किसी कपडे़ या चटाई पर नमाज़ पढ़ने के बजाए ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना.	आम फज़ीलत
४.	हालते-क़याम में सजदा की जगह की तरफ नज़र रखना.	क़याम
५.	सूर-ए-फातेहा के बाद किसी सूरत को शूरू से पढ़ते वक्त तस्मीया या'नी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना.	क़िरअ़त

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
६.	पहली रकअ़त की किरअ़त दूसरी रकअ़त की क़िरअ़त से क़द्रे (थोड़ी) ज़्यादा होना.	क़िरअ़त
७.	जब मुकब्बिर (तकबीर कहने) वाला) 'हय्या-अलल-फलाह' कहे, तब इमाम और मुक्तदियों का खड़ा होना.	क़याम
८.	'क़द-क़ामतिस्सलात' पर इमाम नमाज़ शुरू कर सकता है लैकिन इक़ामत पूरी होने के बाद शुरू करे.	क़याम
९.	मुक़्तदी का इमाम के साथ नमाज़ शुरू करना.	क़याम
१०.	जहां तक हो सके (यथा शक्ति) खांसी को दफअ़ करे. (रोके)	आम
११.	जमाही (बगासु) आए तो उसे दफअ़ करना. नोट :जमाही रोकने का मुजर्रब(अनुभव सिद्ध)तकरीक़ा कोष्ठक के नीचे बयान (वर्णन किया गया है. देखने की ज़हमत (कष्ट) करें.	आम
१२.	रूकूअ़ में तीन मरतबा से ज़्यादा और कम से कम पांच (५) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-अ़ज़ीम' पढ़ना	रूकूअ़
१३.	रूकूअ़ में क़दम की पुश्त पर नज़र रखना.	रूकूअ़

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१४.	सजदा में तीन मरतबा से ज़्यादा और कम से कम पांच मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला' पढ़ना.	सजदा
१५.	सजदा में नाक की तरफ नज़र रखना	सजदा
१६.	दोनों सजदों के दरमियान 'अल्लाहुम्मग़फिर ली' कहना. (इमाम और मुक़्तदी दोनों कहें.)	जलसा
१७.	जिस क़ा'दा में दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, उसमें 'दरूदे-इब्राहीम' पढ़ना.	का'दा
१८.	दरूद शरीफ में हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैह वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो -वस्सलाम के मुबारक नामों के आगे (पहले) लफ्ज़ 'सय्येदेना' कहना	क़ा'दा
१९.	क़ा'दा की हालत में गोद की तरफ नज़र रखना.	क़ा'दा
२०.	पहले सलाम में दायें शाना (कंधा) की तरफ और दूसरे सलाम में बायें शाना की तरफ नज़र करना.	खुरूज-बे-सुन्एहि
२१.	जिस जगह (स्थान) पर फर्ज़ पढ़ी हो उस जगह से दायें बायें या आगे पीछे हट कर सुन्नत पढ़ना.	ख़ारिजे-नमाज़

जमाही रोकने का अकसीर इलाज

अगर हालते-नमाज़ में जमाही (बगासुं-Yawn) आए, तो जमाही को रोकना चाहिये. जमाही रोकने के लिये मुंह को ज़ोर से बन्द कर लेना चाहिये. अगर मुंह बन्द करने से भी जमाही न रूके, तो होंठ (लब-Lip) को दांत के नीचे दबाना चाहिये और अगर इस तरह से भी जमाही न रूके तो अगर हालते-क़याम में है तो दायें हाथ की हथेली की पुश्त (Back Side) से मुंह ढांक लेना चाहिये और क़याम के इलावा की हालत में बायें हाथ की हथेली की पुश्त से मुंह ढांक लेना चाहिअ.

जमाही रोकने का मुजर्रब तरीक़ा येह है कि दिल में येह ख़याल करे कि अम्बिया-ए-किराम और ख़ुसूसन (विशेषत) हुज़ूरे-अक़दस सलवातुल्लाहे-व-सलामोहु-अलैहे-व-अलैहिम-अजमईन को जमाही नहीं आती थी. येह ख़याल (विचार) करते ही इन्शा-अल्लाह तआला जमाही रूक जाएगी.

(बः हवाला, बहारी शरीअ़त, हिस्सा नं. ३)

प्रकरण (७)

नमाज़े पंज वक़्त

:: इरशादे रब्बे-तआला ::

"حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى"

'हाफेज़ू-अलस्सलवाते-वस्सलातिल-वुस्ता'

(पारा-२, सूर-ए-बक़र, आयत नं. २३८)

:: तर्जुमा ::

'निगेहबानी करो सब नमाज़ों की और बीच की नमाज़ की.'

(कन्ज़ुल ईमान)

:: इरशादे रब्बे-तआला ::

"اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا"

'इन्नस्सलाता-कानत-अलल-मो'मिनीना-किताबम-मवकूता'

(पारा-५, सूर-ए-अन्निसा, आयत नं. १०३)

:: तर्जुमा ::

'बेशक नमाज़ मुसलमानों पर वक़्त बांधा हुआ फर्ज़ है.'

(कन्ज़ुल ईमान)

'अल हदीस'

'जिसने जान बूज़कर नमाज़ छोड़ी, जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है.' (अबू नईम)

'अल हदीस'

'हर चीज़ की एक अ़लामत (पहचान) होती है और ईमान की अ़लामत नमाज़ है.' (मुन्या)

'अल हदीस'

हुजूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

"اِنَّ اَوَّلَ مَايُحَاسِبُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَلَاتِهٗ"

(नसाई शरीफ सफहा नं. ५५)

'इन्ना अव्वला-मा योहासिबो-बेहि-यौमल-क़ियामते-सलातोहु'

:: तर्जुमा ::

'क़यामत के दिन सब से पहले बन्दे का हिसाब नमाज़ से शुरू होगा.'

'हर हाल में नमाज़ पढ़ो'

'पाबन्दी से नमाज़ पढ़ो'

:: अल क़ुरआन ::

"وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ"

'व-कूमू-लिल्लाहे-क़ानेतीना'

:: तर्जुमा ::

'और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो'

:: अल क़ुरआन ::

"وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ"

'व अक़ीमुस्सलाता'

:: तर्जुमा ::

'और नमाज़ क़ाइम करो'

'अल हदीस'

अल्लाह तआ़ला को बन्दे की येह हालत सबसे जूयादा पसन्द है कि उसे सजदा करता है और अपना मुंह ख़ाक पर रगड़ता है.'

(तिबरानी)

'अल हदीस'

जिसने नमाज़ छोड़ दी, उसका कोई दीन नहीं. नमाज़ दीन (धर्म) का सुतून (स्तम्भ) है.'

(बैहक़ी)

नमाज़ मो'मिन की मे'राज है.

नमाज़ रूह की ग़िज़ा है.

नमाज़ तमाम परेशानियों को दूर करने का ज़रीआ (कारण) है.

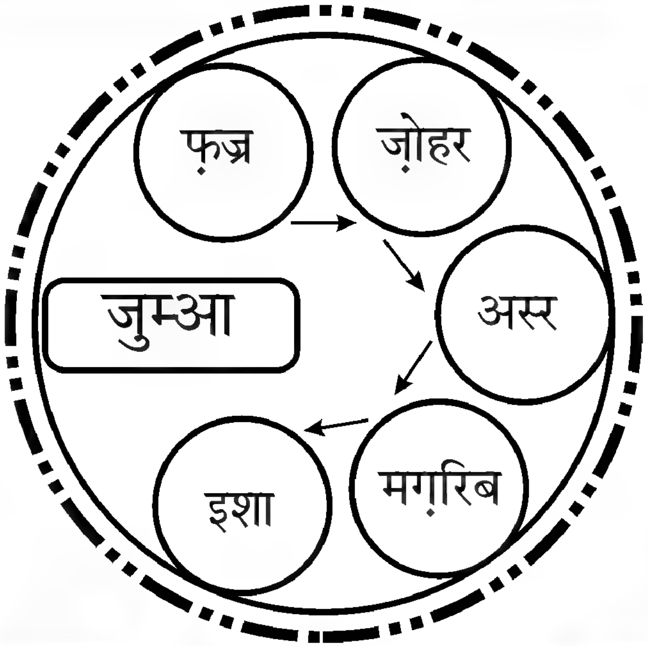

“नमाज़े फ़ज्र”

नमाज़-फज्र की रकअ़तो की संख्या

- सुन्नते मोअक्केदा २
- फर्ज़ २

- कुल संख्या ४

नमाज़े फज्र की फज़ीलत

१. हज़रत आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलेहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :

फज्र की दो (२) रकअ़तें दुनिया-व-माफीहा (जो कुछ दुनिया में हैं) उससे बहेतर हैं. (मुस्लिम, तिरमिज़ी)

२. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

'फज्र की दोनों रकअ़तों को लाज़िम कर लो कि उसमें बड़ी फज़ीलत है.'

(तिब्रानी)

३. हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

'फज्र की सुन्नतें न छोड़ो, अगरचे तुम पर दुश्मन के घोड़े आ पडें.' (अबू दाउद)

- फज्र की नमाज़ का वक़्त सुब्ह सादिक से तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) तक है.
- सुब्ह सादिक एक रौशनी (प्रकाश) है,जो जहां से आज आफताब तुलूअ़ होने वाला है उसके उपर आसमान के किनारे में पूरब की जानिब (पूर्व दिशा) में नज़र आती है और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है,यहां तक कि तमाम आसमान में फैल जाती है और उजाला हो जाता है.
- फज्र की नमाज़ का नमाज़ का वक्त

कम से कम(Minimum) .... १ घंटा १८ मिनट होता है.

ज़यादा से ज़यादा (Maximum) .... १ घंटा ३५ मिनट होता है.

◆ फज्र की नमाज़ का वक़्त साल भर में नीचे निर्देश किए गए नक्शे (Chart) के मुताबिक़ घटता बढ़ता रहेता है :-

नं.	कब	कितना वक़्त होता है घंटा	मिनट	फिर क्या होता है?
१.	२१ मार्च	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है
२.	२२ जून	१	३५	फिर वक़्त घटता है
३.	२२ सितम्बर	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है
४.	२२ दिसम्बर	१	२४	फिर वक़्त घटता है
५.	२१ मार्च	१	१८	रहे जाता है
ब: हवाला बहारे-शरीअ़त हिस्सा नं. ३, सफ़्हा नं. १८.				

ज़रूरी नोट : परोक्त नक्शा बरैली और बरैली के आसपास के विस्तारो के लिये बनाया गया है. बहारे शरीअ़त में फज्र की नमाज़ में उपरोक्त समय उन विस्तारो के लिये हैं, जो बरैली के अर्ज़े बलद (अक्षांस-Latitude) और तूले बलद(रेखांश-Longitude)पर आए हुए हैं. जो विस्तार इन अक्षांस-रेखांस के इलावा पर आए हुए हैं. उन में थोड़ा सा फर्क आएगा.

नमाज़े-फज्र के तअ़ल्लुक से ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'मर्दो के लिये अव्वल वक़्त में फज्र की नमाज़ पढ़ने के बजाए (बदले) ताख़ीर करना मुस्तहब है या'नी इतनी दैर करना कि 'अस्फ़ार' हो जाए या'नी इतना उजाला फैल जाए कि ज़मीन रौशन (स्पष्ट) हो जाए और आदमी आसानी से एक दूसरे को पहचान सके.' (रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'फज्र की नमाज़ अस्फार में पढ़ने की बहुत फज़ीलत है.अहादीसे-करीमा में इस की बहुत फज़ीलतें बयान की गई हैं.चंद हदीसें पैशे ख़िदमत है.

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत राफेअ़ बिन ख़दीज रदीयल्लाहो तआ़ला अन्होसे रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैसे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'फज्र की नमाज़ उजाले मे पढ़ो कि उस में बहुत अज़ीम सवाब है.'

हदीस

'दैलमी की रिवायत हज़रत अनस रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से है कि,'इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी.' और दैलमी की दूसरी रिवायत में हज़रत अनस रदीयल्लाहो अन्हो से है कि;'जो फज्र को रोशन करके पढ़ेगा, अल्लाह तआ़ला उसकी क़ब्र और दिल को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज़ क़ुबूल करेगा.'

हदीस

'तिबरानी ने मो'ज़मे-औसत में हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की है कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'मेरी उम्मत हमेंशा फित्रत या'नी दीने-हक़ पर रहेगी जब तक फज्र को उजाले में पढ़ेगी.'

मस्अला

मर्दों के लिये नमाज़े फज्र 'अस्फ़ार' में ऐसे वक़्त पढ़ना मुस्तहब है कि चालीस (४०) से साठ (६०)आयतें तरतील(ठहेर-ठहेर कर-Reciting Slowly) से पढ़ सके और सलाम फैरने के बाद इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर नमाज़ में फसाद (भंग होना) वाक़ेअ़ हो, तो तहारत कर के तरतील के साथ चालीस से साठ आयतों तक दोबारा पढ़ सके.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द न. २, सफ़्हा नं. ३६५)

मस्अला

'औरत के लिये हमेशा फज्रकी नमाज़ 'गलस' या'नी अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है. बाक़ी सब नमाज़ों में बेहतर है कि मर्दों की जमाअ़त का इन्तिज़ार करें. जब जमाअ़त पूरी हो जाए तब पढ़ें.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३६६)

मस्अला

'नमाज़े-फज्र में इतनी ताख़ीर करना मकरूह है कि आफताब तुलूअ़ (सूर्योदय) हो जाने का शक हो जाए.' (आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सब सुन्नतों में क़वी तर (महत्वपूर्ण) सून्नते-फज्र है. यहां तक कि बा'ज़ (चंद) अइम्म-ए-दीन ने इसको वाजिब कहा है. फज्र की सुन्नतों की मशरूइयत का दानिस्ता इन्कार करनेवाले की तकफीर की जाएगी. (काफिर कहा जाएगा). लिहाज़ा येह सुन्नतें बिला उज़्र बैठकर नहीं हो सकतीं. इलावा अज़ीं येह सुन्नतें सवारी पर या चलती गाड़ी पर नहीं हो सकतीं. इन बातों में सुन्नते-फज्र का हुक्म मिस्ल वाजिब के है. या'नी वाजिब की तरह है.'

(रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा न. ४४)

मस्अला

'सुन्नते-फज्र की पहली रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के बाद 'सूर-ए-काफेरून' (कुल-या-अय्युहल-काफेरून) और दूसरी रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के बाद 'सूर-ए-इख़लास' (कुल-हो-वल्लाहो-अहद) पढ़ना सुन्नत है.'

(गुन्या, शरहे-मुन्या)

मस्अला

'फर्ज़ नमाज़ की जमाअ़त क़ायम (शुरू) हो जाने के बाद किसी भी नफ़्ल और सुन्नत का शुरू करना जाइज़ नहीं, सिवाए फज्र की सुन्नत के. फज्र की सुन्नत में यहां तक हुक्म है कि अगर येह मा'लूम है या'नी यकीन (विश्वास)

है कि सुन्नतें पढ़ने के बाद जमाअ़त मिल जाएगी, अगरचे क़ा'दा में ही शामिल होगा, तो जमाअ़त से हटकर मस्जिद के किसी हिस्से में अकेला सुन्नत पढ़ ले. और फिर जमाअ़त में शामिल हो जाए.'

(बहारे शरीअ़त, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६१४)

मस्अला

'अगर फज्र की जमाअ़त क़ायम हो चुकी है और येह जानता है कि अगर सुन्नत पढ़ता हूं तो जमाअ़त जाती रहेगी, तो सुन्नत न पढ़े और जमाअ़त मे शरीक हो जाए. क्योंकि सुन्नत के लिये जमाअ़त तर्क करना नाजाइज़ और गुनाह है.'

(आलमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७०/६१३)

मस्अला

'सुन्नते-फज्र पढ़ने में अगर जमाअ़त फौत हो जाने का ख़ौफ (भय) हो तो नमाज़ के सिर्फ वही अरकान अदा करे जो फर्ज़ और वाजिब हैं. सुनन और मुस्तहब्बात को तर्क कर दे. या'नी सना, तअव्वुज़, तस्मीया को तर्क करदे और रूकूअ़ और सुजूद में सिर्फ एक मतरबा तस्बीह पढ़ने पर इक्तिफा (सन्तुष्ट- Contentment) करे. (रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'अगर फर्ज़ से पहले सुन्नते-फज्र नहीं पढ़ी है और फर्ज़ की जमाअ़त के बाद तुलूअ़ आफताब तक अगरचे वसीअ़ (विस्तृत) वक़्त बाक़ी है और अब पढ़ना चाहता है, तो जाइज़ नहीं.'

(आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.६२०)

मस्अला

'नमाज़े-फज्र के फर्ज़ से पहले सुन्नते-फज्र शुरू करके फासिद कर दी थी, और अब फर्ज़ के बाद उसको पढ़ना चाहता है, येह भी जाइज़ नहीं.'

(आलमगीरी)

मस्अला

'सुन्नतों को आफ्ताब तुलूअ् होने के बाद, आफताब, बुलन्द होने के बाद कज़ा करे. फर्ज़ के बाद, तुलूअ् आफताब से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६२/६१६)

नोट :

सुन्नतों की कज़ा तुलूअ् आफ्ताब के बीस (२०) मिनट के बाद पढ़े.

मस्अला

'अगर फज्र की नमाज़ कज़ा हो गई और अगर उसी दिन निस्फुन्नेहार (मध्यांहन) से पहले कज़ा पढ़ता है, तो फर्ज़ के साथ-साथ सुन्नत भी कज़ा करे. सुन्नते-फज्र के इलावा अन्य किसी सुन्नत की कज़ा नहीं हो सकती.'

(रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अगर फज्र की नमाज़ की कज़ा निस्फुन्नेहार के बाद (दोपहर सूरज ढलने)या उस दिन के बाद करता है,तो अब सुन्नत की कज़ा नहीं हो सकती. सिर्फ फर्ज़ की क़ज़ा करे.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२०)

मस्अला

'सुन्नते-फज्र पढ़ ली और फर्ज़ पढ़ रहा था कि सूरज तुलूअ् होने की वजह से फर्ज़ कज़ा हो गए, तो कज़ा पढ़ने मे सुन्नत का एआदा न करे बल्कि सिर्फ फर्ज़ की क़ज़ा करे.' (गुन्या शरहे मुन्या, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तुलूअ् फज्र (सुब्हा सादिक) से ले कर तुलूअ आफ्ताब (सूर्योदय) के बाद आफ्ताब (सूरज) बुलन्द होने तक कोई भी नफल नमाज़ जाइज़ नहीं.

(बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'तुलूअ् फज्र(सुब्हे-सादिक)से तुलूअ् आफ्ताब तक कज़ा नमाज़ पढ़ सकता है लैकिन उस वक्त मस्जिद में कज़ा न पढ़े क्योंकि लोग नफल पढ़नेका गुमान करेंगे और अगर किसी ने टोक दिया तो बताना पड़ेगा कि नफल नहीं बल्कि कज़ा पढ़ रहा हूं और कज़ा का ज़ाहिर करना मना है लिहाज़ा उस वक्त घर में कज़ा पढ़े.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२४)

मस्अला

फज्र की नमाज़ का पूरा (समग्र) वक्त अव्वल से आख़िर तक बिला किराहत है. या'नी फज्र की नमाज़ अपने वक्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएगी हरगिज़ मकरूह नहीं.'

(बहरूर राइक, बहारे-शरीअ़त, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५१)

मस्अला

'एक शख़्स को गुस्ल की हाजत है, अगर वोह गुस्ल (स्नान) करता है तो फज्र की नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो वोह शख़्स 'तयम्मुम' करके नमाज़ पढ़ ले और गुस्ल करने के बाद नमाज़ का एआदा करे.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७१)

मस्अला

'तुलूअ् आफ्ताब के वक्त कोई भी नमाज़ जाइज़ नहीं. न फर्ज़, न वाजिब, न सुन्नत, न नफ्ल, न कज़ा बल्कि तुलूअ् आफ्ताब के वक्त सजद-ए-तिलावत और सजद-ए-सह्व भी नाजाइज़ है. लैकिन अ़वामुन्नास (आम जनता के लोग) से कोई शख़्स तुलूअ् आफ्ताब के वक्त फज्र की नमाज़ कज़ा करता हो तो उसे नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकना चाहिये बल्कि नमाज़ के बाद उसको मस्अला समझा देना चाहिये कि तुम्हारी नमाज़ न हुई, लिहाज़ा आफ्ताब बुलन्द होने के बाद या'नी तुलूअ् आफ्ताब के बीस (२०) मिनट के बाद फिर से नमाज़ पढ़ लें.'

(बहारे शरीअ़त, दुर्रे-मुख़्तार,फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.७१४)

मस्अला

लैकिन अगर तुलूअ़ आफताब के वक़्त ही आयते सज्दा पढ़ी और उसी वक़्त सज्द-ए-तिलावत किया तो जाइज़ है.

(आलमगीरी, जिल्द १, सफहा, ४८, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

तुलूए-फज्र (सुब्हे सादिक) से तुलूअ़ आफताब तक के वक़्त में ज़िक्रे-इलाही के सिवा हर दुन्यवी काम मकरूह है. '

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं.१९७)

मस्अला

'आफताब तुलूअ़ होने के वक़्त कुरआन शरीफ की तिलावत बेहतर नहीं, लिहाज़ा बेहतर येह है कि तुलूअ़ आफ्ताब के वक़्त (२० मिनट तक) तिलावते-कुरआ़न के बदले ज़िक्र और दरूद शरीफ में मशगूल रहे.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'तुलूअ़ आफताब के वक़्त तिलावते-कुरआ़न मकरूह है.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५९)

मस्अला

'फज्र की नमाज़ में सलाम फैरने से पहले आफताब (सूर्य) का एक ज़रा सा किनारा तुलूअ़ हुवा, तो नमाज़ न होगी.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३६०)

मस्अला

'सुन्नते फज्र, वाजिब और फर्ज़ नमाज़ चलती ट्रेन में नही हो सकतीं अगर ट्रेन न ठहेरे और नमाज़ का वक़्त निकल जाता हो तो चलती ट्रेन पर पढ़ ले और जब ट्रेन ठहेरे (रूके) तो नमाज़ का एआ़दा कर ले.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द ३, सफहा नं. ४४)

" नमाज़े-ज़ोहर "

नमाज़ ज़ोहर की रकअ़तों की संख्या

- सुन्नते मोअक्केदा ४
- फर्ज़ ४
- सुन्नते मोअक्केदा २
- नफ्ल २
- कुल संख्या १२

नमाज़े ज़ोहर की फज़ीलत

१. अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरेअक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ' जिस ने ज़ोहर के पहले चार (४) रकअ़त पढ़ी, गोया उसने तहज्जुद की चार (४) रकअ़तें पढ़ीं.'

(तिबरानी)

२. असह (ज़्यादा सच) येह है कि सुन्नते-फज्र के बाद ज़ोहर की पहली चार (४) सुन्नतों का मरतबा है. हदीस में ख़ास इनके बारे में इरशाद है कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने फरमाया कि; 'जो इन्हें तर्क करेगा, उसे मेरी शफाअ़त नसीब नहीं होगी.' (दुर्रे मुख़्तार)

- 'ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त आफ्ताब (सूर्य) का निस्फुन्नहार या'नी मध्यांहन (उर्फी-हक़ीक़ी) से ढलते ही शुरू होता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५२)

◆ ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त इमामे-आज़म अबू हनीफ़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हो के नज़्दीक हर चीज़ का साया (पडछाया-Shadow) उसके साय-ए-असली के इलावा दो मिस्ल (दो-गुना, Double) न हो वहां तक रहेता है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़्हा नं. २१०)

एक ज़रूरी वज़ाहत (स्पष्टता)

'ज़वाल का वक़्त हरगिज़ मकरूह नहीं बल्कि ज़वाल शुरू होते ही ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है.'

बहुत से लोग ना-वाकेफी की वजह से 'ज़वाल' को वक़्ते-मकरूहे-तहरीमी समज़ते हैं. अकसर लोगों को येह कहते सुना गया है कि दोपहर को ज़वाल का वक़्त ही वक़्ते ममनूअ़ और मकरूह है, लैकिन हक़ीक़त येह है कि दोपहर को जो मुमानेअ़त का मकरूह वक़्त है, वोह ज़वाल का नहीं बल्कि 'निस्फुन्नहार' का वक़्त है. निस्फुन्नहार के वक़्त कोई नमाज़ जाइज़ नहीं, न फ़र्ज़, न वाजिब, न सुन्नत, न नफल, न अदा, न क़ज़ा बल्कि उस वक़्त तिलावत का सजदा और सहव का सजदा भी ना-जाइज़ और मना है.

नोट : सज्द-ए-तिलावत के मुतल्लिक हर मकरूह वक़्त में वही हुक्म है जो सफ़हा नं. १५९ पर वर्णन किया गया है.

◆ ज़वाल का वक़्त हरगिज़ ममनूअ़ और मकरूह वक़्त नहीं बल्कि ज़वाल के वक़्त तो मुमानेअ़त का वक़्त खत्म होता है और जवाज़ का वक़्त शुरू होता है. बल्कि ज़वाल के वक़्त से ही ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है.

एक बुनियादी (आधारभूत) हवाला पेश है :-

'ज़वाल तो सूरज ढलने को कहते हैं. येह वोह वक़्त है कि मुमानेअ़त का वक़्त निकल गया और जवाज़ का वक़्त आ गया. तो वक़्ते मुमानेअ़त को ज़वाल कहना सरीह मुसामहत है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़्हा नं. २०६)

◆ हल्ले लुग़त : 'मुसामेहत' = काहेली, सुस्ती, चश्म पोशी

(हवाला : फ़ीरोज़ुल लुग़ात, सफ़्हा नं. १२४१)

अब हम येह जानने की कोशिश करें कि निस्फुन्नहार क्या है ? निस्फुन्नहार कब होता है ? ज़वाल क्या है ? ज़वाल कब होता है ?

◆ निस्फ = आधा, नीम, अर्ध Half **(The Royal Persian English Dictionary, Page No. 469)**

◆ नहार = दिन, रोज़, दिवस, यौम, सुब्ह से शाम तक, (Day)

(फ़ीरोज़ुल्लुग़ात, सफ़्हा नं. १३८८)

◆ निस्फुन्नहार = दिन का आधा, Half of Day

(फ़ीरोज़ुल्लुग़ात, सफ़्हा नं. १३६१)

यहां तक की बह्स (चर्चा) से क़ारी (वाचक) मित्रों की समज़ में अच्छी

तरह आ गया होगा कि 'निस्फुन्नहार' या'नी दिन का आधा हिस्सा या'नी दिन का मध्य भाग. लेकिन दिन की भी दो क़िस्में (प्रकार) हैं. पहले इस को समजें.

◆ 'नहार' या'नी दिन (Day) दो (२) तरह का होता है.
(१) नहारे-शरई और (२) नहारे-उर्फी हक़ीक़ी

◆ (१) नहारे शरई :-

तुलूअ़ फज्र या'नी सुब्हे-सादिक़ से शुरू होता है और गुरूबे-आफताब (सूर्यास्त) के वक़्त ख़त्म होता है.

◆ (२) नहारे-उर्फी हक़ीक़ी :-

तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) से शुरू होता है और गुरूबे आफताब (सूर्यास्त) के वक़्त ख़त्म होता है.

◆ नहारे-शरई लम्बा (Long) होता है नहारे उर्फी हक़ीक़ी से. क्योंकि नहारे-शरई की शुरूआ़त जल्दी होती है, जब कि नहारे शरई की इब्तिदा (आरम्भ) सुब्हे-सादिक़ से होती है और नहारे-उर्फी हक़ीक़ी की इब्तिदा तुलू-ए-आफताब (सूर्योदय) से होती है, लेकिन दोनों की इन्तिहा (अंत) एक ही वक़्त या'नी गुरूबे-आफताब (सूर्यास्त) के वक़्त होती है. लिहाज़ा तुलूए-फज्र या'नी सुब्हे-सादिक़ से तुलूए-आफताब के दरमियान जितना वक़्त होता है, उस वक़्त की मिक़दार (मात्रा) जितनानहारे-शरई लम्बा (बड़ा) होता है. या यूं कहो कि नहारे-उर्फी हक़ीक़ी से नहारे-शरई फज्र की नमाज़ के वक़्त की मिकदार जितना बड़ा होता है और नहारे-उर्फी हक़ीक़ी फज्र की नमाज़ के वक़्त की मिकदार जितना छोटा (Small) होता है.

◆ दोनों नहार (दिन) का जब निस्फ (मध्य) निकाला जाएगा तो नहारे-शरई का निस्फ जल्दी आएगा या'नी निस्फुन्नहार शरई जल्दी (पहले) आएगा और नहारे-उर्फीका निस्फ या'नी निस्फुन्नहारे-उर्फी हक़ीक़ी बाद में (देर से-Late) आएगा.

नहारे-शरई और नहारे-उर्फी हक़ीक़ी में फज्र की नमाज़ के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) जितना फर्क होता है, लिहाज़ा निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी के दरमियान फज्र की नमाज़ के वक़्त की आधी मिक़दार जितना फर्क होता है.

◆ पूरे साल भर (समग्र वर्ष) में फज्र की नमाज़ का वक़्त :-

कम से कम(**Minimum**) <u>१ घंटा और १८ मिनट होता है</u>

ज़यादा से ज़यादा(**Maximum**) १ घंटा और ३५ मिनट होता है.

लिहाज़ा पूरे साल में निस्फुन्नहार शरई निस्फुन्नहार उर्फी के दरमियान

कम से कम : ३९ मिनट (Minute) का फर्क और फासला होता है

और

ज़यादा से ज़यादा ४७ मिनट(Minute) का फर्क और फासला (अंतर) होता है.

<u>एक हवाला पेशे-ख़िदमत है.</u>

*ज़हव-ए-कुब्रा से लेकर निस्फुन्नहार तक नमाज़ मकरूह है. येह वक़्त हमारे बिलाद (शहरों-**Cities**) में कम से कम ३९ मिनट और ज़यादा से ज़यादा ४७ मिनट होता है.'*

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३४५)

नोट : सफहा नं. १५३ में लिखी हुई ज़रूरी नोट देखें.

◆ निस्फुन्नहार शरई को 'ज़हव-ए-कुब्रा' भी कहते है.

◆ निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी को 'इस्तवा-ए-हक़ीक़ी' भी कहते हैं.

◆ निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी या'नी 'इस्तवा-ए-हक़ीक़ी' के फौरन बाद 'ज़वाल' शुरू होता है और मकरूह वक़्त ख़त्म (पूर्ण) होता है.

◆ निस्फुन्नहार शरई (ज़ह्व-ए-कुब्रा) और निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी (इस्तवा-ए-हक़ीक़ी) के दरमियान का जो वक़्त है वही मकरूह वक़्त है और उसकी मिक़दार ३९ से ४७ मिनट है.

'निस्फुन्नहार' मा'लूम करने का तरीक़ा

नहार या'नी दिन का आधा (Centre) या'नी निस्फुन्नहार मा'लूम करने का तरीक़ा येह है कि नहार (दिन) के शुरू (Start) और आख़िरी (End) वक़्त को शुमार (Count) करके जान लें कि नहार (दिन) कितने घंटे और मिनट का है. फिर उन घंटो और मिनटों के दो हिस्से करें और एक हिस्सा नहार (दिन) के इब्तिदाई (प्रारंभिक) वक़्त के घंटों और मिनटों में शामिल (Add) कर दें और जो मीज़ान (Total) आए, वोह निस्फुन्नहार का वक़्त हुवा.

◆ मिसाल : (उदाहरण)

फ़र्ज़ करो आपके शहर में आज :-

❒ तुलूअ़ फज्र (सुब्हे सादिक) का वक़्त सुब्ह ५-०० बजे है.

❒ तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) का समय : सुब्ह ६-२० बजे है.

❒ गुरूब आफताब (सूर्यास्त) का समय : शाम ७-०० बजे है.

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) हिसाब के नतीजा से;

◆ आजका नहारे शरई : १४ घंटे पूरे का है,जिसका आधा ७ घंटे होता है.

◆ आजका नहारे उर्फी : १२ घंटे और ४० मिनट का है, जिसका आधा (Half) ६ घंटे २० मिनट होता है.

❒ नतीजा (परिणाम)

आज का निस्फुन्नहार शरई निकालने के लिये आजके नहारे-शरई के इब्तिदाई वक़्त के घंटो और मिनटों में आज के नहारे-शरई के कुल वक़्त का आधा जोड़ दें.

५.००	नहारे शरई शुरू होने का वक़्त या'नी तुलूअ़-फज्र (सुब्हे सादिक) का वक़्त
+ ७.००	आज के नहारे-शरई के कुल वक़्त १४ घंटे का आधा (निस्फ)
१२.००	बजे दोपहर को निस्फुन्नहार शरई का वक़्त हुआ

आजका निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी निकालने के लिये आजके नहारे-उर्फी के शुरू वक़्त के घंटों और मिनटों में आज के नहारे उर्फी के कुल वक़्त का आधा जोड दें.

६.२०	नहारे-उर्फी शुरू होने का वक़्त या'नी तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) का वक़्त
+ ६.२०	आजके नहारे-उर्फी के कुल वक़्त १२ घंटे और ४० मिनट का निस्फ (आधा)
१२.४०	बजे दोपहर को निस्फुन्नहार शरई का वक्त हुआ.

अल हासिल :-

◆ दोपहर को १२.०० बजे निस्फुन्नहार शरई (ज़ह्व-ए-कुब्रा) का वक़्त हुवा.

दोपहर को १२-४० बजे निस्फन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हक़ीक़ी) का वक़्त हुवा.

◆ या'नी दोनों वक्तों में ४० मिनट का फर्क आया या'नी निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) चालीस (४०) मिनट पहले हुवा और निस्फुन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हक़ीक़ी) का वक़्त चालीस (४०) मिनट के बाद हुवा.

इन दोनों निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उर्फी के दरमियान जो 'चालीस' (४०) मिनट का वक़्त है वही 'वक्ते-मकरूह' है. चालीस (४०) मिनट पूरे

होते ही 'ज़वाल' शुरू होगा और ज़वाल के शुरू होते ही मकरूह वक़्त ख़त्म होकर ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू हो जाएगा.

- अब हम आज के निस्फ़ुन्नहार शरई और निस्फ़ुन्नहार उर्फ़ी के दरमियान जो चालीस (४०) मिनट का फासला है, उसको फज्र की नमाज़ के वक़्त से मुस्तनद (प्रमाणित) करें. आज तुलूअ़ फज्र (सुब्हे-सादिक) ५-०० बजे था और तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) का वक़्त ६-२० पर था. इस हिसाब से आज की फज्र की नमाज़ का वक़्त १ घंटा और २० मिनट था. या'नी कुल ८० मिनट का वक़्त था, जिसका निस्फ चालीस (४०) मिनट हुआ और आजके निस्फ़ुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) और निस्फ़ुन्नहार उर्फ़ी (इस्तवा-ए-हक़ीक़ी) के दरमियान भी चाली मिनट का फासला (अंतर) है.
- पूरे साल भर में फज्र की नमाज़ का कम से कम वक़्त १ घंटा और १८ मिनट और ज़्यादा से ज़्याद वक़्त १ घंटा और ३५ मिनट होताहै, लिहाज़ा निस्फ़ुन्नहार शरई (ज़ह्व-ए-कुब्रा) और निस्फ़ुन्नहार उर्फ़ी (इस्तवा-ए-हक़ीक़ी) के दरमियन का मकरूह वक़्त साल भर में कम से कम ३९ मिनट और ज़्याद से ज़्यादा ४७ मिनट होता है.
- निस्फ़ुन्नहार शरई और निस्फ़ुन्नहार उर्फ़ी के वक़्त के फर्क को अच्छी तरह समज़ने के लिये ज़ैल में (नीचे) जो नक़्शा (Map) पैश (प्रस्तुत) है, उसका बग़ौर मुतालेआ और मुआ़एना (वाचन तथा निरीक्षण) करने से इस मस्अले को समज़ना आसान होगा.

नोट :

नक़्शा अगले सफहे पर मुलाहेज़ा फरमाइये.

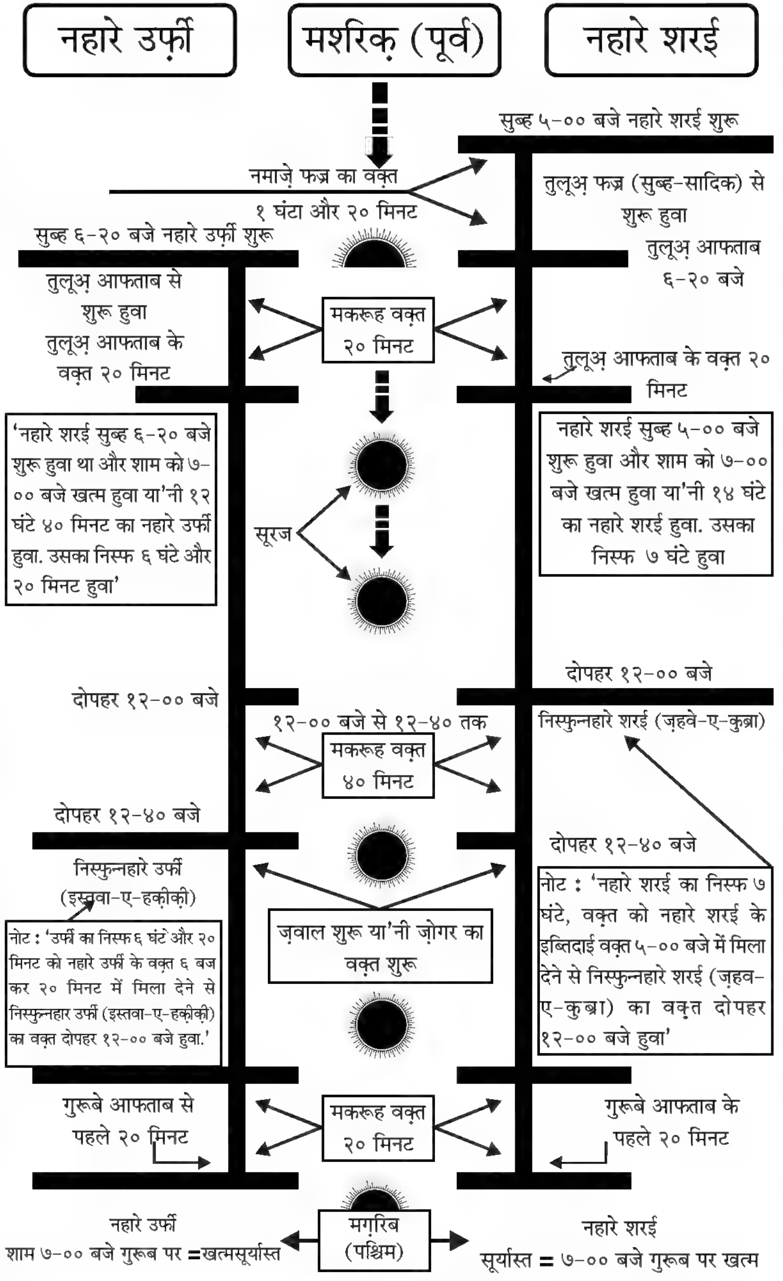

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) नकशा हमने फतावा रज़्वीया शरीफ की मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) इबारतों को मद्दे-नजर (दृष्टि समक्ष) रखकर मुरत्तब (तैयार-Prepare) किया है. अगर किसी क़ारी (वाचक मित्र) को ख़ास (विशेष) और तफसीली (विस्तृत) जानकारी की ज़रूरत (आवश्यक्ता) हो, तो फतावा रज़्वीया की तरफ रूजूअ् (Refer) करें.

१. 'नहारे-शरई' तुलूअ् फज्रे-सादिक से गुरूबे-कुल-आफताब तक है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. २०७/३५७)

२. 'नहारे-उर्फी तुलूअ् किनार-ए-शम्स से गुरूबे कुल-कुर्से-शम्स (सम्पूर्ण सूर्यास्त) तक है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. २०७/३५७)

३. 'हमेशा निस्फुन्नहार शरई निस्फुन्नहार उर्फी हक़ीक़ी से बःक़द्रे निस्फ मिक़दारे (वक़्त)-फज्र के पेश्तर (पहले) होता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. २०७)

४. 'असह व अहसन यही है कि ज़ह्व-ए-कुब्रा से निस्फुन्नहार हक़ीक़ी तक सारा वक़्त वोह है, जिसमें नमाज़ नहीं.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५८)

५. 'निस्फुन्नहार शरई वक़्ते-इस्तवा-ए-हक़ीक़ी से ४० मिनट पेश्तर होता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. २०७)

६. 'उर्फी का गोया निस्फ हक़ीक़ी है. उसी को इस्तावा-ए-हक़ीक़ी कहिये. उस वक़्त आफताब बीच आसमान में होता है. अहेकामे शरइय्या में उसी का ए'तेबार है. निस्फुन्नहार शरई से उसी वक़्त

तक नमाज़ मकरूह है. उसके बाद फिर वक़्ते-मुमानेअ़त नहीं रहेता.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. २०८)

७. 'ज़ोहर का वक़्त आफताब निस्फुन्नहार (उर्फी हक़ीक़ी) से ढलते ही शुरू होता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५२)

यहां तकको वज़ाहत से येह बात साबित हुई कि आ़मतौर से अ़वाम (जनता) में येह बात राइज़ (प्रचलित) है कि दोपहर के वक़्त जब सूरज आसमान के बीच में आता है वही 'ज़वाल' का वक़्त और मकरूह वक्त है. येह बिल्कुल गलत है बल्कि हक़ीक़त येह है कि दोपहर के वक़्त जब सूरज बीच आसमान में होता है, उस वक़्तको 'निस्फुन्नहार शरई' कहते हैं, और येह वक्त मकरूह है. ज़वाल का वक्त हरगिज़ मकरूह वक़्त नहीं, बल्कि ज़वाल के वक़्त मकरूह वक्त खत्म होता है और ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है. लिहाज़ा ज़वाल के वक़्त को मकरूह वक़्त कहना गलत है.

ज़वाल के लुगवी मा'ना (शब्दकोष अर्थ - Lexicon) ही उसके मकरूह वक़्त न होने पर दलालत (साक्षी) करता है.

◆ <u>ज़वाल</u> : तनज़्ज़ुल, उरूज जाता रहेना, सूरज का निस्फुन्नहार से नीचे उतरना.

(हवाला, फीरोजुल्लुगात, सफहा नं. ७५३)

और ज़ाहिर है कि जब सूरज निस्फुन्नहार के स्थान से नीचे ढलना शुरू होता है, तब मकरूह वक्त ख़त्म (समाप्त) होता है और जवाज़ का वक़्त शुरू होता है.

"ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त कब तक रहता है ?"

यहां तक के बयान (वर्णन) से येह बात साबित हूई कि निस्फुन्नहार से जब सूरज ढलता है या'नी नीचे उतरना शुरू होता है या'नी जब ज़वाल की इब्तिदा (प्रारंभ) होती है, तब ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है. अब येह मालूम करें कि ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त कब तक रहेता है ?

◆ एक हवाला पेशे-ख़िदमत है :

'वक़्ते ज़ोहर उस वक़्त तक रहेता है कि साया, सिवा साय-ए-अस्ली के, जो उस रोज़ ठीक दोपहर को पड़ा था, दो मिस्ल हो जाए.'

(फतावा रज़्वीया जिल्द, नं. २, सफहा नं. २२६)

अब येह देखें कि : ◆ साय-ए-अस्ली क्या है ?

◆ साया दो मिस्लम होने से क्या मुराद है ?

◆ दोपहर के वक़्त जो मकरूह वक्त होता है उसको निस्फुन्नहार शरई या ज़ह्व-ए-कुब्रा कहते हैं, जिसकी तफसीली बहस (विस्तृत चर्चा) औराके-साबक़ा (अगले पृष्ठों) में की गई है. उस बहस को दिमाग़ में हाज़िर रखकर नीचे दर्ज वज़ाहत को समज़ने की कोशिश (प्रयत्न) करें.

सूरज हमेशा मश्रिक (पूर्व दिशा-East) की सम्त से तुलूअ़ (उदय) होता है और दिन भर की मसाफत (सफर-अंतर) तय करके मग़रिब (पश्चिम-West) दिशा में गुरूब (अस्त) होता है. सूरज की दिन भर की मसाफत की तीन मंज़िले हैं.

◆ पहली मंज़ील : मशरिक़ (पूर्व दिशा) से तुलूअ़ होकर आसमान के वस्त (मध्य-Centre) में आने तक की मंज़िल.

◆ दुसरी मंज़ील : आसमान के वस्त (मध्य) में इस्तवा (समतल-Equal) होकर ढलना शुरू होने तक या'नी निस्फुन्नहार उर्फी तक की मंज़िल.

◆ तीसरी मंज़ील : आसमान के वस्त में समतल होने की मंज़िल पुरी होने के बाद मगरिब को ढ़लने की मंज़िल.

मिसाल (दृष्टांत) :

फर्ज़ करो (धार लो) कि आपके शहर में आज

◆ तुलूअ़ फज्र (सुब्हे सादिक) का वक़्त सुब्ह ५-०० बजे है.

◆ तुलूअ़ आफताब (सूर्योदय) का वक़्त सुब्ह ६-२० को है.

◆ गुरूब आफताब (सूर्यास्त) का वक़्त शाम ७-०० बजे है.

इस हिसाब से दोपहर को : १२.०० बजे निस्फुन्नहार शरई होगा.

१२.४० को निस्फुन्नहार उर्फी होगा

लिहाज़ा :

◆ सुब्ह ६-२० (सूर्योदय) से दोपहर १२-०० बजे तक पहली मंज़िल है.

◆ दोपहर १२-०० (निस्फुन्नहार शरई) से दोपहर १२-४० तक दूसरी मंज़ील है.

◆ दोपहर १२.४० (निस्फुन्नहा उर्फी) से शाम ७-०० (सूर्यास्त) तक तीसरी मंज़िल है.

◆ तजरबा (अनुभव सिद्ध-Experience)

❒ सूरज जब पहली मंज़िल (पूर्व दिशा से मध्य आकाश) में होता है, तब किसी चीज़ पर सूरज की शुआअें (किरनें-Rays) पड़ती हैं, उस चीज़ का साया (परछाई-Shadow) मग़रिब (पश्चिम-West) की तरफ पड़ेगा.

❒ सूरज जब तीसरी (३) मंज़िल (मध्य आकाश से उफुके-मगरिब या'नी पश्चिम दिशा में आसमान का किनारा-Horizon) में होता है, तब जिस

चीज़ पर उसकी किरनें पड़ती हैं, उस चीज़ का साया मशरिक़ (पूर्व-East) दिशा की तरफ पडेगा.

- लेकिन, सूरज जब वस्ते - आसमान या'नी निस्फुन्नहार (मध्याह्न) की मंज़ील या'नी दूसरी मंज़िल में होता है उस वक़्त उसकी किरनें जिस चीज़ पर पड़ती हैं, और उस वक़्त उस चीज़ का जो साया होता है, उसी को 'साय-ए-असली' कहते हैं. वोह साया या'नी 'साय-ए-असली' कहां पड़ता है ? उसकी सहीह पहचान क्या है ? और 'साय-ए-असली' मा'लूम करने का तरीक़ा (Manner) क्या है ? वोह देखें :-

"साय-ए-असली मा'लूम करने का तरीक़ा"

जब सूरज मशरिक़ (पूर्व) से वस्ते - आसमान (मध्य आकाश) की पहली मंज़िल में हो उस वक़्त हमवार (सपाट-Plain) ज़मीन में एक बिल्कुल सीधी लकड़ी (Stick) को सुतून (स्तम्भ, Pillar) की शक्ल (Type) में गाड दें और लकड़ी का साया बग़ौर (ध्यान पूर्वक) देखते रहें. उस वक़्त लकड़ी का साया मग़रिब की सम्त (पश्चिम दिशा) में पड़ता होगा. आहिस्ता-आहिस्ता वोह साया घटता (कम होता) जाएगा. जब तक साया घट रहा है, दोपहर या'नी निस्फुन्नहार नहीं हुआ. थोड़ी देर के बाद वोह साया घटना बन्द हो जाएगा. जब साया घटना बन्द हो जाए, तब निस्फुन्नहार शरई (ज़हव-ए-कुब्रा) का वक़्त शुरू होता है. तब उस वक़्त लकड़ी का साया मग़रिब (पश्चिम) दिशा में बिल्कुल न होगा बल्कि लकड़ी की शिमाल (दक्षिण, South) दिशा में और मशरिक (पूर्व दिशा) की तरफ थोड़ा ढलता (झुका) हुआ होगा और यही साय-ए-असली (Original Shadow) है. ज़ेल में

(निम्न में) निर्देश किया हुआ नकशा ध्यान से देखें.

उपरसे देखने में इस (प्रकार) होगा. एक जानिब (**Side**) देखने में इस प्रकार होगा.

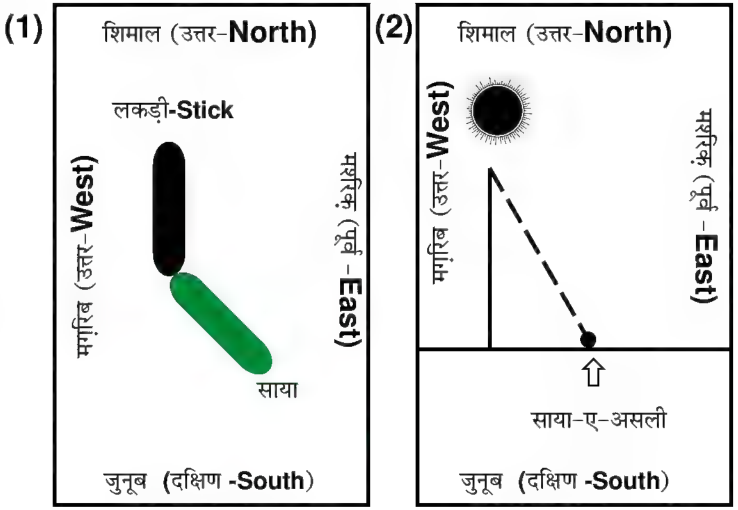

अब साय-ए-असली निस्फुन्नहार उर्फी के पूरा होते ही या'नी ज़वाल के शुरू होते ही मशरिक़ (पूर्व दिशा) की तरफ बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते येह साया लकड़ी के साय-ए-असली के इलावा दो चन्द (दोगुना-Double) हो जाए, उस वक्त तक ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त रहेता है.

मिसाल (दृष्टांत) :

समज़ लो कि लकड़ी (Stick) की लम्बाइ दो (२) फिट है. निस्फुन्नहार के वक़्त साय-ए-असली का नाप (माप-Measurement) आधा फिट था. उसमें लकडी के नाप का डबल या'नी चार फिट (Foot) जोड़ दें. या'नी लकड़ी का साया साढ़े चार (4½) होने तक ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त रहेगा और जैसे ही लकड़ी का साया साढ़े चार फिट पर पहुंच जाएगा, ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त निकल जाएगा और अस्र की नमाज़ का वक़्त हो जाएगा.

नीचे दिया हुआ नकशा देखने की ज़हमत (कष्ट) करें.

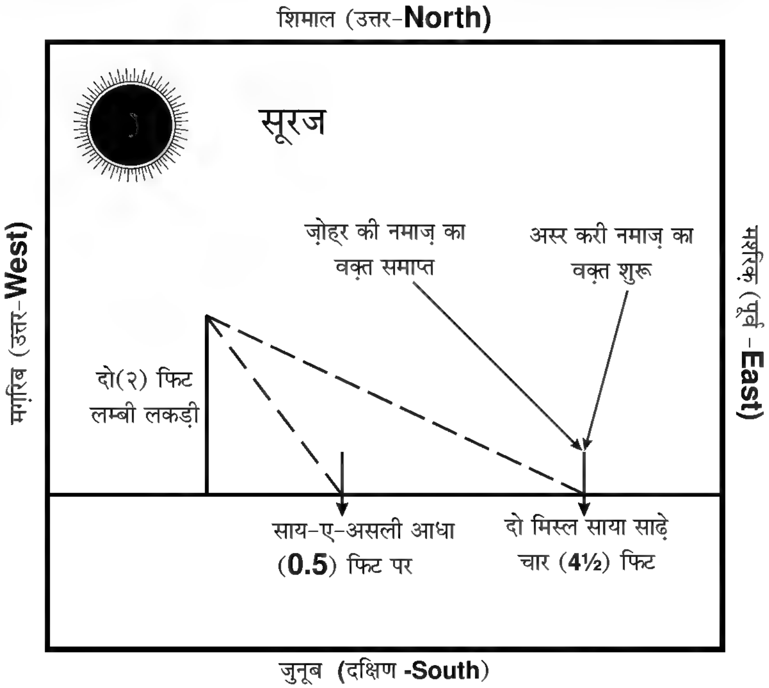

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) नक़्शा हमने फतावा रज़्वीया शरीफ की नीचे दर्ज की हुइ इबारतों को मद्दे नज़र रखकर मुरत्तब किया है. अगर किसी को कोइ ख़ास और तफसीली (विस्तृत) मा'लूमात (जानकारी) की ज़रूरत हो तो वोह फतावा रज़्वीया की तरफ रूजूअ़ करने की ज़हमत करें.

१. 'जुम्अ़ा और ज़ोह्र का एक ही वक़्त है. साया जब तक साय-ए-अस्ली के सिवा दो मिस्ल को पहुंचे, जुम्अ़ा और ज़ोह्र दोनों का वक़्त बाक़ी रहेता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३६१)

२. 'हमवार ज़मीन में सीधी लकड़ी उमूदी हालत पर क़ायम की जाए और वक़्तन-फ-वक़्तन साया को देखते रहें. जब तक साया घटने में है,

दोपहर नहीं हुइ, और जब ठहेर गया निस्फ़ुन्नहार हो गया. उस वक़्त का साया ठीक नुक्त-ए-शिमाल की जानिब होगा. उसे नाप रखा जाए कि यही 'फयउज़्-ज़्वाल' (साय-ए-अस्ली) है. इससे पहले साया मग़रिब की तरफ़ था. जब साया बढ़ने लगा, दोपहर ढल गया. अब साया मशरिक की तरफ हो जाएगा. जब लकड़ी का साया मशिरक़ व शिमाल के गोशें में उस 'फयउज़्-ज़्वाल' की मिक़्दार और लकड़ी के दो मिस्ल को पहुंच गया. मस्लन आज ठीक दोपहर को लकड़ी का साया उसके निस्फ मिस्ल था और उस वक़्त ख़ास नुक़्त-ए-शिमाल को था. अब वक़्तन-फ-वक़्तन बढ़ेगा और मशरिक़ की तरफ झुकेगा. जब लकड़ी का ढाइ मिस्ल हो जाए अस्र हो गया.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५३)

ज़ोह्र की नमाज़ के मुत-अ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'ज़ोह्र की नमाज़ का पूरा वक़्त अव्वल से आख़िर तक बिला किराहत है. या'नी ज़ोह्र की नमाज़ अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएगी अस्लन मकरूह नहीं है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५१)

मस्अला

'हदीस शरीफ और फिक़्ह के हुक्म के मुताबिक़ (अनुसार) गरमी के दिनों (Summer Days) में ज़ोह्र की नमाज़ ताख़ीर से (दैर से, Late) पढ़ना मुस्तहब और मसनून है. और ताख़ीर से पढ़ने से मुराद येह है कि वक़्त के दो हिस्से किये जाऐं. निस्फ अव्वल (पहला आधा हिस्सा)

छोड़ कर निस्फे-सानी (दूसरे आधे हिस्से) में पढ़ें.

हदीस

'बुख़ारी और नसाइ हज़रत अनस रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते हैं कि; 'हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम जब गर्मी होती तो नमाज़ (ज़ोह्र) ठंडी करते और जब सर्दी होती तो जल्दी फरमाते.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३६७)

हदीस

'बुख़ारी और मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'ज़ोह्र को ठंडा करके पढ़ो कि सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है.'

हदीस

'सहीह बुखारी शरीफ बाबुल-अज़ान में है. हज़रत अबू ज़र गि़फारी रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो रिवायत करते हैं कि; 'हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के साथ एक सफर में थे. मोअ़ज़्ज़िन ने इरादा किया, तो फरमाया 'ठंडा कर'.' यहां तक कि साया (परछाइ) टीलों के बराबर हो गया. उस वक़्त अज़ान की इजाज़त फरमाइ और इरशाद फरमाया कि; 'गर्मी की शिद्दत (सख़्ती) जहन्नम की सांस (श्वास) से है, तो जब गर्मी सख़्त हो, ज़ोह्र को ठंडे वक़्त पढ़ो.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २११/३६७ के हवाले से)

मस्अला

'गर्मी के दिनों में (ग्रीष्म ऋतु में) ज़ोहर की नमाज़ ताख़ीर (देर) से पढ़ना मुस्तहब है, लैकिन अगर गर्मियों के दिनों में ज़ोहर की नमाज़ की जमाअ़त अव्वल वक़्त में होती हो, तो मुस्तह वक़्त के लिये जमाअ़त तर्क करना जाइज़ नहीं, लिहाज़ा अव्वल वक़्त में जमाअ़त के साथ पढ़ ले.'

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी)

मस्अला

'अगर किसीने ज़ोहर की जमाअ़त के पहले की चार (४) रकअ़त सुन्नतें न पढ़ी हों, और जमाअ़त कायम हो जाए, तो जमाअ़त में शरीक हो जाए. जमाअ़त के बाद दो (२) रकअ़त सुन्नते-बा'दिया पढ़ने के बाद चार सुन्नत पढ़ ले.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६१७)

मस्अला

'अगर चार रकअ़त सुन्नते-मोअक्केदा पढ़ रहा है, और जमाअ़त काइम हो जाए, तो दो (२) रकअ़त पढ़ कर सलाम फैर दे और जमाअ़त में शरीक हो जाए और जमाअ़त के बाद दो रकअ़त सुन्नते-बा'दिया के बाद चार (४) रकअ़त अज़ सरे नौ (नये सिरे से) फिर से पढ़े.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

मस्अला

'ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ से पहले जो चार (४) रकअ़त सुन्नते मोअक्केदा हैं वोह एक सलाम से पढ़े और क़ाद-ए-उला (पहला क़ा'दा) में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़कर तीसरी रकअ़त के लिये खडा हो जाना चाहिये और अगर भूल कर दरूद शरीफ 'अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन' या 'अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-सय्येदेना' पढ़ लिया, तो सजद-ए-सह्व वाजिब हो जाएगा. इलावा अज़ीं (विशेष) तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो तो 'सना' और

'तअव्वुज़' भी न पढ़े. ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ के पहले की इन सुन्नतों की चारों रकअ़त में 'सूर-ए-फातेहा' के बाद कोइ सूरत भी ज़रूर पढ़े.'

(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १५ और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३६)

मस्अला

किसी को ज़ोहर की नमाज़ की जमाअ़त की सिर्फ एक ही रकअ़त मिली या'नी वोह शख़्स चौथी रकअ़त में जमाअ़त में शामिल हुआ. तो इमाम के सलाम फैरने के बाद वोह तीन रकअ़तें हस्बे-ज़ेल तरतीब (पद्धति-Method) से पढ़ेगा.

'इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए. अगर पहले 'सना' न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले और अगर पहले 'सना' पढ़ चुका है, तो अब सिर्फ 'अउज़ो' से शुरू करे और पहली रकअ़त में सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ़ और सुजूद करके क़ा'दा में बैठे और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअ़त में भी सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ़ और सुजूद करके बग़ैर क़ा'दा किए हुए तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअ़त में सिर्फ 'अल-हम्दो' शरीफ पढ़ कर रूकूअ़ और सुजूद करके 'क़ा'द-ए-आखिरा' करके नमाज़ तमाम (पूर्ण) करे.'

(दुर्रे-मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १३६, और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९३/३९६)

नोट : 'नमाज़े अस्र और इशा में भी इसी तरतीब से पढ़े.'

मस्अला

'फर्ज़ के पहले जो सुन्नते हैं, उनको पढ़ लेने के बाद फर्ज़ नमाज़ पढ़ने तक किसी किस्म (प्रकार) की गुफतगू (बातचीत) नहीं करनी चाहिये क्योंकि सुन्नते-कबलिया या'नी फर्ज़ के पहले की सुन्नतें पढ़ने के बाद कोइ ऐसा काम करना कि जिस से नमाज़ फासिद हो जाती है या'नी कलाम करना, खाना, पीना वग़ैरह करने से सुन्नतों का सवाब कम हो जाता है और बा'ज़ के नज़दीक सुन्नतें ही जाती रहेती हैं. लिहाज़ा कामिल सवाब पाने के लिये और जिनके नज़दीक सुन्नतें नहीं होती हैं, के इख़्तिलाफ (विवाद) से बचने के लिये बेहतर है कि अगर सुन्नत और फर्ज़ के दरमियान किसी क़िस्म की बातचीत कर ली है, और अभी जमाअ़त काइम होने में दैर है, कि जमाअ़त में शामिल होने में ख़लल (अवरोध) न आएगा, तो सुन्नतों का एआ़दा कर ले, लैकिन फज्र की सुन्नतों का एआ़दा करना जाइज़ नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४७२)

'नमाज़े अस्र'

नमाज़े अस्र की रकअतें	संख्या
◆ सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा	४
◆ फर्ज़	४
◆ कुल संख्या	८

नमाज़े अस्र की फज़ीलत

१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं; 'अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रहम फरमाए जिसने अ़स्र से पहले चार (४) रकअ़तें पढ़ीं.' (अबू दाउद, तिरमिज़ी)

२. तिबरानी ने उम्मुल-मो'मिनीन हज़रत उम्मे-सल्मा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हासे रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि, 'जो अ़स्र से पहले चार (४) रकअ़तें पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसके बदन को आग पर हराम फरमा देगा.'

◆ 'अ़स्र की नमाज़ का वक़्त, ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने पर शुरू होता है और आफताब के गुरूब (अस्त) होने तक रहेता है.' (बहारे शरीअ़त)

हदीस

'इमाम इब्ने अबान हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'ज़ोहर का वक़्त अ़स्र तक है और अ़स्र का वक़्त मग़रिब तक और मग़रिब का वक़्त इशा तक और इशा का वक़्त फज्र तक है.'

(बः हवाला, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २ सफहा नं. ३२०)

◆ हज़रत सय्येदेना इमाम-आज़म अबू हनीफा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के नज़दीक जब तक साया ज़िल्ले-असली (Original Shadow) के इलावा दो मिस्ल (Double) न हो जाए अ़स्र का वक़्त नहीं होता.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २१०)

◆ 'अ़स्र की नमाज़ का वक़्त'

कम से कम (**Minimum**) १ घंटा ३५ मिनट रहता है.

ज़्यादा से ज़्यादा (**Maximum**) २घंटा ६ मिनट रहेता है.

◆ 'अ़स्र की नमाज़ का वक़्त साल भर में नीचे के नकशा के मुताबिक़ घटता-बढ़ता है :-

नं.	कब	कितना वक़्त होता है		फिर कया होता है?
		घंटा	मिनट	
१.	२१ जनवरी	१	३५	फिर वक़्त बढ़ता है.
२.	२० अप्रेल	१	५०	" "
३.	२२ मई	२	०१	" "

४.	२३ जून	२	०६	”
५.	२३ जूलाई	२	०१	फिर वक्त घटता है.
६.	२३ अगस्त	१	५०	” ”
७.	२३ सितम्बर	१	४१	” ”
८.	२४ अक्तूबर	१	३६	” ”
९.	१ नवम्बर	१	३५	रह जाता है.

(ब: हवाला : बहारे शरीअ़त और फ़तावा रज़वीया , जिल्द नं. २, सफहा नं. २१६)

नोट : सफहा नं. १५३ पर दर्ज “जरूरी नोट” देखें.

मस्अला

‘गुरूब आफताब (सूर्यास्त) होने के बीस (२०) मिनट पहले मकरूह वक्त शुरू हो जाता है. उस वक्त कोई नमाज़ जाइज़ नहीं. न फर्ज़,न वाजिब, न सुन्नत, न कज़ा,न नफ्ल बल्कि गुरूब आफताब के वक्त सजद-ए-तिलावत और सजद-ए-सहव भी जाइज़ नहीं.’(बहारे शरीअ़त, दुर्रे मुख़्तार)

नोट :

‘अगर उस दिन की अस्र नमाज़ नहीं पढ़ीं, तो फक्त अ़स्र के फर्ज़ पढ़ सकता है. इस मस्अले की वज़ाहत (स्पष्टता) आगे आएगी.

अ़स्र की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

‘अ़स्र की नमाज़ में ताख़ीर (विलम्ब) मुस्तहब है. मगर इतनी ताख़ीर न करनी चाहिये कि आफताब में ज़र्दी (पीलापन-Yellowness)आ जाए और

आफताब पर बे तकल्लुफ निगाहे जम सके.’(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मस्अला

‘आफताब में ज़र्दी उस वक्त आती है जब गुरूब (अस्त होने) में २० मिनट बाकी रहेते हैं.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २२२)

मस्अला

‘नमाज़े-अ़स्र में अब्र या’नी बादल (Cloud) के दिन जल्दी करनी चाहिये लैकिन इतनी जल्दी न करनी चाहिये कि वक्त से पहले पढ़ ले. अब्र के दिन के इलावा बाक़ी दिनों में हमेशां ताख़ीर करना मुस्तहब है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २१३)

मस्अला

‘अ़स्र की नमाज़ का मुस्तहब वक्त हमेशा उस के वक्त का निस्फे-आख़िर है मगर रोज़े-अब्र ता’जील चाहिये या’नी बादल के दिन जल्दी पढ़ना चाहिये.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५२)

मस्अला

‘अ़स्र का मुस्तहब वक्त निस्फ़ आख़िर से मुराद येह है कि अ़स्र की नमाज़ के कुल वक्त में से मकरूह वक्त के बीस (२०) मिनट निकाल कर बाक़ी वक्त के दो हिस्से करें और हिस्स-ए-अव्वल (प्रथम भाग) को छोड़कर हिस्स-ए-दौम से मुस्तहब वक्त है. हालांकि हिस्स-ए-अव्वल में भी कोई कराहत (नापसन्दीदगी-Aversion) नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २१६)

मिसाल (दृष्टांत - **Example**)

फर्ज़ (धार लो - Estimation) करो कि

- अ़स्र का वक्त : ५ बजकर २० मिनट पर शुरू होता है.
- गुरूब आफताब (सूर्यास्त): ७ बजकर १० मिनट पर होता है.

◆ गुरूब आफताब ७ - १० बजे है उसमें से मकरूह वक़्त

० - २० मिनट निकाल दो

६ - ५० का वक़्त वोह है जिसमें अस्लन कोई कराहत नहीं या'नी ५-२० से ६-५० तक का १ घंटा और ३० मिनट या'नी कुल ९० मिनट वक़्त वोह है जिसमें अस्लन कोई कराहत नहीं. अब इस के दो हिस्से करो, तो एक हिस्सा ४५ मिनट का हुआ. नतीजा येह निकला कि;

१. निस्फ अव्वल : ५ - २० को अ़स्र का वक़्त शुरू

\+ ० - ४५ मिनट का एक हिस्सा

= ६ - ०५ का वक़्त हुआ

या'नी ५-२० से ६-०५ तक निस्फ अव्वल है.

२. निस्फ आख़िर :

६-०५ से ६-५० तक निस्फ आख़िर है और इस वक़्त के दरमियान अ़स्र की नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है.

मस्अला

'गुरूब आफताब के बीस (२०) मिनट पहले का वक़्त ऐसा मकरूह वक़्त है कि उसमें कोई भी नमाज़ पढ़नी जाइज़ नहीं, लैकिन अगर उस दिन की अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो उस वक़्त भी पढ़ ले, अगरचे आफताब गुरूब हो रहा हो, तब भी पढ़ ले लैकिन बिला उ़ज़्रे-शरई इतनी ताख़ीर (विलम्ब) हराम है. हदीस में इसको मुनाफिक़ की नमाज़ फरमाया गया है.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअ़त हिस्सा ३, सफहा २१)

मस्अला

'जब गुरूब (सूर्यास्त) को बीस (२०) मिनट बाक़ी रहें, तब कराहत का वक़्त आ जाएगा, उस वक़्त आज की अ़स्र के सिवा हर नमाज़ मना हो

जाएगी.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २१५)

या'नी सिर्फ अ़स्र के फर्ज़ पढ़ सकता है, अ़स्र की सुन्नत नहीं पढ़ सकता.

मस्अला

'जब आफताब गुरूब के करीब पहुंचे और कराहत का वक़्त आए, उस वक़्त 'कुरआने-मजीद' की तिलावत मुल्तवी कर दी जाए और अज़्कारे-इलाहिया (अल्लाह का ज़िक्र) किए जाऐं, उस वक़्त तिलावत मकरूह है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५९ और अहकामे शरीअ़त, हिस्सा-२, मस्अला-५२, सफहा - ३१)

मस्अला

'अ़स्र की नमाज़ के बाद नफ्ल नमाज़ पढ़ना मना है. अगर उस वक़्त में नफ्ल नमाज़ शुरू कर के तोड़ दी थी, उसकी क़ज़ा भी उस वक़्त में पढ़ना मना है और अगर उस वक़्त उसकी कज़ा पढ़ ली तो ना-काफी है. कज़ा उस के ज़िम्मे से साक़ित न हुई, या'नी बाक़ी रही.' (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मस्अला

'अ़स्र की नमाज़ के बाद आफताब गुरूब होने के बीस (२०) मिनट पहले तक क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकता है.'

(बहारे-शरीअ़त,फतावा रज़वीया, जिल्द-२, सफहा -३५९)

मस्अला

'अ़स्र की सुन्नतें शुरू की थीं और जमाअ़त क़ाइम हो गई, तो दो (२) रकअ़त पढ़कर सलाम फैर दे और जमाअ़त में शरीफ हो जाए. सुन्नतों के एआ़दा की ज़रूरत नहीं.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

मस्अला

'एक शख़्स अ़स्र की जमाअ़त की चौथी (४) रकअ़त में शामिल हुआ. इमाम के

सलाम फैरने के बाद वोह छूटी हूई तीन(३)रकअ़तें इस तरह पढ़े कि ;

'इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए और 'सना' अगर पहले न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले, वर्ना 'अउज़ो' से शुरू करे और 'अल-हम्दो' शरीफ और सूरत पढ़कर रूकूअ़ और सजदे करके 'क़ा'दा' में बैठे और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअ़त में अल-हम्दो शरीफ और सूरत पढ़े और रूकूअ़ व सुजूद के बाद बग़ैर क़ा'दा किये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअ़त में सिर्फ 'अल-हम्दो' शरीफ पढ़कर रूकूअ़ और सुजूद कर के क़ा'द-ए-आख़िरा कर के नमाज़ तमाम (पूरी)करे.'

(फ़्तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़्हा नं. ३९३)

<u>या'नी :</u>

- पहली रकअ़त में 'अल-हम्दो' शरीफ और सूरत पढ़े और रकअ़त पूरी कर के क़ा'दा करे, और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़कर खड़ा हो जाए.
- दूसरी रकअ़त मे भी अल-हम्दो शरीफ और सूरत पढ़े और रकअ़त पूरी कर के क़ा'दा न करे और खड़ा हो जाए.
- तीसरी रक्अ़त में सिर्फ अल-हम्दो शरीफ पढ़े और क़ा'द-ए-आख़िरा करके नमाज़ पूरी करे.

मस्अला

'अ़स्र की नमाज़ के फर्ज़ के पहले जो चार (४) रकअ़त हैं, वोह सुन्नते-गैर-मोअक्केदा हैं. इन चारों (४) रकअ़तों को एक सलाम से पढ़ना चाहिये और दो (२) रकअ़त के बाद 'क़ा'द-ए-उला' (पहला-क़ा'दा) करना चाहिये और क़ा'द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिये और तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो, तो तीसरी रकअ़त के शुरू में 'सना' (सुब्हानकल्लाहुम्मा) पूरी पढ़े और 'तअव्वुज़' (अउज़ोबिल्लाह) भी पूरा पढ़े. क्योंकि सुन्नते-ग़ैरमोअक्केदा मिस्ले-नफल या'नी नफल की तरह है और नफल नमाज़

का हर क़ा'दा मिस्ले-क़ाद-ए-आख़िरा है, लिहाज़ा हर क़ा'दा में अत्तहिय्यात और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिये और पहले क़ा'दा के बाद वाली रकअ़त या'नी तीसरी रकअ़त के शुरू में 'सना' और 'तअव्वुज़'भी पढ़ना चाहिये और हर रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के बाद सूरत भी मिलाना चाहिये.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफ़्हा नं. १५ और फ़्तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़्हा नं. ४६९)

एक छोटी सी गुज़ारीश ! ! !

'मो'मिन की नमाज़' किताब का वांचन आप ज़रूर पूरा करेंगे. अपेक्षा है कि आपने किताब को ज़रूर पसंद आएगी. आप से नम्र विनंती है कि आप अपने मूल्यवान अभिप्राय और सुन्हरी सुझावों से हमें अवश्य माहितगार और प्रोत्साहित करेंगे.

हमारा संपर्क निम्न लिखित पते पर करने का कष्ट कर के हमें आभारी करेंगे.

hamdani786@hotmail.com

आपकी मुहब्बत का दिली शुक्रिया
अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें.

आपका...

व्यवस्थापक : मरकज़े एहले सुन्नत बरकाते रज़ा

पोरबंदर (गुजरात)

"नमाज़े मग़रिब"

नमाज़े मग़रिब की रकअ़तें	संख्या
◆ फर्ज़	३
◆ सुन्नते-मोअक्केदा	२
◆ नफ़्ल	२
◆ कुल संख्या	७

नमाज़े-मग़रिब की फज़ीलत

१. रज़ीन ने मकहूल से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं; "जो शख़्स बाद मग़रिब कलाम करने से पहले दो (२) रकअ़त पढ़े, उस की नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाती है."

२. हज़रत हुज़ैफा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'मग़रिब के बाद की दोनों रकअ़तें जल्दी पढ़ो कि वोह फर्ज़ के साथ पेश होती है.'

(तिब्रानी)

◆ 'मग़रिब की नमाज़ का वक़्त गुरूबे आफ्ताब से गुरूबे-शफ़्क़ तक है.'

(बहारे-शरीअ़त)

◆ 'शफ़्क़' (Twilight-संध्या की लाली के बाद का प्रकाश) हमारे मज़हब में उस सफेदी का नाम है, जो मग़रिब (पश्चिम दिशा) की तरफ़ सुर्ख़ी (लाली) डूबने के बाद जुनूबन-शिमालन (उत्तर-दक्षिण) दिशा

में सुब्हे-सादिक (प्रभात के उजाले) की तरह फैली हूई रहेती है.'

(हिदाया, शरहे-वक़ाया, आ़लमगीरी)

◆ 'मग़रिब का वक़्त सफेदी डूबने तक है या'नी चौड़ी सफेदी कि जुनूबन-शिमालन फैली हुई और सुर्ख़ी ग़ायब होने के बाद देर तक बाक़ी रहेती है. जब वोह सफेदी न रहे, तब मग़रिब का वक़्त ख़त्म हुआ और इशा का शुरू हुआ.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफ़्हा नं. २२६)

◆ मग़रिब का वक़्त :

कम से कम	१ घंटा १८ मिनट रहेता है.
ज़्यादा से ज़्यादा	१ घंटा ३५ मिनट रहेता है.

(बहारे शरीअ़त, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफ़्हा नं. २२६)

◆ 'हर रोज़ नमाज़ फज्र और नमाज़ मग़रिब के वक़्त की मिक़दार बराबर होती है.' (बहारे-शरीअ़त)

या'नी रोज़ जितना फज्र का वक़्त होता है, उत्ना ही मग़रिब का वक़्त होता है. न ज़्यादा और न कम होता है.

◆ मग़रिब की नमाज़ का वक़्त साल भर में नीचे दिए नकशे के मुताबिक घटता और बढ़ता है :-

नं.	कब	कितना वक़्त होता है		फिर क्या होता है?
		घंटा	मिनट	
१.	३१ मार्च	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है
२.	३० जून	१	३५	फिर वक़्त घटता है.
३.	३० सितम्बर	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है.
४.	३१ दिसम्बर	१	२४	रहे जाता है.

(ब:हवाला, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफ़्हा नं. २२६)

नोट : सफ्हा नं. १५३ पर लिखी हूई 'जरूरी नोट' देखें.

मग़रिब की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक

ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'मग़रिब की अज़ान के बाद तीन (३) छोटी आयतें या एक (१) बड़ी आयत पढ़ने के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) जितना वक़्फ़ा (अंतर-Interval) करके नमाज़ की जमाअ़त के लिये इक़ामत (तकबीर) दे देनी चाहिये.'

(आ़लमगीरी)

मस्अला

'अज़ाने-मग़रिब में बिला-वजहे-शरई (योग्य कारण) के ताख़ीर (विलम्ब) करना सुन्नत के ख़िलाफ है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५५)

मस्अला

'अगर एक नुक़्ता (बिन्दु) भर सूरज का किनारा ग़ुरूब होने (डूबने) को बाक़ी है और नमाज़े-मग़रिब की तकबीरे-तहरीमा कही, तो नमाज़ न हुई.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३६०)

मस्अला

'ग़ुरूब आफताब और मग़रिब के फर्ज़ के दरमियान नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मना है.' (दुर्रे-मुख़्तार, आलमगीरी)

मस्अला

'मग़रिब की नमाज़ में इतनी दैर करना कि छोटे-छोटे सितारे भी चमक आऐं, मकरूह है.' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २२६)

मस्अला

'बादल के दिन के सिवा मग़रिब की नमाज़ में हमेंशा ता'जील (जल्दी करना) मुस्तहब है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

ह़दीस

'अबू दाउद ने हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफीअ़ रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं; 'दिन की नमाज़ (अ़स्र की नमाज़) बादल के दिन में जल्दी पढ़ो और मग़रिब में ताख़ीर करो.'

ह़दीस

'इमाम अहमद और अबू दाउद ने हज़रत अबू अय्यूब और हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'मेरी उम्मत हमेंशा फित्रत (दीन-**Sagacity**) पर रहेगी, जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर न करें कि सितारे गुथ जाऐं.' (या'नी सितारे आपसे में एक दूसरे से लिपट जाऐं).

मस्अला

'ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ने में दो (२) रकअ़त पढ़ने के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) से ज़्यादा दैर करना मकरूहे-तहरीमी है और इतनी देर करना कि सितारे गुथ गए, तो मकरूहे-तहरीमी है, लैकिन शरई उज़्र (योग्य कारण), सफर (प्रवास) या मरज़ (बीमारी) की वजह से इतनी ताख़ीर (दैर) हो गई, तो हर्ज (नुकशान) नहीं.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

ह़दीस

'हज़रत नाफेअ़ रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है, वोह रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के साथ

सफर में था और वोह ब:सुरअत (जल्दी जल्दी) चलते थे. असना-ए-राह (मार्ग में) सूरज डूब गया और उन्हों ने मग़रिब की नमाज़ न पढ़ी, हालांकि मैंने उन की हमेंशा की आदत यही पाई थी कि नमाज़ की मुहाफिज़त (रक्षा) फरमाते थे. जब नमाज़ में दैर लगाई, तो मैंने कहा, 'खुदा आप पर रह्म फरमाए- नमाज़.' आपने मेरी तरफ देखा और आगे रवाना हुए. जब शफक्क का आखीर (अंतिम) हिस्सा रहा, (सवारी से) उतर कर नमाज़ पढ़ी. फीर इशा की तकबीर इस हाल में कही कि शफ्क डूब चुकी थी. उस वक्त इशा पढ़ी, फिर हमारी तरफ मुंह करके फरमाया कि 'रसुलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को जब सफ़र में जल्दी होती तो ऐसा ही करते.'

(नसाई शरीफ)

(ब: हवाला फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २४०)

मस्अला

'मग़रिब के फर्ज़ के बाद दोनों सुन्नतें जल्दी पढ़ लेनी चाहिअें और फर्ज़ व सुन्नत के दरमियान कलाम (बातचीत) न करना चाहिये.' (बहारे-शरीअ़त)

हदीस

'हज़रत हुज़ैफा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'जो शख़्स बाद मग़रिब कलाम करने से पहले दो (२) रकअ़तें पढ़े, उसकी नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाएगी.' (तिब्रानी)

मस्अला

'जिस मुक्तदी को मग़रिब की तसरी रकअ़त मिली हो, वोह जब अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) दो (२) रकअ़तें पढ़े. तब पहली रकअ़त के बाद का'दा ज़रूर करे, या'नी एक रकअ़त के बाद क़ा'दा करे और उसमें

सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़ कर खड़ा हो जाए, फिर दूसरी रकअ़त पढ़े और क़ा'द-ए-आखिरा करे.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९२)

फज़ीलत :

'मग़रिब की नमाज़ के बाद 'सलातुल-अव्वाबीन' पढ़ने की बहुत फज़ीलत है. हदीस शरीफ में है कि; 'जो मग़रिब के बाद छे (६) रकअ़तें पढ़े उसके गुनाह बख़्श (मुआफ कर) दिये जाते हैं अगरचे समन्दर के ज़ाग (फीण) के बराबर हों.' (तिबरानी)

:: नोट ::

फराइज़ की अदायगी बहुत ही लाज़मी है. नवाफिल की मकबूलियत का दारोमदार फराइज़ की अदायगी पर है. वर्णनीय हदीस में मगरिब के बाद छे (६) रकअत सलातुल अव्वाबीन पढ़ने की जो फज़ीलत बयान फरमाई गई है, उस का सवाब उन लागों के लिये है जिन पर किसी फर्ज़ या वाजिब नमाज़ की कज़ा पढ़ना बाकी न हो.

"नमाज़े इशा"

नमाज़े इशा की रकअतें	संख्या
◆ सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केदा	४
◆ फर्ज़	४
◆ सुन्नते मोअक्केदा	२
◆ नफ़्ल	२
◆ वित्र (वाजिब)	३
◆ नफ़्ल	२
◆ कुल संख्या	१७

नमाज़े इशा की फज़ीलत :

१. इब्ने माजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'जो मस्जिद में बा-जमाअ़त चालीस (४०) रातें नमाज़े इशा पढ़े कि पहली रकअ़त फौत होने (छूटने) न पाए, तो अल्लाह तआ़ला उस के लिये दोज़ख (नर्क) से आज़ादी लिख देता है.'

(अल हदीष - इब्ने माजा)

२. 'सब नमाज़ों में मुनाफिकों पर गिरां (कष्टदायक) नमाज़े फज्र और इशा है.' (अलहदीस-तिब्रानी)

३. 'जो नमाज़े इशा के लिये हाज़िर हुआ, गोया उसने निस्फ शब (आधी रात) क़याम किया.'

(अल-हदीस, बयहकी)

४. वित्र हक़ (सत्य) है, जो वित्र न पढ़े, वोह हम में से नहीं.'

(अलहदीस अबू दाउद)

५. 'जिसने क़स्दन (जान बूझकर) नमाज़ छोड़ी, जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है.' (अल हदीस - अबूनईम)

- 'नमाज़े इशा का वक़्त मग़रिब का वक़्त ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है और तुलू-ए-फज्रे-सादिक तक रहेता है.'

  (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २२६)

- इशा की नमाज़ में तिहाई (१/३) रात तक ताख़ीर करना मुस्तहब है और आधी रात तक ताख़ीर मुबाह है.'

  (दुर्रे मुख़्तार)

- 'नमाज़े-इशा की निस्फ (१/२) शब से ज़्यादा ताख़ीर मकरूह है.'

  (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५५)

- 'अब्र (बादल) के दिन अस्र और इशा मे ता'ज़ील (जल्दी) करना मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में ताख़ीर (देर करना) मुस्तहब है.'

  (बहारे शरीअ़त)

- 'अगरचे इशा की फर्ज़ नमाज़ और वित्र नमाज़ का एक ही वक़्त है, लैकिन दोनों में बाहम (आपस में) तरतीब (दर्जा ब दर्जा होना) फर्ज़ है. अगर किसी ने इशा के फर्ज़ से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली, तो वित्र की नमाज़ होगी ही नहीं. वित्र को फर्ज़ के बाद ही पढ़ना लाज़मी है.'

  (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

इशा की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'अगर किसीने इशा के फर्ज़ के पहले की चार (४) रकअ़तें सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केदा न पढ़ी हों और जमाअत के बाद पढ़ना चाहता है, तो जमाअ़त के बाद की दो (२) सुन्नते-बा'दिया (सुन्नते-मोअक्केदा) के बाद पढ़ सकता है. इसमे कोई मुमानेअ़त (मनाई) नहीं है.

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६१७)

मस्अला

'फर्ज़ के पहले की चार (४) सुन्नतें शुरू की थीं और जमाअ़त काइम हो गई तो दो (२) रकअ़त पढ़कर सलाम फैर दे और जमाअ़त में शरीक हो जाए. सुन्नतों के ए'आ़दा की ज़रूरत नहीं.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६११)

मस्अला

'नमाज़े-इशा से पहले सोना (नींद करना) और इशा की नमाज़ के बाद दुनिया की बातें करना, दुन्यवी क़िस्से कहानियां कहना-सुनना मकरूह है. अलबत्ता ज़रूरी बातें, तिलावते-कुरआन, ज़िक्र, दीनी मसाइल, सालेहीन के किस्से, वाअ्ज़ और नसीहत और मेहमान से बातचीत करने में हर्ज़ (बाधा) नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'इशा की नमाज़ में आख़िरी दो (२) रकअ़त नफ़्ल नमाज़ खड़े होकर पढ़ना अफज़ल और दूना सवाब है, और बैठकर पढने में भी

कोई ए'तराज़ नहीं. (फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४६१)

वित्र की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

हदीस

'अबू दाउद, तिरमीज़ी, नसाई और इब्ने माजा अमीरूल मो'मेनीन हज़रत अ़ली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'अल्लाह वित्र (बेजोड़-**Singular**) है और वित्र को महबूब रखता है, लिहाज़ा ए ईमान वालो ! वित्र पढ़ो.'

मस्अला

'नमाज़े-वित्र की तीन (३) रकअ़ते हैं और उस में क़ाद-ए-उला वाजिब है. क़ा'द-ए-उला में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़कर खड़ा हो जाना चाहिये. अगर क़ा'द-ए-उला में नहीं बैठा और भूल कर खड़ा हो गया, तो लौटने की इजाज़त नहीं, बल्कि सजद-ए-सहव करे'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'वित्र नमाज़ की तीनों रकअ़तों में क़िरअ़त फर्ज़ है और हर रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ४)

मस्अला

'वित्र की तीसरी रकअ़त में किरअ़त के बाद और रूकूअ़ से पहले कानों तक हाथ उठाकर 'अल्लाहो-अकबर' कहकर हाथ बांध लेना चाहिये और दुआ-ए-कुनूत पढ़ कर रूकूअ़ करना चाहिये.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ४)

मस्अला

'वित्र में दुआ-ए-कुनूत पढ़ना वाजिब है. अगर दुआ-ए-कुनूत पढ़ना भूल गया और रूकूअ़ में चला गया, तो अब रूकूअ़ से वापस न लौटे बल्कि नमाज़ पूरी करे और सजद-ए-सह्व करे.'

(आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४५)

मस्अला

'दुआ-ए-कुनूत आहिस्ता पढ़नी चाहिये. इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फ़रिद हो, अदा पढ़ता हो या कज़ा पढ़ता हो, रमज़ान शरीफ में पढ़ता हो या और दिनों में पढ़ता हो, हर सूरत (संजोग) में दुआ-ए-कुनूत आहिस्ता पढ़े.'

(रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'जिसको दुआ-ए-कुनूत याद न हो वोह एक (१) मरतबा 'रब्बना-आतेना-फिद्-दुनिया-हसनतंव-व-फिल-आख़िरते-हसनतंव-व-क़िना-अज़ाबन्नारे' पढ़ ले,या तीन (३) मरतबा 'अल्ला-हुम्मग़्-फिर-लना' कहे.'

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'वित्र की कुनूत में मुक़्तदी इमाम की मुताबेअ़त (अनुकरण) करे, अगर मुक़्तदी दुआ-ए-कुनूत से फारिग़ न हुआ था कि इमाम रूकूअ़ में चला गया, तो मुक़्तदी इमाम के साथ देते हुए रूकूअ़ करे.'

(आ़लमगीरी, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'जिस मस्बूक़ (जमाअ़त में बाद में शामिल होने वाला मुक़्तदी) को वित्र की जमाअ़त की तीसरी रकअ़त का रूकूअ़ मिला हो, वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद जब दो (२) रकअ़त पढ़ेगा उसमें

कुनुत नहीं पढ़ेगा.' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जिस मस्बूक मुक़्तदी की वित्र की जमाअ़त की तीनों (३) रकअ़तें छूट गई हो, और वोह का'द-ए-आख़िरा में जमाअ़त में शामिल हुआ हो, वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद जब तीन (३) रकअ़तें पढ़ेगा, उसमें कुनूत पढ़ेगा.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८८)

मस्अला

'इशा की नमाज़ कज़ा हो गई तो वित्र की कज़ा पढ़नी वाजिब है, अगरचे कितना ही ज़माना गुज़र गया हो. क़स्दन कज़ा की हो या भूले से कज़ा हो गई हो, जब इशा की क़ज़ा पढ़े तब वित्र की भी क़ज़ा पढ़े और वित्रमें दुआ-ए-कुनूत भी पढ़े. अलबत्ता क़ज़ा पढ़ने में तकबीरे-कुनूत के लिये हाथ न उठाए, जब कि लोगों के सामने पढ़ता हो, ताकि लोगों को पता न चले कि येह क़ज़ा पढ़ता है क्योंकि नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह है और गुनाह का इज़्हार करना (ज़ाहिर करना) भी गुनाह है, लिहाज़ा कज़ा पढ़ते वक्त किसी पर ज़ाहिर न होने दे कि क़ज़ा पढ़ता है और अगर घर में या तन्हाई में वित्र की क़ज़ा पढ़ता हो तो तकबीरे-कुनूत के लिये हाथ उठाए.'

(रद्दुल मोहतार, आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२४)

मस्अला

'रमज़ान में इशा की फर्ज़ की जमाअ़त में जो शामिल नहीं हुआ वोह वित्रकी जमाअ़त में शामिल नहीं हो सकता. जिस ने फर्ज़ तन्हा पढ़े हों वोह वित्र भी तन्हा (अकैला) पढ़े.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८१)

मस्अला

'फज्र में अगर हनफीयुल-मज़हब मुक्तदी ने शाफई इमाम की इक्तिदा की और शाफई इमाम ने अपने मज़हब के मुवाफिक (अनुकूल) दुआ-ए-कुनूत पढ़ी, तो हनफी मुक्तदी दुआ-ए-कुनूत न पढ़े, बल्कि हाथ लटकाए हुए, उत्नी देर चुप खड़ा रहे.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मस्अला

'जो शख़्स जागने पर ए'तमाद (विश्वास-यक़ीन) रखता हो, उस के लिये आख़िरे-शब (अंतिम रात्रि) में वित्र पढ़ना मुस्तहब है, वर्ना सोने से पहले पढ़ ले. फिर अगर पिछले पहर आंख खुली तो 'तहज्जुद' पढ़े लेकिन वित्र का ए'आदा (दोबारा पढ़ना) जाइज़ नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'वित्र के बाद दो (२) रकअ़त नफल पढ़ना अफज़ल है उसकी पहली रकअ़त में 'इज़ा-ज़ुलज़िलतिल-अर्दो' (सूर-ए-ज़िलज़ाल) और दूसरी रकअ़त में 'कुल-या-अय्युहलकाफेरूना' (सूर-ए-काफेरून) पढ़ना अफज़ल है. हदीस में है कि; 'अगर रात में बेदार (जागृत) न हुआ तो येह दो रकअ़तें 'तहज्जुद' के क़ाइम मुकाम (अवेजी-Substitute) हो जाऐंगीं.'

(बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बे-हाजत (व्यर्थ) दुन्यवी बातों में मश्गूल होना मकरूह है.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १९७)

मस्अला

'अवाम (जनता) में से बहुत से लोग वित्र नमाज़ के बाद सजदा में जाकर 'सुब्बुहुन-कुद्दूसुन-रब्बुना-व-रब्बुल-मलाइकते-वर-रुहे' पढ़ते हैं, और इस

अ़मल के मुतअ़ल्लिक येह गुमान करते हैं कि इस अ़मल की हदीस शरीफ में बहुत ही फज़ीलत आई है और बुज़ुर्गाने-दीन येह अ़मल हमेंशा करते आए हैं लैकिन हक़ीक़त येह है कि येह फे'ल (काम) फुक़हा के नज़दीक मकरूह है और इस अ़मल की फज़ीलत में जो हदीस ज़िक्र (वर्णन) की जाती है, वोह हदीस मोज़ूअ (मनघड़त), बातिल (असत्य) और बे-अस्ल है. इस पर अ़मल जाइज़ नहीं. फिक़ह (इस्लामी क़ानून) की मश्हुर किताब गुन्या, तातारख़ानिया, दुर्रे मुख़्तार और तहतावी अलदद्दुर में इस को मकरूह लिखा है क्योंकि एक ख़ारजी अंदेशा (अज्ञात भय) के सबब कि जाहिल लोग इसे सुन्नत या वाजिब न समज़ने लगें.'

(फतावा अफ्रीका,अज़ : आ'ला हज़रत, मस्अला नं. ३७, सफहा नं. ३४)

ज़रूरी नोट :

इशा की नमाज़ के फर्ज़ से पहले जो चार (४) रकअ़त सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केदा हैं उनको एक (१) सलाम से पढ़ना चाहिये. दो (२) रकअ़त के बाद क़ा'द-ए-उला में 'अत्तहिय्यात' के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिये और तीसरी (३) रकअ़त के लिये जब खड़ा हो तो 'सना' और 'तअव्वुज़' भी पढ़े क्योंकि सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केदा मिस्ले-नफ्ल है और नफ्ल नमाज़ का हर क़ा'दा मिस्ले-क़ाद-ए-आख़िरा है, लिहाज़ा हर क़ादा में 'अत्तहिय्यात' और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिये और हर रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के साथ सूरत भी पढ़ना चाहिये.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६९ और बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १५)

प्रकरण (८)

नमाज़े जुम्आ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

قرآن شریف ۔پارہ نمبر۲۸، سورہ الجمعہ، آیت نمبر۹

:: लिपियांतर ::

'या-अय्युहल-लज़ीना-आमनू-इज़ा-नूदिया-लिस्सलाते-मिंययवमिल-जुमुअ़ते-फस्अ़व-इलाज़िकरिल्लाहे-व-ज़रुल-बयआ़.'

:: अनुवाद ::

'ए ईमान वालो ! जब जुम्आ़ की अज़ान हो जुम्आ़ के दिन, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद फरोख्त (व्यापार) छोड़ो.' (कन्जुल ईमान)

<u>नमाज़े जुम्आ़ की रकअ़तों की</u> <u>संख्या</u>

- सुन्नते मोअक्केदा ४
- फर्ज़ २
- सुन्नते-मोअक्केदा ४
- सुन्नते-गैर-मोअक्केदा (अहवत मोअक्केदा) २
- नफ्ल २

- कुल संख्या १४

- 'जुम्आ़ की नमाज़ के लिये वही मुस्तहब वक़्त है, जो ज़ोहर की नमाज़ के लिये है.' (बहरूर राइक)
- 'जुम्आ़ की अज़ान होते ही ख़रीदो-फरोख़्त (Purchase) हराम हो जाती है और दुनिया के तमाम मशाग़िल (प्रवृत्ति) जो ज़िक्रे-इलाही से ग़फ्लत का सबब (कारण) हों, वोह इस में (हराम होने में) दाख़िल हैं. अज़ान होने के बाद सब को तर्क (छोडना) करना लाज़िम है.'

(तफसीर ख़ज़ाइनुल-इरफान, सफहा नं. ९९७)

हदीस

'मुस्लिम, अबू दाउद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा ने हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्म इरशाद फरमाते हैं कि;'जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर जुम्आ़ को आया, और खुत्बा सुना, और चुप रहा, उसके लिये मग़फिरत हो जाएगी उन गुनाहों की जो उस जुम्आ़ और दूसरे जुम्आ़ के दरमियान हैं.'

हदीस

'सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसउद रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'मैंने क़स्द (इरादा) किया कि एक शख़्स को नमाज़ (जुम्आ़) पढ़ाने का हुक्म दूं, और जो लोग जुम्आ़ से पीछे रहे जाअें, उनके घरों को जला दूं.' (या'नी आग लगा दूं.)

हदीस

'अबू दाउद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने-माजा वग़ैरह ने हज़रत अबूल जा'द ज़ुमरी से, और इमाम मालिक ने हज़रत सफ्वान बिन सलीम से, और इमाम

अहमद ने हज़रत अबू क़तादा से, और दीगर (अन्य) मुहद्देसीन ने इस तरह रिवायत की कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

- *'जो तीन (३) जुम्ए सुस्ती की वजह से छोड़े, अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मोहर कर देगा.'*
- *'जो तीन (३) जुम्अ़े बिला उज़्र छोड़े वोह मुनाफिक़ों में लिख दिया गया.'*
- *'जो तीन(३) जुम्अ़े 'पै-दर-पे' (लगातार-सतत-Constant) छोड़े उसने इस्लाम को पीठ पीछे फैंक दिया.'*

जुम्आ़ की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़

ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'जुम्आ फर्ज़े-ऐन है और जुम्आ़ के फर्ज़ की ताकीद (आदेश-Instruction) ज़ोह्र से ज़्यादा है. जुम्आ़ के फर्ज़ होने का इन्कार करनेवाला काफिर है.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'जिस मुल्क (देश) में इस्लामी सल्तनत (हुकूमत-Government) है, या पहले थी, और जब से ग़ैर मुस्लिम का कब्ज़ा हुआ, बा'ज़ (चंद-Some) शआ़इरे-इस्लाम★★ बिला मुज़ाहिमत (अवरोध) अब तक जारी (प्रचलित) हैं, जैसे तमाम बेलादे (शहरे) हिन्दुस्तान और बंगाल ऐसे ही हैं, वोह सब इस्लामी शहर हैं, उन में जुम्आ़ फर्ज़ हैं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७१६)

★★ शआ़इरे-इस्लाम या'नी इस्लाम की स्पष्ट निशानी जैसे मस्जिदें, ज़ाहिर में नमाज़ पढ़ना, इस्लामी वेशभूषा तथा अन्य इस्लामी रीति रिवाज के कार्य.

"जुम्आ़ क़ाइम करने के शराइत"

(शर्तें)

जुम्आ़ क़ाइम करने की कुल सात (७) शर्तें हैं. उन में से अगर ऐक शर्त भी न पाई गई तो जुम्आ़ होगा ही नहीं. जुम्आ़ की जो सात (७) शर्तें हैं, वोह हस्बे-ज़ेल हैं :-

शराइते जुम्आ़

१.	शहर **(City)** होना
२.	बादशाहे इस्लाम
३.	वक़्ते ज़ोह्र
४.	खुत्बा
५.	खुत्बे का नमाज़ से पहले होना
६.	जमाअ़त
७.	इज़्ने-आ़म

हवाला (संदर्भ)

'सेहते जुम्आ़ की सात (७) शर्ते हैं. (१) शहर या फिना-ए-शहर (उप-नगर-Suburbs) (२) सुल्ताने-इस्लाम या उसका नायब (प्रतिनिधि-Deputy) या मा'ज़ून (अधिकृत -Permitted) या ब-ज़रूरत जिसे आ़म मुस्लेमीन ने इमामे जुम्आ़ बनाया हो. (३) वक़्ते ज़ोह्र (४) खुत्बा वक़्ते ज़ोह्र में (५) कब्ले नमाज़ कम अज़ कम तीन मुसलमान मर्दो आ़क़िलों (समजदार-Sensible) के सामने खुत्बा होना. ६. जमाअ़त से होना, जिसमें कम अज़

कम तीन मर्द आ़क़िल हों. (७) इज़्ने-आ़म (आ़म इजाज़त-Common Permission) होना. बिला वजहे-शरई किसी की रोक न होना.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४६)

जुम्आ क़ाइम करने की पहली शर्त

शहर होना :

मस्अला

'जुम्आ़ क़ाइम करने के लिये शहर (City) का होना ज़रूरी है. इमामे-आ़ज़म अबू हनीफा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के नज़्दीक शहर उस इमारतों वाली आबादी (बस्ती) को कहते हैं जिसमें मुतअ़द्दिद (अनेक) कूचे (मुहल्ले-Streets) हों. दवामी (स्थायी-Perpetual) बाज़ार हों. वोह ज़िला (District) या परगना (Taluka) हो कि उसके मुतअ़ल्लिक (सम्बन्धित) देहात (Villages) हों. उसमें कोई हाकिम (शासनकर्ता-Ruler) मुकद्देमाते-रिआया (पब्लिक के विवाद) फैसला करने पर मुकर्रर हो. जिसके यहां मुकद्देमात पैश होते हों और उसकी शौकत व हश्मत (अधिकार/सत्ता) मज़्लूम (Oppressed) का इन्साफ ज़ालिम (Tyrant) से लेने के क़ाबिल हो या'नी इन्साफ पर कुदरत काफी हो, अगरचे ना-इन्साफी करता हो, और बदला न लेता हो.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७०३)

मस्अला

'सहीह ता'रीफ (व्याख्या) शहर की येह है कि वोह आबादी जिसमें मुतअ़द्दिद कूचे हों, दवामी बाज़ार हों, न वोह जिसे 'पीठ' कहते हैं या'नी (हंगामी - Temporarily) बाज़ार न हों और वोह 'परगना' हो कि उसके मुतअल्लिक देहात गिने जाते हों और उसमें कोई हाकिम रिआ़या के मुकद्देमात का फैसला करने पर मुक़र्रर हो, जिस की हश्मत और शौकत इस क़ाबिल हो कि मज़्लूम

का इन्साफ ज़ालिम से ले सके. जहां येह ता'रीफ सादिक़ (लागु-यथार्थ-Applicable) हो वही शहर है और वहीं जुम्आ जाइज़ है.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७२)

मस्अला

'शहर के अतराफ (आसपास) की जगह जो शहर की मस्लेहतों (सुविधा) के लिये हों और शहर के आसपास (समीप) हों, मस्लन क़ब्रस्तान, घुड़दौड़ का मैदान, फौज के रहेने की जगह या'नी केम्प (छावनी-Camp) स्टेशन वग़ैरह, अगरचे शहर से बाहर (Outside) हों, फिर भी उनका शुमार शहर में होगा और वहां जुम्आ जाइज़ है. '

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर शहर से दूर कोई जगह हो कि वोह शहर की मस्लेहत के लिये न हो बल्कि एक अलग मुस्तकिल (स्वतंत्र-Independent) आबादी की तरह आबाद हो और वहां शहर की अज़ान की आवाज़ पहुंचती हो, और वहां रहनेवाला बिला तकल्लुफ (कष्ट) आ सकता हो और जा सकता हो, तो उन लोगों पर जुम्आ़ फर्ज़ है.' (दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जो लोग शहर के करीब गांव में रहते हों, उन्हें चाहिये कि शहर आकर जुम्आ पढ़ जाअें.' (बहारे शरीअ़त हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९४)

मस्अला

'देहात में जुम्आ़ ना-जाइज़ है अगर पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे और ज़ोहर ज़िम्मा से साकित न होगा. देहात (गांव) में न जुम्आ फर्ज़, न वहां उसकी अदा जाइज़.' (फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७१/७१०)

मस्अला

'जिन देहातों में जुम्आ नहीं होता, वहां जुम्आ काइम (शुरू) न करना चाहिये और जहां पहले से जुम्आ होता हो उन देहातों में जुम्आ बंध (stop) भी न करना चाहिये. देहात में अ़वाम (जनता) जुम्आ पढ़ते हों, तो उनको मना करने की ज़रूरत नहीं कि अ़वाम जिस तरह भी अल्लाह-रसूल का नाम ले लें, ग़नीमत है. क्योंकि अगर उनको मना किया जाएगा, तो वोह वक़्ती नमाज़ भी छोड़ बैठते हैं.

अमीरूल मो'मिनीन मौला अ़ली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो ने एक शख़्स को ईद की नमाज़ के बाद नफ्ल पढ़ते देखा, हालांकि ईद की नमाज़ के बाद नफ्ल पढ़ना मकरूह है. किसीने अर्ज़ किया, या अमीरूल मो'मिनीन ! आप मना नहीं करते ? हज़रत मौला अ़ली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो ने फरमाया कि मैं उस वईद में दाख़िल होने से डरता हूं कि अल्लाह तआ़ला फरमाता है;

'अ-रअयतल-लज़ी-यन्हा-अ़ब्दन-इज़ा-सल्ला.'

(क़ुरआ़न शरीफ, पारा-३०, सूर-ए-अ़लक़, आयत नं. ९ और १०)

अनुवाद : 'भला देखो तो, जो मना करता है बन्दे को जब नमाज़ पढ़े.' (कन्ज़ुल ईमान)

येह इरशादे-मुरतज़वी दुर्रे मुख़्तार में मज़कुर (वर्णन) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७१० से ७१४ और ७१९)

मस्अला

'जिस मक़ाम (स्थान-Place) के शहर या देहात होने में इख़्तिलाफ (विवाद, असंगति-Discord) या शक (अनिश्चितता-Doubt) हो, ऐसी जगह ओ़लोमा-ए-किराम ने हुक्म दिया है कि चार (४) रकअ़त ज़ोहर की एहतियाती (सावचेतीरूप, अगमचेती-Circumspection) भी पढ़ें. या'नी नमाज़े जुम्आ के बाद चार (४) रकअ़त ज़ोहर की एहतियाती पढ़ें, लैकिन येह हुक्म ख़वास

(ख़ास लोगों) के लिये है. अ़वाम के लिये नहीं, जो तस्हीहे-निय्यत पर क़ादिर न हों. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८८)

मस्अला

'उन शहरों में कि जिन के शहर होने में इख़्तिलाफ हो, वहां जुम्आ ज़रूर लाज़िम है. और उसका (जुम्अ़े का) तर्क करना मआ़ज़ल्लाह ! एक शआ़इरे-इस्लाम से मुंह फेरना है और वहां चार (४) रकअ़त एहतियाती (ज़ोह्र की नमाज़) का ख़वास के लिये हुक्म है और अ़वाम जो ना-फहम हैं, उन के हक़ में एहतियाती ज़ोह्र के लिये दरगुज़र का हुक्म है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७५)

जुम्आ़ काइम करने की दूसरी शर्त

'सुल्ताने इस्लाम'

'सेहते-जुम्आ के शराइत से एक येह भी है कि बादशाहे इस्लाम जिस को हुक्म दे वोह जुम्आ क़ाइम करे या'नी सुल्तान खूद या उसका मा'ज़ून खुत्बा पढ़े और इमामत करे. और जहां येह सूरत महाल (ना मुम्किन) हो, मस्लन इन बिलादे-हिन्दूस्तान में कि हिन्दूस्तान में बादशाहे-इस्लाम नहीं, लैकिन हुनूज़ (अभी तक) हिन्दूस्तान दारूल इस्लाम है. वहां आम मुस्लेमीन जिसे इमाम मुकर्रर करें वोह जुम्आ पढाए.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९०/६९१)

नोट : मस्जिदों में पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ाने के लिये जो इमाम मुकर्रर होते हैं, वोह नमाज़े-जुम्आ पढ़ाने के लिये भी मुकर्रर होते हैं और आ़म्मतुल मुसलेमीन उन्हें मुक़र्रर करते हैं या उनके मुक़र्रर किए जाने पर रज़ामन्द (सहमत-Agree) होते हैं, लिहाज़ा उन इमामों को जुम्आ़ के खुत्बे और इमामत का हक़ हासिल है.'

मस्अला

'अदा-ए-जुम्आ़ के लिये सुल्तान (बादशाह-King) या उसके नाइब या मा'जून की जो शर्ते है, वोह उन शर्तों में से है कि महल्ले-ज़रूरत (आवश्यक परिस्थिति) में उसके 'बदल' (विकल्प-Option) से साक़ित (निर्माल्य-Worthless) हो जाती है. जैसे सेहते नमाज़ के लिये वुज़ू शर्त है, मगर पानी पर कुदरत न हो तो 'तयम्मुम' उसका ख़लीफा और बदल है. इसी तरह सुल्ताने इस्लाम की अ़दम मौजूदगी (अनुपस्थिति) में जुम्आ के लिये मुसलमानें का किसी को ईमाम और ख़तीब मुक़र्र करना, सुलतान के तअ़य्युन करने का क़ाइम मक़ाम है और ऐसे इमाम व ख़तीब का काइम किया हुआ जुम्आ मुत्लक़न जाइज़ है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८२/७१८)

जुम्आ़ क़ाइम करने की तीसरी शर्त

'वक्ते-ज़ोह्र'

मस्अला

'जुम्आ़ के खुत्बा और नमाज़ के लिये वक्ते-ज़ोह्र होना शर्त है. अगर ज़ोह्र का वक़्त शुरू होने से पहले खुत्बा पढ़ लिया, तो खुत्बा न हुआ और जब खुत्बा न हुआ तो जुम्आ़ न हुआ.'

(आम कुतुबे फिकह, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'अगर जुम्आ़ की नमाज़ में इतनी देर की कि वक्ते-ज़ोहर निकल गया. अगरचे 'अत्तहिय्यात' पढ़ लेने के बाद और सलाम फैरन से पहले 'अ़स्र' का वक़्त दाखिल हो गया, तो जुम्आ़ बातिल हो गया और ज़ोह्र की नमाज़ कज़ा पढ़नी होगी.

(बहारे शरीअ़त)

जुम्आ़ काइम करने की चौथी शर्त

खुत्बा

मस्अला

'खुत्बा ज़िक्रे-इलाही का नाम है, अगरचे एक मरतबा खुत्बे की निय्यत से 'अल-हम्दो-लिल्लाहे' या 'सुब्हानल्लाहे' या 'ला-इलाहा-इल्लल्लाहो' कहा तो इसी क़दर (मात्रा) कहने से खुत्बे का फर्ज़ अदा हो जाएगा मगर इतने ही पर इक्तिफा (बस) करना मकरूह है.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सेहते खुत्बा के लिये निय्यते खुत्बा शर्त है. यहां तक कि ख़तीब को मिम्बर पर जा कर छींक आई और उसने छींक आने पर 'अल-हम्दो-लिल्लाह' कहा तो इस तरह सिर्फ 'अल-हम्दो-लिलह' कहने पर खुत्बे का फर्ज़ अदा न होगा, और खुत्बा अदा न हुआ.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७६)

मस्अला

'ख़तीब को मिम्बर पर छींक आई, और उसने 'अल-हम्दो-लिल्लाह' कहा, या तअज्जुब (आश्चर्य) के तौर पर 'सुब्हानल्लाह' या 'ला-इलाहा-

इल्लल्लाह' कहा, तो इस तरह सिर्फ इतना कहने से खुत्बा का फर्ज़ अदा न होगा.' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'नमाज़े-जुम्आ़ के लिये खुत्बा शर्त है. खुत्बा के बग़ैर नमाज़े-जुम्आ़ बातिल है. जो शख़्स खुत्बा न पढ़ सके, वोह जुम्आ की नमाज़ का इमाम नहीं हो सकता.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४७)

मस्अला

'ख़तीब या'नी खुत्बा पढ़नेवाले पर लाज़िम है कि वोह इतना जानता हो कि खुत्बा एक ज़िक्रे-इलाही का नाम है, ताकि उसकी निय्यत कर सके, वर्ना अगर सिर्फ नामे-खुत्बा जाना और खुत्बा किसे कहते हैं, येह न जाना, बल्कि लोगों की देखा-देखी बे-समजे़ एक फैल (काम) कर दिया, तो बेशक नमाज़े जुम्आ अदा न होगी. क्योंकि सेहते-खुत्बा के लिये निय्यते-खुत्बा शर्त है. और जब निय्यते-खुत्बा न हुई तो खुत्बा न हुआ, और जब खुत्बा न हुआ तो जुम्आ न हुआ, क्योंकि सेहते-नमाज़े-जुम्आ़ के लिये खुत्बा शर्त है.'

(रद्दुल मोहतार, फत्हुल क़दीर, फतावा रज़्वीया,जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७७)

मस्अला

'मस्जिद में जो ख़तीबो-इमाम मुतअ़य्यन (नियुक्त-Appoint) है उसकी इजाज़त के बग़ैर दूसरा शख़्स खुत्बा नहीं पढ़ सकता. अगर पढ़ेगा खुत्बा जाइज़ न होगा. और खुत्बा शर्ते-नमाज़े-जुम्आ़ है. जब खुत्बा न हुआ, तो नमाज़ भी न हुई.'

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२८)

मस्अला

'खुत्बा ऐसी जमाअ़त के सामने हो जो नमाज़े जुम्आ़ के लिये शर्त है, या'नी ख़तीब के सिवा कम अज़् कम तीन (३) मर्द सुनने वाले हों. अगर ख़तीब ने तन्हा (अकेले-Alone) खुत्बा पढ़ा, तो इन तमाम सूरतों में खुत्बा अदा न हुआ.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जुम्अे़ का खुत्बा ज़बानी या देखकर जिस तरह चाहे पढ़ सकता है. देखकर और ज़बानी दानों अदा-ए-हुक्म में यकसां (समान) हैं, लैकिन ज़बानी पढ़ना सुन्नत की ज़्यादा मुवाफेक़त (सुमेळ-Reconcilation) है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४१)

मस्अला

'ख़तीब का खुत्बा के वक़्त हाथ में अ़सा (लकड़ी-Stick) लेना बा'ज़् ओ़लोमा ने सुन्नत लिखा है और बा'ज़्ने मकरूह लिखा है. और ज़ाहिर है कि अगर सुन्नत भी हो तो कोई सुन्नते-मोअक्केदा नहीं, लिहाज़ा ब:नज़्रे इख़्तिलाफ (ओ़लोमा के विरोधाभासी अभिप्राय होने के कारण) हाथ में अ़सा लेनेसे बचना बेहतर है, जब कि कोई उज़्र न हो.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८४)

मस्अला

'खुत्बा में दरूद शरीफ पढ़ते वक़्त ख़तीब का दायें-बायें मुंह करना बिदअ़त है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'खुत्बा में अरबी के इलावा दूसरी कोई ज़बान (भाषा-Language) का ख़ल्त करना(मिलाना-To add) मकरूहे-तन्ज़ीही और ख़िलाफे-सुन्नते-मुतवारेसा है और पूरा (समग्र) खुत्बा ग़ैर अ़रबी ज़बान में होना और ज़्यादा (विशेष)मकरूह है.' (फतावा रज़्वीया,जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२०)

मस्अला

'जुम्आ के खुत्बा में उर्दू अश्आर पढ़ना ख़िलाफे-सुन्नते-मुतवारिसे-मुसलेमीन है और सुन्नते-मुतवारेसा के ख़िलाफ करना मकरूह है. बा'ज़ लोग येह उज्र (कारण) बताते हैं कि अ़वाम अ़रबी नहीं समज़ते, लिहाज़ा उनकी तफ्हीम (समज़ देने) के लिये उर्दू में पढ़ते हैं, येह उज्र सहीह नहीं. सहाबा-ए-किराम रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुम के ज़माने में हज़ारो ग़ैर अ़रबी शहर फ़्तह हूए और हज़ारों अ़ज़मी (ग़ैर अरबी लोग) हाज़िर हुए, मगर कभी भी मन्कूल (उल्लेख) नहीं कि उन्होंने उन अ़ज़मी अ़वामुन्नास (लोगों) की ग़रज़ से खुत्बा ग़ैर अ़रबी ज़बान में पढाया.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८४ और दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'सुन्नत येह है कि दो (२) खुत्बे पढ़े जाअें.' (दुर्रे मुख़्तार, गुन्या)

मस्अला

'खतीब का दोनों खुत्बों के दरमियान तीन आयतों के पढ़ने के वक़्त की मिक़्दार बैठना सुन्नत है.'(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७६८)

मस्अला

'खतीब का खुत्बे में कुरआने-मजीद की आयत न पढ़ना या दोनों खुत्बों के दरमियान जलसा न करना या'नी न बैठना मकरूह है.' (आ़लमगीरी)

मस्अला

'दोनों खुत्बों के दरमियान इमाम (ख़तीब) को दुआ़ मांगना बिल-इत्तेफाक़ (निःसंदेह) जाइज़ है. और मुक़्तदी दिल में दुआ़ मांगे कि ज़बान को हरकत न हो तो बिला शुब्ह जाइज़ है. '

(इनाया, शरहे-वकाया, फतावा रज़्वीया,जिल्द नं. ३,सफहा नं. ७२३/

७६४)

मस्अला

'खुत्बा के शुरु में ख़तीब 'तअव्वुज़' (या'नी अउज़ो-बिल्लाहे पूरा) और तस्मीयह (बिस्मिल्लाह) आहिस्ता आवाज़ से पढ़ कर खुत्बा शुरु करे.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४०)

मस्अला

'ख़तीब मिम्बर पर खड़ा होकर खुत्बा पढ़े यही सुन्नत है. मिम्बरे-रसूले-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्ल्म के तीन ज़ीने (Step) थे, इलावा अज़ीं उपर का तख़्ता (Sheet) था, जिस पर आप सल्लल्लाहो तआ़ला अलयहे वसल्लम जुलूस फरमाते थे या'नी बैठते थे. हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम दरज-ए-बाला (उपर-Top) पर खुत्बा फरमाया करते थे. हज़्रत सिद्दीके अकबर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्होने दूसरे ज़ीने पर पढ़ा और हज़्रत फारूके आ़ज़म रदीयल्लाहो तआ़ला अन्होने तीसरे ज़ीने पर पढ़ा.जब उस्मान गनी ज़ून्नूरैन रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो का ज़माना आया, तो उन्होने पहले ज़ीने पर खडे़ होकर खुत्बा पढ़ा. सबब पूछा गया तो फरमाया कि अगर दूसरे ज़ीने पर खड़ा होकर पढ़ता तो लोग गुमान करते कि मैं हज़्रत सिद्दीके़-अकबर रदीयल्लाहो अन्हो का हमसर (समकक्ष) हूं और अगर तीसरे ज़ीने पर पढ़ता, तो लोगों को वह्म होता कि मैं हज़्रत फारूके-आ़ज़म रदीयल्लाहो अन्हो के बराबर हूं, लिहाज़ा वहीं खड़ा होकर पढ़ा जहां येह एहतिमाल मुतसव्विर नहीं या'नी अब किसी को येह गुमान करने का एहतिमाल (संभावना-Probabilty) ही नहीं कि मैं हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का हमसर हूं'

(बुख़ारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७००)

नोट :

ख़तीब का मिम्बर के दरज-ए-बाला (Upper) पर खड़ा होना अस्ल सुन्नत है. फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७०० पर बयान किया गया है कि;

'अस्ल सुन्नत अव्वल दर्जा पर क़याम है.'

मस्अला

'खुत्बा और नमाज़ के दरमियान अगर ज़्यादा दैर का फास्ला (अंतर-Gap) हो जाए तो खुत्बा काफी नहीं, अज़-सरे-नौ (फिर से) खुत्बा पढ़ना होगा.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'खुत्बा के वक्त ख़तीब (इमाम) के सामने जो अज़ान कही जाती है, उस अज़ान का जवाब खतीब ज़बान से दे सकता है, और दुआ भी कर सकता है.'

(तबय्यनुल हक़ाइक, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४०)

'खुत्बा सुनने वालों (सामेईन-श्रोता) के लिये एहकाम

मस्अला

'जो काम नमाज़ की हालत में करना हराम और मना हैं, खुत्बा होने की हालत मे भी हराम और मना हैं.' (या'नी खाना-पीना, बातचीत करना वग़ैरह)

(हुल्या, जामउर-रुमूज़, आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९५)

मस्अला

'खुत्बा सुनना फर्ज़ है और खुत्बा इस तरह सुनना फर्ज़ है कि 'हमा-तन' (समग्र एकाग्रता-Whole Attending) उसी तरफ मुतवज्जेह हो (तवज्जोह दे) और किसी काम में मश्गूल न हो. सरापा तमाम आ'ज़ा-ए-बदन (संपूर्ण शरीर-Whole Body) उसी की तरफ मुतवज्जेह होना वाजिब है. अगर किसी खुत्बा सुनने वाले तक ख़तीब की आवाज़ न पहुंचती हो, जब भी उसे चुप रहेना और खुत्बा की तरफ मुतवज्जेह रहेना वाजिब है. उसे भी किसी काम में मश्गूल (व्यस्त) होना हराम है.'

(फत्हुल क़दीर, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९८)

मस्अला

'खुत्बा के वक्त खुत्बा सुननेवाला 'दो-ज़ानू' बैठे या'नी नमाज़ के क़ा'दा में जिस तरह बैठते हैं, उस तरह बैठे.'

(आ़लमगीरी, रद्दुल मोहतार, गुन्या, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'खुत्बा हो रहा हो तब सुनने वाले को एक घूंट पानी पीना हराम है और किसी की तरफ गर्दन फैर कर देखना भी हराम है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९६)

मस्अला

'खुत्बा के वक्त सलाम का जवाब देना भी हराम है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९७)

मस्अला

'जुम्आ के दिन खुत्बा के वक्त खतीब के सामने जो अज़ान होती है, उस

अज़ान का जवाब या दुआ सिर्फ दिल से करें. ज़बान से अस्लन तलफ़्फ़ुज़ (उच्चार) न हो.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८३ और जिल्द नं. २ सफहा नं. ३८४)

मस्अला

'जुम्आ की अज़ाने-सानी के वक्त अज़ान में हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का नामे पाक सुनकर अंगूठा न चूमें और सिर्फ दिल में दरूद शरीफ पढ़ें और कुछ न करें. ज़बान को जुम्बिश (हरकत-Agitatoin) भी न दें.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७५९)

मस्अला

'खुत्बा में हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का नामे-पाक सुनकर दिल में दरूद पढ़ें, ज़बान से सुकूत या'नी खामोश रहना फर्ज़ है.'

(दुर्रे-मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७०९)

मस्अला

'जब इमाम (ख़तीब) खुत्बा पढ़ रहा हो, उस वक्त वज़ीफा पढ़ना मुत्लकन ना-जाइज़ है और नफल नमाज़ पढ़ना भी गुनाह है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७०४)

मस्अला

'ख़तीब ने खुत्बा के दौरान (दरमियान) मुसलमानें के लिये दुआ की, तो सामेईन (सुनने वालों) को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है. करेंगे तो गुनाहगार होंगे.'

(दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'खुत्बा के वक्त ''अम्र-बिल-मा'रूफ'' या'नी भलाई का हुक्म करना भी हराम है, बल्कि खुत्बा हो रहा हो तब दो (२) हर्फ (अक्षर) बोलना भी मना है. किसी को सिर्फ 'चुप' कहना तक मना और लग़्व (व्यर्थ) है.'

सहाह सित्ता (या'नी हदीस की छे सहीह किताबों) में हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि 'जब रोज़े-जुम्आ खुत्ब-ए-इमाम के वक्त तूं दूसरे से कहे 'चुप' तो तूंने लग़्व किया.' (या'नी व्यर्थ काम किया)

इसी तरह मुस्नदे-अहमद, सुनने-अबू दाउद में अमीरूल मो'मिनीन हज़रत मौला अ़ली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि;' जो जुम्आ के दिन (खुत्बा के वक्त) अपने साथी से 'चूप' कहे उसने लग़्व किया और जिसने लग़्व किया उसके लिये जुम्आ में कुछ 'अज्र' (सवाब) नहीं.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९७)

मस्अला

'खुत्बा सुनने की हालत में हरकत (हिलना-डुलना-Movement) मना है. और बिला ज़रूरत खड़े होकर खुत्बा सुनना खिलाफे सुन्नत है. अ़वाम में येह मा'मूल (प्रथा) है कि जब ख़तीब खुत्बा के आख़िर में इन लफ्ज़ों पर पहुंचता है 'व-ल-ज़िक्रुल्लाहे-तआला-अ़'ला' तो उसको सुनते ही लोग नमाज़ के लिये खड़े हो जाते हैं. येह हराम है, कि हुनूज़ (अभी) खुत्बा ख़त्म नहीं हुआ, चंद अल्फाज़ बाक़ी हैं और खुत्बा की हालत में कोई भी अ़मल (काम) करना हराम है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४३)

खुत्बा की सुन्नते

१. ख़तीब का पाक होना.

२. ख़तीब का खड़ा होकर खुत्बा पढ़ना.

३. खुत्बा शुरू करने से पहले ख़तीब का मिम्बर पर बैठना.

४. ख़तीब का मिम्बर पर खड़ा होना या'नी ख़तीब का मिम्बर पर होना.

५. ख़तीब का मुंह (मुख) सामेईन (मुक़्तदीयों) की तरफ होना.

६. ख़तीब की पीठ क़िब्ला की तरफ होना.

७. हाज़ेरीन का ख़तीब की तरफ मुतवज्जेह होना.

८. खुत्बा से पहले ख़तीब 'अउज़ो-बिल्लाह' आहिस्ता आवाज़ से पढ़े.

९. ख़तीब इतनी बुलन्द आवाज़ से खुत्बा पढ़े कि लोग सुन सकें.

१०. खुत्बा 'अल-हम्दो' लफ़्ज़ (शब्द) से शुरु करना.

११. खुत्बा में अल्लाह तआला की वहदानियत (एक होने) की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की रिसालत की शहादत (गवाही) देना.

१३. हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना.

१४. कम से कम क़ुरआन शरीफ की एक आयत खुत्बे में तिलावत करना.

१५. पहले खुत्बे में वअज़ और नसीहत (उपदेश) होना.

१६. खुत्बे दो (२) होना.

१७. दूसरे खुत्बे में हम्द, सना, शहादत और दरूद शरीफ का एआदा (पुनरावर्तन) करना.

१८. दूसरे खुत्बे में मुसलमानों के लिये दुआ़ करना.

१९. दोनों खुत्बे हलके होना या'नी बहुत तवील (लम्बे) न हों कि सामेईन (सुननेवालों) को तकलीफ हो.

२०. ख़तीब का दोनों खुत्बों के दरमियान तीन (३) आयतें पढ़ने के वक़्त की मिक़्दार बैठना या'नी पहला खुत्बा पूरा कर के इतनी देर मिम्बर पर बैठना.

(आ़लमगीरी, दुर्रे-मुख़्तार, गुन्या बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९७)

खुत्बा के मुस्तहब्बात

१. पहले खुत्बा की निस्बत दूसरे खुत्बे की आवाज़ पस्त (धीमी) हो.

२. दूसरे खुत्बा में खो़लोफा-ए-राशेदीन या'नी हज़रत अबूबकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूके-आ'ज़म, हज़रत उस्मान ग़नी और हज़रत मौला अ़ली मुरतज़ा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुम का ज़िक्र (वर्णन-स्मरण) हो.

३. दूसरे खुत्बे में खो़लोफा-ए-राशेदीन के साथ हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के 'अम्मयने-मुकर्रमैन' (दो (२) आदरणीय चचा-Uncle) या'नी सय्यदुश्शोहदा हज़रत हमज़ा और हज़रत अ़ब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हुमा का ज़िक्र हो.

४. दूसरा खुत्बा इन अल्फाज़ (शब्दों) से शुरू हो कि; 'अल-हम्दो-लिल्लाहे-नह्मदोहू-व-नस्तईनोहू-व-नस्तग़्फेरोहू-व-नो'मेनो बेहि-व - नतवक्कलो-अ़लैहे-व- नउज़ो -बिल्लाहे - मिन-शुरूरे- अन्फोसेना -व -मिन सय्येआते -आ'मालेना-मंय-यहदीयल्लाहो -फला -मुदिल्ला -लहू-व-मंय-युदलिलहु-

फला-हादिया-लहू.'

खुत्बा के मुतअ़ल्लिक दूसरे (अन्य) ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'अगर ख़तीब (इमाम) हनफीयुल मज़हब है और मुक़्तदी शाफीउल-मज़हब है, और हनफी इमामने जुम्आ़ के पहले (प्रथम) खुत्बे में 'उसीकुम-बे-तक़्वल्लाह' और 'दरूद-शरीफ' न पढ़ा, तो शाफई मुक़्तदी की नमाज़ न होगी क्योंकि उनके नज़्दीक वसीय्यत (उसीकुम पूरा पढ़ना) और दरूद अरकाने खुत्बा से है और खुत्बा बिल-इत्तेफाक (एक मत से) शर्ते-सेहते-जुम्आ़ से है. तो जब खुत्बा के रूकन (मुख्य आधार-Pillar) फौत हो गये (छूट गए) तो खुत्बा न हुआ और जब खुत्बा न हुआ, तो नमाज़ न हुई. लिहाज़ा इमाम पर लाज़िम है कि अगर दूसरे मज़हब के अहले सुन्नत भी उसके मुक़्तदी हों तो उन के मज़हब की रिआ़यत (आदर-Respect) करे.

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२२)

मस्अला

'खुत्बा के पहले की चार (४) रकअ़त सुन्नते मुअक्केदा किसीने शुरू कि थीं कि ख़तीब ने खुत्बा शुरू कर दिया तो दो (२) रकअ़त पर सलाम फैर दे और खुत्बा सुने और फर्ज़ पढ़ने के बाद सुन्नते-बादिया (फर्ज़ के बादवाली सुन्नतें) पढ़ने के बाद (४) रकअ़त अज़्-सरे-नौ (फिर से) पढ़े.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

जुम्आ़ काइम करने की पांचवी शर्त

'नमाज़ से पहले खुत्बा होना'

मस्अला

'खुत्बा वक़्त में होना और नमाज़ से पहले होना शर्त है. अगर नमाज़े जुम्आ से पहले खुत्बा ही न हुआ या नमाज़ के बाद खुतबा पढ़ा, तो नमाज़ न हुई.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

जुम्आ़ क़ाइम करने की छट्ठी शर्त

'जमाअ़त'

मस्अला

'जुम्आ़ की नमाज़ की जमाअ़त के लिये कम से कम तीन (३) मुक़्तदी का होना ज़रूरी है. दीगर (अन्य) नमाज़ों की तरह एक (१) या दो (२) मुक़्तदी से जुम्आ़ की नमाज़ की जमाअ़त काइम नहीं हो सकती. जुम्आ़ की जमाअ़त के लिये इमाम के इलावा कम से कम तीन (३) मर्द मुक़्तदी होना ज़रूरी है. अगर तीन (३) मर्द से कम मुक़्तदी होंगे, तो जुम्आ़ की जमाअ़त सहीह नहीं.

(आ़लमगीरी, तन्वीरूल अबसार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८३)

मस्अला

'मस्जिद में नमाज़े-जुम्आ़ ख़त्म होने के बाद पन्दरह (१५) बीस (२०) आदमी आए और वोह जुम्आ या ज़ोहर की नमाज़ जमाअ़ते सानी के तौर पर नहीं पढ़ सकते, बल्कि उस मस्जिद में तो दर-किनार, किसी ऐसी मस्जिद में कि जहां जुम्आ़ न होता हो, या किसी मकान में, या किसी मैदान में, या किसी और (अन्य) जगह भी येह लोग जुम्आ़ नहीं पढ़ सकते, बल्कि ज़ोहर की नमाज़ भी जमाअ़त से नहीं पढ़ सकते, बल्कि सब अपनी ज़ोहर तन्हा-तन्हा पढ़ें.'

(तन्वीरूल अब्सार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९०)

मस्अला

'एक मस्जिद में दो (२) जुम्अे नहीं हो सकते. अगर एक मस्जिद में दो (२) जुम्अे पढ़े गए, तो जो इमाम उस मस्जिद मे नमाज़े-जुम्आ के लिये मुतअय्यन (मुक़र्रर) था, उसकी और उसकी इक़्तेदा करनेवालों की नमाज़े-जुम्आ हो गई और जो इमाम मस्जिद में मुतअय्यन न था, उसकी और उसकी इक़्तेदा करनेवालों की नमाज़ न हुई. और अगर दोनों इमाम मुतअय्यन न थे, तो किसी की भी न हुई.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९१/७०८)

मस्अला

'नमाज़े-जुम्आ और दोनों ईदों की नमाज़ें आम नमाज़ों की तरह नहीं कि जिसको चाहा इमाम बना दिया, या जो चाहे इमाम बन जाए और नमाज़ पढ़ा दी. जुम्आ की नमाज़ के मुतअल्लिक यहां तक हुक्म है, कि वोह मस्जिद जो सरे-राह होती है कि जिस में कोई इमाम मुतअय्यन (Fixed) नहीं होता बल्कि राहगीर (मुसाफीर/वटेमार्गू) आते जाते रहते हैं और जिसने चाहा नमाज़ पढ़ा दी, उस मस्जिद में दस (१०) बारह (१२) राहगीर (प्रवासी) आए और एक शख़्स ने नमाज़े-जुम्आ पढ़ा दी, फिर दूसरा गिरोह (समुदाय-Group) आया, उनको भी किसीने नमाज़े-जुम्आ पढा़ दी, इसी तरह दस (१०) बारह (१२) जमाअ़तें हुईं, जुम्आ किसी एक का भी न हुआ और ज़ोहर की नमाज़ का फर्ज़ सबके ज़िम्मे बाक़ी रहा.' (दुर्रे-मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२३)

मस्अला

'जुम्आ की नमाज़ में अगर सजद-ए-सह्व वाजिब हुआ और अगर इमाम सजद-ए-सह्व करता है, तो मुक़्तदियों की कसरत (ज़यादा संख्या / भीड़-Crowd) की वजह से ख़ब्त (Insanity) और इफ्तेनान का अंदेशा (संदेह)

है, या'नी मुक़्तदीयों में गड़बड़ी फैलने और फित्ना होने का अंदेशा हो, तो ओ़लोमा-ए-किराम ने सजद-ए-सह्व के तर्क करने (छोड़ने) की इजाज़त दी है, बल्कि जुम्आ की नमाज़ में सजद-ए-सह्व तर्क करना अवला या'नी बेहतर (उत्तम) है.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया,जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८९)

मस्अला

'खुत्बा से पहले जो चार (४) रकअ़त सुन्नते-मोअक्केदा पढ़ी जाती हैं वोह सुन्नतें अगर फौत (छूट-Miss) हो जाअें, तो जुम्आ की जमाअ़त के बाद सुन्नत की ही निय्यत से पढ़े. वोह अदा होगी. न कि क़ज़ा. और अगर जुम्आ (यानी ज़ोह्र) का वक़्त निकल गया, तो अब उसकी कज़ा नहीं.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहरूर राइक़, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६१/६१९)

मस्अला

जुम्आ के दिन औरत ज़ोह्र की नमाज़ पढ़े और अगर किसी का मकान मस्जिद से मुत्तसिल (मिला हुआ-Adjoining) है और मकान मशरिक़ (पूर्व-East) दिशा की जानिब है, और वोह अपने घर में रहेकर इमामे-मस्जिद की इक्तेदा करे, तो उसके लिये भी जुम्आ अफज़ल है.'

(दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ९९)

मस्अला

'जिन मस्जिदों में जुम्आ नहीं होता, उन्हें जुम्आ के दिन ज़ोह्र के वक़्त बन्द (Closed)रखें.' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'देहात (गांव/Village) में जुम्आ के दिन मस्जिद में ज़ोह्र की नमाज़

अज़ान और इकामत के साथ बा-जमाअ़त पढ़ सकते हैं.'

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअत जिल्द ४, सफहा १०२)

मस्अला

'देहात (गाँव) में जुम्आ़ मज़हबे हन्फी मे हरगिज़ जाइज़ नहीं, मगर अवाम पढ़ते हैं तो मना करने से बाज़ न आअेंगे और फित्ना बरपा करेंगे, तो उनको इतना ही कहना होगा कि ज़ोह्‌र कि चार (४) रकअ़त भी पढ़ो कि तुम पर ज़ोह्‌र फर्ज़ है. जुम्आ़ पढ़ने से तुम्हारे ज़िम्मे ज़ोह्‌र साकित न हुई. ज़ोहर के वोह चार (४) फर्ज़ भी जमाअ़त ही से पढ़ने को कहा जाए कि बे उज़्र जमाअत तर्क करना (छोडना) गुनाह है.'

(फतावा मुस्तफविया सफहा २१३)

मस्अला

'जुम्आ़ की नमाज़ के दो (२) फर्ज़ के बाद की सुन्नतों की ता'दाद (संख्या/Number) में इख़्तिलाफ है. अस्ल मज़हब में चार (४) रकअ़तें सुन्नते मोअक्केदा हैं, और अहवत छे: रकअ़तें हैं.'

(दुर्रे-मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९३)

नोट :

मज़्कूरा (वर्णनीय) मस्अले का खुलासा येह है कि जुम्ए की सुन्नते मोअक्केदा और ग़ैर मोअक्केदा होने में अइम्म-ए-दीन में इख़्तिलाफ है. बाज़ (कुछ) ने चार (४) रकअ़त को सुन्नते मोअक्केदा कहा और कुछ छे:(६) को सुन्नते मोअक्केदा कहते हैं. हासिल येह कि पहली चार (४) रकअ़त के सुन्नते मोअक्केदा होने में किसी को इख़्तिलाफ नहीं है. रही दो रकअ़त, तो बेहतर यही है कि उसे भी सुन्नते मेअक्केदा ही के तौर पर पढ़ी जाए. ताकि दोनो के क़ौल पर अमल हो जाए. ख्याल रहे ! कि सुन्नते ग़ैर मोअक्केदा के पढ़ने पर सवाब है और न

पढ़ने पर न कोई अज़ाब और न कोई इताब. मगर .... ! सुन्नते मोअक्केदा को बग़ैर उज़्रे शरई के छोड़ने पर सख़्त अज़ाब और मोआख़ेज़ा है.

जुम्आ़ क़ाइम करने की सातवी शर्त

इज़्ने-आम

मस्अला

'इज़्ने-आ़म या'नी आ़म इजाज़त (Common Permission) या'नी जो भी मुसलमान चाहे वोह जुम्आ़ पढ़ने आ सके और किसी की रोक टोक न हो. अगर मस्जिद में जुम्आ़ पढ़ने के लिये लोग जमा (एकत्रित) हो गए और मस्जिद का दरवाज़ा बन्द कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर के नमाज़ पढ़ी, तो जुम्आ़ की नमाज़ न हुई.'

(आ़लमगीरी)

मस्अला

'बादशाह ने अपने मकान में जुम्आ़ क़ाइम किया, और मकान का दरवाज़ा खोल दिया कि लोगों को आने की इजाज़त है, तो जुम्आ़ हो गया, फिर चाहे लोग आअें या न आअें. और अगर दरवाज़ा बन्द कर के जुम्आ़ पढ़ाया या दरवाज़ा तो खुला रखा लैकिन दरवाज़े पर दरबानों (चोकीदारों-Guards) को बिठा दिया कि लोगों को आने न दें, तो जुम्आ़ न हुआ.'

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९९)

मस्अला

'जिस जेल (कारवास/Jail) में मुसलमान क़ैदी और मुलाज़ेमीन (कर्मचारी) हों और उस जेल में मुसलमान क़ैदियों को रोज़ा रखने की और जमाअ़त से

नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त हो, फिर भी वहां जुम्आ की नमाज़ क़ाइम नहीं हो सकती, क्योंकि जुम्आ काइम करने की शर्तों में से एक शर्त (इज़्ने-आ़म) है और जेल में बाहर का आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, लिहाज़ा जेल में जुम्आ क़ाइम नहीं हो सकता. बल्कि जुम्आ के दिन क़ैदियों को जले में ज़ोहर की नमाज़ भी जमाअ़त से पढ़ना जाइज़ नहीं, हर शख़्स तन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और अगर जेल शहर की हद से बाहर है, तो क़ैदी ज़ोहर की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ सकते हैं.'

(तन्वीरूल अब्सार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२४)

मस्अला

'औरतों को मस्जिद में आने से रोकने में इज़्ने-आ़म की शर्त के ख़िलाफ़ (भंग) न होगा, बल्कि औरतों को मस्जिद मे आने से रोका जाए क्योंकि औरतों के मस्जिद में आने से फ़ित्ने का ख़ौफ़ (भय) है.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ९९)

मस्अला

'मुर्तद, मुनाफ़िक़, गुमराह और बद-अक़ीदा फ़िर्क़े (सम्प्रदाय-Sect) के लौग, जो बारगाहे-रिसालत सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम में गुस्ताख़ियां और बे-अदबियां करते हैं और भोले-भाले मुसलामानों को अपने दामे फ़रेब (प्रपंची जाल) में फंसा कर उनका इमान तबाह करते हैं, ऐसे मुनाफ़िकों को भी मस्जिद में आने से रोकने में 'इज़्ने-आम' की शर्त के ख़िलाफ़ (विरूद्ध) न होगा. बल्कि उनको 'दफ़-ए-ज़रर' (To avoide Detriment) के लिये रोकना ज़रूरी है.'

हदीस

'सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से

रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि *'ईय्याकुम-व-ईय्याहुम-ला-युदिल्लूनकुम-वलायुफ़्तेनूनकुम'* अनुवाद : 'तुम उनसे अलग रहो, उन्हें अपने से दूर रखो, कहीं वोह तुम्हें बहेका न दें, कहीं वोह तुम्हें फ़ित्ने में न डाल दें.'

हज़रत इब्ने-हब्बान ने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में इज़ाफ़ा (विशेष-Addition) किया कि *'ला-तुसल्लू-अलैहिम-वला-तूसल्लू-मा'हुम'* या'नी 'उनके जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ो, उनके साथ नमाज़ न पढ़ो.'

(ब: हवाला अन्नहील-अकीद-अनिस्सलाते-वराअ-अदीत-तक़्लीद, अज़, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी)

मस्अला

'दुर्रे मुख़्तार में है कि 'यूमनओ-मिन्हो-कुल्लो-मूज़िन-व-लव-बे-लिसानेहि' अनुवाद : मस्जिद से हर मूज़ी (कष्ट देने वाले, दु:ख पहुंचानेवाले) को रोका जाए, अगरचे वोह अपनी ज़बान (वाणी) से ही ईज़ा (कष्ट) पहुंचाता हों.'

मस्अला

'हर 'मूज़ी' को मस्जिद से निकालना ब:शर्ते इस्तेताअ़त (यथा शक्ति) वाजिब है, अगरचे वोह 'मूज़ी' सिर्फ ज़बान ही से ईज़ा देता हो. खुसूसन (विशेषत) वोह जिस की ईज़ा मुसलमानों में बद मज़हबी फैलाना, गुमराह करना और लोगों को सच्चे दीन से बहेकाना है.'

मस्अला

'मुर्तद का सफ मे खड़ा होना भी जाइज़ नहीं कि उसकी नमाज़ भी नमाज़ नहीं. वोह ब:ज़ाहिर (बाह्य रूप से)नमाज़ की हालत में होने के बावजूद भी

नमाज़ से ख़ारिज (बाहर-Out) है, तो ऐसे शख़्स के सफ में खड़े होने से सफ 'क़त्अ़' (कटेगी, टूटेगी-Cut Off) होगी कि ऐक गै़र नमाज़ी बीच में आ गया. और सफ कतअ़ करना हराम है, लिहाज़ा जो मुसलमानों मे सर-बर-आवरदा (आगेवान) हों, जो इन मुनाफिक़ों को मना करने पर बिला फित्ना और फसाद कुदरत (वर्चस्व-Dominate) रख़ते हों, उन पर फर्ज़ है कि वोह इन मुनाफिक़ों और मुर्तदों को मस्जिद में आने से रोकें और मुसलामानों की नमाजें ख़राब (Damage) होने से बचाअें.'

मस्अला

'जो शख़्स मस्जिद में आकर अपनी ज़बान से लोगों को 'ईज़ा' (कष्ट) देता हो, उसको मस्जिद से निकालने का हुक्म है, क्योंकि जिस शख़्स की वजह से नाहक फित्ना (ज़गड़ा) उठता हो, उसे मस्जिद में आने से रोकना ज़रूरी है.'

मस्अला

'दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफेकीन और मुर्तद्दीन में वहाबी, देवबन्दी, नजदी और गै़र मुकल्लिद, क़ादयानी वगै़रह बातिल फिर्क़ो (असत्य संप्रदाय) का शुमार होता है. जिस की मुफस्सल तफसील (विस्तृत जानकारी-Detail) ऐतिहासिक किताब 'हुस्सामुल-हरमैन-अला-मन्हरिल-कुफ्रे-वल-मयन'. (सन १३२३ हिजरी, प्रकाशन वर्ष) में मज़्कूर है.'

नोट :

इस बाब (प्रकरण) में हदीस शरीफ के बाद जो पांच (५) मसाइल पैश किए गए हैं, उन पांचों मसाइल का हवाला (संदर्भ) हस्बे-ज़ेल (निम्नलिखित) है :-

'अल-अतायन-नबविय्या-फिल-फतावा-रज़वीया', जिल्द नं. ६, सफहा नं. १०३, १०६, १०९,,४३३,४४७)

"जुम्अ़ा पढ़ना किन पर फर्ज़ है ?"

- 'जुम्अ़ा पढ़ना वाजिब होने की सात (७) शर्ते हैं. (१) हुर्रियत (२) जुकूरत (३) अक़्ल (४) बुलूग (५) शहर में इकामत (६) सेहत इतनी कि हाज़िरे जमाअ़त होकर पढ़ सके (७) अ़दमे-मानेअ़ मिस्ल हबस व ख़ौफे-दुश्मन व बाराने-शदीद वगै़रह न हो. (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४६)
- बयान कर्दा (वर्णनीय) सात (७) शर्तो की तफसीली वज़ाहत (खुलासा) हस्बे-ज़ैल है.

जुम्अ़ा फर्ज़ होने की पहली शर्त :

'हुर्रियत'

या'नी आज़ाद (Freedom-स्वतंत्र) होना, या'नी गुलाम न होना. या'नी किसी का गुलाम (Slave = Person, Who is another property = किसीकी मालिकी का व्यक्ति) न होना.'

मस्अला

'गुलाम पर जुम्अ़ा फर्ज़ नहीं और उसका आक़ा (मालिक-Owner) मना कर सकता है.'

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअ़त हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९९)

ज़रूरी नोट :

'इस ज़माने में येह मस्अला करीब मफ्क़ूद (Expel-अद्रश्य) है क्योंकि अब गुलाम का रिवाज (प्रथा) लगभग बन्द है. पहले के ज़माने (भूतकाल) में दो प्रकार के आदमी होते थे. १. आज़ाद और २. गुलाम. गुलामों (Slave) का बाज़ार लगता था और गुलामों की ख़रीदो फरोख़्त (Sale-Purchase)

होती थी, उन गुलामों के लिये येह हुक्म है कि उन पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. इस ज़माने (युग) में इस प्रकार के गुलाम नहीं पाए जाते. लिहाज़ा गुलाम से गलत मुराद (अर्थ-Interpet) लेकर कोई शख़्स येह गलत मस्अला न घड़ ले कि में फलां का नोकर (Servant) या ख़ादिम (सेवक) हूं, लिहाज़ा मुज़ पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, बल्कि गुलाम से मुराद वोह शख़्स है, जो किसी का ख़रीदा हुआ और मिल्क (सम्पति-Property) हो. इस मस्अले में जो गुलाम का ज़िक्र (वर्णन) है उस से नौकर, मुलाज़िम (कर्मचारी) या ख़ादिम (Retainer) मुराद नहीं.'

जुम्आ फर्ज़ होने की दूसरी शर्त : ज़ुकूरत

- या'नी मर्द (पुरूष-To be male) होना. औरत पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. जुम्आ के दिन औरत ज़ोहर की नमाज़ पढ़े.

जुम्आ फर्ज़ होने की तीसरी शर्त : 'बुलूग'

- या'नी बालिग़ (पुख़्ता उम्र का-Adult) होना. नाबालिग़ पर जुम्आ की नमाज़ फर्ज़ नहीं.

जुम्आ फर्ज़ होने की चौथी शर्त : 'अक़्ल'

- या'नी आ़किल (समज़दार-Sensible) होना. या'नी जिस की अक़्ल सलामत हो या'नी मानसिक समतुला बराबर हो और वोह पागल (दीवाना-Mad) न हो.
- शर्त नं. ३ 'बालिग़ होना' और शर्त नं. ४ 'अक़्ल' होना, येह दोनों शर्तें सिर्फ जुम्आ की नमाज़ के लिये ही ख़ास नहीं बल्कि हर इबादत के वाजिब होने में शर्त हैं.
- ना-बालिग़ (सग़ीर-Tender Age) और पागल पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.
- ना-बालिग़ जुम्आ पढ़ने आ सकता है और जुम्आ की नमाज़ की जमाअ़त में शामिल भी हो सकता है.

मस्अला

'ना-बालिग़ जुम्आ की नमाज़ की इमामत नहीं कर सकता और खुत्बा भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ख़तीब का सालेहे-इमामत (इमामत की लियाक़तवाला) होना शर्त है और ना-बालिग़ सालेहे-इमामत नहीं, तो उसका खुत्बा पढ़ना जाइज़ न होगा और उससे फर्ज़ साकि़त (परिपूर्ण) न होगा.' (आ़लमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८६)

जुम्आ फर्ज़ होने की पांचवी शर्त

'शहर में इक़ामत'

- या'नी शहर में मुकीम (स्थायी-Permanent Dweller) होना या'नी मुसाफिर (प्रवासी) न होना.
- मुसाफिर पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. शरई-इस्तेलाह (शरीअ़त की परिभाषा) में मुसाफिर किसको कहते हैं, इसकी तफसील इस किताब के बाब (प्रकरण) नं. १६, 'मुसाफिर की नमाज़' में मुलाहिज़ा फरमाअें. (देखें)

जुम्आ फर्ज़ होने की छठी शर्त : 'सेहत'

या'नी इतनी सेहत (तन्दुरस्त, निरोगी) हो कि जुमआ की नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद तक आ सके.'

मस्अला

'मरीज़ (बीमार-Sick) पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. मरीज़ से वोह बीमार मुराद है जो जुम्आ के लिये मस्जिद तक न जा सके या अगर मस्जिद गया तो मर्ज़ (बीमारी) बढ़ जाएगा या देर में (विलम्ब से) अच्छा होगा.'

(गुन्या, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'शैखे़-फानी या'नी बहुत बुड्ढा (अति वृद्ध) जो ज़ो'फो अ़लालत (कमज़ोरी

व बीमारी) की वजह से नहीफ व नातवां (निर्बल-अशक्त/Lean & Infirm) हो, वोह मरीज़ के हुक्म में है. उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ६३६)

मस्अला

'जो शख़्स किसी मरीज़ की तीमारदारी (सेवा चाकरी) करनेवाला है और वोह जानता है कि अगर मैं जुम्आ पढ़ने गया तो मरीज़ दिक़्क़तों (मुश्किलों) में पड़ जाएगा और उसका कोई पुरसाने-हाल (हाल पूछनेवाला) न होगा, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

नोट :

अस्पताल (Hospital) में किसी गंभीर (Serious) मरीज़ की तीमारदारी के लिये रहेने वाले पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, अगर मरीज़ को अकैला छोड़ने में मरीज़ का दिक़्क़त में पड़ जाने का अंदशा (संदेह) है.'

मस्अला

'यक चश्म (एक आंख वाला) और जिस की निगाह (दृष्टि) कमज़ोर हो, उस पर जुम्आ फर्ज़ है.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'वोह नाबीना (अंधा-Blind) जो खुद (स्वयं) मस्जिदे-जुम्आ तक बिला तकल्लुफ न जा सके, उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. बा'ज़ (अमुक) नाबीना बिला तकल्लुफ बग़ैर किसी की मदद के बाज़ारों और रास्तों (सड़कों) पर चलते फिरते हैं, और जिस मस्जिद में जाना चाहें, बिला पूछे जा सकते है, उन पर जुम्आ की नमाज़ फर्ज़ है.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'अपाहिज (अपंग) पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, अगरचे कोई ऐसा हो कि उसे उठाकर मस्जिद तक ले जाए, फिर भी उस अपाहिज पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.

(रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफ्हा नं. १०१)

मस्अला

'जिस का एक पांव (पग-Leg) कट गया हो या फालिज (पक्षाघात-Paralysis) से बेकार हो गया हो, अगर वोह मस्जिद तक जा सकता है, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ हैं, वर्ना नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

जुम्आ फर्ज़ होने की सातवी शर्त

अ़दमे-मानेअ़

या'नी कोई एसा अम्र (कारण) मानेअ़ (अवरोधक-Obstruction) न हो, जो जुम्आ की नमाज़ के लिये जाने से रोके. मस्लन किसी ने रोक रखा हो या'नी क़ैद की शक्ल में पकड़ रखा हो, या किसी नेअपनी मरज़ी के ख़िलाफ (इच्छा के विरूद्ध) किसी मकान में बन्द कर दिया हो या जुम्आ के लिये जाने से किसी दुश्मन का ख़ौफ हो कि वोह हमला (प्रहार-Attack) करके तकलीफ पहुंचाएगा या ज़ालिम हाकिम (शासक) बादशा या किसी ज़ालिम शख़्स का ख़ौफ है, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सख़्त और मूसलाधार बारिश (अति वर्षा-Heavy Rain) हो रही है, या

सख़्त आंधी (Storm) चल रही है और मस्जिद तक जाना मुम्किन नहीं तो जुम्आ फर्ज़ नहीं.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १०० और फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ६३४)

मस्अला

'अगर जुम्आ़ के लिये जाता है, तो पीछे से माल-सामान चोरी हो जाने का कामिल अंदेशा (संपूर्ण संदेह) है, और ऐसा कोई शख़्स मौजूद नहीं, जिस को माल-सामान की निगरानी (देखभाल) पर मा'मूर (नियुक्त) कर सके, तो ऐसी सूरत में उस पर जुम्आ़ फर्ज़ नहीं.' (रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त)

जुम्आ़ के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'जिस मरीज़ या मुसाफिर या वोह शख़्स कि जिस पर जुम्आ़ फर्ज़ नहीं, उन लोगों को भी जुम्आ़ के दिन शहर में जमाअ़त के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और नाजाइज़ है. ख़्वाह (चाहे) जुम्आ़ की नमाज़ जिस मस्जिद में होगी, उसमें नमाज़े-जुम्आ़ से पहले पढ़ें. या बाद में पढ़ें, किसी भी सूरत (स्थिति) में ज़ोहर की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ने की इजाज़त (परवानगी) नहीं.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'जिन लोगों को किसी वजह से जुम्आ़ की नमाज़ में शरीक होना मयस्सर (प्राप्य-Attaiable) नहीं हुआ, वोह लोग भी बग़ैर अज़ान और इकामत ज़ोहर की नमाज़ तन्हा-तन्हा (अकेले-Alone) पढ़ें, उन को भी ज़ोहर की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना ममनूअ (मना-Forbidden) है.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १०२)

मस्अला

'वोह मा'ज़ूर (असमर्थ) कि जिस पर जुम्आ़ फर्ज़ नहीं, वोह भी अगर जुम्आ के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, तो मुस्तहब येह है कि जुम्आ़ की नमाज़ हो जाने के बाद पढ़े. नमाज़े-जुम्आ़ से पहले पढ़ना मकरूह है.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'जुम्आ़ की नमाज़ के लिये पहले से (जल्दी से) जाना और मिस्वाक करना, और अच्छे व सफेद (White) कपड़े पहनना, तेल और ख़ुश्बु लगाना मुस्तहब है. जुम्आ़ के दिन गुस्ल (स्नान) करना सुन्नत है.' (आ़लमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या)

मस्अला

'हजामत बनवाना और नाख़ून (नख) काटना जुम्आ़ की नमाज़ के बाद अफज़ल (उत्तम) है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'जुम्आ़ के दिन अगर सफर किया और ज़वाल से पहले शहर की आबादी से बाहर निकल गया, तो हर्ज नहीं और ज़वाल शुरू हो जाने के बाद सफर करना ममनूअ है. अब उस पर लाज़िम है कि जुम्आ़ पढ़ने के बाद ही सफर करे.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

जुम्आ़ की अज़ाने-सानी

(अज़ाने ख़ुत्बा)

- जुम्आ़ की नमाज़ की दो (२) अज़ानें होती हैं. एक अज़ान शुरू वक़्त में होती है और दूसरी अज़ान ऐ'न (ठीक/Exact) ख़ुत्बा के वक़्त होती है, अकसर मस्जिदों में ख़ुत्बा की अज़ान मस्जिद के अंदर के

हिस्से में और मिम्बर के करीब, इमाम के सामने और नज़दीक (समीप) खड़े होकर दी जाती है, लैकिन शरीअ़ते-मुतहहरा के कानून (नियम) के मुताबिक (अनुसार) मस्जिद के अंदर (Inside) अज़ान देना बिदअत है. जुम्आ़ के खुत्बे के वक़्त दी जानेवाली अज़ान भी ख़ारिजे-मस्जिद (Out side) देनी चाहिये. बहुत से ना-वाकिफ (अज्ञानी) लोग खुत्बा के वक़्त दी जानेवाली अज़ाने-सानी (द्वितीय अज़ान) को मस्जिद के अंदर और मिम्बर के क़रीब देने को सुन्नत समज़ते हैं, लैकिन हक़ीक़त बरअक्स (उल्टी-Contrary)है. एक हवाला (संदर्भ) पैशे-खिदमत है.

फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७३० पर है कि....

'इस अज़ान का मस्जिद में ख़तीब के सामने कहना बिदअ़त है, जिसे इब्तिदाअन (शुरू में) बा'ज़ लोगों ने इख़्तियार किया (अपनाया). फिर इसका ऐसा रिवाज पड़ गया कि गोया वोह सुन्नत है. हालांकि शरीअ़ते-मुतह्हरा (पवित्र शरीअ़त) में उसकी कुछ अस्ल नहीं.'

दूसरा हवाला :

'हुज़ूरे-अक़दस सय्येदे-आ़लम, सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के ज़मान-ए-अक़दस में येह अज़ान दरवाजा-ए-मस्जिद पर हुआ करती थी. ख़ोलोफा-ए-राशेदीन रिदवानुल्लाह तआ़ला अलैहिम के ज़माने में भी यही दस्तूर (कानून)था. हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और ख़ोलोफा-ए-राशेदीन रिदवानुल्लाह तआ़ला अलैहिम अजमईन के ज़माने मे कभी भी येह अज़ान मस्जिद के अंदर नहीं दी गई.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२६)

हदीस

'सुनने-अबी दाउद शरीफ जिल्द नं. २, सफहा नं. १५६ बः सनदे हसन मर्वी है कि; 'हददसना-नुफैली-हददसना-मुहम्मदु-बनो-सलमता-अ़न-मुहम्मदिब्ने-ईस्हाक़ा-अ़निज़ुज़्हरी-अ़निस्साईबे-बने-यज़ीद रदीय्यल्लाहो-तआ़ला-अ़न्हो-क़ाला-काना-यू'ज़नो-बयना-यदा-रसूलिल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लमा-इज़ा-जलसा-अ़लल-मिम्बरे-यवमल-जुम्अ़ते-अ़ला-बाबिल-मस्जिदे-व-अबी-बकरिंव-व-उमर.'

तर्जुमा :

'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम रोज़े जुम्आ जब मिम्बर पर तशरीफ फरमा होते तो हुज़ूर के रूबरू अज़ान मस्जिद के दरवाज़े पर दी जाती और यूंही अबूबकर व उमर फारूक रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा के ज़माने में.'

(बःहवाला 'अवाफिल-लुम्आ-फी-अज़ाने-यवमिल-जुम्आ़'

(अज़ : आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी)

इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाजो पर अज़ान होने का मा'मूल (प्रणालिका-Customary) ज़मान-ए-अक़दस सरकारे-दो आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूके आज़म के ज़माने में था.

- 'हुज़ूरे अक़दस सय्येदे-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबूबकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूके-आज़म रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा के ज़माने में जुम्आ़ के दिन, सिर्फ एक ही अज़ान होती थी और वोह अज़ान खुत्बा के वक़्त मसिजद के दरवाजे पर होती थी. जब अमीरूल मो'मेनीन हज़रत उस्मान जुन्नूरैन

रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो 'ख़लीफतुल मुस्लेमीन' हुए, तब उनकी ख़िलाफत के इब्तिदाई (प्रारंभिक) दौर तक वही एक अज़ान थी जो खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर दी जाती थी. फिर आपने अज़ाने अव्वल ज़ाइद (अधिक- Redundant) फरमाई, लैकिन अज़ाने खुत्बा में कोई तबदीली (परिवर्तन-Alteration) न हुई या'नी खुत्बे के वक़्त की अज़ान मस्जिद के दरवाज़े पर ही दी जातीथी.

अल हासिल :

- 'हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक तथा हज़रत उमर फारूके आज़म रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा के ज़माने में जुम्आ़ की सिर्फ एक ही अज़ान होती थी और वोह अज़ान खुत्बे के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर दी जाती थी.
- हज़रत उस्मान ग़नी और हज़रत मौला अ़ली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुमा के ज़माने (युग) में जुम्आ़ की दो (२) अज़ाने होती थीं. पहली अज़ान खुत्बा के कुछ वक़्त पहले होती थी और दूसरी अज़ान ऐ'न खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर होती थी. मस्जिद के अंदर अज़ान नहीं होती थी.

हवाला :

'जुम्आ़ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अंदर देने की बिद्अत अमीरूल मो'मिनीन हज़रत उस्मान ग़नी रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के अस्सी साल (८० वर्ष) के बाद शुरू हुई. इमाम इब्नुलहाज मक्की ने 'मदख़ल' में लिखा है कि हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक नाम के मरवानी बादशाहने इस सुन्नत को बदला और हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक का ज़माना अमीरूल मो'मिनीन हज़रत उस्मान ग़नी रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से अस्सी (८०) बरस बाद हुआ.'

(फतावा रज़्वीया,जिल्द नं. ३,सफहा नं. ७२६)

अन्य हवाले :

'फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७७१ के हवाले से मिल्लते-इस्लामिया के महान इमामों की आधारभूत और विश्वसनीय सर्वमान्य किताबों के कुछ हवाले (संदर्भ) पैशे ख़िदमत हैं. जिसके मुतालेआ़ (वांचन) से येह हक़ीक़त दोपहर के सूरज की तरह रोशन हो जाएगी कि मस्जिद के अंदर अज़ान देना मना है.

१. 'फतहुल क़दीर' मतबूआ़ (मुद्रित) मिस्र, जिल्द नं. १, सफहा नं. १७१ पर है कि ;

'अल-इक़ामतो,-फिल-मस्जिदे-ला-बुददा-व-अम्मल-अज़ानो-फ-अ़लल-मुअज़्ज़ेनते-फ-ईल-लम-यकून-फ-फी-फिनाईल-मस्जिदे-व-कालू-ला-यु'ज़नो-फिल-मस्जिदे.'

तर्जुमा (अनुवाद) :

'इक़ामत तो ज़रूर मस्जिद में होगी. रही अज़ान, वोह मिनारे पर हो. अगर मिनारा न हो तो बैरूने-मस्जिद (मस्जिद के बाहर) ज़मीने-मुतअ़ल्लीके-मस्जिद (मस्जिद से संलग्न-Attached to Mosque) में हो. औलोमा फरमाते हैं कि मस्जिद में अज़ान न हो.'

२. 'मस्जिद में अज़ान देनी मकरूह है. (१) फतावा क़ाज़ीखान (२) फत्हुल क़दीर (३) ख़ज़ाइनुल मुफ्तीन (४) आलमगीरी (५) बहरूर राइक (६) तहतावी अ़लल मुराकी (७) रद्दुल मोहतार या'नी फतावा शामी (८) बरजन्दी (९) फतावा ख़ानिया (१०) सराजुल वहाज (११) शरहे-मुख़्तसरूल वक़ाया वग़ैरह किताबों में साफ हुक्म मन्कूल (वर्णन) है कि 'ला'यु'ज़नो-फिल-मस्जिदे' तर्जुमा (अुनवाद) मस्जिद में अज़ान न दी जाए.'

३. 'हाशिया तहतावी' मतबूआ मिस्र (Egypt) जिल्द नं. १ सफहा नं. १२८ मैं है कि, 'यकरहो-अंय-यू'ज़ना-फील-मस्जिदे-कमा-फील-कहस्तानी-अनिन-नज़्मे. फ-इन-लम-यकून-समहू-मकानुन-मुरतफेउन-लिल-अज़ाने-यु'ज़नो-फील-फिनाइल मस्जिदे-कमा-फील-फत्हे.'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'मस्जिद में अज़ान देनी मकरूह है, जैसा कि किताबे-कहेस्तानी में किताब 'नज़्म' से मन्कूल है. तो अगर वहां अज़ान के लिये बुलन्द मकान न बना हो, तो मस्जिद के आसपास और मस्जिद से मुतअल्लिक ज़मीन में अज़ान दे, जैसा कि किताब 'फत्हुल-क़दीर' में बयान (वर्णन) है.'

४. 'फतावा ख़ानिया' में है कि,'यम्बग़ी-अंय-यु'ज़ना-अलल-मुअज़्ज़िनते-अव-ख़ारिजिल-मस्जिदे-व-ला-यु'ज़नो-फील-मस्जिदे.'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'अज़ान मिनारा (Minaret) पर या मस्जिद के बाहर चाहिये. मस्जिद में अज़ान न कही जाए.'

५. 'फतावा खुलासा' और 'फतावा आलमगीरी' में नं. ४ के हवाला 'फतावा ख़ानिया' की इबारत (Phase) जैसी ही ब:ऐनेही (हू ब हू /शब्दस:) इबारत पाई जाती है.'

मक़सद (लक्ष के पात्र) :

येह बात सर्वमान्य और आम समज़ की है कि अज़ान का मक़सद (आशय-Intent) लोगों को इत्तेलाअ (ख़बर-Informing) देना है या'नी उन लोगों को इत्तेला देना है, जो मस्जिद में नहीं आए, पांचो वक़्त अज़ान कहने का मक़सद यही है कि लोगों को इत्तेला (मा'लूम) हो जाए कि नमाज़ का वक़्त हो गया है, ताकि वोह अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ आऐं और नमाज़ की

जमाअत में शरीक हो जाऐं. जुम्आ के खुत्बे के वक़्त दी जाने वाली अज़ान का भी यही मक़सद है कि जो लोग पहली अज़ान हो जाने के बाद अभी तक मस्जिद में नहीं आए, वोह लोग खुत्बा की अज़ान को आख़िरी इत्तेला (Final Call) समज़कर बिला किसी ताख़ीर (विलम्ब) जल्द से जल्द नमाज़े जुम्आ के लिये हाज़िर हो जाऐं और येह मक़सदे इत्तेला मस्जिद के अंदरूनी (आंतरिक) हिस्से में अज़ान देने से हासिल (प्राप्त) नहीं होगा, बल्कि ख़ारिजे-मस्जिद अज़ान देने से ही हासिल होगा.

इलावा अज़ीं (विशेषत) हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और ख़ोलोफा-ए-राशेदीन के ज़मान-ए-ख़यरूल क़ुरून (सर्वोत्तम काल) में कभी भी जुम्आ की अज़ान मस्जिद के अंदर नहीं दी गई. मज़ीद-बर-आँ (उपरांत) मिल्लते इस्लामिया के महान आलिमों की विश्वसनीय किताबों में स्पष्ट निर्देशन है कि 'मस्जिद के अंदर अज़ान देना मना है' इन तमाम सुबूतों (Evidances) को देखें और हक़ीक़त (वास्तविकता) से असर लेकर अगर आप के शहर की मस्जिद में जुम्आ के खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर मिम्बर के पास दी जाती हो, तो इस बिदअत को ख़त्म करके, सुन्नते-रसूल और सुन्नते सहाबा के मुताबिक़ तरीका अपनाकर जुम्आ के खुत्बे की अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद देने की शुरूआत करें.

◆ आ'ला हज़रत, इमामे-अहले-सुन्नत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत,इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी (कुदेसा सिर्रुहु) जुम्आ के खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर देने की मुमानेअत करते हुए फरमाते हैं कि;

१. 'वजहे-मुफ्सेदत (प्रतिवाद का कारण-Quarrel) ज़ाहिर है कि दरबारे-मलिकुल मुल्क (बादशाहों के बादशाह) जल्ला जलालहु की बे:अदबी है. शाहिद इसका शाहिद (गवाह) है कि दरबारे-शाही में अगर चोबदार (छड़ीदार-Macebearer) आए और मकाने इजलास

में खड़ा होकर चिल्लाए कि दरबारियों चलो, सलाम को हाज़िर हो, तो वोह ज़रूर गुस्ताख़ व बे:अदब ठहेरेगा. जिसने शाही दरबार न देखे हों वोह इन्हीं कचहरियों को देख लें कि मुद्दई (दावा करनेवाला-Plaintiff) मुद्दआ अलैहे (प्रतिवादी-Defendant) और गवाहों की हाज़्री कमरों के बाहर पुकारी जाती हैं. चपरासी खुद कमर-ए-कचहरी (कोर्ट रूम) में खड़ा होकर चिल्लाए और हाज़्रियाँ पुकारे तो ज़रूर मुस्तहिके सज़ा हो और ऐसे उमूरे-अदब (शिष्टता के कार्य-Urbanity) में शरअ़न 'उर्फ-मा'हूद-फिश-शाहिद' का लिहाज़ होता है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२९)

नोट :

'उर्फ-मा'हूद-फिश-शाहिद का लिहाज़ होता है' का मतलब येह है कि रस्म (प्रचलित तरीक़ा) जो देखी भाली हो, उसका ख्याल किया जाता है या'नी अपनाया जाता है.'

२. 'तो वजह वही है कि अज़ान हाज़्री-ए-दरबार पुकारने को है और खूद दरबार हाज़्री पुकारने को नहीं बनता. हमारे भाई अगर अज़्मते-इलाही के हुज़ूर गरदनें झुका कर, आँखें बन्द कर के, बराहे-इन्साफ नज़र फरमाअें, तो जो बात एक मुन्सिफ (न्यायाधीश-Judge) या जेन्ट (सज्जन-Gent) की कचहरी (कार्यालय) में नहीं कर सकते, अहकमुल-हाकिमीन अज्ज़ा-व-जल्ला के दरबार को उससे महेफूज़ (सुरक्षित) रखना लाज़िम जानें.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७३०)

अज़ाने-ख़ुत्बा इमाम के सामने दी जाए.

इस मस्अले का ज़रूरी खुलासा

जुम्आ की अज़ाने-सानी (अज़ाने-खुत्बा) ख़ारिजे-मस्जिद और इमाम के सामने दी जाए. या'नी अज़ान देनेवाला ख़तीब को और ख़तीब अज़ान देने वाले को देख सके. लेकिन अगर किसी मस्जिद की ता'मीर (Construction) इस तरह है कि ख़ारिजे-मस्जिद खड़े हुए मोअज़्ज़िन और मिम्बर पर बैठे हुए ख़तीब के दरमियान सुतून (Pillar) या दीवार हाइल हो, तो भी अज़ान ख़ारिजे मस्जिद ही दी जाए.

बा'ज़ मस्जिद में येह सूरत होने की वजह से अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद नहीं देते बल्कि मस्जिद के अंदर के हिस्से में मिम्बर के क़रीब देते हैं आर येह उज़्र (बहाना) पेश करते हैं कि ख़तीब और मोअज़्ज़िन में महाजात (आमना-सामना)नहीं होती, इस लिये मस्जिद के अन्दर अज़ान देते हैं. येह उज़्र शरअ़तन क़ाबिले-कबूल नहीं क्योंकि अगर ख़तीब और मोअज़्ज़िन में आमना-सामना होने में सुतून या दीवार हाइल (अवरोध) है तब भी अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद ही दी जाए. क्योंकि शरीअ़त में महाज़ात (आमना-सामना) से भी ज़ियादा ता'कीद (सूचना) इस बात पर है कि अज़ान मस्जिद के बाहर दी जाए. ज़ेल में दो (२) हवाले पेशे-ख़िदमत हैं :-

हवाला नं. १ :

'यहाँ दो (२) सुन्नते हैं. एक महाजाते-ख़तीब, दूसरी अज़ान का मस्जिद से बाहर होना. जब इन दोनों में 'तआरूज़' (विरोधाभास-Confronting) हो, और जमा (मिलाना) ना-मुमकिन हो, तो 'अरजह' (ज़ियादा बेहतर) और अक़्वा (ज़्यादा मज़्बूत) सुन्नत मस्जिद में अज़ान देने से मुमानेअ़त (प्रतिबन्ध)

है. फतावा क़ाज़ी ख़ान,खुलासा, ख़ज़ाइनुल मुफ्तीन, फत्हुल क़दीर, बहरूर राइक, बरजन्दी और आलमगीरी में है कि; 'ला-युअ़्ज़नो-फिल-मस्जिदे' (या'नी 'मस्जिद में अज़ान न दी जाए') नीज़ (विशेष में) फत्हुल क़दीर, नज़्म, तहतावी-अलल-मुराक़ी वग़ैरह किताबों में मस्जिद के अन्दर अज़ान मकरूह होने की तस्रीह (वर्णन) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२९)

हवाला नं. २ :

'तो साबित हुआ कि मस्जिद के बाहर अज़ान देना ही महाजाते-ख़तीब से अहम, अक़्द और अलज़म (ज़ियादा महत्वपूर्ण) है. तो जहां दोनों न बन पड़ें, महाजाते-ख़तीब से दरगुज़र (त्याग) करें और मिनारा या फसील वग़ैरह पर येह अज़ान भी मस्जिद से बाहर दें.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७३१)

'खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर देने की बिदअत शुरू करनेवाला ज़ालिम मर्वानी बादशाह था,जिसने हज़रत इमाम हुसैन के पौते(पौत्र) हज़रत ज़ैद को शहीद किया था.'

'जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अन्दरूनी हिस्से (Inside)में देने का इसरार (आग्रह-Perservere) करनेवाले अपने दा'वे में हिशाम इब्ने-अ़ब्दुल मलिक मर्वानी बादशाह की इजाद (शोध-invent) की हुई बिदअ़त का इत्तेबाअ़ (अनुकरण) कर रहे हैं.'

''हिशाम इब्ने-अब्दुल मलिक एक मर्वानी ज़ालिम बादशाह था. जिसने सय्येदुश्शोहदा हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन बिन अ़ली मुर्तज़ा रदीयल्लाहो

तआ़ला अन्हुमा के पोते (पौत्र-**Grandson**) या'नी हज़रत सय्येदुना इमाम ज़ैनुल आबेदीन रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के साहबज़ादे (पुत्र-**Son**) हज़रत ज़ैद बिन अ़ली बिन हुसैन बिन अ़ली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो को शहीद किया था. हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने हज़रत ज़ैद रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो को सूली (फांसी-**Hanging**) दिलवाई थी और उस पर येह शदीद ज़ुल्म कि ना'शे-मुबारक (लाश) को दफ्न न होने दिया और बरसों तक हज़रत ज़ैद इब्ने-इमाम ज़यनुल आबेदीन की ना'शे-मुबारक सूली पर लटकती रही, लैकिन जिस्मे अक़्दस सहीह और सालिम (सलामत) रहा. जिस्म में कोई ख़राबी या तग़य्युर (फेरफार) न हुआ.

अलबत्ता आप के जिस्म पर जो कपड़े थे, वोह गल (सड़) गए और क़रीब था कि आपका 'सतर' खुल जाए, मगर अल्लाह तआ़लाने मकड़ी (करोलिया-**Spider**) को हुक्म दिया तो मकड़ी ने हज़रत ज़ैद के जिस्मे मुबारक पर ऐसा जाला (**Web**) तान दिया कि वोह मिस्ल 'तहेबन्द' (लुंगी) के हो गया. हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक के मरने के बाद हज़रत ज़ैद इब्ने इमाम ज़यनुल आबेदीन रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो के जिस्मे अक़्दस को सूली से नीचे उतार कर दफ्न किया गया.'' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ४१४/४१०)

अलहासिल ! जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा ख़ारिजे मस्जिद देना हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम और हज़राते ख़ोलोफा-ए-राशेदीन की सुन्नत है और जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अंदर देना हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक नाम के ज़ालिम मर्वानी बादशाह की इजाद की हुई बिदअ़त है.

लिहाज़ा, जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा ख़ारिजे-मस्जिद ही देनी चाहिये और मस्जिद के अंदर मिम्बर के क़रीब हरगिज़-हरगिज़ न दी जाए. इस मस्अले की जिन हज़रात को मज़ीद तफसल और वज़ाहत दरकार हो, वोह आ'ला हज़रत, इमामे-अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा

ख़ान मुहद्दिस बरेल्वी अलैहे रहमतुंव व रिदवान के मंदरजा ज़ेल (निम्नलिखित) रसाइल की तरफ रूजूअ् फरमाऐं :

१. 'अवफील-लुम्आ-फी-अज़ाने-यवमिल-जुम्आ'

(स. हि. १३२०)

२. शमाइमुल-अम्बर-फी-अदबिन्निदाए-अमामल-मिम्बर'

(स. हि. १३२१)

३. 'अज़ानुम-मिनल्लाहे-ले-केयामे-सुन्नते-नबीयील्लाहे'

(स. हि. १३२२)

४. 'शमामतुल-अम्बर-फी-महलिन-निदाए-बे-अज़ाईल-मिम्बर'

(स. हि. १३२७)

५. 'सलामतो-ले-अहलिस्सुन्नते-मिन-सयलिल-एनादे-वल-फित्नते' (स. हि. १३३२)

प्रकरण (९)

मुफ़सिदाते नमाज़

- या'नी वोह काम और बातें जिनकी वजह से नमाज़ फासिद हो जाती है या'नी नमाज़ टूट जाती है और अज़्-सरे-नौ या'नी फिर से दोबारा नमाज़ पढ़ना लाज़्मी होता है.
- जिनकी वजह से नमाज़ फासिद हो जाती है और सज्द-ए-सह्व करने से भी नमाज़ दुरूस्त नहीं होती.
- हमारे बहुत से मो'मिन भाई ना-वाक़्फीयत (अनजान होने) की वजह से इन कामों का इरतिकाब (आचरण) कर लेते हैं और उनको इस बात का इल्म तक नहीं होता कि मैंने नमाज़ की हालत में ऐसा काम कर लिया है कि जिस के कारण मेरी नमाज़ फासिद हो गई है.
- ज़ैल में (नीचे) मुफसिदाते-नमाज़ या'नी वोह बातें कि जिनकी वजह से नमाज़ टूट जाती है, वोह लिख दिये हैं, ताकि हमारे मो'मिन भाई इन बातें को अच्छी तरह याद कर लें और नमाज़ में इन बातों से बचें.

मुफसिदाते-नमाज़ के मसाइल

मस्अला

'नमाज़ की हालत में कलाम (बात) करने से नमाज़ फासिद हो जाएगी फिर चाहे वोह कलाम करना अमदन हो, या ख़ताअन हो या सहवन हो.

अमदन (जान बूज़्कर-Purposely) कलाम करने से येह मुराद है कि उसको मालूम था कि नमाज़ में कलाम करने से नमाज़ फासिद हो जाती है, फिर भी उसने जान बूज़्कर कलाम किया.

ख़ताअन (दोष, क्षति-Mistake. Fault) कलाम करने से येह मुराद है कि उसे येह मस्अला मा'लूम ही न था कि नमाज़ में कलाम

करने से नमाज़ फासिद हो जाती है और उसने कलाम कर लिया या किरअत वगैरह अज़कारे-नमाज़ कहना चाहता था और गलती से ज़बान से कोई जुमला (वाक्य) निकल गया.

सहवन (बिना इरादा, भूल से-Erroneously) कलाम करने से येह मुराद है कि उसको अपना नमाज़ में होना याद न रहा हो आर मुंह से कोई बात निकाल दी.

अल-गर्ज़ (तात्पर्य) ! अमदन, ख़ताअन और सहवन किसी तरह भी नमाज़ में कलाम करने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहान ंन. १४८)

मस्अला

'कलाम करने में ज़्यादा या कम बोलने का फर्क़ नहीं और येह भी फर्क़ नहीं कि वोह कलाम नमाज़ के बाहर के काम के मुतअल्लिक (सम्बन्धित) हो, या नमाज़ के मुतअल्लिक या'नी नमाज़ की इस्लाह (सुधार) के लिये हो, मस्लन इमाम का'द-ए-उला में बैठना भूल गया और तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो गया और मुक़्तदी ने इमाम को गलती बताने के लिये 'बैठ जाओ' कहा, या सिर्फ 'हूं' ही कहा, तो मुक़्तदी की नमाज़ फासिद हो गई.'

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मस्अला

'नमाज़ में किसी को सलाम किया या किसी के सलाम का जवाब दिया या'नी 'अस्सलामो-अलैकुम' या 'व-अलैकुमुस-सलाम' कहा, या सिर्फ 'सलाम' ही कहा, या सलाम की निय्यत से मुसाफहा (हस्तधून-Shake hand) किया, तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'चार (४) रकअत वाली नमाज़ पढ़ रहा था और दो (२) रकअत वाली नमाज़ पढ़ रहा हूं, येह समज़कर दो (२) रकअत पर सलाम फैर दिया, तो नमाज़ फासिद हो गई. उस पर 'बिना' भी जाइज़ नहीं. अज़-सरे-नौ (फिरसे) पढ़े.'

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३ सफहा नं. १४९)

मस्अला

'किसी को छींक आई और नमाज़ीने उसको जवाब देते हुए 'यरहमोकल्लाह' कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १४९)

मस्अला

'नमाज़ी को हालते नमाज़ में छींक (Sneeze) आए, तो सुकूत करे, (या'नी कुछ भी न कहे) अगर 'अल-हम्दो लिल्लाह' कहे लिया,तो नमाज़ में हर्ज़ नहीं, लैकिन हालते नमाज़में 'अल-हम्दो-लिल्लाहे' न कहे, बल्कि नमाज़ से फारिग़ होने के बा हम्द करे.' (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

मस्अला

'खुशी की ख़बर सुनकर 'अल-हम्दोलिल्लाहे' कहा, या बुरी ख़बर सुनकर 'इन्ना-लिल्लाहे-व-इन्ना-इलैहे-राजेउन' कहा, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५०, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २३०)

मस्अला

'अल्लाह-तबारक-व-तआला का नामे-ज़ात 'अल्लाह' या दूसरा कोई सिफाती नाम सुनकर 'जल्ला-जलालहू' कहा, या हुज़ूरे-अक़्दस सरकारे-

दोआ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर 'सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम' कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १५०, फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४९)

'नमाज़ की हालत में ज़बान पर 'नअ़म' (Yes), या 'अरे' या 'हाँ' जारी हो गया, तो नमाज़ फ़ासिद हो गई.' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'नमाज़ी ने अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़्मा दिया, तो नमाज़ फ़ासिद हो गई, और जिसको लुक़्मा दिया, वोह नमाज़ में हो या न हो या'नी वोह नमाज़ में कुरआ़न पढ़ता हो, या बैरूने नमाज़ या'नी नमाज़ के बाहर कुरआन पढता हो, मस्लन क़रीब में बैठकर कोई शख़्स कुरआ़ने-मजीद की तिलावत कर रहा था और तिलावत में ग़लती की और उस की ग़लती पर नमाज़ी ने उस को लुक़्मा दिया, तो लुक़्मा देने वाले की नमाज़ फ़ासिद हो गई. इलावा अज़ीं वोह ग़लत पढ़नेवाला नमाज़ में चाहे मुनफ़रिद हो, या मुक़्तदी हो, या किसी दूसरे का इमाम हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. २२६)

मस्अला

'इस तरह मुक़्तदी के सिवा किसी दूसरे का लुक़्मा लेने से भी नमाज़ फासिद हो जाती है. मस्लन इमामने क़िरअत में ग़लती की, या मुनफरिद ने क़िरअत में ग़लती की, या इमाम ने अरकाने-नमाज़ में कोई ग़लती की, मिसाल के तौर पर एक रकअ़त के बाद क़ा'दा कर लिया और इमाम की ग़लती पर ऐसे शख़्स ने लुक़्मा दिया जो जमाअ़त में शरीक (शामिल) नहीं, और इमाम ने उसका लुक़्मा

क़ुबूल कर लिया, तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. २२६)

मस्अला

'नमाज़ की हालत में दर्द, तकलीफ या मुसीबत की वजह से मुंह से 'आह' या 'ओह' या 'उफ' या 'तुफ' या 'हाए' अल्फाज़ (शब्द) निकले, या आवाज़ से रोया (रूदन-Cry) और रोने में किसी तरह के हर्फ पैदा हुए (या'नी मुंह से निकले), तो इन तमाम सूरतों में नमाज़ फासिद हो जाएगी और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले और आवाज़ तथा हर्फ न निकले तो हर्ज़ नहीं और अगर अल्लाह तआ़ला के ख़ौफ (डर) से रोया और आवाज़ निकली, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'छींक, जमाही (बगासु-Yawn), खांसी और डकारने (ओडकार-Bleching) में जितने हुरूफ (अक्षर) निकलते हैं वोह मजबुरन निकलते हैं और मजबूरन निकलने की वजह से मुआ़फ हैं. नमाज़ फासिद नहीं होती.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १५०)

मस्अला

'फूंकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वोह मिस्ल सांस के है और उससे नमाज़ फासिद नहीं होगी, मगर क़स्दन (जान बूझकर) फूंकना मकरूह है. और अगर फूंकने में दो (२) हर्फ पैदा हुए मस्लन 'उफ' या 'हूफ' या 'तुफ' या 'हुश' तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(गुन्या शरहे मुन्या)

मस्अला

'खखारने (खोंखारो-Hem) में अगर दो (२) हर्फ ज़ाहिर हो, जैसे 'आह' या 'अख़' या 'हख़' तो अगर कोई उज्र (कारण) नहीं, तो अ़बस (व्यर्थ, बिला वजह) खंखारने से नमाज़ फासिद हो जाएगी. और अगर सहीह ग़रज़ (योग्य हेतू-Right Intention) और सहीह उज्र की वजह से खंखारा मस्लन गले में कुछ फंस गया है या बलग़म (कफ-Cough) आ गया है, या आवाज़ साफ करने के लिये या इमाम की ग़लती पर उसे मुतनब्बेह (सावधान-Circumspect) करने के लिये खंखारा, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५२, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १०२)

मस्अला

'नमाज़ में देखकर कुरआ़न शरीफ पढ़ने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५३)

मस्अला

'मुक़्तदी इमाम से आगे खड़ा हो गया या मुक़्तदी ने इमाम से पहले नमाज़ का कोई रूकन (सजदा, रूकूअ वग़ैरह) अदा कर लिया और पूरा रूक्न इमाम से पहले अदा कर लिया, तो मुक़्तदी की नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'नमाज़ की हालत में दो (२) सफ जितना चलने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १५४)

मस्अला

'नमाज़ में क़हक़हा (अट्टहास्य-Giggling) लगाना या'नी इतनी आवाज़से हंसना कि क़रीब वाला सुन सके, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी और नमाज़ फासिद होने के साथ वुज़ू भी टूट जाएगा.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़्विया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ९२)

मस्अला

'अगर नमाज़ में इतनी पस्त (धीमी-Slow) आवाज़ से हंसा कि खुद ने सुना और क़रीब वाला नहीं सुन सका, तो भी नमाज़ फासिद हो गई. अलबत्ता इस सूरत में वुज़ु नहीं टूटेगा.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. २, सफहा नं. २५)

मस्अला

'नमाज़ की हालत में खाना-पीना मुत्लकन (साहजिक) नमाज़ फासिद कर देता है. क़स्दन हो या भूल कर हो. थोड़ा हो या ज़्यादा हो. यहां तक कि अगर एक तिल भी बग़ैर चबाए भी निगल गया या कोई क़तरा (बूंद-Drop) चाहे वोह पानी का ही क़तरा हो, उस के हल्क़ (गले-Throat) या मुंह में गया, और उसने निगल लिया (हल्क़ के नीचे उतार लिया) तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'दांतों के अंदर खाने (अन्न) की कोई चीज़ रहे गई थी और हालते-नमाज़ में उसको निगल गया, तो अगर वोह चीज़ चने (चणा)की मिक़्दर (मात्रा) से कम है, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी, अलबत्ता नमाज़ मकरूह होगी. और अगर चने के बराबर या ज़्यादा है, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी)

मस्अला

'दांतों से खून निकला और हालते-नमाज़ में उसे निगल लिया, तो अगर थूक (Spit) ग़ालिब (ज़्यादा, विशेष मात्र में-Exceeding) है, तो निगलने से नमाज़ फासिद नहीं होगी और अगर खून (रक्त-Blood) ग़ालिब है तो निगलने से नमाज़ फासिद हो जाएगी. ग़लबा की अलामत (पहचान) येह है कि खून का मज़ा (स्वाद) महसूस हो. नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मज़ा का ए'तबार (विश्वास-Reliance) है और वुज़ू तोड़ने में रंग (Colour) का ए'तबार है.'

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ३२/ ५२२)

मस्अला

'एक रूक्न अदा करने की मिक्दार तक या तीन तस्बीह (या'नी तीन मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने) के वक्त की मिक्दार तक सतरे-औरत (गुप्त अंग / जिस्म के छुपे हिस्से) खोले हुए या बक्दरे-मानेअ् (इतनी मात्रा के साथ जो मना है) नजासत या'नी नापाक पदार्थ के साथ नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी. येह उस सूरत में है कि बिला क्स्द हो और अगर क्स्दन (अपने इरादे से) सतर खोला तो फौरन नमाज़ फासिद हो जाएगी. अगरचे फौरन ढांक ले. इसमें वक्फा की भी हाजत नहीं, बल्कि सतर खोलते ही फौरन नमाज़ फासिद हो जाएगी.' (रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा ३, सफहा नं. १५३, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १)

मस्अला

'ऐसा बारीक कपड़ा तहेबन्द (लुंगी) बांधकर नमाज़ पढ़ना कि बदन की सुर्ख़ी (त्वचा Skin की रंगत) ज़लके और या उस बारीक कपड़े से सतर का

कोई अज़्व (अंग) उस हैसियत (तरीके़)से नज़र आ जाएगा तो नमाज़ फासिद हो जाएगी. इसी तरह औरतों (स्त्रियों) का वोह दुपट्टा (Scarf) कि जिस से सर के बालों की सियाही चमके, मुफसिदे-नमाज़ है.'

(रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १)

मस्अला

'नमाज़ की हालत में तीन कल्मे (अलफाज़/शब्द-Words) इस तरह लिखे कि हुरूफ (अक्षर) ज़ाहिर हों, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी. मस्लन रैत (बालू-Sand) या मिट्टी पर लिखे. और अगर हुरूफ ज़ाहिर न हों, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी, मस्लन पानी पर या हवा में लिखा, तो अ़बस है और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५५)

मस्अला

'सीना को क़िब्ला से फैरना मुफसिदे-नमाज़ है या'नी सीना क़िब्ला की ख़ास जहत (दिशा) से पैंतालीस (४५) दर्जा (डिग्री) हट जाए.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५४, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १६)

मस्अला

'नापाक जगह पर बग़ैर हाइल (आड-intervene) सजदा किया, तो नमाज़ फासिद हो गई. इसी तरह हाथ या घुटने सजदा में नापाक जगह पर रखे, तो भी नमाज़ फासिद हो गई.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'तकबीराते-इन्तेकाल में 'अल्लाहो-अकबर' के 'अलिफ' को दराज़ किया, या'नी 'आल्लाहो अकबर' या 'अल्लाहो आकबर' कहा या 'बे' के बाद 'अलिफ' बढ़ाया, या'नी 'अल्लाहो अकबार' कहा,

या 'अल्लाहो-अकबर' की 'रे' को 'दाल' पढ़ा, या'नी 'अल्लाहो-अकबद' कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई, और अगर 'तकबीरे तहरीमा' के वक़्त ऐसी ग़लती हूई, तो नमाज़ शुरू ही न हूई.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२१/१३६)

मस्अला

'कुरआने मजीद को नमाज़ में पढ़ने में ऐसी गलती करना कि जिसकी वजह से फसादे-मा'ना (अर्थ का अनर्थ-Depravity of Meaning) हो तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३५)

मस्अला

'नमाज़ में अ़मले-कसीर करना मुफसिदे नमाज़ है. अमले-क़सीर से मुराद येह है कि ऐसा कोई काम करना जो आमाले-नमाज़ (नमाज़ के कामों) से न हो और न ही वोह अमल नमाज़ की इस्लाह के लिये हो. अमले-कसीर की मुख़्तसर और जामेअ़ ता'रीफ (संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट,Comprehensive व्याख्या) येह है कि ऐसा अमल करना कि उस काम को करने वाले नमाज़ी को दूर से देखकर देखने वाले को ग़ालिब गुमान हो कि येह शख़्स नमाज़ में नहीं, तो वोह काम 'अमले कसीर' है.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त हिस्सा नं. ३, सफहा नन. १५३)

मस्अला

'हालते-नमाज़ में कुर्ता या पाजामा पहना या उतारा, या तहेबन्द बांधा, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(गुन्या शरहे मुन्या)

मस्अला

'अ़मले-क़लील करने से नमाज़ फासिद न होगी. अमले-क़लील से मुराद येह है कि ऐसा कोई काम करना जो आ़माले-नमाज़ से या नमाज़ की इस्लाह के लिये न हो और उस काम के करनेवाले नमाज़ी को देखकर देखनेवाले को गुमान ग़ालिब न हो कि येह आदमी नमाज़ में नहीं, बल्कि शक व शुब्ह (आशंका) हो कि नमाज़ में है या नहीं ? तो एसा काम अमले-क़लील है.'

(दुर्रे मुख़्तार)

नोट :

'बा'ज़ लोग हालते-नमाज़ में क़ौमा से सजदा में जाते वक़्त दोनों हाथों से पाजामा उपर की तरफ खींचते हैं या क़ा'दा में बैठते वक़्त कुर्ता या कमीज़ (शर्ट) का दामन सीधा करके गोद में बिछाते हैं. इस हरकत (आचरण) से नमाज़ फासिद हो जाने का अंदेशा है, क्योंकि येह काम दोनों हाथों से किया जाता है और इसका अमले-कसीर में शुमार होने का इम्कान (Possibility) है. लिहाज़ा इस चेष्टा से बचना लाज़मी और ज़रूरी है क्योंकि इससे नमाज़ मकरूहे तहरीमी तो ज़रूर होती है और जो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी हो उस नमाज़ का ए'आ़दा लाज़मी है. (माखूज़-Borrowed) अज़ : फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१६

मस्अला

'एक रूकन में तीन (३) मरतबा खुजाने (खुजलाना-Itching) से नमाज़ फासिद हो जाएगी या'नी इस तरह खुजाया कि एक मरतबा खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर दूसरी मरतबा खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर तीसरी मरतबा खुजाया तो नमाज़ फासिद हो जाएगी और अगर सिर्फ एक बार हाथ रखकर चन्द मरतबा हरकत दी, तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा.'

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५६)

मस्अला

'अगर हालते नमाज़ में बदन के किसी मक़ाम पर खुजली आए, तो बेहतर येह है कि ज़ब्त (संयम-Control) करे और अगर ज़ब्त न हो सके और उसके सबब (कारण) से नमाज़ में दिल परेशान हो, तो खुजा ले मगर एक रूक्न मस्लन क़याम, या कुउद या रूकूअ़ या सुजूद में तीन (३) मरतबा न खुजाए, सिर्फ दो (२) मरतबा तक खुजाने की इजाज़त है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४६)

मस्अला

'हालते-नमाज़ में सांप (सर्प-Snake) या बिच्छू (Scorpion) को मारने से नमाज़ फासिद नहीं होती, जबकि मारने के लिये तीन (३) क़दम (Step) चलना न पड़े या तीन ज़र्ब (प्रहार-Beeting) की हाजत न हो. इस तरह हालते नमाज़ में सांप या बिच्छू मारने की इजाज़त है और नमाज़ भी फासिद न होगी और अगर मारने में तीन (३) क़दम चलना पड़े या तीन (३) ज़र्ब की हाजत हो, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी, मगर मारने की फिर भी इजाज़त है, अगरचे नमाज़ फासिद हो जाए.'

(आ़लमगीरी, गुन्या, बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १५६)

मस्अला

'पै-दर-पै (लगातार-Successively) तीन (३) बाल (Hair) उखे़ड़े या तीन जुअें (जू-Lice) मारी या एक ही 'जू' को तीन मरतबा मारा (प्रहार किया) तो नमाज़ फासिद हो जाएगी. और अगर 'पै-दर-पै' न हों, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी, अलबत्ता मकरूह ज़रूर होगी.'

(आ़लमगीरी, गुन्या, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'अगर सजदा की जगह पांव की जगह से चार गिरह से ज़्यादा उंची हो तो सिरे से (प्रारम्भ-Origin) नमाज़ ही नहीं होगी और अगर चार (४) गिरह या कम (Less) बुलन्दी मुम्ताज़ (विशिष्ट-Eminent) हुई, तो नमाज़ कराहत से ख़ाली नहीं. या'नी पांव रखने की जगह से सजदा करने की जगह एक (१) बालिश्त (बेंत/Span) भर उंची हो, तो नमाज़ ही नहीं होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४२/४३८)

नोट :

- एक गिरह = तीन (३) ऊंगल चौड़ाई (Wide)

(फीरोज़ुललुग़ात, सफहा नं. १०९३)

- तीन ऊंगल चौड़ाई = दो ईंच (Inch)
- चार गिरह = बारह (१२) ऊंगल=आठ (८) ईंच = एक बालिश्त (वेत)

मस्अला

'नमाज़ में ऐसी दुआ़ करना कि जिसका सवाल बंदे से भी किया जा सकता है, मुफसिदे-नमाज़ है. मस्लन येह दुआ़ की कि; 'अल्लाहुम्मा-अत्इमनी' या'नी ए अल्लाह ! मुझे खाना खिला', या 'अल्लाहुम्मा-ज़्व्विजनी' या'नी ए अल्लाह ! मेरा निकाह करा दे.' तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा ३, सफहा नं. १५१)

मस्अला

'बेहोश (बेभान-Unconcious) हो जाने से या वुज़ू या गुस्ल टूट जाने से नमाज़ फासिद हो जाती है.' (बहारे शरीअ़त)

मस्अला

'हालते नमाज़ में आयतों, सूरतों और तस्बीहात को ज़बान से गिनना

(गिनती करना-Countins) मुफ़सिदे नमाज़ है.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १७१)

मस्अला

'मस्बूक़ या'नी वोह मुक़्तदी जो जमाअ़त में शामिल हुआ मगर उस की एक या ज़्यादा रकअ़तें छूट गई हैं. वोह मुक़्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) रकअ़तें पढ़ेगा, उस मस्बूक़ मुक़्तदी ने येह ख़याल कर के कि इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये, और उसने इमाम के साथ सलाम फैर दिया, तो उसकी नमाज़ फासिद हो गई.'

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १४९)

मस्अला

''मुक्तदीने इमाम की क़िरअत सुनकर ''सदकल्लाहो-व-सदका रसूलोहु'' कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'कोई शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था और क़ा'दा की हालत में अत्तहिय्यात पढ़ रहा था. जब 'कल्म-ए-तशह्हुद' के क़रीब पहुंचा, तब मोअज़्ज़िन ने अज़ान में 'शहादतैन' (दो शहादतें) कहीं, उस नमाज़ी ने 'अत्तहिय्यात' की क़िरअत के बजाए (बदले) अज़ान का जवाब देने की निय्यत से 'अश्हदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो-व-अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दोहु-व-रसूलोहु' कहा, तो उसकी नमाज़ फासिद हो गई.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४०६)

मस्अला

'बे सबब (बिना कारण) निय्यत तौड़ देना या'नी नमाज़ शुरू करने के बाद बिला शरई वजह से नमाज़ तोड़ देना हराम है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१४)

तोला-माशा के पुराने वज़न का नयेह तोल माप के वज़न में रूपांतर साढ़े चार माशा का वज़न हस्बे ज़ैल होगा

एक (१) सेर	=	अस्सी (८०) तोला
एक (१) तोला	=	बारह (१२) माशा
एक (१) तोला	=	११६६६ मिलीग्राम
एक (१) माशा	=	आठ (८) रती
= एक (१) तोला	=	छेयान्नवे (९६) रती
एक (१) माशा	=	९७२.१६६६६ मिलीग्राम (Miligram)
एक (१) रती	=	१२१.५२०८३ मिलीग्राम(Miligram)
साढ़े चार (४.५) माशा	=	छत्तीस (३६) रती = ४३७४.७४९९ मिलीग्राम
साढ़े चार (४.५) माशा	=	४.३७५ ग्राम Gram
		Say 4.3 Gram

प्रकरण (१०) नमाज़ के मकरूहाते तहरीमी

- या'नी वोह काम जो हालते-नमाज़ में करना मना हैं और जिनके करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.
- जो नमाज़ मरूकहे-तहरीमी होती है, उसका ए'आदा वाजिब है, या'नी उस नमाज़ को दोबारा (फिर से-Again) पढ़ना वाजिब है.
- जिन कामों के क़स्दन (जान बूझ़कर) करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है, सजद-ए-सह्व करने से भी वोह नमाज़ दुरूस्त नहीं होगी बल्कि नमाज़ का ए'आ़दा वाजिब है.
- किराहते-तहरीमा सजद-ए-सह्व से ज़ाइल (लुप्त-Vanishing) नहीं होगी. हर मकरूहे-तहरीमा गुनाह और मा'सियते-सग़ीरा (लघू पाप-Small Sin) है.
- मकरूहे-तहरीमी मरतब-ए-वाजिब में है. उसको हलका जानना गुमराही और ज़लालत (विचलन-Deviation) है.

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ६ सफहा नं. ११९)

- हमारे बहुत से मो'मिन भाई ना-वाकफीयत (मा'लूम न होने) की वजह से हालते-नमाज़ में ऐसे काम कर लेते हैं, जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है, लैकिन उन भाईयों को गुमान (वह्म-Doubt) तक नहीं होता कि मैंने हालते-नमाज़ में एसा काम कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी नमाज़ एसी मकरूह हुई है कि इस नमाज़ को अज़ सरे नो या'नी दोबारा पढ़ना वाजिब है. लिहाज़ा हर मो'मिन भाई को इन मसाइल की तरफ तवज्जोह देनी चाहिये और अपनी नमाज़ों को ख़राब होने से बचाना चाहिये.

नमाज़ में हस्बे-ज़ेल कामों को करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आ़दा होती है.

मस्अला

'कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना या'नी लग़्व और बे-मा'नी हरकत (व्यर्थ और अर्थहीन चेष्टा) करना.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा - ३, सफहा नं. १६५)

मस्अला

'कपड़ा समेटना, मस्लन सजदा मे जाते वक़्त आगे या पीछे से दामन या दूसरा कोई कपड़ा उठाना या पाजामा (Trouser) को दोनों हाथ से खींचना.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १६५)

मस्अला

'रूमाल, शाल, चादर या रज़ाई वग़ैरह के दोनों किनारे लटके हुए हों, येह ममनूअ़ और मकरूहे-तहरीमी है. और अगर एक किनारा शाने (खंधे) पर डाल दिया और दूसरा किनारा लटक रहा है, तो हर्ज़ नहीं. लैकिन अगर चादर या रूमाल सिर्फ एक ही कंधे (Shoulder) पर इस तरह डाला कि एक किनारा आगे या'नी सीने की तरफ लटक रहा है और दूसरा किनारा पीठ की जानिब लटक रहा है, तो भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४७ और बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६६)

मस्अला

'आधी (१/२) कलाई से ज़ूयादा आस्तीन (बांय-Sleeve) चढ़ाना भी मकरूहे-तहरीमी है. ख़्वाह पहले से चढ़ी हुई हो, या हालते-नमाज़ में चढ़ाई हो.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६६)

मस्अला

'नमाज़ में आस्तीन उपर को इस तरह चढ़ाना कि हाथों की कोहनी (कोणी) खुल जाए, नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा होगी. अगर फिर से दोबारा नहीं पढ़ी, तो गुनाहगार होगा.'

(फत्हुल क़दीर, बहरूर राइक़, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१६/ ४२३)

मस्अला

'शिद्दत (आवेश युक्त-Vehement) का पाख़ाना (मल-Excreta) या पैशाब की हाजत हो तब और रियाह (वायू, पाद) के ग़ल्बे (Force) के वक़्त नमाज़ मकरूहे-तहरीमी है. अगर नमाज़ शुरू करने से पहले इन हाजतोंका ग़ल्बा (अति दबाव) हो, और नमाज़ के वक़्त मे वुस्अ़त (अवकाश-Vacuity) हो कि इन हाजतों को पूरी करने की वजह से नमाज़ का वक़्त ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो पहले इन हाजतों को पूरी करे, अगरचे जमाअ़त छूट जाने का अंदेशा हो. और अगर क़ज़ा-ए-हाजत और वुज़ू करने में नमाज़ का वक़्त निकल जाएगा, तो पहले नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि वक़्त की रिआ़यत (सदभाव-Favour) मुक़द्दम (पहले-Prior) है.

और अगर नमाज़ के दरमियान येह हालत पैदा हो जाए और वक़्त में गुंजाइश (अवकाश) हो तो नमाज़ तोड़ देना वाजिब है, क्योंकि शिद्दते-पाखाना या पेशाब या रियाह के ग़लबे की हालत में नमाज़ पढ़ना मना है. अगर पढ़ ली तो गुनाहगार होगा और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६६)

मस्अला

'मर्द के लिये बालों का जूड़ा (Lock) बांधकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. और अगर नमाज़ की हालत में जूड़ा बांधा, तो नमाज़ फासिद हो

जाएगी. औरत को सर के बालों का जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ने में किसी क़िस्म की कोई मुमानेअ़त और कराहत नहीं. बल्कि बेहतर येह है कि औरत सर के बालों को खुला रखने के बजाए (बदले) जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़े, क्योंकि औरत (स्त्री) के बाल भी औरत (छुपाने की चीज़) हैं. अगर जूड़ा न बांधेगी तो बाल परेशान (बिखरे) होंगे और इन्केशाफ (ज़ाहिर होना-Disclosure) का खौफ (संदेह) है.'

(मिरकात, बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६६, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१७)

मस्अला

'कुर्ता या चादर मौजूद होते हुए सिर्फ पाजामा (इजार-Trouser) पहन कर उपर का बदन नंगा (Naked) रखकर, सिर्फ पाजामा या तहेबन्द (लुंगी) पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है.'

(आ़लमगीरी, गुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १७०)

मस्अला

'सिर्फ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी. ◆ अबू दाउद और हाकिम ने हज़रत अबू बुरीदा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि; 'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने मना फरमाया कि आदमी चादर औढ़े बग़ैर सिर्फ पाजामा में नमाज़ पढ़े.' ◆ मुस्नदे अहमद और सहीहैन (बुख़ारी/मुस्लिम) में हज़रत अबू हुरैरह रदीयल्लल्लाहो तआ़ला अन्हो से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ल अलैहे वसल्लमने फरमाया है कि 'हरगिज़ कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि दोनों शाने (कंधे) खुले हों.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १५८)

मस्अला

'हालते-नमाज़ में सजदा की जगह से कंकरियां हटाना मकरूहे-तहरीमी है, लैकिन अगर कंकरियां नहीं हटाता तो सुन्नत तरीक़े से सजदा नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक (१) मरतबा हटाने की इजाज़त है और 'हत्तुल-इमकान' (कोशिश भर) न हटाना बेहतर है. और अगर कंकरियां (Rock Pieces) हटाए बग़ैर सजदे का वाजिब तरीक़ा अदा न होता हो, तो कंकरियां हटाना वाजिब है, अगरचे एक मरतबा से ज़ूयादा मरतबा हटाना पड़े.'(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा -३, सफहा नं. १६६)

मस्अला

'ऊंगलियां चटकाना या ऊंगलियों की कैची बांधना या'नी एक हाथ की ऊंगलियां दूसरे हाथ की ऊंगलियों में डालना मकरूहे-तहरीमी है.'
(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २०५)

मस्अला

'कमर पर हाथ रखना मकरूहे-तहरीमी है, बल्कि नमाज़ के इलावा भी कमर पर हाथ नहीं रखना चाहिये.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'इधर उधर मुंह फेरकर देखना मकरूहे-तहरीमी है, चाहे कुल (पूरा) चेहरा घुमा कर देखे या थोड़ा चेहरा घुमाए. और अगर चेहरा न फैरे और सिर्फ कनखियों (आंखो के किनारों) से बिला हाजत इधर उधर देखे तो

मकरूहे-तनज़ीही है और असह (ज़ूयादा सहीह) येह है कि ख़िलाफे-अवला है.'
(बहारे शरीअ़त, हिस्सा ३, सफहा नं. १६७, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १७१)

मस्अला

'आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखना भी मकरूहे-तहरीमी है.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं.१६७)

मस्अला

'किसी शख़्स के मुंह (चेहरा-Face) की तरफ नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी, सख़्त नाजाइज़ और गुनाह है. अगर किसी शख़्स के मुंह की तरफ सामना कर के नमाज़ शुरू की तो नमाज़ पढ़नेवाले पर गुनाह है. और अगर नमाज़ी ने किसी के मुंह के सामने नमाज़ शुरू नहीं की थी बल्कि वोह पहले से अपनी नमाज़ पढ़ रहा था और कई शख़्स आकर नमाज़ी के सामने मुंह करके बैठ गया, तो उस बैठने वाले पर गुनाह है.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा नं. ३ सफहा नं. १६७)

मस्अला

'अगर नमाज़ी और नमाज़ी के सामने मुंह करके बैठने वाले शख़्स के दरमियान फासला (अंतर-Distance) हो, जब भी मकरूह होगी, लैकिन अगर इन दोनों के दरमियान (बीच में-In between) कोई चीज़ हाइल (आड़-Intervene) हो जाएगी तो किराहत नहीं रहेगी, मगर उस में भी येह ज़रूरी है कि हालते-क़याम (खड़े होने की हालत) में भी सामना न होना चाहिये. मस्लन दोनों के दरमियान एक शख़्स नमाज़ी की तरफ पीठ करके बैठ गया, तो इस सूरत (परिस्थिति)

में कुउद या'नी बैठने की हालत में तो सामना न होगा, लैकिन क़याम में तो सामना होगा, लिहाज़ा अब भी किराहत है.' (रद्दुल मोहतार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १६७, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६६/७४)

मस्अला

'किसी क़ब्र (मज़ार-Tomb) के सामने मुंह करके नमाज़ पढ़ना, जबकि नमाज़ी और क़ब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल (आड़) न हो, तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी.

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १७० और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७४)

मस्अला

'कुफ़्फ़ार और मुशरिकीन के इबादत ख़ानों और बुतख़ानों (मंदिरो) में नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है कि वोह शैतानों की जगह है, बल्कि उस में जाना भी मना है.'

(बहरूक राइक़, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १७०)

मस्अला

'बदन पर इस तरह कपड़ा लपेट कर नमाज़ पढ़ना कि हाथ भी बाहर न हो, मकरूहे तहरीमी है.' (बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १४०)

मस्अला

'अंगरखा (अंगा) का बन्द न बांधना या अचकन (शेरवानी) या कुर्ता के बूताम (बटन-Button) न लगाना. अगर उस के नीचे कोई दूसरा लिबास नहीं और सीना या शाना (कंधा) खुला रहा, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी अगर

नीचे दूसरा कोई लिबास पहना हुआ है, तो नमाज़ मकरूहे-तन्ज़ीही होगी.'

(बहारे शरीअ़त, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४७)

मस्अला

'उलटा (विपरीत-Reverse) कपड़ा पहन कर या ओढ़कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. उलटा कपड़ा पहनना या ओढ़ना 'खिलाफ़े-मो'ताद' (असभ्यता-Discourteous) में दाख़िल है. 'ख़िलाफ़े-मो'ताद' या'नी इस तरह कपड़ा पहनना या ओढ़ना कि उस तरह कपड़ा पहन कर या ओढ़कर कोई शख़्स बाज़ार मे या अकाबिर (सन्मानीय व्यक्ति) के पास न जा सके. तो अल्लाह तआ़ला के दरबार का अदब और ता'ज़ीम ज़ूयादा लाज़िम और ज़रूरी है. लिहाज़ा उलटा कपड़ा पहन कर या ओढ़कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मरूकहे-तहरीमी होगी.'

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १७०, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४३८)

मस्अला

'चोरी (Thievery) का कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आ़दा (फिर से पढ़ना वाजिब) होगी.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४५१)

नोट :

या'नी वोह चोरी का कपड़ा उतारकर अपनी कमाई का कपड़ा पहन कर फिर से नमाज़ पढ़नी होगी.

मस्अला

'धोबी को कपड़े धोने को दिये और धोबी कपड़े बदल कर लाया या'नी किसी और (अन्य/दूसरे) के कपड़े ले आया, तो उन कपड़ों का पहनना मर्द औरत सब को हराम है. और अगर उन कपडों को पहन कर नमाज़ पढ़ी, तो

नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा होगी.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१७)

मस्अला

'जिस कपड़े पर जानदार (जीवंत) की तस्वीर बनी हो, उसे पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. नमाज़ के इलावा भी ऐसे कपड़े पहनना जाइज़ नहीं. इसी तरह नमाज़ी के सर पर या'नी छत (Roof) में या नमाज़ी के आगे पीछे या दायें बायें किसी जानदार की तस्वीर नस्ब (जड़ी-Fixture) या मुअ़ल्लक (लटकती-Hanging) या मुनक़्कहे (Painted/Embroided) है, तो भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.' (बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १६८, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४८)

मस्अला

'तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उस पर दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप (अद्रश्य-Disappear) गई, तो अब नमाज़ मकरूह न होगी.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १६९)

मस्अला

'जिस जगह सजदा किया जाए, उस जगह फर्श (जमीन-Floor) पर अगर तस्वीर बनी हुई है या मुसल्ला या क़ालीन या कपड़े पर तस्वीर छपी हुई है और तस्वीर की जगह पर सजदा वाक़ेअ़ (होना-Befalling) हो, तो भी नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १६८, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४८)

मस्अला

'अगर जानदार की तस्वीर फर्श पर बनी हुई है और वोह तस्वीर ज़िल्लत (तुच्छ-Adject) की जगह हो मस्लन जूतियां उतारने की जगह फर्श पर बनी हुई है, या क़ालीन वग़ैरह में है, और लोग उस पर चलते हों और पांव से रौंदते हों, तो नमाज़ मकरूह नहीं जब कि उस तस्वीर पर सजदा न किया जाता हो.

(बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'अगर ऐनक (चश्मा-Spectacle) का हल्का (Ring) और कीमें (डंडीया) सोने या चांदी की हैं, तो ऐसी ऐनक ना-जाइज़ है. ऐसी ऐनक को पहनकर नमाज़ पढ़ना सख्त मकरूह है. और अगर ऐनक का हल्क़ा या कीमें तांबे या अन्य धात (Metal) की हों, तो बेहतर येह है कि नमाज़ पढ़ते वक़्त उस ऐनक को उतार दें, वर्ना नमाज़ ख़िलाफे-अवला और किराहत से ख़ाली नहीं.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४२७)

मस्अला

'इमाम का मुक़्तदीयों से तीन (३) गिरह (Appx. Six Inch = ½ फिट) जितना बुलन्द मक़ाम पर तन्हा (अकेला-Alone) खड़ा होने से भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१५)

मस्अला

'मुक़्तदी जमाअ़त में शामिल होने की जल्दी में सफ के पीछे ही 'अल्लाहो अकबर' (तकबीरे-तहरीमा) कहे कर सफ में दाख़िल हुआ, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी हुई.'

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०)

मस्अला

'नमाज़ में बिल क़स्द (जान बूज़कर-Purposely) जमाही (Yawn-

बगासुं) लेना मकरूहे-तहरीमी है. अगर खुद ब खुब जमाही आए तो हर्ज़ नहीं मगर 'हत्तुल इमकान (कोशिश कर के) जमाही रोके. जमाही रोकना मुस्तहब है.'

(मुराक़ीयुल फलाह, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १६७)

नोट :

'नमाज़ में जमाही आए, तो उसको रोकने का तरीका प्रकरण (बाब) नं. ६, 'मुस्तहब्बात' में बयान (वर्णन) कर दिया गया है.'

मस्अला

'नमाज़ की हालत में नाक और मुंह को छुपाना या'नी नाक और चेहरे को किसी कपड़े या चीज़ से छुपाना कि चेहरा और नाक नज़र न आए, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६७)

मस्अला

'किसी वाजिब को तर्क करना (छोड़ना) मस्लन रूकूअ़ व सुजूद में पीठ को सीधी न करना या क़ौमा और जलसा में सीधा होने से पहले सजदे में चले जाना वग़ैरह से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(आ़लमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०)

मस्अला

'क़याम के इलावा और किसी मौक़े (रूकन) पर कुरआन शरीफ पढ़ना या रूकूअ़ में(जाकर) क़िरअत ख़त्म करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(हवाली : सदर Ditto तथा फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३४, तथा अल-मल्फूज़, हिस्सा-३, सफहा-४३)

मस्अला

'मुक़्तदी का इमाम से पहले रूकूअ़ या सजदे में जाना या इमाम से पहले रूकूअ़ या सजदे से सर उठाना मकरूहे-तहरीमी है.'

(हवाली : सदर-Ditto)

मस्अला

'मर्द का सजदे में हाथकी कलाइयां ज़मीन पर बिछाना मकरूहे-तहरीमी है.' (सदर-Ditto)

मस्अला

'जिन चीज़ों को पहनना शरीअ़त में ना-जाइज़ और मना है, उनको पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. मस्लन मर्द को चांदी (Silver) की सिर्फ एक अंगुश्तरी (अंगूठी-Ring) जो साढ़े चार (4½) माशा (4.375 Gram) से कम वज़न और सिर्फ एक नंग (४.३७५ ग्राम) की जाइज़ है. अगर किसी ने एक से ज़ूयादा अंगूठी या एक अंगूठी मगर साढ़े चार माशा से ज़ूयादा वजन की, या एक से ज़ूयादा नंग की पहनकर अथवा सोने (Gold) की अंगूठी या सोने अथवा चांदी की ज़ंजीर (Chain) पहनकर नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

इसी तरह मर्द ने ज़नानी वज़अ़ (स्त्री ढब के-Ladies Style) या औरत ने मर्दाना वज़अ़ (पुरूष ढब-Gents Style) के कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आ़दा होगी. फतावा रज़वीया शरीफ में है कि; 'मज़हबे-सहीह पर ना-जाइज़ कपड़ा पहन कर नमाज़ मकरूहे तहरीमी कि उसे उतार कर फिर एआ़दा की जाए.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ५६)

मस्अला

'सोने चांदी के इलावा लोहे (Iron), पीत्तल, तांबा, रांग (सीसा-Lead) वग़ैरह का ज़ेवर (आभूषण-Ornament) पहनना औरत (स्त्री) को भी मुबाह (इच्छित-Pleasure) नहीं, तो मर्द के लिये उसके जाइज़ होने की कोई सबील (Possibility) ही नहीं. अगर लोहे, पीतल, ताम्बा (Copper) रांग वग़ैरह के ज़ेवर पहनकर मर्द या औरत किसीने भी नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. १४, और जिल्द नं. ३,सफहा नं. ४२२)

मस्अला

'बा'ज़ लोग चैन (जंज़ीर) वाली घड़ी (Wrist Watch) पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके जाइज़ होने की येह दलील पेश करते हैं कि चैन (Metal Belt) घड़ी के ताबेअ़ (आधीन) है, लैकिन हक़ीक़त येह है कि मेटल का पट्टा (चेन) घड़ी का ताबेअ़ नहीं, बल्कि मुस्तक़िल (स्वाधीन-Independant) चीज़ है.

<u>एक हवाला (संदर्भ) सेवा में प्रस्तुत (पेश) है :-</u>

''ओलोमा तस्रीह (स्पष्टीकरण-Explaination) फरमाते हैं कि मज़हबे-सहीह में मर्द को रेशमी कमरबन्द ना-रवा (अयोग्य-Improper) है कि वोह पाजामा का ताबेअ़ नहीं, बल्कि मुस्तक़िल जुदागाना (अलग-Separate) चीज़ है. दुर्रे मुख़्तार में है कि; 'तकरहुत-तकमतो-मिनद-दीबाजे-व-हुवस्सहीहो' हाशिया अ़ल्लामा तहतावी में है कि; 'हुवस्सहीहो-ले-अन्नहा-मुस्तके़लतुन'. जब कमरबन्द (String) बा-आं-कि (जबकि) पाजामा की ग़रज़ उससे मुतअ़ल्लिक है, बल्कि जिस तरह उसका 'लुब्स' (पहनना-Wear) मा'रूफ व माहूद (प्रचलित) है वोह ग़रज़ बे-उसके तमाम (पूर्ण) नहीं होती, मुस्तक़िल

क़रार पाया, तो येह ज़ंजीरें कि जिनसे कपड़े को कुछ इलाक़ा (सम्बन्ध) नहीं, न उस की कोई ग़रज उनसे मुतअ़ल्लिक, क्यों कर ताबेअ़ ठहेर सकती हैं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ३४)

नोट :

'चेन दार पट्टे वाली घड़ी के मस्अले पर विस्तृत चर्चा (तफ्सीली बह्स) न करते हुए सिर्फ इतनी अर्ज़ करना है कि घड़ी में चैनदार पट्टा (Metal Belt) हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिये.

मस्अला

'जमाअ़त से नमाज़ पढ़ते वक़्त इमाम के बराबर (पास में) तीन (३) मुक्तदीयों के खड़े होने से इमाम और मुक़्तदीयों की सब की नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआ़दा होगी.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३२३)

मस्अला

'फुकहा-ए-किराम (इस्लामी क़ानून के विद्वानों) ने काफिर की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से इतना रोका है कि मुसलमान की ज़मीन में उसकी इजाज़त के बग़ैर पढ़ ले, मगर काफिर की ज़मीन से बचे. और अगर मुसलमान की ज़मीन में खेती (फस्ल) है, कि उस में नहीं पढ़ सकता, तो रास्ते (मार्ग) में पढ़ ले और काफिर की ज़मीन में न पढ़े. अगरचे रास्ते में नमाज़ पढ़ना मकरूह है, मगर येह किराहत काफिर की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने की किराहत से हल्की है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ६, सफहा नं. १८)

प्रकरण (११) 'नमाज़ के मकरूहाते तन्ज़ीही'

- या'नी नमाज़ की हालत में वोह काम करना जो शरीअ़त में ना-पसन्दीदा (अप्रिय) हैं, लिहाज़ा उन से बचना चाहिये.
- इन ना-पसन्दीदा कामों के करने के बा-वजूद नमाज़ हो जाएगी और सजद-ए-सह्व या नमाज़ दोहराने (फिर से पढ़ने) की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन कामों के करने की वजह से किसी फर्ज़ या वाजिब का तर्क नहीं होता.
- इन कामें का करना गुनाह भी नहीं, अलबत्ता नमाज़ के सवाब में कमी होती है.
- 'इरतेकाबे-मकरूहे-तन्ज़ीही मा'सियात (गुनाह) नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ५, सफहा नं. १३६)

नमाज़ में हस्बे-ज़ेल काम मकरूहे तन्ज़ीही हैं

मस्अला

'बिला ज़रूरत (बिना कारण) सजदा या रूकूअ़ में तीन (३) मरतबा से कम तस्बीह कहेना. इस तरह जल्दी जल्दी रूकूअ़ और सजदा करने को हदीस में मुर्ग़ (Hen) की ठोंग मारना (चुगना-Peck) फरमाया है. अलबत्ता वक़्त की तंगी या ट्रेन (रेलगाड़ी) के चले जाने के ख़ौफ से अगर तीन (३) मरतबा से कम तस्बीह कही, तो हर्ज नहीं और इसी तरह मुक़्तदी तीन (३) तस्बीहें न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो अब मुक़्तदी इमाम का साथ दे.'

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७१)

मस्अला

'पैशानी (Forehead) से ख़ाक या घास छुड़ाना मकरूह है, जबकि उनकी वजह से नमाज़ में तशवीश (व्यग्रता-बेचैनी-Anxiety) न हो, और अगर तकब्बुर (अभिमान-Arrogant) के इरादे से पेशानी से ख़ाक या घास को हटा कर साफ किया, तो किराहते-तहरीमी है. और अगर पेशानी पर ख़ाक या घास चिपक जाने की वजह से तकलीफ होती हो और नमाज़ में ख़्याल (ध्यान) बटता हो तो छुड़ाने में हर्ज नहीं. और नमाज़ के बाद छुड़ाने में मुतलक़न कोई मुज़ाइक़ा (नुक़सान) नहीं, बल्कि छुड़ा लेना चाहिये, ताकि 'रिया' (दंभ-Hypocrisy) न आए.'

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा -३, सफहा नं. १७१)

मस्अला

'फर्ज़ नमाज़ की एक रकअ़त में किसी आयत को बार बार पढ़ना या किसी सूरत को बार बार पढ़ना मकरूहे-तन्ज़ीही है, जबकि कोई उज्र न हो. मस्लन उसे एक ही सूरत याद हो वग़ैरह.'

(आ़लमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९९)

मस्अला

'सजदे में जाते वक़्त घुटने (Knee) से पहले हाथ ज़मीन पर रखना और सजदे से उठते वक़्त हाथ से पहले घुटनों का ज़मीन से उठाना.'

(मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'सजदा वग़ैरह हालते-नमाज़ में ऊंगलियों को क़िब्ला से फैर देना और ऊंगलियां दायें बायें फैलाना.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मस्अला

'रूकूअ़ में सर को पुश्त (पीठ) से उंचा या नीचा रखना.'

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'बग़ैर किसी उज्रके दीवार या अ़सा (लकड़ी) पर टेक लगाकर क़याम में खड़ा रहेना.'

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१७३)

मस्अला

'हालते-क़याम में दायें बायें जूमना.'

(गुन्या शरहे मुनया, और बहारे शरीअ़त, सदर/Ditto)

मस्अला

'हालते-नमाज़ में ऊंगलियों पर आयतों, सूरतों और तस्बीहात को गिनना (शुमार करना) मकरूह है. चाहे फर्ज़ नमाज़ हो या नफ्ल नमाज़ हो. अगर कोई शख़्स नफ्ल नमाज़ में ज़ियादा ता'दाद (संख्या) में कोई सूरत या आयत पढ़ना चाहता हो या 'सलातुत-तस्बीह' पढ़ता हो और तस्बीहात शुमार करनी हों तो दिल में शुमार (गिनती-Count) करे या ऊंगलियों के पोरों को दबाकर ता'दाद महफूज़ रखे, लैकिन ऊंगलियां अपनी जगह से न हटें. तो इस तरह शुमार करने में कोई हर्ज़ नहीं, फिर भी खिलाफे अवला है कि दिल दूसरी तरफ मुतवज्जेह (केन्द्रित-Concentration) होगा. (बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१७१)

मस्अला

'नमाज़ में आंखें (Eyes) बन्द करना मकरूह है. लैकिन अगर आंखें खुला रखने में खुशूअ़ (एकाग्रता) न होता हो और तवज्जोह (ध्यान) इधर उधर

बटती हो तो आंखे बन्द करने में हर्ज़ नहीं बल्कि बेहतर है.' (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१४५)

एक ज़रूरी मस्अले की वज़ाहत (स्पष्टता)

मर्दो के लिये 'अस्बाल' या'नी अपने लिबास का कपड़ा हद्दे-मोअ्ताद (नियम की हद) से ज़यादा दराज़ (लम्बा-Long) रखना मना है. अस्बाल की आ़म फह्म (सामान्य) ता'रीफ येह है कि;

- पाजामा के पाइचों को टख़्नों (पांव की घूटी-Ankle)के नीचे तक रखना.
- इतना लम्बा जुब्बा (कुर्ता-Gown) पहनना कि जुब्बा पांव के टख़्नों के नीचे तक हो और टख़्ने नज़र न आअें.
- कुर्ता या कमीज़ (Shirt) की आस्तीन (Sleeve) हाथ की ऊंगलियों से भी आगे तक लम्बी हो.
- अस्बाल के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी बह्स हस्बे-ज़ैल है :-

हवाला :

'पाइचों का का'बैन या'नी टख़्नों (Ankle) के नीचे होना जिसे अ़रबी में अस्बाल कहेते हैं, अगर ब: राहे उजब व तकब्बुर (गुरूर और घमंड) है, तो क़त्अ़न (नि:सन्देह/बिला शुब्ह) ममनूअ़ व हराम है और उस पर वईदें शदीद वारिद हैं.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ९९)

हदीस

'बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते है कि 'ला-यन्ज़ोरोल्लाहो-यवमल-क़ियामते-इला-मन- जर्रा-ईज़ारहु-बतरन' (तर्जुमा / अनुवाद) 'जो अपनी ईजार को तकब्बुरन लटकाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ल

उसकी तरफ नजरे-इल्तेफात नहीं फरमाएगा.

हदीस

'अबू दाउद, इब्ने माजा, मुस्लिम शरीफ, नसाई, तिरमिज़ी वगै़रह में हज़रत सईद बिन खूदरी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि; 'मन-जर्रा-सवबहु-मुखीलतुन-लम-यन्ज़ोरोल्लाहो-इलैहे-यवमल-क़ियामते' (तर्जुमा/अनुवाद) 'जो अज़ राहे-तकब्बुर अपना कपड़ा लटकाए, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ नज़रे-इल्तेफात नहीं फरमाएगा.'

ख़ास तौर पर (विशेषत) तिब्रानी ने 'मोअ़ज़मे-कबीर' में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से अस्बाल की वईद में मुस्तफा जाने-रहेमत सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का मुक़द्दस फरमान रिवायत किया है. इन तमाम हदीसों का मा-हसल(निचोड़) येह है कि अगर अहंकार और अभिमान (गुरूर और घमंड) से अस्बाल किया है या'नी कपड़ा टखनों के नीचे तक लटकाया है, तो येह ज़रूर और बिला शक मज़मूम (धिक्कार पात्र-Despised), मना और उस पर अज़ाब की वईद (चेतावनी) है. लैकिन अगर 'अस्बाल' तकब्बुर या उजब की वजह से नहीं है, तो ख़िलाफे-अवला है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि;

हदीस

'सहीह बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 'मन-जर्रा-सवबहु-ख़ीलाअन-लम-यन्ज़ोरो-ल्लाहो-इलैहे-यवमल क़ियामत' (तर्जुमा/अनुवाद) 'जो अपने कपड़े को अज़ राहे तकब्बुर लटकाए, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ तवज्जोह नहीं

फरमाएगा.' इस इरशादे गिरामी पर अमीरूल मो'मेनीन, ख़लीफतुल मुस्लेमीन, अस्द्कुस्सादेक़ीन, इमामुल मुत्तक़ीन, सय्येदुना अबूबक्र सिद्दीक रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्होने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम में अर्ज़ कीया कि;'क़ाला-अबूबक्रो-या-रसूलुल्लाहे ! अहदश्क़ा-इज़ारी-यस्तरख़ी-इल्ला-अन-अतआ़हेदो-ज़ालेका-मिन्हो' या'नी 'हज़रत अबूबक्र ने अर्ज़ कीया कि या रसूलल्लाह ! मेरी इज़ार (तेहबन्द) लटक जाती है, जब तक में उसका ख़ास लिहाज़ (ध्यान) न रखूं.' 'फ-क़ालन-नबीय्यो-सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लम-लस्ता-मिम-मंय-यस्नअहु-ख़यलाअन' (तर्जुमा) हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उन में से नहीं, जो ब:राहे-तकब्बुर ऐसा करता हो.'

(ब:हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४९)

◆ इस हदीस से साबित हुआ कि 'अस्बाल' वही ममनूअ (प्रतिबन्धित) और मज़मूम (धृणास्पद) है,जो अज़-राहे-तकब्बुर है,और अगर अस्बाल तकब्बुर की वजह से नहीं, तो सिर्फ ख़िलाफे-अवला है. हराम या मुस्तहिक्के-अज़ाब (शिक्षा पात्र) या मुस्तहिक्के-वईद नहीं. एक हवाला प्रस्तुत है :-

हवाला :

'फतावा आ़लमगीरी में है कि 'अस्बालुर-रजुले-इजारहु-अस्फला-मिनल-का'बैने-इल-लम-यकुन-लिल-ख़िलाए-फ-फीहे-किराहतुन-तन्ज़ीयतुन' (तर्जुमा/अनुवाद) 'मर्द का टख़नों (Ankle) के नीचे पाजामा लटकाना, अगर अज़ राहे तकब्बुर नहीं, तो उसमें किराहते-तन्ज़ीही है.'

(ब:हवाली फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४८)

इस मस्अले में अ़वाम में बहुत ज़ियादा ग़लतफहमी (नासमज़ी) फैली हुई है. बहुत से लोगों को देखा गया है कि वोह नमाज़ पढ़ते

वक्त पाजामा या पतलून को उपर चढ़ाने के लिये उस के पाइचों को मोड़ते हैं. नमाज़ में इस तरह पाइचों को मोड़कर उपर चढ़ाना 'खि़लाफे-मोअ्ताद' है और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.

अगर पाजामा (ईज़ार) या पतलून इतनी लम्बी है कि पांव के टख़ने ढक जाते हैं, तो टख़नों को खोलने के लिये पाजामा या पतलून के पाइचों को हरगिज़ नहीं मोड़ना चाहिये, बल्कि कमरबन्द के हिस्से से उपर की तरफ खींच लेना चाहिये और इस तरह खींचने के बावजूद भी अगर टख़ने नज़र नहीं आते, तो टख़ने ढकी हूई हालत में नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये. हालांकि इस तरह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूह ज़रूर होगी, मगर मकरूहे-तन्ज़ीही होगी. लैकिन अगर टख़नों को खोलने के लिये पाजामा या पतलून के पाइचों को मोड़ा तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी और जो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है उसका एआ़दा या'नी दोबारा (फिर से) पढ़ना वाजिब है. हैरत और तअ़ज्जुब की बात तो येह है कि मकरूहे-तन्ज़ीही से बचने के लिये लोग मकरूहे-तहरीमी का इरतेकाब (आचरण) करते हैं और अपने गुमान में सुन्नत पर अ़मल करने का इत्मेनान (संतोष) लेते हैं.

अलबत्ता, बिलाशक ! पाजामा टख़नों से उपर हो और टख़ने खुले रहें, येह सुन्नत है. येह मस्अला अच्छी तरह याद रखें कि;

'पाजामा तूल (लम्बाई-Length) में टख़नों से ज़ाइद (ज़ियादा-Excess) न हो कि लटके हुए पांइचे अगर ब:राहे-तकब्बुर हों, तो हराम व गुनाहे-कबीरा है, वरना मर्दों के लिये मकरूह और खि़लाफे-अवला है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ८४)

दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के वहाबी-तबलीग़ी जमाअ़त के मुत्तबेईन (अनुयायी-Follwer) और जाहिल बल्कि 'अजहल' (विशेष अज्ञान) मुबल्लिग़ीन (प्रचारक) इस मस्अले में हद दर्जा ग़ुलू (अतिशयोक्ति-Trans-gression) और तशहुद (सख़्ती-Strictness) करते हैं. और ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनते हैं और सुन्नत पर अमल करने का मुज़ाहिरा (दिखावा) बल्कि रियाकारी (दंभ-Hypocrisy) करते हैं और ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनकर अपने को मुत्तब-ए-सुन्नत (सुन्नत पर अ़मल करनेवाला-imitiate) में शुमार कराने की कोशिश और दिखावा करते हैं.

पाजामा पहनना अम्बिया-ए-किराम की सुन्नत है.

पाजामा पहनना बेशक हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की सुन्नत (तरीक़ा) है. जलीलुलकद्र (महान) अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम और जलीलुश्शान सहाबा-ए-किराम रिदवानुल्लाहे तआ़ला अलैहिम ने पाजामा ज़ेबे-तन (धारण) फरमाया है.

हदीस

'हाकिम और तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि 'हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ' काना-अ़ला-मूसा-यवमा-कल्लमहु-रब्बोहु-सरावीलो-सवफिन' (अनुवाद/तर्जुमा) 'जिस दिन अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से (कोहे-तूर पर) कलाम फरमाया उस दिन हज़रत

मूसा अलैहिस्सलाम ने सौफ (उन-Wool) का पाजामा पहना था.'

हदीस

'अबू नईम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि; 'अव्वलो-मन-लबसस-सरावीला-इब्राहीमुल-ख़लील' (तर्जुमा/अनुवाद) 'सबसे पहले जिसने पाजामा पहना, वोह हज़रत सय्येदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलातो-वस्सलाम हैं.'

'अल-मवाहबुल्लदुन्या' और 'शरहे-सफरूस्सआदत' में है कि अमीरूल मो'मेनीन सय्येदुना उस्मान गनी रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो रोज़े-शहादत पाजामा पहने हुए थे. ज़मान-ए-अक़्दस में हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के इज़्न (सम्मति-Permission) से सहाबा-ए-किराम पाजामा पहना करते थे.'

तहेबन्द (लुंगी) के मुक़ाबले में पाजामा में 'सतर' (जिस्म/शरीर का ढंकना) ज़ियादा है. हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने तहेबन्द के मुक़ाबले में पाजामा को ज़ियादा पसन्द फरमाया है. जैसा कि हदीसों में बयान है कि :-

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी, इमाम अक़ीली, इब्ने-अ़दी और दयलमी ने अमीरूल मो'मेनीन सय्येदुना मौला अ़ली रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि; 'हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने अपनी उम्मत की पाजामा पहनने वाली औरतों के लिये मग़फेरत की दुआ फरमाई और मर्दों को ताकीद (आदेश-**Injuction**) फरमाई कि खुद भी पहनें और अपनी औरतों को पहनाए कि इस में 'सतर' (अंग का ढकना) ज़ियादा है.'

इस हदीस में पाजामा को 'सतर' या'नी बदन को अच्छी तरह छुपाने के फायदे (गुण) की वजह से पसन्द फरमाने का ज़िक्र(बयान/वर्णन) है. मर्द के जिस्म (शरीर) का वोह हिस्सा जो नाफ (Nevel) और घुटनों (Knee) के दरमियान है, उसका छुपाना फर्ज़ है. औरत का पूरा बदन छुपाना फर्ज़ है. लिहाज़ा शरीअ़ते-मुताह्हरा की आदते-करीमा (विशिष्टता) है कि जब एक मिक़दार (माप/मात्रा) को फर्ज़ किया जाता है, तो उस फर्ज़ की कामिल तौर पर अदायगी (सम्पूर्ण पालन) के लिये एक हद्दे-मो'तदिल या'नी मुनासिब हद तक उस मिक़दार पर ज़ूयादती (वृद्धि-Augmention) करना सुन्नत करार दिया जाता है. मस्लन औ़रत (स्त्री) का पूरा बदन औरत या'नी उसको छुपाना फर्ज़ है. औरत के लिये उसका पूरा पांव भी छुपाना फर्ज़ है. लिहाज़ा औ़रत के लिये हुक्म है कि वोह एक बालिश्त (बेंत/वेंत-Span) (लगभग नौ ईंच) तक ईज़ार या पाईंचे लटकाए या'नी पांव की लम्बाई से पाजामा की लम्बाई एक बालिश्त (Approx 9") ज़ियादा रखे बल्कि औ़रतों को दो (२) बालिश्त तक ईज़ार या पाईंचा लटकाने (लम्बा रखने) की इजाज़त है.

क्योंकि अगर औरत (स्त्री) ने 'सतरे-औ़रत' की वोह हद (सीमा) जो फर्ज़ है या'नी क़दमों तक पाजामा पहन रखा है, तो इसमें इन्किशाफे-औ़रत (जो अंग छुपाना फर्ज़ है उसके ज़ाहिर होने) का इम्कान है कि चलने-फिरने या उठने-बैठने में अगर पाजामा थोड़ा भी उंचा हुआ तो उसका टख़ना (घुट्टी-Ankle) या पिन्डली (जंधा-Calf of Leg) नज़र आएगी और औ़रत (स्त्री) का टख़ना या पिन्डली का नज़र आना शरअ़न ना-जाइज़ है. लिहाज़ा औ़रतों के लिये एक (१) या दो (२) बालिश्त इज़ार लटकी हुई हो, इतनी लम्बी पहनने की इजाज़त दी गई है, ताकि 'सतरे-औ़रत' या'नी

जिस अंगे को छुपाना फर्ज़ है, उसे अच्छी तरह ढांक (छुपा) सकने का लिहाज़ (ख़्याल) और इल्तेज़ाम (चीवट-Assiduous) बरक़रार (स्थापित) रहे और 'सतर' के खुलने का मौक़ा न रहे.

हदीस

'नसाई, अबू दाउद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा ने उम्मुल मो'मेनीन हज़रत उम्मे-सल्मा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हा से रिवायत की कि उन्होंने फरमाया कि;'हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैसे वसल्लम से सवाल पूछा गया कि 'कम-तबहरूल-मरअतो-मिन-ज़यलेहा' या'नी औ़रत (स्त्री) अपना कपड़ा (पाजामा) कितना लटकाए ? इरशाद फरमाया, ' एक हाथ तक'.

हदीस की शरह :

'मजकूरा (वर्णनीय) हदीस की तशरीह (विवरण-Exaplaination) करते हुए इमामे-अजल, अ़ल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मिसरी कुस्तलानी अपनी किताब 'मवाहेबुल-लदुन्या-अ़लश-शमाइलिलि-मुहम्मदीया' में फरमाते हैं; 'औरत के लिये मुस्तहब है कि अपनी इज़ार को एक ज़िराअ़ (वार-**Yard**-३ फीट) तक लटकाए या'नी क़दम की हद से लम्बी पहने.'

मा'लूम हुआ कि बदन का जो हिस्सा छुपाना फर्ज़ है, उस फर्ज़ की तकमील (क्षतिहीनता-Perfectoin) के लिये फर्ज़ की हद से कुछ तजावुज़ (आगे बढ़ना-Jumping over) करके ज़ियादा हिस्सा छुपाना मुस्तहब है, ताकि बदन का हिस्स-ए-सतरे-औरत दिखने न पाए. मर्दों के लिये नाफ (डुंटी-Nevel) से लेकर घुटने (Knee) तक का हिस्सा छुपाना फर्ज़ है, तो अगर किसी ने ढीला पाजामा या'नी जिस पाजामा के पाईंचे कुशादा (चौड़े-Wide) हों, उस पाजामा को निस्फ साक़ या'नी आधी पिन्डली (Half Calf) तक ही

पहना है तो बैठने उठने या सोने लेटने में घुटना नज़र आने का इम्कान-Possibility ज़ियादा है.

दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) में तबलीगी जमाअत वाले आधी साक़ (पिन्डली) तक ही पाजामा पहनने का जो इसरार (आग्रह) करते हैं बल्कि उसमें गुलू (अतिशयोक्ति) करते हैं, येह उनकी शरीअ़त पर सरासर ज़ूयादती (खुला अत्याचार) है.

हदीस

'अबू दाउद ने हज़रत अ़करमा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हूमा को देखा कि उनका पाजामा क़दम की पुश्त (पग का उपर का हिस्सा-Upper side of foot) पर लटका हुआ है. लैकिन वोह पाजामा टख़्नों (घुट्टी-Ankle) की जानिब से उंचा है. हज़रत अ़करमा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने कहा, ए इब्ने अब्बास ! आपने इस तरह पाजामा क्यों लटकाया है ? 'क़ाला-रअय्तो-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लमा-यातज़रोहा' (अनुवाद) 'हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने जवाब दिया कि; 'मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम को इसी तरह इज़ार को लटकाए हुए देखा है.'

(हदीस,ब:हवाला,फतावा रज़वीया, जिल्द -९, जुज अव्वल,सफ़हा नं. ९९)

इस हदीस शरीफ का खुलासा येह है कि पाजामा इस तरह का पहनना कि उसके पाईंचे का एक 'सिरा' (छेड़ा-End) क़दम की पुश्त पर लटका हुआ हो, लैकिन दूसरा 'सिरा' टख़्ने से बुलन्द हो कि टख़्ना छुपता नहीं, तो एसा पाजामा पहनना जाइज़ है. इस में कोई मुज़ाइका (निषेधता-Prohibit) नहीं, बल्कि इस तरह पाजामा

पहनना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो बल्कि खुद हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम से साबित है. जैसा कि:-

हवाला :

'अस्बाल ब-राहे-उजब व तकब्बुर हराम वर्ना मकरूह और ख़िलाफ़े-अवला / न हराम व मुस्तहिक़्के-वईद/ और येह भी उसी सूरत में है कि पाईंचे जानिबे पाश्ना (एड़ी-Hill) नीचे हों और अगर उस तरफ का'बैन (टख़्नों) से बुलन्द है, गो पंजा की जानिब पुश्ते-'पा' (क़दम-Foot) पर हों, हरगिज़ मुज़ाइक़ा नहीं. इस तरह लटकाना हज़रत इब्ने अ़ब्बास बल्कि खुद हुज़ूर सरवरे-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम से साबित है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज अव्वल, सफहा नं. ९९)

अल हासिल ! पाजामा इतना लम्बा होना चाहिये कि टख़्नों के उपर तक हो और टख़्ने छुपने नहीं चाहिऐं बल्कि नज़र आने चाहिऐं. इस तरह का पाजामा भी सुन्नत में शुमार होगा.

ख़ूब याद रखें कि ;

अगर तकब्बुर, गुरूर, घमन्ड, खुदबीनी, उजब, अपनी बड़ाई वग़ैरह की निय्यत से पाजामा इतना लम्बा पहना कि पाजामा के पाईंचे टख़्नों के नीचे तक लटके हुए हैं, तो सख़्त गुनाह और हराम है. हदीसों में उस के लिये सख़्त वईदें वारिद हुई हैं और बहुत सख़्त मुमानेअ़त मज़्कूर है. जैसा कि :-

हदीस

'बुख़ारी शरीफ और नसाई में है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'मा-अस्फला-मिनल-ईज़ारे-फ-फीन-नारे' (तर्जुमा/अनुवाद) 'ईजार (पाजामा) से जो नीचे लटका हुआ है, वोह

जहन्नम (नर्क) में है.'

हदीस

'मुस्लिम शरीफ और अबू दाउद शरीफ में है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'तीन शख़्स ऐसे हैं जिन से अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा और न उनकी तरफ निगाहे-इल्तेफात फरमाएगा और उनके लिये दर्दनाक (कष्टदायक) अ़ज़ाब है. वोह तीन (३) शख़्स (१) अल मुस्बिल या'नी इस्बाल करने वाला या'नी टख़्नों के नीचे तक पाजामा पहनने वाला (२) अल मन्नान या'नी एहसान (उपकार) करके जताने वाला, (३) मुनाफिक जो झूठी कस्में (सौगन्ध) खाता है.'

इन हदीसों में 'अस्बाल' की जो मुज़म्मत (निंदा-Abuse) और वईद आई है, उसकी ख़ास वजह (मुख्य हेतू) तकब्बुर और घमन्ड का सद्देबाब (रोकथाम-Impediment) किया गया है. ब: जाहिर (बाह्य स्वरूप से) तो टख़्नों के नीचे लटके हुए पाजामा की मुज़म्मत (खंडन-Refutation) है, लैकिन दर हक़ीक़त (वास्तव में-Infact) तकब्बुर या'नी अभिमान का इस्तेसाल (ख़त्म करना/नाश करना-Extirpating) है. अगर किसी ने टख़्नों के उपर तक बल्कि निस्फ साक़ (आधी पिन्डली) तक ऊंचा पाजामा पहना और इस तरहका पाजामा पहनने पर घमंड किया कि मैं निहायत ही सुन्नत का पाबन्द हूं और मेरे मुक़ाबले में दूसरे लोग सुन्नत के पाबन्द नहीं, तो उस का इस तरह ऊंचा पाजामा पहनना भी मुमानेअ़त और वईद (अ़ज़ाब की चेतावनी) में दाख़िल हो जाएगा.

पाजामा का टख़्नों के नीचे तक लटके हुए या टख़्नों के उपर होने या आधी पिन्डली तक होने की अहेम्मीयत (महत्वता-Importance) नहीं है, बल्कि

तकब्बुर (घमंड) के होने या न होने की एहमियत है. अगर किसीने बग़ैर तकब्बुर पाजामा लटकाया, तो मुमानेअ़त और वईद से महफ़ूज़ (सुरक्षित-Safe) हो गया और अगर किसी ने तकब्बुर और घमंड से पाजामा आधी पिन्डली तक ऊंचा चढाया, तो मुमानेअ़त और वईद में गिरफ्तार हो गया. अल हासिल ! मुमानेअ़त और इजाज़त का मदार (आधार) निय्यत पर है. अगर तकब्बुर है, तो मुमानेअ़त है, वर्ना इजाज़त है. तकब्बुर, उजब, घमंड, अहंकार, अभिमान ऐसी क़ाबिले-नफरत और बुरी कहने के लाइक़ (धृणास्पद और निंदनीय) ख़सलतें (आदतें-Talent) हैं कि आदमी का नैक अ़मल भी बरबाद कर देती हैं. नैक अ़मल का अज्रो सवाब मिलना तो दरकिनार (एक तरफ रहा) बल्कि उलटा गुनाह और अ़ज़ाब का बोज़ सर पर आ पड़ता है.

ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनने की बिदअ़त की शुरूआत (प्रारम्भ) भारत के वहाबियों ने की है बल्कि ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनना आजकल के जाहिल वहाबी-तबलीग़ी जमाअ़त के अनुयायियों का इख़तेराअ़ (शोध-Invention) है. बल्कि मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफ़िक़ों वहाबी, नजदी, देवबन्दी, तबलीग़ी वग़ैरह फिर्कों की हदीसों में जो अ़लामते (निशानियां-Emblems) बताई गई हैं उनमें से एक अ़लामत येह भी है कि वोह पाजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे.

हदीस

'बुख़ारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि; 'व-यक़रउनल-क़ुरआना-ला-यजावज़ो-हनाजोरहुम' ◆ 'यमरेकूना-मिनद-दीने-कमा-यमरक़ुस्सहमो-मिनर-रमिय्यते' (तजुर्मा / अनुवाद) 'क़ुरआन पढ़ेंगे लैकिन क़ुरआन उनके

हल्क़ (गले) से तजावुज़ (आगे बढ़ना) न करेगा. दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जैसे तीर शिकार से.' 'क़ीला-मा-सीमाहुम ? क़ाला-सीमाहुमुत-तहलीको' (तर्जुमा/अनुवाद) 'अर्ज़ की गइ या रसूलल्लाह ! उनकी अ़लामत (पहचान) क्या होगी ? फरमाया 'सर मुंडाना' या'नी उनके अकसर (आमतौर से / विशेषता-Majority) के सर मुंडे होंगे. बा'ज़ हदीसों में येह भी आया है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने उनका पता बताते हुए, उनकी येह अ़लामत भी ईरशाद फरमाई कि; 'मुशम्मरिल-ईज़ारा' या'नी घुटनी ईज़ार वाले या'नी छोटे नाप के पाजामे वाले.'

मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफेकीन या'नी वहाबी-तबलीग़ी जमाअ़त के मुत्तबेईन (अनुयायी) ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनकर तकब्बुर और रियाकारी की बला में गिरफ्तार हैं. खुद को सुन्नत का पाबन्द और दूसरों को सुन्नत का तारिक (छोड़नेवाला) और मुख़ालिफ समज़ते हैं. तकब्बुर और रियाकारी के इस्तेसाल (खंडन) में अनेक हदीसें और दीने-इस्लाम के अज़ीम (महान) इमामों के बेशुमार अक़्वाल (असंख्य कथन) मौजूद हैं.

हदीस

'हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है, वोह फरमाते हैं कि; 'समेअ़तो-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लमा-यक़ूलो-अन्नन्नारा-व-अहलहा-या'जूना-मिन-अहलिल-रियाए' ◆ 'क़ीला-या-रसूलल्लाहे-व-कयफा-यअ़जुन्नारो-क़ाला-मिन-हर्रिन्नारिल-लती-युअ़ज्जेबूना-बेहा' (अनुवाद) 'मैंने रसूलुललाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि दोज़ख (जहन्नम) और दोज़ख

वाले रियाकारों से चींख़ उठेंगे. अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह ! दोज़ख़ क्यों चीखे़गी ? आपने फरमाया कि उस आग की तपिश (गर्मी-**Heat**) से, जिससे रियाकारों को अज़ाब दिया जाएगा.'

कौले-इमाम :

ख़ातेमुल मोहक़्केकीन, रईसुल मुजतहेदीन, हादीयुस्सालेकीन, हुज्जतुल इस्लामे वद दीन, अबू हामिद, मुहम्मद इब्ने मुहम्मद इब्ने मुहम्मद तूसी अल मा'रूफ (विख्यात-Known) 'इमाम ग़ज़ाली' रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो फरमाते है कि;

'तुमने खुद भी देखा होगा कि खुश्क आ़बिद और रस्मी सूफी तकब्बुर से पैश आते हैं. दूसरों को हक़ीर (तुच्छ-Vile) ख़्याल करते हैं. तकब्बुर की वजह से अपना रूख़सार (गाल-Cheek) टेढ़ा रखते हैं और लोगों से मुंह बिसौरे (रोने जैसा चेहरा-Sad Face) रखते हैं. गोया दो (२) रकअ़त नमाज़ ज़ियादा पढ़कर लोगों पर एहसान करते हैं, या शायद उन्हें दोज़ख़ से नजात (माफी-Absolution) और जन्नत के दाख़ले (प्रवेश-Admission) का सर्टीफिकेट मिल चुका है, या उनको यक़ीन हो चुका है कि सिर्फ हम ही नेक बख़्त हैं, बाक़ी सब लोग बद बख़्त और शक़ी (हलकट-Villainous) हैं. फिर वोह इन तमाम बुराइयों के होते हुए आजिज़ और मुतावाज़ेअ़ (नम्र-Humble) लोगों जैसा लिबास पहनते हैं, जैसे सोफ़ वगैरह. और निहायत (अत्यंत) ख़ामोशी और कमज़ोरी का इज़हार (दिखावा) करते हैं, हालांकि ऐसे लिबास और ख़ामोशी वगै़रह का तकब्बुर और गुरूर से क्या तअ़ल्लुक (सम्बन्ध) बल्कि येह चीज़ें तो तकब्बुर और गुरूर के मनाफी (विरोधी-Opponent) हैं, लैकिन इन अंधो

को समज़ नहीं.'

(हवाला : मिनहाजुल आ़बेदीन उर्दु तर्जुमा, सफहा नं. १६६)

अन्य क़ौल :

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली एक और मक़ाम पर फरमाते हैं कि 'अल-उजबो-इस्तेअ़ज़ामुल-अ़मलुस्सालेह' (तर्जुमा) 'अपने नेक अ़मलों को अ़ज़ीम (महान-Great) ख़याल करने का नाम उजब (अहंकार-Haughtiness) है.'

(हवाला : 'मिनहाजुल-आ़बेदीन' उर्दू तर्जुमा, सफहा नं. २८३)

मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफ़िकों का अपने आप को सुन्नत पर अ़मल करने वाला समज़ने की ग़लत फहमी (भ्रम)

एक ख़ास (महत्वपूर्ण) नुक्ते की तरफ कारेईन (वाचक मित्रों) का ध्यान ले जाना ज़रूरी है कि मौजूदा ज़माने के मुनाफेक़ीन (वहाबी-तबलीग़ी वग़ैरह) अपने अ़मल और इरतेकाब (अनुसरण-Adopt) पर इतना अकड़ते और इतराते हैं कि अपने मुक़ाबले में दूसरों को ख़ातिर में नहीं लाते और हैरत की बात तो येह है कि अपने इरतेकाब को 'सुन्नते-रसूल' का हसीन नाम दे देते हैं. लैकिन दर हक़ीक़त उनको खूद को भी नहीं मा'लूम होता कि जिस काम को हम 'सुन्नते-रसूल' केहकर मशहूर (प्रचलित) कर रहे हैं वोह काम हक़ीक़त (वास्तव) में सुन्नत है या नहीं ? मिसाल के तौर पर सर के तमाम बाल मुंडाना या'नी मुंडन कराना. वहाबी-तबलग़ी जमाअ़त के ज़ियादा तर लोग सर घुटाते (मुंडन कराते) हैं और येह कहते हैं कि ' हम सुन्नत पर अ़मल करते हैं.' आ़म (सामान्य) दिनों में भी वोह लोग सर के बाल सफाचट करा कर 'टकले' बनते हैं और टकला होने को

'सुन्नते-रसूल' से इल्हाक (मिलाने-Coupling) करने की कोशिश (चष्टा) करते हैं. और लोगों को येह समज़ाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सर मुंडाना हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की सुन्नत है, लैकिन हकी़क़त इसके बरअक्स (विपरीत) है.

- हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने ज़रूर 'हल्क' फरमाया है या'नी सरे-अक्दस के तमाम बाल मुबारक मुंडाए हैं, लैकिन कब ?

एक हवाला पेशे-ख़िदमत है :-

'हज्जो-हजामत या'नी पछनों की ज़रूरत के सिवा हुज़ूरे-वाला सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम से हल्के़-शअ़र (सर के तमाम बाल मुंडाना) साबित नहीं. हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने दस (१०) साल मदीना में क़याम फरमाया. इस मुद्दत में सिर्फ तीन (३) बार या'नी साले-हुदैबिया, व उमरतुल क़ज़ा, व हज्जतुल विदाअ़ में हल्क़ फरमाया. 'अला-मा-नक़लहु-अलीयुल-क़ारी-फी-जमईल-वसाईल-अ़न-बा'दे-शराहिल-मसाबीह' (या'नी जैसा कि अ़ल्लामा अ़ली कारी मक्की ने मिश्कातुल-मसाबीह की शरहों के हवालों से इस का बयान किताब जमउल वसाइल में किया है.')

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ३९)

हुज़ूरे-अक्दस, रहमते-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दस (१०) साल तक तवील (लम्बा) क़याम फरमाया और दस (१०) साल के ज़ाहेरी क़याम के दौरान आपने सिर्फ तीन (३) मरतबा ही 'हल्के़ शअ़र' या'नी सरे-अक्दस के तमाम बाल मुंडाए. और वोह तीन (३) मरतबा भी सामान्य दिनों में नहीं बल्कि ख़ास मौक़े (अवसर) पर 'हल्क़' (मुंडन) फरमाया है. और वोह तीन मौक़े (१) सुल्हे-हुदैबिया (२) उमर-ए-कज़ा और (३) हज्जे-विदाअ़ के मौकों पर हल्क़ फरमाया है, आ़म (सामान्य)

दिनों में 'हल्क़' (मुंडन) नहीं फरमाया है. लैकिन दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफेक़ीन ने तो आ़म दिनों में भी सर घुटाना अपनाया है. जब देखो तब सर पर अस्त्रा (Razor) फिरा कर 'टकलू' बन जाते हैं और अपने टकलेपन की कोशिश (चेष्टा) को 'सुन्नते-रसूल' 'सुन्नते-रसूल' की रट लगाकर मुनासिब और मसनून काम में खपाने का प्रयत्न करते हैं.

हालांकि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की आ़म तौर से आ़दते-करीमा येह थी कि सरे-अक्दस पर मुक़द्दस ज़ुल्फें थीं और वस्ते-रास या'नी सर के मध्य (Centre of head) में मांग (सेंथो)होती थी. आपने मदीना मुनव्वरा के दस (१०) साल के ज़ाहिरी क़याम के दौरान जो तीन (३) मरतबा 'हल्क' फरमाया है, वोह हज्ज और उम्रह के अरकान से था और ज़रूरी था. आदते-करीमा के तक़ाज़े (आग्रह) से नहीं था.

इतनी साफ (स्पष्ट) वज़ाहत के बावजूद भी वहाबी-तबलीग़ी जमाअ़त के लोग सर घुटाने (टकला होने) को सुन्नते-रसूल का नाम देकर अपनी अस्लीयत को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इल्मे-ग़ैब जानने वाले, मुख़्बिरे-सादिक प्यारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने मुनाफिक़ों की ख़स्लतों (प्रकृति-Talent) की निशानदेही (लक्षण-चिन्दह-Badge) फरमाते हूए इरशाद फरमाया है कि 'सीमाहुमुत-तहलीको' या'नी उन की अ़लामत सर घुटाना (मुंडाना) है.' येह सच्ची आगाही वर्तमान युग के मुनाफिक़ों के लिये बराबर मुनासेबत (तुलनात्मक-Proporatoin) रखती है.

हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने मुनाफिक़ों की जो अ़लामतें बताई हैं, उन में से चन्द अ़लामतें येह हैं कि :-

- तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आओगे, जो न तुमने सुनी होंगीं और न तुम्हारे बाप-दादा ने सुनी होंगीं.
- कुरआ़न पढेंगे, लैकिन कुरआ़न उनके हल्क़ (गले) से

तजावुज़ नहीं करेगा.

- उनकी नमाज़ों और रोज़ों के सामने तुम अपनी नमाज़ों और रोज़ों को हल्का (तुच्छ) समजोगे.
- अगले ज़माने के लागों को बुरा कहेंगे.
- सर घुटाअेंगे या'नी सर मुंडाअेंगे.
- पाजामा ऊंचा पहनेंगे.

वग़ैरह वग़ैरह बयान की गइं तमाम अ़लामतें वर्तमान (युग) के मुनाफ़िक़ों और मुर्तदों में बः दरज-ए-अतम (संपूर्ण रूप-Perfectly) पाई जाती हैं लैकिन अपनी मुनाफ़िक़ाना ख़स्लतों को वोह 'सुन्नत' का मोहतरम (आदरणीय) नाम देकर लोगों को धोका (Fraud) देने की कोशिश करते हैं. ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनने में और सर टकला कराने में उनकी मुनाफ़िक़ाना आदत (प्रकृति) ही मुतहर्रिक (कार्यरत-Moving) होती है, लैकिन हक़ीक़त (वास्तविक्ता) को छुपाने के लिये सुन्नत पर अ़मल करने का ढोंग करते हैं.

पाजामा के पाइचों को मोड़ने के मस्अले का निचोड़ :

पाजामा या पतलून (Pantaloon) के पाइचों को मोड़ना फिक़ही इस्तेलाह (परिभाषा) में ''ख़िलाफ़े-मो'ताद'' में शुमार होता है. ख़िलाफ़े-मो'ताद या'नी बदन के कपड़ों को इस तरह पहनना या ओढ़ना कि इस तरह कपड़े पहनकर या मोड़कर बाज़ार में या किसी अकाबिर (उच्च दर्जे के व्यक्ति-Grandee) के पास न जा सकें और इस तरह का कपड़ा पहनकर या मोड़कर बाज़ार में या अकाबिर के पास जाने वाला शख़्स ग़ैर मुहज़्ज़ब (असंस्कारी-Boorish) कहलाए.

जो लोग नमाज़ में पाजामा या पतलून के पाईंचे मोड़ते हैं, जब उनसे कहा गया कि जनाब आली ! आप इसी तरह पाईंचे मोड़े हुए बाज़ार में या कोर्ट कचहरी में तशरीफ ले चलें, तो वोह इस हयअत (हालत-Posi-

tion) में बाज़ार या किसी कचेहरी या दफ़्तर में जाने के लिये हरगिज़ रज़ामन्द (सहमत-Agree) नहीं होंगे बल्कि इस तरह वहां जाने में शर्म और आ़र (बदनामी-Ignominy) मेहसूस करेंगे. और मान भी लो कि अगर कोई शख़्स अपने पाजामा या पतलून के पाईंचे मोड़कर बाज़ार या किसी दफ़्तर (Office) में चला भी गया, तो लोग उसको देखकर उसकी बदतेहज़ीबी पर हसेंगे और कहेंगे कि कैसा बेअदब शख़्स है कि ख़िलाफ़े-मो'ताद हालत में या'नी आ़दत, रिवाज और तेहज़ीब (संस्कृति-Culture) के आदाब (शिष्टाचार-Etiquette) को बाला-ए-ताक़ छोड़कर जोकर (मस्ख़रा-Joker) बनकर आ धमका है. तो ज़रा सोचो ! कि जिस हालत में दुनियादार के सामने या दुनिया वालों के दरबार में जाना ''ख़िलाफ़े-मो'ताद'' (शिष्टाचार के विरूद्ध) है, ऐसी हालत में अल्लाह के दरबार में हाज़री (नमाज़) के वक़्त तो ''मो'ताद' का लिहाज़ करना बहुत ही ज़रूरी और लाज़मी है. इसीलिए फ़ुकहा-ए-किराम ने ख़िलाफ़े-मो'ताद कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने पर मकरूहे-तहरीमी का हुक्म सादिर फरमाया है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला के दरबार की हाज़िरी के वक़्त ऐसा कोई भी काम रवा (योग्य) नहीं जो काम ख़िलाफ़े-मो'ताद हो.

यहां तक कि गुफ़्तगू का मा-हसल (निचोड़) येह है कि अगर किसी का पाजामा लम्बा सिला हुआ है और उसके पाईंचे टख़्नों के नीचे तक लटके हुए हैं और उसका इस तरह पाईंचे लटकाना तकब्बुर या उजब (अभिमान/घमन्ड) की वजह (कारण) से नहीं और उसने पाईंचे टख़्नों के नीचे लटकती हुई हालत में नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही होगी.

लैकिन....

अगर उसने पाईंचों को मोड़कर उपर चढ़ा कर नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआदा होगी. या'नी उस नमाज़ को फिर से

दोबारा पढ़ना वाजिब होगा.

हैरत और तअ़ज्जुब है उन लोगों पर जो पाईंचों को मोड़कर उपर चढ़ाकर नमाज़ पढ़ते हैं और मकरूहे-तन्ज़ीही से बचने के लिये मकरूहे-तहरीमी में मुब्तिला (गरकाव) होते हैं. या'नी छोटे अनिष्ट से बचने के लिये बड़े अनिष्ट को अपनाते हैं.

लिहाज़ा...

नमाज़ में पाजामा या पतलून के पाईंचों या कुर्ता या शर्ट की आस्तीनों को हरगिज़ नहीं मोड़ना चाहिये, क्योंकि उससे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.

नमाज़ मकरूहे-तन्ज़ीही होने के अन्य मसाइल :

मस्अला

'नमाज़ के दौरान सर से टोपी गिर जाए तो उठा लेना अफज़ल है, जब कि बार-बार न गिरे और उठाने में अमले-कसीर की हाजत न पड़े, वर्ना नमाज़ फासिद हो जाएगी. और अगर खुशूअ़ व खुज़ूअ़ तथा आजज़ी व इन्केसारी की निय्यत से सर बरेहना (खुला) रखना चाहे, तो न उठाना अफज़ल (उत्तम) है.

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१७१, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१६)

मस्अला

'नमाज़ में अंगड़ाई लेना, बिल क़स्द खांसना और खंखारना मकरूह है.'

(आ़लमगीरी, मराकीयुल फलाह)

मस्अला

'इमाम का ज़रूरत के बग़ैर मेहराब (Arch) में खड़ा होना कि पांव भी मेहराब के अन्दर हों, येह मकरूह है. हां, अगर पांव मेहराब के बाहर हों और सजदा मेहराब के अन्दर हो, तो किराहत नहीं. इसी तरह इमाम का दर (दरवाज़ा-Door) में खड़ा होना भी मकरूह है. लैकिन अगर पांव बाहर हों और सजदा दर में हो, तो किराहत नहीं.'(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४२)

मस्अला

'काब-ए-मुअज़्ज़मा और मस्जिद की छत (Terrace) पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि इस में तर्के-ता'ज़ीम (उच्च आदर भाव का त्याग-Desreting of Reverence) है.

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१७४)

मस्अला

'मस्जिद में कोई जगह अपने लिये ख़ास (निश्चित-Fixed) कर लेना कि उसी जगह पर नमाज़ पढ़े, येह मकरूह है.' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'नमाज़ी के सामने जलती आग का होना बाइसे-किराहत है, अलबत्ता शम्अ़ा या चिराग में किराहत नहीं.'

(हवाला : सदर-Ditto)

मस्अला

'सजदा में रान (जांध-Thigh) को पेट से चिपका देना मर्द के लिये

मकरूह है, मगर औरत सजदा में रान को पेट से मिला देगी.'

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७४)

मस्अला

'आम रास्ता, कूड़ा-कचरा डालने की जगह(Swage), मज़्बह या'नी जानवरों को हलाल और ज़ब्ह करने की जगह (कसाई ख़ाना-Slaughter house) क़ब्रस्तान, गुस्लख़ाना, हमाम, नाला, मवैशी ख़ाना (Cattle camp) ख़ासकर उंट (Camel) बांधने की जगह, अस्तबल या'नी घोड़ों को बांधने की जगह (तबेला-Stable) में और पाख़ाना (जाजरू-Latrine) की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७५)

मस्अला

'गुलूबन्द (गले का रूमाल-Neck cloth) पगड़ी, टोपी या रूमाल से पैशानी (Forehead) छुपी हुई है, तो सजदा दुरूस्त और नमाज़ मकरूह है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१९)

मस्अला

'हुक़्क़ा, बीडी, सिगरेट या तम्बाकू खाने-पीने वाले के मुंह में बदबू (दुर्गंध-Foul smell) होने की हालत में नमाज़ मकरूह है. और ऐसी हालत में मस्जिद में जाना भी मना है, जब तक मुंह साफ न कर ले.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४६)

मस्अला

'जमाअत से नमाज़ पढ़ते वक़्त इमाम के बराबर (क़रीब-Adjoin) दो (२) मुक़्तदीयों का खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ीही है.' (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३२, दुर्रे मुख़्तार, जिल्द-१, सफहा नं. ३८१)

मस्अला

'कामकाज के कपड़े (Worker Dress)पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तन्ज़ीही है, जबकि उसके पास दूसरे कपड़े माजूद हों, वर्ना उसी कपड़ों में नमाज़ पढ़ने में किराहत नहीं. (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७१)

मस्अला

'तमाम मज़हब (हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी) की किताबों में साफ तशरीह है कि वोह कपड़े जिनको आदमी अपने घर में काम काज के वक़्त पहने रहेता है और जिन कपड़ो को मैल कुचैल से बचाया नहीं जा सकता, उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़नी मकरूह है. ज़ख़ीरा में एक रिवायत इस तरह मन्कूल है कि :-

'अन्ना-उमरा-रदीय्यल्लाहो-तआ़ला-अन्हो-रआ-रजुलन-फअ़ला-ज़ालेका-फ-क़ाला-अ-रअयता-लव-अरसलतोका-इला-बअदि-न्नासे-अ-कुन्ता-तमुर्रो-फी-सियाबेका-हाज़ेहि ? फ-काला-ला-फ-क़ाला-उमरो-फल्लाहो-अहक़्क़ो-अंय-यतज़य्यना-लहू'

(अनुवाद) 'अमीरूल मो'मेनीन हज़रत फारूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने एक शख़्स को ऐसे ही (गंदे) कपड़ों में नमाज़ पढ़ते देखा, तो उस शख़्स से फरमाया कि भला बता तो सही, अगर में तुज़े इन्हीं कपड़ों में किसी आदमी के पास भेजूं, तो क्या तूं चला जाएगा ? उस शख़्स ने कहा कि; 'नहीं.' इस पर हज़रत उमर फारूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तअ़ला अन्हो ने फरमाया कि " अल्लाह तबारक व तआ़ला ज़्यादा मुस्तहिक़् है कि उसके दरबार में ज़ीनत (सुघड़ता-Elegance) और अदब के साथ हाज़िर हो."

(हवाला :◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ दुरर ◆ गुरर शरहे वक़ाया ◆ मजमउल अन्हर ◆ बहरूर राइक ◆ रद्दुल मोहतार ◆ गुन्या, ◆ हुल्या ◆ ज़ख़ीरतुल उक़्बा ◆ फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४४)

प्रकरण (१२) जमाअत से नमाज़ पढ़ने का ब्यान

- हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने हमेंशा जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ी है और अपने सहाबा (रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हुम) को भी हमेंशा नमाज़ बा-जमाअ़त पढ़ने की ताकीद (बार बार सूचना) फरमाई है.'
- 'हदीस शरीफ में है कि जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना, तन्हा (अकैले) नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस (२७) दर्जा ज़ियादा फज़ीलत रखता है.'

(तफसीर खज़ाइनुल इरफान, सफहा नं. १३)

- 'जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना इस्लाम की बड़ी निशानियों में से है, जो किसी भी दीन (धर्म) में न थी.'
- 'जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत और जमाअ़त को छोड़ने की वईद में अनेक हदीसें रिवायत की गई हैं, जिन में से चन्द हदीसें पेशे-ख़िदमत हैं :-

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जो अल्लाह के लिये चालीस (४०) दिन बा-जमाअ़त नमाज़ पढ़े और तकबीरे-उला पाए, उसके लिये दो (२) आज़ादियां हैं. एक 'नार' (जहन्नम की आग) से और दूसरी 'निफाक' (पाखंड-**Hypocrisy**) से.'

हदीस

'सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत उस्मान रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से मर्वी है कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'जिसने बा-जमाअ़त इशा की नमाज़ पढ़ी, गोया उसने आधी रात क़याम किया (या'नी इबादत की / नमाज़ पढ़ी) और जिसने फज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी, गोया उसने पूरी रात इबादत की.'

हदीस

इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'मुनाफिकों पर सबसे ज़ियादा गिरां (भारी/कष्ट दायक-***Burdensome***) *नमाज़े-इशा और फज्र है, अगर वोह जानते कि इस में क्या (सवाब) है ? तो घसिटते हुए आते. और बेशक मैंने क़स्द (इरादा) किया कि नमाज़ क़ाइम करने का हुक्म दूं, फिर किसी को हुक्म दूं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और मैं अपने हमराह (साथ में) चंद लोगों को जिन के पास लकड़ियों* ***(Wool)*** *के गट्ठे हों, उन के पास ले जाऊं जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उनके घरों को जला दूं.'*

हदीस

'इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मालिक और इमाम नसाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना तन्हा (अकेले-**Alone**) *नमाज़ पढ़ने से*

सत्ताइस (२७) दर्जा बढ़कर है.'

ह़दीस

'अबू दावूद ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'जो शख़्स अच्छी तरह तहारत करे, फिर मस्जिद को जाए, तो जो क़दम चलता है, हर क़दम के बदले अल्लाह तआ़ला नेकी लिखता है, और दर्जा बुलन्द करता है और गुनाह मिटा देता है.'

ह़दीस

'नसाई और इब्ने खुज़यमा अपनी सहीह में हज़रत उस्मान गनी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जिसने कामिल (सम्पूर्ण) वुज़ू किया फिर फर्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ चला और इमाम के साथ फर्ज़ नमाज़ पढ़ी, उस के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं.'

जमाअ़त के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

हर आ़किल, बालिग़, आज़ाद और क़ादिर मर्द पर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना वाजिब है. बिला उज़्र एक मरतबा भी छोड़नेवाला गुनाहगार और मुस्तहिक़्के-सज़ा है. और कई (अनेक) मरतबा तर्क करे तो 'फासिक' और 'मरदुदुश्शहादत' है, या'नी उसकी गवाही कुबूल नहीं की जाएगी और उस को सख़्त सज़ा दी जाएगी. अगर उसके

पड़ोसियों (Neighbour) ने सुकूत किया या'नी उसकी जमाअ़त को छोड़ने की आ़दत पर चुप रहे, तो वोह भी गुनाहगार हुए.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, गुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफ्हा नं. १२९)

मस्अला

'पांचो वक्त की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त के साथ वाजिब है. एक वक्त का भी बिला उज़्र तर्क गुनाह है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ३७२)

मस्अला

'जुम्आ़ और ईदैन (दोनों ईदें) की नमाज़ में जमाअ़त शर्त है. तरावीह में जमाअ़त करना सुन्नते-किफाया है. नवाफिल और रमज़ान के इलावा वित्र में अगर 'तदाई' (अ़ैलान-Announce) के तौर पर जमाअ़त की जाए, तो मकरूह है. तदाई के मा'ना येह हैं कि जमाअ़त करने का ऐ़लान हो और तीन (३) से ज़ियादा मुक्तदी हों.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, आ़लमगीरी)

मस्अला

'सूरज गहेन (ग्रहण) की नमाज़ में जमाअ़त सुन्नत है और चांद गहन की नमाज़ 'तदाई' (एलान) के साथ जमाअ़त से मकरूह है.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१३०)

मस्अला

'एक इमाम और एक मुक्तदी या'नी दो (२) आदमी से भी जमाअ़त क़ाइम हो सकती है. और एक से ज़ियादा मुक्तदी होने से जमाअ़त की फज़ीलत ज़ियादा है. मुक्तदीयों की ता'दाद (संख्या) जितनी

ज़ियादा होगी उत्नी फज़ीलत ज़ियादा होगी.'

हदीस

'इमाम अहमद, अबू दाउद, नसाई, इब्ने खुज़यमा और इब्ने हब्बान ने अपनी सहीह में हज़रत उबई इब्ने का'ब रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 'मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ तन्हा (अकैले) नमाज़ पढ़नेकी निस्बत ज़ियादा पाकीज़ा है और दो (२) के साथ ब:निस्बत एक के ज़ियादा अच्छी है और जितने ज़ियादा हों अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़ियादा महबूब है.'

मस्अला

'जुम्आ़ और ईदैन या'नी ईदुल-फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज़ की जमाअ़त के लिये कम से कम तीन (३) मुक़्तदी का होना शर्त है. दीगर (अन्य) नमाज़ों की तरह एक (१) या दो (२) मुक़्तदी से जुम्आ़ और ईद की नमाज़ क़ाइम नहीं हो सकती. जुम्आ़ और ईदैन की नमाज़ की जमाअ़त के लिये इमाम के इलावा कम से कम तीन मर्द मुक़्तदीयों का होना ज़रूरी है. अगर तीन (३) मर्द से कम (Less) मुक़्तदी होंगे, तो जुम्आ़ और ईदैन की जमाअ़त सहीह नहीं.'

(आ़लमगीरी, तन्वीरूल अब्सार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८३)

मस्अला

'अकैला मुक़्तदी मर्द अगरचे लडका हो, वोह इमाम के बराबर दाहनी जानिब (Right Side) खड़ा हो. बाअें या पीछे खड़ा होना मकरूह है. और अगर दो (२) मुक़्तदी हों, तो इमाम के पीछे खड़े हों. दो (२) मुक़्तदीयों का

इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ही है और दो (२) से ज़ियादा मुक़्तदीयों का इमाम के करीब खड़ा होना मकरूहे-तहरीमी है.'

(दुर्रे मुख़्तार, जिल्द-१, सफहा नं. ३८१)

मस्अला

'अगर इमाम और सिर्फ एक (१) मुक़्तदी जमाअ़त से नमाज़ पढ़ते हों और दूसरा मुक़्तदी आ गया, तो अगर पहला मुक़्तदी मस्अला जानता है और उसे पीछे हटने की जगह है, तो वोह पीछे हट जाए और दूसरा मुक़्तदी उस पीछे हटनेवाले मुक़्तदी के बराबर खड़ा हो जाए.

अगर पहला मुक़्तदी मस्अला नहीं जानता या मस्अला तो जानता है लैकिन पीछे हटने की जगह नहीं, तो इमाम आगे बढ़ जाए. और अगर इमाम को भी आगे बढ़ने की जगह नहीं, तो दूसरा मुक़्तदी इमाम के बाअें हाथ की जानबि (Left Side) इमाम के क़रीब खड़ा हो जाए. मगर अब तीसरा मुक़्तदी आकर इमाम के क़रीब दायें या बायें कहीं भी खड़ा होकर जमाअ़त मे शामिल नहीं हो सकता, वर्ना सब की नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी और इमाम तथा मुक़्तदीयों सबको उस नमाज़ का एआ़दा या'नी दोबारा (फिर से) पढ़ना वाजिब होगा.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २६०)

मस्अला

'अगर मज़्कूरा (वर्णनीय) सूरत से दो (२) मुक़्तदी इमाम के क़रीब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हों और अब तीसरा मुक़्तदी आया और वोह जमाअ़त में शामिल होना चाहे तो उस पर लाज़िम है कि पहले से शामिल होकर, इमाम के क़रीब दायें-बायें खड़े दोनों मुक़्तदीयों मे से किसी के भी क़रीब खड़ा न हो, बल्कि इन दोनों के पीछे खड़ा हो जाए क्योंकि इमाम के क़रीब तीन मुक़्तदीयों का खड़ा होना मकरूहे-तहरीमी है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३२३)

मस्अला

'अगर एक (१) मुक्तदी इमाम के बराबर (करीब) खड़ा होकर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा मुक्तदी जमाअ़त में शामिल होने आए, तो मुक्तदी पीछे हट आए और अगर दो मुक्तदी इमाम के बराबर खड़े होकर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ रहे हों और तीसरा मुक्तदी जमाअ़त में शामिल होने आए तो इमाम को आगे बढ़ना अफज़ल है.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३२)

मस्अला

'इमाम के साथ सिर्फ एक (१) मुक्तदी इमाम के बराबर खड़ा होकर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा मुक्तदी जमाअ़त में शामिल होने आया, लैकिन वोह पहला मुक्तदी पीछे नहीं हटता और न ही इमाम आगे बढ़ता है, तो दूसरा मुक्तदी पहले वाले मुक्तदी को पीछे खींच ले. और वोह बाद में आने वाला या'नी दूसरा मुक्तदी पहले मुक्तदी को चाहे निय्यत बांधने से पहले खींच ले, चाहे तो निय्यत बांधने के बाद खींचे, दोनों सूरतें जाइज़ हैं, लैकिन निय्यत बांधने के बाद खींचना अवला (उत्तम) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३२३)

मस्अला

मुक्तदी को पीछे खींचने की परिस्थिति में 'वाजेबुत-तम्बीह' (ज़रूरी चेतावनी-Expedient Instruct) बात येह है कि खींचना उसी को चाहिये जो ज़ी-इल्मी हो या'नी इस मस्अले से वाकिफ हो. अगर पहला मुक्तदी कि जिसको खींचा जा रहा है, वोह अगर मसाइल से ना-वाकिफ (अन्जान) है और उसको इस तरह खींचने का मस्अला ही नहीं मा'लूम तो अगर उसको पीछे खींचा, तो वोह पीछे खींचने पर बौखला जाएगा और 'क्या है' और 'क्यों खींचते हो ?' वग़ैरह कोई जुम्ला (वाक्य) घबराहट की वजह से उसके मुंह से

निकल जाएगा और मुबादा (खुदा न करे) कि ना-वाकिफी की वजह से उसकी नमाज़ फासिद हो जाए. लिहाज़ा खींचे नहीं. इलावा अर्ज़ी एक अहम (आवश्यक) और ज़रूरी नुक्ता भी याद रखना चाहिये कि नमाज़ मे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआ़ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के सिवा किसी दूसरे से कलाम करना मुफसिदे-नमाज़ है, इसी तरह अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का हुक्म मानना भी नमाज़ को फासिद कर देता है.

लिहाज़ा....

'अगर एक शख़्स ने किसी नमाज़ी को पीछे खींचा या इमाम को आगे बढ़ने को कहा और वोह नमाज़ी या इमाम कहने वाले का हुक्म मानकर अपनी जगह से आगे या पीछे हटा, तो उसकी नमाज़ जाती रही, अगरचे येह हुक्म देने वाला निय्यत बांध चुका हो. और अगर हटने वाले ने कहने वाले के हुक्म का लिहाज़ न रखा और न उसके हुक्म से कोई काम रखा बल्कि इस निय्यत से हटा कि शरीअ़त का हुक्म है और शरीअ़त के मस्अले के लिहाज़ से हरकत की, तो नमाज़ में कुछ भी खलल (भंगाण-Interruption) नहीं. इस लिये बेहतर येह है कि हटने का हुक्म देने वाले के कहते ही फौरन हरकत न करे या'नी न हटे बल्कि थोड़ा सा तअम्मुल (विलंब-विचार-Reflexion) करे और येह निय्यत कर के हरकत करे या'नी हटे कि इस कहने वाले के हुक्म से नहीं बल्कि शरीअ़त का हुक्म है, इस लिये हट रहा हूं, ताकि बःज़ाहिर ग़ैर के हुक्म को मानने की सूरत (परिस्थिति) न रहे.

जब सिर्फ निय्यत का फर्क़ (तफावुत) होने से नमाज़ के फासिद या दुरूस्त होने का मदार (आधार) है, तो इस ज़माने में जबकि ज़माने वालों पर जिहालत (अज्ञानता) ग़ालिब (छाई हुई) है और अजब (तअ़ज्जुब) नहीं कि अ़वाम (सामान्य जनता) निय्यत के इस फर्क से अन्जान होकर बिला वजह अपनी नमाज़ें ख़राब कर लें, लिहाज़ा दीन के इमामों ने फरमाया है कि 'ग़ैर-ज़ी-इल्म' (ज़ाहिल)

को हरगिज़ न खींचे और यहां 'ज़ी-इल्म' से मुराद वोह हैं जो इस मस्अले और निय्यत के फर्क से आगाह (जानकार) हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३२, और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३२३ और ३९१)

मस्अला

'इमाम के बराबर खड़ा होने के येह मा'नी हैं कि मुक़्तदी का क़दम (पांव) इमाम के क़दम से आगे न हो या'नी मुक़्तदी के पांव का धट्टा (टख़्ना-Ankle) इमाम के पांव (पग-Foot) के धट्टे से आगे न हो. सर या पांव की ऊंगलियों के आगे पीछे होने का ए'तबार नहीं, मस्लन मुक़्तदी इमाम के बराबर खड़ा हुआ और मुक़्तदी का क़द (शरीर की स्वाभाविक उंचाई-Stature) दराज़ है या'नी लम्बी है और इमाम छोटे क़द का है, लिहाज़ा सजदे में मुक़्तदी का सर इमाम के सर से आगे हो जाए, मगर मुक़्तदी के पांव का धट्टा इमाम के पांव के धट्टे से आगे न हो, तो कोई हर्ज़ नहीं. इसी तरह अगर मुक़्तदी के पांव बड़े और लम्बे हों कि मुक़्तदी के पांव की ऊंगलियां इमाम के पांव की ऊंगलियों से आगे हों, तब भी हर्ज़ नहीं, बशर्ते मुक़्तदी के पांव का धट्टा (टख़्ना) इमाम के पांव के घुट्टे से आगे न हो.' (रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३२)

मस्अला

औरतों (स्त्रियों) को किसी भी नमाज़ में जमाअ़त की हाज़री के लिये मस्जिद में आना जाइज़ नहीं. दिन (Day) की नमाज़ हो या रात की नमाज़, जुम्आ़ की नमाज़ हो या ईद की नमाज़, औरत को जमाअ़त में शामिल होने के लिये मस्जिद में आना जाइज़ नहीं. औरत चाहे जवान हो या बूढी हो, किसी भी नमाज़ की जमाअ़त के लिये आना रवा (योग्य) नहीं. (दुर्रे मुख़्तार, जिल्द नं. १, सफहा नं. ३८०, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३१)

मस्अला

'मस्जिद के अन्दरूनी हिस्सा (Internal Portion) या मस्जिद के सहन में जगह होते हुए बालाख़ाना (Upper Floor) पर इक़्तिदा करना मकरूह है.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३३)

मस्अला

'इमाम को चाहिये कि वस्त (दरमियान-Centre) में खड़ा हो. इमाम के वस्ते-मस्जिद खड़ा होना सुन्नते-मुतावारेसा (प्रचलित) है और इमाम सफ के बीच (मध्य-Centre) में हो, यही जगह मेहराबे-हक़ीकी (Arch) है. और क़िब्ला की तरफ (पश्चिम दिशा) की दीवार (Wall) में जो ताक़ नुमा ख़ला (आभासी खांचा-Apparent Recess) बनाया जाता है वोह मेहराबे-सूरी (ज़ाहिरी) है, जो मेहराबे-हक़ीकी की अलामत (निशानी) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३१३)

मस्अला

'जब दो (२) से ज़ियादा मुक़्तदी हों, तब इमाम और मुक़्तदीयों के दरमियान कम से कम एक सफ (अन्दाज़न ४ फिट-Approx 4 Feet) का फासला (अंतर-Distance) होना चाहिये. इमाम का सफ से कुछ ही आगे खड़ा होना कि सफ की मिक़्दार (मात्रा) की जगह न छूटे, येह ना-जाइज़ और गुनाह है. नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआ़दा होगी.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७७)

मस्अला

'मुक़्तदी के लिये फर्ज़ है कि इमाम की नमाज़ को अपने तसव्वुर या'नी ख़्याल (Contemplation) में सहीह समजे. अगर मुक़्तदी अपने ख़्याल में इमाम की नमाज़ बातिल (अर्थहीन-Absurd) समज़ता है, तो उस मुक़्तदी की नमाज़ नहीं होगी, अगरचे इमाम की नमाज़ सहीह हो.' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त)

सफ के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'मर्दों की पहली 'सफ' (लाइन, क्तार-Row) कि जो इमाम के क़रीब है, वोह दूसरी सफ से अफज़ल है और दूसरी सफ तीसरी सफ से अफज़ल है. 'व-अ़ला-हाज़ल-क्यास' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१३३)

मस्अला

'मुकद्दम (प्रथम-Prior) सफ का अफज़ल होना ग़ैर नमाज़े-जनाज़ा में है और नमाज़े-जनाज़ा में आख़िरी सफ अफज़ल है.' (दुर्रे मुख़्तार)

हदीस

'बुख़ारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने इरशाद फरमाया कि 'अगर लोग जानते के अज़ान (देने में) और अव्वल (पहली) सफ में क्या (सवाब) है, तो उसके लिये 'कुरआ़-अन्दाज़ी' (चिठ्ठी डाल कर नाम निकालना-**Draw Lots**) करते और बग़ैर कुरआ़ डाले न पाते.'

हदीस

'इमाम अहमद और तिब्रानी हज़रत अबू अमामा रदीय्यल्लाहो तआ़ला

अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमातें हैं कि 'अल्लाह और उसके फरिश्ते सफे-अव्वल पर दरूद भेजते हैं.' लोगों ने अर्ज़ की; 'और दूसरी सफ पर ?' इरशाद फरमाया, 'अल्लाह और फरिश्ते पहली सफ पर दरूद भेजते हैं.' लोगों ने फिर अर्ज़ की ' और दूसरी सफ पर ?' फरमाया, 'और दूसरी सफ पर'

हदीस

'इमाम बुख़ारी और इमाम नसाई ने हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने इरशाद फरमाया 'अक़ीमू-सुफ़ुफकुम-व-तरासू-फ-इन्नी-अराकुम-मिंव-वराए-ज़हरी' (तर्जुमा / अनुवाद) 'अपनी सफें सीधी करो और एक दूसरे से खूब मिलकर खड़े हो, कि बे:शक! मैं! तुम्हें पीठ के पीछे से देखता हूं.'

(बहवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ्हा नं. ३१५)

हदीस

'इमाम अहमद, इमाम मुस्लिम, अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजाने हज़रत जाबिर इब्ने सुम्रा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने सहाब-ए-किराम (रदीयल्लहो तआ़ला अन्हुम) से इरशाद फरमाया कि; 'ऐसे सफ क्यूं नहीं बांधते जैसे मलाइका (फरिश्ते) अपने रब के सामने 'सफ-बस्ता' (क़तार बन्द-**Line up**) होते हैं. हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ! फरिश्ते अपने रब के हुज़ूर कैसी सफ बांधते हैं ? फरमाया; 'अगली सफ को पूरा करते हैं और सफ में खूब मिलकर खड़े होते हैं.'

हदीस

इमाम अहमद ने सहीह सनद के साथ हज़रत अबू अमामा बाहेली रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ; ' सफें खूब घनी (घट्ट, मिली हुई) रखो, जैसे रांग (सीसा-**Lead**) *से दरज़ें (तिराड़*-**Rent**) भर देते हैं कि 'फर्ज़ा' (ख़ाली जगह-**Fissure**) रहेता है, तो उसमें शैतान खडा होता है.' या'नी शैतान जब सफ में ख़ाली जगह पाता है, तो दिल में वस्वसा डालने के लिये सफ में आ घुसता है.

हदीस

'इमाम अहमद, अबू दाउद, तिब्रानी और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फारूक रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'सफें दुरूस्त करो कि तुम्हें तो फरिश्तों जैसी सफ बांधनी चाहिये और अपने शाने (कंधे-**Shoulder**) सब एक सीध (लाइन) में रखो और सफ के 'रख़ने' (तिराड-**Fracture**) बन्द करो और मुसलमानों के हाथों में नर्म (नम्र-**Soft**) हो जाओ और सफ में शैतान के लिये खिड़कियां (**Windows**) न छोड़ो और जो सफ को वस्ल (मिलाए-**Conjuction**) करे, अल्लाह उसे वस्ल करे और जो सफ को क़त्अ़ करे (काटे-**Cut off**) करे, अल्लाह उसे क़त्अ़ करे.'

मस्अला

'किसी भी सफ मे 'फर्ज़ा' (ख़ाली जगह) रखना मकरूहे-तहरीमी है. जब तक अगली सफ पूरी न कर लें, दूसरी सफ हरगिज़ न बांधे.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३१८)

मस्अला

'अगर पहली सफ में जगह ख़ाली है और लोगों ने पिछली सफ बांध कर नमाज़ शुरू कर दी है, तो पिछली सफ चीरकर भी अगली सफ में जाने की इजाज़त है. लिहाज़ा उस (पिछली) सफ को चीरता हुआ जाए और अगली सफ की ख़ाली जगह मे खड़ा हो जाए. ऐसा करने के लिये हदीस में आया है कि जो शख़्स सफ में कुशादगी देखकर उसे बन्द कर दे उसकी मग्फ़ेरत हो जाएगी.' (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३३)

मस्अला

'दूसरी सफ में कोई शख़्स निय्यत बांध चुका है और नमाज़ की निय्यत बांधने के बाद उसे पहली सफ में ख़ाली जगह नज़र आई, तो इजाज़त है कि ऐन नमाज़ की हालत में चले और जाकर ख़ाली जगह भर दे. येह थोड़ा चलना शरीअ़त का हुक्म मानने और शरीअ़त के हुक्म की बजा-आवरी (अमल करने) के लिये वाक़ेअ़ (Occuring) हुआ है. एक सफकी मिक़्दार (मात्रा) तक चल कर सफ की खाली जगह पुर करने (भरने) की शरीअ़त मे इजाज़त है. अलबत्ता अगर दो (२) सफ के फासले (अंतर-Distance) पर किसी सफ में जगह ख़ाली है तो नमाज़ की हालत में चलकर उसे बन्द करने (भरने) न जाए, क्योंकि येह चलना 'मशी-ए-कसीर' (ज़ियादा चलना-More walking) हो जाएगा और हालते-नमाज़ में दो (२) सफ के फासले जितना चलना मना हैं. '

(हुल्या शरहे मुन्या, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३१६)

मस्अला

'अगर किसी सफ मे आठ (८) नौ (९) बरस का या कोई नाबालिग़ (कम उम्र का-Tender Age) लड़का तन्हा खड़ा हो गया है या'नी मर्दों (पुख़्ता उम्र के-Adult) की सफ के बीचे में एक ना-बालिग लड़का खड़ा हो गया है, तो उसे हालते-नमाज़ में हटा कर दूर नहीं कर सकते. आज कल अकसर मस्जिदों में देखा गया है कि अगर मर्दों की सफ में कोई एक नाबालिग़ लड़का खड़ा हो गया है, तो उसे ऐन नमाज़ की हालत में पीछे की सफ में धकेल देते हैं और उसकी जगह खुद खड़े हो जाते हैं. येह सख़्त मना है. फतावा रज़्वीया में है कि;

'समजदार लड़का आठ-नौ बरस का जो नमाज़ खूब जानता है, अगर तन्हा हो तो उसे सफ से दूर या'नी बीच में फासला छोड़कर खड़ा करना मना है. 'फ-इन्नस्सलातस-सबिय्यील-मुमय्येज़िल-लज़ी-यअक़्लूस-सलाता-सहीहतन-क़तअ़न-व-क़द-अमरन-नबिय्यो सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लमा-बे-सद्दिल-फर्जे-वल-तरासे-फील-सुफूफे-व-नहा-अन-ख़िलाफेही-बे-नहयिश-शदीदे.' और येह भी कोई ज़रूरी अम्र नहीं कि वोह सफ में बायें ही हाथ खड़ा हो. ओ़लोमा उसे सफ में आने और मर्दों के दरमियान खड़ा होने की साफ इजाज़त देते हैं. दुर्रे मुख़्तार में है कि 'लव-वाहिदन-दख़लस-सफ़का'' मराकीयुल फलाह में है कि ''इल-लम-यकुन-जमअ़ा-मिनस-सिबयाने-यकू मुस्सबीय्यो-बयनररिजाले.''बा'ज़ बे-इलम जो येह ज़ुल्म करते हैं कि लड़का पहले से दाख़िले-नमाज़ है, अब येह आए तो उसे निय्यत बांधा हुआ हटा कर किनारे (एक साइड) कर देते हैं और खूद बीच में खड़े हो जाते हैं. येह महज़ (संपूर्ण स्वरूप-Entirely) जिहालत (अज्ञानता) है. इसी तरह येह ख़याल (मान्यता) भी ग़लत और ख़ता है कि लड़का बराबरा (पास में) खड़ा हो तो मर्द की नमाज़ नहीं होती, इस मान्यता की भी कोई अस्ल (हक़ीक़त) नहीं.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३१८ और ३८१)

नोट :

'येह मस्अला उस सूरत (परिस्थिति-Circumstances) में है कि मर्दों की सफ में नाबालिग़ लड़का आ गया हो, लैकिन पहले से सफों को तरतीब देते वक़्त मर्दों की सफें मुक़द्दम (आगे) रखें और बच्चों की सफें मर्दों की सफों के पीछे रखें. सफों की तरतीब (व्यवस्था-Arrangement) देते वक़्त मर्दों और बच्चों को एक सफ में खड़ा नहीं होना चाहिये.

मस्अला

'सफ़ 'क़तअ' करना (तोडना/काटना) हराम है. हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, **'मन-क़तआ़-सफ़्फ़न-क़तअ़हु-ल्लाहो'** (तर्जुमा/अनुवाद) **'जो सफ को क़तअ़ करे उसे अल्लाह क़तअ़ करे.'** वहाबी, नजदी, ग़ैर मुक़ल्लिद, राफज़ी वग़ैरह अगर सफ के दरमियान खड़ा हो गया, तो उसके खड़े होने से 'फस्ल' (जुदाई-Sepration) लाज़िम आएगा और सफ क़तअ़ होगी.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७४ और २६४)

मस्अला

'महोल्ले की मस्जिद में महोल्ले वालों ने अज़ान और इक़ामत के साथ सुन्नी, सहीहुल अक़ीदा, मुत्तकी, मसाइल दां (जानने वाला) और सहीह ख़्वां (सहीह क़िरअ़त करने वाला) इमाम के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ ली, फिर कुछ लोग आए और वोह जमाअ़त के साथ

नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो बे-एआ़द-ए-अज़ान (या'नी दूसरी अज़ान दिये बग़ैर) जमाअ़ते-सानिया (दूसरी जमाअ़त) बिल इत्तेफाक़ (सर्व संमति से-Equally) मुबाह है. और जमाअ़ते-सानिया सिर्फ इक़ामत से क़ाइम करें और इमाम मेहराब से हट कर दायें या बायें खड़ा हो. इन शराइत (शर्तों-Conditions) के साथ महोल्ले की मस्जिद में जमाअ़ते-सानिया बिला किराहत जाइज़ है.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा-१३० और फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३४४, ३५७, ३७२, ३८०)

मस्अला

'जदीद (नई-Fresh) अज़ान के साथ महोल्ले की मस्जिद में जमाअ़ते-सानिया क़ाइम करना मकरूहे-तहरीमी है और जमाअ़ते-सानिया के इमाम को जमाअ़ते-उला (पहली जमाअ़त) के मेहराब में खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ीही है.' (फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७९)

मस्अला

'जो मस्जिद शारेअ़ (शाह राह -Highway-मुख्य मार्ग) या बाज़ार या मुसाफिर ख़ाना या स्टेशन की हो, कि जिस में कोई इमाम 'मुतअय्यन' (नियुक्त-Fixed) नहीं होता, बल्कि जो भी गिरोह आया उसको किसी न किसी इमाम ने नमाज़ पढ़ा दी, ऐसी मस्जिद में जो लोग नौबत-ब-नौबत (बारी-बारी, यके बाद दीगरे-Inturn) आऐंगे, वोह नई अज़ान और इक़ामत के साथ और मेहराब में इमाम खड़ा होकर, जमाअ़त से जितनी मरतबा भी नमाज़ पढेंगे, वोह तमाम (समग्र-All) की तमाम जमाअ़तें जमाअ़ते-उला हैं, अगरचे दस (१०) बीस (२०) जमाअ़तें हो जाए, बल्कि ऐसी मस्जिद में हर जमाअ़त के लिये

जदीद (नई)अज़ान और जदीद इक़ामत शरअ़न (मत्लूब) (इच्छनीय-Require) है.'

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १३० और फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३४०/३८०)

मस्अला

'मग़रिब की नमाज़ के इलावा बाक़ी नमाज़ों में अज़ान और जमाअ़त के दरमियान 'ब:हालते-वुस्अत' या'नी वक़्त में गुंजाइश (या'नी समय में अवकाश) है, तो अज़ान और जमाअ़त के दरमियान इतना वक़्फ़ा होना सुन्नत है कि खाना खाने वाला खाने (भोजन-Eating) से फ़ारिग हो जाए और जिसे 'क़ज़ा-ए-हाजत' (क़ुदरती हाजत-Natural Call) की ज़रूरत हो, वोह क़ज़ा-ए-हाजत से फ़राग़त पाकर तहारत और वुज़ू करके जमाअ़त में शामिल हो सके.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७२)

मस्अला

'किसी ने फर्ज़ पढ़ लिये हैं और मस्जिद में जमाअ़त हुई, तो ज़ोहर और इशा की नमाज़ की जमाअ़त में ज़रूर शरीक हो जाए. अगर वोह तकबीर या'नी इक़ामत सुन कर बाहर चला गया या वहीं बैठा रहा और जमाअ़त में शरीक न हुआ तो मुब्तिला-ए-किराहत और जमाअ़त तर्क करने की तोहमत में मुब्तिला (फसना-Involve) हुआ, लैकिन फज्र, अस्र और मगरिब में शरीक न हो, क्यूंकि फज्र और अस्र के बाद नफ्ल मकरूह और मना है. मग़रिब में तीन (३) रकअ़तें होने की वजह से शरीक न हो, अगर मग़रिब की जमाअ़त में नफल की निय्यत से शरीक हुआ और चौथी रकअ़त मिलाई तो इमाम की मुख़ालेफत की किराहत लाज़िम आएगी और अगर वैसे ही बैठा रहा, तो मज़ीद (विशेष) किराहत होगी, लिहाज़ा फज्र, अस्र

और मग़रिब के वक़्त बाहर चला जाए.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३८३/६१३)

मस्अला

'जिस शख़्स ने ज़ोहर और इशा की नमाज़ जमाअ़त के साथ पढ़ ली हो, फिर दूसरी जमाअ़त क़ाइम हो, तो नफ़्ल की निय्यत से जमाअ़त में शामिल हो जाए, और अगर दोबारा भी फर्ज़ की निय्यत से शामिल हुआ, जब भी नफ़्ल अदा होंगे, क्योंकि फर्ज़ की तकरार (पुनरावर्तन-Repetition) नहीं हो सकती. और हदीस शरीफ में है कि ''ला-युसल्ली-बा'दा-सलातिन-मिस्लहा'' (अनुवाद) ''नमाज़ (फर्ज़) के बाद उसके मिस्ल न पढ़ा जाए.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४५२)

मस्अला

'अगर किसी ने तन्हा (अकेले) फर्ज़ शुरू कर दिये और उसके फर्ज़ शुरू करने के बाद जमाअ़त क़ाइम हुई, तो अगर तन्हा पढ़ने वाले ने पहली रकअ़त का सजदा न किया हो, तो उसे शरीअ़ते-मुताहहरा हुक्म फरमाती है कि निय्यत तोड़ दे और जमाअ़त में शामिल हो जाए, बल्कि यहां तक हुक्म है कि मग़रिब और फज्र में तो जब तक दूसरी रकअ़त का सजदा न किया हो, तो निय्यत तोड़ कर जमाअ़त में मिल जाए और बाक़ी तीन (३) नमाज़ों या'नी ज़ोहर, अस्र और इशा में अगर दो (२) रकअ़त भी पढ़ चुका हो, तो उन्हें नफ़्ल ठहेरा कर जब तक तीसरी (३) रकअ़त का सजदा न किया हो, निय्यत तोड़कर जमाअ़त में शरीक हो जाए.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३८३)

मस्अला

''नमाज़े-पंजगाना (पांच वक़्त) और जुम्आ़ की नमाज़ के लिये अज़ान सुन्नते-मोअक्केदा और क़रीबुल-वुजूब (वाजिब के समीप) है और यूंही इक़ामत या'नी तकबीर देना भी.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा ४२०)

मस्अला

''मस्जिद में पांचों (५) वक़्त जमाअ़त से पहले अज़ान देना सुन्नते-मोअक्केदा और क़रीबुल वुजूब है और उसको छोड़ना बहुत बुरा है. यहां तक कि हज़रत इमाम मुहम्मद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने फरमाया कि; ''अगर किसी शहर के लोग अज़ान देना छोड़ दें, तो मैं उन पर जेहाद करूंगा.''

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हों ने फरमाया कि महोल्ले की अज़ान हमें 'किफायत' (Sufficience) करती है.

मुसाफिर को तर्के अज़ान की इजाज़त है, लेकिन अगर इक़ामत भी तर्क करेगा, तो मकरूह है.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ४२४)

मस्अला

''इक़ामत (तकबीर) खड़े होकर सुनना मकरूह है. यहां तक कि ओ़लोमा-ए-दीन ने फरमाय है कि अगर इक़ामत (तकबीर) हो रही हो और उस वक़्त कोई शख़्स मस्जिद में आया, तो वोह जहां हो वहीं बैठ जाए और जब मुकब्बिर या'नी तकबीर कहनेवाला 'हय्या-अलल-फलाह' पर पहुंचे, उस वक़्त सब मुक़्तदीयों के साथ खड़ा हो जाए.'

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ४१९)

प्रकरण (१३) 'इमामत के मसाइल'

◆ 'इमामत की दो (२) क़िस्में (प्रकार) हैं.

१. इमामते कुब्रा (बड़ी इमामत)

२. इमामते सुग्रा (छोटी इमामत)

◆ 'इमामते-कुब्रा या'नी हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की 'नियाबते-मुत्लक़ा' (विशाल प्रतिनिधित्व-Vicegerency) कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की नियाबत की वजह से वोह इमाम मुसलमानों के तमाम दीनी और दुन्यवी उमूर (कामों-Matters) में शरीअ़त के मुताबिक़ (अनुसरण-Confirmity) ''तसर्रूफे-आ़म' (अमर्यादित सत्ता-Unlimited Power) का इख़्तियार (अधिकार) रखे और ग़ैर मा़सियत (निष्पाप-Sinless) बाबतों में उसकी इताअ़त (आज्ञा पालन-Obediance) तमाम जहां (विश्व-World) के मुसलमानों पर फर्ज़ है. जैसे कि ख़ोलोफा-ए-राशेदीन, हज़रत सय्येदुना इमाम हसन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह और हज़रत इमाम मेहदी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हुम.'

◆ ''इस वक़्त हम इमामते कुब्रा के मुतअ़ल्लिक कुछ भी बयान (वर्णन) नहीं करते बल्कि इमामते-सुग्रा के मुतअ़ल्लिक गुफतगु(चर्चा)करते हैं.'

◆ ''इमामते-सुग्रा या'नी नमाज़ की इमामत. और नमाज़ की इमामत का मतलब येह है कि दूसरों (अन्य लोगों) की नमाज़ों का उसकी नमाज़ से वाबस्ता (संलग्नित-Fastened) होना या'नी इमाम अपनी नमाज़ पढ़ने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी नमाज़ पढ़ाए.'

◆ 'मर्दों की इमामत करने के लिये इमाम होने के लिये छे: (६) शर्तें हैं.

१. इस्लाम या'नी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होना, मुर्तद, मुनाफिक और बदमज़हब शख़्स इमाम नहीं हो सकता.

२. बुलूग़ या'नी बालिग़ (पुख़्ता उम्र-Adult) होना. ना-बालिग़ (सगीर उम्र -Tender Age)इमामत नहीं कर सकता.

३. आक़िल होना या'नी उसकी अ़क़्ल सलामत हो, मजनून या पागल शख़्स इमाम बनने की सलाहियत (योग्यता-Qualification) नहीं रखता.

४. मर्द होना, औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सक्ती.

५. क़िरअ़त करने पर कुदरत (शक्तिमान) होना.

६. मा'ज़ूर न होना (या'नी शारीरिक खोड़ वाला, अपंग-Physically Handicapped) न हो.

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१०९)

◆ ''औरतों (स्त्रियों) की इमामत करने के लिये मर्द होना शर्त नहीं. औरत भी औरतों की इमामत कर सकती है, अगरचे उसकी इमामत मकरूह है.'

(हवाला : सदर/Ditto)

◆ ''ना-बालिग़ों के इमाम के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं. अगर कोई समज़दार ना-बालिग़ तहारत, नमाज़ और इमामत के मसाइल से वाक़फीयत (जानकारी) रखता है, तो वोह ना-बालिग़ों की इमामत कर सकता है.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-११०, रद्दुल मोहतार)

इमामत के मुतअ़ल्लिक अहादीसे-करीमा

हदीस

''तिब्रानी ने मोअ़ज़मे-कबीर में हज़रत मरषद बिन अबी मरषद अल गनवी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो

तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'अगर तुम्हें अपनी नमाज़ों का क़बूल होना पसन्द हो, तो चाहिये कि तुम्हारे औलोमा तुम्हारी इमामत करें कि वोह तुम्हारे वास्ता (मध्यस्थी-**Mediator**) *और सफीर (एलची-***Envoy***) हैं, तुम्हारे और तुम्हारे रब तबारक व तआ़ला के दरमियान.''*

(बः हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९५)

ह़दीस़

'हाकिम ने 'मुस्तदरक' में रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'अगर तुम्हें खुश आए कि खुदा तुम्हारी नमाज़ क़ुबूल फरमाए, तो चाहिये कि तुम्हारे बेहतर (उत्तम) तुम्हारी इमामत करें कि वोह तुम्हारे सफीर हैं, तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान.''

(बः हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७२)

ह़दीस़

'इमाम अहमद और इब्ने माजा हज़रत सल्मा बिन्ते अल-हिर्र रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हा से रावी कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'क़यामत की अ़लामत (निशानी) से है कि एहले-मस्जिद आपस में इमामत को एक दूसरे पर डालेंगे, मगर किसी को इमाम नहीं पाऐंगे कि उनको नमाज़ पढ़ा दे.' (या'नी किसी में भी इमामत की सलाहियत न होगी कि वोह इमामत कर सके.)

ह़दीस़

'इमाम तिरमीज़ी हज़रत अबू उमामा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि; 'तीन शख़्सों की नमाज़ कानों (कान-**Ear**) से आगे नहीं बढ़ती. (१) भागा हुआ गुलाम यहां तक कि वापस आए. (२) वोह औरत जो इस हालत में रात गुज़ारे कि उसका शौहर (पति- **Husband**) *उस पर नाराज़ हो. (३) किसी गिरोह (समुदाय) का वोह इमाम कि लोग उसकी इमामत से किराहत (घृणा-***Abhor***) करते हों.' (या'नी किसी शरई क़बाहत की वजह से)*

ह़दीस़

'इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम वग़ैरह ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ' जब कोई औरों (दूसरों) को नमाज़ पढ़ाए, तो तख़फीफ करे (या'नी नमाज़ बहुत लम्बी न पढ़ाए) कि उन में बीमार, कमज़ोर और बूढ़ा होता है और जब अपनी पढ़े, तो जिस क़दर चाहे 'तूल' दे.' (या'नी जब अकैला नमाज़ पढ़े तब जितनी चाहे उत्नी लम्बी पढ़े.)

ह़दीस़

'इमाम मालिक हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जो मुक़्तदी इमाम से पहले अपना सर उठाता और झुकाता है, उसकी पैशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं.'

हदीस

'इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ' जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है, क्या वोह इस से नहीं डरता कि अल्लाह तआ़ला उसका सर गध्धे (गधेडुं-**Donkey**) का सर कर दे.

इबरतनाक और अजीब वाकेआ

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) हदीस के ज़िम्न (अनुसंधान) में मुहद्देसीन-किराम से मन्कूल है कि हदीस की आधारभूत किताब 'मुस्लिम-शरीफ' के शारेह (विवरण कर्ता-Explainator) इमामे-अजल हज़रत अबू ज़करीया नूववी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो हदीस की समाअ़त (श्रोत शिक्षण-Hearing) के लिये एक बहुत बडे मोहद्दिस के पास 'दमिश्क' (Damascus-Syria) गए, और उनके पास रहेकर उन से बहुत कुछ पढ़ा, लैकिन वोह मुहद्दिस साहब अपने चेहरे पर पर्दा डाल कर पढ़ाते थे. इमाम नूववी ने एक अरसा (ज़माना-Era) तक उनसे ता'लीम (शिक्षण) हासिल की, लैकिन कभी भी उनका चेहरा देखने का इत्तेफाक न हुआ. जब एक अरसा गुज़रा और उस मुहद्दिस ने देखा कि इमाम नूववी में वाक़ई (सचमुच-Properly) इल्मे-हदीस की सच्ची तलब है, तो एक दिन उसने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया, जब पर्दा हटा तो .... ? इमाम नूववी ने देखा कि;

'उस मुहद्दिस का चेहरा गध्धे जैसा है ! ! ! मुहद्दिस साहब ने इमाम

*नूववी से कहा कि ए साहबज़ादे, नमाज़ में इमाम से सबक़त (आगे बढ़ना-*Surpass) करने से डरो, क्योंकि जब येह हदीस मुज़ को पहूंची, तो मैंने इसे मुस्ता'बद (दूरस्थ-कमज़ोर-Remotest) जाना या'नी मैंने येह गुमान किया कि इमाम पर सबक़त करने से गध्धे जैसा मुंह हो जाना किस तरह मुम्किन है ? लिहाज़ा मैंने इमाम पर क़स्दन (जान बूज़कर) सबक़त की, तो मेरा चेहरा एसा हो गया, जो तुम देख रहे हो.'

इस वाक़ेआ़ से हमें इब्रत (बोध पाठ) लेना चाहिये और नमाज़ में इमाम से पहले रूकूअ़ और सजदा में सर उठाने-झुकाने से बचना चाहिये.'

इमामत के मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी मसाइल

मसअला

'इमामत का सबसे ज़ियादा हक़दार वोह शख़्स है जो तहारत और नमाज़ के एहकाम (नियम-Law) सब से ज़ियादा जानता हो, अगरचे बाक़ी उलूम में पूरी महारत (कुशाग्रता-Acuteness) न रखता हो, ब:शर्ते उसे इतना कुरआन याद हो कि सुन्नत तरीक़े से और सहीह पढ़ता हो या'नी हुरूफ (अक्षरों) को उनके मख़ारिज (उच्चारण स्थान-Utterrance Place) से सहीह तौर पर अदा करता हो, और मज़हब व अक़ीदे की ख़राबी न रखता हो, और फ्वाहिश (धृणास्पद-Abominable) और शरीअ़त के ख़िलाफ कामों के इरतेकाब (आचरण-Perpetratoin) से बचता हो. उसके बाद वोह शख़्स इमामत का ज़ियादा हक़दार है जो तजवीद या'नी किरअ़त के नियमों का ज़ियादा इल्म रखता हो.''

(दुर्रे मुख़ार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ११५)

मस्अला

'अगर चन्द अश्ख़ास (व्यक्तिओ) तहारत के मसाइल, नमाज़ की मा'लूमात और तजवीद की महारत मे यकसां (समान-Similar) हों, तो वोह शख़्स इमामत का ज़ियादा हकदार है;

- जो, ज़ियादा मुत्तक़ी (परहेज़गार) हो, या'नी हराम तो हराम बल्कि शुब्हात (शक के क़ाबिल बातों) से भी बचता हो.

फिर;

- जो उम्र (आयु-Age) मे ज़ियादा हो, या'नी जिसको इस्लाम मे ज़ियादा ज़माना (समय) गुज़रा.

फिर;

- वोह, जिसके अख़्लाक (वर्तुणक-Behaviour) ज़ियादा अच्छे हो.

फिर;

- जो, ज़ियादा वजाहत (तेजस्वी मुखावृति-Luminous Face) वाला या'नी तहज्जुद गुज़ार या'नी नियमित तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला हो, क्योंकि तहज्जुद की कसरत (ज्यादती) से आदमी का चेहरा ज़ियादा खूबसूरत होता है.

फिर;

- ज़ियादा खूबसूरत (सौंदर्यवान-Handsome)

फिर;

- ज़ियादा हसब (उच्च कुटुम्ब-Nibility) वाला या'नी ख़ानदान के सिलसिले मे जिस को शरफ (आदर-Honour) हासिल हो.

फिर;

- ज़ियादा नसब (वंशावली-Pedigree) वाला या'नी ख़ानदानी सिलसिले की शराफत में जिस का घराना (परिवार-Family) ज़ियादा मुअ़ज़्ज़ (गौरवशाली-Exalted) और शरीफ (उच्च

पद धारी-Noble) हो.

फिर;

- ज़ियादा साहिबे-माल (धनवान-Rich) क्योंकि उसे किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ती और अहेकामे-शरीअ़त की बजा आवरी में वोह किसी से मरउब और ख़ाइफ (भयभीत-Tarrified) नहीं होगा, जबकि 'फकीदुल-माल' (ग़रीब, निर्धन-Poor) शख़्स दब और डर जाता है.

फिर;

- ज़ियादा इज़्ज़त वाला या'नी उसकी दयानतदारी (प्रमाणिकता-Honesty) और पुरख़ुलुस (निःस्वार्थ) ख़िदमात और दीगर अख़्लाकी महासिन (संस्कार के सदगुण) की वजह से क़ौम उसको इज़्ज़त की नज़र से देखती हो और इज़्ज़त करती हो.

फिर;

- जिसके कपड़े (लिबास/पहरवेश) ज़ियादा सुथरे हों, या'नी जो ज़ियादा साफ और सुथरा (स्वच्छ, सुघड़-Neat and Clean)रहेता हो.

अल गर्ज़ ! अगर चन्द अश्ख़ास (व्यक्तिओ) मसावी सलाहियत (समान योग्यता) के हों तो उनमें से जो शरई तरजीह (अग्रता-Priority) रखता हो, वोह इमामत का ज़ियादा हक़दार है. और अगर तरजीह न हो तो 'कुरआ' (चिठ्ठी-Draw) डाला जाए और जिसके नाम का कुरआ़ निकले, वोह इमामत करे या उनमें से जिस को जमाअ़त मुन्तख़ब (चुने-Select) करे वोह इमाम बने. और अगर जमाअ़त में इख़्तिलाफ हो, तो जिस तरफ ज़ियादा लोग हों, वोह इमाम हो. और अगर जमाअ़त ने 'गै़र-अ़वला' (जो उत्तम न हो) शख़्स को इमाम बनाया तो बुरा किया, मगर गुनाहगार न हुए.

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-११५)

मस्अला

'इमाम ऐसे शख़्स को बनाया जाए, जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, सहीहुल क़िरअत और मसाइले-तहारत व नमाज़ से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो और उसमें फिस्क़ (अश्लीलता-Obscenity) वग़ैरह कोई ऐसी क़बाहत (दुष्टता-Villany) न हो कि जिस से मुक़्तदीयों को नफ़्रत हो.'

(फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २६४)

मस्अला

" जमाअ़त में सबसे ज़ियादा मुस्तहिक़्के-इमामत वही है जो उनमें सबसे ज़ियादा मसाइले-नमाज़ व तहारत जानता है, अगरचे दीगर (अन्य) मसाइल मे ब:निस्बत दूसरों से कम इल्म हो, मगर शर्त येह है कि फ़ासिक़ और बदमज़हब न हो. और कुरआ़न मजीद पढ़ने में हुरूफ इतने सहीह अदा करे कि नमाज़ में फ़साद (बिगाड़/विनाश-Ruin) न आने पाए. और अगर हुरूफ ऐसे ग़लत अदा किए कि नमाज़ फ़ासिद होती है, तो उसकी इमामत जाइज़ नहीं अगरचे आ़लिम हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, काफी, बहरूर राइक़, रद्दुल मोहतार, फ़तावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १४८)

मस्अला

'जिस मस्जिद में सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम मुतअ़य्यन (नियुक्त-Fixed) हो, वही इमाम इमामत का हक़दार है, अगरचे हाज़ेरीन में से कोई उससे ज़ियादा इल्म वाला और ज़ियादा तजवीद जानने वाला हो.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा-११५)

मस्अला

"अगर मस्जिद के मुअ़य्यन इमाम में फसाद की हद तक ग़लत कुरआन पढ़ना या बदमज़हबी मिस्ल वहाबियत या ग़ैर मुक़ल्लिदीयत

का होना, या फिस्के-ज़ाहिरी जैसा कोई ख़लल (नुक़सान-Prejudice) ऐसा न हो कि जिसकी वजह से उसे इमाम बनाना शरअ़न ममनूअ़ हो, तो उस मस्जिद की इमामत का हक़दार वही है. उस मुअ़य्यन इमाम के होते हुए दूसरे को अगरचे वोह मुअ़य्यन इमाम से ज़ियादा इल्मो-फज़्ल रखता हो, उसे मस्जिद के मुअय्यन इमाम की रज़ा के बग़ैर इमाम बनाना शरअ़न ना-पसन्दीदा और ख़िलाफे-हुक्मे-हदीस और ख़िलाफे-हुक्मे-फिक़्ह है."

(रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १५०/१९८)

मस्अला

"किसी शख़्स की इमामत से लोग किसी शरई वजह से नाराज़ हों, तो उसको इमाम बनना मकरूहे-तहरीमी है और अगर नाराज़गी किसी शरई वजह से नहीं बल्कि ज़ाती मफ़ाद (फ़ायदे) या किसी ग़ैर शरई रंजिश (दुख) की वजह से है, तो किराहत नहीं, बल्कि अगर वही 'अहक़' (ज़ियादा हक़दार) हो, तो उसी को इमाम बनाना चाहिये."

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा-११६)

मस्अला

"इमाम को चाहिये कि जमाअ़त की रिआ़यत (लिहाज़-Attentiveness) करे और सुन्नत की मिक़्दार (मात्रा) से ज़ियादा क़िरअ़त न करे."

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ़हा-११६)

मस्अला

"नफ़्ल नमाज़ पढ़ने वाला फर्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता है, अगरचे येह फर्ज़ नमाज़ पढ़ने वाला फर्ज़ की पिछली रकअ़तों की क़िरअत न करे या'नी सिर्फ सूर-ए-फ़ातेहा पढ़े.' (हवाला : सदर-Ditto)

अफआले-क़बीहा (धृणास्पद कार्य) करने वाले की इमामत

मस्अला

'सूद ख़्वार, (व्याज -Interest खाने वाला) फासिक है और फासिक के पीछे नमाज़ नाक़िस (अधूरी) और मकरूहे-तहरीमी है. अगर सूद-ख़्वार के पीछे नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ का एआदा वाजिब है. सूद ख़्वार शख़्स को हरगिज़ इमाम नहीं बनाना चाहिये.''

(मुराक़ीयुल फलाह, दुर्रे मुख़्तार, तहतावी, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १५१)

मस्अला

''बे-उज़्रे-शरई रोज़ा न रखने वाला फासिक है और उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते.' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १५८/२५७)

मस्अला

''झूठ बोलकर लोगों को धोका (ठगाई-Fraud) देने वाला या झूठ बोलकर लोगों से माल वसूल (बटोरना-Collect) करने वाला फासिक़ है. ऐसे शख़्स को इमाम नहीं बनाना चाहिये, बल्कि इमामत से ''मा'ज़ूल'' (पदभ्रष्ट-Dis-miss) कर देना चाहिये.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा २०४)

मस्अला

'फहश (अश्लील-Ribald) गालियां बकने वाला, मस्ख़रा (विदूषक-Buffoon) गाली के साथ मज़ाक (मश्करी) करने वाला, नाच देखने वाला और सूद (व्याज) का कारोबार करने वाला शख़्स हरगिज़ इमामत के लाइक़

(योग्य) नहीं. ऐसे शख़्स को इमाम बनाना गुनाह और उसकी इक़्तिदा में पढ़ी हुई नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआदा है.'' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २०८, २१७,२५५,२६९)

मस्अला

''नुजूमी (ज्योतिष शास्त्री-Astrologer) रम्माल (भविष्य वेता-Fore Teller) और झूठे फाल (शकुन-Augury) देखने वाला शख़्स भी इमामत के क़ाबिल नहीं.'' (फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २६६)

मस्अला

''बद-मज़्हबों के वहां ऐलानिया (खुल्लम-खुल्ला) खाना खाने वाला और बद-मज़्हबों से मैल-जोल रखने वाला फासिके-मोअ्लिन है और इमामत के क़ाबिल (लाइक) नहीं.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २६९)

मस्अला

''शबाना-रोज़ (रात-दिन) में कुल बारह (१२) रकअ़तें सुन्नते-मोअक्केदा हैं. दो (२) सुब्ह फज्र से पहले, चार(४) ज़ोहर से पहले और दो (२) बाद में, मग़रिब के बाद दो (२), और इशा के बाद दो (२). जो शख़्स इन में से किसी को एक आध बार तर्क करे, मलामत (डांट-Rebuke) और इताब (क्रोध-Anger) का हक़दार है और जो इन बारह रकअ़तों में से किसी को छोड़ देने (तर्क) का आदी (व्यसनी-Addicted) है, वोह गुनाहगार, फासिक़ और मुस्तवजिबे-अज़ाब (शिक्षा के पात्र-Worthy for Punishment) है. और फासिके-मोअ्लिन के पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी और उसको इमाम बनाना गुनाह है.'' (गुन्या, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २०१)

मस्अला

'फासिक़ इमाम के पीछे नमाज़ मकरूह है अगर वोह फासिके-मो'लिन न हो, या'नी वोह गुनाह छुपकर करता हो और उसका वोह गुनाह मशहूरो-

मा'रूफ (Famous) न हो, तो उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तन्ज़ीही है. और अगर फासिके-मो'लिन है कि ऐलानिया तौर पर (ज़ाहिर में) गुनाहे कबीरा का इरतेकाब (आचरण) करता हो, या सग़ीरा गुनाह पर इस्रार (आग्रह-Perservere) करता हो, तो उसे इमाम बनाना गुनाह और अगर पढ़ ली हो तो फैरना वाजिब है या'नी उस नमाज़ को अज़ सरे नौ दोबारा पढ़ना वाजिब है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २५३)

मस्अला

''अगर इमाम ऐलानिया फिस्क़ो-फुजूर (गुनाह के काम) करता हो और दूसरा कोई शख़्स इमामत के क़ाबिल न मिल सके, तो तन्हा नमाज़ पढ़े और इमाम अगर कोई गुनाह छुपाकर करता हो, तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें और उसके (छुपे) फिस्क़ के सबब जमाअ़त न छोड़ें.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २५३)

मस्अला

''जो दाढ़ी (Beard) मुंडाता (सफाचट-Clean Shave करता) हो या दाढ़ी हद्दे-शरअ़ (एक मुठ्ठी) से कम रखता हो या'नी ख़सख़सी दाढी़ रखता हो, वोह फासिके-मो'लिन है. उसे इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है और फैरना वाजिब है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २१५,२१९,२५५)

मस्अला

''अगर कोई इमाम किसी गुनाहे-कबीरा में मुब्तिला रहेता हो और फिर गुनाह से बाज़ आकर सच्ची तौबा करे और तौबा पर काइम रहे, तो सच्ची तौबा के बाद गुनाह बिल्कुल नहीं रहते. तौबा के बाद उसकी इमामत में अस्लन (सदंतर) कोई हर्ज़ नहीं और तौबा के बाद उसपर गुनाह का ए'तराज़ (विरोध,

द्वेष-Animus) जाइज़ नहीं. हदीस शरीफ में है कि नबी-ए-करीम, रउफो-रहीम आक़ा सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि ''इरा-अख़ाहु-बे-ज़म्बिन-ताबा-मिन्हो-लम-यमुत-हत्ता-या'मलहु'' (तर्जुमा/अनुवाद) ''जो अपने किसी मो'मिन भाई को ऐसे गुनाह से ऐब (कलंक लगाना-**Blemish**) लगाए, जिस से तौबा कर चुका है, तो येह ऐब लगाने वाला उस वक़्त तक न मरेगा, जब तक ख़ुद उस गुनाह में मुब्तिला न हो जाए.''

इस हदीस को इमाम तिरमीज़ी ने रिवायत किया है और हज़रत मआज़ बिन जबल रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने इस हदीस को 'हसन' फरमाया है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २२५)

मा'ज़ूर (अपंग) और मुब्तिला-ए-मरज़ (रोगी) की इमामत के अहकाम

मस्अला

'अंधा (Blind) शख़्स अगर तमाम हाज़ेरीन (उपस्थित) में सबसे ज़ियादा मसाइले-नमाज़ का जानने वाला हो और उसके सिवा दूसरा कोई सहीहुल अक़ीदा, सहीहुल क़िरअ़त और ग़ैर फासिके-मो'लिन शख़्स हाज़िरे जमाअ़त न हो और वोह अन्धा ही सबसे ज़ियादा इल्मे-नमाज़ व इल्मे-तहारत रखता हो, तो उसी की इमामत अफज़ल (उत्तम) है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २०७)

मस्अला

''ऐसा मब्रूस (कोढ़, रक्तपित-Leprosy का रोगी) जिस को सफेद कोढ़ हो और उसका तमाम जिस्म बर्स (कोढ़) की वजह से सफेद हो गया हो,

ऐसे बर्स वाले (कोढ़ी) इमाम की इक़्तेदा में नमाज़ मकरूह है.''

(दुर्रे मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १७८)

मस्अला

'ऐसा शख़्स जिसको जुज़ाम (काला कोढ़-Black Leprosy) का मरज़ (रोग) हो और जुज़ाम टपकता हो, तो अगर वोह मा'ज़ूर की हद तक पहोंच गया हो, तो उस के पीछे सिर्फ ऐसी ही बिमारी वाले की जो उसी जैसी हालत रखता हो नमाज़ हो जाएगी, बाकी लोगों की नमाज़ उस जुज़ामी (कोढ़ी) के पीछे नहीं हो सकती.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २१५)

मस्अला

''तोतला (तोतड़ा-Atracia) या'नी वोह शख़्स कि जिसकी ज़बान मोटी (स्थुल-Thick) होने की वजह से अल्फ़ाज़ साफ न निकलते हों, उसके पीछे नमाज़ बातिल (अर्थहीन-Absurd) है.'' (फ़तावा ख़ैरिया, अज़ : अल्लामा खैरूद्दीन रमली और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १७५)

नोट :

''तोतला जब बात करता है या कुछ पढ़ता है तब कुछ का कुछ बोलता है और सहीह हर्फ उसकी ज़बान से नहीं निकलता, मस्लन ''त'' को ''ट'' बोलता है जब 'तब्बत-यदा-अबी-लहबिंव-व-तब'' पढ़ेगा तब 'टब्बट-यडा-अबी-लहबिंव-व-टब'' पढ़ेगा, या'नी हर्फे ''द'' को भी ''ड'' पढ़ेगा, इसी तरह बहोत से हुरूफ ग़लत पढ़ेगा.''

मस्अला

'' हकला (बोबड़ा-Stutterer) या'नी जिसकी ज़बान में लुकनत (अटक जाना) होती है और वोह रूक रूक कर बोलता है. ऐसे शख़्स की इमामत के मुतअ़ल्लिक शरीअ़त में हस्बे-ज़ैल तीन (३) हुक्म हैं.

(१) ''ऐसा हकला कि बोलते वक़्त उसके मुंह से चन्द मुअ़य्यन अल्फ़ाज़ (निश्चित शब्द) बे-इख़्तियार (बिना अंकुश) निकल जाते हैं, मस्लन ◆ क....क....क.....क.... ◆ प.....प.....प...... ◆ ब.....ब.....ब......वग़ैरह. और वोह बोलने में या कुछ पढ़ने में जहां रूकता है और रूकने के बाद फिर जब बोलता है, तब उन्हीं हुरूफ की तकरार (पुनरावर्तन-Repeatation) करता है, या घबरा कर 'ओं....ओं......' करने लगता है. उसके पीछे नमाज़ फासिद होने में कोई शक नहीं.''

(२) ''ऐसा हकला कि वोह जिस कल्मा (वाक्य-Setence) पर रूकता है और फिर बोलता है, उस जुम्ले (वाक्य) के पहले हर्फ को दोहराता है. इस सूरत में अगरचे वोह ''ओं.....ओं.....'' या ''च...च...च..'' या ''क....क....क....'' जैसा कोई हर्फे ख़ारिज नहीं बोलता, बल्कि जो जुम्ला/कल्मा बोलना चाहता है उस जुम्ले के पहले हर्फ या जुज़ (टुकडे-Part) को मुकर्रर (फिर से-Repeated) अदा करता है, मस्लन 'क़ासिम' बोलते वक़्त 'क़....क़....क़...क़ासिम.' इस तरह बोलता है और नमाज़ में इस तरह मुकर्रर (Repeated) हुरूफ की तकरार लग़्व (अर्थहीन-Absurd), मोहमल (महत्त्वहीन-Worthless) और 'ख़ारिज-अनिल-कुरआन' (कुरआन से बाह्य-External) होने की वजह से उस हकले शख़्स की क़िरअ़त मे बे-इख़्तियार ज़ाइद (अनावश्यक-Redundant) हुरूफ (अक्षर) आ जाते हैं, लिहाज़ा ऐसे हकले शख़्स के पीछे भी नमाज़ फासिद है या'नी उसके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती.''

(३) ''ऐसा हकला शख़्स कि जो हकलाते वक़्त अपने मुंह से कोई हर्फे-ग़ैर या

ज़ाइद नहीं निकालता, न ही किसी हर्फ की तकरार करता है, बल्कि बोलते-बोलते सिर्फ रूक (ठहेर) जाता है और फिर जब बोलता है, तो हुरूफ ठीक अदा करता है, ऐसे शख़्स की इक़्तेदा में नमाज़ दुरूस्त है.''

संदर्भ : ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ रद्दुल मोहतार ◆ नूरूल इज़ाह ◆ गुन्या शरहे मुन्या ◆ मुराक़ीयुल फलाह ◆ फतावा हिन्दीया ◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७६

जिस की बीवी बे-पर्दा निकलती हो, उसकी इमामत का शरई हुक्म

मस्अला

'' जिस शख़्स की बीवी (ज़वजा/पत्नि-Wife) बे-पर्दा निकलती हो और वोह शख़्स कुदरत और ताक़त होने के बावजूद अपनी औ़रत को बे-पर्दा निकलने से नहीं रोकता, वोह शख़्स फासिक है. उसको इमाम बनाना गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होने की वजह से न पढ़ी जाए और अगर पढ़ ली है, तो एआ़दा ज़रूरी है.''

(गुन्या शरहे मुन्या, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७७/१९०)

मस्अला

''आज़ाद औ़रत (जो बांदी, Slave न हो या'नी किसी की मिल्कियत या'नी गुलाम न हो, इस ज़माने की महिलाऐं बांदी के हुक्म में नहीं, यहां आज़ाद औरत से मुराद सामान्य स्त्री है) को लोगों के सामने सर खोलना भी हराम है. वोह औ़रतें जो खुले सर और बे-पर्दा घूमती हैं फासिका हैं और शौहर (पति-Husband) पर फर्ज़ है कि वोह अपनी बीवी (Wife)

को फ़िस्क से रोके. अल्लाह तबारक व तआ़ला इरशाद फरमाता है कि;''या-अय्युहल-लज़ीना-आमनू-कू-अन्फोसकुम-व-अहलीकुम-नारा'' (अनुवाद) ''ए ईमान वालो ! बचाओ, अपनी जानों को और अपने घर वालों को आग से'' और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; ''कुल्लोहुम-राउ़न-व-कुल्लोकुम-मस्उलुन-अ़न-रअ़य्यतेहि'' (अनुवाद) ''तुम सब अपने मुतअ़ल्लिक़ीन (परिवार-**Belongings**) के सरदार और हाकिम हो ओर हर हाकिम (शासनकर्ता-**Ruler**) से क़यामत के दिन उसकी रअ़िय्यत (प्रजा-**Subjects**) के बाब (बारे) में सवाल होगा.''

तो, जो मर्द अपनी औ़रत को बे-पर्दा निकलने से मना नहीं करता, खूद भी फासिक़ है और फासिक़ के पीछे नमाज़ मकरूह है और उसे इमाम बनाना गुनाह है.''

(रद्दुल मोहतार, गुन्या, फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १८८)

मस्अला

''औ़रत अगर किसी 'ना-महरम' (जिससे पर्दा करना वाजिब है) के सामने इस तरह आए कि उसके बाल, या गला, या गरदन, या पीठ, या कलाई, या पिन्डली का कोई हिस्सा ज़ाहिर हो, या लिबास ऐसा बारीक पहना हो कि मज़्कूरा (वर्णनीय) आ'ज़ा (अंगों) से कोई हिस्सा उसमें से चमके (दिखाई दे/नज़र आए) तो येह हराम है और ऐसी वज़्अ़ (हावभाव-Gesture) और लिबास की आ़दी औरतें फासिक़ात हैं और उनके शौहर इस पर राज़ी हों या हस्बे-मुक़दरत बंदोबस्त न करें या'नी हस्बे-कुदरत (यथा शक्ति) न रोकें, तो 'दय्यूस' (बे-हया-Pimp) हैं, और एसों को इमाम बनाना गुनाह है.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २०१/२५८)

मस्अला

" जिस की बीवी आ़म औ़रतों की तरह बे-पर्दा धूमती हो और शौहर को मा'लूम हो, और बा-वस्फे-कुदरत (शक्ति -Omnipotence के बावजूद) मना नहीं करता, तो वोह 'दय्यूस' (Pimp) है और उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी है."

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९७/२१०)

मस्अला

"अगर वोह शख़्स अपनी बीवी को (बे-पर्दा निकलने से) हद्दे-कुदरत तक (यथा शक्ति) रोकता है और मना करता है, लैकिन वोह नहीं मानती, तो इन सूरतों में शौहर पर कुछ इल्ज़ाम (आरोप) नहीं और इस वजह से उसके पीछे नमाज़ मे किराहत नहीं हो सकती."

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९३)

इमामत के तअ़ल्लुक़ से मुतफर्रिक़ मसाइल

मस्अला

"इमाम के लिये खुश-इल्हानी (मधुर कंठ-Sweet Tune) से क़िरअत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि सहीह मख़ारिज के साथ क़िरअ़त पढ़ना ज़रूरी है और जो शख़्स इमाम के लिये खुश-इल्हानी से पढ़ने को ज़रूरी और शर्त बताए, वोह शरीअ़ते-मुतह्हरा पर इफ्तरा (दोषारोपण-Imputation) करता है, बल्कि खुश-इल्हानी बा'ज़ अवक़ात (कभी-कभी) मुज़िर (हानिकारक) होती है कि उसके सबब आदमी इतराता (गर्व करता) है या कम से कम इतना तो होता है कि नमाज़ में खुशूअ़ और खुज़ूअ़ (एकाग्रता) के बदले अपने को खुश-इल्हान बनाने का ख़्याल रहेता है."

(आ़लमगीरी, फतावा काज़ीखान, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९५)

मस्अला

'देवबन्दी (वहाबी) अ़क़ीदे वाले के पीछे नमाज़ बातिले-महज़ है, नमाज़ होगी ही नहीं. फर्ज़ सर पर (ज़िम्मे) बाक़ी रहेगा और देवबन्दी इमाम की इक़्तेदा करने का शदीद गुनाहे-अज़ीम (महापाप-Great Sin) होगा."

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २३५)

मस्अला

'वहाबी-नजदी अ़क़ीदे वाले क़त्अ़न (सदंतर) बे:दीन (अधर्मी) हैं, और बे:दीन के पीछे नमाज़ महज़ ना-जाइज़"

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २४०)

मस्अला

'ग़ैर मुक़ल्लिद (जो अपने को एहले-हदीस कहते हैं) इमाम के पीछे नमाज़ महज़ बातिल है, नमाज़ हरगिज़ नहीं होगी और पढ़ने वालों के सर पर गुनाहे-अज़ीम होगा. इलावा अज़ीं कोई ग़ैर मुकल्लिद शख़्स सुन्नियों की जमाअ़त में शरीक होगा, तो उसकी शिरकत मे सफ (क़तार) क़तअ़ होगी क्योंकि उसकी नमाज़ नमाज़ नहीं. वोह एक बे:नमाज़ी की हैसियत से सफ के दरमियान खड़ा होगा, और येह सफ का क़तअ़ है, और सफ का क़तअ़ नाजाइज़ है. विशेष में बद:मज़हबों के साथ नमाज़ पढ़ने से भी हदीस शरीफ में मना फरमाया गया है."

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २६४ वग़ैरह)

प्रकरण (१४) मुक़्तदी के अक़्साम व अहकाम

- "इमाम की इक़्तिदा में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने वाले को मुक़्तदी कहते हैं."
- "मुक़्तदी की कुल चार (४) किस्में (प्रकार) हैं.

(१) मुदरिक (२) लाहिक़ (३) मस्बूक़ (४) लाहिक़ मस्बूक

- "अब हम हर क़िस्म के मुक़्तदी की तफसील (विगत) और उसके मुतअ़ल्लिक शरई अहेकाम पर गुफ्तगु करें.

मुक़्तदी के अक़्साम (प्रकार)

१. मुदरिक

- उस मुक़्तदी को कहते हैं, जिसने पहली रकअ़त से लेकर क़ा'द-ए-आख़िरा तक या'नी इमाम के सलाम फैरने तक इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी हो, अगरचे उसे तकबीरे-उला न मिली हो और वोह पहली रकअ़त के रूकूअ़ में या रूकूअ़ से पहले जमाअ़त मे शामिल हुआ हो.
- मुदरिक इमाम के साथ सलाम फैरकर अपनी नमाज़ पूरी करेगा.

२. लाहिक़

- उस मुक़्तदी को कहते हैं, जिसने पहली रकअ़त से ही इमाम की इक्तेदा में नमाज़ शुरू की थी, लैकिन इक़्तिदा करने के बाद किसी वजह से उस की कुल (सब) या बा'ज़

(चन्द) रकअ़तें फौत हो गई हों या'नी छूट (Miss) गई हों. ख़्वाह वोह रकअ़तें किसी उज्र की वजह से फौत हुई हों. मस्लन :-

- ग़फ्लत या भीड की वजह से रूकूअ़ या सजदा नहीं कर सका.
- हालते-नमाज़ में 'हद्स' हो गया, या'नी वुज़ू टूट गया.
- मुक़ीम (स्थायी) मुक़्तदी ने मुसाफिर (प्रवासी) इमाम की चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र या इशा में इक़्तिदा की और इमाम ने मुसाफिर होने की वजह से दो (२) रकअ़त पर सलाम फैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर दी.
- लाहिक़ मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा या बाक़ी रकअ़तें अकैले नमाज़ पढ़ कर पूरी करेगा.

३. मस्बूक़

- उस मुक़्तदी को कहते हैं, जिस को शुरू की कुछ रकअ़तें न मिली हों और वोह कुछ रकअ़तें पूरी हो जाने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ हो.
- मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) रकअ़तें

अकैले नमाज़ पढ़ कर पूरी करेगा.

- मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फैरेगा.

४.लाहिक मस्बूक़

- उस मुक़्तदी को कहते हैं, जो मुक़ीम हो और उसने मुसाफिर इमाम की इक़्तेदा की हो, लैकिन उसने इमाम के साथ पहली रकअ़त से इक़्तेदा न की हो, बल्कि कुछ रकअ़तें पूरी हो जाने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ हो.

- लाहिक मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फैरेगा बल्कि इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी बाक़ी नमाज़ लाहिक़ और मस्बूक़ दोनों ए'तबार से पूरी करेगा.

- मज़्कुरा (वर्णनीय) चार (४) क़िस्म के मुक़्तदीयों में से पहली क़िस्म के मुक़्तदी या'नी ''मुदरिक-मुक़्तदी'' के मुतअ़ल्लिक बहुत तफसीली मसाइल दरकार (आवश्यक) नहीं, क्योंकि उस का मामला बहुत आसान है कि शुरू से ही इमाम के साथ जमाअ़त में शामिल हुआ और आख़िर तक जमाअ़त में शामिल रहते हुए इमाम के साथ सलाम फैर कर अपनी नमाज़ पूरी की. और दौराने-नमाज़ इमाम की मुताबेअ़त (ताबेदारी-Obsequiousness) करता रहा और उसे इन्फेरादी तौर पर (अकेले-Alone) एक रकअ़त पढ़ने की भी ज़रूरत न हुई.''

- दूसरी, तीसरी और चौथी क़िसम के मुक़्तदी या'नी ❒ लाहिक़,❒ मस्बूक और ❒ लाहिक़ मस्बूक़ को इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी बाक़ी या फौत शुदा रकअ़तें अकैले पढ़नी पड़ती हैं और वोह रकअ़तें किस तरह पढ़नी चाहिअें, उसके मुतअ़ल्लिक (अनुसंधान में) हर क़िस्म (प्रकार) के मुक़्तदी के लिये अलग-अलग अहेकाम और मसाइल हैं. लिहाज़ा उन मसाइल (नियमों-Rules) को हर क़िस्म के मुक़्तदी के उनवान (शीर्षक-Heading) से जुदा-जुदा बयान किए जाते हैं.

लाहिक़ मुक़्तदी के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

''लाहिक़ मुक़्तदी अपनी नमाज़ पढ़ते वक़्त मुदरिक मुक़्तदी के हुक्म में है, या'नी जब वोह अपनी फौत शुदा रकअ़तें अकेला पढ़ेगा, तब उन रकअ़तों को इस तरह से पढ़ेगा, गोया वोह इमाम के पीछे ही पढ़ रहा हो, या'नी उन रकअ़तों मे क़िरअ़त नहीं करेगा और सहव होने पर (भूल होने पर) सजद-ए-सहव भी नहीं करेगा.''
(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३५)

मस्अला

''मुक़ीम मुक़्तदी ने चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र या इशा में मुसाफिर इमाम की इक़्तेदा की. मुसाफिर इमामने दो (२) रकअ़त के बाद सलाम फैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर दी. अब येह मुक़ीम मुक़्तदी दो (२) रकअ़त ब-हैसियते-लाहिक़ पढेगा और उन दोनों रकअ़तों में मुत्लक़ (बिल्कुल) क़िरअत नहीं करेगा या'नी हालते-क़याम में कुछ भी नहीं पढेगा, बल्कि उत्नी दैर तक कि

जितनी दैर में सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, महज़ (सम्पूर्ण रूप से- Entirely) ख़ामौश खड़ा रहेगा.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-८२ और फ़तावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९५)

मस्बूक मुक़्तदी के मुतअ़ल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा रकअ़तें पढ़ेगा, तब क़याम में क़िरअत करेगा और अगर उन रकअ़तों को पढ़ने के दरमियान सह्व (ग़लती) हो तो सजद-ए-सह्व भी करेगा.'

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त,हिस्सा-३, सफहा-१३६)

मस्अला

''मस्बूक़ मुक़्तदी अपनी फौत शुदा रकअ़तों की अदा में मुन्फरिद (अकैला नमाज़ पढ़ने वाला) है या'नी अगर पहले 'सना' नहीं पढ़ी थी क्योंकि इमाम बुलन्द आवाज़ से क़िरअ़त पढ़ रहा था, या इमाम रूकूअ़ में था और अगर येह सना पढ़ता तो रूकूअ़ न मिलता, या इमाम क़ा'दा में था ग़रज़ किसी भी वजह से पहले 'सना' न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले और क़िरअत से पहले 'तअव्वुज़' (अउज़ो.. पूरा) भी पढ़ ले.''

(आ़लमगीरी, बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३६)

मस्अला

''मस्बूक़ मुक़्तदी ने इमाम को रूकूअ़ या सजदा या क़ा'दा मे पाया तो तकबीरे-तहरीमा सीधा खड़े होने की हालत में कहे, फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ जिस रूक्न में इमाम हो उस रूक्न में शामिल हो जाए, अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे-रूकूअ़ तक पहुंच गया, तो उसकी नमाज़ नहीं होगी.'

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्स-३, सफ़हा-१३६)

मस्अला

''इमाम के सलाम फैरने के बाद मस्बूक मुक़्तदी जब अपनी फौत शुदा रकअ़तें पढ़ेगा, तब उसकी पहली रक्अ़त क़िरअत के हक़ (परिपूर्णता-Fulfilment) में रकअ़ते-अव्वल (प्रथम) क़रार दी जाएगी और ''हक़्क़े-तशह्हुद'' (क़ादा के मामले) में पहली रकअ़त क़रार नहीं दी जाएगी. बल्कि दूसरी, तीसरी या चौथी जो भी शुमार (Counting) में आए.''

इस मस्अले को अच्छी तरह ज़हन नशीन (संस्मरण-Memorize) करने के लिए ज़ैल में दी गई दो (२) मिसालें (दृष्टांत-Example) अच्छी तरह समज़ने और याद कर लेने की कोशिश करें :-

१. ''किसी मस्बूक़ मुक़्तदी को चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ या'नी ज़ोह्र, अस्र या इशा की जमाअ़त की सिर्फ एक ही रकअ़त मिली या'नी वोह मस्बूक मुक़्तदी चौथी रकअ़त में जमाअ़त में शामिल (Joint) हुआ, लिहाज़ा वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद तीन (३) रकअ़तें हस्बे-ज़ेल तरतीब (तरीक़े-Method) से पढ़ेगा.

'इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए और अगर किसी वजह से 'सना' नहीं पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले, और अगर पहले सना पढ़ चुका है, तो सिर्फ 'अउज़ो' से शुरू करे और पहली रकअ़त में सूर-ए-फ़ातेहा (अल-हम्दो

शरीफ) और सूरत पढ़ कर, रूकूअ़ और सजदे करके क़ा'दा में बैठे और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअ़त में अलहम्दो शरीफ और सूरत दोनों पढ़े और रूकूअ़ व सुजूद करके क़ा'दा किए बग़ैर तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअ़त के क़याम में सिर्फ सूर-ए-फातेहा पढ़ कर रूकूअ़ और सजदे करके क़ा'द-ए-अख़िरा करके नमाज़ पूरी करे.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३६ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९३/३९६)

२. ''किसी शख़्स को मग़रिब की नमाज़ की जमाअ़त की सिर्फ एक रकअ़त ही मिली या'नी वोह शख़्स मग़रिब की तीसरी रकअ़त में जमाअ़त में शामिल हुआ, लिहाज़ा इमाम के सलाम फैरने के बाद वोह शख़्स दो (२) रकअ़त हस्बे-ज़ेल तरतीब से पढ़ेगा.''

इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए और पहली रकअ़त में सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ़ व सुजूद करके क़ा'दा में बैठे और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअ़त में भी अल-हम्दो शरीफ और सूरत दोनों पढ़कर रूकूअ़ व सुजूद करके क़ा'द-ए-अख़िरा करके नमाज़ पूरी करे.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, गुन्या शरहे मुन्या, खुलासा, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३६ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९२)

मस्अला

''मस्बूक़ मुक़्तदी ने इमाम के साथ येह ख़्याल करके क़स्दन (जान बूज़कर-Intentionally) सलाम फैरा कि मुज़े भी इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये, तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी.

और अगर भूलकर (सह्वन-Erroneously) सलाम फैर दिया, तो उसकी दो (२) सूरतें (वर्गीकरण-Sort) हैं :-

१. अगर इमाम के ज़रा बाद में सलाम फैरा, तो सजद-ए-सह्व लाज़िम है.

२. अगर इमाम के बिल्कुल साथ-साथ सलाम फैरा तो सजद-ए-सह्व लाज़िम नहीं.

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३८)

मस्अला

''मस्बूक़ मुक़्तदी सलाम फैरने में इमाम की मुताबेअ़त (ताबेदारी) न करे. अगर मस्बूक़ने अपने 'जह्ल' (अज्ञानता) से येह समज़कर कि मुज़े शरअ़न सलाम फैरने में भी इमाम की इत्तेबाअ़ (आज्ञापालन-Obey) करनी चाहिये और क़स्दन (जान बूज़कर) सलाम फैरा, तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी.

और अगर सह्वन (भूल कर) सलाम फैर दिया और येह सलाम इमाम के सलाम से पहले या मअ़न या'नी उसके साथ-साथ बग़ैर ताख़ीर (विलम्ब) के था, तो सजद्-ए-सह्व भी अपनी नमाज़ के आख़िर में नहीं करना होगा.''

(रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९४/६४३)

मस्अला

''इमाम के साथ जमाअ़त से पढ़ी हुई नमाज़ के क़ा'द-ए-अख़िरा में मस्बूक मुक़्तदी सिर्फ (अत्तहिय्यात) पढ़े. अत्तहिय्यात ख़त्म होने पर 'शहादतैन' (दोनों शहादतें या'नी दोनों अश्हदो) की तकरार करे, (या'नी बार-बार पढ़े-Repetition) और अगर 'अस्सलामो-अ़लयका' से तकरार करे, जब भी कोई मुमानेअ़त (विध्न-Hin-

drance) नहीं.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९४)

लाहिक़-मस्बूक मुक़्तदी के ज़रूरी मसाइल

''लाहिक-मस्बूक़ मुक़्तदी का हुक्म येह है कि जिन रकअ़तों में वोह लाहिक़ है, उन रकअ़तों को इमाम की तरतीब से पढ़े और उन रकअ़तों में लाहिक के अहेकाम जारी होंगे.

और जिन रकअ़तों में मस्बूक है, उन रकअ़तों को मुन्फरिद (अकैले नमाज़ पढ़नेवाले) की तरतीब से पढ़े और उन रकअ़तों मे मस्बूक़ के अहेकाम जारी (लागू-Applicable) होंगे.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३८)

मस्अला

''जिन रकअ़तों में वोह लाहिक़ है, उन रकअ़तों में मुत्लक़न (बिल्कुल) क़िरअत न करे क्योंकि लाहिक़ हुकमन ''मुक़्तदी'' (इमाम की इक़्तेदा करने वाला) है और मुक़्तदी को क़िरअ़त ममनूअ़ (प्रतिबन्धित) है.''

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९६)

मस्अला

''लाहिक़-मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद जब अपनी नमाज़ पढ़े, तब इस बात का ख़ास तौर पर से इल्तिज़ाम (चीवट-Assiduity) करे कि जो रकअ़तें बतौर लाहिक पढ़नी हैं, उन रकअ़तों को पहले पढ़े और जिन रकअ़तों को बतौर मस्बूक़ पढ़नी हैं, उन रकअ़तों को बाद में पढ़े.

(बहरूर राइक, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९८)

मुसाफिर इमाम की इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ने वाले मुक़ीम (स्थायी) मुक़्तदी के मुतअ़ल्लिक

एक बहुत ज़रूरी मस्अला

मस्अला

''चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र या इशा में मुक़ीम ने मुसाफिर इमाम की इक़्तेदा में ऐक रकअ़त पाई या'नी वोह मुक़्तदी दूसरी रकअ़त में शामिले-जमाअ़त हुआ. इमाम दो (२) रकअ़त क़स्र पढ़ कर सलाम फैर देगा, लिहाज़ा उस मुक़्तदी ने इमाम के साथ ऐक ही रकअ़त पढ़ी. दो (२) रकअ़त के बाद इमाम के सलाम फैरने के बाद वोह मुक़्तदी खड़ा हो जाएगा और उस के ज़िम्मे तीन (३) रकअ़तें अदा करनी बाक़ी हैं.

इन तीन (३) रकअ़तों में से दो (२) रकअ़तें वोह ब:हैसियते लाहिक़ और ऐक (१) रकअ़त ब:हैसियते-मस्बूक अदा करेगा और इन तीनों रकअ़तों को हस्बे-ज़ेल तरतीब (निम्न लिखित पद्धति) से अदा करेगा :-

'पहले एक रकअ़त बिला क़िरअ़त अदा करे, या'नी हालते-क़याम में सूर-ए-फातेहा और सूरत मुत्लक़ (सदंतर) न पढ़े, बल्कि इतनी दैर कि जितनी दैर में सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, बिल्कुल ख़ामोश खड़ा रहे और रूकूअ़ व सुजूद करके क़ा'दा करे और क़ा'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़कर खड़ा हो जाए, क्योंकि येह रकअ़त मुक़्तदी की दूसरी रक़अत थी.

फिर, दूसरी रकअ़त भी बिला क़िरअ़त पढ़कर क़ा'दा करे और सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. येह रकअ़त अगरचे इस मुक़्तदी की तीसरी रकअ़त है, लैकिन इमाम के हिसाब से चौथी रकअ़त है और लाहिक़ मुक़्तदी पर लाज़िम है कि वोह फौत शुदा नमाज़ को इमाम की तरतीब से अदा करे.

फिर, तीसरी रकअ़त के क़याम में सूर-ए-फातेहा और सूरत पढ़ कर, रूकूअ़ व सुजूद करके क़ा'द-ए-अख़िरा करे और उस क़ा'द-ए-अख़िरा में 'तशह्हुद' (अत्तहिय्यात) और दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़कर सलाम फैर कर नमाज़ पूरी करे.

अल हासिल :-

- ''इन तीनों रकअ़तों में हर रकअ़त पर क़ा'दा करे या'नी तीन (३) रकअ़त में तीन (३) क़ा'दे करे.''
- ''पहली और दूसरी रकअ़त ब:हैसियते-लाहिक़ अदा करेगा, लिहाज़ा, पहली और दूसरी रकअ़त में मुत्लक क़िरअत न करे बल्कि सूर-ए-फातेहा पढ़ने के वक़्त की मिक़दार महज़ ख़ामौश खड़ा रहे.''
- ''तीसरी रकअ़त ब:हैसियते-मस्बूक़ अदा करेगा, लिहाज़ा उस में अल-हम्दो शरीफ और कोई सूरत पढ़े.''
- ''पहली और दूसरी रकअ़त के बाद जो क़ा'दा करे, उसमें अत्तहिय्यात के सिवा कुछ न पढ़े या'नी अत्तहिय्यात के बाद दरूद-इब्राहीम न पढ़े, बल्कि अत्तहिय्यात पढ़ लेने के बाद फौरन खड़ा हो जाए.''
- ''तीसरी रकअ़त के बाद जो क़ा'दा करेगा, वोह क़ा'दा-ए-अख़िरा के हुक्म में है, लिहाज़ा उस क़ा'दे में अत्तहिय्यात, दरूद शरीफ और दुआ-

ए-मासूरा पढ़कर सलाम फैर कर नमाज़ पूरी करे.''

(◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ रद्दुल मोहतार ◆ खुलासतुल-वफा ◆ फतावा हिन्दीया ◆ मजमउल-अन्हर ◆ गुन्या शरहे मुन्या ◆ बहरूर राइक ◆ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९५,३९६,३९८

नोट :

''येह मस्अला बहुत ही अहम (महत्वपूर्ण) और ज़रूरी है. इस मस्अले में अ़वाम तो अ़वाम बल्कि बहुत से पढ़े लिखे हज़रात भी ग़लती करते हैं. अकसर देखा गया है कि मज़कूरा (वर्णनीया) तीन (३) रकअ़तें पढ़ने में पहली और तीसरी रकअ़त पर क़ा'दा करते हैं और दूसरी रकअ़त पर क़ा'दा नहीं करते या'नी इन तीन रकअ़तों में दो (२) क़ा'दे करते हैं, जबकि ब:हुक्मे-फिक़्ह इन तीनों रकअ़तों में हर रकअ़त पर क़ा'दा करना लाज़मी और ज़रूरी है.''

मस्अला

''अगर चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ में मुक़ीम मुक़्तदी ने मुसाफिर इमाम की इक़्तेदा इस तरह की कि उस को क़ा'द-ए-अख़िरा ही मिला, तो वोह मुक़्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो कर चार (४) रकअ़त हस्बे-ज़ैल तरतीब से अदा करे :-

''पहले दो (२) रकअ़त ब:हैसियते लाहिक़ इस तरह पढ़े कि पहली और दूसरी रकअ़त में क़याम की हालत मे मुत्लक़ क़िरअत न करे बल्कि सूर-ए-फातेहा पढ़ने के वक़्तकी मिक़दार (मात्रा) तक ख़ामौश खड़ा रहे. दो (२) रकअ़त पढने के बाद क़ा'दा करे और उस क़ा'दे में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' (तशह्हुद) पढ़ कर खड़ा हो जाए.

फिर दो (२) रकअ़त ब:हैसियते मस्बूक़ अदा करे या'नी तीसीरी और चौथी रकअ़त में हालते-क़याम में सूर-ए-फातेहा और कोई सूरत पढ़े और

चौथी रकअ़त पर क़ा'द-ए-अख़िरा में अत्तहिय्यात, दरूद और दुआ-ए-मासूरा पढ़कर सलाम फैर कर नमाज़ पूरी करे.''

(हवाला : दुर्रे मुख़्तार, मुन्यतुल मुसल्ली, मजमउल अन्हर, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९५)

नोट :

'इस मस्अले में भी बहुत से हज़रात ग़लती करते हैं. शुरू की दोनों रकअ़तें या'नी पहली और दूसरी रकअ़त में क़िरअत करते हैं और तीसरी तथा चौथी रकअ़त में ख़ामोश खड़े रहते हैं या'नी पहली और दूसरी रकअ़त ब:हैसियते मस्बूक और तीसरी व चौथी रकअ़त ब:हैसियते लाहिक़ अदा करते हैं, लैकिन सहीह मस्अला येह है कि शुरू की दो (२) रकअ़तें ब:हैसियते लाहिक़ और बाद की दो (२) रकअ़तें ब:हैसियते-मस्बूक अदा करनी चाहिये.'

तमाम क़िस्म के मुक़्तदीयों के लिये ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'इमाम रूकूअ़ में है और मुक़्तदी जमाअ़त में शामिल होना चाहता है तो सिर्फ तकबीरे-तहरीमा कहेकर रूकूअ़ में मिल सकता है, हाथ बांधने की अस्लन (बिल्कुल) हाजत नहीं सिर्फ तकबीरे-तहरीमा कहकर रूकूअ़ में शामिल होने से सुन्नत या'नी तकबीरे-रूकूअ़ फौत (व्यय-Loss) होगी, लिहाज़ा चाहिये कि सीधा खड़े होने की हालत में तकबीरे तहरीमा कहे, और अगर सना पढ़ने की फुरसत (Leisure) न हो, या'नी येह एहतेमाल (संभावना-Probability) हो कि अगर सना पढ़ता हूं तो इमाम रूकूअ़ से सर उठा लेगा, तो ऐसी सूरत (परिस्थिति-Circumstance) में सना न पढ़े, बल्कि तकबीरे-तहरीमा के साथ फौरन दूसरी तकबीर कहकर रूकूअ़ में चला जाए, और अगर

मुक़्तदी को इमाम की आदत मा'लूम है कि रूकूअ़ में दैर लगाता है और मैं सना पढ़कर भी रूकूअ़ में शामिल हो जाऊंगा तो सना पढ़कर रूकूअ़ की तकबीर कहता हुआ शामिल हो, येह सुन्नत है.

तकबीरे-तहरीमा खड़े होने की हालत में कहनी फर्ज़ है, कुछ-ना-वाक़िफ (अनजान) जो येह करते हैं कि इमाम रूकूअ़ में है और येह जनाब जुके हुए तकबीरे-तहरीमा कहेते हुए शामिल हो गए अगर इतना झुका हुआ है कि तकबीरे-तहरीमा ख़त्म (पूरी) करने से पहले हाथ फैलाए (लम्बा करे) तो हाथ घुटने तक पहुंच जाए, तो नमाज़ न होगी. इस बात का ख़्याल रखना (तवज्जोह देना) लाज़मी है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९३)

मस्अला

''क़ा'द-ए-उला में इमाम तशहहुद (अत्तहिय्यात) जल्दी पढ़कर तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो गया और बा'ज़ (कुछ) मुक़्तदी तशहहुद पढ़ना भूल गए और इमाम के साथ खड़े हो गए, तो जिसने तशहहुद नहीं पढ़ा था, वोह बैठ जाए, और तशहहुद पढ़कर इमाम की मुताबेअ़त करे, अगरचे वापस बैठकर तशहहुद पढ़ने की वजह से रकअ़त फौत (छूट जाए) हो जाए.

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३,सफहा-१३९)

मस्अला

'मुक़्तदी ने इमाम से पहले रूकूअ़ या सजदा किया, मगर उसके सर उठाने से पहले ही इमाम रूकूअ़ या सजदा में पहुंच गया, तो मुक़्तदी का रूकूअ़ या सजदा हो गया, लैकिन मुक़्तदी को ऐसा करना हराम है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१४०)

मस्अला

''किसी मुक़्तदीने इमाम से पहले कोई फ़े'ल (चेष्टा-Motion) इस तरह किया कि इमाम भी उस फे'ल में आ मिला, मस्लन मुक़्तदी ने इमाम के रूकूअ़ करने से पहले रूकूअ़ कर दिया, लैकिन मुक़्तदी अभी रूकूअ़ ही में था कि इमाम भी रूकूअ़ में आ गया और दोनों की रूकूअ़ में शिरकत (साथ) हो गई. येह सूरत अगरचे सख़्त ना-जाइज़ और ममनूअ़ है और हदीस शरीफ में इस पर शदीद वईद वारिद (शिक्षा की धमकी का वर्णन) है, मगर इस सूरत में यूं भी नमाज़ हो जाएगी, जबकि मुक़्तदी और इमाम की रूकूअ़ में मुशारेकत (साथ होना-Partaken) हो जाए.

और अगर इमाम अभी रूकूअ़ में न आने पाया था और मुक़्तदी ने रूकूअ़ से सर उठा लिया और फिर मुक़्तदी ने इमाम के साथ या बाद में इस फे'ल का ए'आदा (पुनरावर्तन-Repetition) न किया, तो मुक़्तदी की नमाज़ अस्लन न हुई कि अब फर्ज़े-मुताबेअ़त (ताबेदारी-Obsequiousness) की कोई सूरत न पाई गई, लिहाज़ा, फर्ज़ तर्क हुआ (छूटा) और नमाज़ बातिल (नष्ट) हो गई.'' (रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०८)

मस्अला

''रूकूअ़ या सजदे में मुक़्तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया और इमाम अभी रूकूअ़ या सजदे में है, तो मुक़्तदी पर वापस लोटना वाजिब है और वापस लोटने की वजह से येह दो (२) रूकूअ़ या दो (२) सजदे शुमार (गिनती-Count) नहीं होंगे.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३९)

मस्अला

''पांच (५) काम वोह हैं कि अगर इमाम उसे न करे और छोड़ दे तो मुक़्तदी भी उसे न करे और इमाम का साथ दे. (१) तकबीराते-ईदैन या'नी

दोनों ईद की नमाज़ मे ज़ाइद (विशेष-Extra) तकबीरें दी जाती हैं. (२) क़ा'द-ए-उला या'नी दो (२) से ज़ियादा रकअ़त वाली नमाज़ का पहला क़ा'दा (३) सजद-ए-तिलावत (४) सजद-ए-सह्व (५) दुआ़-ए-क़ुनूत, जबकि रूकूअ़ फौत होने का अंदेशा हो, वर्ना क़ुनूत पढ़ कर रूकूअ़ करे.'' (आ़लमगीरी, सग़ीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३९)

मस्अला

''चार (४) काम वोह हैं कि अगर इमाम उसे करे, तो भी मुक़्तदी उसे न करे और इमाम का साथ न दे. (१) नमाज़ में कोई ज़ाइद (ज़ियादा-Extra) सजदा किया (२) ईदैन की नमाज़ में छेः (६) से ज़ियादा तकबीरें (तकबीराते-ईदैन) कहीं. (३) नमाज़े-जनाज़ा मे पांच (५) तकबीरें कहीं. (४) क़ा'द-ए-आख़िरा करने के बाद इमाम ज़ाइद रकअ़त के लिये खड़ा हो गया, तो मुक़्तदी इमाम के साथ खड़ा न हो, बल्कि इमाम के वापस लौटने का इन्तिज़ार करे. अगर इमाम पांचवी (५) रकअ़त के सजदे से पहले लौट आए, तो मुक़्तदी इमाम का साथ दे और इमाम के साथ ही सलाम फेरे और इमाम के साथ ही सजद-ए-सह्व भी करे.

और अगर इमाम ने पांचवी रकअ़त का सजदा कर लिया और क़ा'दा में नहीं लौटा, तो मुक़्तदी तन्हा (अकैले) सलाम फैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर ले. और अगर इमाम ने क़ा'दा-ए-आख़िरा ही नहीं किया था, और पांचवी रकअ़त का सजदा कर लिया, तो सबकी नमाज़ फासिद हो गई, अगरचे मुक़्तदी ने अत्तहिय्यात पढ़ कर सलाम फैर लिया हो.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१४०)

मस्अला

''इमाम ने दो (२) रकअ़त के बाद क़ा'द-ए-उला न किया और तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा होने जा रहा है, तो जब तक इमाम सीधा (Straight)

खड़ा न हुआ हो, मुक़्तदी क़ा'द-ए-उला तर्क न करे और इमाम का साथ न दे, बल्कि उसे (लुक़्मा देकर) बताए ताकि वोह क़ा'दे में वापस आ जाए. अगर इमाम वापस आ गया तो ठीक है.

और अगर इमाम वापस न आया और सीधा खड़ा हो गया, तो अब मुक़्तदी इमाम को न बताए (लुक़्मा न दे), वर्ना मुक़्तदी की नमाज़ फासिद हो जाएगी. इस सूरत (परिस्थिति) में मुक़्तदी क़ा'दा छोड़ दे और इमाम की मुताबेअ़त करते हुए खड़ा हो जाए.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१३९)

मस्अला

''जब इमाम क़ा'द-ए-उला छोड़ कर पूरा (Straight-सीधा) खड़ा हो जाए, तो अब मुक़्तदी इमाम को बैठने का इशारा (संकेत-Sign) न करे, या'नी लुक़्मा न दे, वर्ना हमारे इमाम (इमामे-आज़म अबू हनीफा) के मज़्हब पर मुक़्तदी की नमाज़ जाती रहेगी. क्योंकि पूरा खड़ा हो जाने के बाद इमाम को क़ा'द-ए-उला की तरफ लौटाना ना-जाइज़ था. तो अब मुक़्तदी का बताना (लुक़्मा देना) महज़ बे-फायदा रहा और अपने अस्ली हुक्म की रू से (मुख्य नियमानुसार-As per Principal Law) अब मुक़्तदी का बताना या'नी लुक़्मा देना नमाज़ में कलाम (बात-Talk) करना ठहेर कर मुफसिदे-नमाज़ हुआ.''

(बहरूर राइक़, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०४)

प्रकरण (१९) सजद-ए-सहव का ब्यान

- ''हर नमाज़ी से नमाज़ पढ़ते वक़्त कभी-कभी ऐसी ग़लती हो जाती है कि नमाज़ ना-तमाम (अपूर्ण-In Complete) और ना-दुरस्त (Defective) हो जाती है. नमाज़ में पैदा शुदा (उत्पन्न) इस नुक़्स (क्षति-Fault) को सजद-ए-सहव से दूर किया जा सकता है.''
- '' ग़लती की वजह से पैदा शुदा नुक़्स सजद-ए-सहव कर लेने से दूर हो जाता है, और नमाज़ दुरूस्त (क्षति रहित) हो जाती है.''
- ''जिन ग़लतियों की वजह से 'सजद-ए-सहव' वाजिब होता है, वोह हस्बे-ज़ेल हैं.''

१. नमाज़ में जो काम वाजिब हैं, उन में से कोई एक या एक से ज़ियादा वाजिब छूट जाए.

२. किसी वाजिब को अदा करने में ताख़ीर (विलम्ब-Delay) हो.

३. किसी वाजिब को अदा करने में फर्क़ (विभिन्नता-Difference) वाकेअ़ हो या'नी नमाज़ के कामों को तय शुदा तरतीब (नियुक्त क्रम-Fixed Method) के ख़िलाफ (विरूद्ध) या'नी उन कामों को क्रमानुसार अदा करने के बदले क्रम विरूध (Out of Turn) अदा करना.

४. किसी फर्ज़/रूक्न (ज़रूरी हिस्सा) के अदा करने मे ताख़ीर (विलम्ब) करने से.

५. किसी फर्ज़/रूक्न को वक़्त से पहले अदा कर लेने से.

६. किसी फर्ज़/रूक्न को मुकर्रर (दोबारा-Twice) अथवा ज़ाइद (ज़ियादा)

मरतबा अदा करने से मस्लन दो (२) मरतबा रूकूअ़ या तीन (३) सजदे कर लिये.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५०)

- ''मुंदरजा बाला (उपरोक्त-Above) ग़लतियां अगर सहवन (भूल कर) हुई हैं, तो ही सजद-ए-सहव से उसकी 'तलाफी' (क्षतिपूर्ति-Compensation) हो सकती है, अगर किसी ने अ़मदन (जान बूझ़ कर-Purposely) ग़लती की है, तो अब सजद-ए-सहव से उस की तलाफी (निराकरण) नहीं हो सकती, नमाज़ का ए'आ़दा या'नी नमाज़ को अज़ सरे नौ (दोबारा) पढ़ना होगा.'' (दुर्रे मुख़्तार)
- ''अगर नमाज़ का कोई फर्ज़ छूटा है, चाहे सहवन हो, चाहे अ़मदन हो, सजद-ए-सहव से उसकी तलाफी हरगिज़ नहीं हो सकती. नमाज़ हर हाल में फासिद हो गई. उसको अज़ सरे नौ पढ़नी होगी.''
- ''जिन सूरतों (परिस्थिति) में सजद-ए-सहव वाजिब होता है, अगर सहव का सजदा न किया, तो नमाज़ वाजेबुल ए'आ़दा होगी.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६४६)

सजद-ए-सहव करने का तरीक़ा

मस्अला

'सजद-ए-सहव करने का तरीक़ा येह है कि क़ा'दा-ए-आख़िरा में अत्तहिय्यात के बाद दाहेनी तरफ सलाम फैर कर दो (२) सजदे करना, फिर क़ा'दा करके उसमें अत्तहिय्यात, दरूदे-इब्राहीम वग़ैरह पढ़कर, दोनों तरफ सलाम फैरना चाहिये.''

(फिक़्ह की तमाम किताबें, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-४९)

मस्अला

''सजद-ए-सहव एक सलाम फैरने क बाद कर लेना चाहिये, दूसरा सलाम फैरना मना है. अगर दोनों तरफ क़स्दन सलाम फैर दिए, तो सजद-ए-सहव अदा न होगा और नमाज़ फिर से पढ़ना वाजिब है.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३८)

मस्अला

''सजद-ए-सहव के बाद जो क़ा'दा है, उसमें भी अत्तहिय्यात पढ़ना वाजिब है. उस क़ा'दे में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़कर भी सलाम फैर सकता है, लैकिन बहेतर येह है कि अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़े.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५०)

सजद-ए-सहव के मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी मसाइल

मस्अला

''फर्ज़ और नफ्ल दोनों नमाज़ों में सजद-ए-सहव के वाजिब होने का एक ही हुक्म है या'नी नफ्ल नमाज़ में भी कोई वाजिब तर्क होने से (छूटने से) सजद-ए-सहव वाजिब है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-५०)

मस्अला

''सजद-ए-सहव उस वक़्त वाजिब है कि वक़्त में गुंजाइश (अवकाश-Scope) हो, अगर वक़्त में गुंजाइश न हो, मस्लन नमाज़े-फज्र में ग़लती होने की वजह से सजद-ए-सहव वाजिब हुवा, नमाज़ी ने पहला सलाम फेरा और

सजद-ए-सहव नहीं किया था कि आफताब तुलूअ़ कर आया (सूर्योदय हो गया) तो सजद-ए-सहव साकि़त (माफ-Exempted) हो गया.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-४९)

मस्अला

जुम्आ और दोनों ईदों की नमाज़ में अगर सजद-ए-सहव वाजिब हुआ, तो बेहतर येह है कि सजद-ए-सहव न करे, क्योंकि अगर इमाम सजद-ए-सहव करता है, और मजमअ़ कसीर (लोगों की ज़ियादा संख्या-Crowd) है, तो मुक़्तदीयों की कसरत (ज़ुयादती) की वजह से ख़ब्त (चितभ्रम-Insanity) और इफ्तेनान (Misleading) का अंदेशा है या'नी मुक़्तदीयों में गड़बड़ी और फित्ना (विवाद) होने का अंदेशा (संदेह) हो, तो ओलोमा-ए-किराम ने सजद-ए-सहव के तर्क करने (छोड़ने) की इजाज़त दी है, बल्कि जुम्आ और ईदकी नमाज़ में सजद-ए-सहव तर्क करना अवला या'नी बेहतर है. ''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५३ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६८९)

मस्अला

''ता'दीले अरकान मस्लन क़ौमा (रूकूअ़ के बाद सीधा खड़ा होना) या जल्सा (दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना) भूल जाने से भी सजद-ए-सहव वाजिब होता है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५०)

मस्अला

''अगर एक नमाज़ में चंद (एक से ज़ियादा) वाजिब तर्क हुए, तो भी सिर्फ एक (१) मरतबा ही सजद-ए-सहव करना काफी है.''

(रद्दुल महोतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५०)

मस्अला

कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजेबाते-नमाज़ से नहीं है बल्कि उसका वाजिब होना अम्रे-ख़ारिज (बाह्य प्रयोजन-External intention) से है, तो उस वाजिब के तर्क होने से सजद-ए-सहव नहीं. मस्लन कुरआने-मजीद तरतीब के मुवाफिक (क्रमानुसार-In Succession) पढ़ना तिलावत के वाजिबों में से है, नमाज़ के वाजिबों से नहीं. अगर किसीने नमाज़ में ख़िलाफे-तरतीब कुरआने-मजीद पढ़ा तो तिलावत का वाजिब तर्क हुआ लिहाज़ा सजद-ए-सहव वाजिब नहीं.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-४९)

मस्अला

''अगर किसी ने नमाज़ में भूल कर ख़िलाफे-तरतीब कुरआने-मजीद पढ़ा तो हर्ज नहीं और सजद-ए-सहव की ज़रूरत नहीं. और अगर क़स्दन (जान बूज़कर) ख़िलाफे-तरतीब पढ़ा, तो सख़्त गुनाहगार होगा लैकिन नमाज़ फिर भी हो गई और सजद-ए-सहव की अब भी ज़रूरत नहीं, अलबत्ता तरतीब उल्टा कर नमाज़ में कुरआने-मजीद पढ़ना हराम है, लिहाज़ा उस पर लाज़िम है कि तौबा करे.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-८८/१३२/४३७)

मस्अला

'' अगर नमाज़ में इमाम से सहव हुआ और सजद-ए-सहव वाजिब हुआ तो मुक़्तदी पर भी सजद-ए-सहव वाजिब है अगरचे कोई मुक़्तदी इमाम को सहव वाकेअ़ होने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ हो, मिसाल के तौर पर इशा की नमाज़ के फर्ज़ के क़ा'द-ए-उला में इमाम ने अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया, लिहाज़ा सजद-ए-सहव वाजिब हो गया, अब अगर कोई मुक़्तदी तीसरी रकअ़त में या'नी इमाम की ग़लती वाकेअ़ होने के बाद

जमाअ़त में शामिल हुआ, जब भी उस मुक़्तदी पर सजद-ए-सह्व वाजिब है, वोह मुक़्तदी भी इमाम के साथ सजद-ए-सह्व करे. बा'दहू या'नी सजद-ए-सह्व करने के बाद इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी नमाज़ पूरी करे.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५४)

मस्अला

'' अगर मुक़्तदी से ब:हालते-इक़्तेदा या'नी इमाम के साथ (पीछे) नमाज़ पढ़ने की हालत में सह्व वाकेअ़ हुआ या'नी कोई भूल हुई, तो मुक़्तदी को सजद-ए-सह्व करना वाजिब नहीं और नमाज़ का एआ़दा भी उसके ज़िम्मे नहीं.''

(हवाला : ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ तबय्यनुल हक़ायक़, जिल्द-१, सफ़हा-१९५ ◆ बहरूर राइक, जिल्द-२, सफ़हा-१०८ ◆ फ़तावा हिन्दिया या'नी आ़लमगीरी जिल्द-१, सफ़हा-१२८ ◆ मआ़निल आसार, जिल्द-१, सफ़हा-२३८ ◆ बदाएउस सनाए, जिल्द-१, सफ़हा-१७५ ◆ बहारे शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५४ और ◆ फ़तावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६४२)

मस्अला

'' इमाम पर सजद-ए-सह्व वाजिब न था और उसने भूल कर सजद-ए-सह्व किया, तो इमाम और उन मुक़्तदीयों की नमाज़ हो जाएगी, जिनकी कोई रकअ़त नहीं छूटी लैकिन मस्बूक़ या'नी जिसकी कुछ रकअ़तें छुटी हों और वोह मुक़्तदी जो सजद-ए-सह्व में जाने के बाद जमाअ़त में शामिल हुए, उन मुक़्तदीयों की नमाज़ न हुई.''

हवाला : ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ रद्दुल मोहतार ◆ ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन ◆ फ़तावा इमाम क़ाज़ी ख़ान ◆ तहतावी अला मुराकीयुल फलाह ◆ मुहीत ◆ फ़तावा रज़्वीया,जिल्द-३, सफ़हा-६३४

मस्अला

''क़ाद-ए-अख़िरा में येह गुमान हुआ कि क़ा'द-ए-उला है, और इसी गुमान में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़ कर खड़ा हो गया और रकअ़त शुरू कर दी और अगर उस रकअ़त का सजदा करने से पहले याद आ गया, तो फ़ौरन का'दा की तरफ लौटे और क़ा'दा में बैठ जाए और बैठने के साथ ही फ़ौरन सजद-ए-सह्व में चला जाए, अत्तहिय्यात न पढ़े. सजद-ए-सह्व करने के बाद फिर अत्तहिय्यात, दरूद, दुआ वग़ैरह पढ़ कर सलाम फैर कर नमाज़ पूरी करे.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फ़तावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६३३)

क़िरअ़त की वोह ग़लतियां जिनकी वजह से सजद-ए-सह्व वाजिब होता है

मस्अला

''फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअ़तों में और वित्र, सुन्नत या नफ़्ल की किसी भी रकअ़त में सूर-ए-फ़ातेहा (अल-हम्दो-शरीफ) की एक (१) आयत भी पढ़ना भूल गया, या सूरत से पहले दो (२) मरतबा अल-हम्दो शरीफ पढ़ी, या अल-हम्दो शरीफ के साथ सूरत मिलाना भूल गया, या अल-हम्दो शरीफ से पहले सूरत पढ़ी और अल-हम्दो शरीफ को बाद में पढ़ा तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.''

(दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५० और फ़तावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफ़हा-१२३/१३४)

मस्अला

''अल-हम्दो शरीफ पढ़ना भूल गया और सूरत शुरू कर दी, तो अगर एक

आयत की मिक़दार (मात्रा) जितना पढ़ चुका था, फिर याद आया, तो अल-हम्दो शरीफ पढ़ कर सूरत पढ़े और सजद-ए-सह्व करना वाजिब है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

'' अगर अल-हम्दो शरीफ पढ़ना भूल गया और सिर्फ सूरत पढ़कर रूकूअ़ में चला गया और उसे रूकूअ़ में या रूकूअ़ से खड़ा होने के बाद याद आया (और अभी तक सजदा में नहीं गया) तो अल-हम्दो शरीफ पढ़ कर, फिर सूरत पढ़े और रूकूअ़ का एआ़दा करे या'नी दूसरी मरतबा रूकूअ़ करे और नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सह्व करे.''

(हवाला : सदर,Ditto)

मस्अला

''किसी ने ब:क़दरे-फर्ज़ क़िरअत तो की मगर ब:क़दरे-वाजिब किरअत न की और रूकूअ़ में चला गया या'नी जिस रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के साथ किसी सूरत का मिलाना वाजिब था, उस रकअ़त में सिर्फ सूर-ए-फातेहा पढ़ी और सूरत मिलाए बग़ैर रूकूअ़ में चला गया, तो हुक्म यही है, कि रूकूअ़ से लौटे और फिर से सूर-ए-फातेहा पढ़कर सूरत मिलाकर फिर से (दोबारा) रूकूअ़ करे और नमाज़ के आख़िर (अंत-End) में सजद-ए-सह्व करे. इस सूरत (परिस्थिति-Circumstance) में अगर दोबारा रूकूअ़ न किया, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी क्योंकि पहला रूकूअ़ साक़ित (निर्मूल्य-Worth-less) हो गया.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५१)

मस्अला

'' भूल कर फर्ज़ की पिछली रकअ़तों में या'नी ज़ोहर, अस्र और इशा की तीसरी व चौथी रकअ़त और मगरिब की तीसरी रकअ़त में अल-हम्दो शरीफ

के बाद सूरत मिलाई, तो सजद-ए-सह्व नहीं, बल्कि अगर क़स्दन (जान बूझ़कर) भी सूरत मिलाई, तो भी हर्ज़ नहीं, मगर इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिये. यूंही अगर पिछली रकअ़तों में अल-हमदो शरीफ न पढ़ी, तो भी सजद-ए-सह्व नहीं.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५१ और फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६३७)

मस्अला

'' नमाज़ में क़याम (खड़े होने की हालत) के सिवा रूकूअ़ या सजदा या क़ा'दा में किसी जगह कुरआन की कोई आयत यहां तक कि 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना भी जाइज़ नहीं. अगर रूकूअ़ या सजदा या क़ा'दा में कुरआन शरीफ की कोई आयत पढ़ी तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५१,फतावा रज़्वीया, जिल्द-३,सफहा-१३४ और अल-मल्फ़ूज़, हिस्सा-३, सफहा नं. ३२१)

मस्अला

'' नमाज़ में आयते-सजदा पढ़ी, तो सजद-ए-तिलावत का नमाज़ में अदा करना और 'फिलफौर' (विना विलंब, तुरन्त-Immediately) अदा करना वाजिब है. अगर सजद-ए-तिलावत करना भूल गया, या तीन (३) आयतों के पढ़ने के वक्त की मिक़दार (मात्रा) जितनी या ज़ियादा दैर की तो सजद-ए-तिलावत भी करे और सजद-ए-सह्व भी करे.''

(आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-५१ और फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६५३)

मस्अला

''अगर इमाम ने उन रकअ़तों में कि जिन में क़िरअत आहिस्ता आवाज़ से करना वाजिब है, मस्लन ज़ोहर और अस्रकी सब रकअ़तें, मग़रिब की

तीसरी रकअ़त और इशा की पिछली दोनों रकअ़तों में से किसी भी रकअ़त में भूल कर बुलन्द आवाज़ से कुरआने-अज़ीम पढ़ा और उस की कम से कम (लघुतम-Minimum) मिक्दार (मात्रा) कि जिससे क़िरअत करनेका फर्ज़ अदा हो जाए, और वोह हमारे इमामे-आज़म अबू हनीफ रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो के मज़हब में एक (१) आयत है, या'नी अगर सिर्फ एक (१) आयत जितना भूल कर बुलन्द आवाज़ से पढ़ दिया तो सजद-ए-सह्व वाजिब है, और अगर इतना या'नी एक (१) आयत जितना क़स्दन (जान बूझ कर) ब-आवाज़े-बुलन्द पढ़ा, तो नमाज़ का फैरना या'नी नमाज़ को फिर से पढ़ना वाजिब है.''

(◆ गुन्या शरहे मुन्या ◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ बहरूर राइक़◆ हिदाया ◆ तातार ख़ानिया ◆ इनाया ◆ फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-९३)

मस्अला

''सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो शरीफ) पढ़ लेने के बाद सूरत सोचने में इतनी दैर लगाई कि तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहे लिया जाए, तो क़िरअत में ताख़ीर (विलम्ब-Delay) होने की वजह से तर्क-वाजिब हुआ, लिहाज़ा सजद-ए-सह्व करना वाजिब है, क्योंकि अल-हम्दो शरीफ के साथ फौरन (शीघ्र) सूरत मिलाना वाजिब है.''

(◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ गुन्या ◆ मुहीत ◆ आ़लमगीरी ◆ रद्दुल मोहतार ◆ फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-२७९/६३०)

मस्अला

'' पहली दो (२) रकअ़तों में क़याम में सूर-ए-फातेहा के बाद तशह्हुद (अत्तहिय्यात) पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है और अगर सूर-ए-फातेहा से पहले पढ़ा तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं.

और पिछली दो (२) रकअ़तों या'नी तीसरी और चौथी रकअ़त में सूर-ए-फातेहा के पहले या बाद में तशह्हुद पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५३)

मस्अला

''अगर क़याम में एक (१) से ज़ियादा मरतबा सूर-ए-फातेहा पढ़ी, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-७५)

मस्अला

'' इमाम ने जहरी नमाज़ या'नी जिनमें बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है या'नी फज्र की दोनों रकअ़तों और मग़रिब व इशा की पहली दोनों रकअ़तों में सिर्फ एक (१) आयत पढ़ने जितना आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत की (पढ़ी) तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.''

(रद्दुल मोहतार, गुन्या शरहे मुन्या, आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, और बहारे-शरीअ़त)

मस्अला

''मुन्फरिद या'नी अकेले नमाज़ पढ़ने वाले ने सिर्री नमाज़ या'नी जिसमें आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है, उसमें बुलन्द आवाज़ से पढ़ा, तो सजदा-ए-सह्व वाजिब है.

और अगर जहरी नमाज़ या'नी जिस में बुलन्द अवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है, उसमें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं.'' (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५४)

ख़िलाफे तरतीब अफआले-नमाज़ अदा करने से सजद-ए-सह्व वाजिब होने के ज़रूरी मसाइल

मस्अला

" नमाज़ में जो काम 'बित्तरतीब-तय-शुदा' (क्रमानुसार नियुक्त) हैं, उनमें तरतीब (पद्धति-Method) वाजिब है. अगर किसी से ख़िलाफे-तरतीब (क्रम विरूद्ध) फे'ल (काम) हुआ, तो उस पर सजद-ए-सह्व वाजिब है, मस्लन क़िरअत से पहले रूकूअ़ कर दिया तो अब ज़रूरी है कि उस रूकूअ़ के बाद क़िरअत कर ले और दूसरी मरतबा रूकूअ़ करे.

अगर रूकूअ़ के बाद क़िरअत न की और सजदे में चला गया, तो नमाज़ फासिद हो गई, क्योंकि क़िरअत करने का फर्ज़ ही तर्क हो गया (छूट गया). और अगर रूकूअ़ के बाद क़िरअत तो की मगर दूसरी मरतबा रूकूअ़ न किया, तो भी नमाज़ फासिद हो गई. क्यूंकि पहले रूकूअ़ के बाद क़िरअत करने की वजह से पहला रूकूअ़ साक़ित (निर्मूल्य) हो गया, लिहाज़ा क़िरअत के बाद अज़ सरे नौ (फिर से) रूकूअ़ करना लाज़मी था. लिहाज़ा इस सूरत (परिस्थिति) में रूकूअ़ से वापस पलट कर क़िरअत करे और क़िरअत के बाद अज़ सरे नौ रूकूअ़ करे और नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सह्व करे."

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५१)

मस्अला

" वित्र की नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत या तकबीरे कुनूत या'नी क़िरअत के बाद कुनूत के लिये जो तकबीर कही जाती है, वोह भूल गया, तो सजद-ए-सह्व करे." (आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४ सफहा-५३)

मस्अला

" जो शख़्स कुनूत भूल कर रूकूअ़ में चला गया उसे जाइज़ नहीं कि फिर से रूकूअ़ से कुनूत की तरफ पल्टे, बल्कि हुक्म येह है कि नमाज़ ख़त्म करके आख़िर में सजद-ए-सह्व करे.

अगर वित्र नमाज़ की जमाअ़त में इमाम कुनूत का पढ़ना भूल गया और रूकूअ़ में चला गया, तो मुक़्तदी भी इमाम के साथ रूकूअ़ में चला जाए. अगर मुक़्तदी ने इमाम को याद दिलाने के लिये तकबीर कही या'नी लुक़्मा दिया, ताकि इमाम रूकूअ़ से कुनूत की तरफ पलट आए, तो मुक़्तदी का येह लुक़्मा देना ना-जाइज़ औद (पलटने-Return) के लिये था, लिहाज़ा लुक़्मा देने वाले मुक़्तदी की नमाज़ फासिद हो गई. कुनूत पढ़ने के लिये रूकूअ़ छोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं. रूकूअ़ से कुनूत की तरफ पलटना गुनाह है."

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया जिल्द-३, सफहा-६४५/६४८)

मस्अला

" दोनों ईद की नमाज़ में इमाम सब या बा'ज़ (कुछ) तकबीरें (या'नी तकबीराते-ज़ाइद-Extra) भूल गया, या छैः (६) से ज़ियादा तकबीरें कहीं, या ग़ैर महल में कहीं या'नी तकबीरों को उनके मक़ाम (स्थान) से हटकर कही, तो इन तमाम सूरतों में सजद-ए-सह्व वाजिब है"

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५३)

मस्अला

" ईदैन में इमाम अगर पहली रकअ़त में तकबीरे-रूकूअ़ या'नी रूकूअ़ में जाने की तकबीर कहना भूल गया, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं और अगर

दूसरी रकअ़त में तकबीरे-रूकूअ़ कहना भूल गया तो सजद-ए-सहव वाजिब है.''

(हवाला : सदर,Ditto)

रुकूअ़ और सजदे की ग़लतियाँ और सजद-ए-सह्व

मस्अला

''किसीने रूकूअ़ की जगह (स्थान) सजदा या सजदा की जगह रूकूअ़ किया, तो सजद-ए-सहव वाजिब है.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५३)

मस्अला

''अगर किसी ने एक (१) रकअ़त में दो (२) मरतबा रूकूअ़ किया, तो सजद-ए-सहव वाजिब है क्योंकि एक (१) रकअ़त में सिर्फ एक ही रूकूअ़ करना वाजिब है, एक के बदले दो (२) रूकूअ़ करने की वजह से वाजिब तर्क हुआ, लिहाज़ा सजद-ए-सहव वाजिब हुआ.'' (बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-७५)

मस्अला

'' इसी तरह किसीने एक रकअ़त में दो (२) के बजाए (बदले) तीन (३) सजदे किए, तो सजद-ए-सहव वाजिब है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६४६)

मस्अला

'' अगर रूकूअ़ में 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' की जगह पर (बदले) '' सुब्हाना-रब्बीयल-आ़ला'' कहे दिया, या सजदे में 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ़ला' के बदले 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहे दिया, या रूकूअ़ से उठते वक्त 'समिअल्लाहो-लेमन-हमेदह' की जगह 'अल्लाहो-अकबर' कह

दिया, तो सजद-ए-सह्व की अस्लन (सदंतर) हाजत नहीं. नमाज़ हो गई.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६४७)

क़ा'दा की ग़लतियां और सजद-ए-सह्व

मस्अला

'' फर्ज़, वित्र और सुन्नते-मोअक्केदा नमाज़ के क़ा'द-ए-उला में तशहहुद (अत्तहिय्यात) के बाद अगर सिर्फ ''अल्लाहुम्मा-सल्ले-अ़ला-मुहम्मदिन'' या 'अल्लाहुम्मा-सल्ले-अ़ला-सय्येदेना' कहे लिया, तो अगर येह कहना सह्वन (भूल कर) है, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है, और अगर अमदन (जान बूज़ कर) है, तो नमाज़ का एआ़दा करे. और येह उस वजह से नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ा बल्कि इस वजह से है कि तीसरी रकअ़त के क़याम में, जो फर्ज़ है, उसमें ताख़ीर (विलंब) हुई और फर्ज़ में ताख़ीर होने की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़िम (वाजिब) होता है, लिहाज़ा अगर किसी ने क़ा'द-ए-उला 'अत्तहिय्यात' के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा बल्कि ''अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन' पढ़ने के वक्त की मिक़दार चुप बैठा रहा, तो भी सजद-ए-सह्व वाजिब है.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-५३, और फतावा रज़वीया जिल्द-३, सफहा-६३६)

मस्अला

'नवाफिल और सुन्नते-गैर-मोअक्केदा (अस्र और इशा के फर्ज़ के पहले की सुन्नते) में क़ाद-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ने से भी सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं होगा, बल्कि अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ना मस्नून (सुन्नत) है.''

(दुर्रे मुख़्तार, सिराज्या, आ़लमगीरी, क़ाज़ी ख़ान, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४६९)

मस्अला

" अगर क़ाद-ए-उला में एक से ज़ियादा (चंद) मरतबा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है."

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५३)

मस्अला

" हर क़ा'दे में पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना वाजिब है, अगर एक (१) लफ्ज़ (शब्द-Word) भी छूटा तो तर्के-वाजिब होने की वजह से सजद-ए-सह्व वाजिब होगा, चाहे नफ्ल नमाज़ हो या फर्ज़ नमाज़ हो."

(आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५३)

मस्अला

" अगर क़ा'दा में अत्तहिय्यात की जगह भूल कर सूर-ए-फातेहा पढ़ी, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है."

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५३, फतावा रज़वीया जिल्द-३, सफ्हा-१३४ और अलमल्फूज़ हिस्सा-३, सफ्हा-४३)

मस्अला

फर्ज़, वित्र या सुन्नते-मोअक्केदा का क़ा'द-ए-उला भूल गया और तीसरी रकअ़त के लिये खडा हो गया. अगर सीधा खड़ा हो गया, तो अब क़ा'दा के लिये न लौटे बल्कि नमाज़ पूरी करे और आखिर में सजद-ए-सह्व करे."

(दुर्रे मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५१, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-६३४)

मस्अला

" नफ्ल नमाज़ का हर क़ा'दा क़ाद-ए-अख़िरा है या'नी फर्ज़ है. अगर चार (४) रकअ़त की निय्यत बांधकर नफ्ल नमाज़ पढ़ रहा है और दो (२) रकअ़त के बाद क़ा'दा करना भूल गया और तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो

गया, अगरचे बिल्कुल सीधा (Straight) खड़ा हो गया है, तो जब तक उस रकअ़त का सजदा न किया हो, लौट आए और सजद-ए-सह्व करे."

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५२)

मस्अला

" इमाम के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने वाला मुक्तदी क़ा'द-ए-उला में बैठना भूल गया और तीसरी रकअ़त के लिये सीधा खड़ा हो गया, तो ज़रूरी है कि वोह मुक्तदी क़ा'दा में लौट आए और इमाम की मुताबेअ़त (ताबेदारी) करे, ताकि इमाम की मुख़ालेफत (विरूद्धता-Opposition) का इरतेकाब (आचरण) न हो."

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ्हा-५१)

नोट :

"इस मुक्तदी को अकेले सजद-ए-सह्व करने की ज़रूरत नहीं. इमाम के साथ दोनों सलाम फैरकर नमाज़ पूरी करे."

मस्अला

" फर्ज़ नमाज़ में अगर क़ा'द-ए-अख़िरा भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक उस रकअ़त का सजदा नहीं किया, क़ा'दे में वापस लौट आए और सजद-ए-सह्व करे. और अगर उस रकअ़त का सजदा कर लिया, तो सजदे से सर उठाते ही, वोह फर्ज़ अब नफ्ल में मुन्तकिल (परिवर्तित-Transpose) हो गए, लिहाज़ा मग़रिब के इलावा और (अन्य) नमाज़ों में एक रकअ़त मज़ीद (विशेष-Further) मिलाए, ताकि रकअ़तों की ता'दाद (संख्या-Number) ताक़ (ऐकी संख्या/विषम-Odd) न रहे, बल्कि शुफ़अ़ या'नी जुफ्त (बेकी संख्या-Even) हो जाए. मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ के आख़री क़ा'दा में बैठना भूल गया और पांचवी रकअ़त का सजदा कर लिया, तो अब एक रकअ़त मज़ीद (अधिक-Additional) मिलाए या'नी

छटी (६) रकअ़त भी पढ़े. अब येह तमाम की तमाम रकअ़तें नफ़्ल के हुक्म में हैं, छेः (६) रकअ़त पूरी करके सजद-ए-सह्व करे. लैकिन अगर मग़रिब की नमाज़ में आख़िरी का'दा भूल गया और चौथी रकअ़त के लिये खड़ा हो गया, तो चार (४) रकअ़त पर इक्तिफा (परितृप्ति-Contentment) करे और पांचवी न मिलाए.''

(दुर्रे-मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त,हिस्सा-४, सफहा-५२)

मस्अला

'' अगर इमाम क़ाद-ए-अख़िरा तशह्-हुद की मिक्दार करने के बाद भूल कर खड़ा हो गया, तो मुक्तदी उसका साथ न दें बल्कि बैठे हुए इन्तिज़ार करें कि इमाम क़ा'दा में वापस लौट आए, अगर इमाम क़ा'दा में वापस लौट आया तो मुक्तदी उसका साथ दें और अगर इमाम वापस न लौटा और मज़ीद रकअ़त का सजदा कर लिया, तो मुक्तदी सलाम फैर कर नमाज़ पूरी कर दें.''

(हवाला : सदर, Ditto)

मस्बूक मुक्तदी के लिये सजद-ए-सह्व के तअ़ल्लुक से निहायत ज़रूरी मसाइल

मस्अला

'' मस्बूक मुक्तदी या'नी वोह मुक्तदी जो जमाअ़त में बाद में शामिल हुआ और उसकी कुछ रकअ़त या रकअ़तें छूट गई हों, उस मस्बूक़ मुक्तदी ने इमाम के साथ सजद-ए-सह्व किया और इमाम के सलाम फैरने के बाद जब अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) रकअ़तें पढ़ने खड़ा हुआ, तो अगर

उस में भी सह्व वाक़ेअ़ हुआ या'नी ग़लती हुई, तो अपनी नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सह्व करे.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा, सफहा-५४)

मस्अला

''मस्बूक मुक्तदी जब तक अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) नमाज़ अदा न कर ले, उस वक्त तक उसे सलाम फैरना ममनूअ़ (प्रतिबन्धित-Forbidden) है. इमाम ने सजद-ए-सह्व के लिये एक तरफ सलाम फैरा, तो मस्बूक मुक्तदी उस सलाम में इमाम की मुताबेअ़त (पैरवी-Follow) नहीं कर सकता. इलावा अज़ीं सजद-ए-सह्व करने के बाद नमाज़ ख़त्म (पूरी) करने के लिये इमाम जो सलाम फैरेगा, उस में भी मस्बूक मुक्तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फैर सकता.

अल मुख़्तसर ! इमाम सजद-ए-सह्व से पहले और सजद-ए-सह्व कर लेने के बाद जो सलाम फैरता है, इन दानों सलामों में मस्बूक़ मुक्तदी ने अगर क़स्दन (जान बूज़ कर) शिरकत (Adherence) की, तो उसकी नमाज़ जाती रहेगी, क्योंकि येह सलाम अ़मदी (इरादा पूर्वक-Purposely) है और इसके सबब (कारण) से नमाज़ में ख़लल (भंग-Interruption) वाक़ेअ़ हुआ.

और ..... अगर मस्बूक़ मुक्तदी ने सहवन (भूल कर) इमाम के साथ सलाम फैर दिया, तो उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी, बल्कि अगर मस्बूक़ मुक्तदी ने इमामके सजद-ए-सह्व से पहले वाले या बाद वाले किसी भी सलाम में सहवन (भूल से) इमाम से पहले या इमाम के साथ मअ़न (बिला वक्फा) या'नी इमाम के बिल्कुल साथ-साथ सलाम फैरा तो मुक्तदी पर सजद-ए-सह्व भी लाज़िम नहीं, क्योंकि वोह हनूज़ (अभी तक-Still) मुक्तदी है और मुक्तदी पर

खूद अपने सह्व (ग़लती) की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़ीम नहीं.

अलबत्ता ! अगर मस्बूक मुक़्तदी ने इमाम के सजद-ए-सह्व के बाद वाले या'नी नमाज़ पूरी करने के लिये इमाम ने जो आख़िरी सलाम फैरा, उस सलाम के बाद या'नी इमाम के सलाम फैरने के कुछ वक़्फा (क्षणिक रूकना-Slight Refraining) के बाद सह्वन (भूलकर) सलाम फैरा, तो उस पर दोबारा (Again) सजद-ए-सह्व वाजिब है. अगरचे वोह इमाम के साथ सजद-ए-सह्व कर चुका है, लिहाज़ा वोह अपनी नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सह्व करे, क्योंकि इमाम के सलाम फैरने के कुछ वक़्फा बाद उसने सलाम फैरने की जो भूल की, तब वोह मुन्फरिद हो चुका था, और मुन्फरिद या'नी अकेले नमाज़ पढ़ने वाले पर खुद अपने सह्व (ग़लती) की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़िम होता है.

एक अहम जुज़्या (नियम का सिद्धान्त-Rule of Principal) अच्छी तरह याद रखें कि मस्बूक़ मुक़्तदी इमाम के सजद-ए-सह्व में इमाम की पैरवी (अनुकरण) कर सकता है, लैकिन सजद-ए-सह्व के सलाम में इमाम की पैरवी नहीं कर सकता.''

(हवाला : ख़ज़ानतुल मुफतीन, हुल्या शरहे मुन्या, हाशिया मुराक़ियुल फलाह, बहरूर राइक़, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३४)

प्रकरण (१६) 'मुसाफिर की नमाज़ का ब्यान'

- '' हर शख़्स को कहीं न कहीं सफर (प्रवास-Travelling) करने का इत्तेफाक़ होता है. नमाज़ एक ऐसा फरीज़ा (कर्तव्य-Duty) है कि हज़र (उपस्थिति-Presence) हो या सफर, हर हालत में उसे अदा करना है. अलबत्ता सफर की नमाज़ में रिआयत (छूटछाट-Remission) दी गई है और सफर में 'क़स्र' नमाज़ पढ़ने की आसानी दी गई है.''

- ''सफर की हालत में ज़ोहर, अस्र और इशा या'नी चार (४) रकअ़त वाली फर्ज़ नमाज़ में 'क़स्र' (घटाना-Diminution) करने का हुक्म है या'नी चार (४) रकअ़त फर्ज़ के बदले दो (२) रकअ़त फर्ज़ पढ़ने का हुक्म है. हालते-सफर में सुन्नतें पूरी पढ़ी जाऐंगी और अगर उजलत (जल्दी-Haste) है, तो सुन्नतें माफ (मुक्ति-Exemption) हैं.''

- '' शरअ़न वोह शख़्स (व्यक्ति) मुसाफिर है, जो तीन (३) दिन की राह तक जाने के इरादे से अपनी बस्ती से सफर करने के लिये बाहर निकला हो. तीन (३) दिन की राह से मुराद साढ़े सत्तावन (57½) मील (माइल-Mile) की मुसाफत (अंतर) है या'नी कोई शख़्स अपनी बस्ती से साढे सत्तावन मील (57½ Miles) की मुसाफत के सफर को रवाना हुआ, वोह मुसाफिर है और वोह क़स्र नमाज़ पढेगा.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७६, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६७)

- ''साढ़े सत्तावन मील (57½ Mile) के ९२.५४ किलोमीर होते हैं. मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) हिसाब मुलाहिज़ा फरमाए :-

- 1 Mile = 1.60934 K.m.
- 57.5 Mile = 92.53705 K.M. = Say 92.54 K. M.

सफर में नमाज़ क़स्र करने के तअल्लुकसे चन्द अहादीसे-करीमा पेशे-ख़िदमत हैं :-

हदीस

"बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में उम्मुल मो'मेनीन हज़रत सय्येदेतुना आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तआला अन्हा से मर्वी है, फरमाती हैं कि; "नमाज़ दो (२) रक्त फर्ज़ की गई. फिर हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने हिजरत फरमाई. तो चार (४) कर दी गईं और सफरकी नमाज़ उस पहले (पूर्व-**Previous**) फर्ज़ पर रखी गई."

हदीस

"सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है, वोह फरमाते हैं कि; " अल्लाह तबारक व तआला ने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की ज़बानी (द्वारा) हज़र (घर पर हाज़िर होना) में चार (४) रकअ़त फर्ज़ फरमाई और सफर में दो (२) रकअ़त फर्ज़ की."

हदीस

" इब्ने माजा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने सफर की नमाज़ दो (२) रकअ़तें मुक़र्रर (Fix) फरमाई और येह पूरी (संपूर्ण-Complete) हैं, कम नहीं, या'नी अगरचे ब-ज़ाहिर दो (२) रकअ़तें कम हो गईं मगर सवाब में येह दो (२) रकअ़तें चार (४) के बराबर (समान) हैं."

सफर की नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़

ज़रूरी मसाइल

मस्अला

" मुसाफिर पर वाजिब है कि वोह क़स्र नमाज़ पढ़े या'नी चार (४) रकअ़त फर्ज़ वाली नमाज़ में सिर्फ दो (२) रकअ़त फर्ज़ पढ़े अगर दीद-ओ-दानिस्ता (जान बूज़ कर) सवाब ज़ियादा मिलने की निय्यत से पूरी नमाज़ पढ़ेगा, तो गुनाहगार और अ़ज़ाब का हक़दार होगा. हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; " सदक़तुन-तसद्दकुल्लाहो-बेहा-अलयकुम-फ-अक़्बेलू-सदक़तहु" (अनुवाद) " वोह सदक़ा है या'नी आसानी है. अल्लाह तआला तुम पर सदक़ा (आसानी) फरमाता है, तो अल्लाह का सदक़ा क़ुबूल (स्वीकार) करो."

(हवाला : दुर्रे मुख़्तार, हिदाया, आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७७, फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६६७)

मस्अला

" जिस शख़्स पर शरअ़न क़स्र है, और उसने जिहालत (अज्ञानता-Ignorance) की वजह से पूरी नमाज़ पढ़ी, तो उस पर मुवाखे़ज़ा (कठोर शिक्षा-Chastising) है और उस नमाज़ को फिर से पढ़ना वाजिब है."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

मस्अला

" सिर्फ ज़ोहर, अस्र और इशा के फर्ज़ों में क़स्र है, फज्र और मग़रिब के फर्ज़ों में क़स्र नहीं. इलावा अज़ीं सुन्नतों में भी क़स्र नहीं, अगर मुसाफिर सुन्नतें पढ़े, तो पूरी पढ़े. अलबत्ता, ख़ौफ और रवा रवी या'नी सफर की जल्दी

(Hurriedness) की हालत में सुन्नतें माफ हैं. अम्न और इत्मीनान (शान्ति, स्वस्थता-Tranquility) की हालत में सुन्नतें पढ़ी जाअें और पूरी पढ़ी जाअें.''

(आलमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७८)

मस्अला

'' अपने मक़ाम (स्थान-Place) से 57½ मील (92.54 K.M.) के फासले (अंतर-Distance) पर अलल इत्तेसाल (संलग्न-Successively) जाने और वहां जाकर पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने का इरादा न हो, तो क़स्र करे. अगर अपने मक़ाम से साढ़े सत्तावर (57½) मील के फासले पर अलल-इत्तेसाल या'नी मुतवातिर (अविश्त-Continue) जाना मक़सूद (प्रयोजना-Intention) नहीं, बल्कि राह (मार्ग) में कहीं ठहेरते हुए जाना मक़सूद है, या जहां जा रहा है, वहां पन्द्रह (१५) दिन कामिल (पूरे-Complete) ठहेरने का इरादा है, तो अब वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं, लिहाज़ा वोह पूरी नमाज़ पढ़े.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

मस्अला

''अगर किसी जगह जाने के दो (२) रास्ते हों, एक से शरई सफर की मुसाफत (अंतर) है और दूसरे से नहीं, तो जिस रास्ते से जाएगा, उसका ए'तबार है, अगर नज़्दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर नहीं, और अगर दूर वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर है. अगर चे दूर वाला रास्ता इख़्तियार करने में उसकी कोई सहीह ग़रज़ भी न हो.''

(आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७६)

इस मस्अले को मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) मिसाल से समजें.

मिसाल (दृष्टान्त-**Example**)

'' फर्ज़ करो (धारो-Suppose) कि शब्बीर और तौसीफ नाम के दो (२) शख़्स पोरबन्दर से धोराजी गए, लैकिन दोनों ने अलग-अलग रास्ते इख़्तियार (पसन्द-Choose) किए. इन दोनों रास्तोंमें से एक रास्ता छोटा या'नी कम मुसाफत (लघु अंतर-Short Distance) का है और दूसरा लम्बा है. मस्लन :-

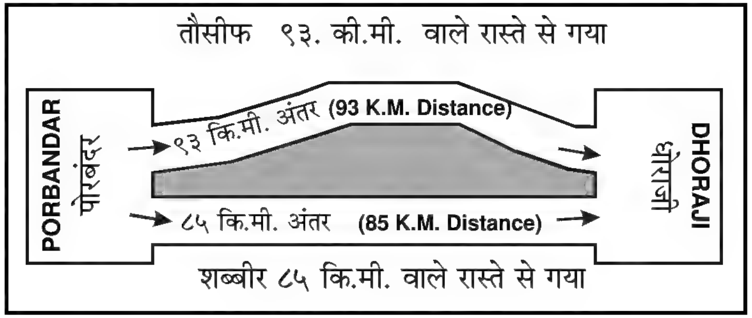

इस सूरत में शब्बीर पर क़स्र नहीं और तौसीफ पर क़स्र है, हालांकि दोनों एक ही शहर पोरबंदर से चले और एक ही शहर धोराजी गए. लैकिन दोनों ने अलग-अलग मुसाफ्त (अंतर-Distance) वाले रास्ते इख़्तियार किए, लिहाज़ा दोनों के लिये अलग-अलग हुक्म है. शब्बीर मुसाफिर के हुक्म में नहीं जबकि तौसीफ मुसाफिर के हुक्म में है.''

मस्अला

'' साढे सत्तावर ५७१/२ मील (92.54 K.M.) की मुसाफ्त अलल इत्तेसाल तय (पार-Cross) करने से आदमी (व्यक्ति) शरअ़न मुसाफिर हो जाता है, येह हुक्म मुत्लक़ (व्यापक-Common) है. फिर चाहे उस का सफर जाइज़ काम के लिये हो या ना-जाइज़ काम के लिये हो. हर हाल में उस पर

मुसाफिर के अहेकाम (नियम) जारी होंगे (लागू होंगे).''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७७)

मस्अला

'' साढ़े सत्तावन मील (92.54 K.M.) या उस से ज़ियादा की मुसाफत (अंतर) के सफर की ग़रज़ (इरादे) से रवाना होनेवाला अपने शहर की आबादी से बाहर (Out) होते ही उस पर मुसाफिर के अहेकाम नाफिज़ (लागू-Applied) हो जाअेंगे. अपने शहर की आबादी से बाहर निकल कर वोह क़स्र नमाज़ पढ़ेगा. और जहां जा रहा है वहां पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने की निय्यत और इरादा है फिर भी दौराने सफर (मार्ग में) वोह क़स्र नमाज़ ही पढ़ेगा और जहां जा रहा है उस मकाम की आबादी आते ही मुक़ीम हो जाएगा और अब वोह पूरी नमाज़ पढ़ेगा.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७८)

मस्अला

'' अगर सफर के टुकड़े (भाग-Part) करता हुआ चला और उन टुकडों में से कोई टुकड़ा ५७१/२ मील (92.54 K. M.) का या उससे ज़ियादा की मुसाफत का नहीं, तो इस तरह अगर सैकडों मील का सफर करेंगा,जब भी वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं. मिसाल के तौर पर एक शख़्स बम्बई से रवाना हुआ, पछत्तर (७५) किलोमीटर पर एक शहर में एक दिन क़याम किया और अपना काम किया. फिर वहां से चला और वहां से अस्सी (८०) किलोमीटर के फासले पर आए हुए दूसरे शहर में ठहेरा और अपना काम किया. इस तरह वोह ठहेरता हुआ सफर करता रहा. राह (मार्ग) में कई मक़ाम पर ठहेरा और अपना काम अंजाम दिया और इस तरह सफर करते हुए वोह अपने सफर के आग़ाज़ के मक़ाम (Starting Point) से सैंकडों मील (mile) दूरी तक पहुंच गया,

इसके बावजुद भी शरअ़त वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं, वोह अपनी नमाज़ पूरी पढ़ेगा, उसे क़स्र करना जाइज़ नहीं. (जुज़या, संदर्भ : गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-७७)

मस्अला

'' सफर करने वाले पर शरअ़न मुसाफिर के अहेकाम (नियम-Rule) सिर्फ उस सूरत (परिस्थिति) में नाफिज़ होंगे, जब कि उसकी निय्यत सच्चे अज़्म (प्रयोजन-itention) और इरादे पर महमूल (आधारित) हो, अगर किसी मक़ाम पर पहुंच कर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने की निय्यत भी की और उसे मा'लूम है कि मुजे़ मन्द्रह (१५) दिन से पहले यहां से चला जाना है, तो येह निय्यत न हुई बल्कि महज़ तख़य्युल (फक़्त अनुमान-Supposing) हुआ. मिसाल के तौर पर एक शख़्स हज के इरादे से ज़िलहिज्जह महीने की पहली तारीख़ (दिनांक) को मक्क मोअ़ज़ज़्मा पहुंचा और उसने मक्क मोअ़ज़ज़्मा में पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत की, तो उस की निय्यत का ए'तबार (विश्वास-Belief) नहीं, क्योंकि उसे नौ (९) और दस (१०) ज़िल हिज्जा को अरफात, मिना और मुज़दल्फा नाम के मक़ाम में अरकाने-हज्ज अदा करने के लिये मक्क मोअ़ज़ज़्मा से ज़रूर (अवश्य-Definite) निकलना पडे़गा. मक्क मोअज़ज़्मा में पन्द्रह दिन मुत्तसिल (सतत-Continual) ठहेरना मुम्किन (Possible) ही नहीं. इस सूरत में उसे क़स्र नमाज़ पढ़नी होगी. अलबत्ता अरफात और मिना से वापसी के बाद निय्यत करे तो सहीह है.''

(ब: हवाला : आ़लमगीरी, मे'राजुल दराया, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८०, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६४)

मस्अला

" इसी तरह साड़े सत्तावन मील (92.54 K.M.) से कम अंतर तक जाने का अज़्म (प्रयोजना) है, और घरसे निकले वक्त साड़े सतावन मील की निय्यत की ताकि आबादी से निकलते ही असना-ए-राह (मार्ग में-During the Road) से ही क़स्र नमाज़ की सहूलियत (सगवड-Facility) की इजाज़त मिल जाए, तो येह निय्यत नहीं बल्कि ख़्याल बन्दी है. इस सूरत में उसे क़स्र नमाज़ की इजाज़त नहीं.''

(हवाला : सदर-Ditto)

मस्अला

" मुसाफिर अपने काम के लिये किसी ऐसे मक़ाम पर गया जो शरअ़न सफर की मुसाफत पर है या'नी साढे सत्तावन मील (92.54 K. M.) या उससे ज़ियादा के फासले (अंतर-Distance) पर है. और वहां उसने पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत नहीं की, बल्कि पन्द्रह (१५) दिन से कम ठहेरने की निय्यत की, क्योंकि उसे गुमान और उम्मीद (अपेक्षा/आशा) थी कि मेरा काम दो (२) चार (४) दिन में हो जाएगा और उसका इरादा येह है कि काम हो जाते ही चला जाऊंगा और उसका काम आज हो जाएगा ... कल हो जाएगा... की सूरत (परिस्थितिज़ में है और आज/कल... आज/कल.....करते करते ..... अगर साल (वर्ष) दो साल भी गुज़र जाअें, जब भी वोह मुसाफिर है, मुक़ीम (स्थायी) नहीं, लिहाज़ा क़स्र करे.''

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८०)

मस्अला

" अगर किसी ने अपने वतने-अस्ली से दूसरी जगह मस्कन (वसवाट-Residence) किया और अपने बीवी बच्चों को भी उस मस्कन में आरज़ी (हंगामी-Temporary) तौर पर अपने साथ रखा है, तो वोह जगह उसके

लिये 'वतने-अस्ली' के हुक्म में नहीं, लिहाज़ा वोह जब भी वहां आएगा और पन्द्रह दिन (15 Days) से कम ठहेरने की निय्यत करेगा, तब उस पर क़स्र नमाज़ वाजिब है, वोह नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेगा. और अगर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने की निय्यत है तो अब मुक़ीम है, लिहाज़ा अब वोह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, उसके लिये क़स्र जाइज़ नहीं.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

इस मस्अले को मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित-Below) मिसाल से समझें.

" नईम बम्बई का बाशिन्दा (रहेवासी) है. उसे नागपूर शहर में एक ठेका (Contract) मिला है,जो दो (२) साल की मुद्दत के लिये है और नईम को अपने ठेके की मुद्दत (Period)तक नागपुर में रहेना ज़रूरी है. लिहाज़ा नईमने अपने बीवी और बच्चोंको भी आ़रज़ी तौर पर अपने साथ नागपुर मुन्तक़िल (Transfer) कर दिया और वोह अपने परिवार के साथ नागपुर में रहेने लगा. और अपने ठेके का काम करने लगा.

नईम को दिल्ली के एक व्यापारी (ताजिर) से कुछ रक़म लेनी बाक़ी थी, लिहाज़ा वोह अपनी रक़म की वसूली के लिये अपने आ़रज़ी वतन नागपुर से दिल्ली गया. दिल्ली की पार्टीने नईम से मा'ज़ेरत (क्षमा याचना) करते हुए कहा कि इस वक़्त तो आपके पेमेन्ट का प्रबन्ध नहीं हो सकता, बल्कि आठ (८) दिन के बाद आपको पेमेन्ट कर सकता हूं, लिहाज़ा आप एक हफ्ते (Week) के बाद आने की तकलीफ करें. नईम के उस ताज़िर (व्यापारी) के साथ पुराने और गाढ़ सम्बन्ध थे, इस लिये एक हफ्ते के बाद आने का वादा तय करके दिल्ली से नागपुर वापस आ गया.

अब नईम नागपुर में एक हफ्ता ही ठहेरेगा, क्योंकि हस्बे-वा'दा (As per promise) एक हफ्ते के बाद उसे दोबारा दिल्ली जाना है. उस एक

हफ्ते के नागपुर के क़याम के दौरान नईम क़स्र नमाज़ पढ़ेगा, हालांकि वोह नागपुर में अपने मकान पर अपने बीवी-बच्चों के साथ है लेकिन नागपुर उसका 'आरज़ी मस्कन' (हंगामी निवास स्थान) है और नईम अपने आरज़ी मस्कन में दिल्ली जाने के तय शुदा (निश्चित प्रोग्राम) की वजह से सिर्फ एक हफ्ता ही ठहेरने वाला है, लिहाज़ा वोह मुक़ीम नहीं बल्कि मुसाफिर के हुक्म में है, इसलिये उसे क़स्र नमाज़ पढ़नी होगी, क्योंकि आरज़ी मस्कन वतने-अस्ली के हुक्म में नहीं है, बल्कि वतने-इक़ामत के हुक्म में है.

वतन के अक़साम (प्रकार) और अहेकाम

- वतन दो (२) क़िस्म (प्रकार) का होता है :-

  १. वतने अस्ली २. वतने इक़ामत

❑ वतने अस्ली :

- वोह जगह है जहां उसकी पैदाइश हुई हो, या'नी वोह जगह उस का जन्म स्थान -Birth Place हो.
- अथवा जिस जगह उसके घर (परिवार) के लोग या'नी बीवी बच्चे मुस्तक़िल (क़यामी-Permanent) तौर पर रहते हों और उस जगह पर उसने दायमी सुकूनत (क़यामी निवास स्थान-Permanent Dwelling) कर ली और येह इरादा है कि इसी जगह दायमी रहूंगा और यहां से नहीं जाऊंगा.

❑ वतने-इक़ामत :

- वोह जगह है, जहां मुसाफिर ने पन्द्रह दिन या उससे ज़ियादा ठहेरने का इरादा किया हो और वहां पर वोह हंगामी (Temporary) तौर पर ठहेरा हो.

मस्अला

" अगर किसी शख़्स की दो (२) बीवियां (पत्नियां, Wifes) अलग-अलग शहरों में मुस्तक़िल तौर पर रहेती हों, तो वोह दोनों जगह (शहर) उसके लिये 'वतने-अस्ली' हैं. इन दोनों जगह पहुंचते ही वोह मुक़ीम हो जाएगा और वोह नमाज़ पूरी पढ़ेगा."

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८३)

मस्अला

"अगर कोई शख़्स अपने घर (परिवार-Family) के लोगों को वतने-अस्ली से लेकर चला गया और दूसरी जगह सुकूनत इख़्तियार कर ली और पहली जगह में उसका मकान और अस्बाब (माल सामान-House-hold) वग़ैरह बाक़ी है, तो वोह पहला मकान भी उसके लिये वतने-अस्ली है और दूसरा मकान भी वतने-अस्ली है या'नी दोनों मकान वतने-अस्ली के हुक्म में हैं."

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८४)

मस्अला

" बालिग़ (पुख़्त वय-Adult) शख़्स के वालेदैन (मां-बाप) किसी शहर में रहेते हों और वोह शहर उस बालिग़ की जाए-पैदाइश (जन्म भूमि-Birth Place) नहीं और उस शहर में उसके बीवी-बच्चे भी न हों, तो वोह जगह (शहर) उस के लिये वतन नहीं."

मस्अला

"औरत बियाह कर (शादी करके) सुसराल में रहेने लगी, तो अब उसका मायका (मां-बाप का घर) उसके लिये वतने-अस्ली न रहा, या'नी अगर सुसराल ५७.५४ मील (92.54 K. M.) की मुसाफत पर है और वोह सुसराल से अपने मायके आई और पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने की

निय्यत न हो तो नमाज़ क़स्र पढ़े.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

मस्अला

'' वतने-इक़ामत दूसरे वतने-इक़ामत को बातिल (रद-Abolish) कर देता है. या'नी एक जगह पन्द्रह (१५) दिन के इरादे से ठहेरा फिर दूसरी जगह उत्ने दिन ठहेरने चला गया, तो पहली जगह अब वतने-इक़ामत न रही, बल्कि दूसरी जगह वतने-इक़ामत बन गई, फिर चाहे इन दोनों जगहों के दरमियान शरई मुसाफ़ते-सफ़र हो या न हो.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

इस मस्अले को मुन्दरजा ज़ैल मिसाल से समझें

'' युसुफ पोरबंदर का रहेने वाला है. वोह पोरबंदर से राजकोट (180 K.M.) पन्द्रह दिन ठहेरने के इरादे से गया. राजकोट में पन्द्रह (१५) दिन ठहेर कर, वोह राजकोट से ही चालीस (४०) किलोमीटर के फ़ासले पर आए हुए शहर गोंडल गया और गोंडल में पन्द्रह दिन ठहेरने की निय्यत की, तो अब राजकोट उसका वतने-इक़ामत न रहा, बल्कि गोंडल वतने-इक़ामत बन गया.''

मस्अला

'' वतने-इकामत, वतने-अस्ली से बातिल हो जाता है. मस्लन सुहैल अहमद बम्बई का रहेने वाला है. सुहैल अहमद बम्बई से अहमदाबाद आया और अहमदाबाद में पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत करके अहमदाबाद को वतने-इक़ामत बनाया, और पूरी नमाज़ पढ़ता था, पांच (५) दिन के बाद उसे किसी ज़रूरी काम से सिर्फ एक दिन के लिये बम्बई जाना पडा, सुहैल अहमद के बम्बई आते ही, अहमदाबाद उसके लिये वतने-इक़मत की हैसियत से बातिल (रद-Abolish) हो गया, सुहैल

बम्बई में अपना काम निपटाकर छट्ठे (६) दिन फिर अहमदाबाद वापस आ गया, तो पहले के जो पांच (५) दिन वोह अमहदाबाद में ठहेरा था, वोह बातिल हो गए, अगर अब दूसरी मरतबा अहमदाबाद आकर पन्द्रह (१५) दिन से कम ठहेरने का इरादा है, तो अब वोह मुक़ीम नहीं, अब अहमदाबाद उसके लिये वतने इक़ामत नहीं, लिहाज़ा क़स्र नमाज़ पढ़े और अगर दूसरी मरतबा अहमदाबाद आकर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने का इरादा है, तो अब वोह मुक़ीम है, नमाज़ पूरी पढ़े.''

(जुज़ूया, माखूज़ (ग्रहण-Adopted) अज़ : दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

मस्अला

''वतने इकामत सफर से भी बातिल हो जाता है मस्लन शाहुल हमीद कालीकट (केराला) का बाशिन्दा है. वोह कारोबार(Business) के सिलसिले में बम्बई आया और बम्बई में एक महीना ठहेरने की निय्यत की, लिहाज़ा, बम्बई उसके लिये वतने-इक़ामत बन गया और वोह पूरी नमाज़ पढ़ता था, इस तरह बीस (२०) दिन गुज़र गए, इक्कीसवें (२१) दिन शाहुल हमीद के किसी दोस्त की शादी की बारात बम्बई से सूरत (Surat) जा रही थी, दोस्त के इस्रार (आग्रह-Stubborness) की वजह से शाहुल हमीद भी बारात के साथ सूरत गया. सुब्ह बारात के साथ सूरत गया और रात में फिर बम्बई वापस आ गया, इस सफर की वजह से अब बम्बई शाहुल हमीद के लिये वतने-इकामत न रहा, सूरत से वापस बम्बई आकर अब शाहुल हमीद को दस (१०) दिन के बाद अपने वतने-अस्ली कालीकट वापस जाना है, लिहाज़ा सूरत से वापस आने के बाद शाहुल हमीद बम्बई में जो दस (१०) दिन ठहेरेगा, उन दस (१०) दिनों में नमाज़ क़स्र करेगा.''(जुज़ूया माखूज़ अज़: दुर्रे मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६७०)

मस्अला

''मुसाफिर अपने सफर से अपने वतने-अस्ली पहुंचते ही सफर खत्म हो गया और वोह मुकीम हो गया अगरचे इक़ामत की निय्यत न की हो, अगरचे वतने-अस्ली में सिर्फ एक दिन के लिये ठहेरे, नमाज़ पूरी पढ़े.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८४)

दरियाई और हवाई सफर, बस और दीगर सवारियों के सफर में नमाज़ पढ़ने के अहेकाम

- '' चलती हुई (गतिमान-Moving) सवारी (वाहन-Vehicle) पर नमाज़ पढ़ने के मसाइल को अच्छी तरह समज़ने के लिये अहम (ज़रूरी) जुज़्या (नियम का सिद्धांत-Rule of Principal) याद रखें कि नमाज़ की दुरुस्ती के लिये सवारी (वाहन) का 'इस्तेक़रार-अलल-अर्द' शर्त है. या'नी सवारी का ज़मीन (धरती-Land) पर ठहेरना (स्थिर होना-Stable) शर्त है, अगर सवारी ज़मीन पर तो है मगर ठहेरी हुई नहीं है, जैसे चलती हुई ट्रेन (Train) या ठहेरी हुई तो है मगर ज़मीन पर नहीं, बल्कि पानी पर है, जैसे किनारे पर लगी हुई कश्ती या नाव (Vessel or Boat) तो इन पर बिला उज़्र नमाज़ सहीह नहीं.''
- '' सिर्फ किनारे से दूर और बीच समन्दर में चलती हूई कश्ती या बहरी जहाज़ (Steamer) पर ही चलती हूई हालत में नमाज़ सहीह है. इन नमाज़ों का एआ़दा नहीं.''
- ''किनारे से लगी हुई कश्ती या बहरी जहाज़ में, जो ज़मीन पर टिके न हों या चलती हुई ट्रेन में फर्ज़, वित्र और सुन्नते-फज्र पढ़ी, तो उसका एआ़दा या'नी उसको लौटाना या'नी दोबारा पढ़ना लाज़मी है.''

चलती और ठहेरी हुई सवार पर नमाज़ पढ़ने के मसाइल

मस्अला

''किनारे से मीलों दूर चलने वाले जहाज़ (Steamer) या कश्ती ख़्वाह (Whether) लंगर किए हुए हों, उन पर नमाज़ जाइज़ है. और जो जहाज़ या कश्ती किनारे पर ठहेरे हुए होते हैं, अगर वोह पानी पर हों, ज़मीनसे टिके न हों तो उन ठहेरे हुए जहाज़, कश्ती, नाव वगैरह में फर्ज़, वित्र और फज्र की सुन्नतें न हो सकेंगी.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-२, सफहा-१९६)

मस्अला

'' चलती हुई कश्ती पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, जबकि चक्कर आने (Giddiness) का गुमाने-ग़ालिब हो.''

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-६९)

मस्अला

''चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़े, तो तकबीरे-तहरीमा के वक़्त क़िब्ला की तरफ मुंह करे, और जैसे जैसे कश्ती घुमती जाए, येह नमाज़ी भी अपना मुंह फैरता चला जाए, अगरचे वोह नफ़्ल नमाज़ पढ़ रहा हो.''

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-५०)

मस्अला

'' दो (२) कश्तियां बाहम (एक दूसरे के साथ) बंधी हुई हैं. एक पर इमाम है और दूसरी पर मुक़्तदी है, तो इक़्तिदा सहीह है और अगर जुदा (Separate) हों, तो इक़्तिदा सहीह नहीं.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त हिस्सा-३, सफहा-११२)

मस्अला

" किनारे पानी पर ठहेरी हूई कश्ती से उतर कर जो शख़्स खुश्की (ज़मीन) पर नमाज़ पढ़ सकता है, उसकी ऐसी कश्ती पर नमाज़ होगी ही नहीं."

(हवाला : सदर -Ditto)

" क्योंकि वोह कश्ती पानी पर ठहेरी हुई है. "इस्तिक़रार-अलल-अर्द" या'नी ज़मीन पर ठहेरी हुई (स्थिर-Stable) नहीं और सेहते-नमाज़ के लिये इस्क़िरार अलल अर्द शर्त है."

मस्अला

" कभी-कभी ऐसा होता है कि कश्ती किसी बंदरगाह (Port) पर ठहेरी. कश्ती में काम करने वाले कश्ती से नीचे उतर कर खुश्की में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लैकिन उस बंदरगाह के हुक्काम (Custom) और हुकूमत के मुन्तज़ेमीन कश्ती से उतरने नहीं देते. ऐसी सूरत में कश्ती वालों के लिये हुक्म है कि वोह कश्ती पर ही पंजगाना नमाज़ पढ़ लें और फिर जब मौक़ा मिले, तब उन सब नमाज़ों का एआ़दा करें. फतावा रज़वीया शरीफ में है कि;

" किनारे पर ठहेरे हुए जहाजों पर नमाज़े-पंजगाना (पांचो वक़्त) के फर्ज़, वित्र व सुन्नते-फज्र भी नहीं हो सकते कि उनका इस्तेक़रार (ठहेरना) पानी पर है और इन नमाज़ों की शर्ते-सेहत इस्तेक़रार अलल अर्द मगर बहालते-तअ़ज्जुर (या'नी उज्र - **Reason** होने की हालत में)

" इस सूरत में अगर जबरन (निर्दयता-**Oppressively**) न उतरने देते हों, तो पंजगाना पढें, और उतरने के बाद सब का एआ़दा करें. " ले-अन्नल-मानेआ़-मिन-जेहतिल-इबादे"

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-७५७)

मस्अला

" फर्ज़, वाजिब और सुन्नते-फज्र चलती हुई रेल (ट्रेन) में नहीं हो सकतीं. अगर रेल न ठहेरे और नमाज़ का वक़्त निकल जा रहा हो, तो चलती ट्रेन में पढ़ ले, और फिर 'इस्तेक़रार' (या'नी ट्रेन के ठहेरने) पर नमाज़ का एआ़दा करे."
(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४४)

मस्अला

" इसी तरह चलती ट्रेन, बस (Bus) और दीगर सवारियों (वाहन-Vehicle) में अगर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन (शक्य-Possible) नहीं, तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले, लैकिन फिर बाद में नमाज़ का एआ़दा करे."

(फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-६२७)

" जब चलती हूई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो चलती हूई ट्रेन और दीगर (अन्य) सवारियों पर नमाज़ पढ़ना क्यों मना है ? इस सवाल का तसल्ली बख़्श (संतोषकारक) जवाब और इस मस्अले की वज़ाहत (स्पष्टीकरण-**Explanation**)"

एक अहम तहक़ीक और जुज़्या की वज़ाहत क़ारेईन-किराम (आदरणीय वांचक वर्ग) की ख़िदमत में मस्अले की इफहाम (समज़ाने) की निय्यते-सालेह से अर्ज़े-ख़िदमत है कि समन्दर (समुद्र) में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, जबकि चलती हुई ट्रेन में नमाज़ पढ़ना मना है. इसी तरह रेल्वे स्टेशन या किसी मक़ाम

पर ठहेरी हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, जबकि किनारे (सागर का किनारा-Coast) पर ठहेरी हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं.

हो सकता है कि किसी के दिल में येह शुब्ह (संदेह-Doubt) और दिमाग़ में येह सवाल पैदा होने का इम्कान (शक्यता-Possibility) है कि;

- "जब चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो चलती हुई ट्रेन पर भी नमाज़ पढ़ना जाइज़ होना चाहिये."
- "इसी तरह जब स्टेशन पर या किसी मक़ाम पर ठहेरी हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो किनारे पर ठहेरी हुई कश्ती पर भी नमाज़ पढ़ना जाइज़ होना चाहिये."

इस का जवाब येह है कि :-

- "चलती हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना इस लिये जाइज़ नहीं कि ट्रेन ज़मीन पर तो ज़रूर है, लैकिन चलने (Moving Condition) की वजह से उसका ज़मीन पर "इस्तेक़रार-बिल-कुल्लिया" (सम्पूर्ण स्थिरता-Complete Stabilization) नहीं है, लिहाज़ा 'नफसे-इस्तेक़रार' (स्थिरता का लक्षण-Stable Essentially) नहीं और नमाज़ की सेहत के लिये सवारी (वाहन) का इस्तेक़रार-अलल-अर्द या'नी ज़मीन पर ठहेरना (स्थिर-Stable) होना शर्त है."

ब: खिलाफ चलती हुई कश्ती कि उससे नीचे उतरना मुम्किन ही नहीं. अगर बिल-फर्ज़ (Supposedly / मान लो कि) चलती हुई कश्ती को रोक लिया जाए, फिर भी उस का ठहेरना पानी पर होगा, न कि ज़मीन पर. इलावा अज़ीं बीच समन्दर में कश्ती से उतर कर पानी पर नमाज़ पढ़ना मुमकिन ही नहीं. लिहाज़ा, कश्ती का चलना और ठहेरना दोनों बराबर (Same) हैं, या'नी कश्ती के चलने और

ठहेरने दोनों सूरतों (परिस्थिति-Condition) में कश्ती का इस्तेक़रार (Stoppage/थमना) ज़मीन के बदले पानी पर है, लैकिन अगर ट्रेन रोक ली जाए, तो वोह ज़मीन पर ही ठहेरेगी और मिस्ले-तख़्त (मंच-Dais) हो जाएगी और इस्तेकरार कामिल (संपूर्ण स्थिरता-Fully Stability) के साथ ज़मीन पर ठहेरेगी.

"किनारे पर ठहेरी हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना इस लिये जाइज़ नहीं कि किनारे पर लगी या बंधी हुई कश्ती अगरचे ज़मीन से मुलहिक़ (मिली हुई-Joined) है, लैकिन इसके बावजुद भी वोह स्थिर नहीं होती क्योंकि वोह पानी पर ही होती है और पानी की हरकत (हिलना डुलना-motion) के साथ-साथ वोह भी हरकत करती है और इस्तेक़रार (स्थिरता) नहीं होता. पानी ज़मीन से मुत्तसिल (संलग्न-Contiguous) होने की वजह से भी इस्तेक़रार हासिल नहीं हो सकता और कश्ती से नीचे उतरना भी दुशवार (कठिन-Arduous) नहीं, लिहाज़ा, कश्ती से उतरकर ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना लाज़मी है."

इस मस्अले की तहक़ीक़ (निरीक्षण-Investigation) में इमामे इश्क़ो-मुहब्बत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत, आ़ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने फिक़ह की मशहूरो-मा'रूफ किताबें मस्लन (◆ *दुर्रे मुख़्तार* ◆ *गुन्या शरहे मुन्या* ◆ *रद्दुल मोहतार* ◆ *बहरूर राइक़* ◆ *फतावा ज़हीरिया* ◆ *फतावा हिन्दिया (आ़लमगीरी)* ◆ *मुहीत इमाम सरख़सी* ◆ *फत्हु-क़दीर वग़ैरह के हवालों (संदर्भों*-References) से इल्म के दरिया बहा दिए हैं. फतावा रज़वीया शरीफ की एक इबारत पैशे-ख़िदमत है :-

"चलती कश्ती से अगर ज़मीन पर उतरना मयस्सर हो, तो कश्ती में पढ़ना जाइज़ नहीं, बल्कि 'इन्दत-तहीक़ीक़' (परीक्षण सिद्ध-**Authenticated**) अगरचे कश्ती किनारे पर ठहेरी हो, मगर पानी पर हो और ज़मीन तक न पहुंची हो, और येह किनारे पर उतर सकता है, तो कश्ती में नमाज़ न होगी कि उसका इस्तेक़रार (ठहेरना) पानी पर है और पानी ज़मीन से मुत्तसिल-ब-इत्तेसाल (क़रीब लगा हुआ होना) क़रार (ठहेरना) नहीं. जब इस्तेक़रार की इन हालतों में नमाज़ें जाइज़ नहीं होतीं, जब तक ज़मीन पर इस्तेक़रार (स्थिरता-**Stability**) और वोह भी 'बिल-कुल्लिया' (सम्पूर्ण पणे-**Fully**) न हो. तो चलने की हालत में कैसे जाइज़ हो सकती है कि नफ़्से-इस्तेकरार ही नहीं. ब:खिलाफ कश्ती रवां (चलती हुई) जिस से नुज़ूल मयस्सर (उतरना मुम्किन) न हो कि अगर उसे रोकेंगे भी, तो इस्तेक़रार पानी पर होगा, न कि ज़मीन पर. लिहाज़ा, सैरो-वुकूफ (चलना और ठहेरना) बराबर. लैकिन अगर रेल (ट्रेन) रोक ली जाए तो ज़मीन पर ही ठहेरेगी और मिस्ले-तख़्त हो जाएगी."

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-४४)

मस्अला

"हवाई जहाज़ अगर अड्डे (विमान मथक-Airport) पर ठहेरा हुआ है, तो उस पर 'इस्तेक़रार-अलल-अर्द' के जुज़्या की बिना पर नमाज़ सहीह है और अगर हवाई जहाज़ फिज़ा में परवाज़ कर रहा है, तो भी उसमें नमाज़ दुरूस्त है. फिज़ां में उड़ते हुए हवाई जहाज़ (Flying Air Craft) पर नमाज़ दुरूस्त होना समन्दर में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ने की तरह है. जिस तरह चलती हुई कश्ती को रोक कर पानी पर उतर कर नमाज़ पढ़ना मुम्किन नहीं, इसी तरह उड़ते हुए हवाई जहाज़ से बाहर आकर फिज़ा (हवा-Air) में मुअ़ल्लक (लटकना-Hanged) होकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन नहीं. लिहाज़ा जिस तरह समन्दर में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है

उसी तरह फिज़ा में उड़ते हुए हवाई जहाज़ में भी नमाज़ दुरूस्त है."

(नुज़हतुल क़ारी शरहे सहीहुल बुख़ारी, जिल्द-२, सफ्हा-३७५)

मस्अला

"अगर बस (Bus) या मोटर कार (Car) से सफर कर रहा है और उसको रोक कर नमाज़ पढ़ने का इख़्तियार (सत्ता-Authority) है, तो रोक कर नीचे उतर कर नमाज़ पढ़ ले. और अगर स्टेट ट्रान्सपोर्ट या किसी अन्य निज़ी (Private) ट्रान्सपोर्ट की बस से सफर कर रहा है, और उसको रोकना अपने इख़्तियार में नहीं, तो जहां बस ठहेरे वहां के बस अड्डे (Bus Depot) पर उतर कर नमाज़ पढ़ ले. और अगर बस किसी मक़ाम पर ठहेरने के इन्तिज़ार में नमाज़ का वक्त निकल जाने का इम्कान और ख़ौफ (संदेह) है, तो चलती हुई बस में ही नमाज़ पढ़ ले. अगर बस में भीड़ (Crowd) न होने की वजह से वुस्अ़त (अवकाश-Latitude) है, और खड़े होकर, और खड़े होकर मुम्किन नहीं, तो बैठकर रूकूअ़ व सुजूद करके नमाज़ पढ़ सकता है, तो इस तरह पढ़ ले. और अगर बस में भीड़ है और येह अपनी नशिस्त (बैठक-Seat) से खड़ा या हिल नहीं सकता है, तो अपनी सीट पर बैठे हुए इशारे से पढ़ ले और हर हालमें चलती हुई बस पर पढ़ी गई नमाज़ का बाद में एआदा ज़रूरी है."

मस्अला

"अगर मज़कूरा सूरत (वर्णनीय परिस्थिति) से बस (Bus) में नशिस्त पर बैठे हुए इशारे से नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक (प्रसंग-Incident) हो और अगर वुज़ू है, तो बेहतर है, अगर वुज़ू नहीं तो "तयम्मुम' कर ले और तयम्मुम करने के लिये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. बस की खिडकी (बारी) से हाथ बाहर निकाल कर बस की बोडी (Body) की बाहर की सतह की लोहे की चादर (Plate) पर

हाथ फिरा ले, या'नी ज़र्ब लगा ले. बस के चलने की वजह से रास्ते का गर्दो-गुबार (धुळ रज-Clouds of Dust) उस पर लगा हुआ होता है. उस गर्दो-गुबार से तयम्मुम हो सकता है.''

मुक़ीम इमाम और मुसाफिर मुक़्तदी, मुसाफिर इमाम और मुक़ीम मुक़्तदी के मसाइल

मस्अला

'' अगर मुसाफिर मुक्तदी ने मुक़ीम इमाम की इक्तेदा की, तो अब वोह इमाम की इक्तेदा में चार (४) रकअ़त ही पढ़े या'नी पूरी नमाज़ पढ़े.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८२)

मस्अला

''मुसाफिर इमाम ने चार (४) रकअ़त वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र और इशा में मुक़ीम (स्थानीय) मुक़्तदीयों की इमामत की, तो मुसाफिर इमाम दो (२) रकअ़त पर सलाम फैर दे और इमाम के सलाम फैरने के बाद मुक़्तदी अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी करे और इन दोनों रकअ़तों में मुत्लक़ (सदंतर) क़िरअ़त न करें या'नी हालते-क़याम में कुछ न पढ़ें, बल्कि इतनी दैर कि सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, महज़ (संपूर्ण पणे- Entirely) ख़ामौश खड़े रहें.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८२ और फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-३९५)

नोट :

'' मुक़ीम मुक़्तदी मुसाफिर इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी बाक़ी नमाज़ किस तरह पढ़े ?उसके तफसीली (विगतवार-Detailed) मसाइल ''प्रकरण-१४'' ''मुक़्तदी के अक़्साम व अहेकाम'' में '' लाहिक़ मस्बूक़ मुक़्तदी के ज़रूरी मसाइल के उन्वान (शीर्षक) के तहत (नीचे) लिख दिये गए हैं, लिहाज़ा उन मसाइल का एआ़दा (पुनरावर्तन-Repetition) न करते हुए, मोअ़ज़िज़ क़ारेईने-किराम (आदरणीय वांचक वर्ग) से इल्तेमास (विनंती) है, कि इन मसाइल को प्रकरण-१४ में फिर से एक मरतबा मुलाहिज़ा फरमाऐं.''

मस्अला

'' मुसाफिर इमाम ने इक़ामत की निय्यत किए बग़ैर या'नी कम से कम पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत किए बग़ैर चार (४) रकअ़त पूरी पढ़ीं, तो गुनाहगार होगा और उसकी इक्तेदा करने वाले मुक़ीम (स्थानिक) मुक़्तदीयों की नमाज़ बातिल (रद्द-Abolish) हो जाएगी.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

मस्अला

'' अगर मुसाफिर इमाम मुक़ीमीन (स्थानिक लोगों) की इमामत करे तो उसे चाहिये कि नमाज़ शुरू करते वक़्त अपना मुसाफिर होना ज़ाहिर कर दे और अगर मुसाफिर इमाम ने नमाज़ शुरू करते वक़्त अपना मुसाफिर होना ज़ाहिर न किया, तो अपनी क़स्र नमाज़ पूरी करने के बाद कहे दे कि ''मैं मुसाफिर हूं, तुम अपनी नमाज़ पूरी कर लो'' बल्कि शुरू में कहे

दिया है जब भी बाद में कहे दे, ताकि जो लोग नमाज़ शुरू होने के वक़्त मौजूद न थे और बाद में जमाअ़त में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मा'लूम हो जाए, क्योंकि सेहते-इक़्तेदा के लिये शर्त है कि मुक़्तदी को इमाम का मुक़ीम या मुसाफिर होना मा'लूम हो, चाहे नमाज़ शुरू करते वक़्त मा'लूम हो, चाहे बाद में मा'लूम हो.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफहा-८२)

प्रकरण (१७) "मस्जिद के अहकाम"

'' कुरआने-मजीद में अल्लाह तबारक व तआ़ला इरशाद फरमाता है कि :-

''इन्नमा-यअ़मोरो-मसाजिदल्लाहे-मन-आमना-बिल्लाहे-वल-यवमिल-आख़ेरे-व-अक़ामस-सलाता-व-आतज़-ज़काता-व-लम-यख़्शा-इल्लल्लाहा-फ-अ़सा-उलाइका-अंय-यकूनु-मिनल-मोहतदीना''

(पारा-१०, सूर-ए-तौबा, आयत-१८)

अनुवाद :

'' अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाए और नमाज़ क़ाइम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो क़रीब है कि येह लोग हिदायत वालों में हों.''

(कन्जुल ईमान शरीफ)

- ''हर शहर (City) में एक मस्जिद-जामेअ़ बनाना वाजिब है और हर मुहल्ले में एक मस्जिद बनाने का हुक्म है.'' हदीस में है कि; *''अमरा-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लमा-बे-बिनाइल-मस्जिदे-फीद-दारे-वल-तन्ज़ुफे''* तर्जुमा : ''रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमाने फरमाया कि; 'हर मुहल्ले में मस्जिद बनाई जाए और येह कि सुथरी (स्वच्छ-Neat & Clean) रखी जाए.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९१)

- ''मस्जिद बनाने में जो माल ख़र्च होता है वोह गारे पत्थर (Building Material) में सर्फ (व्यय-Expenditure) नहीं होता, बल्कि

रब्बे-अकबर की रज़ा (खुशनूदी) में सर्फ होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; *"मम-बना-मस्जिदन-बनल्लाहो-लहु-बयतन-फील-जन्नते-मिन-दुर्रिव-व-याकूत"* तर्जुमा : " जो अल्लाह के लिये मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिये जन्नत में मोतियों (मोती-**Pearl**) और याकूत (माणेक-नीलम-**Ruby/Sapphire**) का घर बनावे."

(फतावा रज़वीया, जिल्द ३, सफहा-५९१, जिल्द-६, सफहा-४५९)

- " सब मस्जिदों से अफज़ल मस्जिदे-हरम शरीफ (मक्का मोअ़ज़्ज़मा) है, फिर मस्जिदे-नब्वी (मदीना मुनव्वरा), फिर मस्जिदे-क़ुदस (मस्जिदे-अक़्सा/बैतुल मुकद्दस), फिर मस्जिदे-कुबा (मदीना तय्येबा), फिर और (अन्य-Other) जामेअ़ मस्जिदें, फिर मस्जिदे-मुहल्ला, फिर मस्जिदे-शारेअ़ या'नी मुख्य मार्ग / Highway या मुसाफिर ख़ाना या स्टेशन की मस्जिद जिसमें कोई इमाम मुतअय्यन (नियुक्त-Fix) नहीं होता."

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

- " मस्जिदे-नब्वी शरीफ (मदीना तय्यबा) की ज़मीन में मुशरिकों का क़ब्रस्तान था, हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लमने उन मुश्रेकीन की क़ब्रें खुदवा कर उनकी हड्डियों (अवशेषों) वग़ैरह की नजासतों (नापाकी) से साफ फरमाकर उसे मस्जिद फरमाया."

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९१)

मस्जिद के मुतअ़ल्लिक चन्द अहादीसे-करीमा

हदीस

"बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिरमीज़ी और इब्ने माजा हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला

अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; "मर्द की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त के साथ पढ़ना घर में और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस (२५) दर्जा ज़ियादा है."

हदीस

" अबू दाउद और इब्ने-हब्बान हज़रत अबू उमामा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि "तीन (३) शख़्स अल्लाह तआ़ला की ज़िमान (सुरक्षा-Security) में हैं, अगर ज़िन्दा रहें, तो रोज़ी दे और किफायत करे और मर जाऐं, तो जन्नत में दाख़िल करे, (१) जो शख़्स घर में दाख़िल हुआ और घर वालों को सलाम करे, वोह अल्लाह की ज़िमान में है. (२) जो मस्जिद को जाए, वोह अल्लाह की ज़िमान में है. (३) जो अल्लाह की राह में निकला, वोह अल्लाह की ज़िमान में है."

हदीस

"सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से मर्वी कि; हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; *"इन्ना-अहब्बल-अर्दे-इल्लाहे-मसाजिदोहा-व-अबग़ज़ल-अर्दे-इल्लल्लाहे-अस्वाक़ोहा"* (तर्जुमा) "अल्लाह तबारक व तआ़ला को सब जगह से ज़ियादा महेबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज़ियादा मबग़ूज़ (तिरस्कृत-Odious) बाज़ार हैं."

हदीस

" सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू उसैद रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से मर्वी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते

हैं कि; जब कोई मस्जिद में जाए तो कहे कि *"अल्लाहुम्मफ-तह-ली-अब्वाबा-रहमतका"* और जब निकले तो कहे कि; "अल्लाहुम्मा-इन्नी-अस्अलोका-मिन-फद्लेका."

हदीस

"इब्ने-माजा हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; "जो मस्जिद से अज़िय्यत (त्रासदायक-**Vexatious**) की चीज़ निकाले, अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में एक घर बनाए."

हदीस

"इमाम तिरमिज़ी और दारमी हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; "जब किसी को मस्जिद में ख़रीदो-फरोख़्त (**Purchase-Sale**) करते देखो तो कहो "खुदा तेरी तिजारत (**Business**) में नफा (मुनाफा-**Profit**) न दे."

हदीस

" इमाम बयहक़ी शोअ़बुल ईमान में हज़रत हसन बसरी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से मुरसलन रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; " एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी. तुम उन के साथ मत बैठना कि खुदा-ए-तआला को उन से कुछ काम नहीं."

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के ज़रूरी मसाइल

मस्अला

"मुहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अगरचे जमाअ़त क़लील (कम) हो, जामेअ़ मस्जिद में नमाज़ पढने से अफज़ल है अगरचे जामेअ़ मस्जिद मे बड़ी जमाअ़त हो. अगर मुहल्ले की मस्जिद वीरान हो गई है और उस मस्जिद में जमाअ़त न होती हो, फिर भी उस मुहल्ले में रहनेवाला उसी मस्जिद में जाए, अगरचे तन्हा (अकेला-Alone) हो, फिर भी उसी मस्जिद में तन्हा जाए और अज़ान व इक़ामत कहे और तन्हा नमाज़ पढ़े. उस मस्जिद में तन्हा नमाज़ पढ़ना जामेअ़ मस्जिद में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने से अफज़ल है. ओलोमा उस तन्हा नमाज़ पढ़ने को दूसरी मस्जिद में बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने से अफज़ल बताते हैं."

(सग़ीरी शरहे मुन्यतुल मुसल्ली, फतावा क़ाज़ी ख़ान, रद्दुल मोहतार, ख़ज़ानतुल मुफ्तीन, बहारे-शरीअ़त, जिल्द-३, सफहा-१८६, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५७७)

मस्अला

" मस्जिद की छत (Terrace) पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है."

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८२)

मस्अला

" गर्मी (Summer) की वजह से मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि मस्जिद की बे अदबी है."

(आ़लमगीरी, ग़राइब, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५७५)

मस्अला

''जो अदब मस्जिद का है, वही अदब मस्जिद की छत का है.''

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्अला

'' मस्जिद में नजासत (गंदगी-Fith) ले कर जाना मना है, अगरचे मस्जिद उस गंदगी से आलूदा (मलिन-Pollute) न हो, फिर भी मस्जिद में नजासत लेकर जाना ही मना है. इसी तरह जिस के बदन (शरीर) पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८२)

मस्अला

''जुनुबी या'नी जिसको नहाने की ज़रूरत हो या'नी जिस शख़्स पर जनाबत का गुस्ल फर्ज़ है (नापाक-Defiled) को मस्जिद में जाना हराम है.'' (बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-२, सफहा- ३९)

मस्अला

'' मस्जिद को घीन या'नी कराहत (सुग,धृणा-Disgust) की चीज़ (आचरण-Activity) से बचाना ज़रूरी है. आजकल देखा जाता है कि वुज़ू करने के बाद आ'ज़ा-ए-वुज़ू (वुज़ू किये हुए अंगों) पर जो पानी होता है, उसे कपड़े से पोंछ कर खुश्क (सूखाना-Dry) करने के बजाए हाथ से पानी पोंछ कर पानी के क़तरे (बूंदे-Drops) मस्जिद के फर्श (ज़मीन-Floor) पर ज़ाड़ देते हैं. येह नाजाइज़ और हराम है.'' (बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८३, फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-७३३)

मस्अला

'' मस्जिद में सवाल करना (भीख-भिक्षा-Beggary) मांगना हराम है और उस सवाल करने वाले (भिक्षुक-Beggar) को देना भी मना है.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८४)

मस्अला

'' मस्जिद में अपने लिये मांगना (भिक्षा वृति-Beggary) जाइज़ नहीं और उसे देने से भी ओलोमा ने मना फरमाया है. यहां तक कि इमाम इस्माईल ज़ाहिद रहेमतुल्लाहे तआ़ला अलैह ने फरमाया कि जो मस्जिद के साइल या'नी मस्जिद में सवाल करने वाले (मांगने वाले) को एक (१) पैसा दे, उसे चाहिये कि वोह सत्तर (७०) पैसे अल्लाह तआ़ला के नाम पर मज़ीद दे (ख़ैरात करे) ताकि उस पैसा देने के कुसूर (ग़लती) का कफ्फ़ारा (प्रायश्चित-Atonement) हो.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-४३६ अहकामे-शरीअ़त, हिस्सा-१, मस्अला-३४, सफहा-७७)

मस्अला

''मस्जिद में गुमशुदा (खोई हुई) चीज़ तलाश करना मना है. इमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; *''मन-समिआ-रजुलन-यन्शदो-दालतन-फल-यकुल-ला-रद्दहल्लाहो-अ़लयका-फ-इन्नल-मसाजिदा-लम-तुब्ना-ले-हाज़ा.''* (तर्जुमा) 'जो किसी शख़्स को सुने कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ दरयाफ़्त करता है (ढूंढता है), तो उस सुनने वाले पर वाजिब है कि उस तलाश करने वाले से कहे कि अल्लाह तेरी गुमी (खोई हुई) चीज़ तुज़े न मिलाए. मस्जिदें इसके लिये नहीं है.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८४, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९३)

मस्अला

''मस्जिद में ख़रीदो-फरोख़्त करना जाइज़ नहीं. इमाम तिरमीज़ी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;''इज़ा-रअयतुम-मयं-यतबाओ-फिल-मस्जिदे-फ-कूलू-ला-अरबहुल्लाहो-तिजारतका'' तर्जुमा, ''जब तुम किसी को मस्जिद में ख़रीदो-फरोख़्त (व्यापार-Business) करते देखो, तो कहो कि अल्लाह तेरे सौदे (धंधे-Dealings) में फायदा न दे.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१८५, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९३/५९४)

मस्अला

''मस्जिद में खाना, पीना और सोना मो'तकिफ़ या'नी जिसने ए'तकाफ़ की निय्यत की हो, उसे और परदेशी या'नी मुसाफिर के सिवा किसी को जाइज़ नहीं. लिहाज़ा, अगर मस्जिद में खाने-पीने का इरादा हो तो ए'तेकाफ़ की निय्यत करके मस्जिद में जाए और कुछ देर ज़िक्रो-अज़्कार और नमाज़ों-इबादत करे और फिर खाए पीए या सोए.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१८४, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९३,५९५)

'' हदीस में है कि मस्जिद को चौपाल न बनाओ लैकिन तबलीग़ी जमाअ़त ने मस्जिदों को चौपाल (मुसाफिर ख़ाने) बना दिया है और मस्जिद के अदबो-एहतेराम का कुछ भी लिहाज़ बाक़ी नहीं रखा.''

मस्जिद में खाना-पीना और सोना मो'तकिफ़ और मुसाफिर को जाइज़ है,

लैकिन फिर भी इन कामों से जहां तक मुम्किन हो वहां तक बचना चाहिये, बल्कि निहायत (अत्यन्त) मजबूरी और अशद (सख़्त) ज़रूरत की हालत में और वोह भी मस्जिद के अदबो-एहतेराम का लिहाज़ करते हुए ही मस्जिद में खाना, पीना या सोना चाहिये, क्योंकि मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिये बनाई गई हैं. मुसाफिर ख़ानों की तरह ठहेरने के लिये नहीं बनाई गईं.

लैकिन अफसोस कि दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफिक़ों की जमाअ़त या'नी वहाबी तबलीग़ी जमाअ़त की गांव-गांव और शहर-शहर घूमने वाली टोलियों ने मस्जिदों को मुसाफिर खाने, सराय और गेस्ट हाउस बनाकर रख दिया है. बल्कि विरासत (जागीर-Heritage) में मिली हुई जायदाद की तरह लाजिंग और बोर्डिंग (भोजनालय तथा विश्राम गृह) की तरह मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं. मस्जिद में ठहेरी हूई तबलीग़ी जमाअ़त का जिन हज़रात ने मुशाहेदा (निरीक्षण-Contemplate) किया है, उन्हे यक़ीन के दर्जे में इल्म होगा कि वाक़ई (वास्तव में-Really) उन्होंने मस्जिदों के अदबो-एहतेराम को पसे पुश्त (पीठ के पीछे) फेंक दिया है और मस्जिदों को मुसाफिर खानों का स्वरूप दे रखा है.

<u>मिसाल के तौर पर :-</u>

- वहाबी तबलीग़ी जमाअ़त के चालीस-पचास (४०-५०) जाहिल मुबल्लिग़ (प्रचारक) बाहर से आकर मस्जिद में ठहेरते हैं और मस्जिद के एक हिस्से पर क़ब्ज़ा जमा कर अपना मालो-असबाब वहीं जमा देते हैं. हालांकि मुसाफिर और मो'तकिफ को मस्जिद में खाने-पीने ठहेरने की इजाज़त है, लैकिन इस इजाज़त का वोह भरपूर दुरूपयोग (Missuse) करते हैं.
- मस्जिद के वुज़ू खाने में अपने गंदे और नापाक कपड़े धोते हैं, फिर उन्हें सुखाने के लिये मस्जिद के सेहन में धूप में फैला देते हैं, गोया धोबी घाट जैसा मन्ज़र (दृश्य) खड़ा कर देते हैं. रात के वक़्त अपने गीले (भीगे-Wet) कपड़े मस्जिद के अन्दर के

हिस्से में नमाज़ पढ़ने के लिये बिछी हुई चटाइयों पर फैला देते हैं और कपड़ों को सुखाने के लिये रात भर बिजली के पंखे (Fan) चलाते हैं. मस्जिद की बिजली (विद्युत प्रवाह-Electricity) अपने ज़ाती (Personal) इस्तेमाल में सर्फ करते हैं और मस्जिद का माली(Financial)नुकशान करते हैं.

- ◆ अपने खाने-पकाने की चीजें (भोजन सामग्री) अपने साथ लेकर आते हैं और मस्जिद में ही रसोई पकाते है, खाना पकाने के लिये अपने साथ लिये हुए बड़े-बड़े बरतनों (वासणों-Utensils) को वुज़ू करने के लिये लगाए गए नलों (Taps) पर धोते हैं, खाना पकाने (Cooking) के लिये पयाज़ (डुंगळी-Onion) और लहसन (लसण-Garlic) काटते है और उसकी बदबू (दुर्गन्ध-Bad smell) मस्जिद में फैलती है. मिट्टी के तेल (ग्यास तेल-Kerosene) के चूल्हे (Stove) जलाते हैं और मिट्टी के तेल की तेज़ बदबू से मस्जिद का वातावरण प्रदूषित होता है.
- ◆ खाना तैयार हो जाने के बाद तबलीग़ी जमाअ़त के मुबल्लिग़ीन मस्जिद में क़तार बांध (Queue) कर खाना खाने के लिये बैठते हैं और किसी शादी की तक़रीब की ज़ियाफत (भोजन समारंभ-Banquet) जैसा मन्ज़र (द्रश्य) खडा हो जाता है, खाने-पीने की चीजें शोरबा (Greavy) वग़ैरह गिराते हैं और मस्जिद का फर्श (Floor) खाने पीने की चीज़ों से मुलव्विस (मलिन/ गंदा-Polluted) होता है. खाना खाने के बाद झूठे बर्तन वुज़ू खा़ने में धोते हैं.

अल ग़रज़ ! ऐसा हंगामा बरपा कर देते हैं कि उस वक़्त कोई अजनबी अगर मस्जिद में आ जाए तो उसे ऐसा महेसूस हो कि शायद किसी शहर से शादी की बारात आकर मस्जिद में ठहेरी हुई है और खाना, पीना, पकाना, नहाना, धोना, सोना, उठना, बड़े ज़ोरो-शोर से हो रहा है. मस्जिद का वुज़ू ख़ाना गोया धोबी घाट और मस्जिद का

सेहन बावरची ख़ाना (Kitchen) महेसूस होता है.

- ◆ तबलीग़ी जमाअ़त के मुबल्लिग़ीन रात में क़तार बन्द बिस्तर जमा कर मस्जिद में ही सोते हैं और हालते-नींद और बेदारी में रियाह ख़ारिज (Farting) करते हैं और मस्जिद की फिज़ा (हवामान) भी दुर्गंधित करते हैं. बाज़ बे अदब तो रीह ख़ारिज़ करते वक़्त पटाखें छोड़ते (Explode) हैं. इलावा अज़ीं रात में अल्लाह के घर में ख़िलाफे-शरअ और बे शर्मी के ऐसे क़ाबिले-नफरत (धृणास्पद) काम करते हैं कि जिनका तज़्केरा (वर्णन) यहां मुनासिब नहीं.

इन्साफ पसन्द क़ारेईन-किराम (वाचकों) की अदालत में इन्साफ की दरख़्वास्त करते हुए सिर्फ इतनी गुज़ारिश है कि तबलीग़ी जमाअ़त के मज़्कूरा बाला इरतेकाब (चेष्टाओं) को इन्साफ के तराज़ु (Scale) के एक पल्ले (Pan) में रखें और दूसरे पल्ले में मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) मस्जिद के अदब और एहतेराम के मुतअ़ल्लिक शरीअ़त के अहेकाम को रखें और हक़ व बातिल का फैसला फरमाअें.

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के ज़रूरी मसाइल

मस्अला

" मस्जिद में ऐसा अक्लो-शुर्ब (खाना-पीना) कि जिससे उस की तल्विस (गंदा होना) हो, मुत्लक़न ना-जाइज़ है, अगरचे मो'तकिफ़ हो (या'नी खाने वाला हालते-ए'तेकाफ में हो) रद्दुल मोहतार, बाबुल ए'तकाफ में है कि; "अज़ूज़ाहिरो-अन्ना-मस्लन-नोमे-वल-अकले-वश-शुरबे-इज़ा-लम-यश्गोलुल-मस्जिदा-व-लम-

यलव्विसहू-ले-अन्ना-तनज़ीफता-वाजेबुन-कमा-मर्रा'' इसी तरह इतनी कसीर (ज़ियादा) ता'दाद में खाना मस्जिद में लाना कि नमाज़ की जगह घेरे (रोके) ममनूअ़ है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९३)

मस्अला

''मस्जिद में इस तरह खाना-पीना कि मस्जिद में गिरे और मस्जिद आलूदा (गंदी) हो, मुत्लक़न हराम है. मो'तकिफ हो या ग़ैर मो'तकिफ हो. इसी तरह ऐसा खाना कि जिस से नमाज़ की जगह घिरे (रूके) वोह भी हराम और नाजाइज़ है.''

(अहकामे-शरीअ़त, हिस्सा-२, मस्अला-१, सफ्हा-२)

मस्अला

'' मस्जिद में कच्चा लहसन और प्याज़ (कांदा-Onion) खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं, जब तक मुंह में 'बू' (गंध, वास-Smell) बाक़ी हो. क्योंकि फरिश्तों को उस से तकलीफ होती है. इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; *'मन-अकला-मिन-हाजश-शजरतिल-मुन्तनते-फला-यक़रब्ना-मस्जिदना-फ-इन्नल-मलाइकता-तुताज़ी-मिम्मा-युताज़ी-मिन्हुल-इन्सो.''* (तर्जुमा) : ''जो इस बदबू दार दरख़्त (वृक्ष, छोड-Tree) से खाए, वोह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए, कि फरिश्तों को उस चीज़ से इज़ा (पीड़ा-Distress) होती है, जिससे आदमी को इज़ा होती है.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१८४, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९८)

मस्अला

''मिट्टी का तेल (केरोसीन-Kerosene) में बदबू (दुर्गन्ध) है और बदबू का मस्जिद में ले जाना किसी तरह भी जाइज़ नहीं. मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना हराम है.''

(हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९७, ५९८, फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफ्हा-४४४)

मस्अला

'' अस्बाब (सामान-Baggage) भी बिला ज़रूरत मस्जिद में नहीं रखना चाहिये, मस्जिद को घर (Residence) से मुशाबह (समान-Similitude) भी न करना चाहिये. रसूलुल्ल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं; *'' अन्नल-मसाजिदा-लम-तुब्ना-ले-हाज़ा''*

खुसूसन अगर अस्बाब (चीज़ें) रखने से नमाज़ पढ़ने की जगह रूके, तो सख़्त नाजाइज़ और गुनाह है. मस्जिद को घर बनाना किसी के लिये जाइज़ नहीं.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९४/५९५)

मस्अला

'' और बिला शुब्ह (निःशंक) अगर इन अफआल (कामों) का दरवाज़ा (द्वार-Gate) खोल दिया जाए, तो ज़माना फासिद (दूषित-Corrupted) है और कुलूब (लोगों के दिल) अदब और हैबत (डर-Timidity) से आ़री (वंचित-Void of) हैं और मस्जिदें चौपाल (मुसाफिर खाने) हो जाऐंगीं और उन की बे हुरमती (बे अदबी) होगी.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-५९३)

मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के ही हुक्म में है, ख़ारिजे-मस्जिद के हुक्म में नही

अवराके़-साबेक़ा (अगले पृष्ठों-Former Pages) में तबलीग़ी जमाअ़त का मस्जिद में आकर ठहेरना और मस्जिद को मुसाफिर ख़ाना की तरह इस्तेमाल करने के मुतअ़ल्लिक जो गुफ़्तगू (चर्चा) की गई है, उसके ज़िम्न (अनुसंधान) में एक ज़रूरी वज़ाहत (स्पष्टता) दरपैश (प्रस्तुत) है कि तबलीग़ी जमाअ़त वाले मस्जिद के सेहन और फिना-ए-मस्जिद (आस पास का विस्तार-Environs) को खाने, पकाने, नहाने, धोने, सोने, लेटने, उठने, बैठने वग़ैरह कामों के लिये इस तरह इस्तेमाल (Utilize) करते हैं कि मस्जिद का सेहन उनके अस्बाब और तबाख़ी (Cooking) के सामान से भर जाता है और जब उनसे कहा जाता है कि जनाब मस्जिद का अदब और एहतेराम मल्हूज़ रखो और मस्जिद को मुसाफिर खाना मत बनाओ, तब लोगों को धोका (Fraud) देते हुए येह जवाब देते हैं कि जनाबे-आली ! आप बग़ैर समजे़ ए'तराज़ (Objection) करते हैं, हम कहां मस्जिद के अन्दर तबाख़ी करते हैं ? आप ज़रा देखें, हम तो मस्जिद के सेहन का इस्तेमाल करते हैं और मस्जिद का सेहन मस्जिद के हुक्म में नहीं, बल्कि ख़ारिजे-मस्जिद है.

लैकिन हक़ीक़त येह है कि; ''मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के हुक्म में हैं'' जो लोग मस्जिद के सेहन को ख़ारिज अज़ (अलग-Seperate) मस्जिद कहते हैं, वोह सरासर (सम्पूर्ण-Entirely) ग़लती पर हैं, उनका येह दा'वा बग़ैर दलील का और लग़्व (अर्थहीन) है.

◆ '' इमामे-अहले-सुन्नत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत, आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआ़ला अलैहे ने इस मस्अले की तहक़ीक़ (सचोटता-Exactness) में एक

नफीस (मनोहर-Elegant) और तारीख़ी (ऐतिहासिक-Historically) किताब ''अत्तबसीरूल-मुन्जिद-बे-अनना-सहनुल-मस्जिदे-मस्जिद'' (हिजरी सन् १३०७) में लिख कर दलाइले क़ाहेरा व सातेआ़ (अति मजबूत दलीलों) से साबित किया है कि मस्जिद का सेहन मस्जिद ही के हुक्म में है. इस किताब से इस्तेफ़ादा करते हुए फकीर राक़िमुल हुरूफ इस मस्अले की आम फह्म वज़ाहत करने की कोशिश करता है.

◆ ''पहले हम इस हकी़क़त को समजे़ं कि मस्जिद उस 'बुक़्क़अ' (ज़मीन का टुकडा-Piece of Land) का नाम है, जो पांच (५) वक़्त की नमाज़ के (आशय के) लिये वक़्फे-ख़ालिस (निर्धारीत, बक्षीस, दान-Determined Bequest) किया गया हो और जितनी जगह वाक़िफ (दान कर्ता-Donor) ने वक़्फ (बक्षिस-Donate) की है, वोह तमाम (सम्पूर्ण-Whole) जगह मस्जिद के हुक्म में है. उस जगह पर इमारत, बिना, छत वग़ैरह या'नी ता'मीर (बांधकाम-Construction) का होना शर्त नहीं है, बल्कि अगर अस्लन (सदंतर) इमारत न हो और सर्फ एक चबूतरा (Mound to sit) या महदूद (मर्यादित-Limited) मैदान वक़्फ करने वाले ने नमाज़ पढ़ने के लिये वक़्फ कर दिया, तो वोह जगह मस्जिद हो जाएगी और उस जगह पर मस्जिद के तमाम अहेकाम (नियम-Rule) नाफिज़ (लागू-Applicable) होंगे.

फतावा क़ाज़ी खान, फतावा ज़ख़ीरा और फतावा आ़लमगीरी वग़ैरह में है कि; ''रजुलुन-लहू-साहतुन-अमरा-क़वमन-अंय-युसल्लू-फीहा-बे-जमाअ़तिन-इन-क़ाला-सल्लू-फीहा-अबदन-अव-अमरहुम-बिस्सलाते-मुत्लक़न-व-नवल-अबदा-सारतिस-साहतो-मस्जिदन-

लव-माता-ला-यूरसो-अन्हो'' तर्जुमा ''किसी शख़्स के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा था. उसने कौम को हुक्म (इजाज़त) दिया कि इस ज़मीन में जमाअत से नमाज़ पढ़ो. अगर उसने कहा कि हंमेशा इस में नमाज़ पढ़ो या उसने नमाज़ का मुत्लक (मुक्त-Librated) हुकम दिया और हमेशा के लिये निय्यत की, तो वोह ज़मीन मस्जिद हो जाएगी. अगर उस ज़मीन का मालिक (वक़्फ कर्ता) मर गया, तो अब वोह ज़मीन उसके वुरसा (वारसदारो-Heirs) पर तक़सीम (बटवारा-Dividing) नहीं होगी.''

- '' अब हम मस्जिद की ता'मीर के सिलसिले में गुफ्तगू करें. सबसे पहले ज़मीन का एक टुकडा तमाम का तमाम मस्जिद के लिये हासिल हुआ. फिर उस ज़मीन पर मस्जिद ता'मीर की (बनाई) जाएगी.

'' हर आक़िल (दाना, होशियार Sage) शख़्स जब किसी भी इमारत की ता'मीर करेगा, तो वोह हर मुम्किन कोशिश करेगा कि येह इमारत हर मौसम (ऋतु-Season) में कार आमद (उपयोगी-Useful) हो. लिहाज़ा वोह उस इमारत को मौसम के इख़्तिलाफ (परिवर्तन-Change) को मद्दे-नज़र (दृष्टि समक्ष-In view) रख कर इमारत (Building) को दो (२) हिस्सों में तक़सीम करता है. एक हिस्सा 'मुसक़्क़फ़' या'नी छतवाला (Roofed) होता है और दूसरा हिस्सा ''ग़ैर मुसक़्क़फ़ या'नी बग़ैर छत का खुला हुआ (Open to sky) होता है.

छत वाला हिस्सा सर्दी (ठंडी), धूप, बारिश, आंधी, बर्फ, तूफान वगैरह से हिफाज़त (रक्षण) करता है और दूसरा हिस्सा जो, 'ग़ैर मुसक़्क़फ़' या'नी बग़ैर छत का खुला हुआ होता है, वोह हिस्सा सर्दी के मौसम में धूप में बैठने के लिये, कपड़े सुखाने के लिये, हवा लेने, गर्मी के दिनों में रात के वक़्त ठंडक लेने के लिये वग़ैरह कामों में आता है.

- '' हर मकान की ता'मीर मुन्दरजा बाला (उपरोक्त-Above) तक़सीम (विभाजन) को मद्दे-नज़र रख कर की जाती है. या'नी (१) मुसक़्क़फ़ हिस्सा और (२) ग़ैर मुसक़्क़फ़ हिस्सा. इन दोनों हिस्सों के अलग-अलग नाम हैं.
- मुसक़्क़फ़ या'नी छत वाले हिस्से को अरबी में 'शतवी' कहते हैं.
- गैर मुसक़्क़फ़ या'नी खुले हिस्से को अरबी में 'सयफी' कहेते हैं.

येह दोनों हिस्से उस इमारत या मंज़ील के यकसां (समान) टुकड़े होते हैं जिन के बाइस (कारण) वोह मकान हर मौसम (ऋतु) में कार आमद और नफा बख़्श (आराम दायक-Comfortable) होता है. मौसमे सर्दी (Winter) में सर्दी, ठंडी हवा, बर्फ (Snow) से, मौसमे-गर्मा (Summer) में तेज़ धूप, लू और गर्म हवा के ज़ोंकों से और मौसमे-बारां (Rain Fall) में बारिश, आंधी, हवा के तूफान वग़ैरह से हिफाज़त (Protection) करने में मकान का मुसक़्क़फ़ हिस्सा (छत वाला विभाग) काम आता है. इसी तरह 'ग़ैर-मुसक़्क़फ़' हिस्सा या'नी खुला (Open) भाग भी हर मौसम में काम आता है. मस्लन, सर्दी के मौसम में सुब्ह के वक़्त धूप में बैठकर(Sunbath)बदन गरमाने के लिये, गर्मी के मौसम में शाम(Evening)के वक़्त ठंडी हवा की लहेरों से लुत्फ अंदोज़(प्रफुल्लित-Pleasantry) होने के लिये और रात के वक़्त खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर सोने लेटने के काम में आता है. पिछले ज़माने (भूतकाल-Past) में बिजली के पंखे, एयर कंडीशन (Aircondition), कूलर, वग़ैरह सहूलतें (सुविधाऐं) नहीं थीं, तब मौसमे-गर्मा में लोग ''ग़ैर-मुसक़्क़फ़' (खुले) हिस्से में चारपाईयां बिछाकर सोया करते थे. इलावा अज़ीं मकान का ग़ैर मुसक़्क़फ़ या'नी सयफी या'नी खुला हिस्सा हर मौसम में कपड़े सुखाने (To dry) और दीगर ज़रूरीयात के काम आता है.''

- " ता'मीर की मुन्दरजा बाला तरतीब (पद्धति-Method) और उसके फवाइद (लाभो-Advantages) को मद्दे नज़र रख कर मस्जिदें भी छत वाला हिस्सा और खुला हिस्सा के दो (२) विभागों में ता'मीर की गई हैं. या'नी "शतवीं" और "सयफी" दो (२) हिस्सो में बनाई गई है. और :-
- मुसक़्क़फ़ या'नी छत वाले हिस्से को "मस्जिदे-शतवी" कहते है.
- "ग़ैर-मुसक़्क़फ़" या'नी खुले हिस्से को "मस्जिदे-सयफी' कहते हैं.
- " मस्जिदे-शतवी" या'नी मस्जिद का छत वाला (Covered) हिस्सा बरसात के मौसम में बारिश के पानी से, सर्दी के मौसम में सर्दी और ठंडी हवा से और गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और लू से नमाज़ियों की हिफाज़त करता है. उस छत वाले हिस्से में नमाज़ पढ़ने वाला मौसम के असरात (Effects) की दिक्क़त (परेशानी-Trouble) से महेफूज़ (सुरक्षित-Safe) रहेता है. उसे नमाज़ अदा करने में मौसम का असर मुज़ाहिम और रख़ना अंदाज़ (अवरोधक-Obstacle) नहीं होता."
- "मस्जिदे सयफी" या'नी मस्जिद का बग़ैर छत वाला खुला हिस्सा जिस को "सेहने मस्जिद" कहा जाता है, वोह हिस्सा गर्मी के मौसम (ग्रीष्म ऋतु - Summer) में महसूस होने वाली गर्मी से बचने के लिये नमाज़ियों की सहूलियत के लिये बनाया जाता है. अगले ज़माने में जब बिजली के पंखों वग़ैरह की सूलियत न थी और मस्जिद के छत वाले हिस्से में सख़्त गर्मी महसूस होती थी, तब फज्र, मग़रिब आर इशा की नमाज़ की जमाअ़त गर्मी के दिनों में आ़म तौर पर मस्जिदे-सयफी या'नी मस्जिद के सेहन में क़ाइम हुआ करती थी, ताकि खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा

की लहरों से राहत पाकर नमाज़ी आराम से नमाज़ अदा करें."

- "मस्जिद की ता'मीर की मुन्दरजा बाला (उपरोक्त-Above) वज़ाहत (स्पष्टीकरण-Explanatoin) के बाद एक अहम (महत्वपूर्ण-Important) नुक्ता की तरफ क़ारेईने किराम (आदरणीय वांचक वर्ग) की तवज्जोह मरकूज़ (ध्यान केन्द्रित) करना भी ज़रूरी है कि मस्जिद का मुसक़्क़फ़ (छत वाला) हिस्सा कि जिसे "मस्जिदे-शतवी" कहेते हैं और मस्जिद का ग़ैर मुसक़्क़फ़ (खुला) हिस्सा जिसे "मस्जिदे-सयफी" कहते हैं, इन दोनों हिस्सों के अरबी नाम अवामुन्नास (सामान्य जनता) की ज़बानें पर आसानी से नहीं चढ़ सके और येह अरबी नाम उन को याद भी नहीं रहे सके, लिहाज़ा अवाम ने इन अरबी नामों के बदले दो आसान नाम १. दाखिले-मस्जिद और २. ख़ारिजे मस्जिद बोलने शुरू किए. या'नी
- मस्जिदे-शतवी (छत वाले हिस्से) को "दाख़िले-मस्जिद" और
- मस्जिदे-सयफी (खुले हिस्से) को "ख़ारिजे-मस्जिद" कहने लगे

और इन नामों से मुराद येह थी कि :-

- दाख़िले-मस्जिद या'नी छत वाला अन्दर का हिस्सा.
  (Internal Portion)
- ख़ारिजे मस्जिद या'नी खुला हुआ बाहर का हिस्सा.
  (External Portion)

येह दोनों नाम अ़वाम में मशहूर और राइज (प्रचलित) हो गए और इन नामों के मा'नी (अर्थ-Meaning) को हक़ीकत पर महमूल

(आधारितDependant) कर के ऐसी ग़लत फ़हमी (ग़ैर समज्-Misunderstanding) फैली कि लफ़्ज़े ''ख़ारिज'' के लुग्वी (शब्दकोष-Lexicon) मा'नी हद बाहर (Beyond) और अलग Disjoined पर मस्जिद सयफ़ी या'नी मस्जिद के सेह्न को अ़वाम वाक़ई और शरअन ख़ारिजे-मस्जिद या'नी ख़ारिज अज़् मस्जिद या'नी मस्जिद से जुदा, अलग, विमुख (Separate) समज़ने लगे, लैकिन हक़ीक़त येह है कि; ''शरअ़न मस्जिद का सेह्न ख़ारिजे-मस्जिद या'नी मस्जिद से जुदा या अलग नहीं बल्कि दाख़िले-मस्जिद और शामिले-मस्जिद ही है.''

- ''अ़वामुन्नास के मस्जिद के सेह्न को ''ख़ारिजे-मस्जिद'' कहने या समज़ने से मस्जिद का सेह्न शरअ़न मस्जिद से ख़ारिज या'नी अलग, जुदा, विभक्त या विमुख नहीं हो जाएगा बल्कि उसकी मस्जिदिय्यत या'नी मस्जिद होना मिस्ले-साबिक़ (पहले की तरह-As former) बाक़ी और बरक़रार (सुदृढ़-Establisher) रहेगी. आ़म तौर से मस्जिद के सेह्न को जो ख़ारिजे-मस्जिद कहा जाता है, उससे मुराद मस्जिद का बाहिरी हिस्सा ही है. अ़वाम की इस्तेलाह (लोक भाषा-Idiom) में ख़ारिजे-मस्जिद से मस्जिद से जुदा या अलग का मा'ना नहीं लिया जाएगा. मस्लन, ओलोमा-ए-किराम फ़िक़्ही मसाइल बयान करते वक़्त ज़ाहेरी बदन या'नी शरीर के बाह्य (External) हिस्से को ख़ारिजे - बदन फ़रमाते हैं. जिस के मा'नी बदन का बैरूनी (बाह्य-External) हिस्सा. हरगिज़् येह मा'नी नहीं कि बदन से ख़ारिज या'नी बदन से जुदा या बदन से अलग (विमुख) हिस्सा.

इसी तरह ख़ारिजे-मस्जिद कहने के मा'नी मस्जिद का बाहर का हिस्सा है. मस्जिद से अलग और जुदा हिस्सा के मा'नी में हरगिज़् नहीं.

अल-हासिल !

मस्जिद का मुसक़्क़फ़ हिस्सा या'नी छत वाला हिस्सा या'नी मस्जिदे-शतवी को ''दाख़िले-मस्जिद'' कहना मस्जिद के अन्दरूनी या'नी अन्दर के हिस्से (Internal portion) के मा'नी में है.

इसी तरह ग़ैर मुसक़्क़फ़ या'नी बग़ैर छत का खुला हिस्सा या'नी मस्जिदे-सयफ़ी या'नी मस्जिद के सेह्न को ''ख़ारिजे-मस्जिद'' कहेना बैरूनी या'नी बाहर के हिस्से (External Portion) के मा'नी में है. अलग या जुदा हिस्से (Disjoined Portion) के मा'नी में नहीं.''

''मस्जिद का अन्दरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा या'नी मस्जिद का सेह्न, येह दोनों हिस्से बिला शुब्ह (निशंक) मस्जिद होने के मुतअ़ल्लिक मिल्लते-इस्लामिया के अज़ीम (महान) आ़लिमों के अक़्वाल (कथन).''

मिल्लते इस्लामिया के अज़ीमुल मरतबत (महान) ओलोमा-ए-किराम और अइम्म-ए-दीन ने साफ़ तशरीह फ़रमाई है कि;

१. मस्जिद का मुसक़्क़फ़ हिस्सा या'नी छत वाला हिस्सा या'नी मस्जिदे-शतवी और

२. मस्जिद का ग़ैर मुसक़्क़फ़ हिस्सा या'नी बग़ैर छत का खुला हिस्सा या'नी मस्जिदे-सयफ़ी या'नी मस्जिद का सेह्न. येह दोनों हिस्से यक़ीनन (निशंक) मस्जिद हैं.

◆ इमाम ताहिर इब्ने अहमद इब्ने अब्दुर्रशीद बुख़ारी ने ''फतावा खुलासा'' में, ◆ इमाम फख़रूद्दीन अबू मुहम्मद उस्मान इब्ने अली ज़यली ने ''तबय्यनुल हक़ाइक शरहे कन्ज़ुद दक़ाइक'' में, ◆ इमाम हुसैन इब्ने मुहम्मद समआ़नी ने ''ख़ज़ानतुल मुफ्तीन'' में, ◆ मुहक़्क़िक़ अलल इत्लाक, इमाम कमालुद्दीन मुहम्मद इब्नुल हुमाम ने ''फत्हुल क़दीर शरहे हिदाया'' में ◆ अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद रूमीने ''मजमउल अन्हर शरहे मुलतकीयुल अब्हर'' में, ◆ अल्लामा सैयेदी अहमद मिसरी ने ''हाशिया मुराक़क़ीयुल फलाह शरहे नूरिल इज़ा'' में, ◆ ख़ातेमुल मुहक़्क़ेक़ीन सैयेदी मुहम्मद इब्ने आबेदीन शामी ने ''रद्दुल मोहतार'' में, ◆ मुहक़्क़िक़ अल्लामा ज़ैन बिन नजीम मिसरीने ''बहरूर राइक़'' में, ◆ अल्लामा सैयेदी इमाम अहमद तहतावी ने ''हाशिया दुर्रे मुख़्तार'' में ◆अल्लामा इब्राहीम हल्बी ने ''शरहे सग़ीर मुन्या'' में और ◆ इमाम मुहक़्क़िक़ अल्लामा मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद बिन अमीरूल हाज हल्बी ने ''हुल्या शरहे मुन्या'' में इस मस्अले के ज़िम्न (अनुसंधान) में हस्बे-ज़ैल (निम्न) तशरीह फरमाई है कि :-

- ◆ मस्जिद के शतवी और सयफी दोनों हिस्से मस्जिद के हुक्म मे हैं.
- ◆ मस्जिद के बैरूनी हिस्से (**External Portion**) का नाम ''सेहने-मस्जिद'' है, जो मस्जिद से जुदा और अलग नहीं.

लिहाज़ा साबित हुआ कि,

''मस्जिद का सेहन क़त्अ़न (निशंक-Definite) मस्जिद है, जिसे अइम्म-ए-दीन और ओलोमा-ए-इज़ाम कभी ''मस्जिद सयफी'' और कभी ''मस्जिदुल ख़ारिज'' से ता'बीर (अर्थघटन-Intrerpretatoin) करते हैं और मस्जिद के सेहन को मस्जिद ही क़रार (ठहेराते-Re-solve) देते है.''

मस्जिद के सेह्न के मुतअ़ल्लिक

ज़रूरी मसाइल

मस्अला

''अगर किसी ने क़सम (सौगन्ध) खाई कि मस्जिद से बाहर नहीं जाऊंगा और वोह क़सम खाने वाला मस्जिद के सेह्न में आया, तो हरगिज़ हानिस न हुआ या'नी (सौगन्ध तोड़ने वाला-Perjured) न हुआ.''

(हवाला : ◆ हिदाया ◆ फतावा हिन्दिया (आ़लमगीरी) ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ रद्दुल मोहतार (शामी) और ◆ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५७६)

नोट :

''इस मस्अले से साबित हुआ कि मस्जिद का सेह्न मस्जिद के हुक्म में है. मस्जिद का सेह्न ख़ारिजे-मस्जिद या'नी मस्जिद से जुदा और मस्जिद से अलग के हुक्म में नहीं वर्ना मस्जिद के सेह्न में आते ही कसम टूट जानी चाहिये.''

मस्अला

'' मो'तकिफ़ (ए'तेफाक में बैठने वाले) को ए'तेफाक की हालत में मस्जिद के सेह्न में आना-जाना, बैठना, रहेना यक़ीनन जाइज़ और रवा (योग्य) है.'' (फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५७६)

नोट :

''इस मस्अले से भी येह साबित हुआ कि मस्जिद का सेह्न भी मस्जिद के हुक्म में है. अगर मस्जिद का सेह्न मस्जिद के हुक्म में न होता, तो मो'तकिफ़ को ए'तेकाफ़ की हालत में मस्जिद के सेह्न में आना-जाना, बैठना रहना वग़ैरह मना होता.''

मस्अला

" मस्जिद का सेहन जुज़्वे-मस्जिद या'नी मस्जिद का ही हिस्सा है. मस्जिद के सेहन में नमाज़ पढ़ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के हुक्म में है. मस्जिद के पटे हुए (ढके-Covered) हिस्से को या'नी छत वाले हिस्से को मस्जिदे-शतवी या'नी मौसमे-सर्मा की मस्जिद और सेहन को मस्जिदे-सयफी या'नी मौसमे-गर्मा की मस्जिद कहते है."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

मस्अला

" मस्जिद के अन्दरूनी हिस्से (Internal Portion) और बैरूनी हिस्से (External Portion) या'नी सेहन में नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने की शरअ़न इजाज़त नहीं." (फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

मस्अला

" मस्जिद का हुजरा फिना-ए-मस्जिद (Environs) है और फिना-ए-मस्जिद के लिये मस्जिद का हुक्म है."

(आ़लमगीरी, फतावा रज़्वीया, जिल्द-३ सफहा-५९४)

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के शरई अहकाम

मस्अला

" नापाक तेल मस्जिद में जलाना जाइज़ नहीं."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-५९८)

मस्अला

" मस्जिद का चिराग़ घर नहीं ले जा सकते और तिहाई (१/३) रात तक चिराग़ (Light) जला सकते हैं, अगरचे जमाअ़त हो चुकी हो. इससे ज़ियादा

की इजाज़त नहीं. मस्जिद के चिराग़ से कुतुब बीनी (Book Reading) और दर्सो-तदरीस (दीन का इल्म सिखना/सिखाना-Learning) तिहाई (१/३) रात तक तो मुत्लक़न कर सकते हैं. उसके बाद इजाज़त नहीं."

(आ़लमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८५ और फतावा रज़्वीया, जिल्द-१, सफहा-७३४)

मस्अला

"मस्जिद का कूड़ा-कचरा (Dust) ज़ाड़ कर के ऐसी जगह न डालें, जहां बे अदबी हो." (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८४)

मस्अला

"मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं और आवाज़ बुलन्द करना भी जाइज़ नहीं."

(दुर्रे मुख़्तार, सग़ीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८५)

मस्अला

" शोरो-शर (घोंघाट-Out cry) करना भी मस्जिद में हराम है. और दुन्यवी बातों के लिये मस्जिद में बैठना हराम है और नमाज़ के लिये जा कर दुन्यवी तज़्केरा (वार्तालाप-Talk) मस्जिद में मना है."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-६०३)

मस्अला

" दुन्यवी बातों के लिये मस्जिद में जाकर बैठना हराम है. मस्जिद में दुनिया का कलाम (बातचीत) नेकियों को ऐसा खा जाता है, जैसे आग लकड़ी (Wool) को. येह तो मुबाह बातों का हुक्म है, फिर अगर बातें खूद बुरी हों, तो वोह सख़्त हराम, दर हराम और मोजिबे-अ़ज़ाबे-शदीद हैं." (या'नी कष्ट दायक शिक्षा का कारण है.) (हवाला : सदर-Ditto)

मस्अला

''दुनिया की बात, जब कि '' फी नफ्सेही'' (मूल स्वरूप-Essentially) मुबाह और सच्ची हो, मस्जिद में बिला ज़रूरत करनी हराम है. हदीस शरीफ में है कि; ''जो लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं, उन के मुंह से वोह गंदी ''बू-ए-बद'' (दुर्गन्ध-**Bad Smell**) निकलती है कि जिससे फरिश्ते (तकलीफ पाने की जवह से) अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर उनकी शिकायत करते हैं.'' एक रिवायत में है कि '' एक मस्जिद अपने रब के हुज़ूर शिकायत करने चली कि लोग मुज़ में दुनिया की बातें करते हैं. राह (मार्ग) में फरिश्ते उसे आते मिले और बोले कि हम उन को हलाक (सत्यानाश-**Perdition**) *करने को भेजे गए है.'' (हवाला : अल-अशबाह-वन-नजाइर, मदारिक शरीफ, ग़मज़ुल उयून, हुदयक़ा नदिया शरहे तरीक़-ए-मुहम्मदिया, और फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-४०३)*

नोट :

'' अफसोस है कि इस ज़माने में लोगों ने मस्जिदों को चौपाल या'नी पंचायत घर या मुसाफिर ख़ाना बना रखा है. यहां तक कि कुछ लोगों को मस्जिदो में गालियां बकते, लड़ते, ज़गड़ते और हंगामा करते देखा जाता है.''

मस्अला

'' मस्जिद में हंसना (Laughing) क़ब्र में अंधेरी (Darkness) लाता है. मस्जिद में हंसने की सख़्त मुमानेअ़त (मनाई) वारिद है.''

(अहकामे शरीअ़त, हिस्सा-१, मस्अला-३१, सफहा-७४)

मस्अला

'' मस्जिद को रास्ता बनाना या'नी उस में से होकर गुज़रना (पसार होना) ना जाइज़ है. अगर इस की आ़दत (टेव-Habit) करे, तो फासिक है.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८२)

नोट :

'' कुछ मस्जिदें इस तरह होती हैं कि उसके दो (२) दरवाज़े (Gate) होते हैं. एक दरवाज़ा एक तरफ की गली (Street) या सड़क पर होता है और दूसरा दरवाज़ा दूसरी तरफ की गली या रोड पर पड़ता है. कुछ लोग एक गली से दूसरी गली में जाने के लिये मस्जिद के एक दरवाज़े से घुस कर दूसरे दरवाज़े से निकलते हैं, ताकि उनको येह Short Cut रास्ता की वजह से लम्बा राउन्ड न लेना पड़े. येह शरअ़न मना और नाजाइज़ है.''

मस्अला

''मस्जिद में ना समज़ बच्चों और पागलों को ले जाना मना है. इब्ने माजा ने हज़रत मकहूल से और अब्दुर्रज़्ज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में उन्हीं से, और उन्हों ने हज़रत मआ़ज़ इब्ने जबल रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत फरमाई है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ''जन्नेबू-मसाजिदकुम-सिबयानकुम-व-मजानीनकुम-व-शराअकुम-व-बयअकुम-व-खुसूमातकुम-व-रफआ़-अस्वातकुम'' (तर्जुमा) '' अपनी मस्जिदों को बचाओ अपने ना समज़ बच्चों और मजनूनों (पागलों-Mads) के जाने से और ख़रीदो-फरोख़्त से और ज़गडों और आवाज़ बुलन्द करने से.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८२ और फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-४०३)

नोट :

" ना-समज़ बच्चों और पागलों को मस्जिद में ले जाने की मुमानेअ़त की वजह येह है कि उनको पेशाब-पाख़ाने का शुउर (भान) नहीं होता, लिहाज़ा, मस्जिद का फर्श नजासत (नापाकी) से मुलव्विस (गंदा-Defiled) होने का एहतेमाल (शक्यता-Possibility) है. इलावा अज़ीं उनके शोरो-गुल और लग़वियात(घोंघाट,अर्थहीन चेष्टाओ)का भी इम्कान रहता है."

मस्अला

" मस्जिद में हद्स या'नी रीह ख़ारिज करना (पादना-Farting) ग़ैर मो'तकिफ़ को मकरूह है. उसे चाहिये कि ऐसे वक़्त मस्जिद से बाहर चला जाए और मस्जिद से बाहर जाकर 'रीह' ख़ारिज करके फिर वापस चला आए. कुछ लोगों की रीह में 'बू-ए-शदीद' (तीर्व दुर्गंध) होती है ऐसे लोगों को ऐसे वक़्त में मस्जिद में बैठना जाइज़ नहीं कि बू-ए-बद (दुर्गन्ध) से मस्जिद को बचाना वाजिब है."

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-६, सफ़हा-३९३)

मस्अला

"मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं कि मस्जिद की छत पर ज़रूरत के बग़ैर चढ़ना ममनूअ़ और बे अदबी है और गर्मी का बहाना सुना नहीं जाएगा.हां, अगर नमाज़ियों की कसरत (भीड-Crowd) की वजह से नीचे का तबक़ा (विभाग-Portion) भर जाए और लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिये जगह नहीं, तो इस सूरत में मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है."

(आ़लमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-६, सफ़हा-४२०/४४८)

मस्अला

" मस्जिद के एहाता (निकटवर्ती विस्तार-Surrounding Area) के अन्दर दरख़्तों (पेड-Trees) से या मस्जिद की मिल्क (मालिकी-Owner-ship) के दरख़्तों में से किसी दरख़्त का फल या फूल क़ीमत अदा (Pay) किए बग़ैर खाना या लेना जाइज़ नहीं."

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६०२, और जिल्द-६, सफ़हा-४५०)

मस्अला

"मस्जिद में मसारिफे ख़ैर या'नी नेक कामों के लिये चन्दा (फंड-Dona-tion) करना जाइज़ है, जब कि किसी क़िस्म की चपक़लश या'नी दंगा और हुजूम (Crowding - शोर बकोर) न हो और चन्दा करने में कोई बात मस्जिद के अदब के ख़िलाफ न हो. मस्जिदों में मसारिफे ख़ैर के लिये चन्दा करने का जवाज़ (जाइज़ होना) सहीह हदीसों से साबित है. इसी तरह मस्जिद में वअज़ (धार्मिक व्याख्यान - Sermon) की भी इजाज़त है, जब कि वाईज़ (धर्मोपदेशक - Preacher) आ़लिम और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो."

(अहेकाम-शरीअ़त, हिस्सा-१, मस्अला-२४, सफ़हा-७७ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४२२/४२६)

मस्जिद की दीवारे-क़िब्ला में तुग़रा और दीगर चीज़ें लगाना

मस्अला

"मस्जिद की दीवारे-क़िब्ला या'नी पश्चिम- West दिशा की दिवार में ऐसी चीज़ों को नसब (जड़ित-Fixture) करना जिस की वजह से लोगों का नमाज़ में ध्यान बटे (विचलन-Dispersing) हो. और उन चीज़ों (मस्लन तुग़रा वग़ैरह) को इतना नीचा लगाना कि ख़ुत्बा में इमाम की पुश्त (पीठ) उस की तरफ हो, येह और भी

(ज़ियादा) ना मुनासिब (अयोग्य) है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९१)

मस्अला

''मस्जिद की क़िब्ला (पश्चिम) की तरफ की दीवार (Wall) में आ़म नमाज़ियों के मौज़-ए-नज़र तक या'नी नज़र के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये कि जिससे दिल (ध्यान) बटे और अगर ऐसी कोई चीज़ हो, तो कपडे़ से छुपा देनी चाहिये.

इमाम अहमद और अबू दाउद हज़रत उस्मान इब्ने तल्हा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का'ब-ए-मोअ़ज़्ज़मा में तशरीफ फरमा हुए. का'बा शरीफ के कलीद बरदार (चाबी रखने वाले-Key Holder) हज़रत उस्मान बिन तल्हा रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो को तलब फरमाया (बुलाया) और इरशाद फरमाया कि हमने का'बा में दुम्बे (मेंढा-Sheep) के सींग (Horn) मुलाहेज़ा फरमाए थे (वोह दुम्बा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फिदया/बदला - Ransom हुआ, उसके सींग का'बा मोअ़ज़्ज़मा की दीवारे ग़रबी /पश्चिम में लगे हुए थे) और हमें तुम से येह फरमाना याद न रहा कि उनको ढांक दो, लिहाज़ा अब ढांक दो कि नमाज़ी के सामने कोई ऐसी चीज़ न चाहिये कि जिससे दिल बटे.'' हां अगर इतनी बुलन्दी पर हो कि सर उठा कर देखे तो ही नज़र आए, तो येह नमाज़ी का कुसूर है, उसे आसमान की तरफ निगाह उठाना कब जाइज़ था.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६०७ और जिल्द-६, सफहा-४७५)

किस को मस्जिद में आने से रोका और निकाला जाएगा ?

मस्अला

''जो शख़्स मुज़ी (तकलीफ पहुंचाने वाला-Pernicious) हो, कि नमाज़ियों को तकलीफ देता है या बुरा भला कहता है और शरीर (दुष्ट-Vicious) है और उसके ज़रीए (द्वारा) शर (दुराचरण-Deparvity) का अंदेशा रहेता है, तो ऐसे शख़्स को मस्जिद में आने से मना करना जाइज़ है. और कोई गुमराह और बद मज़हब मस्लन वहाबी, नजदी, देवबन्दी, राफज़ी, ग़ैर मुक़ल्लिद, नेचरी, तफज़ीली, नदवी, तबलीग़ी वग़ैरह मस्जिद में आकर नमाज़ियों को बहेकाता है और अपने नापाक मज़हब और अक़ीदों की तरफ बुलाता है, तो उसे मना करना और मस्जिद में आने से रोकना वाजिब है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

मस्अला

''दफ-ए-फित्ना व फसाद ब:क़द्रे कुदरत फर्ज़ है या'नी लडाई ज़गडे़ को यथा शक्ति रोकना फर्ज़ है. और मुफसिदों (लड़ने वालों) और मूज़ियों को ब:शर्ते इस्तेताअ़त (शक्ति की मर्यादा मुजब) मस्जिद से रोका जाएगा. उमदतुल क़ारी शरहे सहीह बुख़ारी शरीफ और दुर्रे मुख़्तार शरीफ में है कि; *''युम्नओ-कुल्लो-मूज़िन-व-लव-बे-लिसानेहि''* (तर्जुमा) ''मस्जिद से हर मूज़ी को रोका जाएगा अगरचे वोह अपनी ज़बान से इज़ा (कष्ट) पहुंचाता हो.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८३)

मस्अला

''जो शख़्स मस्जिद में आकर अपनी ज़बान से लोगों को इज़ा देता हो, उसको मस्जिद से निकालना, बल्कि हर मूज़ी को मस्जिद से निकालना ब:शर्ते इस्तेताअ़त वाजिब है, अगरचे वोह सिर्फ अपनी ज़बान से इज़ा देता हो, खुसूसन वोह जिसकी इज़ा मुसलमानें में बद मज़हबी फैलाना और लोगों को गुमराह करना हो.'' (उमदतुल क़ारी शरहे बुख़ारी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया जिल्द,-६, सफहा-१०९/४३३/४४७)

मस्अला

''बिला वजह (बिना कारण-Without reason) किसी सुन्नी मुसलमान को मस्जिद में आने से मना करना हराम है.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-५८३)

मस्जिद की जायदाद, माल-सामान और आम्दनी के मुतअ़ल्लिक

मस्अला

'' एक मस्जिद की जायदाद (मिल्कत-Property) और वक्फ की आम्दनी (आवक-Income) दूसरी मस्जिद के मसारिफ (ख़र्च-Expenses) में ख़र्च करना हरगिज़ जाइज़ नहीं. यहां तक कि अगर एक मस्जिद में लोटे (Jug) हाजत से ज़ियादा हों और दूसरी मस्जिद में लोटे न हों, तो भी एक मस्जिद के लोटे दूसरी मस्जिद में भेजने की इजाज़त नहीं.'' (हवाला : दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, फतावा अफरीका, मस्अला नं. १०७, सफहा-१७७, फतावा रज़्वीया, जिल्द-६, सफहा-३८४)

मस्अला

''मस्जिद की आम्दनी दूसरे अवक़ाफ (वक़्फो/संस्था) में सर्फ (ख़र्च) करना हराम है, अगरचे येह मस्जिद को हाजत भी न हो. मस्जिद की आम्दनी दूसरे अवक़ाफ में सर्फ करना हराम हराम अशद (सख़्त) हराम है. अगर किसी मस्जिद का माल किसी दूसरे वक़्फ या किसी दूसरी मस्जिद में दे दिया है और वोह माल अभी ब: ऐनेही (यथार्थ-Exactly) मौजूद है, तो वापस ले लिया जाए, और अगर वोह माल ख़र्च (Use) हो गया, तो उसका 'तावान' (हरजाना-Recompense) मुन्तज़ेमीन (व्यवस्थापकों) पर लाज़िम है. उनसे वुसूल (Recover) किया जाए और उन मुन्तज़ेमीन को मा'ज़ूल (ओहदे से बरतरफ-Disposted) करना वाजिब है कि वोह ग़ासिब (Seizes) और ख़ाइन (Embezzler) हैं.''

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-६, सफहा-४६०)

मस्अला

''मस्जिद के किसी हिस्से को तिजारत की दुकान कर देना हराम, हराम, सख़्त हराम और मज़हबे-इस्लाम में दस्त अंदाजी है. इन दुकानों (Shops) में किसी दुन्यवी काम के लिये बैठना, या उसका किराया (Rent) लेना, या उसमें कोई चीज़ बेचना-ख़रीदना, या बेचने-ख़रीदने के लिये उस में जाना हरामे-क़तई है. इन दुकानों को वापस ख़ास मस्जिद बना देना वाजिब है. मुसलमानों पर उसे मस्जिद बाक़ी रखना और ''ता हद्दे-कुदरत'' (यथा शक्ति) हर जाइज़ तरीक़े से उसे मस्जिद में रहेने देने में पूरी कोशिश करना फर्ज़े-क़तई है. जो इसमें कोताही (बेदरकारी-Deficiency) करेगा, सख़्त अज़ाबे-इलाही का मुस्तहिक़ (लायक/पात्र) होगा.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहरूर राइक, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़्वीया, जिल्द-६, सफहा-४७१)

अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलने के मुतअल्लिक

मस्अला

''अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं. हदीस शरीफ में है कि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफिक़. लैकिन वोह शख़्स कि जो किसी काम के लिये गया और जमाअ़त से पहले वापसी का इरादा रखता है.''

(फिक़्ह की तमाम किताबें और बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्अला

'' अगर कोई शख़्स उस वक़्तकी नमाज़ पढ़ चुका है, तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है, लैकिन ज़ोहर और इशा के वक़्त अगर जमाअ़त की इक़ामत हो रही हो, तो मस्जिद से न निकले बल्कि नफ्ल की निय्यत से जमाअ़त में शरीक हो जाए और बाक़ी नमाज़ों या'नी फज्र, अस्र और मग़रिब में अगर तकबीर हुई और येह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाए.''

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्अला

''किसी ने फर्ज़ पढ़ लिये हैं और मस्जिद में जमाअ़त काइम हुई, तो ज़ोहर और इशा में (नफ्ल की निय्यत से) ज़रूर शरीक हो जाए. अगर वोह तकबीर या'नी इक़ामत सुन कर बाहर चला गया, या वहीं बैठा रहा और जमाअ़त में शरीक न हुआ, तो मुब्तेला-ए-किराहत (धृणास्पद चेष्टा में समाविष्ट) और जमाअ़त तर्क करने के मामले (आक्षेप) में मुलव्विस (समाविष्ट-Involved in Averson) हुआ,

लैकिन, फज्र, अस्र और मग़रिब में शरीक न हो. क्योंकि फज्र और अस्र के बाद नफ्ल मकरूह और मना है, और मग़रिब में तीन (३) रकअ़त फर्ज़ होने की वजह से शरीक न हो. अगर मग़रिब की जमाअ़त में नफल की निय्यत से शरीक हुआ और चौथी रकअ़त मिलाई, तो इमाम की मुखा़लेफत की किराहत लाज़ीम आएगी और अगर जमाअ़त में शरीक न हुआ और वैसे ही बैठा रहा, तो किराहत मज़ीद अशद (ज़ियादा सख़्त) होगी. लिहाज़ा फज्र, अस्र और मग़रिब के वक़्त बाहर चला जाए.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६१३/३८३)

मस्अला

''अगर मुहल्ले की मस्जिद में जमाअ़त न मिली, तो अगर किसी दूसरी मस्जिद में जमाअ़त मिल सकती है, तो वहां जमाअ़त से पढ़ना अफज़ल है. और अगर दूसरी मस्जिद में भी जमाअ़त मिलना मुम्किन नहीं, तो मुहल्ले की मस्जिद में तन्हा पढ़ना अवला (बेहतर) है. यूंही अगर अज़ान कही और जमाअ़त के लिये कोई भी न आया, तो मोअ़ज़्ज़िन (बांगी) तन्हा पढ़ ले, दूसरी मस्जिद में न जाए.''

(सग़ीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्अला

''अगर मुहल्ले की मस्जिद का इमाम मआज़ल्लाह (अल्लाह की पनाह) बद अक़ीदा, या ज़ानी (व्यभिचारी-Adulturer) या सूद (ब्याज) खो़र है, या उसमें कोई ऐसी ख़राबी है कि जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो, तो मुहल्ले की मस्जिद छोड़ कर सहीहुल अक़ीदा इमाम वाली मस्जिद को जा सकता है.''

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्जिद में सोया था और एहतेलाम हो गया, तो क्या करे ?

मस्अला

" मस्जिद में कोई शख़्स सोया हुआ था और उसे एहतेलाम (स्वप्न दोष- Nocturnal Pollution) हो गया, तो उस पर फ़र्ज़ है कि मस्जिद से फ़ौरन निकल जाए, क्योंकि जनाबत (नापाकी) की हालत में मस्जिद में ठहेरना हराम है. यूंही जनाबत की हालत में मस्जिद में चलना भी हराम है. लिहाज़ा उस पर वाजिब है कि फ़ौरन अपनी जगह पर ही 'तयम्मुम' कर ले. उसे सिर्फ इतनी ही देर ठहेरने की इजाज़त है, जितनी देर (समय) में वोह तयम्मुम कर सके. इलावा अज़ीं उसे एक लम्हा (क्षण-Moment) भी तयम्मुम करने में ताख़ीर (विलम्ब-Late) करना रवा नहीं कि इतनी देर बिला ज़रूरत जनाबत की हालत में मस्जिद में ठहेरना होगा और येह हराम है.

लिहाज़ा :-

अगर उसके क़रीब कोई मिट्टी का बरतन रखा हुआ है और दीवार क़दम भर दूर है, तो वाजिब है कि उसी बरतन से फ़ौरन तयम्मुम कर ले. और अगर दीवार क़रीब है और बरतन दूर है, तो दीवार से तयम्मुम कर ले. और अगर दीवार और बरतन दोनों दूर हैं, तो जहां वोह बैठा है, उस जगह की ज़मीन से तयम्मुम कर ले. उसे इजाज़त नहीं कि जनाबत की हालत में सरक (खिसक कर- Movement) दीवार तक जाए, बल्कि मस्जिद की ज़मीन से ही तयम्मुम कर ले.

अल ग़रज़ ! जो जल्द हो सके वोह करे और तयम्मुम करने के बाद फ़ौरन मस्जिद से निकल जाए. अगर मस्जिद में चन्द दरवाज़े

हैं, तो वोह दरवाज़ा इख़्तियार करे जो क़रीब तर (ज़ियादा समीप- Nearest) हो."

(हवाला : फ़तावा इमाम क़ाज़ी खान, ज़ख़ीरा, अल इख़्तेयार फी शर्हिल मुख़्तार, मुहीत, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-१, सफ़हा-६३६)

सुन्नत और नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में पढ़ना अफ़ज़ल है ?

मस्अला

" तरावीह और तहय्यतुल मस्जिद के सिवा तमाम नवाफ़िल (नफ़्लें) और सुनन (सुन्नतें) ख़्वाह मोअक्केदा हों या ग़ैर मोअक्केदा हों, घर (Residence) में पढ़ना अफ़ज़ल और बाइसे-सवाबे-अकमल (सम्पूर्ण-Entire) है. बुख़ारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि; *"अलयकुम-बिस्सलाते-फी-बुयूतेकुम-फ-इन्ना-ख़यरस-सलातिल-मरए-फी-बयतेहि-इल्ला-मकतूबते"* (तर्जुमा) ' तुम पर लाज़िम है घरों में नमाज़ पढ़ना कि मर्द के लिये बेहतर नमाज़ उसके घर में है, सिवा फर्ज़ के."

(बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ)

मस्अला

"सुनन और नवाफ़िल का घर में पढ़ना अफ़ज़ल है और यहीं हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की आदते-तय्येबा और हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने हमे यूंही हुक्म फ़रमाया है."

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४५७/४५८)

मस्अला

"अस्ल हुक्मे इस्तेहबाबी या'नी मुस्तहब यही है कि सुन्नते-क़बलिया या'नी फ़र्ज़ के पहले की सुन्नतें या'नी फज्र की दो (२) ज़ोहर की चार (४) अस्र की चार (४) और इशा की चार (४) तो मुत्लक़ घर में पढ़ कर ही मस्जिद में जाए कि ज़ियादा सवाब पाए.

और सुन्नतें-बा'दिया या'नी फर्ज़ के बाद की सुन्नतें या'नी ज़ोहर के बाद की दो (२) मग़रिब के बाद की दो (२) और इशा के बाद की दो (२) के लिये येह हुक्म है कि जिसे अपने नफ़्स पर इत्मेनाने-कामिल (Self Concious) हासिल हो कि घर जाकर किसी ऐसे काम में मश्ग़ूल (व्यस्त-Busy) न हो जाएगा जो उसे सुन्नतें पढ़ने से बा'ज़ (वंचित-Faraway) रखे, तो वोह फर्ज़ मस्जिद मे पढ़ कर पलट आए और सुन्नतें घर ही में पढ़े तो बेहतर है, और इस से सवाब की एक ज़ूयादती (वृद्धि-Augmentation) येह हासिल होगी कि सुन्नतें अदा करने के लिये जितने क़दम (पग-Step) मस्जिद से घर तक चलेगा, वोह सब हसनात (नेकियों) में लिखे जाऐंगे. और जिस शख़्स को येह इतमेनान न हो, वोह सुन्नतें मस्जिद में पढ़ ले, ताकि अफज़लीयत हासिल करने का लिहाज़ करने में अस्ल नमाज़ ही कहीं फौत न हो जाए."

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५८)

जरूरी मस्अला

" लैकिन अब आम तौर पर एहले इस्लाम सुन्नत और नफ्ल नमाज़ मस्जिद में ही पढ़ने पर अमल करते हैं. मस्जिद में एक मस्लेहत येह भी है कि घर के मुकाबले मस्जिद में दिली इत्मेनान ज़ियादा होता है. इलावा अज़ीं अगर कोई शख़्स मस्जिद में सुन्नतें पढ़े ही नहीं, तो ख़्वा-म-ख़्वा लोग उसकी बे:समजे (व्यर्थ) मुख़ालेफत, ताअन

और अंगुश्त नुमाई और ग़ीबत करने में मुब्तिला होंगे. घर में सुन्नतें पढ़ने का जो मस्अला उपर दर्ज किया गया है, वोह हुक्म इस्तेहबाबी यानी मुस्तहब दर्जे का है, और अगर मुस्तहब काम के करने से अवामुन्नास (आम जनता) की मुख़ालेफत (विरोध), अंगुश्त नुमाई (ऊंगली उठाना), बदगुमानी और ग़ीबत का अंदेशा (संदेह) है, तो मस्जिद ही में सुन्नत और नफ्ल नमाज़ पढ़ना बेहतर है. अइम्म-ए-दीन फरमाते हैं कि *"अल-खुरूजो-अनिल-आदते-शहरतुन-मकरूह."*

(संदर्भ हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५९)

प्रकरण (१८) 'मर्द और औरत की नमाज़ का फ़र्क़'

- " जिस तरह बालिग़ मर्द पर नमाज़ फ़र्ज़ है, इसी तरह बालिग़ औरत (स्त्री) पर भी नमाज़ फ़र्ज़ है."
- " हैज़ (मासिक स्त्राव-Menses) और निफ़ास (प्रसव के बाद जो खून आता है-Blood after delivery) की हालत में औरत को नमाज़ पढ़ना मना है. इन दिनों में औरत को नमाज़ माफ (Exempted) है और इन दिनों की नमाज़ की कज़ा भी नहीं."

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा-२, सफ़हा-८२)

- "मर्द और औरत के नमाज़ पढ़ने के तरीक़े (पद्धति-Method) में भी फ़र्क़ है. वोह फ़र्क़ ज़ैल (निम्न-Below) में मरक़ूम (आलेखित) है. क़ारेईने-किराम एक नज़र में मर्द और औरत की नमाज़ का फ़र्क़ आसानी से समझ लेंगे.

कहां फर्क है	फ़र्क़ नंबर	मर्द (पुरूष-Male) के लिये क्या हुक्म है ?	औरत (स्त्री-Female) के लिये क्या हुक्म है ?
तकबीरे तहरीमा	(१)	◆ अपनी हथेलियां आस्तीन के बाहर रखे.	◆ अपनी हथेलियां आस्तीन या चादर के अन्दर छुपा कर रखे.
	(२)	◆ अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए.	◆ अपने दोनों हाथ सिर्फ मूढों (Shoulder) तक उठाए.
क़याम	(१)	◆ नाफ (डुंटी-Nevel) के नीचे हाथ बांधे.	◆ पिस्तान(स्तन-Breast) के नीचे हाथ बांधे.

	(२)	◆ दायें हाथ की हथेली बायें हाथ की हथेली के जोड़ (Joint) पर रखे और छिन्गलियां (छोटी ऊंगली -Littlefinger) और अंगूठा (Thumb) को कलाई (Wrist)के इर्द गिर्द (फरते) हलक़ा (Round) की शक्ल में रखे और दायें हाथ की बीच की तीनों ऊंगलियों को बायें हाथ की कलाई की पुश्त पर बिछा दे.	◆ बायें हाथ की हथेली (Palm) को पिस्तान के नीचे रखकर उसकी पुश्त (Back) पर दायें हाथ की हथेली रखे.
रूकूअ़	(१)	◆ पूरा ज़ुके, इस तरह कि अगर पीठ पर पानी का प्याला भर कर रख दिया जाए तो ठहेर जाए, इतनी पीठ बिछाए.	◆ सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों (Knee) तक पहुंच जाए. पीठ को झुका कर न बिछाए.
	(२)	◆अपना सर पीठ के महाज़ (समांतरParaller) में रखे, न नीचा झुकाए न ऊंचा.	◆ अपना सर पीठ के महाज़ से ऊंचा उठाए रखे.
	(३)	◆ हाथों पर टेक लगाए या'नी वज़न दे.	◆ हाथों पर टेक न लगाए या'नी वजन न दे.
	(४)	◆ घुटनों को हाथों से पकड़े.	◆ हाथों को घुटनों पर सिर्फ रखे और घुटने पकड़े नहीं

	(५)	◆ घुटनों पर हाथ रख कर ऊंगलियां खूब खुली हुई और कुशादा रखे.	◆हाथों की ऊंगलियां कुशादा न करे बल्कि मिली हुई रखे.
	(६)	◆ अपनी टांगे मुत्लक़ न झुकाए, बल्कि सीधी रखे.	◆ अपनी टांगे झुकी हुई रखे, मर्दो की तरह सीधी न रखे.
सजदा	(१)	◆ फैल कर और कुशादा हो कर सजदा करे.	◆ सिमट कर सजदा करे
	(२)	◆ बाज़ु को करवट से, पेट को रान से और रान को पिन्डलियों से जुदा रखे.	◆ बाज़ू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिन्डलियों से, और पिन्डलियों को ज़मीन से मिलादे.
	(३)	◆ कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियां ज़मीन पर रखकर कलाइयां और कोहनीयां उपर को उठाए रखे.	◆ कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर बिछाए या'नी ज़मीन से लगाए.
जल्सा और क़ा'दा	(१)	◆ अपना बायां (LEFT) क़दम बिछा कर उस पर बैठे और दायां क़दम इस तरह खड़ा रखे कि तमाम ऊंगलियां (क़िब्ला की तरफ) हो.	◆ दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायें (Left) सुरीन या'नी चूतर (कुला-Rump) के बल ज़मीन पर बैठे.

	(२)	◆ अपनी हथेलियां रान पर रखे और ऊंगलियां अपनी हालत पर छोड़ दे या'नी ऊंगलियां न कुशादा (खुली रखे) और न मिली हुई रखे.	◆ अपनी हथेलियां रान पर रखे और ऊंगलियां मिली हुई रखे.
आगे से गुज़रने वाले को मुतनब्बेह (सचेत) करना	(१)	◆ नमाज़ पढ़ रहा है और कोई शख़्स आगे से गुज़रे तो 'सुब्हानल्लाह' कहे कर उस गुज़रने वाले को मुतनब्बे या'नी सचेत -Circumspect करे.	◆ नमाज़ पढ़ रही है और कोई व्यक्ति आगे से गुज़रे तो हाथ पर हाथ मार कर मुतनब्बेह करे. इस को शरई इस्तेलाह में 'तस्फीक़' कहते हैं. या'नी औरत तस्फीक़ करे.
नमाज़े फज्र	(१)	◆ नमाज़े-फज्र में अस्फार तक ताख़ीर (विलम्ब-late) करना मुस्तहब है. या'नी इतना उजाला हो जाएकि ज़मीन रोशन हो जाए और आदमी एक दूसरे को आसानी से पहचान ले.	◆ फज्र की नमाज़ 'ग़ल्स' या'नी अव्वल वक़्त अंधेरे (Darkness) में पढ़े.
	(२)	◆ Nil	◆ औरत फज्र की नमाज़ मर्दो की जमाअ़त क़ाइम होने से पहले या'नी

			उजाला फैलाने से पहले पढ़े. बाक़ी तमाम नमाज़ों में मर्दों की जमाअ़त का इन्तेज़ार करे या'नी मर्दों की जमाअ़त हो जाने के बाद पढ़े.
नमाज़े जुम्आ व ईदैन	(१)	◆ मर्द पर जुम्आ की नमाज़ फ़र्ज़ है और ईदैन या'नी दोनों ईदों की नमाज़ वाजिब है.	◆ औरत पर जुम्आ व ईदैन की नमाज़ नहीं.

ज़रूरी तम्बीह और मसाइल

मस्अला

''औरत भी खड़ी होकर (Standing) ही नमाज़ पढ़े. जिन नमाज़ों में या'नी फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नते-मोअक्केदा में मर्दों पर क़याम फ़र्ज़ है, उन नमाज़ों में औरतों पर भी क़याम फ़र्ज़ है. अगर बिला उज़्रे-शरई उन नमाज़ों को बैठ कर पढ़ेगी, तो नमाज़ नहीं होगी.

मस्अला

''तमाम रकअ़तें खड़ी होकर पढ़े. एक रकअ़त खड़ी होकर और बाक़ी रकअ़ते बैठ कर पढ़ेगी, तो उन रकअ़तों में क़याम का फ़र्ज़ तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़ न होगी.''

नोट :

हमारी कुछ कम-इल्म मां बहेनें फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नते-मोअक्केदा नमाज़ में भी तमाम या बा'ज़ (कुछ) रकअ़तें बैठ कर पढ़ती हैं. उनकी नमाज़ नहीं होती, लिहाज़ा ऐसी नमाज़ की कज़ा करें और आइन्दा के लिये तौबा करें और हमेशा खड़े होकर लाज़मी तौर पर नमाज़ पढ़ने की आ़दत डालें.

- ◆ '' शरई उज़्र के बग़ैर बैठ कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं.''
- ◆ ''क़याम या'नी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ जो अहेकाम मर्दों के लिये हैं, वोह तमाम अहेकाम औरतों पर भी लाज़मी (अनिवार्य) हैं.''
- ◆ ''नफ़्ल नमाज़ बग़ैर किसी उज़्र (कारण-Reason) के भी बैठ कर पढ़ सकती हैं.

प्रकरण (१९)

"चन्द ज़रूरी मसाइल"

मस्अला

" सोते हुए (Sleeping) आदमी को नमाज़ के लिये जगाना जाइज़ है, बल्कि ज़रूरी है."

(अहकामे शरीअत, मस्अला नं. ६६, हिस्सा नं. २, सफहा नं. १०२ और फतावा रज़्वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९८)

मस्अला

" हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का मुबारक नामे-पाक मुख्तलिफ जल्सों में जितनी मरतबा ले (बोले) या सुने, हर मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है. अगर दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, तो गुनाहगार होगा और सख़्त वईदों में गिरफतार होगा."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-८१)

मस्अला

" जो शख़्स सिर्फ वज़ीफा पढ़े और नमाज़ न पढ़े, वोह फासिक़ है और मुरतकिबे कबाइर (बड़े गुनाह करने वाला - Performing Heavy Sins) है. उसका वज़ीफा उस के मुंह पर मारा जाएगा. ऐसों ही के मुतअ़ल्लिक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है कि ;"बहुतेरे (बहुत से-Somany) कुरआन पढ़ते हैं, और कुरआन उन्हें ला'नत (शाप-Malediction) करता है."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-८२)

मस्अला

" हदीसे सहीह में ऐसी जगह बुलन्द आवाज़ से कुरआने मजीद पढ़ने की मुमानेअ़त फरमाई गई है, जहां लोग नमाज़ पढ़ रहे हों, कुरआने-मजीदने हुक्म फरमाया है कि " जब कुरआन पढ़ा जाए, कान लगा कर सुनो और चुप रहो." तो ऐसी जगह जह्र (बुलन्द आवाज़-Loudly) से पढ़ना मना है.

और दो (२) या चन्द आदमियों का मिल कर (सामूहिक) बुलन्द आवाज़ से इस तरह कुरआन शरीफ पढ़ना कि एक दूसरे की आवाज़ टकराए और शोरो-गुल (घोंघाट-Out cry) उठे (हो), सख़्त ममनूअ़ और कुरआन के हुक्म के ख़िलाफ और कुरआने अ़ज़ीम की बेहुरमती (बेःअदबी) है. इन लोगों को चाहिये कि आहिस्ता पढ़ें."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-१२८)

मस्अला

" कुछ लोगों में येह बात ग़लत राइज़ है कि नमाज़ में "सूर-ए-अल्लहब" (तब्बत-यदा) हत्तुल इम्कान (जहां तक हो सके) नहीं पढ़नी चाहिये, येह ग़लत वह्म-व-गुमान (संश्य-Suspicion) है. लैकिन हकी़क़त येह है कि नमाज़ में 'सूर-ए-अल्लहब' पढ़ने में कोई हर्ज नहीं."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-१२९)

मस्अला

" तवाइफ (रंडी) का रक़्स (नृत्य-Dance) देखने वाला शख़्स फासिक और फाजिर है और इमामत के लाइक नहीं."

(फतावा रज़्वीया, जिल्द-३, सफहा-१६२)

मस्अला

" ता'ज़ियों की ता'ज़ीम करने वाला और ना जाइज़ मरसियों को पढ़ने वाला फासिक और बिदअती है. दोनों सूरतों (परिस्थिति) में ऐसे शख़्स के

पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१९८)

मस्अला

'' अपने मां-बाप को मारनेवाला, सताने वाला, गालियां देने वाला, इज़ा देने वाला और उसकी इज़ा रसाई (कष्ट देने) से उसके मां बाप नाराज़ हैं, तो ऐसा शख़्स शरअन फासिक, फाजिर और 'आक़' (Disobedient) है और उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी, वाजेबुल एआदा और उसको इमाम बनाना गुनाह है.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-२२७/२२९)

मस्अला

''मज़ामीर (संगीत-Music) हराम हैं, उनका सुनना भी हराम है, जो शख़्स ऐलानिया (ज़ाहिर में-Openly) मज़ामीर सुनता है, वोह शख़्स इमामत के लाइक नहीं. उसकी इक़्तेदा मे नमाज़ किराहत से किसी हाल से ख़ाली नहीं.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-२५१)

मस्अला

''तहज्जुद की नमाज़ सुन्नते-मस्तहब्बा है और तमाम मुस्तहब नमाज़ों से आज़म (भव्य-Greatest) और अहम (महत्वपूर्ण-Important) है. कुरआने-मजीद और अहादीसे-करीमा हुज़ूर पुरनूर सय्येदुल मुरसेलीन उसकी तरग़ीब (प्रोत्साहन-Stimulation) से माला-माल (भरपूर) हैं. मज़हब की सब किताबों में तहज्जुद की नमाज़ को मन्दूबात और मुस्तहब्बात में शुमार किया गया है. हालांकि येह नमाज़ सुन्नते-मोअक्केदा नहीं, लैकिन फिर भी इसका तारिक (छोड़ने वाला) फज़्ले-कबीर (महालाभ) और ख़ैरे-कसीर (भलाई) से महरूम (वंचित) है, लैकिन गुनाहगार नहीं.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५४)

मस्अला

'' इब्तेदा-ए-अम्र (शुरू में-In begining) में तहज्जुद की नमाज़ हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम पर और हुज़ूर की उम्मत पर फर्ज़ थी, लैकिन बाद में ब-दलीले-इज्माए-उम्मत (उम्मत के आलिमों की संगठित दलीलों द्वारा-By Arguments of Oloma's Assembling) इस नमाज़ की फर्ज़ीयत (फर्ज़ होना) उम्मत के हक़ में मन्सूख़ (नाबुद-Abolish) हो गई.

उम्मुल मो'मेनीन सय्यदेतेना हज़रत आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तआला अन्हा से हदीस मर्वी है कि; ''क़यामे लैल'' (रात की नमाज़/तहज्जुद) हुज़ूरे-अक्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम परफर्ज़ और उम्मत के हक़ में सुन्नत थी.''

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५५/४५६)

मस्अला

'' आशूरा (दसवीं मुहर्रम) का दिन बहुत ही फज़ीलत का दिन है. उस दिन तिलावते कुरआन, ज़िक्रो-अज़्कार और नवाफिल पढ़ने की बहुत फज़ीलत है, आशूरा के दिन के 'मुअय्येना' (प्रचलित-Established) नवाफिल जो ख़ास, ब:तरीके मख़्सूसा (नियुक्त पद्धति से) पढ़ने के मुतअल्लिक जो हदीस रिवायत की जाती है, उस हदीस को अइम्म-ए-दीन मौज़ूअ (विपरीत-Subjective) और बातिल (अर्थहीन-Absurd) बताते हैं. अल्लामा इमाम अली इब्ने सुल्तान मुहम्मद हर्वी, कारी, मक्की, हन्फी अल मा'रूफ ब 'मुल्ला अली कारी ' (वफात सं. हि. १०१४) रहमतुल्लाह तआला अलैहे अपनी किताब ''मौज़ूआते-कबीर'' में आशूरा की नमाज़ के मुतअल्लिक फरमाते हैं कि ''सलातो-आशूरह-मौज़ूउन-बिल-इत्तेफाक़.'' (तर्जुमा) 'आशूरा की नमाज़ बिल इत्तेफाक (एक

मत से-Concord) मौजूअ़ है."

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४६०)

नमाज़ी के आगे से गुज़रने (पसार होने) के मुतअ़ल्लिक़

मस्अला

" नमाज़ी के आगे से गुज़रना बहुत सख़्त गुनाह है. नमाज़ी के आगे से गुज़रने (पसार होने) वाला गुनाहगार होता है. नमाज़ी की नमाज़ में कोई ख़लल (नुकशान-Prejudice) नहीं आता."

(बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१५७ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०१)

" नमाज़ी के आगे से गुज़रने की सख़्त मुमानेअ़त है. हदीसों में इस पर सख़्त वईदें वारिद हैं. मस्लन :-

हदीस

" इमाम अहमद हज़रत अबी जहीम रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं; 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जानता कि उस पर कितना गुनाह है, तो चालीस बरस (वर्ष-Year) खड़ा रहेना, उस गुज़र जाने से उसके हक़ में बेहतर था."

हदीस

"इब्ने माजा की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से है कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमातें है

कि; *"लव-या'लमो-अहदोकुम-मा-लहू-फी-अंय-यमुर्रा-बयना-यदा-अख़ीहे-मो'तरेज़न-फीस्सलाते-काना-ले-अंय-युक़ीमा-मिअता-आ़मीन-ख़यरुल-लहू-मिनल-ख़ुतवति-लती-ख़ताहा."* (तर्जुमा) " अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े होकर (आगे से) गुज़रने में कितना गुनाह है,तो सो (१००) बरस खड़ा रहेना, उस एक क़दम (Step) चलने से बेहतर समझता."

हदीस

"अबू बकर इब्ने अबी शयबा अपनी मुसन्नफ में हज़रत अब्दुल हमीद बिन अब्दुर्रहमान रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से रावी कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; *"लव - या'लमुल - मार्रो - बयना - यदल -मुस्ल्ली - ल - अहब्बो - अंय - यकसरा - फख़ज़ोहु - वला - यमुर्रो - बयना - यदयहि."* (तर्जुमा) " अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जानता (कि इस तरह गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है) तो चाहता कि उस की रान (जांघ-Thigh) टूट जाए मगर नमाज़ी के सामने से न गुज़रे."

(तीनों हदीसें ब: हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३१६/३१७)

मस्अला

" अगर कोई शख़्स मकान या छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो, तो दीवारे-क़िब्ला (पश्चिम तरफ की दीवार-West Wall) तक उसके आगेसे गुज़रना (निकलना) जाइज़ नहीं, जब कि बीच में 'सुत्रा' (आड़-Inter-vene) न हो.

अगर कोई शख़्स सहेरा (मैदान/रेगिस्तान-Plain, Desert) या बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो, तो उसके आगे से सिर्फ मौज़-ए-

सुजूद (सजदा करने की जगह) तक निकलने की इजाज़त नहीं, उससे बाहर के हिस्से से गुज़र सकता है. मौज़्-ए-सुजूद के येह मा'नी हैं कि आदमी जब क़याम में अपनी निगाह को ख़ास सजदा करने की जगह यानी जहां सजदे में उसकी पैशानी (ललाट-Forehead) होगी, वहां जमाता (स्थित करता) है और अगर जब सामने कोई रोक (अवरोध) न हो, तो जहां निगाह जमाता है, वहां से कुछ आगे को निगाह (द्रष्टि) बढ़ती है. तो निगाह आगे बढ़ कर जहां तक जाए, वोह सब जगह मौज़्-ए-सुजूद में शामिल है. उस जगह के अन्दर नमाज़ी के आगे से निकलना हराम है और उससे बाहर जाइज़ है.''

(हवाला : ◆ दुर्रे मुख़्तार ◆ रद्दुल मोहतार ◆ बदाएउस्सनाए, ◆ निहाया ◆ फत्हुल क़दीर शरहे हिदाया ◆ मिन्हतुल ख़ालिक़ हाशिया बहरूर राइक़ ◆ तजनीस ◆ बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१५८ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०१)

मस्अला

'' मस्जिदुल हराम शरीफ या'नी ख़ान-ए-का'बा में नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ी के आगे से तवाफ करने वाले लोग गुज़र सकते हैं.''

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१६०)

मस्अला

'' नमाज़ पढ़ने वाले के आगे 'सुत्रा' हो या'नी कोई ऐसी चीज़ हो जो आड़ हो जाए, तो सुत्रा के बाद से गुज़रने में कोई हर्ज नहीं.''

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१५८ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०१)

मस्अला

''सुत्रा एक हाथ जितना ऊंचा (लम्बा-Long) और एक उंगली के बराबर मोटा (Thick) होना चाहिये.''

(रद्दुल मोहतार, दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'' सुत्रा बिल्कुल नाक (Nose) की महाज़ (सीध-Line) पर न हो बल्कि दायीं या बायीं आंख के भवों (नेण-Eye brow) की सीध पर हो और दाहने (Right) की सीध पर होना अफज़ल है.''

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१५८)

मस्अला

'' दरख़्त (पेड़-Tree), आदमी, लकड़ी, (Wood) लोहे की सलाख़ (Iron Bar) जानवर वग़ैरह का भी 'सुत्रा' हो सकता है कि उनके बाद गुज़रने में हर्ज नहीं मगर आदमी का सुत्रा इस हालत में (इस तरह) किया जाए कि उस की पीठ नमाज़ी की तरफ हो, कि नमाज़ी की तरफ मुंह करना मना है.''

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफहा-१५९)

मस्अला

'' नमाज़ी के सामने सुत्रा नहीं और कोई शख़्स उस नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहता है, या सुत्रा है, मगर कोई शख़्स सुत्रा और नमाज़ी के दरमियान से गुज़रना चाहता है, तो नमाज़ी को रूख़सत (इजाज़त) है कि उसे गुज़रने से रोके. चाहे 'सुब्हानल्लाह' कहे, या बड़ी आवाज़ (जह्र) से क़िरअत करे, या हाथ, या सर, या आंख के इशारे से मना करे. इससे ज़ियादा की इजाज़त नहीं, मस्लन गुज़रने वाले के कपड़े पकड़ कर ज़टकना या मारना. अगर नमाज़ की हालत

में ऐसा किया, तो अ़मले-कसीर हो जाएगा और नमाज़ फासिद हो जाएगी.''

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-३, सफ्हा-१६०)

मस्अला

'' औ़रत (स्त्री) नमाज़ पढ़ रही है और कोई व्यक्ति उसके आगे से गुज़रना चाहता है, तो नमाज़ पढ़ने वाली औ़रत उस गुज़रने वाले व्यक्ति को 'तस्फीक़' से मना करे, या'नी अपने दाहिने हाथ की ऊंगलिया बायें हाथ की हथेली की पुश्त पर मार कर आवाज़ पैदा कर के गुज़रने वालो को मुतनब्बेह (सचेत) करे और उसे गुज़रने से रोके.''

(दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'' अगर मर्द ने 'सुब्हानल्लाह' कहने के बदले 'तस्फीक' की, या औरत ने तस्फीक़ के बदले 'सुब्हानल्लाह' कहकर सामने से गुज़रने वाले को रोकने के लिये मुतनब्बेह (ख़बरदार) किया, तो भी नमाज़ फासिद न होगी, अलबत्ता सुन्नत के ख़िलाफ हुआ.'' (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला

'' अगर कोई शख़्स नमाज़ी के आगेसे गुज़र रहा है, तो नमाज़ी को इख़्तियार (अधिकार-Authority) है कि उस गुज़रने (पसार) होने वाले को रोके बल्कि नमाज़ पूरी कर के उससे 'क़िताल' (लड़ाई-Strife) करने की भी इजाज़त है.''

हदीस

'' इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाउद और इमाम नसाई ने हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तआ़ला

अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; '' *इज़ा-सल्ला-अहदोकुम-इला शयइन - यस्तोरोहू - मिनन - नासे - फ - अरादा - अहदुन - अंय - यजताज़ा - बयना - यदयहे - फल - यद - फअहू - फ - इन - अबा- फल - युकातिल्हु - फ -इन्नमा - हुवश्शयतानो*'' (तर्जुमा) '' जब तुम में से कोई शख़्स सुत्रा (आड़) की तरफ नमाज़ पढ़ता हो और कोई सामने से गुज़रना (पसार होना) चाहे, तो उसे दफअ़ करे (रोके) और अगर न माने, तो उससे क़िताल (ज़गडा़) करे, कि वोह शैतान है.''

(हदीस का हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-३१७)

नोट :

नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले से ज़गडा़ करने की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में है कि उसे मना करने पर न माना और मना करने के बावजूद भी नमाज़ी के आगे से क़स्दन (जान बूझकर) गुज़रा.''

" अज़ान और इक़ामत में नामे-अक़्दस "मुहम्मद" सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना"

सदियों से मिल्लते-इस्लामिया में येह तरीक़ा राइज़ (प्रचलित-Customary) है कि हुज़ूरे-अक़्दस रहमते-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर अहले-इमानों-मुहब्बत अपने अंगूठे या कल्मे की ऊंगलियां चूमकर आंखों से लगाते हैं. खुसूसन अज़ान में *"अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदर्रसूल्लाह"* (सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम) का मुक़द्दस जुम्ला (वाक्य) सुनकर हर आ़मो-ख़ास मुहब्बतो-ता'ज़ीमे-रसूल के तक़ाज़े से अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते हैं.

मुहब्बते-रसूल के तक़ाज़े से किए जाने वाले इस मुस्तहब और मुबारक काम से दौरे-हाज़िरा (वर्तमान युग) के मुनाफ़िक़ लोग चिढ़ते (चीढ़-Annoy) हैं और मुसलमानों को अपने प्यारे नबी और आक़ा के मुक़द्दस नाम की ता'ज़ीम करने से रोकने के बद-इरादे (दुष्ट आशय) से इस मुबारक काम को भी "बिदअ़त" और मना कहते हैं.

तक़बीले-इब्हामैन या'नी अंगूठे (Thumbs) चूमने का मस्अला आजकल अ़वाम में बहुत ज़ियादा ज़ेरे-बहस (चर्चास्पद) बल्कि सख़्त मुतनाज़ेआ़ (उग्र विवाद-स्पद-Wragling) है. नामे-अक़्दस सुनकर अंगूठे चूमने की मनाई करने वाले बातिल फ़िर्क़े (असत्य पंथ) के मुत्तबेईन (अनुयायी) मुमानेअ़त की कोई दलील पैश नहीं करते बल्कि सिर्फ 'बिदअ़त है'. 'बिदअ़त है" की रट लगाते हैं. इलावा अर्ज़ीं अ़वाम (जनता) से इस बात का इस्रार (आग्रह) करते हैं कि इस काम के जवाज़ (जाइज़ होने) की दलील पैश करो. अ़वाम बेचारे बे: इल्मी (अज्ञानता) की वजह से दलील पैश नहीं कर सकते, अलबत्ता, येह ज़रूर कहेते हैं कि हम ने दीने-इस्लाम के महान बुज़ुर्गो, आ़लिमों और अपने बाप दादा (पूर्वजो-Ancestor) को ऐसा करते, देखते और सुनते आए हैं, बल्कि इब्तिदा-ए-इस्लाम से येह मुबारक काम मिल्लते-इस्लामिया (मुस्लिम सम्प्रदाय-Mohammadan Sect) में राइज (प्रणालिकागत-Conventional) है, लैकिन अ़ज़्मते-रसूल सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के मुन्किर (Denying) अ़वाम की एक नहीं सुनते और मुमानेअ़त पर मुसिर (आग्रही) रहते हैं बल्कि तशद्दुद (अतिरेक) की हद तक मुमानेअ़त करते हैं.

अज़ान में, इक़ामत में और दीगर मवाक़ेअ़ (अन्य प्रसंग) में नामे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे या अंगुश्ताने-शहादत (कल्मे की ऊंगलियां) चूम कर आंखों से लगाना क़त्अ़न (निःसंदेह) जाइज़ बल्कि मुस्तहब है. इसके जाइज़ और मुस्तहब होने की अनेक दलीलें मौजूद हैं. मस्लन :-

दलील नं. १ :

दयलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में रिवायत किया है कि;

" असदकुस्सादेक़ीन, इमामुल मुत्तक़ीन,ख़लीफ़तुल मुस्लेमीन अमीरूल मो'मेनीन, हज़रत सय्येदुना सिद्दीके अकबर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो ने अज़ान मे मोअज़्ज़िन को *"अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलल्लाह"* कहते सुना तो येह दुआ पढ़ी कि; *"अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दोहू-व-रसूलोहू-रदयतो-बिल्लाहे-रब्बंव-व-बिल-इस्लामे-दीनव-व-बे-मुहम्मदिन-सल्लल्लाहो-अलैहे वसल्लम-नबियन"* और फिर दोनों कल्मे की (पहली) ऊंगलियों के अन्दर की

जानिब के पौरे (टेरवे-Tips) को चूम कर आंखों से लगा लिया. इस पर हुज़ूरे-अक़्दस रहमते आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया कि " *मन-फ़अ़ला-मिसला-मा-फअ़ला-ख़लीली-फ-क़द-हल्लत-अलैहे-शफाअ़ती"* (तर्जुमा) " जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, उस पर मेरी शफ़ाअ़त हलाल हो गई."

दलील नं. २

इमामे अजल अल्लामा अली इब्ने सुल्तान हरवी क़ारी मक्की हन्फी अल मा'रूफ (प्रसिद्ध - Known) " मुल्ला अ़ली क़ारी" अलैहे रहमतुल बारी अपनी मा'रेकतुल आरा (भव्य-Great) किताब "मौज़ूआते-कबीर" में नामे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाने के मुतअ़ल्लिक़ (सदंर्भ मे) फरमाते हैं कि;

" व - इज़ा - सबता - रफअ़हू - इलस - सिद्दीके़ - रदीय्यल्लाहो - तअ़ाला अ़न्हो - फ - यकफी - लिल - अ़मले - बेहि - ले - क़ौलेहि - अलैहिस्सलातो - वस्सलाम - अलैकुम - बे - सुन्नती - व - सुन्नतिल - ख़लोफा - इर - राशेदीन"

(तर्जुमा) " हज़रत सिद्दीके अकबर रदीय्यल्लाहो तआ़ला अ़न्हो से इस फे'ल (काम) का सुबूत अ़मल करने के लिये काफी है, क्योंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम पर लाज़िम करता हूं अपनी सुन्नत और ख़ोलोफ़ा-ए-राशेदीन की सुन्नत."

दलील नं. ३ :

इमामे अजल शम्सुद्दीन सख़ावी ने अपनी बुनियादी (आधारभूत) किताब

"मक़ासिदे-हसना" में इस (उपरोक्त-Above) हदीस को रिवायत फरमाया है और अंगूठे चूमने के फे'ल (काम) को मुस्तहब फरमाया है."

दलील नं. ४

हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का इरशाद

इमामे जलील हज़रत अबुल अब्बास अहमद बिन अबीबक्र रवाद यमनी सूफीने अपनी किताब "मोजिबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मगफिरते" में एक रिवायत हज़रत सय्येदुना ख़िज़्र अलैहिस्सलातो वस्सलाम से रिवायत की कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि;

" मन - क़ाला - हीना - समिअ़ल - मोअज़्ज़िना - यक़ूलो - अश्हदो - अन्ना - मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे - मरहमब - बे - हबीबी - व - क़ुर्रतो - अ़यनी - मुहम्मदब - नो - अब्दुल्लाहे - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अ़लैहे - वसल्लम - सुम्मा - यक़बलो - इब्हामयहे - व - यजअ़लोहो - अला - अ़यनयहे - लम - यरमुद - अबदन" तर्जुमा "जो शख़्स मोअज़्ज़िन से " *अश्हदो-अन्नामुहम्मदर-रसूलुल्लाहे"* सुनकर *"मरहबम-बे-हबीबी-व-क़ुर्रतो-अ़यनी-मुहम्मदुब-नो-अ़ब्दुल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआ़ला-अलैहे-वसल्लम"* कहे, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे उसकी आंखे कभी न दुखें."

दलील नं. ५

" आंखों से कंकरी फौरन निकल गई "

इसी किताब या'नी 'मोजिबातुर-रहमते' में हज़रत फक़ीह मुहम्मद इब्ने अलबाबा के भाई से रिवायत की कि वोह अपना हाल बयान करते हैं कि;

"इन्नहू-हब्बत-रीहुन-फ-वक़अत-मिन्हो-हसातुन-फी-अ़यनयहि-व-आ'याहू-खुरूजहा-व-अलमत्हू-अशद्दुल-अलमे-व-इन्नहू-लमा-समिअ़ल-मोअज़्ज़िना-यकूलो-अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाहे-क़ाला-ज़ालेका-फ-ख़रजतिल-हसातो-मिन-फवरेहि-क़ालर-रवादो-रहमहुल्लाहो-तअ़ाला-व-हाज़ा-यसीरो-मिन-जन्बे-फज़ाइलिर-रसूले-सल्लल्लाहो-तअ़ाला-अलैहे-वसल्लमा."

(तर्जुमा) "एक मरतबा तेज़ हवा (आंधी) चली और एक कंकरी (Tiny Stone) उन की आंख में पड़ (घूस) गई. निकालते-निकालते थक गए लैकिन न निकली और निहायत शदीद दर्द (Terrific Pain) पहुंचाया. उसी वक्त उन्होंने मोअज़्ज़िन को 'अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाहे' कहते सुना, तो उन्होंने यही कहा, (या'नी दलील नं. ४ में मज़कूर दुआ "महरबम-बे हबीबी" पूरी अंत तक) उनकी आंख से फौरन कंकरी निकल गई. हज़रत रवाद रफमाते हैं कि हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के फज़ाइल के सामने इतनी बात क्या चीज़ है ?"

दलील नं. ६

हज़रत सय्येदुना इमाम हसन का इरशादे-गिरामी

मदीना तय्येबा के ख़तीब और इमाम हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन सालेह मदनी अपनी 'तारीख़' में इरशाद फरमाते हैं कि;

" रोविया - अ़निल - फक़ीह - मुहम्मद - इब्ने - सईदिल - ख़वलानी - क़ाला - अख़बरनी - फकीहुल - आ़लिमो - अबुल - हसन - अ़ली - इब्नो - हदीदुल - हुसैयनी - अख़बरनील - फकीहुज़ - ज़ाहिदुल - बिलाली - अ़निल - हसन - अलैहिस्सलाम - अन्नहु - क़ाला - मन - क़ाला - हीना - यस्मओ - मोअज़्ज़िना - यकूलो - अश्हदो - अन्ना - मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे - मरहबम - बे - हबीबी - व - कुर्रतो - अ़यनी - मुहम्मदुब - नो -अ़ब्दुल्लाहे - सल्लल्लाहो - अ़लैहे - वस्ल्लमा - व - यक़बलो - इब्हामयहे - व - यजअ़लोहोमा - अला - अ़यनयहे - लम - या'मा - व- लम - यरमुद"

तर्जुमा : " फक़ीह मुहम्मद इब्ने सईद खौलानी से मर्वी है कि उन्होंने फरमाया मुजे फक़ीह आ़लिम अबूल हसन अ़ली इब्ने मुहम्मद इब्ने हदीद हुसैनी ने ख़बर दी कि मुजे फक़ीह ज़ाहिद बिलालीने हज़रत इमाम हसन रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो से ख़बर दी कि हज़रत इमाम हसन रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्होने फरमाया कि;

" जो शख़्स मोअज़्ज़िन को *'अश्हदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाह'* कहते सुनकर *'मरहबम-बे-हबीबी-व-कुर्रतो-अ़यनी-मुहम्मदुब-नो-अब्दुल्लाहे-सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लम"* येह दुआ पढ़े और अपने अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे, वोह शख़्स न कभी अंधा हो और न कभी उसकी आंखें दुखें."

दलील नं. ७

मदीना मुनव्वरा के इमाम और ख़तीब हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने सालेह मदनी ने अपनी 'तारीख़' में हज़रत मुजिद मिस्री कि जो सल्फ सालेहीन से हैं , ज़िक्र (वर्णन) फरमाया कि हज़रत मुजिद मिस्री फरमाते हैं कि;

"इज़ा-समिआ-ज़िकरहू-सल्लल्लाहो-अ़लैहे-वसल्लमा-फील-अज़ाने-व-जमअ़-अस्बअ़यहिल-मुस्बहते-वल-इब्हामे-व-क़ब्बलहुमा-व-मसहा-बेहिमा-अ़यनयहे-लम-यरमुद-अबदन"

तर्जुमा : "जो शख़्स नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का ज़िक्रे पाक अज़ान में सुनकर कल्मे की ऊंगली और अंगुठा मिलाए और उन्हें बोसा (चुंबन) देकर आखों से लगाए, उसकी आंखें कभी न दुखें."

दलील नं. ८ :

हज़रत इब्ने सालेह का पक्का यक़ीन कि;

मैं कभी अंधा नही होउंगा, मेरी आंखें अच्छी रहेंगी.

इमामे जलील हज़रत अबूल अब्बास अहमद बिन अबीबक्र रवाद यमनी सूफी अपनी किताब 'मोजिबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मग़फिरते'' में फरमाते हैं कि;

"क़ाला - इब्नुस - सालेहो - व - समेअ़तो - ज़ालेका - ऐज़न - मिनल - फक़ीह - मुहम्मदुब - नोज़ - ज़रनदी - अन - बा'ज़े - शुयुखिल - इराक़े - वल - अ़जमे - व - इन्नहू - यकूलो - इन्दा - यमसहो - अ़यनयहे - सल्लल्लाहो - अ़लैका - या - सय्येदी - या - रसुलल्लाह - या - हबीबा - क़ल्बी - व - या - नूरा - बसरी - व या - कुर्रता - अ़यनी - व - क़ाला - ली - कुल्लो - मुन्ज़ो - फअ़ल्तोहू - लम - तरमुद - अ़यनी"

तर्जुमा :

" हज़रत इब्ने सालेह फरमाते हैं कि मैंने येह अम्र (मामला) हज़रत फक़ीह मुहम्मद इब्ने ज़रनदी से भी सुना है कि इराक और अ़जम के चन्द मशाइख़ से रावी थे और उन की रिवायत में यूं है कि अंगूठों को आंखों से मस (स्पर्श) करते वक़्त येह दरूद शरीफ अर्ज़ करते हैं की; *" सल्लल्लाहो - अ़लैका - या - सय्येदी - या - रसूलल्लाहे - या - हबीबा - क़ल्बी - व- या - नूरा - बसरी - व- या - कुर्रता - अ़यनी"* और इन दोनों साहेबों या'नी शैख़ फक़ीह मुहम्मद ने मुज़ से बयान किया कि जब से हम येह अ़मल करते हैं, हमारी आंखें नहीं दुखीं."

फिर हज़रत इब्ने सालेह फरमाते हैं कि;

" व - लिल्लाहिल - हम्दो - वश - शुक्रो - मुन्ज़ो - समेअ़तोहु - मिन्हुमा - इस्तअ़मल्तोहु - फ़ - लम - तरमुद - अ़यनी - व - अरजू - अन्ना - मा - फीतोहोमा - तदुमो - व - इन्नी - असलमो - मिनल - अ़मा - इन - शाअल्लाहो - तआ़ला"

तर्जुमा :

" अल्लाह के लिये हम्द और शुक्र है कि जब से मैंने येह अ़मल इन दोनों साहेबों से सुना, अपने अ़मल में रखा (या'नी मैंने भी इस पर अ़मल करना शुरू कर दिया) आज तक मेरी आखों में दर्द नहीं हुआ और उम्मीद करता हू कि, मेरी आखें हंमेशा अच्छी रहेंगीं और मैं कभी भी अन्धा (अन्ध / **Blind**) नहीं होऊंगा. इन्शा अल्लाह तआ़ला.

दलील नं. ९

नामे अक़दस सुनकर अंगूठे चूमनेवाले को हुज़ूरे अक़दस जन्नत में ले जाऐंगे.

फ़िक़्ह (शरीअ़त के क़ानून) की मशहूरो-मा'रूफ किताब " जामेउल मुज़्मेरा शरहे कुदूरी" के मुसन्निफ़ (लेखक) इमामे अजल उस्तादुल ओलोमा अल्लामा युसूफ़ इब्ने उमर के शार्गिद इमाम फ़क़ीह आरिफ़ बिल्लाह सय्येदी फज़्लुल्लाह इब्ने मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी अपने "फ़तावा सूफ़िया" में और इमामे अजल मरज-ए-ओलोमा अल्लामा अब्दुल अ़ली बरजन्दी अपनी मशहूरो-मा'रूफ किताब "शरहे-नक़ाया" में फरमाते हैं कि;

"व - ए'लम - अन्नहू - यस्तहिब्बो - अंय - युक़ाला - इन्दा - सिमाइल - अव्वले - मिनश्शहादते - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अ़लैका - या - रसूलल्लाहे - व - इन्दस - सानियते - मिन्हुमा - कुर्रतो - अ़यनी - बेका - या रसूलल्लाहे - सुम्मा - युक़ालो - अल्लाहुम्मा - मत्तेअ़नी - बिस्समअ़े - वल बसरे - बा'दा - वज़ए - ज़ुफ़रल - इब्हामयने - अलल - अ़यनयने - फ़ - इन्नहू - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अ़लैहे - वसल्लमा - यकूनो - लहू - क़ाइदन - इलल - जन्नते - व - कज़ा - फ़ी - कन्ज़िल - एबादे"

तर्जुमा :

" और जान लो कि बे:शक मुस्तहब है कि अज़ान में पहली मरतबा

" अश्हदो - अन्ना - मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे " सुने तब *"सल्लल्लाहो-अ़लैका-या-रसूलल्लाह"* कहे और जब दूसरी मरतबा सुने तब *"कुर्रतो - अ़यनी-बेका-या-रसूलल्लाह"* कहे फिर अंगूठों के नाखून (नख-Nail) आंखों पर रख कर कहे कि *"अल्लाहुम्मा-मत्तेअ़नी-बिस्समअ़े-वल-बसरे"* ऐसा करने वाले को हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम अपने पीछे-पीछे (साथ-साथ) जन्नत में ले जाऐंगे. और एसा ही बयान (वर्णन) किताब 'कन्ज़ुल ए'बाद' में है.

दलील नं. १०

शैख़ूल मशाइख़ ख़ातेमुल मोहक़्क़ेक़ीन सय्येदुल ओलोमा-ए-हन्फ़िया-बे-मक्कतुल-मुकर्रमा अल्लामा शाह जमाल इब्ने उमर मक्की रहमतुल्लाहे तआ़ला अलैहे अपने फतावा में फरमाते हैं कि ;

" सोइल्तो - अ़न - तक़बीलिल - इब्हामयने - व - वज़ओहा - अलल - अ़यनयने - इन्दा - ज़िक्रे - इस्मेहि - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अलैहे - वसल्लमा - फ़ील - अज़ाने - हल - हुवा - जाइज़ुन - अम - ला ? अजिबतो - बेमा - नस्सहू - नअ़म ● तक़बीलुल इब्हामयने - व - वज़्अ़होमा - अलल - अयनयने - इन्दा - ज़िक्रे - इस्मेहि - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अलैहे - वसल्लमा - जाइज़ुन - बल - हुवा - मुस्तहब्बुन - हाकज़ा - सरहा - बेहि - मशाइख़ोना - फ़ी - कुतुबिम - मुतअ़द्देदा"

तर्जुमा : " मुझ से सवाल हुआ कि अज़ान में हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का ज़िक्र-शरीफ़ सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों पर रखना जाइज़ है या नहीं ? मैंने इन लफ्ज़ों (शब्दों) से जवाब दिया कि, हां ! अज़ान में हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ल अलैहे वसल्लम का नामे-पाक

सुन कर अंगूठे चूमना और आंखों पर रखना जाइज़ बल्कि मुस्तहब है. हमारे मशाइख़े मज़हब ने मुतअ़द्दिद (अनेक-Various) किताबों में इस के मुस्तहब होने की तसरीह (स्पष्टी करण-Manifestation) फ़रमाई है.

मोहतरम क़ारेइने-किराम (आदरणीया वांचक वर्ग) की ख़िदमत में इस मस्अले के जाइज़ और मुस्तहब होने के सुबूत में मज़ीद दलाइल (विशेष पुरावे) भी अल हम्दो लिल्लाह पैश किए जा सकते हैं, जिनको पढ़कर इश्के-रसूले अकरम जाने-ईमान सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का कैफ़ और सुरूर तारी हो जाएगा, लैकिन फ़क़ीर सरापा तक़सीर गदा-ए-आस्तान-ए-बरकातिया ने *''तिलका-अशरतुन-कामेलतुन''* (दस ''१०'' पूरे) दलाइल पर इक्तिफ़ा (संतुष्ट) किया है.

मिल्लते इस्लाममिया के जलीलुल क़द्र अइम्म-ए-किराम (महान इमामों) ने हुज़ूरे अक़दस रहमते-आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का नामे-पाक अज़ान में सुनकर अंगूठे या अंगुश्ताने-शहादत (कलमे की ऊंगलियां) चूम कर आंखों पर लगाने के फ़े'ल (काम) को जाइज़ बल्कि मुस्तहब फरमाया है. फ़िक़ह की मुस्तनद और मो'तमद (प्रमाणित तथा विश्वसनीय) किताबों में इस के मुस्तहब होने की तफ़सील (विस्तृत विगत-Detail) मौजूद है. मस्लन :-

- इमामे अजल,अल्लामा,मुहक्क़िक़,अमीनुद्दीन मुहम्मद इब्ने आ़बेदीन शामी की मशहूरो-मा'रूफ किताब ''रद्दुल मोहतार हाशिया दुर्रे मुख़्तार'' अल मा'रूफ ब (प्रसिद्ध) ''फतावा शामी''
- इमामे-जलील,ख़ातेमुल मुहक़्क़ेक़ीन, अल्लामा, शम्सुद्दीन कहस्तानी की सर्वमान्य किताब ''जामेउर रूमूज़''

- इमामे-ज़ीशान, मरज-ए-ओलोमा, अल्लामा अब्दुल अ़ली बरजन्दी की अज़ीमुश्शान किताब ''शरहे नक़ाया बरजन्दी''
- इमाम, फ़क़ीह, आरिफ़ बिल्लाह, अल्लामा सय्येदी फ़ज़्लुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी के फ़तावा का मजमूआ़ (संग्रह) ''फतावा सुफिया''
- इमाम अबूल बरकात अब्दुल्लाह इब्ने अहमद साअ़दी की किताब ''कन्जुल इबाद''
- अल्लामा ज़ैन तल्मीज़ इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई की किताब ''कुर्रतुल ऐन''

वग़ैरह कुतुबे-मो'तमेदा (आधारभूत किताबों) में इस फ़ै'ल (काम) के जाइज़ होने की साफ तशरीह (स्पष्टता-Clearness) मौजूद है.

और अगर..............

बिल फर्ज़ (धार लो / मान लो/) नामे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाने के जाइज़ होने की शरीअ़त में कोई दलील न भी हो, तो भी इस फे'ल (काम) के मना होने की कोई दलील न होना ही, इस काम के जाइज़ होने के लिये काफ़ी है. जो लोग नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने की मुमानेअ़त (मनाई) करते हैं, उन पर लाज़िम है कि मुमानेअ़त की साफ़ और शरीह (स्पष्ट-Clearness) दलीलें पैश करें.

एक ज़रूरी बात

नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर मुहब्बत और ता'ज़ीम के तक़ाज़े से अंगूठे या अंगुश्ताने शहादत को बोसा देकर आंखों से मस (स्पर्श) करने की मुमानेअ़त करनेवाला कोई शख़्स आपके पास आए और इस मुबारक काम से रोकने की हरकत (चेष्टा) करे, तो

उस रोकने और मनाई करने वाले शख़्स से पूछो कि जनाब ! आप हमें क्यों मना कर रहे हैं ? जवाब में वोह शख़्स यही कहेगा कि इस फ़े'ल (काम) का सुबूत (Evidence) नहीं. हालांकि उसका येह जवाब सरासर (सदंतर-Absolute) ग़लत है. क्योंकि अवराक़े-साबेक़ा (अगले पृष्ठों-Former Pages) में इस मुबारक काम के जाइज़ और मुस्तहब होने के सुबूत में कुल दस (१०) दलीलें पैश की गई हैं. बिल फ़र्ज़ मान लो कि आपको वोह दलीलें याद नहीं, तो उस मना करने वाले से कहो कि जब आप मना कर रहे हैं, तो आप की ज़िम्मेदारी है कि आप शरीअ़त से कोई ऐसी दलील पैश करो कि जिस में साफ तशरीह हो कि नामे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना मना है.

या'नी...

- ◆ कुरआने-मजीद की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआ़ला ने इरशाद फरमाया है कि "जब मेरे हबीब सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम का अज़ान में नाम सुनो, तब अंगूठे चूमकर आंखों से मत लगाना.
- ◆ ऐसी कौन सी हदीस है जिसमें हुज़ूरे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरामाया है कि जब अज़ान, इक़ामत या दीगर मौकों पर मेरा नाम सुनों, तो मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से मत लगाना.
- ◆ ऐसे कौन से सहाबी, ताबई या तब-ए-ताबईन का ऐसा क़ौल या फ़े'ल (कथन या आचरण) है कि उन्होंने नामे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुन कर अंगूठे या अंगुश्ताने-शहादत चूम कर आंखों से मस करने की मुमानेअ़त फरमाई हो.

आपका येह जवाब सुनकर वोह मना करनेवाला बौखला (व्यथित व्यग्र-Uneasy) जाएगा. अगर मना करनेवाल निरा जाहिल है, तो वोह यही कहेगा कि मना होने की दलील की क्या

ज़रूरत है. येह काम 'बिदअ़त' है, इस लिये नहीं करना चाहिये. तब उससे सवाल पूछो कि अगर बिदअ़त है, तो कौन सी क़िस्म (प्रकार) की बिदअ़त है.

◆ बिदअ़ते-ए'तेक़ादी है ? ◆ बिदअ़ते-अ़मली है ? ◆ बिदअ़ते-हसना है ? ◆ बिदअ़ते-सय्येआ है ? ◆ बिदअ़ते-मोहर्रमा है ? ◆ बिदअ़ते-मकरूहा है ? ◆ बिदअ़ते-वाजिबा है ? ◆ बिदअ़ते-जाइज़ा है ? ◆ बिदअ़ते-मुस्तहब्बा है ? इन अक़्साम में सो कौन सी क़िस्म की बिदअ़त है ? आप का येह सवाल सुनकर वोह मना करने वाला फौरन नौ दो ग्यारह हो जाएगा (भाग जाएगा).

अगर मना करने वाला थोडा़ कुछ पढ़ा हुआ है, तो वोह जाइज़ होने की दलीलें सुनकर येह जवाब देगा कि आपने हज़रत सय्येदुना सिद्दीके-अकबर वाली जो हदीस पेश की है, वोह हदीस और दीगर दलाइल जो पेश किए हैं, वोह तमाम के तमाम ज़ईफ (निर्बल-Feeble) हैं, लो हुई न बात ? वाह ! क्या कहना ? जब मना होने की दलील न पैश कर सके, तो जाइज़ होने की दलीलों को ज़ईफ कहे दिया.

खै़र कोई बात नहीं. उस मना करनेवाले से कहो कि नामे-अक़्दस सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने के जवाज़ (जाइज़ होने) में हमारी पेश कर्दा (वर्णन की हुई) दलीलें जब आपके नज़्दीक "ज़ईफ़" हैं, तो आप पर लाज़िम है कि मुमानेअ़त (मना होने) की ऐसी दलीलें पेश करो, जो हमारी दलीलों के मुक़ाबले में ज़ियादा क़वी और मज़बूत (प्रबल, संगीन-Strong, Solid) हों.

वोह मना करने वाला आप की इस बात का जवाब क्या देगा ? बल्कि आप की ये बात सुनकर वोह अपनी बग़लें (-Armpits) झांकता हुआ राहे-फरार (भागने का मार्ग) अपनाएगा.

लम्ह-ए-फ़िक्रिया

(विचारवत क्षण-Thoughtful Moment)

वहाबी-तबलीग़ी जमाअ़त का जाहिल (अज्ञान-Ignorant) बल्कि अजहल (ज़ूयादा जाहिल-Barbarous) मुबल्लिग़ (प्रचारक) तबलीग़ी टोली के साथ एक आध चिल्ला या गश्त (प्रशिक्षण-Perambulatoin) कर के आता है, तो न जाने कोन सी शराबे-तकब्बुर (अभिमान की मदिरा) पीकर आता है कि अनानियत (आत्म स्तुति-Boasting), गुरूर (अहंकार-Egotism) और खुदबीनी (Arrogance) के नशे और खुमार (Intoxication) में मुब्तिला होकर अपने आप को मौलाना, मोलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस या मुजतहिद से कम नहीं समज़ता. जिस को इस्तिन्ज़ा (विशुद्धिकरण-Purification), तहारत और नमाज़ के ज़रूरी मसाइल की क़त्अ़न (बिल्कुल) मा'लूमात (जानकारी) नहीं, वोह ईमान और अक़ाइद के उसूली (मूलाधार-Fundamental) मसाइल में अपनी बेतुकी (कढंगी) मन्तिक़ (तर्क-Logic) छांटता हुआ घूमता है. हुब्बे-रसूल और अज़्मते-रसूल के जाइज़ और मुस्तहब कामों को इनादन (शत्रुभाव-Enemy) और दिलेरी से ना-जाइज़ और बिदअ़त के फत्वे देता है.

हैरत (आश्चर्य) तो इस बात पर है कि बिदअ़त का फत्वा देने वाले जाहिल मुफत्ती (मुफती नहीं) को बिदअ़त का सहीह तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण-Pronounciation) तक मा'लूम नहीं होता और बिदअ़त को ''बिद्दत'' बोलता है.

नाज़ेरीने-किराम (वांचक वर्ग) ब-नज़रे-अ़मीक़ (गहरी द्रष्टि) से गौ़र फरमाऐं कि एक तरफ बारगाहे-रिसालत के गुस्ताख़ों की ना-जाइज़ कहने की बकवास है और दूसरी तरफ मिल्लते इस्लामिया के जलीलुल क़द्र इमामों के

ईमानी और इरफानी अ़क़वाले-ज़र्री (सुनहरे कथन) हैं, जो जाइज़ और मुस्तहब होने की ताइद (समर्थन-Confirmation) फरमाते हैं. मस्लन..

- इमामे ज़ी-शान, अल्लामा दयलमी ने ''मुस्नदल-फिरदौस'' में;
- इमामे-अजल, अल्लामा अ़ली इब्ने सुलतानी हरवी क़ारी मक्की (मुल्ला अ़ली क़ारी) ने ''मौज़ूआ़ते-क़बीर'' में;
- इमामे-अजल, मरज-ए-ओलोमा, अ़ल्लामा, शम्शुद्दीन, सख़ावी ने ''मक़ासिदे-हसना'' में;
- इमामे-जलील, हज़रत अबूल अब्बास अहमद इब्ने अबीबक्र रवाद यमनी सूफी ने ''मौजिबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मग़फिरते'' में;
- इमामो-ख़तीब-मदीना मुनव्वरा हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने सालेह मदनी ने अपनी ''तारीख़'' में;
- इमाम, फ़क़ीह, आरिफ़ बिल्लाह, सय्येद फजूलुल्लाह इब्ने मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी ने ''फतावा सूफिया'' में;
- शैखुल मशाइख़, ख़ातेमुल मुहक़्क़ीन, सय्यदुल ओलोमा-ए-हन्फिया मक्क-ए-मुकर्रमा, अल्लामा शाह जमाल इब्ने अब्दुल्लाह उमर मक्की अपने मजमूअ़-ए-फतावा में,
- ख़ातेमुल मुहक़्क़ीन, इमामे अजल, अल्लामा, मुहक़्क़िक़, अमीनुद्दीन मुहम्मद इब्ने आबेदीन शामी ''रद्दुल मोहतार हाशिया दुर्रे मुख़्तार'' अल मा'रूफ (प्रचलित-Famous)''फतावा शामी'' में,
- इमामे जलील,अल्लामा,अब्दुल अ़ली बरजन्दी ''शरहे नक़ाया'' में;
- इलावा फिक्ह की मशहूर और मो'तमद किताबें मुख़्तसरूल वक़ाया, कन्ज़ुल इबाद वग़ैरह में नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे या अंगुश्ताने-शहादत को बोसा देकर आंखों से मस करने के मुबारक काम को जाइज़ बल्कि मुस्तहब फ़रमाया है.

◆ तो अब सवाल येह पैदा होते हैं कि;

(१) नामे अकदस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाना अगर बक़ौल मुनाफिके ज़माना ना-जाइज़ या बिदअत है, तो क्या मिल्लते इस्लामिया के महान इमामों और आलिमों को इस के ना-जाइज़ या बिदअत होने का इल्म नहीं था ? क्या किसी ने भी इस मस्अले को सहीह तौर पर नहीं समजा ?

(२) जो काम इब्तिदा-ए-इस्लाम (इस्लाम के आरंभ युग) से आज तक सहाबा, ताबेईन, तब-ए-ताबेईन, अइम्मा, औलिया, सूफिया और सल्फ़ सालेहीन में राइज़ और मा'मूल (प्रणालिगत और प्रचलित-Established Customary) था और जिस काम पर मिल्लते-इस्लामिया की अज़ीम शख़्सियतों (महानुभावों) ने अमल किया बल्कि इस पर अमल करने की तल्क़ीन (सूचना-Instruction) और तरग़ीब (प्रोत्साहन-Stimulation) फरमाई, वोह काम अब चौदह सो (१४००) साल (Year) के बाद ना-जाइज़ और बिदअत हो गया ?

(३) जिसका साफ मतलब येह हुआ कि चौदह सौ (१४००) साल तक हो जाने वाले सहाबा, अइम्मा, ओलोमा, फुक़हा, औलिया, सुलहा, सुफिया, वग़ैरह किसी ने इस्लाम को सहीह मा'नों में समजा ही नहीं था ?

(४) क्या इस्लाम को सहीह मा'नों में समज़ने वाले अब चौदहवीं सदी में ही पैदा हुए है ?

(५) क्या माज़ी (भूतकाल-Past) के तमाम इस्लामी अफ़राद (व्यक्ति-Persons) बे-इल्म और गुमराह थे ?

अल-हासिल :

नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे

आंखों से लगाना बे:शक जाइज़ है. हमारे लिये इसके जाइज़ और मुस्तहब होने के लिये सिर्फ यही दलील काफ़ी (पर्याप्त-Sufficient) है कि मिल्लते इस्लामिया के जलीलुल कद्र इमामों और अज़ीमुल मरतबत औलिया ने इस मुबारक काम को जाइज़ समज़ कर किया है, हम तो उन इमामों और औलिया के इस फे'ल (काम) के ''मुतमस्सिक-ब-अस्ल'' (जड़ को पकड़ने वाले, अनुयायी-Follow of Source) हैं और शरअन जो ''मुतमस्सिक-ब-अस्ल'' होता है, वोह दलील का मोहताज नहीं. अलबत्ता, जो नाजाइज़ बताए उस पर लाज़मी है कि मना होने का साफ और सरीह (स्पष्ट-Apparent) सुबूत पैश करे.

ज़रूरी और अहम (Important) बात

एक अहम बात खूब अच्छी तरह याद रखें कि एक मो'मिन के लिये ता'ज़ीमे-रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ऐन ईमान बल्कि ईमान की जान है. लिहाज़ा, जो कुछ भी , जिस तरह भी, जिस वक्त भी, जिस जगह भी और जो कोई काम भी हुज़ूरे-अक़दस जाने-ईमान रहमते-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की ता'ज़ीम के लिये किया जाए, ख़्वाह (चाहे) वोह काम ब-अयनेही (बिलकुल इसी तरह-Exactly) मन्कूल (Transcribed) हो, या न हो, सब जाइज़ व मन्दूब (स्वीकृत-Acceptable) व मुस्तहब व मतलूब (इच्छनीय-Demanded) व मरग़ूब (प्रिय-Amiable) व पसन्दीदा, व खूब है. जब तक उस ख़ास (Particular) काम से किसी क़िस्म (प्रकार) की शरई मुमानेअत न आई हो और जब तक उस खास काम के करने से कोई हर्जे-शरई न हो.

ता'ज़ीमे रसूल सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के लिये किये जाने वाले जाइज़ काम अल्लाह तबारक व तआ़ला के इस मुक़द्दस इरशादे-आ़ली में शामिल (समाविष्ट-Involve) हैं कि; *"ले - तू'मेनू - बिल्लाहे - व - रसूलेहि - व - तुअज़्ज़ेरूहो - व - तुवक़्क़ेरूहो"* (कुरआन शरीफ, पारा-२६, सूर-ए-फ़्तह, आय नं. ९)

तर्जुमा :-

''ताकि, ए लोगो ! तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ता'ज़ीम और तौक़ीर करो.'' (कन्ज़ुल ईमान)

हल्ले लुग़त (शब्द कोष-**Lexicon**)

ता'ज़ीम	= अति आदर, सम्मान, आदरभाव
और तौक़ीर	= Reverence, Honouring, Respecting

लिहाज़ा, जो मो'मिन ता'ज़ीमे रसूल सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम की ग़रज़ (इरादा-Intention) से अज़ान, या इक़ामत, या कहीं भी नामे-पाक *"मुहम्मद"* सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता है, वोह नबी-ए-पाक की ता'ज़ीमो-तौक़ीर के हुक्मे इलाही की बजा आवरी (पालन-Follow out) करता है, और फ़ज़ूले-जलील उसे हासिल है.

एक हवाला पैशे खिदमत है;

फ़्तहुल क़दीर, मुसन्नफ मुतवस्सित और फ़तावा आ़लमगीरी में है कि; *"कुल्लो - मा - काना - अदख़ला - मिनल - अदबे - वल - अजलाले- काना - हसनन"* (तर्जुमा) ' जो काम अदब और अज़्मत में दाख़िल है, वोह काम पसन्दीदा (पसन्द किया गया) है.''

फ़्क़ीर सरापा तक़्सीर ने नामे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने के मुबारक काम के जाइज़ और मुस्तहब होने की येह मुख़्तसर (संक्षिप्त-Short) बहस (चर्चा) इमामे-इश्क़ो-मुहब्बत

आ'ला हज़रत मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेल्वी रदीय्यल्लाहो तआ़ला अन्हो की मुन्दरजा ज़ैल दो(२)किताबों से इस्तेफ़ादा (सौजन्य) करके इरक़ाम (आलेख)की है;

(१) ''मुनीरूल-अ़ैन-फी-हुक्मे-तक़्बीलुल-इब्हामैन''

(२) ''नहजुस्सलामा-फ़ी-तहलीले-तक़्बीलुल-इब्हामैने-फ़ील-इक़ामा''

जिन हज़रात को इस मस्अले की मबसूत और मुफस्सल वज़ाहत (विस्तारपूर्वक और पर्याप्त स्पष्टता-Expansive and ample explanation) की ज़रूरत हो, वोह इन दोनों किताबों की तरफ रूजूअ़ करे.

<u>नोट : (एक ज़रूरी मस्अला)</u>

हालते-नमाज़ में कुरआन शरीफ सुनते वक़्त और खुत्बा सुनते वक़्त नामे-अक़्दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम सुनकर तक़्बीलुल इब्हामैन या'नी अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने का फ़ै'ल (काम) नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन मवाज़ेअ़ और मवाक़ेअ़ (स्थानों/प्रसंगों) में किसी भी क़िस्म की हरकत (हिलचाल-Motion) करना मना है.''

(फ़तावा रज़्वीया शरीफ, जिल्द-२, सफ़हा-५४४)

अल्लाह तबारक व तआ़ला अपने हबीबे-आज़म व अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहे वसल्लम के सदक़े में तमाम सुन्नी मुसलमानों को ईमान की सलामती के साथ नैक अ़मल करने की तौफीक़ अ़ता फरमाए और इस किताब को मक़्बूले-आ़मो-ख़ास बनाकर मेरे लिये सदक़-ए-जारिया और नजातो-मग़्फ़िरत का सबब बनाए. आमीन.

"व - सल्लल्लाहो - तआ़ला - अ़ला - ख़ैरे - ख़ल्केहि - व - नूरे - अर्शेहि - सय्येदेना - व - नबीय्येना - व - मावाना - व - मल्जाना - व - शफीअ़ना - व - मौलाना - मुहम्मदिंव - व - अ़ला - आ़लेहि - व - अस्हाबेहि - अजमईना - इला - यवमल - क़ियामते - व - अलैयना - मअ़हुम - आमीन - या - रब्बल - आ़लमीन."